रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102020-222271
CG-DL-E-07102020-222271

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 406] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2020/आश्विन 8, 1942
No. 406] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2020/ASVINA 8, 1942

## भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

**(संसद् के अधिनियम द्वारा गठित)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020

**सं. 1-सीए(5)/71/2020.**—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् के 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

## 71वीं वार्षिक रिपोर्ट

आईसीएआई की परिषद् को 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी 71वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम द्वारा आईसीएआई के प्रारंभ से लेखाकंन वृत्ति का अत्यधिक विकास हुआ है। संस्थान, जिसे केवल 1700 सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था, 31 मार्च, 2020 को उसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 307238 हो गई है। यह रिपोर्ट, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2019-2020 के दौरान की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही संस्थान के 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की प्रमुख विशिष्टियों को उपदर्शित करती है। परिषद् इस अवसर पर इस रिपोर्ट में, इस अवधि के और जुलाई, 2020 के शुरूआती दिनों तक की अवधि के दौरान, सदस्यों और छात्रों के संबंध में की गई प्रमुख पहलों, महत्वपूर्ण घटनाओं, सांख्यिकीय रूपरेखाओं, आयोजित की गई संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरों को भी समाविष्ट करती है। परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के समाज में विद्यमान वर्तमान सम्मान के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति सदस्यों और छात्रों द्वारा एक साथ मिलकर उपदर्शित की गई उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और ईमानदारी के द्वारा हुई है।

### 1. परिषद्

चौबीसवीं परिषद् का गठन 12 फरवरी, 2019 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। वर्तमान में, परिषद् 32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए 8 सदस्यों से मिलकर बनी है। 24वीं परिषद् की संरचना पृथक रूप से दर्शित की गई है।

**2. परिषद् की समितियां**

परिषद् ने चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार 12 फरवरी, 2020 को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति से संबंधित विषयों के बारे में स्थायी और विभिन्न गैर-स्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों का गठन किया था । 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न स्थायी और अस्थायी समितियों और बोर्डों और समूहों की 281 बैठकें आयोजित की गई थीं ।

**3. संपरीक्षक**

मैसर्स रवि राजन एंड कं. एलएलपी और मैसर्स शाह गुप्ता एंड कं. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे।

**4, स्थायी समिति**

**4.1 कार्यपालक समिति**

कार्यपालक समिति आईसीएआई की परिषद् की स्थायी समितियों में से एक है । इस समिति के कृत्यों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 175 के अधीन विहित किया गया है । समिति के कुछ कृत्य, आर्टिकल्ड और संपरीक्षा सहायकों तथा सदस्यों के नामों का रजिस्टर में नामांकन करने, हटाए जाने, नामों की पुन: प्रविष्टि करने, व्यवसाय प्रमाणपत्र को रद्द करने, लेखांकन वृत्ति से भिन्न किसी अन्य कारबार या व्यवसाय में नियोजित होने के लिए अनुमति प्रदान करने से संबंधित है । कार्यपालक समिति आईसीएआई की संपत्तियों, आस्तियों और निधियों की अभिरक्षक भी है और साथ ही आईसीएआई के कार्यालय के अनुरक्षण के लिए भी उत्तरदायी है ।

**4.2 वित्त समिति**

वित्त समिति, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से आरंभ किया गया था, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी, दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है ।

**4.3 परीक्षा समिति**

परीक्षा समिति, परीक्षाओं से संबंधित परिषद् के सभी कृत्यों का निर्वहन करती है । समिति ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (विद्यमान और पुनरीक्षित) परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में और विदेशों में सुचारू रूप से किया । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कराई गई परीक्षाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं ।

**मई, 2019 की परीक्षाएं –** चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में और विदेशों में स्थित 479 केंद्रों में 2 मई से 17 मई, 2019 के दौरान सुचारू रूप से किया गया था । उक्त फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

| | केवल समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले | | केवल समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले | | दोनों समूहों की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले /एक समूह उत्तीर्ण करने वाले | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | परीक्षाएं देने वाले | उत्तीर्ण होने वाले | परीक्षाएं देने वाले | उत्तीर्ण होने वाले | परीक्षाएं देने वाले | उत्तीर्ण होने वाले |
| मध्यवर्ती (आईपीसी) | 45857 | 6716 | 73091 | 15932 | 17061 | 324 |
| मध्यवर्ती | 51755 | 9153 | 41350 | 13109 | 25794 | 4413 |
| फाइनल (पुराना) | 25022 | 4610 | 36945 | 8762 | 15560 | 1187 (दोनों समूह) 2729 (किसी भी एक समूह में) |
| फाइनल (नया) | 8894 | 1500 | 6529 | 1146 | 11092 | 2313 (दोनों समूह) 2101 (किसी भी एक समूह में) |

**नवंबर, 2019 की परीक्षाएं –** चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में और विदेशों में स्थित 504 केंद्रों में 1 से 18 नवंबर, 2019 के दौरान सुचारू रूप से किया गया था । उक्त फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

| | केवल समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले | | केवल समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले | | दोनों समूहों की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले /एक समूह उत्तीर्ण करने वाले | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | परीक्षाएं देने वाले | उत्तीर्ण होने वाले | परीक्षाएं देने वाले | उत्तीर्ण होने वाले | परीक्षाएं देने वाले | उत्तीर्ण होने वाले |
| **मध्यवर्ती (आईपीसी)** | 30571 | 3695 | 54489 | 10952 | 10678 | 164 |
| **मध्यवर्ती** | 69886 | 15719 | 45449 | 8122 | 31856 | 4578 |
| **फाइनल (पुराना)** | 27409 | 7384 | 37589 | 8679 | 8021 | 817 |
| **फाइनल (नया)** | 27861 | 4830 | 26972 | 7593 | 15003 | 2268 |

| | परीक्षाएं देने वाले | उत्तीर्ण होने वाले |
|---|---|---|
| **फाउंडेशन परीक्षा मई, 2019** | 30971 | 5753 |
| **फाउंडेशन परीक्षा नवंबर, 2019** | 87084 | 30563 |

उपरोक्त के अलावा, सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) संबंधी परीक्षाओं को 16 जून, 2019 को, देश भर और विदेशों में स्थित 250 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था । उक्त सीपीटी परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

| | परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थी | उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी |
|---|---|---|
| **16 जून, 2019 को आयोजित सीपीटी** | 20303 | 5764 |

वर्ष के दौरान, सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हतापश्च पाठयक्रम – निर्धारण परीक्षा (आईएसए-एटी) का सफलतापूर्वक आयोजन 29 जून, 2019 को देश भर में 63 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था । एक अन्य सूचना प्रणाली संपरीक्षा – निर्धारण परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन 28 दिसंबर, 2019 को देश भर में 66 परीक्षा केन्द्रों पर किया गया था।

इन परीक्षाओं को देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

| | परीक्षाएं देने वाले | उत्तीर्ण होने वाले |
|---|---|---|
| **29 जून, 2019 को आयोजित आईएसए-एटी** | 3215 | 1038 |
| **28 दिसंबर, 2019 को आयोजित आईएसए-एटी** | 2785 | 1122 |

बीमा और जोखिम प्रबंध तकनीकी परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन नवंबर, 2019 के दौरान देश भर में कराया गया था । इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

| | परीक्षा देने वाले | उत्तीर्ण होने वाले |
|---|---|---|
| **आईआरएम - तकनीकी परीक्षा, नंवबर, 2019** | 49 | 21 |

सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान – निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) का सफलतापूर्वक आयोजन मई और नवंबर, 2019 के दौरान किया गया था । इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :

| | परीक्षा देने वाले | उत्तीर्ण होने वाले |
|---|---|---|
| **मई, 2019 में आयोजित आईएनटीटी – एटी** | 297 | 76 |
| **नवंबर, 2019 में आयोजित आईएनटीटी – एटी** | 185 | 44 |

नवंबर, 2019 में प्रबंध अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम (एमएसी) (भाग 1), निगम प्रबंध पाठ्यक्रम (सीएमसी) (भाग 1), कर प्रबंध पाठ्यक्रम (टीएमसी) (भाग 1) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल एंड डब्ल्यूटीओ) (भाग 1) में अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का भी आयोजन किया गया था ।

वर्ष के दौरान, अग्रिम आईसीआईटीएसएस परीक्षाओं का भी नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार आयोजन किया गया था :

| परीक्षा की तारीख | नगरों की संख्या | परीक्षा केंद्रों की संख्या | छात्रों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 03.03.2019 | 89 | 112 | 10105 |
| 27.04.2019 | 102 | 122 | 11030 |
| 17.05.2019 | 67 | 71 | 3570 |
| 28.07.2019 | 90 | 103 | 8656 |
| 01.09.2019 | 89 | 98 | 7300 |
| 06.10.2019 | 73 | 79 | 4277 |
| 20.10.2019 | 68 | 71 | 2705 |
| 05.01.2020 | 102 | 125 | 10737 |
| 16.02.2020 | 101 | 121 | 9568 |

संस्थान अपनी परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में, प्रश्नपत्र निर्धारित करने के प्रक्रम से आरंभ करते हुए परिणामों की घोषणा तक की प्रक्रियाओं में निरंतर रूप से सुधार करता रहा है, जिससे परीक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा और संतता, जो कि पिछले सात दशकों से सुविख्यात है, अक्षुण्ण बनी रहे तथा उसे और अधिक मजबूत तथा विकसित किया जा सके।

संस्थान की परीक्षाएं सीए पाठ्यचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय के संबंध में अवधारणात्मक समझ और साथ ही व्यवहारिक प्रयोग की जांच करती हैं, जिससे छात्र वृत्ति के विभिन्न पणधारियों की आशाओं पर खरे उतर सकें। प्रश्नों की पूर्व अनुमानता की संभावनाओं को यथासंभव रूप से दूर रखते हुए छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए संस्थान की परीक्षाएं लगातार यह सुनिश्चित करती रहीं हैं कि अर्हित छात्र सुयोग्य वृत्तिक बन सकें।

**विशेष परीक्षा :** विदेशी वृत्तिक लेखांकन निकायों के साथ किए गए परस्पर मान्यता करार/समझौता ज्ञापनों से उदभूत होने वाली विशेष परीक्षाओं का, जिनमें आईसीएआई की सदस्यता को प्राप्त करने के लिए इच्छुक इंस्टीट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स इन आस्ट्रेलिया (सीपीए आस्ट्रेलिया) के सदस्य बैठना चाहते थे, सफलतापूर्वक आयोजन 17 से 20 जून, 2019 के दौरान नई दिल्ली में किया गया था।

**छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध संबंधी वेब इंटरफेस :–**

आईसीएआई ने एक छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध परियोजना नामक एकीकृत वेब इंटरफेस प्रारंभ किया था, जिस पर सीए के छात्र एकल उपयोक्ता पहचान और पासवर्ड का उपयोग करते हुए विभिन्न परीक्षा संबंधी सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत द्वितीय अंक सूचियां/ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र/प्रतिलिपियों, केंद्र/ माध्यम/समूह में परिवर्तन के लिए आवेदन, परीक्षा-दर-परीक्षा प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड करना, परिणामों की जांच करना और परिणाम के पश्चात् उत्तर-पुस्तिकाओं के सत्यापन/उनकी प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना आदि भी हैं।

**नए परीक्षा केन्द्र :** छात्रों द्वारा उनके आवास/आर्टिकल्ड प्रशिक्षण के स्थान से निकटतम संभव स्थानों पर परीक्षाएं देने को सुकर बनाने के विचार से निम्नानुसार नए परीक्षा केंद्र खोले गए थे :

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाओं के लिए खोले गए नए परीक्षा केंद्र :

नवंबर, 2019 की परीक्षाओं से : दरभंगा (बिहार), देवेनगिर (कर्नाटक), बहादुरगंढ (हरियाणा), बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), डिब्रूगढ़ (असम), झारसुगुड़ा (ओडिशा), कडपा (आंध्र प्रदेश), कांचीपुरम (तमिलनाडु), कुरुक्षेत्र (हरियाणा) और रानीगंज (पश्चिम बंगाल) में नए परीक्षा केंद्र खोले गए थे।

इसके अतिरिक्त, केवल फाउंडेशन परीक्षाओं के लिए अंबिकापुर (छत्तीसगढ़), रायगढ़ (छत्तीसगढ़), बालोतरा (राजस्थान) और कालाबुर्गी (गुलबर्गा) (कर्नाटक) में भी परीक्षा केंद्र खोले गए थे।

### 4.4 अनुशासन निदेशालय

अनुशासन निदेशालय, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार "प्ररूप 1 में एक औपचारिक शिकायत" या किसी "सूचना" के माध्यम से प्राप्त उसके सदस्यों के विरुद्ध वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के मामलों के संबंध में अन्वेषण करने हेतु आईसीएआई के एक विनियामक खंड के रूप में स्थापित किया गया है।

अनुशासन तंत्र के अधीन आईसीएआई के अनुशासन निदेशालय को यह आज्ञापक कर्तव्य सौंपा गया है कि वह देश भर में स्थित उसके सदस्यों द्वारा की गई किन्हीं अभिकथित त्रुटियों/अनियमितताओं की जांच करे, जिससे वृत्ति में प्रवेश करने वाले भावी सदस्यों को विश्वसनीयता की सुदृढ़ नींव उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि, अधिकांश सदस्य अपनी वृत्तिक विशेषज्ञता और अनुभव के माध्यम से

समाज और विश्व को निस्वार्थ और समर्पित सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं फिर भी आईसीएआई के लिए सतत रूप से यह आवश्यक है कि वह अपने संतुलित अनुशासन तंत्र के माध्यम से सावधानी बरते और नगण्य सदस्यों, जो असावधानीवश विधि का उल्लंघन कर बैठते हैं, को सही दिशा प्रदान करे।

वर्ष 2006 में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में किए गए संशोधनों के निबंधनानुसार आईसीएआई के अनुशासन तंत्र में कतिपय महत्वपूर्ण और अत्यंत नवीन परिवर्तन हुए हैं जो मुख्यत: अनुशासन संबंधी मामलों के संचालन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंधों में कार्यान्वित किए गए हैं जिससे अनुशासन संबंधी मामलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। तदनुसार, आज की तारीख में अनुशासन तंत्र अपने दो अर्ध-न्यायिक निकायों, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार गठित किया गया था, अर्थात् (i) अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) और (ii) अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) के माध्यम से अपने कार्यकरण कर रहा है।

अनुशासन तंत्र को उसमें अंतर्वलित प्रक्रियाओं को ऐसी रीति में विशेष रूप से तैयार किया गया है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं और इस प्रकार इस क्षेत्र के पणधारियों और साधारण जनता में विश्वास का संचार करती हैं और साथ ही ऐसे सदस्यों को, जिन पर वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के आरोप लगाए गए हैं, निष्पक्ष और साम्यापूर्ण न्याय उपलब्ध कराता है।

वर्तमान परिषद् वर्ष 2020-2021 के दौरान अनुशासन समिति की एक नई खंडपीठ का गठन किया गया है और इस प्रकार अनुशासन समिति की खंडपीठों की संख्या बढ़कर चार हो गई है, अर्थात् खंडपीठ I, खंडपीठ II, खंडपीठ III और खंडपीठ IV और अनुशासन बोर्ड तथा इस प्रकार यह आशा की जाती है कि निदेशक अनुशासन द्वारा तैयार की गई प्रथमदृष्ट्या राय पर विचार किए जाने के साथ-साथ जांच के अधीन मामलों के संबंध में भी शीघ्र निपटान की कार्यवाही की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, धारा 21घ के अधीन अध्यक्ष, आईसीएआई की अध्यक्षता में एक अनुशासन समिति का भी गठन किया गया है, जो शेष बचे पुराने मामलों और ऐसे मामलों, जो उसे परिषद् द्वारा पुन: निर्दिष्ट किए जाते हैं, के संबंध में कार्यवाही करेगी।

अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के समक्ष वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से पक्षकारों/साक्ष्यों के उपस्थित होने से संबंधित संशोधन पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों की प्रक्रिया और मामलों का संचालन) नियम, 2007 में किए जा चुके हैं। इसके पश्चात्, अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति की खंडपीठों की बैठकें शारीरिक रूप से उपस्थित होने के अलावा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से भी संचालित की जा रही हैं।

**(I) चालू वर्ष के दौरान विशिष्ट पहलें/उपलब्धियां :**

- निदेशक अनुशासन द्वारा तैयार की गई प्रथमदृष्ट्या राय पर विचार किए जाने और पूछताछ के अधीन मामलों के संबंध में त्वरित निपटान प्रक्रिया को बनाए रखने के विचार से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अधीन अनुशासन समिति की एक अतिरिक्त खंडपीठ की भी स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, श्री अरुण कुमार, आईएएस (सेवानिवृत्त) और सुश्री नीता चौधरी, आईएएस (सेवानिवृत्त) का अनुशासन समिति (खंडपीठ IV) में शासकीय नामनिर्देशिती के रूप में नामांकन भी प्राप्त हुआ है और यह नामांकन चौबीसवीं परिषद के तीन वर्ष के कार्यकाल या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, लागू बना रहेगा।
- अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के सदस्यों के समय और ऊर्जा को बचाने संबंधी ई-सुनवाईयों को आरंभ किया गया है, जो लागत के अनुसार मितव्ययी भी हैं। वर्तमान परिषद् वर्ष, अर्थात् 2020-21 के दौरान 30 जून, 2020 तक आयोजित कुल 12 बैठकों में से 11 बैठकों का आयोजन वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से किया गया है। अब, समितियों के सदस्यों को सुनवाईयों में भाग लेने हेतु भिन्न-भिन्न स्थानों की यात्रा करना आवश्यक नहीं है। मामले के पक्षकारों के पास भी यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति की सुनवाईयों में, जो संबंधित प्रादेशिक कार्यालयों में आयोजित की जाती हैं, वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से भाग ले सकते हैं।
- अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चित किए गए अनुशासन संबंधी मामलों के ब्यौरे और साथ ही मामलों की वाद सूची को भी आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा जाता है जिससे विभिन्न पणधारियों के बीच और अधिक जागरुकता का सृजन किया जा सके।
- अनुशासन निदेशालय के लिए एक पृथक् वेब पोर्टल को विकसित किया गया है और उसे एक ही स्थान पर सभी सुसंगत जानकारी से लैस करके लाइव बनाया गया है।
- अनुशासन निदेशालय के कर्मचारिवृंद को तकनीकी और विधिक विषयों के संबंध में आनलाइन प्रशिक्षण देने संबंधी कार्यक्रम को आरंभ किया गया है, जिससे उन्हें इस क्षेत्र से संबंधित नवीनतम जानकारी से अवगत कराया जा सके।
- आईसीएआई की शासकीय वेबसाइट, अर्थात् www.icai.org और साथ ही अनुशासन निदेशालय के पृथक् पोर्टल, जिसका लिंक https://disc.icai.org/ पर उपलब्ध है, पर शिकायतें/परिवाद फाइल करने की आनलाइन पद्धति अब उपलब्ध है।
- संस्थान के अनुशासन निदेशालय के कतिपय प्रचालनों को संचालित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

**(II) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (की धारा 21क) के अधीन अनुशासन बोर्ड**

अनुशासन बोर्ड का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन किया गया है

ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक और अन्य कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और/या ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए भी जहां सदस्यों को निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथमदृष्टया रूप से किसी कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, अनुशासन बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर **36 बैठकें** की थी, जिसमें वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा की गई बैठकें भी सम्मिलित हैं। इन बैठकों में, बोर्ड ने **119 मामलों**, जिनके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे, में अपनी जांच पूरी की थी। ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

**अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) – 1 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2020 की अवधि के दौरान**

| क्रम सं. | विशिष्टियां | मामलों की सं. |
|---|---|---|
| क) | पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन बोर्ड द्वारा की गई बैठकों की संख्या | 36 |
| ख) | ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) द्वारा विचार किया गया था, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय प्राप्त की गई थी*। | 244 |
| ग) | ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामलों) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा जांच पूरी कर ली गई थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था) | 119 |
| घ) | ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था) | 56 |

*इसके अंतर्गत ऐसे मामले भी हैं, जिनके संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों का अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 6/12 के अधीन कार्यवाही की गई थी।

**(III) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन)**

अनुशासन समिति का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची या पहली तथा दूसरी अनुसूची, दोनों के अंतर्गत आते हैं।

पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने देश भर के विभिन क्षेत्रों में अवस्थित स्थानों पर 55 बैठकें की थी, जिसमें वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा की गई बैठकें भी सम्मिलित हैं। पूर्वोक्त बैठकों के अनुक्रम के दौरान, समिति ने 300 मामलों में अपनी जांच पूरी की थी, जिसके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे। ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

**अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) – 1 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2020 की अवधि के दौरान**

| क्रम सं. | विशिष्टियां | मामलों की सं. |
|---|---|---|
| क) | पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा की गई बैठकों की संख्या | 54 |
| ख) | ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) द्वारा विचार किया गया था, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय प्राप्त की गई थी। | 288 |
| ग) | उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन्हें आगे और जांच के लिए अनुशासन समिति* द्वारा निर्दिष्ट किया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)<br>*ऐसे मामलों सहित, जो निर्दिष्ट किए गए हैं | 300 |
| घ) | ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति* द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था)<br>*ऐसे मामलों सहित, जो निर्दिष्ट किए गए हैं | 78 |

**(IV) धारा (21घ) के अधीन अनुशासन समिति**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के उपबंधों के अधीन कार्यरत अनुशासन समिति, 2006 में पूर्वोक्त अधिनियम में किए गए संशोधनों से पूर्व लंबित शेष मामलों के संबंध में जांच करती है और परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। चूंकि, अनुशासन समिति द्वारा वर्ष 2018 में ही शेष बचे सभी मामलों की सुनवाई पूरी कर ली गई थी और उनका निपटारा कर दिया गया था, इसलिए, पुनर्विलोकनाधीन वर्ष के दौरान इस समिति की किसी बैठक का आयोजन नहीं किया गया था।

**ऐसे मामले, जिन पर पुराने अनुशासन तंत्र [धारा 21(घ)] के अधीन कार्यवाही की गई**

1 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान परिषद् और अनुशासन समिति के समक्ष रखे गए मामलों से संबंधित आंकड़े:

| क्रम सं. | विशिष्टियां | मामलों की सं. |
|---|---|---|
| (क) | (i) पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या<br>(ii) पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा धारा 21घ के अधीन की गई बैठकों की संख्या | शून्य<br>शून्य |
| (ख) | अनुशासन समिति की ऐसी रिपोर्टों की संख्या, जिन पर परिषद् द्वारा विचार किया गया था (इनके अंतर्गत उन मामलों की रिपोर्टें भी हैं, जिन पर अनुशासन समिति द्वारा पूर्व वर्षों के दौरान सुनवाई पूरी की गई थी) | 6* |
| | उपरोक्त में से | |
| (ग) | क) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को पहली अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया है किंतु चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(4) के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व परिषद् के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु उपयुक्त पाया गया है।<br>ख) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को दूसरी अनुसूची और/या अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है किंतु जिनके मामले को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(5) के अधीन उच्च न्यायालयों को निर्दिष्ट किया जाना है।<br>(ग) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची/ अन्य कदाचार के लिए दोषी पाया गया है<br>(घ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें मामला आगे और जांच हेतु अनुशासन समिति को वापस निर्दिष्ट किया गया है<br>(ङ) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें प्रत्यर्थियों को किसी कदाचार के लिए दोषी नहीं पाया गया है | शून्य<br>3<br>शून्य<br>शून्य<br>3 |
| (घ) | ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें ऐसे प्रत्यर्थियों के संबंध में धारा 21(4) के अधीन आदेश पारित किया गया था, जिन्हें पहली अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया था | शून्य |
| (ङ) | उच्च न्यायालय द्वारा धारा 21(6) के अधीन निपटाए गए मामलों की संख्या | 1 |

* इसमें दो प्रत्यर्थियों के मामलों में संयुक्त रिपोर्ट भी सम्मिलित है।

## 5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

### 5.1लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी)

लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) का गठन आईसीएआई द्वारा वर्ष 1977 में ऐसे लेखांकन मानकों को विरचित करने के विचार से किया गया था, जो उत्तम, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को स्थापित करे तथा भारत में प्रचलित भिन्न-भिन्न प्रकार की लेखांकन नीतियों और व्यवहारों का समन्वयन कर सके। इसके आरंभ से ही एएसबी नए लेखांकन मानकों की विरचना करके और साथ ही समय-समय पर विद्यमान लेखांकन मानकों का पुनरीक्षण करके सतत रूप से इस दिशा में कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय लेखांकन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस)/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप बनाना है। एएसबी निरंतर जटिल होते हुए कारबार संबंधी वातावरण में लेखांकन मानकों को एकसमान रूप से प्रयुक्त करने संबंधी मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराता है और साथ ही समय-समय पर विभिन्न मार्गदर्शन सामग्रियां भी जारी करता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा प्रारंभ/पूरे किए गए प्रमुख क्रियाकलापों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

**(I) वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का उन्नयन :**

संशोधन/नए भारतीय लेखांकन मानक

- आईएएसबी द्वारा जारी विभिन्न आईएफआरएस मानकों के साथ अभिसरण को बनाए रखने के लिए एएसबी द्वारा इंड एएस में निम्नलिखित संशोधनों को भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को प्रस्तुत किया गया है ताकि उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन अधिसूचित किया जा सके :
    - इंड एएस 103, कारबार संयोजन में कारबार पद की परिभाषा में संशोधन
    - इंड एएस 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण और इंड एएस 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां, में सामग्री पद की परिभाषा में संशोधन
    - ब्याज दर बैंचमार्क सुधार (आईबीओआर) : इंड एएस 109, वित्तीय लिखते और इंड एएस 107, वित्तीय लिखते : प्रकटन में संशोधन

- कोविड-19 से संबंधित – किराया रियायतें : इंड एएस 116, पट्टे में संशोधन

उपरोक्त संशोधनों को अभी एमसीए द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है।

- आईएएसबी द्वारा जारी अवधारणात्मक ढांचे के तत्समान इंड एएस के अधीन अवधारणात्मक ढांचा संबंधी इंड एएस को जारी किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2020 से मानक तय करने संबंधी क्रियाकलापों को लागू है।

बोर्ड ने विद्यमान लेखांकन मानकों को यथासंभव रूप से इंड एएस के अनुरूप बनाने हेतु उन्हें पुनरीक्षित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा और इस संबंध में एएसबी द्वारा जारी किए गए पुनरीक्षित लेखांकन मानकों के उदभासन प्ररूपों से संबंधित निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई :

- लेखांकन मानक (एएस) 34, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी उदभासन प्रारूप
- लेखांकन मानक (एएस) 17, पट्टों संबंधी उदभासन प्रारूप
- लेखांकन मानक (एएस) 41, कृषि संबंधी उदभासन प्रारूप

**(II) कोविड-19 से उत्पन्न हुई बाधाओं के आलोक में आईसीएआई की लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी सलाह**

- "वित्तीय रिपोर्टिंग और संपरीक्षक द्वारा विचार किया जाना" शीर्षक वाली सलाह : कोविड-19 वैश्विक महामारी द्वारा कारित चुनौतीपूर्ण आर्थिक और प्रचालन संबंधी वातावरण में लेखा तैयार करने वाले व्यक्तियों और संपरीक्षकों का मार्गदर्शन करने के लिए "वित्तीय रिपोर्टिंग और संपरीक्षक द्वारा विचार किया जाना" शीर्षक वाली एक व्यापक सलाह जारी की गई थी जिसमें लेखांकन मानक बोर्ड द्वारा संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से जारी किए गए इंड एएस और एएस के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विशिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था।
- "वित्तीय रिपोर्टिंग और संपरीक्षक द्वारा विचार किए जाने के संबंध में कोरोना वायरस का प्रभाव" नामक लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी सलाह के अनुलग्नक को अप्रैल, 2020 में जारी किया गया था – आशयित क्रेडिट हानि दृष्टिकोण के अधीन वित्तीय लिखतों के नुकसान की हानि के प्राक्कलन के संबंध में अतिरिक्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए जारी की गई लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी सलाह का एक अनुलग्नक जारी किया गया था। इस संबंध में भी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया था कि ऋण आस्थगन के संबंध में किस प्रकार से विचार किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी आईएफआरएस 9 ईसीएल के आधार पर भी एक मार्गदर्शन तैयार किया गया है।
- मई, 2020 में जारी भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न – आर्थिक गतिविधियों में कमी आने, वित्तीय बाजारों के बाधित होने और सरकार, धनीय और विवेकपूर्ण प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाईयों की श्रृंखला के संदर्भ में लेखांकन के कतिपय क्षेत्रों में उक्त मानकों के लागू होने के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए 49 प्रश्नोत्तरों को अंतर्विष्ट करने वाले बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को जारी किया गया था। इन बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों में प्रस्थापित मार्गदर्शन 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू है। आईसीएआई की वेबसाइट पर एएसबी के वेब पृष्ठ से संबंधित एक वेब लिंक विनिर्दिष्ट रूप से सृजित किया गया है, जो अनन्य रूप से कोविड – 19 से संबंधित लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।
- आयोजित वेबकास्ट – कोविड-19 और वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव के संबंध में 30 मार्च, 2020 को तीन वेबकास्टों का आयोजन किया गया था और साथ ही कोरोना वायरस (कोविड-19) से संबंधित लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी मुद्दों पर एक पैनल परिचर्चा का भी आयोजन किया गया था।

**(III) इंड एएस कार्यान्वयन संबंधी समर्थन**

निम्नलिखित मार्गदर्शन टिप्पण/बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न/उदघोषणाएं जारी की गई थीं :

- 'लाभांश और लाभांश वितरण कर का प्रस्तुतीकरण' संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (पुनरीक्षित सितंबर, 2019)
- इंड एएस संबंधी आनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम – अभूतपूर्व वैश्विक महामारी, अर्थात् कोविड-19 के प्रकोप और उसके विध्वंसकारी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल या आनलाइन पाठ्यक्रम चलाना वर्तमान समय की आवश्यकता बन गया है। एएसबी ने अप्रैल, 2020 में इंड एएस संबंधी एक आनलाइन पाठ्यक्रम की घोषणा की थी। उपरोक्त आनलाइन पाठ्यक्रम के शुभारंभ को अत्यधिक उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थी और उस पाठ्यक्रम के 12 बैचों को एक साथ आरंभ किया गया था जिनमें लगभग 1200 सदस्यों को जून, 2020 तक प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया था।

**(IV) अंतर्राष्ट्रीय पहलें : दीर्घकालिक भागीदारियां स्थापित करना**

अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी निम्नलिखित उदभासन प्रारूपों/परामर्श पत्रों के संबंध में टिप्पणियों को आईएएसबी को प्रस्तुत किया गया था :

- लेखांकन नीतियों के प्रकटन संबंधी उदभासन प्रारूप (आईएएस 1 और आईएफआरएस व्यवहारिक विवरण 2 में प्रस्तावित संशोधन)
- एकल संव्यवहार से उदभूत होने वाली आस्तियों और दायित्वों से संबंधित आस्थगित कर संबंधी उदभासन प्रारूप (आईएएस 12 में प्रस्तावित संशोधन)

- आईएफआरएस 17, बीमा संबंधी संविदाओं में संशोधन संबंधी उदभासन प्रारूप
- अवधारणात्मक ढांचे के संदर्भ में उदभासन प्रारूप (आईएफआरएस 3 में प्रस्तावित संशोधन)
- रेट बेंचमार्क सुधार संबंधी उदभासन प्रारूप - चरण I (आईएफआरएस 9 और आईएएस 39 में प्रस्तावित संशोधन)
- आईएफआरएस मानक 2018-20 में वार्षिक सुधार संबंधी उदभासन प्रारूप
- "सामग्री" पद की परिभाषा संबंधी उदभासन प्रारूप - आईएएस 1 और आईएएस 8 में प्रस्तावित संशोधन
- लेखांकन नीतियों और लेखांकन प्राक्कलनों संबंधी उदभासन प्रारूप - आईएएस 8 में प्रस्तावित संशोधन
- ब्याज दर बेंचमार्क सुधार संबंधी उदभासन प्रारूप – चरण 2 (आईएफआरएस 9, आईएएस 39, आईएफआरएस 7, आईएफआरएस 4 और आईएफआरएस 16 में प्रस्तावित संशोधन)
- कोविड-19 किराए संबंधी रियायतों से संबंधित उदभासन प्रारूप (आईएफआरएस 16 में प्रस्तावित संशोधन)
- आईएफआरएस निर्वचन समिति द्वारा जारी अंतरिम कार्यसूची निर्णय (टीएडी):

अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ परस्पर क्रियाएं

अंतर्राष्ट्रीय आयोजन

- परस्पर फायदों के लिए वैश्विक साझेदारी का निर्माण : एशियाई-ओशनियन मानक निर्धारक संबंधी समूह (एओएसएसजी) आईएफआरएस फाउंडेशन का एक प्रमुख परामर्शी निकाय/अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) का एक महत्वपूर्ण मंच है । सीए डा. एस.बी. जवारे, उपाध्यक्ष, एओएसएसजी द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त करके आईसीएआई ने नवंबर 2019 से प्रारंभ होकर नवंबर 2021 को समाप्त होने वाली दो साल की अवधि के लिए एओएसएसजी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया । आईसीएआई ने 11-13 नवंबर, 2019 के दौरान गोवा, भारत में एओएसएसजी की 11वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की । एओएसएसजी की इस 11वीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत द्वारा किया गया था । इस तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बैठक में सुश्री सू लॉयड, उपाध्यक्ष, अतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी), आईएएसवी के प्रमुख प्रतिनिधियों, बोर्ड के सदस्यों और 27-सदस्य देशों, जिनमें अन्य देशों के साथ भारत, चीन, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, हांग-कांग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे । एओएसएसजी के सदस्यों और भारतीय पणधारियों के बीच आईएफआरएस 16/इंड एएस 116 संबंधी एक सर्वेक्षण कराया गया था और इसके निष्कर्षों को एओएसएसजी की 11वीं वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया गया था ।
- आईसीएआई ने दिल्ली और मुंबई में दो आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए थे । श्री विनोद राय, भूतपूर्व सीएंडएजी और न्यासी, आईएफआरएस फाउंडेशन ने दिल्ली में आयोजित आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित किया और इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विनियामकों, अर्थात् कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और सुश्री शु. लॉयड, उपाध्यक्षा, आईएएसबी के साथ बैठकों का आयोजन किया गया था ।

महत्वपूर्ण अंतराष्ट्रीय बैठकें/सभाएं

एएसबी ने उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक लेखांकन मानकों को तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड के साथ अपने सहयोग और योगदान को जारी रखा था । आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने निम्नानुसार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों, अर्थात् विश्व मानक निर्धारक (डब्ल्यूएसएस), एशियाई – ओशनियन मानक निर्धारक समूह (एओएसएसजी), उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह (ईईजी) और लेखांकन मानक निर्धारक संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफएएसएस) के साथ हुई विभिन्न बैठकों में भाग लिया/ तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत किए :

- उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह (ईईजी) और लेखांकन मानक निर्धारक संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईएफएएसएस) – आईसीएआई ने परिचर्चा हेतु निम्नलिखित दो विषयों के संबंध में दस्तावेज भेजे थे :

आईएएस 20 : प्राप्य सरकारी अनुदान –

वित्तीय लागतें – आईएएस 1, आईएफआरएस 7 और आईएएस 23

- आईएफआरएस फाउंडेशन के लेखांकन मानक सलाहकारी मंच (एएसएएफ) के साथ बैठक – सीए (डा.) एस.बी. जवारे, भूतपूर्व परिषद् सदस्य और उपाध्यक्ष, एओएसएसजी ने एओएसएसजी के शासकीय प्रतिनिधि के रूप में 1-2 अप्रैल, 2019 के दौरान लंदन में एएसएएफ की त्रैमासिक बैठक में भाग लिया था ।
- आईएफआरएस सलाहकार परिषद् (आईएफआरएस एसी) – सीए एम.पी. विजय कुमार, अध्यक्ष, एएसबी ने, जिन्हें आईएफआरएस फाउंडेशन की आईएफआरएस सलाहकार परिषद् संबंधी लेखापालों की दक्षिण एशिया फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था, मार्च, 2019 में सलाहकार परिषद् की बैठक में भाग लिया था । उन्होंने संवेदनशील जानकारी के प्रकटन संबंधी एक ब्रेक आउट सत्र की अध्यक्षता भी की थी ।

अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां/निर्वाचन

- सीए एम.पी. विजय कुमार, अध्यक्ष, एएसबी को 1 जुलाई, 2020 से आरंभ होने वाले तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए एसएमई मानकों के संबंध में आईएफआरएस में आईएएसबी के एक सलाहकार निकाय में एसएमई कार्यान्वयन समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

**(V) विनियामक निकायों के साथ उत्तम संबंध बनाना**

विभिन्न विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी मुद्दों पर विचार प्रस्तुत किए गए थे और जहां कहीं उचित प्रतीत हुआ वहां सुसंगत विनियामकों के साथ विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था, उदाहरणार्थ

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय :
  - एमसीए के अनुरोध पर एएसबी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नए नियमों का प्रारूपण किया था, जो विद्यमान कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 के समरूप थे और एनएफआरए को उनके संबंध में सिफारिश की गई थी।
  - नई दिल्ली में 24 अप्रैल, 2019 को आयोजित कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मूल समूह की बैठक में – इंड एएस कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित विषयों पर प्रस्तुतीकरण किया गया था :
    - भारतीय वित्तीय सेक्टरों में इंड एएस का कार्यान्वयन – बैंककारी सेक्टर और बीमा सेक्टर
    - आईएफआरएस 9 – वित्तीय लिखतें – वैश्विक बैंकों द्वारा कार्यान्वयन
    - गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा इंड एएस का कार्यान्वयन
- भारतीय बीमा और विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) :
  - 28 नवंबर, 2019 को मुंबई में बीमा सेक्टर के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बीमाकर्ताओं की तैयारी के स्तर के संबंध में और साथ ही ऐसे अद्वितीय और विनिर्दिष्ट मुद्दों के संबंध में परिचर्चा की गई थी, जिनका समाधान उन्हें इंड एएस के शीघ्र कार्यान्वयन को समर्थ बनाने के लिए करना होगा, इन मुद्दों में इंड एएस 117 के कार्यान्वयन की तारीख तय किए बिना उसके कार्यान्वयन से संबंधित कार्ययोजना, जिसके अंतर्गत इंड एएस 104, बीमा संविदाएं के साथ अन्य इंड एएस को अपनाए जाने की संभावना पर विचार करना भी था। इस बैठक में अध्यक्ष, एएसबी, सचिव, एएसबी, आईआरडीएआई के वरिष्ठ पदधारियों, भारतीय जीवन बीमा निगम, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ईसीजीसी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और भारतीय साधारण बीमा निगम के पदधारियों ने भी भाग लिया था।
- भारतीय रिजर्व बैंक :
  - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी क्षेत्र में इंड एएस के कार्यान्वयन के संबंध में आईसीएआई को अग्रेषित विभिन्न मुद्दों के संबंध में एएसबी द्वारा समर्पित अध्ययन समूह का गठन किया गया था।
- इस अवधि के दौरान, लेखांकन पहलुओं से संबंधित मुद्दों पर कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) जैसे विभिन्न विनियामकों से प्राप्त हुए पत्रों के संबंध में उत्तर दिए गए थे।

**(VI) आयोजित किए गए आउटरीच आयोजन, सम्मेलन, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि**

- अंतर्राष्ट्रीय रूप से मानक निर्धारक क्रियाकलापों में प्रभावी रूप से भागीदारी करने के लिए वर्चुअल आयोजनों सहित विभिन्न आउटरीच आयोजन किए गए थे। ये आउटरीच आयोजन आईएफआरएस 17, बीमा संविदाएं - में संशोधन, निष्कर्षण क्रियाकलापों – लेखांकन और रिपोर्टिंग संबंधी मुद्दों, वित्तीय रिपोर्टिंग में बेहतर संपर्क जैसे मुद्दों के संबंध में गोवा और मुंबई में आयोजित किए गए थे और इनका उद्देश्य आईएएसबी द्वारा जारी कतिपय परामर्शी दस्तावेजों के संबंध में विभिन्न पणधारियों के विचार प्राप्त करना था।
- लेखांकन मानकों के संबंध में सदस्यों के ज्ञान को नवीकृत करने तथा समृद्ध बनाने के लिए पर्यावलोकन और सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालन, लेखांकन मानक और लेखांकन मानकों को लागू करने में सामान्य रूप से पाई जाने वाली त्रुटियों जैसे विषयों के संबंध में लेखांकन वृत्तिकों की महत्वपूर्ण और मूलभूत भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए इस वर्ष के दौरान दिल्ली में संगोष्ठियों/वेबीनारों/पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

**(VII) अन्य पहलें :**

(क) जारी किए गए तकनीकी प्रकाशन : इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने 8 प्रकाशन जारी किए थे :

- 1 अप्रैल, 2019 को यथा विद्यमान लेखांकन मानकों की त्वरित संदर्भिका
  - 1 जुलाई, 2019 को यथाविद्यमान लेखांकन मानकों का सार संग्रह

- 1 अप्रैल, 2019 को यथा विद्यमान भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के सार संग्रह का ई-पाठ और संबंधित मार्गदर्शक सामग्री
- 'आईएफआरएस 9, वित्तीय लिखतें, एक अध्ययन – विश्व भर में बैंकों पर इस संपरिवर्तन का प्रभाव'
- बुलियन (स्वर्ण) उधार लेने और उधार देने संबंधी संव्यवहारों के संबंध में लेखांकन व्यवहार संबंधी तकनीकी गाइड
- भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) : प्रकटन जांचसूची (लेखांकन वर्ष 2018-19 के लिए – पुनरीक्षित मई, 2019)
- भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) : प्रकटन जांचसूची (पुनरीक्षित फरवरी, 2020)
- लेखांकन मानक (एएस) : प्रकटन जांचसूची (पुनरीक्षित फरवरी, 2020)

➢ डिजीटल पठन केंद्र : एएसबी के सभी प्रकाशनों को डिजीटल पठन केंद्र पर अपलोड किया गया है जिस तक कहीं से भी और किसी भी समय पहुंच बनाई जा सकती है और इस प्रकार इससे विभिन्न पणधारियों को सतत पठन उपलब्ध रहता है। इसके साथ ही लेखांकन मानकों के संबंध में पणधारियों के फायदे के लिए वीडियो व्याख्यानों को भी डिजीटल मंच पर रखा गया है ।

परिषद् वर्ष 2020-21 के दौरान, इंड एएस कार्यान्वयन समिति के द्वारा संचालित क्रियाकलापों को लेखांकन मानक बोर्ड को सौंपा गया है। 1.4.2019 से 11.02.2020 तक की अवधि के लिए इंड एएस कार्यान्वयन समिति के क्रियाकलाप निम्नानुसार है :--

**(I) इंड एएस/आईएफआरएस संबंधी प्रमाणपत्र**

इंड एएस के बारे में सदस्यों को शिक्षित करने के लिए सप्ताहांत में 12 दिवसीय इंड एएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान इंड एएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 15 बैच भारत में आयोजित किए गए हैं, जिनमें लगभग 625 प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है और विदेश में आईएफआरएस संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 2 बैच आयोजित किए गए हैं (1 बैच आबू धाबी और 1 बैच दुबई में आयोजित किया गया)।

**(II) भारतीय तकनीकी सुकारक समूह (आईटीएफजी) स्पष्टीकारक बुलेटिन**

वर्ष के दौरान, इंड एएस को लागू करने और/या उसके कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सामयिक आधार पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए 30 मुद्दों को सम्मिलित करने वाले पांच (5) भारतीय तकनीकी सुकारक समूह (आईटीएफजी) स्पष्टीकारक बुलेटिन (बुलेटिन क्रमांक 19 से 23) जारी किए गए। समूह ने आज की तारीख तक 162 मुद्दे सम्मिलित करते हुए 23 स्पष्टीकारक बुलेटिन जारी किए।

**(III) इंड एएस पर शैक्षणिक सामग्री**

वर्ष के दौरान, निम्नलिखित इंड एएस पर शैक्षणिक सामग्री समिति द्वारा जारी की गई है :

➢ इंड एएस 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन मानकों और त्रुटियों में परिवर्तन, सम्मिलित करने वाली शैक्षणिक सामग्री।

➢ इंड एएस 20, सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन, सम्मिलित करने वाली शैक्षणिक सामग्री।

➢ इंड एएस 116, पट्टा संबंधी शैक्षणिक सामग्री।

**(IV) संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि का आयोजन**

विनियामक निकायों जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय महालेखा और संपरीक्षक (सीएंडएजी) के पदधारियों द्वारा आयोजित इंडएएस पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तकनीकी सहयोग दिया गया।

➢ इंड एएस पर संगोष्ठियां, नई दिल्ली, उदयपुर और राजस्थान में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 341 प्रतिभागी उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

**5.2 वहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी)**

फरवरी, 2020 में संस्थान द्वारा संयुक्त राष्ट्र वहनीय विकास लक्ष्यों हेतु किसी इकाई की प्रगति के बारे में गैर-वित्तीय सूचना को मापने और प्रकट करने हेतु विस्तृत, वैश्विक रूप से समतुलनीय और समझने योग्य मानकों को विरचित करने के मिशन हेतु वहनीय रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी) की स्थापना की गई है। बोर्ड उन तरीकों के आधार पर रणनीति के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिनसे चार्टर्ड अकाउंटेंट देश में वहनीय विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जिससे बेहतर निर्णय करने, लोक संसाधनों के बेहतर उपयोग और अधिक लोक सेवाओं की ओर अग्रसर होंगे।

बोर्ड विश्व भर में उभरती हुई प्रवृत्तियों का पुनर्विलोकन करता है और उन क्षेत्रों की पहचान करता है जिनमें संवहनीय लेखांकन मानक और लेखांकन मैट्रिक्स विकसित करने की आवश्यकता है। बोर्ड, सरकार और विनियामकों से भी, साधारण प्रयोजन रिपोर्टिंग और किसी विशिष्ट विनियामक अपेक्षा के संबंध में इन मानकों के उपयोग को लोकप्रिय करने के लिए संवाद करेगा। बोर्ड, वहनीयता रिपोर्टिंग के विकसित होते वृत्तिक क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अवसरों की पहचान करेगा तथा उन्हें विकसित करेगा।

बोर्ड ने निम्नलिखित पहलें की हैं –

- बोर्ड द्वारा कोविड-19 संबंधी वेबीनार का आयोजन – वहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर रणनीतिक ध्यान देने की आवश्यकता – और वर्ष के दौरान वहनीयता रिपोर्टिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के जीवन हेतु बेहतर स्थान और विकसित होते अवसर।
- निम्नलिखित पहलें प्रगति पर हैं –
  - एकीकृत रिपोर्ट तैयार करने तथा उसके अंगीकरण में सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों को दर्शाने के लिए भी भारत में निगमों द्वारा अंगीकृत वर्तमान व्यवहारों के मूल्यांकन हेतु भारत में एकीकृत रिपोर्टिंग पर विचार नेतृत्व शोध पत्र का विकास।
  - पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर द्वारा संयुक्त राष्ट्र वहनीय विकास लक्ष्यों को मापने और रिपोर्टिंग में योगदान करने में अकाउंटेंटों की भूमिका पर शोध।
  - वहनीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट के कौशल और दक्षता को अद्यतन करने के लिए कारबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) और एकीकृत रिपोर्टिंग पर पाठ्यक्रम आरंभ करना।
  - वहनीय पृथ्वी और हरित अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए वीडियो और वेबीनार के माध्यम से वहनीयता मुद्दों पर जागरुकता का सृजन करना।
  - मजबूत और वहनीय संगठनों, वित्तीय बाजारों और अर्थव्यवस्थाओं के आवश्यक चालक के रूप में अकाउंटेंटों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ब्रांड निर्माण करना।
  - अकाउंटेंटों को ऐसे तंत्र के सृजन और तंत्र के कार्यान्वयन के प्रमुख कारक, जो प्रत्येक कारबार में प्रकृति को मापना और मूल्यांकन करना अनुज्ञात करें, के रूप में विकसित करने पर शोध करना।

**5.3 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएएसबी)**

वित्तीय रिपोर्टिंग में जवाबदेही को मजबूत करके तथा भरोसा और विश्वास पुन: विकसित करके, संपरीक्षा लोक हित की सेवा करने और उसे संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपरीक्षा, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने, लोगों द्वारा किए जाने वाले संव्यवहारों के प्रकारों, संख्या और मूल्य को वर्धित करने में सहायता करती है। तथापि, हाल के वर्षों में कारबार के माहौल, कारबार मॉडल और उनके भौगोलिक फैलाव में जटिलता बढ़ने के कारण, संपरीक्षा का व्यवसाय विभिन्न पणधारियों की प्रत्याशा में अत्यंत उछाल ले रहा है।

आईसीएआई इन आशंकाओं के सक्रिय रूप से समाधान की आवश्यकता को समझती है। आईसीएआई अपने संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड के माध्यम से संपरीक्षा, पुनर्विलोकन, अन्य आश्वासनों, गुणवत्ता नियंत्रण और संबंधित सेवाओं पर उच्च गुणवत्ता वाले मानक विकसित करता है। ये मानक संपरीक्षा में न केवल सर्वोत्तम व्यवहारों को संहिताबद्ध करते हैं, बल्कि ये बैंचमार्क भी प्रदान करते हैं, जिनसे संपरीक्षकों के निष्पादन को मापा जा सकता है। बोर्ड, सामान्य के साथ-साथ उद्योग विशेषीकृत मुद्दों पर मार्गदर्शक टिप्पण संपरीक्षकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से विकसित करता है। ये दस्तावेज बोर्ड की सघन सम्यक् प्रक्रिया के पश्चात् आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाते हैं। आईसीएआई द्वारा जारी किए गए संपरीक्षा मानक अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से समन्वित किए जाते हैं। बोर्ड, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रेक्टिस मैनुअल, अध्ययन और अन्य पत्र भी विरचित करता है, जो सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए इसके स्वयं के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाते हैं। संपरीक्षा पर मानकों के कार्यान्वयन में सदस्यों को मार्गदर्शन करने के लिए बोर्ड उन मानकों के कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शन भी करता है। आज की तारीख तक बोर्ड की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का निम्नलिखित विस्तृत सिंहावलोकन है :

**(I) मंत्रालयों, विनियामकों को अभ्यावेदन/सुझाव**

- बोर्ड ने आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/2019-20/186/ डीओआर.नं.बीपी.बीसी.47/21.04.048/2019-20 तारीख 27 मार्च, 2020 कोविड-19 विनियामक पैकेज से संबंधित कतिपय बिन्दुओं के निर्वचन के संबंध में आरबीआई को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
- बोर्ड ने आरबीआई को बैंकों और बैंक शाखाओं हेतु दीर्घ प्ररूप संपरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) के पुनरीक्षित प्ररूप प्रस्तुत किए।
- बोर्ड ने संपरीक्षा संबंधी पुनरीक्षित मानक (एसए) 800, 805 और 810 पर एनएफआरए को आईसीएआई की सिफारिशें प्रस्तुत की।
- बोर्ड ने सेबी को सेबी द्वारा जारी "सूचीबद्ध इकाईयों से कानूनी संपरीक्षकों के त्यागपत्र के संबंध में नीति प्रस्तावों पर परामर्शी पत्र" के संबंध में अपने मत प्रस्तुत किए।
- सेबी ने सूचीबद्ध इकाईयों के सीमित पुनर्विलोकन/संपरीक्षा रिपोर्ट के लिए प्ररूप अंतर्विष्ट करने वाला तारीख 29 मार्च, 2019 का परिपत्र जारी किया। बोर्ड ने एसए 700 (पुनरीक्षित) के साथ परिपत्र में दिए गए संपरीक्षा प्ररूपों को संरेखित किया और सेबी को प्रस्तुत किया। उसी के आधार पर, सेबी ने तारीख 19 जुलाई, 2019 को एक पुनरीक्षित परिपत्र जारी किया।

**(II) जारी किए गए प्रकाशन**

बड़े पैमाने पर सदस्यों के फायदे के लिए बोर्ड ने निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए :

- कंपनी (संपरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 पर मार्गदर्शक टिप्पण।
- अनुबंध और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों पर बहु विकल्पी प्रश्न (एमसीक्यू)
- बैंक संपरीक्षा, 2020 संस्करण पर मार्गदर्शक टिप्पण।
- एसए 570 (पुनरीक्षित) फलता-फूलता कारोबार पर कार्यान्वयन मार्गदर्शन।
- एसए 720 (पुनरीक्षित), अन्य सूचना से संबंधित संपरीक्षा के उत्तरदायित्व पर कार्यान्वयन मार्गदर्शन।
- संपरीक्षा प्रशिक्षण कार्यशालाओं और संगोष्ठियों पर पृष्ठभूमि सामग्री, 2019 संस्करण।
- अनुबंध और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों पर तैयार निर्देश।
- लघु इकाईयों की संपरीक्षा हेतु व्यवसायी गाइड (पुनरीक्षित 2020)।

**(III) अन्य तकनीकी उपलब्धियां**

- बोर्ड ने कोविड-19 परिस्थिति के अधीन संपरीक्षा करने में सदस्यों की सहायता हेतु निम्नलिखित पहलुओं पर संपरीक्षा मार्गदर्शन जारी किया है :
  - फलता-फूलता कारोबार – कोविड-19 के दौरान संपरीक्षकों के लिए मुख्य विचारणीय बिन्दु।
  - भौतिक तालिका सत्यापन - कोविड-19 के दौरान संपरीक्षकों के लिए मुख्य विचारणीय बिन्दु।
  - संपरीक्षक रिपोर्टिंग - कोविड-19 के दौरान संपरीक्षकों के लिए मुख्य विचारणीय बिन्दु।
  - पश्चातवर्ती घटनाएं - कोविड-19 के दौरान संपरीक्षकों के लिए मुख्य विचारणीय बिन्दु।
- बोर्ड ने लेखांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से सदस्यों के लिए सलाह जारी की, "आईसीएआई लेखांकन और संपरीक्षा सलाह - वित्तीय रिपोर्टिंग और संपरीक्षक के विचारों पर कोरोना वायरस का प्रभाव"।
- बोर्ड ने "कोविड-19 के दौरान विभिन्न पहलुओं पर संपरीक्षा और आश्वासनप मानक बोर्ड द्वारा जारी संपरीक्षा मार्गदर्शन की संग्रह पुस्तिका जारी की"।
- बोर्ड ने आरबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों कोविड -19 विनियामक पैकेज तारीख 27 मार्च, 2020 और कोविड -19 विनियामक पैकेज – आस्ति वर्गीकरण और उपबंधीकरण, तारीख 17 अप्रैल, 2020 के संबंध में सदस्यों को मार्गदर्शन देने के लिए बैंकों की संपरीक्षा 2020 पर मार्गदर्शन टिप्पण पर एक परिशिष्ट जारी किया।
- बोर्ड ने "कम जटिल इकाईयों की संपरीक्षा संबंधी चर्चा पत्र : लोक टिप्पणियों के लिए आईएएएसबी द्वारा जारी लेखांकन पर अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू करने में चुनौतियों के समाधान के संभावित विकल्प खोजना" पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की।

**(IV) सदस्यों के लिए पहल**

- बोर्ड ने सदस्यों की जागरुकता और वृत्तिक प्रगति हेतु संपरीक्षा मानकों, बैंक संपरीक्षा और अन्य संपरीक्षा पहलों पर विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्ष के दौरान ये कार्यकम मुंबई, भिलाई, रायपुर, पाली, जयपुर, पलक्कड, नई दिल्ली, बेलगाम, चेन्नई, कोयम्बटूर और कोलकाता में आयोजित किए गए।
- बोर्ड ने छह वेबकास्ट/वेबीनार कोविड – 19 पर आयोजित किए : संपरीक्षा प्रक्रिया पर प्रभाव, जिसके अंतर्गत स्टॉक सत्यापन का प्रेक्षण प्राक्कलनों की संपरीक्षा, पुन: वसूली मूल्यांकन, मूल दस्तावेजो के बजाए इलैक्ट्रानिक संपरीक्षा साक्ष्य, बैंक संपरीक्षा पर विशेष जोर के साथ व्यवसायियों की क्षमता निर्माण संबंधी उपाय भी हैं, कोरोना वायरस (कोविड -19) पर लेखांकन और संपरीक्षा मुद्दों पर पैनल चर्चा, संपरीक्षा दस्तावेजीकरण और कार्य पत्र प्रबंधन, कोरोना वायरस (कोविड – 19) पर लेखांकन और संपरीक्षा मुद्दों पर दूसरी पैनल चर्चा तथा वर्ष के दौरान बैंक संपरीक्षा पर सिंहावलोकन।
- बोर्ड ने लेखांकन, संपरीक्षा और प्रत्यक्ष करों पर वर्चुअल सीपीई बैठक की। पूर्ववर्ती वर्षों के समान इस वर्ष भी बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक शाखा संपरीक्षाओं के संबंध में सदस्यों के प्रश्नों के समाधान के लिए विशेषज्ञों के आनलाइन पैनल का गठन किया। पैनल ने सदस्यों के प्रश्नों का 2 मई, 2020 से 30 जून, 2020 तक उत्तर दिया।
- बोर्ड ने सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की/स्पष्टीकरण दिए :
  - वर्तमान कोविड परिस्थिति में बैंक शाखा की दूरस्थ संपरीक्षा/सुदूर संपरीक्षा/ आनलाइन संपरीक्षा करने के दौरान विशिष्ट विचारों के संबंधी में कानूनी बैंक शाखा संपरीक्षकों के लिए सलाह।
  - संपरीक्षा रिपोर्टें और प्रमाणपत्र हस्ताक्षरित करने के लिए इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के उपयोग की घोषणा।

- सूचीबद्ध इकाईयों के सीमित पुनर्विलोकन/संपरीक्षा रिपोर्ट और उन इकाईयों, जिनके लेखो को सूचीबद्ध इकाई के साथ समेकित करना है, के लिए प्रक्रिया और प्ररूपों के संबंध में तारीख 29 मार्च, 2019 के सेबी परिपत्र के प्रदर्श बी 3 पर सलाह।
- सूचीबद्ध इकाईयों और उनके महत्वपूर्ण अनुषंगियों के कानूनी संपरीक्षकों को त्यागपत्र पर कार्यान्वयन मार्गदर्शन/वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा करने में संलग्न होने से वापस होने की अनुप्रयोज्यता पर घोषणा।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) पर संपरीक्षक की रिपोर्टिंग पर सलाह।
- आईसीएआई के सदस्यों द्वारा जारी सभी रिपोर्टों और प्रमाणपत्रों में यूडीआईएन का उल्लेख करने की अपेक्षा।

- बोर्ड ने आज की तारीख तक जारी सभी 46 मानकों को सम्मिलित करते हुए संबद्धता और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों पर विशेषज्ञों के वीडियो व्याख्यानों को रिकार्ड किया। ये वीडियो व्याख्यान आईसीएआई के डिजिटल पठन केंद्र पर उपलब्ध है।
- बोर्ड ने संपरीक्षा के मानकों पर अपने ई-पठन पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित किया। पुनरीक्षित पाठ्यक्रम में आज की तारीख तक जारी सभी 46 संबद्ध और गुणवत्ता नियंत्रक मानकों को सम्मिलित किया है।
- बोर्ड ने संपरीक्षा उदघोषणाओं की आडियो पुस्तिकाएं जारी की, जिनमें सभी संबद्ध और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों के संपूर्ण पाठों का वॉयसओवर अंतर्विष्ट हैं। आडियो पुस्तक आईसीएआई के डिजिटल पठन केंद्र पर उपलब्ध है।
- बोर्ड ने बैंक संपरीक्षा, 2020 संस्करण पर मार्गदर्शक टिप्पण के विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के 28 वीडियो व्याख्यानों को रिकार्ड किया। ये वीडियो व्याख्यान ई-पुस्तिका के रूप में आईसीएआई की डिजिटल पठन केंद्र पर उपलब्ध है।
- बोर्ड ने बैंक संपरीक्षा, 2020 संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण पर ऑडियो पुस्तिका जारी की। यह वीडियो आईसीएआई के डिजिटल पठन केंद्र पर उपलब्ध है।
- बोर्ड ने कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 पर मार्गदर्शक टिप्पण पर डिजिटल संसाधन जारी किए। इन संसाधनों में वीडियो व्याख्यान, एमसीक्यू और ऑडियो पुस्तक हैं। ये संसाधन आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर उपलब्ध हैं।
- बोर्ड ने समय-समय पर सदस्यों से प्राप्त संपरीक्षा पहलुओं पर विभिन्न प्रश्नों के उत्तर/स्पष्टीकरण दिए।

### 5.4 बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा समिति (बीएफएसएंडआईसी)

समिति ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन किया :

- समिति के अध्यक्ष ने नई दिल्ली में 9 अप्रैल, 2019 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य से भेंट की तथा आईसीएआई और पीएफआरडीए के पारस्परिक हित के विषय पर चर्चा की।
- समिति ने मुंबई, अमरावती, नई दिल्ली में फाइनेंशियल वर्ल्ड, फिनटेक, प्रज्ञा चक्षु-एक्सप्लोरिंग इंटेलेक्चुअल एक्सिलेंस, बैंकिंग, बीमा, फिनटेक और कपट का पता लगाना और रोकना, बीएफएसआई को चालित करने वाले विश्लेषण की शक्ति, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, महिला सशक्तिकरण, संनिर्माण उद्योग में बैंकिंग की भूमिका, वृत्तिक सुसंगतता और हित पर कार्यशालाओं/शिखर सम्मेलन/संगोष्ठी/सेमीनार/वेबकास्ट/कार्यक्रम आयोजित किए।
- समिति ने डीआईआरएम पाठ्यक्रम को नवीनीकृत करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया। समूह ने दो बार 1 अगस्त, 2019 तथा 21 अगस्त, 2019 को मुंबई में भेंट की।
- इस अवधि के दौरान, डीआईआरएम तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण आईसीएआई सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम के तीन बैच आयोजित किए गए। 15 जुलाई, 2020 तक की डीआईआरएम पाठ्यक्रम के लिए 5338 रजिस्ट्रीकरण किए गए।

### 5.5 व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी)

व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक प्रावधानों के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की गैर-स्थायी समिति है। इस समिति को फरवरी, 2010 मास में पहले से गठित समितियों, सीए फर्मों की क्षमता निर्माण संबंधी समिति तथा लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति को जोड़कर "सीए फर्मों की क्षमता निर्माण के लिए तथा लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति" से गठित किया गया। आरंभ में, इस समिति का गठन यह विचार करके किया गया था कि सीए फर्मों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान तथा उनकी सक्षमताओं के निर्माण और समेकन को सुकर बनाया जा सकेगा और साथ ही सीए फर्मों की सक्षमता को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपायों की अवधारणा को तैयार किया जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए तथा साथ-साथ सीए फर्मों के समेकन के लिए विस्तृत मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। इसी प्रकार, लघु और मध्यम व्यवसायियों के लिए समिति का गठन 2009 में उनके व्यवसाय को प्रभावी रीति में करने के लिए तरीकों को समन्वित और लागू करके उन्हें सशक्त करने के लिए किया गया। अत:, समिति का अंतिम उद्देश्य सीए फर्मों के साथ-साथ लघु और मध्यम व्यवसायियों को उनके व्यवसाय पोर्टफोलियो को नवजीवन प्रदान करके सशक्त बनाना है।

वर्ष के दौरान समिति ने निम्नलिखित क्रियाकलाप किए :--

#### (I) प्रत्येक वर्ष 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी) दिवस

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी), जो इन उपक्रमों के विकास में एसएमपी और एसएमई द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के महत्व को मान्यता देती है, ने वहनीय विकास में एसएमपी के एसएमई में योगदान के बारे में जनता की जागरुकता को बढ़ाने के लिए 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय लघु और मध्यम व्यवसायी दिवस के रूप में घोषित किया है।

समिति ने विभिन्न मध्य, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्व और दक्षिणी क्षेत्रों की विभिन्न शाखाओं तथा 3 क्षेत्रीय परिषदों आईसीएआई की एनआईआरसी, आईसीएआई की ईआईआरसी तथा आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी के माध्यम से 27.06.2020 को अंतर्राष्ट्रीय एसएमपी दिवस की संध्या पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया । समिति ने 27.06.2020 को आईसीएआई एडिनबर्ग समूह वैश्विक एसएमपी वेबीनार "फयूचर रेडी एसएमपी – वाइटल फॉर ग्लोबल इकनॉमी" भी आयोजित की ।

**पहलें**

**(II) वित्त**

- **व्यक्तिगत ऋणों के रूप में सावधि ऋण (अप्रतिभूत) सुविधा –** व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी) ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत ऋणों के रूप में सावधि ऋण सुविधा की व्यवस्था की है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं ।
- **बैंक आफ बडौदा क्रेडिट काड्र्स –** व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी) ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए बैंक आफ बडौदा के पूर्ण स्वामित्व वाले समनुषंगी के साथ क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की है । इसके ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं ।

**(III) कार्यालय प्रबंधन**

- **रुल्जबुक : मोबाइल एप -** सर्वोत्तम विस्तृत अनुपालन डाटाबेस रखने के लिए लक्ष्यित है । यह व्यवसायरत सदस्यों के असीमित उपयोक्ताओं के लिए 3 वर्ष तक नि:शुल्क है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं ।
- **संपरीक्षा मोड्यूल –** संपरीक्षा प्रबंधन उत्पाद संपूर्ण संपरीक्षा जीवन चक्र के स्वचालन में सहायता करता है । यह संपरीक्षा संनिकर्ष, प्रणाली और परिणाम के मानकीकरण और संगतता को सुनश्चित करता है । यह विभिन्न संपरीक्षा प्रकारों के लिए मानक संपरीक्षा टेम्पलेट के सृजन को सुकर बनाता है और प्रत्येक संपरीक्षा क्षेत्र के लिए क्रमानुसार विस्तृत जांच सूची प्रदान करता है । यह 3 वर्ष के लिए 5 उपयोक्ता प्रति सदस्य-फर्म तथा 25 संपरीक्षा/वर्ष तक नि:शुल्क है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं ।
- **विधिक अनुपालन प्रबंधन माड्यूल –** विधिक अनुपालन प्रबंधन माड्यूल, अनुपालन प्रबंधन को सुधारने के लिए डिजाइन किया गया उच्च अनुकूलित साफ्टवेयर उत्पाद है, जो लोक निर्भर हस्तचालित प्रक्रियाओं को बदल देता है । यह सभी अवस्थानों पर संगत रिपोर्टिंग के लिए विस्तृत "समूह स्तरीय अनुपालन डेशबोर्ड" का सृजन करता है । यह तीन वर्ष के लिए 5 उपयोक्ता प्रति सीए फर्म और 25 ग्राहक (एकल इकाई और एकल स्थान) हेतु नि:शुल्क है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं ।
    - **अनुसचिवीय अनुपालनों के लिए बोर्ड माड्यूल –** यह प्लेटफार्म अनुसचिवीय कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले सचिवीय क्रियाकलापों को विस्तृत रूप से सम्मिलित करता है । यह 3 वर्ष के लिए पांच उपयोक्ता प्रति सीए फर्म और 25 प्राइवेट कंपनी (एकल इकाई) हेतु नि:शुल्क है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं ।
    - **वेतन रोल प्रक्रियागत करना और श्रम अनुपालन –** उसको भारत की श्रम विधियों के अधीन विनियामक अनुपालन दस्तावेज तैयार करने के लिए एंड टू एंड ऑटोमेटिड सॉल्यूशन हेतु डिजाइन किया गया है । यह हस्तचालित आगत की अपेक्षा को हटाने के लिए वेतन रोल साफ्टवेयर के साथ श्रम अनुपालन उत्पाद को भी एकीकृत कर रहा है । तदनुसार, भविष्य में मूल वेतन रोल प्रक्रियागत क्षमताएं भी उपलब्ध होंगी । यह तीन वर्ष के लिए पांच उपयोक्ता प्रति सीए फर्म और 25 से कम कर्मचारियों (एकल इकाई और एकल स्थान) हेतु नि:शुल्क है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं ।
    - **अनुपालन संपरीक्षा –** इस अनुपालन उत्पाद को विशिष्ट ग्राहक के लिए अनुपालन जांच सूची तैयार करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है । ये ब्यौरे कंपनी के प्रकार, उद्योग, वह राज्य, जिसमें वह स्थित है, आदि के निबंधनों में ग्राहक के ब्यौरे अद्यतन करके तैयार किए जा सकते हैं । ये जांच सूचियां ग्राहकों के लिए देश की विधि के अंतर्गत अनुपालन संपरीक्षा करने के लिए उपयोग की जा सकती हैं । यह तीन वर्ष के लिए पांच उपयोक्ता प्रति सीए फर्म और 25 (एकल इकाई और एकल स्थान) हेतु नि:शुल्क है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं ।
    - **व्यवहार प्रबंधन उपस्कर –** इसमें एक लोचनीय कार्य प्रवाह है, जिसमें सीए फर्म अधिन्यास प्रबंधन के लिए डिजिटल कार्य प्रवाह के उपयोग में समर्थ होगी । यह टीमों के बीच और स्वयं प्लेटफार्म के माध्यम से ग्राहकों के साथ सभी "टच पाइंट" को सुकर बनाएगा तथा सभी डाटा/दस्तावेजों को स्वयं प्लेटफार्म के भीतर सुरक्षित रूप से साझा किया जा सकेगा । यह सीए फर्मों को डाटा निजता और पहुंच नियंत्रण के प्रबंधन में सहायता करेगा । यह तीन वर्ष के लिए पांच उपयोक्ता प्रति सीए फर्म और 25 ग्राहकों हेतु नि:शुल्क है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं ।

- **पेपिलियो साफ्टवेयर –** यह चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित सहयोगी साफ्टवेयर है। इंटरनेट पर होने के कारण पेपिलयों को कहीं से भी उपयोग किया जा सकता है। पेपिलियों का एक मोबाइल एप भी है, अत:, यह उपयोक्ताओं को कहीं से भी किसी भी समय सहयोग करने में समर्थ बनाता है। यह निबंधनों और शर्तों के अनुसार पांच से कम उपयोक्ताओं हेतु आजीवन नि:शुल्क है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं।

➢ **टैली ईआरपी 9 गोल्ड साफ्टवेयर –** आईसीएआई ने बहुउपयोक्ता संस्करण साफ्टवेयर के लिए विशेष कीमत रखी है। यह सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के समूह द्वारा शासित है। उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं।

- **आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों हेतु एन्टीवायरस साफ्टवेयर विशेष कीमत पर –** समिति द्वारा सदस्यों की एन्टीवायरस साफ्टवेयर तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें विशेष छूट कीमत पर पहुंच प्रदान करने के लिए क्विक हील टेक्नोलाजी के साथ समझौता किया गया है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं।
- **आईसीएआई के व्यवसायरत सदस्यों तथा सीए फर्मों के लिए व्यवहार प्रबंधन साफ्टवेयर –** समिति ने व्यवसायरत सदस्यों/फर्मों के लिए प्रभावी तरीके से व्यवसायरत व्यवहार के प्रबंधन हेतु डिजाइन किए गए क्लाउड साफ्टवेयर के रूप में व्यवहार प्रबंधन साफ्टवेयर की व्यवस्था की है। यह निबंधनों और शर्तों के अनुसार नि:शुल्क है। उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं।

➢ **जीएसटी वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9 और 9ग) साफ्टेवयर –** समिति ने व्यवसायरत सदस्यों तथा सीए फर्मों के लिए जीएसटी साफ्टवेयर (वार्षिक विवरणी) की व्यवस्था की है। यह निबंधनों और शर्तों के अनुसार नि:शुल्क है। उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं।

- **आईसीएआई के व्यवसायरत व्यक्तियों/सीए फर्म के लिए ईएफएफ फैक्टर साफ्टवेयर –** समिति ने व्यवसायरत व्यक्तियों/सीए फर्मों के लिए ईएफएफ फैक्टर साफ्टवेयर की व्यवस्था की है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं।
- **सीओआरडीएल प्रैक्टिस मेनेजमेन्ट साफ्टवेयर -** उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं।
- **एक्सबीआरएल साफ्टवेयर –** समिति ने आईसीएआई के व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों तथा सीए फर्मों के लिए एक्सबीआरएल फाइलिंग साफ्टवेयर (सीएंडआई एंड कास्ट एंड अकाउंटिंग टैक्सोनोमी) की व्यवस्था की है। यह निबंधनों और शर्तों के अधीन सीए व्यवसायियों तथा फर्मों के लिए नि:शुल्क है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं।
- **आल इन वन साफ्टवेयर – एक क्लाउड आधारित लेखांकन और अनुपालन समाधान –** क्लाउड आधारित ऑल इन वन साफ्टवेयर, व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों तथा सीए फर्मों के लिए सभी लेखांकन, अनुपालन, विवरणी तैयार करने तथा फाइलिंग आवयश्यकताओं के लिए एक ही समाधान है । उक्त साफ्टवेयर 3 वर्ष के लिए सीए व्यवसायियों तथा फर्मों को निबंधनों और शर्तों के अनुसार तीन उपयोक्ताओं हेतु नि:शुल्क है। उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं।

**(IV) बीमा स्कीमें**

➢ **एलआईसी समूह आवधिक बीमा –** समिति ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए समूह आवधिक बीमा की एलआईसी के माध्यम से व्यवस्था की है। आवधिक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु आएगी।

➢ **स्वास्थ्य बीमा –** न्यू इंडिया फ्लेक्सी फ्लोटर ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी एक फ्लोटर पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत प्रस्तावक स्वयं, पत्नी/पति और निर्भर बच्चे सिंगल फ्लोटर सम इंश्योर्ड के अधीन आ सकते हैं।

➢ **वाहन बीमा –** समिति द्वारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मोटर वाहन बीमा की व्यवस्था की गई है। मोटर वाहन बीमा मूल रूप से सदस्यों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मूल्यवर्धित विशेषताएं हैं, जैसे प्राइवेट कार और दोपहिया वाहन, दोनों पर ओडी में 65 प्रतिशत छूट दी गई है।

➢ **वृत्तिक क्षतिपूर्ति –** वृत्तिक क्षतिपूर्ति सेक्शन के अंतर्गत दावों के अवार्ड और निपटारे के साथ-साथ अन्वेषण, प्रतिरक्षा या आपके विरुद्ध दावे का निपटारा है।

➢ **कार्यालय सुरक्षा शील्ड पालिसी –** बीमा कंपनी भवन और फिक्सचर तथा फिटिंग को हुए नुकसान के लिए दायित्व के साथ-साथ कार्यालय परिसर के किराएदार के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करती है।

➢ **व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा –** यह पॉलिसी मूल रूप से बीमित व्यक्ति को कुछ प्रकार का प्रतिकर देने के लिए डिजाइन की गई है, जिसे अकेले ही दुर्घटना के परिणामस्वरूप शारीरिक क्षति होती है, जो बाह्य, हिंसक और दृश्यमान है।

- **गृह धारक बीमा –** यह पॉलिसी गृह को विभिन्न जोखिमों/खतरों से सुरक्षित करती है । इसकी सुरक्षा भवन और गृह की अंतर्वस्तुओं, जिसके अंतर्गत फर्नीचर, फिक्सचर, फिंटिंग, घरेलू उपकरण, जेवरात आदि तक भी विस्तारित है ।

उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं ।

**(V) क्षमता निर्माण उपाय**

- **उपापन संपरीक्षा के लिए विश्व बैंक के साथ एमओयू –** समिति ने उपापन संपरीक्षा में आईसीएआई के सदस्यों के ज्ञानवर्धन के ठहराव संबंधी लिए विश्व बैंक के साथ एमओयू किया । विश्व बैंक के साथ उपरोक्त ठहराव प्रशिक्षक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संयुक्त प्रमाणन आधार पर उपापन प्रशिक्षण का प्रस्ताव करता है । इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य विभिन्न नियत कार्यों के लिए, जिनके अंतर्गत बाह्य/आंतरिक संपरीक्षा, उपापन संपरीक्षा/पश्च पुनर्विलोकन तथा आईसीएआई के फर्मों और व्यक्तिगत सदस्यों के नियत कार्य भी हैं, बैंक वित्तपोषित परियोजनाओं में उपापन अवसरों में भागीदारी के लिए आईसीएआई सदस्यों की क्षमता को बढ़ाना है ।
- **अपील तैयार करने, विलेख और दस्तावेजों का प्रारूपण, अपील प्राधिकारियों और कानूनी निकायों के समक्ष अभ्यावेदन संबंधी वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम –** सदस्यों के प्रभावी प्रारूपण कौशल का वर्धन करने के लिए विकसित किया गया है तथा सदस्यों को विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष प्रकट होने से संबंधित विधिक प्रावधानों से परिचित कराता है । पाठ्यक्रम के ब्यौरे https://resource.cdn.icai.org/50996ccbmp210718-0420.pdf पर उपलब्ध हैं ।
- **धन प्रबंधन और वित्तीय योजना पर वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (डब्ल्यूएमएफपी) –** समिति ने सदस्यों को नए कैरियर अवसरों का वर्धन करने के लिए धन प्रबंधन और वित्तीय योजना पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया है । पाठ्यक्रम के ब्यौरे https://resource.cdn.icai.org/35876ccbcaf25359-wmfp-details.pdf पर उपलब्ध हैं ।
- **वर्ग 'क', वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' शहरों के चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा किए गए वृत्तिक नियत कार्यों के लिए पुनरीक्षित न्यूनतम सिफारिश किए गए फीस के स्केल –** समिति ने वर्ग 'क', वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' शहरों के चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा किए गए वृत्तिक नियत कार्यों के लिए पुनरीक्षित न्यूनतम सिफारिश किए गए फीस के स्केलों का एक ब्रोशर तैयार किया है । उपरोक्त के ब्यौरे https://cmpbenefits.icai.org/we-content/uploads/2020/02/details-download.pdf पर उपलब्ध हैं ।
- **सीए फर्मों के नेटवर्किंग तथा अन्य समेकन उपायों का संवर्धन –** बहु स्थानों पर बेहतर वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक संसाधन साझा करने हेतु साझा सहयोग के लिए फर्मों की नेटवर्किंग सीए फर्मों को सुविधा प्रदान की गई है । समिति व्यवसायरत व्यक्तियों/सीए फर्मों के लिए कारपोरेट रूप में संविलियन, नेटवर्किंग, व्यवहार का संवर्धन कर रही है ।

**(VI) ज्ञान को साझा करना और वर्धन**

- **आईसीएआई लर्निंग कर्व – प्रश्नों का समेकन तथा एफएक्यू और लाइव वेबकास्ट द्वारा प्रश्नों का समाधान –** समिति ने विभिन्न वृत्तिक मुद्दों पर प्रश्नों को समेकित करने के लिए एक पोर्टल आईसीएआई लर्निंग कर्व की व्यवस्था की है तथा प्रैक्टिस पोर्टफोलियो तथा अन्य पहलुओं के वर्धन के लिए कई चरणों में इन प्रश्नों का उत्तर दिया है ।
- **पोर्टल http://kb.icai.org/: आईसीएआई ज्ञान बैंक के लिए गेटवे – आईसीएआई प्रकाशनों का समेकन –** समिति ने आईसीएआई के सभी प्रकाशनों के समेकन के लिए आईसीएआई ज्ञान बैंक के गेटवे kb.icai.org पोर्टल की व्यवस्था की है । इस प्रकार पोर्टल को खोज/प्रबंधन हेतु डिजाइन किया गया है, पोर्टल ने उक्त पोर्टल में ऐसी विशेषताएं की हैं, जिससे उपयोक्ता की-फ्रेज की सहायता से अपलोड किए गए दस्तवेजों को खोजने में समर्थ होगा ।
- **आईसीएआई कनेक्ट – https://cmp.icai.org –आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक पोर्टल –** समिति ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए एक पोर्टल आईसीएआई कनेक्ट की व्यवस्था की है । उपरोक्त एकल विंडो सेल्फ सर्विस पोर्टल की विशेषताओं के अंतगर्त व्यक्तिगत प्रोफाइल और फर्म का गठन देखना, आईसीएआई की घोषणाएं, आईसीएआई को फीस तथा विनियामक प्रभारों के संदाय के ब्यौरे, मेरे लेख के ब्यौरे, विनियामक प्ररूपों तथा आवेदन की प्रास्थिति को देखना, ईसेवाएं, मेरी फर्में, मेरे साफ्टवेयर,पत्र और प्रमाणपत्र, सीपीई आवर्स क्रेडिटेड, नेटवर्किंग के मार्गनिर्देश, संविलयन तथा असंविलयन आदि है ।
- **समिति की विशिष्ट वेबसाइट – www.icai.org.in –** यह वेबसाइट सीए फर्मों को अपनी फर्म के ब्यौरे अपलोड करने के लिए प्लेटफार्म प्रदान करती है तथा उन्हें संपूर्ण विश्व में व्यवसायरत सदस्यों तथा सीए फर्मों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती है । यह वेबसाइट समेकन उपाय जैसे नेटवर्किंग, संविलयन और व्यवहार के कारपोरेट रूप का प्रावधान करके सदस्यों तथा सीए फर्मों के समेकन हेतु मंच के रूप में कार्य करती है ।
- **आईसीएआई के वरिष्ठ सदस्यों के लिए पोर्टल www.seniormembers.icai.org –** समिति ने एक वेबसाइट अर्थात् www.seniormembers.icai.org विकसित की है । यह वेबसाइट आईसीएआई के वरिष्ठ सदस्यों को लोचनीय कार्य घंटों वाले नियत कार्य के साथ-साथ उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् पूर्णकालिक नियत कार्य पाने के लिए प्लेटफार्म प्रदान करती है । साथ ही साथ यह उद्योग को भी अनुभवी प्रतिभावान व्यक्तियों को पाने में सहायता करेगी, जो अन्यथा साधारण परिस्थितियों में पहुंच योग्य नहीं होते । उक्त पोर्टल आईसीएआई के सभी वरिष्ठ सदस्यों के लिए उपयोगी और आसान होगा ।

- **लेखांकन मानकों की नमूना जांच सूची पर ई-बुकलेट व्यवसायियों तथा सीए फर्मों के लिए तैयार संदर्भ –** समिति ने लेखांकन मानकों की नमूना जांच सूची पर ई बुकलेट का प्रकाशन किया है, जो व्यवसायरत व्यक्तियों तथा सीए फर्मों के लिए तैयार संदर्भ के रूप में है। इसे व्यवसायरत व्यक्तियों तथा सीए फर्मों के दिन प्रतिदिन के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है।

**(VII) समिति के प्रकाशन**

- आय-कर व्यवसाय की कार्ययोजना संबंधी ई-पुस्तिका का प्रकाशन : एक व्यवसायरत व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में।
- प्रैक्टिसक्रर – चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर
- कंपनी अधिनियम, 2013 संबंधी ई-पुस्तिका का प्रकाशन : एक व्यवसायरत व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में।
- जीएसटी की कार्ययोजना संबंधी ई-पुस्तिका को प्रकाशन एक व्यवसायरत व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में।

समिति ने निम्नलिखित प्रकाशन लाने के लिए पहल की है :

- "सदस्यों और सीए फर्मों के लिए आईसीएआई के विनियामक पहलुओं पर रेडी रेकनर" पर ई-पुस्तिका का प्रकाशन।
- "आर्टिकल्ड/संपरीक्षा सहायकों के विनियामक पहलुओं संबंधी रेडी रेकनर" संबंधी ई-पुस्तिका का प्रकाशन।
- सुगम संदर्भिका, 2019

**(VIII) लाइव वेबकास्ट/राष्ट्रीय सम्मेलन/कार्यशाला/संगोष्ठी/आवासीय कार्यक्रम/वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

- सीसीबीएमपी ने आय कर संबंधी नवीनतम न्यायिक निर्णयों पर व्यवसायियों के क्षमता निर्माण उपायों, जीएसटी के अधीन व्यवसायरत सीए की रणनीतियों, बैंक संपरीक्षा, बेनामी विधि के साथ आय-कर विधि और धन शोधन निवारण अधिनियम की अंतरक्रिया तथा सीए द्वारा इन विधियों के व्यवहार के अवसर, कार्यालय या घर से कार्य, कोविड-19 के पश्चात् व्यवसाय का भविष्य – वर्चुअल लेखांकन फर्म, एसए 700, एसए 701, एसए 705, तथा एसए 706, लघु इकाईयों की संपरीक्षा के लिए व्यवसायरत व्यक्ति का मार्गदर्शन, निगम संबंधी सेवाएं तथा संबंधित डिजिटाइज्ड अवसर, नेटवर्किंग और संविलयन, संपरीक्षा में जोखिमपूर्ण मुद्दे, व्यवहार प्रबंधन, आरओसी अनुपालन, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र और रेरा में वृत्तिक अवसर, व्यवसायरत सदस्यों के लिए नैतिक संहिता, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए व्यवसायरत सदस्यों के लिए वर्ष 2020 के दौरान कंपनी संपरीक्षा करने के दौरान सावधानियों पर 21 लाइव वेबकास्ट आयोजित की।
- समिति ने माल और सेवाकर (जीएसटी) पर व्यवसायरत व्यक्तियों की क्षमता निर्माण, 31 जनवरी, 2020 को विश्व बैंक वित्तपोषित परियोजनाओं हेतु पुनर्विलोकन पश्चात् उपापन में संपरीक्षकों को सम्मिलित करने, कंपनी अधिनियम और आय-कर, एनआरआई कराधान और जीएसटी, जीएसटी तथा प्रत्यक्ष करों में उभरती चुनौतियां, कर संपरीक्षा और आईसीडीएस, यूडीआईएन तथा पूंजी अभिलाभ कराधान और फोरेंसिक संपरीक्षा विषयों पर 26 राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशाला और आवासीय कार्यक्रम आयोजित किए तथा ओडिशा, नई दिल्ली, अनंतपुर, भयंदर, गोरखपुर, ऑन्गोल, गुड़गांव, विशाखापट्टनम, उदयपुर, ठाणे, रांची, मंगलुरू, आसनसोल, विजयवाड़ा, इंदौर, अमृतसर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कोल्लम, शिरडी, मसूरी, तिरुपति आदि में वर्ष के दौरान पूंजी, जिनसे अनेक सदस्यों ने भाग लिया।
- समिति ने अप्रैल-जून, 2020 तथा अप्रैल-जुलाई, 2020 मास में "धन प्रबंधन और वित्तीय योजना" तथा "अपीलें तैयार करना, विलेखों और दस्तावेजों का प्रारूपण तथा अपील प्राधिकारियों और कानूनी निकायों के समक्ष प्रस्तुति" पर 30 सीपीई घंटे के वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के 2 और 4 बैच आयोजित किए।

**5.6 सीपीई निदेशालय और केंद्रीयकृत वितरण व्यवस्था (सीपीईडी एंड सीडीएस)**

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने अपने सतत वृत्तिक शिक्षा (सीपीई) निदेशालय के माध्यम से भौतिक और वर्चुअल सीखने के उपस्करों का उपयोग करके ऐसे उपाय कार्यान्वित करता है, जो उनके क्षमता तथा वृत्तिक विकास के मूल क्षेत्रों में वर्तमान ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने में संस्थान के सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर प्रदान करे।

सतत वृत्तिक शिक्षा निदेशालय (सीपीईडी) आफलाइन/आनलाइन ढंग से विशेषीकृत ज्ञान के वर्तमान और नए उभरते हुए क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति से कई पहलों द्वारा अद्यतन रखता है तथा संरचनात्मक और असंरचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से उनकी बाध्यकारी सीपीई अपेक्षाओं को पूर्ण करने में सहायता करता है।

परिषद् वर्ष 2019-20 में, सीपीई समिति के स्थान पर सीपीई निदेशालय का गठन किया गया, जिसमें ई-पठन को सीपीई निदेशालय का भाग बनाया गया। तत्पश्चात्, परिषद् वर्ष 2020-21 में सीपई निदेशालय के पुनरीक्षित निर्देश निबंधनों के साथ सीपीई निदेशालय तथा केंद्रीयकृत वितरण व्यवस्था (सीडीएस) का गठन किया गया।

**सीपीई निदेशालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां तथा नवीन पहलें**

**(I) मजबूत सदस्य शिक्षण और विकास क्रियाविधि**

सीपीई, पीओयू द्वारा सीपीई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए परिषद् और सीपीई निदेशालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न मार्गदर्शक सिद्धांतों, नियमों और निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीपीईडी ने सीपीई कार्यक्रमों के संगठन को विनियमित और पर्यवेक्षित करने के लिए अधिक मजबूत तथा कठोर विनियामक क्रियाविधि को अंगीकार किया है। सीपीई पीओयू को उनके निरंतर सुधार तथा बेहतर कार्यकरण के लिए वर्ष भर मानीटर और पर्यवेक्षित भी किया जा रहा है।

**(II) सीपीई कथन**

वैश्विक अपेक्षाओं और व्यवहारों के समरूप, 3 वर्ष के वर्तमान ब्लॉक (1.1.2020 से 31.12.2022) के लिए सदस्यों के विभिन्न प्रवर्गों को लागू सीपीई क्रेडिट घंटे निम्नानुसार है :--

| सदस्यों का प्रवर्ग | सीपीई आवर अपेक्षा |
|---|---|
| (60 वर्ष से कम आयु के) सदस्य, जिनके पास व्यवसाय का प्रमाणपत्र है (उन सभी सदस्यों को छोड़कर, जो विदेश में रह रहे हैं) | 120 (जिसमें से कम से कम 60 सीपीई घंटे संरचनात्मक शिक्षण के होने चाहिए)<br>- प्रत्येक कलैंडर वर्ष में न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे संरचनात्मक शिक्षण के |
| (60 वर्ष या अधिक) के सदस्य, जिनके पास व्यवसाय का प्रमाणपत्र है। | 90 (या तो संरचनात्मक या असंरचनात्मक)<br>- प्रत्येक कलैंडर वर्ष या तो संरचनात्मक या असंरचनात्मक शिक्षण के न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे। |
| (60 वर्ष से कम आयु के) सदस्य, जिनके पास व्यवसाय का प्रमाणपत्र नहीं है, और सभी सदस्य, जो विदेश में निवास कर रहे हैं (चाहे व्यवसाय का प्रमाणपत्र रखते हों या नहीं) | 60 (या तो संरचनात्मक या असंरचनात्मक शिक्षण)<br>प्रत्येक कलैंडर वर्ष या तो संरचनात्मक या असंरचनात्मक शिक्षण के न्यूनतम 15 सीपीई क्रेडिट घंटे। |

**सदस्यों को छूट :**

- कोई सदस्य केवल विशिष्ट कलैंडर वर्ष के लिए छूट प्राप्त करता है, जिसके दौरान वह अपनी सदस्यता पहली बार प्राप्त करता है।
- निम्नलिखित वर्ग के सदस्यों को सीपीई क्रेडिट घंटों की अपेक्षा से छूट प्राप्त है :
  - (60 वर्ष और उससे अधिक आयु के) सभी सदस्य, जिनके पास व्यवसाय करने का प्रमाणपत्र नहीं है।
  - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और अधिकरण के न्यायाधीश।
  - संसद् सदस्य/विधान सभा के सदस्य/विधान परिषद् के सदस्य
  - राज्यों के राज्यपाल
  - केंद्रीय और राज्य सिविल सेवाएं
  - उद्यमी (वृत्तिक सेवाओं से भिन्न कारबार (विनिर्माण) संगठनों के स्वामी)
  - न्यायिक अधिकारी
  - सेना सेवा के सदस्य
- अस्थायी छूटें :
  - (i) गर्भावस्था के आधार पर एक कलैंडर वर्ष हेतु महिला सदस्य।
  - (ii) मामला-दर-मामला आधार पर शारीरिक रूप से अशक्त सदस्य, जिनको न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक स्थायी अशक्तता है (भारतीय चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत किसी चिकित्सक से, जिसे पश्च अर्हता (एम.डी., एम.एस आदि) द्वारा साक्ष्यित सुसंगत विशेषज्ञता प्राप्त हो, चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो)
  - (iii) लंबी गंभीर बीमारी/रुग्णता या अन्य अशक्तता, जो सीपीईडी द्वारा विनिर्दिष्ट या अनुमोदित की जाए (भारतीय चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत किसी चिकित्सक से, जिसे पश्च अर्हता (एम.डी., एम.एस आदि) द्वारा साक्ष्यित सुसंगत विशेषज्ञता प्राप्त हो, चिकित्सा प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हो)
- सदस्य या सदस्यों का कोई वर्ग, जिसे सीपीईडी अपने पूर्ण स्वविवेक से मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के कारण विशिष्टतया या साधारणतया पूर्ण/आंशिक छूट प्रदान करे, जिसमें उनकी राय में ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को कथन में यथा विनिर्दिष्ट सीपीई की अपेक्षाओं के अनुपालन से रोके।

**(III) लॉकडाउन अवधि के दौरान की गई आईटी पहलें**

- **वेबीनार**

पश्च कोविड-19 परिस्थिति में, जनता का एकत्रित होना प्रतिबंधित था, इसलिए सभी भौतिक सीपीई सेमीनारे रद्द कर दी गई और उनको दृष्टिगत रखते हुए सभी क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं तथा विदेशी चैप्टरों को पहली बार लॉकडाउन अवधि के दौरान असंरचनात्मक सीपीई घंटे अनुदत्त करने के लिए वेबीनार आयोजित करना अनुज्ञात किया गया। तथापि, 19 मई, 2020 से वेबीनार केवल केंद्रीय समितियों द्वारा आयोजित करना अनुज्ञात किया गया।

➢ **वर्चुअल सीपीई बैठक**

(17.05.2020 से) वर्चुअल सीपीई बैठक (वीसीएम) में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संरचनात्मक सीपीई घंटें अनुदत्त करना अनुज्ञात किया गया, जिसे सदस्यों द्वारा किसी कठिनाई का सामना किए बिना नियंत्रित आनलाइन माहौल में केंद्रीय समितियों, क्षेत्रीय परिषदों, शाखाओं, विदेशी चैप्टरों, सीपीई अध्ययन सर्कल, सीपीई अध्ययन चैप्टर और सीएमआई तथा बी अध्ययन सर्कल द्वारा आयोजित किया गया।

सीपईडी ने यह निर्णय लिया कि 20 संरचनात्मक सीपीई घंटों में से, जिसे प्रत्येक कलैंडर वर्ष में सीओपी धारण करने वाले 60 वर्ष से कम आयु के सदस्यों द्वारा अनिवार्य रूप से पूर्ण करना आवश्यक है, 31 अगस्त, 2020 तक 10 संरचनात्मक सीपीई घंटें आनलाइन तरीके द्वारा अनुदत्त किए जा सकते हैं (या तो डिजिटल पठन केंद्र के माध्यम से या उपरोक्त वर्चुअल सीपीई बैठकों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत "नैतिक संहिता" और "संपरीक्षा पर मानक" संबंधी अनिवार्य सीपीई घंटे भी हैं)।

➢ **पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

केंद्रीय समितियों, क्षेत्रीय परिषदों, और विदेशी चैप्टरों को एक दिवस में अधिकतम 3 सीपीई घंटे के साथ किसी विशिष्ट विषय पर आनलाइन ढंग से अधिकतम 5 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुज्ञात किया गया।

➢ **सीपीई/सीएमआई और बी अध्ययन सर्किल तथा सीपीई अध्ययन चैप्टर द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) या अन्य आडियो वीडियो सॉल्यूशन (ओएवीएस) के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) का आयोजन**

सीपीईडी ने कोविड-19 के प्रभाव के कारण संयोजक और उप संयोजक के चुनाव/संपरीक्षकों की नियुक्ति के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी) या अन्य आडियो वीडियो सॉल्यूशन (ओएवीएस) के माध्यम से सीपीई/सीएमआई एंड बी अध्ययन सर्किल द्वारा वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) करने के लिए प्रक्रिया जारी की।

**(IV) लॉकडाउन अवधि के दौरान की गई अन्य पहलें :–**

➢ सीपीईडी ने उन प्रवर्गों के सदस्यों को, जिन्हें एक कलैंडर वर्ष में (सीओपी धारक) न्यूनतम 2 संरचनात्मक सीपीई घंटे पूर्ण करना अपेक्षित है, ऑनलाइन/वर्चुअल ढंग से कलैंडर वर्ष 2020 से प्रत्येक कलैंडर वर्ष के दौरान (कुल 20 संरचनात्मक सीपीई घंटे में से कुल 4 संरचनात्मक सीपीई घंटे) "संपरीक्षा संबंधी मानक" तथा "नैतिक संहिता" से संबंधित विषयों पर प्रत्येक 20 संरचनात्मक सीपीई घंटे के अनिवार्य रूप से पूर्ण होने के संबंध में निर्णय का कार्यान्वयन किया। इसे आनलाइन/वर्चुअल ढंग से वर्ष के दौरान कभी भी पूर्ण किया जा सकेगा।

➢ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीपई अध्ययन सर्किल और सीपीई अध्ययन चैप्टरों द्वारा संपरीक्षित वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख अब 15 मई, 2020 से बढाकर 15 जुलाई, 2020 वर्तमान कोविड-19 परिस्थिति में सीपीई अध्ययन सर्किल और सीपीई अध्ययन चैप्टरों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए कर दी गई है।

➢ सदस्यों द्वारा कलैंडर वर्ष 2019 के लिए असंरचनात्मक सीपीई घंटे के दावे के लिए सीपीई पोर्टल पर आनलाइन स्वघोषणा प्ररूप प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31 मई, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है।

**(V) वैश्विक प्रसार :–**

सीपीई, पीओयू द्वारा स्विटजरलैंड, बाली, मस्कट, मलेशिया, दुबई में 7 सीपीई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन टूर अंतर्राष्ट्रीय रूप से आयोजित किए गए।

**(VI) ब्रांड और क्षमता निर्माण**

आईसीएआई ने अपने सदस्यों को क्लास रूम अध्ययन, ई-पठन पद्धति, घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रम, वेबकास्ट, जागरुकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि द्वारा निरंतर कौशल निखार की प्रक्रिया के माध्यम से विश्व में सभी ओर होने वाले वृत्तिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों से बराबर जागरुक करने का पूर्ण प्रयास किया है। कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

➢ **राष्ट्रीय स्तर के सीपीई कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम**

वृत्तिक हित के विभिन्न विषयों पर आईसीएआई की सीपीई कार्यक्रम आयोजन इकाईयों द्वारा संपूर्ण देश में सदस्यों के लिए 8906 सीपीई कार्यक्रम आयोजित किए गए (जिसके अंतर्गत 13 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक वर्चुअल ढंग से आयोजित 1204 सीपीई कार्यक्रम भी हैं)।

➢ **सीए दिवस वर्चुअल राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन**

सीए दिवस के अवसर पर 29.06.2020 से 01.07.2020 तक "भविष्य में बदलाव : उत्कृष्टता को समर्थ बनाना, विश्वास में वृद्धि" विषय पर (9 अवसंचनात्मक सीपई घंटे का क्रेडिट प्रदान करते हुए) तीन दिवसीय राष्ट्रीय सीए शिखर सम्मेलन, 2020 का आयोजन किया गया।

- **पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

  (13.03.2020 से 30.06.2020 तक) विभिन्न विषयों अर्थात् फेमा, लेखांकन मानक, आय-कर अपील कार्यवाहियां, उन्नत एक्सेल और डाटा डेशबोर्ड, सीएएटी उपस्कर प्रयोग करते हुए डाटा/फोरेंसिक एनालिटिक्स, माइक्रोसाफ्ट एक्सेल पावर टूल्स एंड पावर बीआई के साथ एसए और डाटा विश्लेषण के व्यवहार संबंधी गाइड केंद्रीय समितियों/बोर्ड द्वारा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के रूप में 7 वर्चुटल सीपीई बैठकें (वीसीएम) आयोजित की गई।

- **राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं**

  **आयोजित किए गए सीपीई कार्यक्रमों के प्रकार -** आईसीएआई के विभिन्न पीओयू द्वारा 150 लाइव वेबकास्ट (वेबीनार, आईसीएआई की केंद्रीय समितियों द्वारा सदस्यों के लिए 167 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, आईसीएआई की केंद्रीय समितियों द्वारा 92 अर्हता पश्च पाठ्यक्रम, आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषदों/शाखाओं की मेजबानी में और आईसीएआई की केंद्रीय समितियों/बोर्ड द्वारा 19 राष्ट्रीय स्तर, आईसीएआई, आरवीओ द्वारा पूर्व रजिस्ट्रेशन शिक्षा पाठ्यक्रम के 16 बैच, आईआईआईपीआई द्वारा पूर्व रजिस्ट्रेशन शिक्षा पाठ्यक्रम के 13 बैच।

- **नई सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (पीओयू) का आरंभ**

  सदस्यों को उनके निकटवर्ती स्थानों में सीपीई क्रियाकलापों को करने के लिए देश के मुफसिल/दूरस्थ क्षेत्रों में सहायता करने के लिए 3 और सीपीई पीओयू खोले गए, जिससे भारत और विदेश में 613 सीपीई पीओयू के मजबूत नेटवर्क तक पहुंच हुई।

**(VII) सामाजिक सहायता – देश के प्रति प्रतिबद्धता :–**

वर्ष के दौरान जीएसटी और जीएसटी संपरीक्षा, नैतिक मानक, नैतिक संहिता, वृत्तिक नैतिकता, कंपनी अधिनियम, रेरा, संपरीक्षा संबंधी मानक, आईसीडीएस, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, विमुद्रीकरण, कालाधन, बेनामी संव्यवहार और अघोषित आय, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, भारत में कारबार करने की सुगमता, स्टार्ट-अप, यूडीआईएन, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व, निवेशक जागरुकता आदि पर भौतिक ढंग और वर्चुअल ढंग से सीपी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

**प्रकाशन निदेशालय-सीपीईडी**

संस्थान का प्रकाशन निदेशालय प्राथमिक रूप से निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में कार्यरत है :

- छात्रों तथा सदस्य संबंधित प्रकाशनों के लिए अध्ययन सामग्री का मुद्रण।
- केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रकाशनों का विक्रय और वितरण।
- भंडार लेखा, विक्रय लेखा रखना तथा शाखाओं के साथ भंडार ओर प्राप्य वस्तुओं का समन्वीकरण।

**नए प्रकाशन लाए गए**

रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान प्रकाशन निदेशालय ने अध्ययन बोर्ड तथा अन्य समितियों की ओर से विभिन्न नए प्रकाशनों का मुद्रण किया।

**केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली**

जुलाई, 2017 से आईसीएआई के सभी प्रकाशन, जिसके अंतर्गत अध्ययन सामग्री, पुनरीक्षण प्रश्न पत्र और सदस्य संबंधी प्रकाशन हैं, सीडीएस पोर्टल पर क्रय आदेश देने पर रजिस्टर्ड छात्रों तथा व्यक्तियों को केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली पोर्टल (www.icai-cds.org) के माध्यम से भेजे जाते हैं। सीडीएस पोर्टल कई प्रकार की निशानियां जैसे टाई, कफ लिंक, लेपल पिन, डायरी और कलैंडर भी रखता है।

**भविष्य के प्रयास**

निदेशालय के भविष्य के प्रयास निम्नानुसार हैं :

1. सीडीएस पोर्टल पर विक्रय के लिए सीए ब्रांडिंग के साथ नई उच्च गुणवत्ता की निशानियों का आरंभ।
2. क्रय की गई सामग्री के परिदान के लिए तैयारी के समय में कमी।
3. सीडीएस पोर्टल पर डिजीटल ढंग से पाठक के संवर्धन हेतु डिजिटल बीडिंग कॉपी लिंक दी जानी है।

**5.7 कारपोरेट विधियां और कारपोरेट शासन समिति (सीएलएंडसीजीसी)**

निगम विधियां और निगम शासन संबंधी समिति के पास व्यवसाय के सशक्तिकरण के साथ-साथ सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के साथ उचित निगम शासन के वर्धन और उसे सुकर बनाने की ओर प्रमुख भूमिका निभाने का दृष्टिकोण है। समिति, सरकार के साथ विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए समन्यवकारी प्रयास कर रहा है तथा निरंतर कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संवाद कर रहा है और कंपनी अधिनियम के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहा है/सुझाव दे रहा है/निरंतर इनपुट दे रहा है। समिति का लक्ष्य निगम विधियों के संबंध में सदस्यों के ज्ञान को अद्यतन करना है।

**महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें**

**(I) एमसीए/सेबी/एनएफआरए को अभ्यावेदन/सुझाव**

कंपनी अधिनियम, 2013

समिति कंपनी अधिनियम, 2013 के सहज कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ नियमित संवाद करती है । समिति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय/राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को निम्नलिखित अभ्यावेदन/इनपुट/राय/सुझाव प्रस्तुत किए :

- "क्या शेयर प्रीमियम के कारण प्राप्त नकदी से पूंजी आस्तियों के क्रय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 में कोई उल्लंघन हुआ है" के बारे में राय कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को जुलाई, 2020 में प्रस्तुत की गई ।
- एनएफआरए-2 को फाइल करने के लिए समय विस्तार के बारे में तथा वर्ष 2017-2018 के लिए लागू होने के बारे में अभ्यावेदन जुलाई, 2020 में प्रस्तुत किया गया । एनएफआरए ने परिपत्र जारी किया है तथा प्ररूप एनएफआरए-2 फाइल करने के लिए समय और 60 दिन तक विस्तारित किया है ।
- संपरीक्षा स्वतंत्रता और जवाबदेही पर एमसीए द्वारा जारी परामर्श पत्र पर आईसीएआई के सुझाव ।
- संपरीक्षा फाइलों को प्रस्तुत करने के लिए एनएफआरए द्वारा जारी प्रारूप प्रक्रिया पर आईसीएआई की प्रारूप सिफारिशें जून, 2020 में आगे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय में भेजी गई ।
- कंपनी नए समझौता स्कीम, 2020 में कतिपय मुद्दों पर अभ्यावेदन एमसीए को मई, 2020 में भेजा गया ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अधीन कुल लाभ की संगणना के संबंध में मुद्दों से संबंधित एमसीए से प्राप्त पत्र का उत्तर सीएसआर दायित्व की संगणना हेतु जनवरी, 2020 में प्रस्तुत किया गया ।
- सीएसआर-2018 पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आईसीएआई सुझाव जनवरी, 2020 में प्रस्तुत किए गए ।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा गठित कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट पर आईसीएआई सुझाव नवंबर, 2019 में प्रस्तुत किए गए ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 के अधीन क्या प्रबंधन सेवाएं गठित करेगा/नहीं करेगा, के संबंध में आईसीएआई सिफारिशें एमसीए को जून, 2019 में प्रस्तुत की गई ।
- निम्नलिखित मुद्दों पर श्री उदय कोटक समिति के अधीन निगम शासन पर समिति की सिफारिशों पर आईसीएआई के सुझाव एमसीए को जून, 2019 में प्रस्तुत किए गए ।
  - ✓ आईसीएआई की प्रवर्तन/अनुशासनात्मक प्रक्रिया के संबंध में आईसीएआई सिफारिशों की भूमिका मजबूत करना ।
  - ✓ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्टिंग को मजबूत करना ।
  - ✓ संपरीक्षा गुणवत्ता सूचकों पर अधिक पारदर्शिता ।
  - ✓ गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी) के वर्तमान विनियामक प्रावधानों के स्वतंत्र कार्यकरण को मजबूत करना ।
- कालावधि की समाप्ति के पश्चात् आंतरिक संपरीक्षक की बाह्य संपरीक्षक और विलोमत: नियुक्ति के लिए यू.के., यू.एस., आस्ट्रेलिया और सिंगापुर द्वारा अनुसरण किए जाने वाले व्यवहारों पर आईसीएआई के सुझाव जून, 2019 में एमसीए को प्रस्तुत किए गए ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 में सीएसआर के प्रावधानों, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 तथा सीएसआर से संबंधित जारी परिपत्रों के संबंध में एमसीए द्वारा गठित सीएसआर संबंधी उच्च स्तरीय समिति को आईसीएआई की टिप्पणियों/सुझावों को मई, 2019 में प्रस्तुत किया गया ।
- कंपनियों में शासन सुधारने के संबंध में अभ्यावेदन ।
- एडीटी-1 फाइल करने के लिए अतिरिक्त फीस से छूट के लिए निवेदन, जहां कंपनियों द्वारा अप्रैल, 2019 में एमसीए को प्रस्तुत एक्टिव प्ररूप को फाइल करने के संबंध में 1 अप्रैल, 2014 से 19 अक्तूबर, 2014 की अवधि के लिए जीएनएल-2 प्ररूप पहले ही फाइल कर दिया गया है । एमसीए के स्पष्टीकरण जारी किया है तथा 15.06.2019 तक फॉर्म एडीटी-1 फाइल करने के लिए फीस से छूट दे दी है ।

**(II) कंपनी अधिनियम, 2013 के लिए विधि निर्माण प्रक्रिया को सुकर बनाना**

- आईसीएआई संपरीक्षा स्वतंत्रता और जवाबदेही पर परामर्श पत्र पर पणधारियों के सुझावों पर चर्चा के लिए एमसीए द्वारा गठित समिति का सदस्य है ।
- आईसीएआई निगम शासन के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन शासी परिषद् (एनएफसीजी) का एक सदस्य है ।

- आईसीएआई वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा गठित सचिवीय मानक बोर्ड (एसएसबी) का सदस्य है।
- आईसीएआई गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के अन्वेषण मैनुअल के प्रारूपण परिशिष्ट के लिए समिति का एक सदस्य है।
- आईसीएआई, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कंपनी विधि और निगम शासन समिति का एक सदस्य है।
- आईसीएआई कंपनी (निक्षेप की स्वीकार्यता) नियम, 2014 के परीक्षण वाले समूह का एक सदस्य है।
- आईसीएआई कंपनी अधिनियम, 2013 के संरेखण से संबंधित सुझावों के परीक्षण के लिए उप समूह (2) का सदस्य है।
- आईसीएआई कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्य को कारगर बनाने हेतु कार्य समिति का सदस्य है।
- आईसीएआई सेबी द्वारा गठित सीमित पुनर्विलोकन और संबंधित प्रक्रिया के विस्तारक्षेत्र संबंधी समूह का सदस्य है।

**(III) कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संवाद**

**स्पाइस+ के माध्यम से निगमीकरण हेतु एमसीए की पहल का समर्थन –** आईसीएआई उन्नत एकीकृत स्पाइस+ (ई-प्ररूप-32) आरंभ करके कारबार करने में सुगमता के लिए भारत की पहल के भाग के रूप में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय का सहयोग कर रहा है। यह एक एकीकृत वेब प्ररूप है, जो 3 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा 10 सेवाएं प्रदान करता है (कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग) तथा एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र), इस प्रकार भारत में कारबार आरंभ करने के लिए कई प्रक्रियाएं, समय और लागत बचाता है और समिति ने कंपनी को निगमित करते समय सामने आने वाली कठिनाईयों पर पणधारियों से टिप्पणियां/सुझाव भी मांगे हैं। एमसीए द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) अपनी कारपोरेट विधियां तथा कारपोरेट शासन समिति (सलएलएंडसीजीसी) के माध्यम से सभी पणधारियों के लाभ हेतु स्पाइस+ के माध्यम से कंपनियों के निगमन पर एक तकनीकी गाइड लाया है।

**स्वतंत्र निदेशक पोर्टल पर कार्य करने के लिए एमसीए – आईआईसीए का सहयोग –** आईसीएआई ने स्वतंत्र निदेशकों के लिए डाटा बैंक पोर्टल के विकास के संबंध में एमसीए-आईआईसीए की नई पहल पर आईआईसीए के साथ भागीदारी की है। जैसा कि आईआईसीए द्वारा वर्णन किया गया है, इस पोर्टल का सृजन देश के सभी स्वतंत्र निदेशकों तथा स्वतंत्र महिला निदेशकों का केंद्रीय कोष बनाने के उद्देश्य से सृजन किया जा रहा है। डाटा बैंक भारत सरकार का उसकी ई-पठन और स्व:मूल्यांकन को सुकर बनाने की विशेषताओं के साथ अनुमोदित होगा। आईआईसीए ने हित के क्षेत्रों के लिए आईसीएआई के साथ भागीदारी के लिए निवेदन किया है, अर्थात् :

- अधिवक्ता कार्य
- शोध और मामला अध्ययन
- क्षमता निर्माण
- आईडी के निरंतर वृत्तिक विकास हेतु स्व:मूल्यांकन

इस संबंध में, स्वतंत्र निदेशक पोर्टल के लिए आईसीएआई तथा आईआईसीए की भागीदारी के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।

**कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 में प्रस्तावित संशोधन का सार –** कंपनी (संशोधन) विधेयक लोक सभा में 17 मार्च, 2020 को प्रस्तुत किया गया है। विधि का पालन करने वाले कारपोरेटों को बने रहने में अधिक सुगमता को सुकर बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयास को दृष्टिकगत रखते हुए, 18 सितंबर, 2019 को मंत्रालय, उद्योग चैम्बर, वृत्तिक संस्थानों और विधि के क्षेत्र से प्रतिनिधियों से मिलकर बनी कंपनी विधि समिति (सीएलसी) अधिनियम के कुछ और अपराध मुक्त करने तथा देश में निगमों के बने रहने को और सुगम बनाने के लिए अन्य सहवर्ती उपाय करने के लिए गठित की गई। सीएलसी ने अपनी रिपोर्ट नवंबर, 2019 में प्रस्तुत की है। सीएलसी की सिफारिशों तथा सरकार द्वारा आंतरिक पुनर्विलोकन के आधार पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन तुच्छ प्रक्रियागत या तकनीकी त्रुटियों को अपराध मुक्त करके सिविल दोष मानने के लिए, अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का संशोधन करने का प्रस्ताव है और न्यायालयों में मामलों के कुल लंबन पर विचार करते हुए व्यतिक्रम के मामलों में अपराध तत्व को हटाने के लिए एक सिद्धांत आधारित उपागम अंगीकार किया गया, जिसे वस्तुनिष्ठ रूप से निर्धारित किया जा सकता है और जिसमें अन्य कपट का तत्व नहीं है या वृहद लोक हित अंतर्वलित नहीं है। इसके अतिरिक्त, सरकार अधिनियम के कतिपय अन्य संशोधनों के माध्यम से निगमों के बने रहने में अधिक सुगमता प्रदान करने का प्रस्ताव करती है। विधेयक में 64 संशोधन हैं तथा उत्पादक कंपनी या लघु कंपनियों के लिए कम शास्ति का प्रावधान किया गया है। कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 में प्रस्तावित संशोधनों का सार आईसीएआई की वेबसाइट पर है।

**एमसीए ई-प्ररूप एक्टिव (एक्टिव कंपनी टैगिंग एंड वेरिफिकेशन) आईएनसी-22ए की प्रमुख विशेषताओं के प्रसार के संबंध में सचिव, एमसीए के साथ बैठक –** 15 मार्च, 2019 को सचिव एमसीए के साथ एमसीए ई-प्ररूप एक्टिव (एक्टिव कंपनी टैगिंग एंड वेरिफिकेशन) आईएनसी-22ए की प्रमुख विशेषताओं के प्रसार के संबंध में बैठक की गई, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि अच्छे निगम शासन के लिए इस प्रकार की स्कीमों को अनिवार्य बनाना आवश्यक है।

**सीपीएसई की संपरीक्षा समिति के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहयोग –** लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) ने आईसीएआई को डीपीई के साथ सहयोग करके सीपीएसई की संपरीक्षा समिति के सदस्यों के लिए 2019-20 के दौरान क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निवेदन किया है । इस संबंध में, 3 घंटे प्रतिदिन, 3 दिन के लिए समिति ने वेबीनार आयोजित करने का निश्चय किया, जिसके लिए संपरीक्षकों की सहज समझ के लिए अभ्यावेदन तैयार किए जा सकते हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई संपरीक्षा जांच सूची पूर्व वेबीनार तैयारी के रूप में इस प्रकार की वेबीनारों के लिए भी निर्दिष्ट की जा सकती है।

**(IV) प्रकाशन और अन्य :**

- स्पाइस+ के माध्यम से कंपनियों के आसान निगमन पर तकनीकी गाइड
- निगम शासन दृष्टिकोण से स्वतंत्र निदेशकों के प्रावधानों पर तकनीकी गाइड।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रभाग-I, गैर भारतीय लेखांकन मानक अनुसूची III पर मार्गदर्शक टिप्पण (पुनरीक्षित जुलाई, 2019 संस्करण)
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रभाग-2, गैर भारतीय लेखांकन मानक अनुसूची III पर मार्गदर्शक टिप्पण (पुनरीक्षित जुलाई, 2019 संस्करण)
- कंपनी अधिनियम, 2013 पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न – पुनरीक्षित जुलाई, 2019 संस्करण
- एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग III पर मार्गदर्शक टिप्पण, जो भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के साथ अनुपालन के लिए अपेक्षित है।
- कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम तथा एलएलपी सैटलमेंट स्कीम, 2020 पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (मूल और उपांतरित)
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रभारों के सृजन या उपांतरण से संबंधित प्ररूपों को भरने के लिए समय में छूट के लिए स्कीम पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

**(V) अन्य पहलें**

- समिति ने वेबकास्ट के दौरान भाग लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्त प्रश्नों पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न तैयार किए और उन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने समिति द्वारा प्रस्तुत एफएक्यू के आधार पर तैयार ई-प्ररूप आईएनसी 22ए पर एफएक्यू जारी किए हैं । एफएक्यू कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर http://mca.gov.in/MinistryV2/active.html लिंक पर दिए गए हैं।
- समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (निगम सामाजिक दायित्व) के संशोधन पर आधारित एफएक्यू तैयार किए हैं।
- समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित किए हैं।
- आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र पर अपलोड किए गए निगम विधियों और निगम शासन समिति के प्रकाशन – आईसीएआई ने आईसीएआई के डिजिटल पठन केंद्र (https://learning.icai.org/elearning), जो एक एकीकृत पठन और नॉलेज ईको-सिस्टम है, पर सदस्य प्रकाशनों के डिजिटाइजेशन को प्रक्रियागत किया है, यह विचार किया गया है कि उक्त प्रकाशनों को आज की तारीख तक अद्यतन जानकारी के साथ उपलब्ध करवाया जाना है। इस संबंध में, वे प्रकाशन, जो सीएलएंडसीजीसी द्वारा जारी किए गए हैं, पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं तथा सदस्यों को देखने के लिए उपलब्ध हैं।

**(VI) कार्यक्रम/सम्मेलन/वेबकास्ट**

- समिति ने 7 लाइव वेबकास्ट/वेबीनार, पश्च कोविड-19 अर्थव्यवस्था और शासन, "आईसीएआई नेतृत्व शिखर सम्मेलन – पश्च कोविड-19 परिदृश्य", कंपनी फ्रेश सेटलमेंट स्कीम, 2020 तथा पुनरीक्षित एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, 2020 का विश्लेषण और मुख्य विशेषताएं, एमसीए ई-फार्म – डीपीटी-3- अनुपपलन और अन्य पहलू, समिति ने कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएं एमसीए – ई-फार्म एक्टिव (सक्रिय कंपनी टैगिंग पहचान और सत्यापन) आईएनसी – 22ए – वर्ष के दौरान अनुपालन और अन्य पहलू।
- समिति ने एमसीए ई-फार्म एक्टिव (सक्रिय कंपनी टैगिंग पहचान और सत्यापन) आईएनसी – 22ए, निदेशकों तथा उच्चाकांक्षी निदेशकों के लिए "प्रभावी बोर्ड गति की" पर सम्मेलन, तमिलनाडु सरकार के आईएएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा वर्ष के दौरान संपूर्ण देश में समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 पर 21 प्रशिक्षण/जागरुकता कार्यक्रम के बारे में जागरुकता के सृजन हेतु संपूर्ण देश में सात कार्यक्रम संचालित किया।

**(VII) कारपोरेट विधियों से संबंधित सदस्यों के वृत्तिक विकास के लिए अद्यतन जानकारी**

समिति वृत्तिक विकास के लिए सदस्यों हेतु नियमित रूप से अद्यतन जानकारी की श्रृंखला जारी करती है, जिसके अंतर्गत कारपोरेट विधियों पर अद्यतन जानकारी भी है। आईसीएआई की वेबसाइट पर 31 मई, 2020 तक अद्यतन 22वें अंक अपलोड किया गया है।

और, कार्यालय द्वारा निम्नलिखित घोषणाएं/विश्लेषण तैयार किए गए हैं तथा अध्यक्ष सीएलएंडसीजीसी से अनुमोदन पर आईसीएआई की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर, 2020 तक इसके वित्तीय विवरण वीसी या ओएवीएम के माध्यम से अनुमोदन करने के लिए बोर्ड बैठक के संचालन हेतु तथा सीएलएंडसीजीसी आईसीएआई द्वारा स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक में स्वतंत्र निदेशक के रजिस्ट्रेशन के लिए और छूट दी गई है।
- समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रभारों के सृजन या उपांतरण से संबंधित फार्म भरने के लिए समय में छूट के लिए स्कीम।
- सीएलएंडसीजीसी आईसीएआई द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग या अन्य आडियो विजुअल साधनों के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने पर स्पष्टीकरण।
- कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए खतरे के कारण कंपनियों द्वारा साधारण और विशेष संकल्पों के पारित करने पर एमसीए द्वारा जारी स्पष्टीकरण तथा असाधारण साधारण बैठक (ईजीएम) आयोजित करने के संबंध में जागरुकता के सृजन हेतु घोषणा।
- सीएलएंडसीजीसी आईसीएआई द्वारा 31 जुलाई, 2020 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(2) के अधीन राइट्स इश्यू खोलने के लिए सूचीबद्ध आस्तियों द्वारा सूचना के प्रेषण के संबंध में एमसीए द्वारा जारी स्पष्टीकरण के संबंध जागरुकता का सृजन करने संबंधी उदघोषणा।
- सीएलएंडसीजीसी आईसीएआई द्वारा 31 जुलाई, 2020 तक समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(2) के अधीन राइट्स इश्यू खोलने के लिए सूचीबद्ध इकाईयों द्वारा नोटिस भेजने पर स्पष्टीकरण।
- सीएलएंडसीजीसी आईसीएआई द्वारा कोविड-19 फैलने को दृष्टिगत रखते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना/परिपत्र/सलाहें।
- एमसीए ने व्यतिक्रमी कंपनियों/एलएलपी को अतिरिक्त फीस में एक बार ही छूट देने के लिए एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, 2020 तथा कंपनी फ्रेश सेंटलमेंट स्कीम, 2020 आरंभ की।
- प्रत्येक वर्ष 30 जून तक ई-फार्म डीआईआर-3 केवाईसी की फाइलिंग के संबंध में एमसीए अधिसूचना का विश्लेषण।
- एक बार रिटर्न 29 जून, 2019 तक डीपीटी-3 प्ररूप की फाइलिंग के संबंध में एमसीए अधिसूचना का विश्लेषण।
- ई-एक्टिव प्ररूप फाइल करने के लिए तारीख 15 जून, 2019 तक विस्तारित करने के संबंध में घोषणा।
- कंपनी (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2019 के प्रावधानों का सार।
- कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के प्रावधानों के संबंध में अधिसूचना तारीख 2 नवंबर, 2018 का सार।

## 5.8 प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी)

**(I) सीबीडीटी को अभ्यावेदन/संवाद**

- अध्यक्ष सीबीडीटी को निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए आय-कर विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख बढ़ाने का निवेदन करते हुए अभ्यावेदन दिया गया।
- भारतीय लागत लेखापाल संस्थान द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) से संबद्ध स्पष्टीकरण में "लेखापाल" की परिभाषा का संशोधन करने का निवेदन करते हुए तारीख 18 जुलाई, 2019 के प्रस्तुत किए गए पत्र के संदर्भ में संस्थान की चिंताओं के संबंध में माननीय वित्त मंत्री को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।
- नए करदाता संबंधी जानकारी (टीपीआई) श्रृंखला ब्रोशरों के सृजन के लिए प्रत्यक्ष करों से संबंधित विषयों/क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आईसीएआई के अंतर्निवेशों के संबंध में सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।
- अध्यक्ष, सीबीडीटी को करदाताओं द्वारा सामना की जा रही अनावश्यक कठिनाईयों के मुद्दे को हल करने के निवेदन के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) से संबद्ध स्पष्टीकरण में "लेखापाल" की परिभाषा का संशोधन करने का निवेदन करते हुए तारीख 2 अगस्त, 2019 के पत्र सं. आईसीएसआई : पीएफपी : 2019 के संदर्भ में संस्थान की चिंताओं के संबंध में वित्त मंत्री को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

- सीबीडीटी को कर संपरीक्षा रिपोर्टें तथा संबंधित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख को 30 सितंबर, 2019 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2019 करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- आय-कर नियम, 1962 के संबंध में आईसीएआई के अंतर्निवेशों के बारे में सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- जम्मू-कश्मीर में अवस्थित निर्धारितियों को विशेष शिथिलताएं उपलब्ध कराने का अनुरोध करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- सीबीडीटी द्वारा प्रत्यक्ष कर विधियों के अधीन अभियोजन के लिए मामलों की पहचान और कार्यवाहियों हेतु प्रक्रिया के संबंध में जारी परिपत्र संख्या 24/2019, तारीख 9.9.2019 के संबंध में आईसीएआई की चिंताओं के बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- प्ररूप सं. 10ख और नियम 17ख में प्रस्तावित संशोधनों की प्रारूप अधिसूचना के संबंध में आईसीएआई के अंतर्निवेशों के बारे में सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- आय-कर नियम, 1962 के संबंध में आईसीएआई के आगे और अंतर्निवेशों के बारे में सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- सीपीसी (टीडीएस) से प्राप्त पत्र के उत्तर में टीडीएस से संबंधित सुझावों के संबंध में सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- प्रत्यक्ष कर विधियों के अधीन अपराधों के शमन के लिए (एक बार उपाय के रूप में) समय की छूट देने के संबंध में 31.12.2019 से कम से कम एक मास तक समय बढ़ाने का निवेदन करने के लिए सीबीडीटी को अभ्यावेदन दिया गया ।
- सीबीडीटी को धारा 206ग – प्रावधान का लागू होना भारत की वन उपज तक सीमित हो – इमारती लकड़ी, जो भारत के बाहर से आयात की जाती है, पर स्रोत पर कर संग्रहण लागू होना अपवर्जित हो, का संशोधन करने का निवेदन करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- सीबीडीटी को अर्थव्यवस्था/कारबार की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए (तेज) मूल्यांकन के मामले में मांग/अनुदान को रोकना जारी करने के लिए की गई मांग के 20 प्रतिशत पूर्व निक्षेप की दर को कम करने का निवेदन करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- माननीय वित्त मंत्री, माननीय वित्त राज्य मंत्री तथा अध्यक्ष, सीबीडीटी को "प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020" में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के अनुरोध के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- सीबीडीटी को प्ररूप 26एएस में पूर्ण कर प्रत्यय के बावजूद अनावश्यक मांग नोटिस जारी करने के संबंध में कठिनाई पर विचार करने के अनुरोध के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- कोरोना वायरस के प्रसार पर विचार करते हुए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 6(1) के विद्यमान उपबंधों से एक बार रोक/ 30 दिन की छूट देने का अनुरोध करने के लिए सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- सीबीडीटी को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 112क के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के कारण करदाताओं को गलत ढंग से दो बार कर चुकाने पर इस मुद्दे को हल करने के लिए विचार करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- "प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020" पर आईसीएआई के मुद्दों/सुझावों को प्रस्तुत करने के संबंध में सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग तथा धारा 194ण के लिए दिशानिर्देशों के मुद्दे के संबंध में आईसीएआई के इनपुट के बारे में सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- सीबीडीटी को 15.06.2020 को बकाया अग्रिम कर की पहली किश्त पर छूट देने पर विचार करने के अनुरोध के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- कोविड-19 के प्रसार के कारण होने वाले प्रक्रियागत और विधिक मुद्दों के संबंध में आईसीएआई के सुझावों के बारे में सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- "प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम/नियम, 2020" तथा उसके अधीन अधिसूचित प्ररूपों पर आईसीएआई के मुद्दों/सुझावों के बारे में सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 12(1)(कग) के अधीन 12कख (नए रजिस्ट्रेशन के लिए प्रक्रिया) के अंतर्गत आवेदन के लिए प्ररूप अधिसूचित करने/जारी करने के अनुरोध के बारे में सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।
- आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन विभिन्न अनुपालनों की अंतिम तारीख को बढ़ाने के अनुरोध के बारे में सीबीडीटी को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।

**(II) मंत्रालय/सीबीडीटी के साथ बैठकें**

- आईसीएआई की प्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष, जिन्हें सीबीडीटी द्वारा गठित समिति का सदस्य नामित किया गया था, की बैठकें बंगलौर और मुंबई में ई-निर्धारण के लिए डाटा संरचना और डाटा अपलोड करने की रुपात्मकता का परीक्षण करने के लिए हुई।
- संयुक्त सचिव (टीपीएल) – II, सीबीडीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के साथ आय-कर नियम, 1962 पर आईसीएआई के इनपुट प्रस्तुत करने के बारे में चर्चा के संबंध में बैठक हुई।
- आईसीएआई के प्रतिनिधियों की संयुक्त सचिव (टीपीएल)-II, सीबीडीटी, नार्थ ब्लॉक के साथ 18.10.2019 को बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड मूल्यांकक की संकल्पना के संबंध में हुई।
- अध्यक्ष, आईटीएटी के साथ 10.12.2019 को आईटीएटी दिल्ली में आईटीएटी के संस्थापना दिवस के उत्सव के संबंध में आईसीएआई से सहयोग प्राप्त करने तथा आईटीएटी के नए सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु पृष्ठभूमि सामग्री तैयार करने के बारे में बैठक हुई।

**(III) संघीय बजट के बारे में क्रियाकलाप**

- बजट पूर्व ज्ञापन, 2019 की प्रस्तुति
- बजट पश्च ज्ञापन, 2019 की प्रस्तुति
- बजट पूर्व ज्ञापन, 2020 की प्रस्तुति
- बजट पश्च ज्ञापन, 2020 की प्रस्तुति

**(IV) अन्य पहलें**

- आय-कर विभाग के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपेक्षित डाटा को साझा किया।
- श्री आत्म साहू, उप निदेशक, सीएल-V अनुभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एचक्यू) से प्राप्त ई-मेल का उत्तर दिया।
- निगम विधियां और निगम शासन समिति को प्रस्तुत सीएसआर क्रियाकलापों के लिए प्रत्यक्ष कर लाभ (निगम सामाजिक दायित्व पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट, 2018 (अगस्त, 2019)) पर इनपुट निगम विधि और निगम शासन समिति को प्रस्तुत किए गए।
- समिति द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर आठ लाइव वेबकास्ट आयोजित की गई जैसे कि आय-कर पदधारियों के साथ प्ररूप 24थ में टीडीएस विवरण फाइल करने वाले टीडीएस कटौतीकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण तथा प्ररूप 16 के भाग ख में नए परिवर्तन, संघीय बजट 2019-20 के कर प्रस्तावों की प्रारंभिक विशेषताएं, आय-कर रिटर्न फॉर्म को समझना और ई-फाइलिंग, चेहरा रहित ई-निर्धारण – मुद्दे और चुनौतियां, संघीय बजट 2020-21 के कर प्रस्तावों की विशेषताएं, एनआरआई कराधान – नए संशोधन – विश्लेषण और प्रभाव, विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 – मुद्दे और चुनौतियां तथा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020।
- 18 जून, 2020 से 22 जून, 2020 तक आईसीएआई की प्रत्यक्ष कर समिति द्वारा आयोजित आय-कर अपील कार्यवाहियों पर आनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।
- सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रत्यक्ष कर से संबंधित विषयों जैसे परिपत्र, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, आदेश आदि पर आईसीएआई वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन करना।
- समिति सीबीडीटी द्वारा महत्वपूर्ण परिपत्रों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियां, आदेश आदि का सीए जर्नल में मासिक योगदान करती है।
- समिति ने वर्ष के दौरान 19 सेमीनार/सम्मेलन/कर जागरुकता कार्यक्रम/कार्यशाला/व्याख्यान आयोजित किए।

**5.9 आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और आर्थिक सलाह संबंधी समिति (सीईसीएलएंडईए)**

- विभिन्न सरकारी प्राधिकारियों/विनियामकों को अभ्यावेदन :

  यूडीआईएन समेत सीए प्रमाणपत्र के लिए पृथक् प्ररूप के संबंध में अध्यक्ष ओडिशा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

- मार्गदर्शक टिप्पण/तकनीकी मार्गदर्शिका/प्रकाशन आदि

  अविनियमित निक्षेप पाबंदी स्कीम अधिनियम, 2019 पर सदस्यों की विशेषज्ञता के दायरे को विस्तृत करने के प्रयास में, समिति ने "अविनियमित निक्षेप पाबंदी स्कीम अधिनियम, 2019 पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न" शीर्षक पर ई-प्रकाशन जारी किया।

- भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी अध्ययन समूह

समिति ने "भारतीय अर्थव्यवस्था पर अध्ययन समूह" का गठन कोविड-19 से उत्पन्न समस्या को हल करने तथा कारबार करने की सुगमता में वृद्धि करके भारत को प्रतिस्पर्धात्मक और आकर्षक निवेश स्थान बनाने संबंधी रिपोर्ट तैयार करने तथा उसे सरकार को प्रस्तुत करने के लिए किया ।

- संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला/वेबकास्ट

  इस अवधि के दौरान, विभिन्न वाणिज्यिक और आर्थिक विधियों, जिनके अंतर्गत फेमा, बेनामी विधि, पीएमएलए हैं, भू-संपदा परियोजनाओं के विशेष संदर्भ के साथ भारत में साधारण वित्तपोषण परिदृश्य, कोविड प्रोत्साहन पैकेज के अधीन एमएसएमई की वित्तीय सहायता आदि पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

- धन शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

  समिति ने मुंबई, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता, बंगलूरू और हैदराबाद में 2019-20 के दौरान धन शोधन निवारण विधियों (धन शोधन निवारण विशेषज्ञ) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 9 बैच सफलतापूर्वक आयोजित किए ।

- एडीआर (माध्यस्थम्, मध्यक्ता, सुलह) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

  समिति ने मुंबई और नोएडा में 2019-20 के दौरान एडीआर (माध्यस्थम्, मध्यक्ता, सुलह) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 2 बैच सफलतापूर्वक आयोजित किए ।

**5.10 अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी)**

सूचना शासन, नियंत्रण, सुरक्षा और संपरीक्षा वृत्तिकों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए आईसीएआई ने वर्ष 2018 में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति (सीआईटी) का अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी) में विलयन कर दिया था । डीएएबी अपने लेखांकन तथा आश्वासन के संबंध में प्रौद्योगिकी के प्रभाव से संबंधित मुद्दों पर प्रास्थिति पत्रों और लेखों के माध्यम से ज्ञान का आधार विकसित कर रहा है । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट संबंधी प्रक्रिया स्वचालन, ब्लॉकचेन, क्लाउड संगणना और लेखांकन तथा आश्वासन संबंधी वृहद डाटा के भावी प्रभावों के संबंध में अवधारणा पत्रों को तैयार करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है । इसका प्रयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उनके ज्ञान में विस्तार करने और आज के डिजीटल युग में नए क्षेत्रों में उनके कौशलों को विकसित करने में सहायता करना है ।

**महत्वपूर्ण उपलब्धियां :**

**(I) जारी किए गए प्रकाशन**

- **लेखापालों के लिए क्लाउड संगणना संबंधी गाइड**

  क्लाउड संगणना, उसे लागू करने संबंधी माडलों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए क्लाउड संगणना के परिदृश्य में संभाव्य चिंताएं और अवसरों पर आधारिक अवधारणाओं के संबंध में उपयोगी अंतर्निवेश उपलब्ध कराती है ।

- **वृत्तिक लेखांकन फर्मों के लिए डिजीटल सक्षमता परिपक्वता माडल (डीसीएमएम) – पाठ 2.0 और कार्यान्वयन गाइड**

  इस नए पाठ में लेखांकन फर्मों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गीकरण संबंधी लेखा विषय और प्रवीणता तथा उत्पादकता संबंधी अभिलाभों को प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली संबद्ध प्रौद्योगिकी को विचार में लिया गया है । इसमें उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंध में एक नए खंड को भी सम्मिलित किया गया है और यह प्रत्येक खंड के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराती है ।

- **रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन संबंधी ई-पठन**

  इस प्रकाशन में कार्यान्वयन जीवन चक्र, आरपीए प्रदाय सामर्थ्य, प्रक्रियाओं का मूल्यांकन तथा वित्त और लेखांकन में मामलों के उपयोग को सम्मिलित किया गया है । यह ई-पठन आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर उपलब्ध है ।

- **लेखांकन वृत्तिकों के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी आधारिक जानकारी के संबंध में ई-पठन**

  इस प्रकाशन में साइबर सुरक्षा संबंधी अवधारणाओं और उपकरणों को सम्मिलित किया गया है । इसमें, इस मुद्दें पर परिचर्चा को भी सम्मिलित किया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किस प्रकार अपने व्यवसाय की साइबर सुरक्षा संबंधी खतरों से सुरक्षा कर सकते हैं साथ ही इसमें मामला अध्ययनों को भी सम्मिलित किया गया है ।

- **माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में डाटा समेकन और विश्लेषण संबंधी सिमुलेशन वीडियो और साथ ही "शो मी" तथा "ट्राई मी" दृष्टिकोण**

**(II) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के प्रति पहलें**

- बोर्ड ने, भारतीय निगम विधिक सेवा (आईसीएलएस) अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए "न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम", भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पदधारियों के लिए कपट और न्यायालयीन संबंधी कार्यक्रम, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के अधिकारियों के लिए कपट और न्यायालयीन संबंधी कार्यक्रम और तेलंगाना राज्य सरकार के आईएएस और वरिष्ठ पदधारियों के लिए मानेसर, हैदराबाद, गुरुग्राम और दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सत्रों का आयोजन किया था ।

- आईओसीएल अधिकारियों हेतु वृत्तिक लेखापालों संबंधी ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी से संबंधित आईसीएआई का पाठ्यक्रम।

**(III) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन**

- लेखापालों और संपरीक्षकों की यूरोपीय फेडरेशन (ईएफएए) ने आईसीएआई के डीएएबी द्वारा जारी "वृत्तिक लेखांकन फर्मों के लिए डिजीटल सक्षमता परिपक्वता माडल (डीसीएमएम) – पाठ 1.0" को अपनाया है, जिससे उसके एक अद्यतन पाठ को तैयार करके उसका यूरोप में प्रचार-प्रसार किया जा सके।

  अध्यक्ष, डीएएबी ने "ईएफएए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 – डिजीटल व्यवहार को तैयार करना" विषय पर 27 जून, 2019 को एमस्टरडैम में आयोजित सम्मेलन में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें ईएफएए सक्षमता और परिपक्वता माडल का शुभारंभ किया गया था और इस प्रकार आईसीएआई के योगदान हेतु आभार व्यक्त किया गया था।

- इंग्लैड और वेल्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएईडब्ल्यू) के साथ वित्तीय और लेखांकन में स्वचालन के विषय पर संयुक्त अनुसंधान।

- दोहा, दुबई और बहरीन में "वृत्तिक लेखापालों के लिए ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी संबंधी आईसीएआई के पाठ्यक्रम" का आयोजन किया गया था।

- वर्ष के दौरान, डिजीटल लेखांकन वृत्ति 2.0, डाटा विश्लेषण और कारबार बुद्धिमता के संबंध में केएनआईएमई का उपयोग करते हुए, आधुनिक एक्सेल (डाटा विश्लेषण), न्यायालयीन विश्लेषण, सीएएटी उपकरणों का उपयोग करते हुए, आईएस संपरीक्षा संबंधी व्यवहारिक गाइड, डीआईएसए 3.0 कार्यान्वयन, त्वरित अवलोकन – डीआईएसए पाठ्यचर्या 2.0 तथा आईएसए एटी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दू, डाटा विश्लेषण सीबीएस फाइलों संबंधी सिमुलेशन, व्यवसायरत फर्मों के लिए स्व:निर्धारण उपकरणों संबंधी विभिन्न राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं/कार्यक्रमों/सत्रों/शिखर बैठकों / संगोष्ठियों/वेबीनारों का हैदराबाद, कानपुर, इंदौर, अहमदाबाद, पटना और नई दिल्ली में आयोजन किया गया था।

- पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/वर्चुअल सीपीई बैठक – सीएएटी उपकरणों का उपयोग करते हुए आधुनिक एक्सेल और डाटा डैशबोर्ड/वीसीएम-डाटा विश्लेषण/आईएसए के लिए व्यवहारिक गाइड/माइक्रोसाफ्ट एक्सेल पावर उपकरणों और पावर बीआई के साथ डाटा विश्लेषण और विजुलाइजेशन संबंधी सत्रों का आयोजन।

- डीआईएसए पात्रता परीक्षा और एफएएफडी निर्धारण परीक्षा का पहली बार आनलाइन संचालन । इसके अतिरिक्त, आईसीएआई डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से पहली बार आंतरिक आनलाइन एफएएफडी निर्धारण परीक्षा का आयोजन भी किया गया था।

- डिजीटल व्यवहार वेबीनार श्रृंखला
  - लेखापालों के लिए साइबर सुरक्षा – अवधारणाएं और उपकरण
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग शेपिंग फिनटेक लैंडस्केप

- 5 दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/वर्चुअल सीपीई बैठक - माइक्रोसाफ्ट एक्सेल पावर उपकरणों और पावर बीआई के साथ डाटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन संबंधी सत्रों का आयोजन।

**(IV) वृत्तिक लेखापालों के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी**

बोर्ड ने वृत्तिक लेखापालों के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी संबंधी एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को आरंभ किया है, जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी की प्रस्तावना को प्रस्तुत करेगा और विभिन्न उद्योगों में उपयोग संबंधी मामलों को विकसित करेगा। यह पाठ्यक्रम पारदर्शी लेखांकन प्रणाली को समर्थ बनाने में नवीनता लाए जाने के निबंधनानुसार तथा वर्तमान लेखांकन व्यवहारों को पूर्णता परिवर्तित करने की भी संभावना को विचार में लेते हुए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के भविष्य को समाविष्ट करता है। बोर्ड ने वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक इस पाठ्यक्रम के 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

**(V) सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम**

बोर्ड द्वारा संचालित सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम (डीआईएसए) को वर्ष 2001 में सूचना प्रणाली संपरीक्षा के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के कौशल में वृद्धि करने के लिए आरंभ किया गया था, जिसके संबंध में मांग बढ़ती जा रही थी। डीआईएसए पाठ्यक्रम ने प्रौद्योगिकी, सूचना संबंधी आश्वासन और सूचना प्रबंध संबंधी विशेषज्ञता को संयोजित किया था, जिसने डीआईएसए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों को विश्वसनीय सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार और सूचना सुरक्षा आश्वासन सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में विकसित होने में समर्थ बनाया। वर्ष 2001 से आज की तारीख तक 29,000 से अधिक सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को अर्हित किया है। डीआईएसए का संचालन श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान और नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के लिए भी किया गया था। डीआईएसए अर्हता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में पृष्ठांकित करने के विचार से बोर्ड अमेरिकन नेशनल स्टैडर्ड्स इंस्टीट्यूट्स (एएनएसआई) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कर रहा है। अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड ने सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अपने अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को भी अद्यतन किया था। वर्ष के दौरान कुल 105 बैचों का आयोजन किया गया था।

- 1 जुलाई, 2020 को सीए दिवस के अवसर पर सूचना प्रणाली संपरीक्षा के पुनरीक्षित पाठ्यक्रम (डीआईएसए 3.0) का शुभारंभ किया गया था।
- डीआईएसए 3.0 के लिए सभी संकाय सदस्यों को पुनरीक्षित पाठ्यचर्या से अवगत कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षु को प्रशिक्षित करने संबंधी छह दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

**(VI) न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

बोर्ड, "न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" का संचालन करता है और आज की तारीख तक लगभग 6400 सदस्यों ने इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया है। इस विशेषीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों की, लेखांकन, संपरीक्षा, सीएएटी/डाटा माइनिंग उपकरणों संबंधी कौशलों और कपट/त्रुटियों का पता लगाने संबंधी अन्वेषणात्मक कौशलों को अर्जित करने में सहायता करना है। वर्ष के दौरान इसके कुल 55 बैचों का आयोजन किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान बोर्ड ने वर्चुअल पद्धति के माध्यम से एफएएफडी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 14 बैचों का आयोजन किया है, जिनमें 1200 से अधिक सदस्यों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा किया था।

**(VII) बोर्ड द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंध में कार्यशालाओं/शिखर सम्मेलनों/ प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन**

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने 25 से अधिक उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंध में कार्यशालाओं/शिखर सम्मेलनों/ प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया था।

**(VIII) वित्तीय न्यायालयीन संपरीक्षा और कपट संबंधी अन्वेषणों में संयुक्त समुन्नत व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आईसीएआई और गुजरात न्यायालयीन विज्ञान विश्वविद्यालय (जीएफएसयू) के बीच समझौता ज्ञापन**

बोर्ड ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए वित्तीय न्यायालयीन संपरीक्षा और कपट संबंधी अन्वेषणों में समुन्नत व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन करने हेतु गुजरात न्यायालयीन विज्ञान विश्वविद्यालय (जीएफएसयू), गांधीनगर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

**5.11 नैतिक मानक बोर्ड (ईएसबी)**

लेखांकन वृत्ति में नैतिकता अत्यंत मूल्यवान है। यह ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा पर विश्वास रखते हैं। इस क्षेत्र में पणधारियों की संख्या काफी अधिक है – चार्टर्ड अकाउंटेंट समाज के प्रत्येक सदस्य के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई न कोई संबंध अवश्य रखते हैं और यहां से संस्थान के नैतिक मानक बोर्ड की भूमिका आरंभ होती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य वृत्तिक आचार का निष्कपट रूप से पालन करते हैं।

यद्यपि, लेखांकन वृत्ति और नैतिकता का संबंध लेखांकन वृत्ति जितना पुराना ही है, फिर भी संस्थान की परिषद् ने, सदस्यों के लिए नैतिकता के ऐसे सिद्धांतों को तैयार करने, जो जनता में विश्वास बनाए रखने की गारंटी प्रदान करने जितने कठोर हों, के प्रमुख उत्तरदायित्व के साथ 1976 में नैतिक मानक बोर्ड का गठन किया था।

नैतिक मानक बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नैतिक मानकों और अन्य उदघोषणाओं को तैयार करता है तथा जारी करता है। यह उत्कृष्टता, स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा के दीर्घकालिक नैतिक आदर्शों को अक्षुण्ण रखते हुए और साथ ही सदस्यों के सम्मान और हितों की संरक्षा करने के लिए तथा सदस्यों हेतु एक क्रियाशील और समकालीन नैतिक संहिता और नैतिक व्यवहार को तैयार करने का कार्य करता है।

नैतिक मानक बोर्ड का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नैतिक मानक निर्धारित करना, स्थानीय विधियों के अधीन रहते हुए उन्हें नैतिकता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के साथ अभिसरित करना और इस प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और संगतता में अभिवृद्धि करना और जनता में वृत्ति के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करना है।

सदस्यों के लिए नैतिक सिद्धांतों की विरचना करने के अतिरिक्त, बोर्ड उसे निर्दिष्ट किए जाने वाले नैतिक मुद्दों की समीक्षा भी करता है और उनके संबंध में सलाह भी प्रदान करता है। यह समय-समय पर सदस्यों के लिए 'नैतिक संहिता' का पुनर्विलोकन करता है और उसके पुनरीक्षित संस्करणों का प्रकाशन करता है। बोर्ड के अन्य प्रकाशनों, अर्थात् 'नैतिक मुद्दों संबंधी एफएक्यू' और 'स्वतंत्र संपरीक्षकों संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण' को भी समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता है। बोर्ड सदस्यों की ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, सक्षमता और वृत्तिकता के संबंध में जनता में जागरुकता और विश्वास का संवर्धन करता है। यह सदस्यों की, किसी अस्तित्व के संपरीक्षकों के रूप में उन्हें अनुचित रूप से हटाए जाने संबंधी शिकायतों के संबंध में तैयार की गई प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करता है और सदस्यों के हितों की संरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है। नैतिक मानक बोर्ड अपने निर्देश निबंधनों का प्रत्येक दो वर्षों में पुनर्विलोकन करता है।

बोर्ड सदस्यों को दिन-प्रतिदिन की परिस्थितियों में उनके समक्ष आने वाले वृत्तिक मुद्दों के संबंध में सलाह भी प्रदान करता है। सदस्य नैतिक सुविधा केंद्र, ई-सहायता, ट्विटर, ई-मेल और पत्रों के माध्यम से बोर्ड तक पहुंच बना सकते हैं। बोर्ड का www.icai.org पर अपना एक वेब पृष्ठ भी है और साथ ही उसका एक पृथक् पोर्टल भी है, अर्थात् esb.icai.org।

**महत्वपूर्ण उपलब्धियां**

नैतिक संहिता के 12वें संस्करण को जारी किया गया है। पुनरीक्षित नैतिक संहिता संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे पहली बार तीन जिल्दों में विभाजित किया गया है। नैतिक संहिता 2009 (11वां संस्करण) में दो भाग, अर्थात् भाग "क" और भाग "ख"

सम्मिलित थे, भाग "क" अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स नैतिक मानक बोर्ड द्वारा जारी नैतिक संहिता पर आधारित था जबकि भाग ख संस्थान के सदस्यों को शासित करने वाले घरेलू उपबंधों पर आधारित था। भाग क के पुनरीक्षित तत्समान भाग को पुनरीक्षित संहिता की जिल्द 1 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो आईईएसबीए नैतिक संहिता, 2018 संस्करण पर आधारित है। भाग ख के पुनरीक्षित तत्समान भाग को पुनरीक्षित संहिता की जिल्द 2 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। जिल्द 3 में मामला विधि संदर्भिका सम्मिलित है और इसके अतिरिक्त उसमें अनुशासन संबंधी अद्यतन मामला विधियों को भी अंतर्विष्ट किया गया है, जो पूर्व में नैतिक संहिता के भाग ख में टीका-टिप्पणियों के रूप में विद्यमान थी। पुनरीक्षित नैतिक संहिता का यह संस्करण 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी है।

**नैतिक मानक बोर्ड द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण**

- किसी ऐसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, जिसकी कर संपरीक्षा किसी एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म द्वारा की जाती है, के लिए यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि वह उस एकमात्र स्वामी के पुत्र के कारबार समुत्थान की संपरीक्षा करे।
- सदस्यों के लिए आय-कर विवरणियों की ई-फाइलिंग के प्रयोजन के लिए और अन्य सेवाओं हेतु आनलाइन पोर्टल आरंभ करना अनुज्ञेय नहीं होगा।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड 7 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" पदनाम को अनुज्ञेय समझा जाएगा किंतु किसी संक्षिप्त नाम चाहे कोई भी हो, का उपयोग अनुज्ञेय नहीं होगा।
- व्यवसायरत किसी सदस्य के लिए यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि वह अपनी संचयित पूंजी की विशेष निधियों पर ब्याज अर्जित करने के लिए ऋण प्रदान करे क्योंकि यह किसी अन्य व्यवसाय/कारबार के समतुल्य होगा। सदस्य, यदि वह ऐसा करने की वांछा करता है तो उसे इस संबंध में परिषद् की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करनी चाहिए।
- कोई व्यवसायरत सदस्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन किसी सहकारी प्रत्यय और मितव्यय सोसाइटी का "निदेशक साधारण" बन सकेगा बशर्ते वह उसके भागीदार के रूप में कार्य न कर रहा हो।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग 1 के खंड (11) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यवसायरत सदस्य के लिए यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज में डेरीवेटिव संव्यवहारों को करे क्योंकि यह किसी प्रकार का कोई निवेश नहीं है अपितु यह एक कारबार के समान है।
- व्यवसायरत सदस्यों के लिए किसी राजनैतिक दल में कार्यपालक सदस्य/ किसी पदधारक का मानदेय पद धारण करना अनुज्ञेय होगा।
- संस्थान के साथ अरजिस्ट्रीकृत किसी भागीदारी फर्म के लिए यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि वह कोई वृत्तिक समनुदेशन प्राप्त करे चाहे वह केवल व्यवसायरत सदस्यों से मिलकर ही बनी हो।
- किसी सदस्य के लिए यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि वह ऐसा कोई प्रमाणन संबंधी समनुदेशन पूरा करे, जिसमें उसका ग्राहक सदस्य का कोई नातेदार है। इस प्रयोजन के लिए "नातेदार" पद की परिभाषा वह होगी, जिसे लेखांकन मानक (एएस) – 18 में उल्लिखित किया गया है।
- सदस्यों के लिए यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि वह शेयर ट्रेडिंग में संलिप्त हों, तथापि, वे निवेश के प्रयोजन के लिए शेयरों को धारण कर सकते हैं।

## 5.12 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी)

ईएसी का गठन संस्थान द्वारा वर्ष 1975 में संस्थान के सदस्यों और अन्य पणधारियों को सलाहकारी सेवा नियमों के अनुसार लेखांकन, संपरीक्षा और संबद्ध विषयों में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु किया गया था। लेखांकन वृत्तिक प्राय: वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित दुरुह और जटिल मुद्दों में उलझ जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) संस्थान के सदस्यों से प्राप्त होने वाली शंकाओं के संबंध में उत्तर प्रदान करती है।

समिति द्वारा दी गई रायों को, रायों के सार-संग्रह के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अभी तक, रायों के सार-संग्रहों की 36 जिल्दों का प्रकाशन किया गया है। विभिन्न पणधारियों की आशाओं के अनुरूप विशिष्ट रूप से उत्तम लेखांकन और संपरीक्षा व्यवहारों को सुदृढ़ बनाने में ईएसी की भूमिका सदैव ही महत्वपूर्ण रही है।

### (I) विशेषज्ञ राय

समिति विनिर्दिष्ट स्थितियों/परिस्थितियों में लेखांकन और/या संपरीक्षा संबंधी सिद्धांतों से संबंधित मुद्दों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर राय के रूप में उपलब्ध कराती है। तथापि, यह ऐसे प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध नहीं कराती है, जिनमें विभिन्न अधिनियमितियों का विधिक निर्वचन अंतर्वलित होता है। समिति इस प्रयोजन के लिए विरचित सलाहकार सेवा नियमों के अनुसार प्रश्नों को स्वीकार करती है। समिति ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर उपलब्ध नहीं कराती है, जो संस्थान की अनुशासन समिति, विधि के किसी न्यायालय, आय-कर प्राधिकरणों या सरकार के किसी अन्य विभाग के समक्ष लंबित मामले से संबंधित हैं। ये नियम आईसीएआई की वेबसाइट पर http://www.icai.org/new_category.html?c_id=142 हाइपर लिंक के अधीन उपलब्ध हैं या उन्हें नई दिल्ली स्थित संस्थान के प्रधान कार्यालय से अभिप्राप्त किया जा सकता है।

ईएसी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की विनियामकों और अन्य शासकीय प्राधिकारियों, जैसे कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) आदि द्वारा अनुशंसा की गई है। ये विनियामक/प्राधिकारी उस समय समिति की राय की ईप्सा करते हैं जब लेखांकन और संपरीक्षा सिद्धांतों से संबंधित कोई जटिल मुद्दे उनके समक्ष आते हैं।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा अभिव्यक्त रायें उपलब्ध कराए गए तथ्यों पर आधारित होती हैं और साथ ही उन्हें सुसंगत विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा प्रश्न पूछे जाने की तारीख को विद्यमान लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों को विचार में लेते हुए समिति द्वारा राय को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है।

**(II) वर्ष के दौरान जारी की गई 42 राय**

समिति ने, संस्थान के सदस्यों द्वारा विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर उसे निर्दिष्ट किए गए प्रश्नों के संबंध में 40 रायों को अंतिम रूप प्रदान किया था जैसे कि पट्टाधृत भूमि का परिशोधन, वेतन पुनरीक्षण के लिए उपबंध, स्पेयर्स का वर्गीकरण, एआईएफ द्वारा नकद आधारित लेखांकन, आस्थगित लेखा अतिशेषों का सृजन, लौह अयस्कों की मद सूचियों का मूल्यांकन इंड एएस 115, फीडस्टॉक सहायिकी का प्रकटन के अधीन प्रिंसीपल बनाम अभिकर्ता का वर्गीकरण, खनन पट्टा विलेखों के निष्पादन के मद्दे संदत्त/संदेय स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण प्रभारों का परिशोधन, वारंटी, प्रतिस्थापन, वस्तु सूची और संदेहास्पद ऋणों और दावों के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता प्रदान न करना, निम्नलिखित के संबंध में लेखांकन संबंधी व्यवहार – परियोजना बीमा, कर्मचारी फायदे संबंधी व्यय/किराया संबंधी व्यय/यात्रा संबंधी व्यय/रख-रखाव संबंधी व्यय, जिन्हें किसी परियोजना के संनिर्माण के दौरान उपगत किया जाता है, आरजीजीएलवीवाई के अधीन प्रतिभूति निक्षेप, इंड एएस 109, पट्टाधृत भूमि के अनुसार गैर वित्तीय संविदाओं में अंतर्निहित व्युत्पत्तियां, समर्पित माल-भाड़ा कारीडोर रियायत करार आदि तथा इसके अतिरिक्त विनियामकों/शासकीय प्राधिकारियों से प्राप्त विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर दो राय और तैयार की गई थी।

**(III) "ईएसी द्वारा इंड एएस के अधीन समकालीन मुद्दों पर दी गई राय" विषय पर वेबकास्ट**

ज्ञान और सूचना के प्रसार हेतु तथा सदस्यों और अन्य पणधारियों के बीच प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में और साथ ही समिति द्वारा जारी की गई रायों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने हेतु 15 अप्रैल, 2020 को "ईएसी द्वारा इंड एएस के अधीन समकालीन मुद्दों पर दी गई राय" विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया गया था। इस वेबकास्ट को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई थी, जिसमें कुल 4923 आईपी का उपयोग हुआ था और कुल मिलाकर 15634 दर्शकों ने इसे देखा था।

**(IV) रायों का सार-संग्रह**

सदस्यों के हितों का ध्यान रखते हुए और उनके मार्गदर्शन हेतु ईएसी अपनी रायों को एक प्रकाशन के रूप में प्रकाशित करती है, अर्थात् 'रायों का सार-संग्रह'। अब तक रायों के सार-संग्रह की 36 जिल्दों का प्रकाशन किया गया है और एक जिल्द में किसी एक परिषद् वर्ष के दौरान अंतिम रूप प्रदान की गई राय अंतर्विष्ट होती हैं। इन जिल्दों के पाठकों की संख्या काफी अधिक है और लेखापाल भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय मार्गदर्शन हेतु इन जिल्दों में अंतर्विष्ट रायों का संदर्भ लेते हैं। समिति द्वारा आधुनिक और उपयोक्ता मित्र खोज सुविधा को अंतर्विष्ट करने वाला एक डिजीटल मंच तैयार किया गया है जिसमें इन जिल्दों में अंतर्विष्ट महत्वपूर्ण 1400 रायों को सम्मिलित किया गया है, जिसे समिति द्वारा तैयार किया गया है और संस्थान की वेबसाइट पर https://www.icai.org/new_post.html?post_id=968&c_id=60 हाइपर लिंक के अधीन रखा गया है। इस श्रृंखला में अगली जिल्द, अर्थात् रायों के सार-संग्रह की जिल्द 37 का संकलन किया जा रहा है और इसे शीघ्र ही जारी किए जाने की संभावना है।

समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गई ऐसी कुछ रायों को, जो साधारण रूप से वृत्ति हेतु संगत हैं, संस्थान के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' में प्रकाशित किया जाता है। समिति द्वारा हाल ही में दी गई कुछ रायों को संस्थान की वेबसाइट पर भी रखा जाता है।

**5.13 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी)**

आईसीएआई, वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों में सुधार लाने के अपने प्रयासों के भागरूप में एफआरआरबी के माध्यम से विभिन्न उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करता है। बोर्ड का उद्देश्य उत्तम वित्तीय रिपोर्टिंग की परिस्थितियों को बनाए रखना और साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तम शासन में पारदर्शिता का संवर्धन करना भी है, जो संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में निवेशकों के विश्वास के संवर्धन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोर्ड विभिन्न विनियामकों, अर्थात् एमसीए, सेबी, ईसीआई और अन्य विनियामकों की, समय-समय पर उनके द्वारा निर्दिष्ट मामलों का पुनर्विलोकन करके सहायता करता है।

**(I) वर्ष की उपलब्धियां :**

किए गए पुनर्विलोकन (स्व:विवेकानुसार चुने गए या शेष मामलों के रूप में लिए गए मामलों का पुनर्विलोकन) – इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने स्वविवेकानुसार चुने गए या विशेष मामले के रूप में 84 मामलों का पुनर्विलोकन किया था। इसके अंतर्गत, 20 ऐसे वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन, जिन्हें विशेष मामलों के रूप में लिया गया था और साथ ही इंड एएस वित्तीय विवरणों के 9 मामलों का भी पुनर्विलोकन किया गया था।

**(II) समाज के प्रति योगदान तथा राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता**

विनियामकों का समर्थन करने के अपने प्रयास में बोर्ड द्वारा इस अवधि के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण समनुदेशनों को पूरा किया गया था :

- विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट मामलों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति
  - भारत निर्वाचन आयोग ने एफआरआरबी द्वारा पूर्व वर्षों में विभिन्न राजनैतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं के पुनर्विलोकन में निभाई गई भूमिका की सराहना की थी और साथ ही राजनैतिक दलों के संपरीक्षकों के लिए आयोजित की गई एक कार्यशाला की भी अनुशंसा की थी। आयोग ने एफआरआरबी से पुन: यह अनुरोध किया है कि वह कम से कम छह राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और मान्यताप्राप्त दलों के, जिनकी वार्षिक आय/व्यय दस करोड़ रुपए से अधिक है, वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन करे। तदनुसार, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 से संबंधित 15 राजनैतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन किया है।
  - वर्ष के दौरान, बोर्ड ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मीडिया में आने वाली रिपोर्टों और प्राप्त हुए अन्य प्रतिनिर्देशों के आधार पर उसे निर्दिष्ट किए गए विभिन्न उद्यमों के 14 साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों (विशेष मामलों के रूप में) का पुनर्विलोकन भी किया है।
  - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) से प्राप्त परिसमापनाधीन कंपनियों की सूची के आधार पर बोर्ड ने चुनी गई 25 सूचीबद्ध कंपनियों का भी पुनर्विलोकन किया है।
  - भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से आईसीएआई को ऐसी सीए फर्मों की एक सूची प्राप्त हुई थी जिनकी "पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के संपरीक्षकों के रूप में असंतोषप्रद कार्यपालन" के रूप में पहचान की गई थी और जिन्हें सलाह जारी की गई थी या उन फर्मों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। बोर्ड ने ऐसे 5 समुत्थानों के एक साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन किया था, जिनके लिए सीएंडएजी ने संपरीक्षा फर्म को सलाह जारी की थी।

**(III) प्रकाशन : जर्नल में लेख**

बोर्ड ने, पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए अननुपालनों के संबंध में संस्थान के सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को अवगत कराने के विचार से, विभिन्न लेखांकन मानकों से संबंधित 'रिपोर्टिंग बाध्यताओं का अननुपालन' विषय से संबंधित लेखों की एक श्रृंखला का जर्नल में प्रकाशन आरंभ किया था। इस दिशा में, एएस 2 : वस्तु सूचियां, एएस 3 : नकद प्रवाह विवरण, एएस 15 : कर्मचारियों के फायदे, एएस 18 : संबद्ध पक्षकार प्रकटनों, एएस 22 : आय पर करों संबंधी लेखांकन, कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, एएस 5 : अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, लेखांकन नीतियों में पूर्व अवधि मदें और परिवर्तन, एएस 9 : राजस्व की मान्यता, एएस 11 : विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों का प्रभाव, एएस 20 : प्रति शेयर उपार्जन, एएस 13 : निवेशों के लिए लेखांकन और एएस 26 : अर्मूत आस्तियों से संबंधित 'रिपोर्टिंग बाध्यताओं का अननुपालन' विषय से संबंधित 8 लेखों को संस्थान के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के क्रमश: अप्रैल, 2019, मई, 2019, जून, 2019, अगस्त, 2019, सितंबर, 2019, अक्तूबर, 2019, नवंबर, 2019 और दिसंबर, 2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया है।

**(IV) सदस्यों को सशक्त करना और सक्षमता निर्माण**

लेखांकन मानकों, संपरीक्षा संबंधी मानकों और अन्य वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं में होने वाले नवीनतम परिवर्तनों और साथ ही सदस्यों के ज्ञान और कौशल में अभिवृद्धि करने के लिए इस अवधि के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए थे :

- **सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों से संबंधित वेबकास्ट –** बोर्ड ने, नियमित आधार पर बोर्ड द्वारा वित्तीय विवरणों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों के संबंध में वेबकास्टों की एक श्रृंखला का आयोजन आरंभ किया। इसे ध्यान में रखते हुए एएस 15, एएस 3, एएस 2, एएस 18, कंपनी अधिनियम, 2013, एएस 22, सीएआरओ, एएस 5, एएस 9, एएस 11, एएस 20, एएस 13 और एएस 26 के संबंध में सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालनों के संबंध में 9 लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया गया था, जिनमें बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया था।
- **लेखांकन मानकों को लागू करने में सामान्य रूप से पाई जाने वाली त्रुटियों से संबंधित वेबीनार –** लेखांकन मानकों को लागू करने के संदर्भ में, लेखांकन मानकों के अधीन विवरण तैयार करने में सामान्य रूप से विभिन्न त्रुटियां पाई जाती हैं। तदनुसार, "लेखांकन मानकों को लागू करने में सामान्य रूप से पाई जाने वाली त्रुटियों" से संबंधित एक वेबीनार का आयोजन एएसबी के साथ संयुक्त रूप से 15-18 जून, 2020 के दौरान किया गया था, जिससे आईसीएआई के सदस्यों के लेखांकन मानकों को लागू करने के क्षेत्र में ज्ञान की अभिवृद्धि की जा सके।
- **तकनीकी पुनर्विलोककों को पैनलबद्ध करना –** इंड एएस आधारित वित्तीय विवरणों का ब्यौरेवार पुनर्विलोकन करने के लिए बोर्ड ऐसे और अधिक तकनीकी पुनर्विलोककों को पैनलबद्ध करने के लिए कार्यवाही कर रहा है, जिनके पास इंड एएस (आईएफआरएस) में विशेषज्ञता है।

**5.14 जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति (जीएसटी एंड आईटीसी)**

**(I) सरकार को/के समक्ष अंत:निवेश/प्रतिवेदन/प्रस्तुतीकरण :** समिति ने सरकार को/के समक्ष निम्नलिखित अंत:निवेश/प्रतिवेदन/ प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किए हैं :

- 12 सितंबर, 2019 को वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी वार्षिक विवरणी और संपरीक्षा प्रमाणपत्रों के संबंध में सुझाव।
- समिति ने ई-बीजक मानकों के प्रारूपण में जीएसटीएन का समर्थन किया था।
- बजट-पूर्व ज्ञापन, 2020।
- 16 नवंबर, 2019 को विवरणी फाइल किए जाने संबंधी मुददों पर माननीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण।
- 5 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क के पदधारियों के समक्ष प्रस्तुतीकरण, जिसमें बजट-पूर्व ज्ञापन 2020 में अंतर्विष्ट सुझावों को विशिष्ट रूप से बताया गया था।
- 18 मार्च, 2020 को कोविड-19 के कारण जीएसटीएन के अधीन करदाताओं को शिथिलता उपलब्ध कराने संबंधी प्रतिवेदन।
- 20 मार्च, 2020 को उक्त एसवीएलडीआर स्कीम में संदाय की अंतिम तारीख को आगे और साठ दिनों तक विस्तारित करने संबंधी प्रतिवेदन।
- 27 फरवरी, 2020 को, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक विवरणी फाइल करने में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपनी वार्षिक विवरणी फाइल नहीं की थी, के समक्ष आने वाली कठिनाईयों को विशिष्ट रूप से दर्शित करते हुए प्रतिवेदन।
- 3 मार्च, 2020 को आय-कर संपरीक्षा के समरूप प्ररूप 9ग में सुलह विवरण फाइल करने के लिए सीए को एक पृथक् लॉग-इन सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी प्रतिवेदन।
- 3 मार्च, 2020 को नियम 36 के उपनियम (4) को भूतलक्षी रूप से वापस लेने का अनुरोध करते हुए प्रतिवेदन।
- 3 मार्च, 2020 को वार्षिक विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख तक वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित इनपुट कर प्रत्यय के फायदे को अनुज्ञात करने संबंधी प्रतिवेदन।
- 3 मार्च, 2020 को सीए द्वारा प्रमाणित/जारी किए जाने वाले प्ररूपों/प्रमाणपत्रों में यूडीआईएन का उल्लेख करने की सुविधा प्रदान करने संबंधी प्रतिवेदन।
- 21 अगस्त, 2019 को जीएसटी वार्षिक विवरणी और संपरीक्षा रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने संबंधी प्रतिवेदन।
- 13 जून, 2019 को वार्षिक विवरणी और संपरीक्षा रिपोर्ट, अर्थात् प्ररूप 9/9ग को फाइल करने में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करने हेतु प्रतिवेदन।
- 17 जुलाई, 2019 को, 30 जून, 2019 को समाप्त होने वाले त्रैमास के लिए संयोजन प्रदायकर्ता द्वारा विवरण फाइल किए जाने और कर का संदाय करने की अंतिम तारीख को विस्तारित करने हेतु प्रतिवेदन।
- जीएसटी शिकायत समाधान समिति में सीए सदस्यों को सम्मिलित करने संबंधी प्रतिवेदन।
- 30 दिसंबर, 2019 को दमन और दादरा और नागर हवेली की अधिकारिता को जीएसटीएटी मुंबई से जीएसटीएटी की सूरत क्षेत्र खंडपीठ में परिवर्तित करने संबंधी प्रतिवेदन।

**(II) प्रकाशन – अनुसंधान पहलें :** समिति ने जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष करों से संबंधित निम्नलिखित नए/पुनरीक्षित प्रकाशन निकाले :

- जीएसटी के अधीन रजिस्ट्रीकरण संबंधी हैंडबुक – प्रथम संस्करण - मई, 2020
- जीएसटी के अधीन ई-वे विधेयक संबंधी हैंडबुक – प्रथम संस्करण - अप्रैल, 2020
- जीएसटी के अधीन वार्षिक विवरणी संबंधी हैंडबुक – प्रथम संस्करण - मई, 2020
- जीएसटी के अधीन प्रतिदाय संबंधी हैंडबुक – प्रथम संस्करण - अप्रैल, 2020
- जीएसटी के अधीन टीडीएस उपबंधों संबंधी हैंडबुक – प्रथम संस्करण - मई, 2020
- जीएसटी के अधीन ब्याज, विलंब शुल्क और शास्तियों संबंधी हैंडबुक – प्रथम संस्करण - मई, 2020
- जीएसटी के अधीन अग्रिम विनिर्णय संबंधी हैंडबुक – प्रथम संस्करण - मई, 2020
- जीएसटी के अधीन प्रतिलोम प्रभार संबंधी हैंडबुक – प्रथम संस्करण - मई, 2020
- जीएसटी के अधीन आकस्मिक कराधेय व्यक्ति संबंधी हैंडबुक – प्रथम संस्करण - मई, 2020
- जीएसटी के अधीन बीजक जारी करने संबंधी हैंडबुक – प्रथम संस्करण - मई, 2020

- जीएसटी के अधीन जॉब वर्क संबंधी हैंडबुक – तीसरा संस्करण - मई, 2020
- जीएसटी में सीए प्रमाणपत्रों संबंधी गाइड – प्रथम संस्करण - फरवरी, 2020
- जीएसटी के अधीन छूट प्राप्त पूर्तियों संबंधी हैंडबुक – दूसरा संस्करण - फरवरी, 2020
- जीएसटी संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री – आठवां संस्करण - नवंबर, 2019
- जीएसटी अधिनियमों और नियमों संबंधी बेयर विधि – चौथा संस्करण – अक्तूबर, 2019
- जीएसटी संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड – दूसरा संस्करण - मई, 2019
- सबका विश्वास (लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन) स्कीम, 2019 संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री – प्रथम संस्करण – अक्तूबर, 2019
- सरकारी पदधारियों के लिए बीजीएम संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम – अक्तूबर, 2019

**(III) ई-पहलें**

- **समाधान विवरण, संपरीक्षा और अपील तथा संपरिवर्तन संबंधी पाठ्यक्रम –** समिति ने 25 अप्रैल से 3 मई, 2020 के दौरान समाधान विवरण, संपरीक्षा और अपील तथा संपरिवर्तन संबंधी एक पांच दिवसीय आनलाइन पाठ्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 1600 सदस्यों द्वारा भाग लिया गया था।
- **वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम –** 18 मई, 2020 से 1 जून, 2020 के दौरान ग्वालियर और सूरत में पाठ्यक्रम के पूरे न हुए बैच के लिए वर्चुअल कक्षाओं के एक बैच का आयोजन किया गया था। इसके अतिरिक्त, जून, 2020 में इस पाठ्यक्रम के दो नए बैचों का भी आयोजन किया गया था, जिसमें 200 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था।
- **जीएसटी संबंधी लाइव वेबकास्ट की श्रृंखला –** समिति ने जीएसटी संबंधी एक 5 दिवसीय लाइव वेबकास्ट श्रृंखला का आयोजन किया था जिसे औसतन लगभग 10000 सदस्यों द्वारा देखा गया था।
- **लाइव वेबकास्ट –** सदस्यों की जानकारी को अद्यतन बनाने और नवीन प्रौद्योगिकी का उन्हें फायदा देने के लिए समिति नियमित रूप से लाइव वेबकास्टों का आयोजन कर रही है, जिन्हें सदस्यों द्वारा उनके कार्यस्थान/ घर से माउस के एक क्लिक के माध्यम से देखा जा सकता है। इस अवधि के दौरान सदस्यों के साधारण फायदे के लिए इस प्रकार के 16 लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया गया था।
- **जीएसटी वार्षिक विवरणी से संबंधित रिकार्ड किए गए वीडियो –** समिति ने जीएसटी की वार्षिक विवरणी की संपूर्ण सारणी के संबंध में वीडियो रिकार्ड किए हैं और ऐसे 30 वीडियो को सदस्यों के साधारण फायदे हेतु अपनी वेबसाइट पर रखा है।

  - समिति ने जीएसटी के विभिन्न पहलूओं से संबंधित 75 लघु वीडियो को भी वेबसाइट पर रखा है, जिन्हें परिषद् वर्ष 2018-19 के दौरान रिकार्ड किया गया था और ये वीडियो आईसीएआई के सामान्य पोर्टल https://learning.icai.org/LX/contents/content_home?current_community_id=idtc-gst-2019-746-1666&content_player=true पर देखे जा सकते हैं।

**(IV) अन्य पहलें :**

- **आईसीएआई का जीएसटी संबंधी ई-न्यूज लैटर –** आईसीएआई अप्रैल, 2017 से जीएसटी संबंधी एक ई-न्यूज लैटर जारी कर रहा है। जून, 2020 तक इस ई-न्यूज लैटर के 27 अंक जारी किए जा चुके हैं।
- **जीएसटी संबंधी मानकीकृत पीपीटी –** समिति ने जीएसटी से संबंधित एक मानकीकृत पीपीटी को तैयार किया है और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा विभिन्न कार्यक्रमों में जीएसटी संबंधी सत्रों में एक समानता लाने और साथ ही पीपीटी के माध्यम से जीएसटी को सदस्यों द्वारा उचित रूप से समझने हेतु एक उपकरण उपलब्ध कराने के विचार से इसे अपनी वेबसाइट पर रखा है।
- **आईसीएआई का जीएसटी के प्रति योगदान, जिसे जीएसटीएन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है –** माल और सेवाकर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने 5 अप्रैल, 2019 को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर आईसीएआई के जीएसटी व्यवस्था के विकास में योगदान और समर्थन को मान्यता प्रदान करते हुए आईसीएआई को सम्मानित किया था। श्री नवीन कुमार, मुख्य अतिथि, पूर्व अध्यक्ष, जीएसटीएन ने श्री अजय भूषण पांडे, अध्यक्ष, जीएसटीएन और राजस्व सचिव, भारत सरकार और श्री कृषणामूर्ति सुब्रमणियम, मुख्य आर्थिक सलाहकार की उपस्थिति में आईसीएआई को सम्मानित किया था।
- **जीएसटी संबंधी सर्वेक्षण –** जीएसटी कार्यान्वयन की संपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में कराए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर भारत में जीएसटी के प्रभाव संबंधी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसके अतिरिक्त, टैक्सटाइल, एफएमसीजी, चाय, जूट और पर्यटन उद्योग जैसे उद्योगों पर जीएसटी के प्रभाव को भी पूर्वोक्त रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है। समिति ने इस सर्वेक्षण को कराने हेतु 12 अध्ययन समूहों की विरचना की थी, जिन्होंने उद्योग पर जीएसटी के प्रभाव संबंधी अवधारणा पत्रों को तैयार किया था।

- **अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अद्यतन जानकारी, जिसके अंतर्गत विधिक परिवर्तन भी हैं –** सदस्यों की जानकारी को अद्यतन करने के विचार से अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत जीएसटी भी है, महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के सार को नियमित रूप से आईडीटी नेट के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के बीच समिति की वेबसाइट https://idtc.icai.org/ के माध्यम से परिचालित किया जाता है।
- **सरकारी पदधारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम –** सरकार को सक्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहायता करने और राष्ट्र निर्माण हेतु अपनी भागीदारी प्रदान करने के विचार से समिति ने देश भर में स्थित विभिन्न कमीशनरियों में जीएसटी संबंधी 9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था।
- **सबका विश्वास (लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन) स्कीम, 2019 से संबंधित आउटरीच कार्यक्रम –** समिति ने केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी एंड सीएक्स), दिल्ली जोन के साथ संयुक्त रूप से सबका विश्वास (लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन) स्कीम, 2019 से संबंधित एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 200 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, विशाखापट्टनम और पूणे कमीशनरियों के साथ संयुक्त रूप से इस प्रकार के आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था।

**(V) पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के माध्यम से सदस्यों के लिए जागरुकता कार्यक्रम**

- **जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :** समिति ने सदस्यों को प्रणालीगत रीति में जीएसटी के क्षेत्र में विशेषीकृत और अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराने के विचार से तथा उनके कौशलों में अभिवृद्धि करने के लिए वर्ष के दौरान जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 27 बैचों का संचालन किया है, जिसमें 1159 सदस्यों ने भाग लिया है।
- **राष्ट्रीय कार्यक्रम/सम्मेलन :** सदस्यों की जानकारी को अद्यतन बनाने और उन्हें इस प्रयोजन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए जिससे वे अन्य वृत्तियों के मुकाबले अपनी अग्रता बनाए रखें, समिति ने झारसुगुडा, चेन्नई, एर्नाकुलम, पिंपरी चिंचवाड़, सूरत और पूणे में राष्ट्रव्यापी आउटरीच कार्यक्रमों के रूप में छह राष्ट्रीय कार्यक्रमों/सम्मेलनों का आयोजन किया था, जिनमें लगभग 3641 सदस्यों ने भाग लिया था।
- **कार्यक्रम, संगोष्ठियां और सम्मेलन :** इस अवधि के दौरान समिति द्वारा 70 कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया है, जिनमें 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया था।

### 5.15 आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड (आईएएसबी)

वर्तमान समय में, संगठन वित्तीय जोखिमों और नियंत्रणों से संबंधित पारंपरिक जोखिमों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अन्य जोखिमों का सामना भी कर रहे हैं, जैसे कि रणनीति, संस्कृति और आचार, आईटी तथा डाटा सुरक्षा आदि। इस प्रकार, यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आतंरिक संपरीक्षक के पास उच्चतर कारबार संबंधी बुद्धिमत्ता, क्रियाशील संपर्क कौशल, अडिग ईमानदारी और नैतिकता, कारबार से संबंधित जोखिमों के संबंध में उत्कृष्ट पकड़ और इन जोखिमों का सामना करने के लिए समृद्ध अनुभव हो।

ऐसा करने में सदस्यों को समर्थ बनाने की प्रक्रिया को सुकर बनाने हेतु बोर्ड अथक रूप से आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों और तकनीकी गाइडों/अध्ययनों/मैनुअलों के रूप में उच्च गुणवत्ता वाला तकनीकी साहित्य निकालता रहा है, जिसमें आंतरिक संपरीक्षकों की सहायता करने संबंधी महत्वपूर्ण उपकरण अंतर्वलित होते हैं, जिनका उपयोग करके वे अपने ग्राहकों और/या नियोजकों को प्रभावी और दक्ष आंतरिक संपरीक्षा सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं।

**(I) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए)**

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी ये मानक कार्यपालन संबंधी बैंचमार्कों के रूप में भी कार्य करते हैं क्योंकि वे सदस्यों द्वारा निष्पादित की जाने वाली आंतरिक संपरीक्षा और अन्य आश्वासन सेवाओं में सर्वोत्तम व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोर्ड ने चरणबद्ध रीति में आंतरिक संपरीक्षा मानकों को कंपनियों के कतिपय वर्ग के लिए आज्ञापक बनाने हेतु प्रक्रिया भी आरंभ की है। एसआईए की आज्ञापक प्रास्थिति आईसीएआई के लिए एक ऐसे आरंभ बिन्दु के रूप में सिद्ध होगी, जिससे वह आंतरिक संपरीक्षा वृत्ति संगतता में अभिवृद्धि करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर सकेगा।

ये सिद्धांत आधारित मानक सदस्यों को एक उच्च मूल्यों वाले विश्वसनीय सलाहकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थन प्रदान करेंगे और साथ ही उन्हें वृत्ति का विशेषज्ञ बनाने में सहायता भी करेंगे। आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने इस अवधि के दौरान आंतरिक संपरीक्षा संबंधी निम्नलिखित पुनरीक्षित मानकों को जारी किया है :

- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 120, आंतरिक नियंत्रण
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 350, संपरीक्षा समनुदेशनों का पुनर्विलोकन और पर्यवेक्षण
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 390, पूर्व संपरीक्षा मुद्दों की मानीटरी और रिपोर्टिंग
- बोर्ड ने आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में व्यवसायरत सदस्यों के लिए एकल संदर्भिका के रूप में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों (1 फरवरी, 2020 को यथाविद्यमान) का सार संग्रह भी निकाला है।

बोर्ड आंतरिक संपरीक्षा संबंधी निम्नलिखित मानकों को जारी करने के लिए भी कार्यवाही कर रहा है :

- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 130, जोखिम प्रबंध
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 520, सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में संपरीक्षा
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 530, वित्तीय पक्षकार सेवा प्रदाता
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 140, शासन
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 150, विधियों और नियमों का अनुपालन
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 250, शासन का प्रभार धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क

**(II) उद्योग विनिर्दिष्ट और साधारण आंतरिक संपरीक्षा गाइड**

बोर्ड ने विभिन्न परियोजनाओं, अर्थात् बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा के मैनुअल के पुनरीक्षण (2016 संस्करण), एफएमसीजी सेक्टर की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड, बैंकों में जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड, भेषजीय उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड, स्टॉक दलालों की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड, एल्कोहाली सुपेय उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड और कपट अन्वेषण संपरीक्षाओं संबंधी अध्ययन का पुनर्विलोकन करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया है।

**(III) बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

सदस्यों को बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी जटिलताओं को समझने में समर्थ बनाने के लिए आईसीएआई का आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड "बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा" संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है। बोर्ड ने विभिन्न स्थानों पर बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 48 बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और इस अवधि के दौरान लगभग 840 सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक अर्हित किया है।

**(IV) बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

बोर्ड ने इस अवधि के दौरान बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 28 बैचों का आयोजन किया था, जिनमें लगभग 1750 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक इस पाठ्यक्रम को पूरा किया था।

**(V) बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का ई-पठन**

सदस्यों को सुगम पहुंच उपलब्ध कराने के लिए आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड ने "बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" के ई-पठन मॉडयूलों को विकसित करने की परियोजना को आरंभ किया है, जिसमें समवर्ती संपरीक्षा के व्यवहारिक पहलुओं से संबंधित क्विज़ों और मामला अध्ययनों को सम्मिलित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के ई-पठन संबंधी सभी सत्रों की वीडियो रिकार्डिंग पूरी कर ली गई है और उन्हें संस्थान के ई-पठन मंच पर अपलोड किया जा रहा है।

**(VI) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

बोर्ड ने "आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" की पाठ्यचर्या संरचना का पुनरीक्षण किया है, जिसका, उसमें नए विषयों और सूचना प्रौद्योगिकी को पूर्णरूपेण समाविष्ट करते हुए, पूर्णतया सुधार किया गया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के ई-पठन संबंधी सभी माड्यूलों की वीडियो रिकार्डिंग पूरी कर ली गई है और उन्हें संस्थान के ई-पठन मंच पर अपलोड किया जा रहा है। बोर्ड वर्तमान में पाठ्यक्रम के लिए पहचान किए गए संकाय के लिए संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना तैयार कर रहा है। इसके पश्चात्, बोर्ड इस पाठ्यक्रम से संबंधित बैचों की समय-सूची को अंतिम रूप प्रदान करेगा।

**(VII) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी जागरुकता के लिए कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और वेबीनार**

सदस्यों के बीच ज्ञान के प्रसार के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के विचार से बोर्ड ने इस अवधि के दौरान, विभिन्न अवस्थानों पर, जैसे कि नई दिल्ली, अमृतसर, जलगांव, नासिक, गुरुग्राम, बंगलूरू, अहमदाबाद, भूज, गांधीधाम, एर्नाकुलम, विशाखापट्टनम और यमुनानगर में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी 14 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। बोर्ड ने कोरोना वायरस (कोविड-19) से संबंधित और लाइव वेबकास्टों का भी आयोजन किया है, इनमें इस वायरस के आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र और भारतीय आटोमोबाइल क्षेत्र पर हुए प्रभाव के संबंध में चर्चा की गई थी। इसके अतिरिक्त, ऐसे अनिश्चित समयों में अपनाए जाने वाले जोखिम प्रबंध ढांचे के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया था।

**5.16 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति (सीआईटी)**

**(I) सरकार को प्रतिवेदन/उसके साथ परस्पर संवाद**

- बजट-पश्च ज्ञापन में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तुतीकरण
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान के संबंध में बजट-पूर्व ज्ञापन, 2020 को प्रस्तुत किया जाना
- आय-कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 195 में वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 के द्वारा किए गए संशोधन को प्रभावी करने हेतु आय-कर नियम, 1962 में नया नियम 29खक तथा प्ररूप 15ङ अंत:स्थापित करके संशोधन किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में जनता से परामर्श किए जाने संबंधी प्रतिवेदन।

- कर रेजीडेंसी प्रमाणपत्रों की मान्यता को विस्तारित करने के मुद्दे पर विचार किए जाने हेतु अनुरोध करने संबंधी प्रतिवेदन।
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण कीमत निर्धारण के संबंध में निर्धारिती के समक्ष आने वाले मुद्दों का समाधान करने हेतु प्रतिवेदन।

**(II) अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/वेबकास्ट (1.4.2019 से 30.06.2020)**

समिति ने इस अवधि के दौरान जीएएआर – मुद्दे ओर मामला अध्ययन, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस – मामला अध्ययन, संघीय बजट 2019 में अंतर्विष्ट कर प्रस्ताव, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, धारा 195 के अधीन टीडीएस तथा 15गक/गख प्रमाणन, बहुपक्षीय लिखतों (एमएलआई) का पर्यावलोकन, अंतरण कीमत निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय कराधान, संघीय बजट 2020-21 में अंतर्विष्ट प्रमुख कर संबंधी प्रस्ताव, कोविड-19 के कारण कर संघि से संबंधित प्रभाव, एनआरआई कराधान – हाल ही में किए गए संशोधन – विश्लेषण और विवक्षाएं, वित्त अधिनियम, 2020 के द्वारा किए गए कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन – अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे विषयों पर नई दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम में अनेक लाइव वेबकास्टों/संगोष्ठियों/राष्ट्रीय सम्मेलनों /कार्यशालाओं का आयोजन किया था।

**(III) अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता-पश्च डिप्लोमा**

समिति ने इस अवधि के दौरान, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, बंगलूरू, गुरुग्राम और चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में अर्हता-पश्च डिप्लोमा के 7 बैचों का संचालन किया है, जिसमें 471 प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

**(IV) अन्य पहलें**

- समिति ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर ई-पठन माड्यूलों को सम्मिलित किया है :
  - प्रभावी प्रबंध का स्थान
  - विदेशी कर प्रत्यय
  - कर संधियों का निर्वचन, जिसके अंतर्गत एमएलआई संबंधी परिप्रेक्ष्य भी हैं
- निम्नलिखित प्रकाशनों का पुनरीक्षण किया गया था :
  - अंतर्राष्ट्रीय कर से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि सामग्री
  - प्रवासी कराधान संबंधी तकनीकी गाइड
  - आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92ङ के अधीन रिपोर्ट से संबंधित मार्गदर्शन (अंतरण कीमत निर्धारण)
- समिति ने "सीमा पार के संव्यवहार और निवेश" नामक एक नए प्रकाशन को भी जारी किया है।
- सीए जर्नल में अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित लेखों का योगदान।
- घरेलू और साथ ही विदेशों में स्थित सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान के विषय में नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना। समिति ने 21.12.2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कैपिटल मार्किट पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ठहराव किया है जिससे वे व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों और सीए फर्मों को विशेष छूट प्राप्त प्रस्तावना के अधीन अपने कैपिटल लाइन कारपोरेट डाटाबेस से संबंधित अनुज्ञप्तियां मंजूर करेंगे।

**5.17 उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमआईएंडबी)**

उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमआईबी), जो परिषद् की गैर-स्थायी समितियों में से एक है, व्यष्टिक और संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ सामंजस्य बिठाने, उद्योग और आईसीएआई के बीच अंतरापृष्ठ का सृजन करने और चार्टर्ड अकाउंटेंटों को उनके पारंपरिक क्षेत्रों से परे कंपनी, कारबार और वाणिज्य के कार्यकरण से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में एक ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान करने/स्थापित करने के लिए एक प्रभावी मंच का प्रयोजन सिद्ध करती है। यह समिति उद्योग और कारबार में सेवारत सीए और संस्थान के बीच निकट संबंध को प्रोत्साहित करने तथा उसमें अभिवृद्धि करने का कार्य करती है। इस प्रयास का समर्थन करने के लिए, सीएमआईएंडबी सदस्यों के फायदे के लिए विभिन्न ज्ञानवर्धन सम्मेलनों, उद्योग बैठकों और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। सीएमआईएंडबी के अन्य महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में सदस्यों के हित में कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों और आईसीएआई जॉब पोर्टल के माध्यम से युवा और अनुभव प्राप्त, दोनों प्रकार के चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियोजन अवसर उपलब्ध कराना, कारबार और उद्योग में लगे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उदाहरणात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए गौरवशाली आईसीएआई पुरस्कारों का आयोजन करना, वृत्तिक दिलचस्पी के विषयों में सामान्य प्रकाशन जारी करना, सीपीई अध्ययन सर्कलों का सृजन करना, आदि सम्मिलित हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किए गए प्रमुख क्रियाकलापों को नीचे उपदर्शित किया गया है :

**(I) नियोजन कार्यक्रम**

***नए अर्हित सीए के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम :***

- अगस्त-सितंबर, 2019 : इस कार्यक्रम का आयोजन 18 केंद्रों में किया गया था, जिसके लिए 9051 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रीकृत किया था, जिनमें से 6491 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए थे। इसमें 137 संगठनों ने भाग लिया था और कुल 2135 अभ्यर्थियों को नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए थे। घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम 24.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन

(कंपनी को लागत) का प्रस्ताव किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए 36.00 लाख प्रतिवर्ष के वेतन का प्रस्ताव किया गया था।

- फरवरी-मार्च, 2020 में : राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की उदघोषणा से पूर्व इस कार्यक्रम के अधीन 9 प्रमुख केंद्रों में साक्षात्कारों का आयोजन किया गया था, जिसके लिए 9272 अभ्यर्थियों ने 9 प्रमुख केंद्रों और 9 छोटे केंद्रों, दोनों के लिए रजिस्ट्रीकृत किया था। इसमें 9 प्रमुख केंद्रों और 6 छोटे केंद्रों में कुल 94 संगठनों ने भाग लिया था और प्रमुख केंद्रों में कुल 2307 अभ्यर्थियों को नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए थे। कोविड-19 महामारी के कारण किए गए लाकडाउन के कारण सभी साक्षात्कार जून, 2020 मास में 6 छोटे केंद्रों पर वर्चुअल पद्धति के माध्यम से लिए गए थे, जिनमें 444 अभ्यर्थियों को नौकरियों के प्रस्ताव दिए गए थे, जिससे नौकरी संबंधी प्रस्तावों की कुल संख्या बढकर 2751 हो गई थी। घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम 21.57 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन (कंपनी को लागत) का प्रस्ताव किया गया था।

***सीए फाइनल रैंक धारकों के लिए विशेष नियोजन कार्यक्रम***

- प्रथम विशेष नियोजन कार्यक्रम : 8 सितंबर, 2019 को बंगलूरू में इस विशेष नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 10 संगठनों ने भाग लिया था और कुल 82 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए थे, जिनमें से सभी अभ्यर्थियों को नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया था। घरेलू नौकरी के लिए अधिकतम 24.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन (कंपनी को लागत) का प्रस्ताव किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए 36.00 लाख प्रतिवर्ष के वेतन का प्रस्ताव किया गया था।
- द्वितीय विशेष नियोजन कार्यक्रम : 25 फरवरी, 2020 को बंगलूरू में इस विशेष नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 14 संगठनों ने भाग लिया था और कुल 127 अभ्यर्थियों में से 85 अभ्यर्थियों को नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया था। नौकरी के लिए अधिकतम 21.18 लाख रुपए प्रतिवर्ष के वेतन (कंपनी को लागत) का प्रस्ताव किया गया था।

***अनुभव प्राप्त सीए के लिए नियोजन***

पार्श्विक नियोजन : 25-28 जून, 2019 के दौरान अनुभव प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंटों को प्रमुख संगठनों में कैरियर अभिवृद्धि को सुनिश्चित करने हेतु नियोजन अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक मंच उपलब्ध कराए जाने के लिए इस पार्श्विक नियोजन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में 14 कंपनियों (17 साक्षात्कार दलों) ने 226 रिक्तियों को भरने के लिए भाग लिया था।

**(II) प्रबंध विकास कार्यक्रम :**

- एमडीपी का प्रथम बैच : सीए फाइनल रैंक धारकों के लिए एमडीपी के प्रथम बैच का सफलतापूर्वक आयोजन 22 अगस्त से 13 सितंबर, 2019 के दौरान बंगलूरू में मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के सहयोग से किया गया था, कुल 199 रैंक धारकों मे से 89 अभ्यर्थियों (73 जनरल और 16 ईडब्ल्यूएस) ने उक्त कार्यक्रम के लिए स्वयं को रजिस्ट्रीकृत किया था।
- एमडीपी का द्वितीय बैच : एमडीपी के द्वितीय बैच का सफलतापूर्वक आयोजन 3 से 25 फरवरी, 2020 के दौरान बंगलूरू स्थित मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के परिसर में किया गया था, कुल 205 रैंक धारकों मे से 127 अभ्यर्थियों (84 जनरल और 43 ईडब्ल्यूएस) ने उक्त कार्यक्रम के लिए स्वयं को रजिस्ट्रीकृत किया था।

**(III) पुरस्कार**

13वें आईसीएआई पुरस्कार और लीडरशिप शिखर सम्मेलन, 2020 : समिति ने मुंबई स्थित होटल सहारा स्टार में सफलतापूर्वक अपने 13वें आईसीएआई पुरस्कार और लीडरशिप शिखर सम्मेलन, 2020 का आयोजन किया था। आईसीएआई केवल महान वृत्तिकों का ही सृजन नहीं करता है अपितु वह इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से वृत्ति को प्रदान की गई उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अभिस्वीकृति भी प्रदान करता है, जो ऐसे व्यष्टियों को सम्मानित करने के लिए आरंभ किए गए हैं, जिनके पास उत्कृष्ट कौशल, समर्पण, उत्साह, नेतृत्व की क्षमता और अपना सर्वोत्तम प्रदान करने का सामर्थ्य है। 25 पुरस्कार विजेताओं को श्री पीयूष गोयल माननीय रेल और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार हेतु विजेताओं का चयन श्री किशोर बियानी, संस्थापक फयूचर समूह की अध्यक्षता वाले ज्यूरी पैनल द्वारा किया गया था।

इस आयोजन की मूल्यवृद्धि करने हेतु एक लीडरशिप शिखर सम्मेलन 2020 का भी आयोजन इसके साथ उसी दिवस किया गया था, जो एक बहु आयामी शिखर सम्मेलन है। इस शिखर सम्मेलन को ऐसी रीति में तैयार और विरचित किया गया था, जिससे सदस्यों की ऐसे समकालीन और नवीन विषयों से संबंधित जानकारी को अद्यतन किया जा सके, जो वृति के क्षेत्र और उसके हित के प्रति संगत हैं।

**(IV) आयोजित कार्यक्रम**

इस वर्ष के दौरान, समकालीन विषयों, अर्थात् नई औद्योगिक नीति की विरचना, एफटीपी, फेमा-विदेशी निवेश, एफडीआई, ओडीआई : नीति, विनियम और आगे की कार्ययोजना, कोविड-19 का स्वयं पर तथा उद्योग, अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्किट पर प्रभाव, आईसीएआई लीडरशिप शिखर सम्मेलन – कोविड-19 पश्च परिदृश्य, फेमा, विश्व और भारत – कोविड-19 पश्च, वृत्तिक सफलता के पथ पर अग्रसर होने जैसे विषयों पर विभिन्न कार्यक्रमों, जिनके अंतर्गत संगोष्ठियां, लाइव वेबकास्ट, परस्पर क्रियाशील बैठकें, सीएफओ बैठकें आदि भी थे, का आयोजन रायपुर, गुरुग्राम, एलेप्पी, तिरुवनंतपुरम्, नोएडा, गाजियाबाद, चंडीगढ, बंगलूरू, नागपुर, औरंगाबाद और कोयम्बटूर में किया गया था।

**(V) अन्य पहलें**

- उद्योग में लगे सदस्यों के लिए नए सीपीई अध्ययन सर्कल – सीएमआई एंड बी ने आईसीएआई के उद्योग में लगे सदस्यों के लिए इंडस टॉवर लिमिटेड के साइबर हब सीपीई अध्ययन सर्कलों का सृजन किया है।
- परामर्शदाता पोर्टल का शुभारंभ – सीएमआईएंडबी ने 14 जनवरी, 2020 को, उभरते और सुस्थापित वृत्तिकों के बीच बेहतर संपर्क को सुकर बनाते हुए सीए के विकास को अग्रसर करने हेतु एक परामर्शदाता पोर्टल (https://mentorship.icai.org) का शुभारंभ किया है।
- प्रकाशन – सीएमआईएंडबी ने 14 फरवरी, 2020 को 13वें आईसीएआई पुरस्कार समारोह के दौरान "क्विक इन साइट ऑन जीएसटी – बैंकिंग सेकटर' नामक एक प्रकाशन भी जारी किया था।

**5.18 पियर पुनर्विलोकन बोर्ड (पीआरबी)**

व्यवसाय करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए पियर पुनर्विलोकन बोर्ड की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। पियर पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्थान के सदस्य आश्वासन सेवा समनुदेशनों को पूरा करते समय (क) यथालागू तकनीकी, वृत्तिक और नैतिक मानकों, जिसके अंतर्गत उनसे संबंधित अन्य विनियामक अपेक्षाएं भी हैं, का अनुपालन करते हैं और (ख) उनके द्वारा दी जाने वाली आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को पर्याप्त रूप से उपदर्शित करने के लिए दस्तावेजीकरण सहित समुचित प्रणालियां सुस्थापित हैं। किसी व्यवसायी इकाई के पियर पुनर्विलोकन का संचालन, पियर पुनर्विलोकक के रूप में ज्ञात एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया जाता है।

बोर्ड के प्रयास की दो विनियामकों, अर्थात् सेबी और सीएंडएजी द्वारा मान्यता की अपेक्षाओं का नीचे कथन किया गया है :–

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से यह आज्ञापक बना दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/कानूनी संपरीक्षा रिपोर्ट केवल उन संपरीक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अध्यधीन किया है और जो संस्थान के 'पियर पुनर्विलोकन बोर्ड' द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने भी पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के कार्य को मान्यता प्रदान की है ; अब वह आवेदन प्ररूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से उनकी पियर पुनर्विलोकन प्रास्थिति के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे मांगता है, ताकि पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए संपरीक्षा आबंटित की जा सके। इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों से सीएंडएजी वार्षिक रूप से आईसीएआई से उन फर्मों के ब्यौरे मांग रहा है, जिन्हें पियर पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

**क्रियाकलाप/पहलें**

**(I) व्यवसायरत यूनिटों का पियर पुनर्विलोकन :**

पियर पुनर्विलोकन के परिधि क्षेत्र में अभिवृद्धि करने तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने और साथ ही अधिकाधिक फर्मों को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अधीन लाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। बोर्ड के योजनाबद्ध प्रयासों ने पियर पुनर्विलोककों के प्रभावी कार्यपालन के साथ मिलकर व्यवसायी यूनिटों को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वे उनके द्वारा साधारण रूप से समाज को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाएं। नमूनों के उपयुक्त चयन और प्रभावी पुनर्विलोकन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। 30 जून, 2020 तक पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने 11855 मामलों पर विचार किया है और पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

**(II) पियर पुनर्विलोककों का प्रशिक्षण और उन्हें पैनलबद्ध करना**

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनर्विलोकन करने में संगतता और एकसमानता है, बोर्ड पुनर्विलोककों को पुनर्विलोकन हेतु व्यवाय इकाईयां आबंटित करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके प्रारंभ से लेकर अब तक बोर्ड ने पूरे भारत वर्ष में 211 पियर पुनर्विलोकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिनमें से 21 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन इस वर्ष के दौरान किया गया है। पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने अपने प्रारंभ के पश्चात् से 6073 पियर पुनर्विलोककों को पैलबद्ध किया है तथा उन्हें प्रशिक्षित किया है।

भविष्य की योजनाएं : आगे बढते हुए, बोर्ड ने यह योजना बनाई है कि वह पुनरीक्षित पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के साथ पियर पुनर्विलोककों और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को अद्यतन जानकारी प्रदान करेगा। इस उद्देश्य से बोर्ड निम्नलिखित आनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन करेगा :

- प्रशिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना : विद्यमान प्रशिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना।
- विद्यमान पुनर्विलोककों को प्रशिक्षण देना : विद्यमान पुनर्विलोककों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।
- भावी पुनर्विलोककों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना और साथ ही उनके लिए उन्हें पैनलबद्ध करने संबंधी परीक्षाओं का आयोजन करना।

**(III) राष्ट्रीय सम्मेलन/लाइव वेबीनार**

वर्ष के दौरान, गाजियाबाद, जबलपुर और नोएडा में तीन राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया था । वर्ष के दौरान, बैंक संपरीक्षा पर विशेष रूप से जोर देते हुए संपरीक्षा दस्तावेजीकरण, कानूनी संपरीक्षा हेतु बनाए रखे जाने वाले दस्तावेजों, पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया हेतु दस्तावेजों, लघु और मध्यम व्यवसाय इकाईयों - पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया में पियर पुनर्विलोकन और संपरीक्षा दस्तावेजीकरण तथा रिपोर्टिंग को किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से उपयोग में लाया जाए, विषय पर छह वेबीनारों का आयोजन किया गया था ।

**(IV) बोर्ड के विभिन्न प्रकाशनों का पुनरीक्षण**

पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के निम्नलिखित विद्यमान प्रकाशनों को पुनरीक्षित किया गया है :

- पियर पुनर्विलोकन संबंधी विवरण नामक प्रकाशन का बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण किया गया है और उसे परिषद् द्वारा अप्रैल, 2020 मे आयोजित उसकी बैठक के दौरान अनुमोदित कर दिया गया था । यह विवरण 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी हो गया है ।
- पियर पुनर्विलोकन मैनुअल : बोर्ड ने पियर पुनर्विलोकन संबंधी विवरण में किए गए विभिन्न परिवर्तनों को समाविष्ट करने के लिए इस प्रकाशन का पुनर्विलोकन किया है । व्यवसायी इकाई, पुनर्विलोकक की घोषणा, प्रश्नोत्तर, अनुलग्नक आदि के विभिन्न प्ररूपों को भी पुनरीक्षित किया गया है और उन्हें मैनुअल के परिशिष्ट का भाग बनाया गया है । लेखांकन मानकों और संपरीक्षा संबंधी मानकों से संबंधित सिफारिशात्मक जांच सूचियों को अद्यतन बनाया गया है तथा इंड एएस संबंधी जांच सूची को उसमें जोडा गया है । मैनुअल को, उसमें और अधिक प्रभावी और सुंदर आकृति वाले फ्लोचार्ट को सम्मिलित करके और अधिक उपयोक्ता मित्र बनाया गया है, जिससे पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया और आनसाइट तथा आफसाइट प्रक्रियाओं, प्रक्रिया प्रभावों आदि को कदम-दर-कदम समझने में सुगमता हो ।
- सलाहों से संबंधित हैंडबुक : "हैंडबुक आन एडवाइजरिज फार प्रैक्टिस यूनिट्स", "हैंडबुक आन एडवाइजरिज फार पियर रिव्यूयर्स" और 'एफएक्यू' के विद्यमान प्रकाशनों को समामेलित किया गया है । इस हैंडबुक में बोर्ड द्वारा पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया, नमूने के आकार, पियर पुनर्विलोकन की फीस, दृष्टांतात्मक समय अनुसूची आदि को सम्मिलित किया गया है । यह हैंडबुक पियर पुनर्विलोककों के लिए एक गाइड के समरूप है और साथ ही व्यवसायी इकाईयों को भी यह मार्गदर्शन प्रदान करती है क्योंकि इसमें उनके लिए विभिन्न सलाहें और साथ ही अनेकों बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न अंतर्विष्ट हैं ।

**(V) पियर पुनर्विलोकन की फीस का पुनरीक्षण**

पियर पुनर्विलोकन संबंधी विवरण द्वारा पियर पुनर्विलोकन बोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने 4 जून, 2020 को आयोजित अपनी 64वीं बैठक में पियर पुनर्विलोकन की फीस का पुनरीक्षण किया है, जिसमें पुनर्विलोककों और उनके अर्हित सहायकों को दिया जाने वाला मानदेय और टीए/डीए भी सम्मिलित है । इस पुनरीक्षण से पूर्व पियर पुनर्विलोकन के लिए पुनर्विलोकनाधीन अवधि में व्यवसायी इकाईयों के आश्वासन सेवा ग्राहकों से प्राप्त होने वाली औसत सकल प्राप्तियों/राजस्व (प्रतिवर्ष) पर निर्भर करते हुए 15000 से 100000 रुपए के बीच प्रभारित की जाती थी । इस अधिकतम सीमा को ऐसी व्यवसायी इकाईयों के लिए, जिनकी आश्वासन सेवा ग्राहकों से प्राप्त होने वाली औसत सकल प्राप्तियां/राजस्व 30 करोड रुपए प्रतिवर्ष से अधिक हैं, बढाकर पांच लाख रुपए कर दिया गया है । यह पुनरीक्षित फीस की संरचना वेबसाइट पर https://resource.cdn.icai.org/24073revised cpr prb.pdf हाइपर लिंक के अधीन रखी गई है ।

**(VI) नमूना चुनने के मानदंडों का पुनरीक्षण**

बोर्ड ने 4 जून, 2020 को आयोजित अपनी 64वीं बैठक में पुनर्विलोककों के लिए न्यूनतम नमूना चयन करने संबंधी मानदंडों को भी पुनरीक्षित किया है । यह पुनरीक्षित नमूना चुनने संबंधी मानदंड वेबसाइट पर https://resource.cdn.icai.org/60093prb-sample-review.pdf हाइपर लिंक के अधीन रखे गए हैं । पुनर्विलोकक द्वारा चुने जाने वाले न्यूनतम नमूने अब व्यवसायी इकाई के स्तर और साथ ही पुनर्विलोकनाधीन अवधि में व्यवसायी इकाईयों के आश्वासन सेवा ग्राहकों से प्राप्त होने वाली औसत सकल प्राप्तियों/राजस्व (प्रतिवर्ष) पर आधारित है ।

**(VII) प्रणाली अद्यतन करने के लिए पियर पुनर्विलोककों और व्यवसायी इकाईयों से प्राप्त डाटा को सुमेलित करने हेतु आनलाइन प्ररूपों को तैयार करना**

बेहतर पारदर्शिता और उत्तम शासन हेतु विद्यमान व्यवसायी इकाईयों (पीयू) और पैनलबद्ध पियर पुनर्विलोककों (आरई) के वर्तमान डाटा को सुमेलित करने हेतु आनलाइन प्ररूपों को तैयार किया गया है । इन पीयू और आरई को यह अनुरोध करते हुए कि वे इन प्ररूप में अपनी विशिष्टियों को भरकर उसे प्रस्तुत करें, बडी संख्या में ई-मेल भेजी जाएंगी । इस प्ररूप का उद्देश्य पैनलबद्ध पियर पुनर्विलोककों से उनके हित की अभिव्यक्ति को प्राप्त करना भी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वे पुनर्विलोककों के रूप में कार्य करना जारी करने के लिए इच्छुक हैं और क्या वे एल I और एल II प्रवर्ग की फर्मों के रूप में अपने वर्गीकरण के लिए भी इच्छुक हैं । इसी प्रकार, पीयू से भी इस संबंध में डाटा प्राप्त किया जाएगा, जिससे उन्हें एल I और एल II प्रवर्ग की फर्मों के रूप में वर्गीकृत किया जा सके । इस प्रकार, सुमेलित डाटा को आशयित रूप से, पियर पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा विकसित किए जा रहे नए साफ्टवेयर में डाला जाएगा जिससे पियर पुनर्विलोकन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाया जा सके ।

**(VIII) पियर पुनर्विलोकन के महत्व के बारे में जागरुकता का सृजन करने के लिए सोशल मीडिया मंचों का उपयोग**

सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के महत्व के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए छोटी-छोटी टैग लाइनों के साथ लघु कलात्मक कृतियों को विकसित और तैयार किया गया है।

**(IX) पियर पुनर्विलोकन साफ्टवेयर**

शीघ्र ही पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया को एक साफ्टवेयर के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

**(X) कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के संबंध में विस्तारण को मंजूर करना**

कोविड-19 महामारी के प्रसार तथा राष्ट्रव्यापी लाकडाउन में हुए बहुधा विस्तार और साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चरणबद्ध रीति में मंजूर किए गए आंशिक अनुतोषों को ध्यान में रखते हुए सदस्य पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया को पूरा करने में कठिनाईयों का सामना कर रहे थे । तदनुसार, पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने तारीख 30.03.2020 की एक उदघोषणा को वेबसाइट पर https://resource.cdn.icai.org/58882prb47971.pdf हाइपर लिंक के अधीन रखा है और साथ ही तारीख 29.05.2020 की एक नई उदघोषणा को भी आईसीएआई की वेबसाइट पर https://resource.cdn.icai.org/59761prb48614.pdf हाइपर लिंक के अधीन रखा है, जिसके द्वारा 'देश भर में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता के संबंध में आगे और विस्तारण' को मंजूर किया गया है।

**5.19 वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी)**

यह समिति वर्ष 1962 में स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य संस्थान के सदस्यों के लिए कारबार जगत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त अवसरों की खोज करने और साथ ही उनका विकास करना है, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की वृत्तिक योग्यता और कौशलों का उपयुक्त रूप से उपयोग किया जा सके। समिति, नए-नए क्षेत्रों में वृत्तिक अवसरों की पहचान करने के अपने प्रयासों के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकारों, विनियामक निकायों, अन्य अभिकरणों आदि से परस्परर क्रियाएं करती हैं, जिसके अधीन उनसे यह अनुरोध किया जाता है कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की विशेषज्ञता का लाभ उठाएं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेवाओं का उपयोग करें।

वर्ष 2019 से, समिति, सहकारिता और एनपीओ सेक्टरों से संबंधित क्षेत्रों की जांच पडताल कर रही है, जिससे सदस्यों और अन्य पणधारियों को, उनके लिए नए क्षेत्रों की खोज करके उन्हें सुसज्जित किया जा सके और साथ ही सहकारिता और एनपीओ सेक्टरों में मूल सक्षमताओं को बनाए रखते हुए उनका विकास किया जा सके।

चार्टर्ड अकाउंटेंटों के विद्यमान और नए क्षेत्रों में कौशल सेटों में अभिवृद्धि करने के विचार से समिति हित के समकालीन क्षेत्रों के संबंध में वेबीनारों, सगोष्ठियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करती है।

**(I). वृत्तिक संगतता के विषयों पर विभिन्न विनियामकों के साथ बैठकें**

- "साइबर सुरक्षा ढांचे" के संबंध में आरबीआई से बैठक : आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने 18 अप्रैल, 2019 को मुंबई में आरबीआई के बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग के सीएसआईटीई प्रकोष्ठ के एक दल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में साइबर सुरक्षा ढांचे के संबंध में पहली बार कानूनी संपरीक्षकों द्वारा अतिरिक्त प्रमाणन प्रदान करने के मुद्दे पर बातचीत की गई थी। आईसीएआई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आरबीआई ने एससीए को, इस संबंध में बैंकों द्वारा अनुपालन के स्तर का मूल्यांकन करने हेतु उनके द्वारा अनुसरित की जाने वाली पद्धतियों के संबंध में सलाह दी थी और साथ ही इस संबंध में भी सलाह दी थी कि इस विषय संबंधी प्रमाणपत्र एससीए द्वारा दीर्घ प्ररूप संपरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- आरबीआई के साथ बैठक पीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने जून, 2019 मास के दौरान श्री आर. सुब्रमणियन, मुख्य महा प्रभारी प्रबंधक, डीबीएस, श्रीमती दिव्या एस. दौर, महाप्रबंधक, संपरीक्षा विनियमन अनुभाग के साथ बैठकें की थी, जिनमें बैंकों की संपरीक्षा करते समय विभिन्न संपरीक्षकों के समक्ष आने वाले बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा को सुदृढ़ करने, पब्लिक सेकटर बैंकों द्वारा कानूनी केंद्रीय संपरीक्षकों की संख्या में कमी करने, कानूनी बैंक शाखा आबंटन में चक्रानुक्रम और आराम देने की नीति आदि जैसे मुद्दों के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था।
- नाबार्ड के साथ बैठक : पीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने 3 जून, 2019 को श्री के. राघवेन्द्र राव, सीजीएम, सुश्री सरिता अरोड़ा, सीजीएम और नाबार्ड के अन्य पदधारियों से एक बैठक की थी। इस बैठक के दौरान वृत्ति से संबंधित अनेक चिंताओं जैसे संपरीक्षा में अंतराल, संपरीक्षा और जांच रिपोर्ट में भिन्नता, एलएफएआर और संपरीक्षकों की अर्हता तथा लेखांकन मानकों का अनुपालन आदि पर विचार-विमर्श किया गया था। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की संपरीक्षा फीस को पुनरीक्षित करके बढ़ाया जाना, कर संपरीक्षा के लिए पृथक् फीस, एक संपरीक्षक को सीमित संख्या में शाखाओं का आबंटन और संपरीक्षा हेतु आबंटन के लिए एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म को विचार में लिए जाने आदि जैसे विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई थी, जिनके प्रति नाबार्ड ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
- भारतीय बैंकों के संघ के पदधारियों के साथ बैठक : पीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने 3 जून, 2019 को श्री के. ईश्वर, आईबीए के एक बैठक की थी, जिसमें उनके द्वारा न्यायालयीन संपरीक्षकों को पैनलबद्ध किए जाने संबंधी निकाली गई निविदा में यथा उल्लिखित कड़े मानदंडों और उसकी अंतिम तारीख के विस्तारण से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया

गया था। उस समय आईबीए से प्राप्त प्रतिक्रियाएं पर्याप्त थी इसलिए उन्हें यह प्रतीत हुआ कि उक्त निविदा को या तो वापस लिया जाना चाहिए अथवा उसे विस्तारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई द्वारा बैंक शाखा संपरीक्षा के लिए चयन और आबंटन किए जाने के संबंध में विकसित किए गए साफ्टवेयर का सभी बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने के विषय पर जोर डालते हुए आईबीए ने संयुक्त प्रयासों के साथ इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि वह आईसीएआई द्वारा एक प्रदर्शन की व्यवस्था करेगा, जिसमें सभी बैंक भाग लेंगे।

**(II) बैंक शाखा संपरीक्षा आबंटन के लिए साफ्टवेयर**

संस्थान ने अनेक वर्षों से स्वयं बैंकों के बोर्ड द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंकों के संपरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रबंध मंडल के पास कोई प्रमुख स्वामित्व संबंधी हित नहीं होता है। इसलिए, बैंकों के प्रबंध मंडल द्वारा संपरीक्षकों की नियुक्ति किए जाने संबंधी यह स्वायतत्ता बैंककारी जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र में अत्यंत जोखिम से भरी है।

इस मुद्दे का समाधान करने हेतु तथा पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) के संपरीक्षकों की नियुक्ति में स्वायतत्ता के उद्देश्य से आईसीएआई द्वारा बेतरतीब ढंग से संपरीक्षकों का चयन करने और उन्हें पीएसबी में उपलब्ध रिक्तियों के साथ सहबद्ध करके पीएसबी के कानूनी संपरीक्षकों के चयन और आबंटन हेतु एक वेब आधारित उपयोजन तैयार किया था।

वर्ष 2020 में, आईसीएआई ने उक्त साफ्टवेयर का उपयोग करने हेतु सभी बैंकों से संपर्क किया था और साथ ही 16 जनवरी, 2020 को आयोजित आईबीए के साथ एक बैठक में उस साफ्टवेयर से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण भी किया था। इस बैठक में विभिन्न पब्लिक, प्राइवेट और विदेशी बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस दिशा में अनुवर्ती कार्यवाही के अनुसरण में वर्ष 2019-20 के दौरान 9 बैंकों, अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बडौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, पंजाब और सिंध बैंक तथा यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने बैंक शाखा संपरीक्षकों के चयन/आबंटन के लिए इस साफ्टवेयर का उपयोग किया है।

**(III) विभिन्न प्राधिकारियों के लिए पैनल**

**आरबीआई और नाबार्ड के लिए बैंक शाखा संपरीक्षकों का पैनल**

पीडीसी, सीए सदस्यों हेतु साम्यापूर्ण वृत्तिक अवसरों का पता लगाने के अपने प्रयास के भागरूप में प्रत्येक वर्ष बहुप्रयोजन पैनलबद्ध किए जाने संबंधी प्रारूप हेतु आवेदन निकालता है, जिसमें आईसीएआई के अभिलेखों और पूर्व वर्षों में उनके द्वारा किए गए एमईएफ आवेदन के आधार पर आवेदकों का पहले से भरा गया डाटा अंतर्विष्ट होता है। एमईएफ को और अधिक विस्तृत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया था, जिससे एक केंद्रीयकृत मंच के माध्यम से अधिकतम जानकारी एकत्रित करके उसका प्रचार-प्रसार किया जा सके। सदस्यों हेतु यह सुकर बनाया गया था कि वे अंकीय रूप से हस्ताक्षरित घोषणाओं या स्केन की गई घोषणाओं को प्रस्तुत करने के अलावा आनलाइन रूप से वित्तीय दस्तावेजों को भी अपलोड कर सकते हैं।

आरबीआई, नाबार्ड और विभिन्न अन्य प्राधिकारियों/अधिकरणों, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, शासकीय परिसमापक, सिडबी, सेबी आदि को उनके द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंटों/फर्मों के पैनल उपलब्ध कराए गए थे।

**(IV) वर्ष 2019-20 के लिए पब्लिक सेक्टर बैंकों की बैंक शाखा संपरीक्षा के संबंध में किए गए उपाय**

कोविड-19 महामारी के अचानक हुए संक्रमण के कारण, आईसीएआई ने सभी बैंक शाखा संपरीक्षकों के लिए यह सलाह जारी की थी कि वे किस प्रकार आनलाइन रूप से संपरीक्षा का संचालन कर सकते हैं और साथ ही किस प्रकार ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न चरणों में आफलाइन रूप से संपरीक्षा का संचालन किया जा सकता है। आईसीएआई ने इस संबंध में आरबीआई और बैंकों से भी संपर्क किया था। आरबीआई ने पीएसबी में शाखा संपरीक्षा हेतु इस अंतर्निहित आवश्यकता को स्वीकार किया था और उन्होंने अपने पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों में "अग्रिम निधियों का 90 प्रतिशत और गैर वित्तपोषित अग्रिमों का 90 प्रतिशत" शब्दों को सम्मिलित करके 90 प्रतिशत तक के अग्रिमों को प्रतिधारित किया था। आरबीआई ने आईसीएआई के इन विचारों का समर्थन किया था कि ईएसबी में शाखा संपरीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता तथा उसने बैंकों को यह सलाह दी थी कि वे किसी संपरीक्षा फर्म द्वारा संपरीक्षा को स्वीकार किए जाने से इंकार करने की दशा में उसका अनुमोदन प्राप्त करते हुए किसी अतिरिक्त संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति करे।

**(V) सीएसए बैठक**

9 अप्रैल, 2020 को सभी केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों के साथ एक परस्पर क्रियाशील वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आईसीएआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पीडीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ भाग लिया था और बैंकों में शाखा संपरीक्षाओं के महत्व के बारे में विचार-विमर्श किया था तथा उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की थी।

**(VI) प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन**

आरबीआई को आईएफसी रिपोर्टिंग के संबंध में प्रतिवेदन – आरबीआई के गर्वनर को, पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) और भारत में प्रचालन कर रहे विदेशी बैंकों की वित्तीय वर्ष 2019-20 की कानूनी संपरीक्षा का संचालन करते समय आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

(आईएफसी) रिपोर्टिंग किए जाने के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि बैंकों में वर्तमान में ऐसा कोई तंत्र विद्यमान नहीं है और साथ ही शाखा संपरीक्षको के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस संबंध में रिपोर्ट करें। तदनुसार, हमारे अनुरोध पर विचार करते हुए आरबीआई ने इस प्रकार की रिपोर्टिंग को अगले वर्ष तक आस्थगित कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई को निम्नलिखित प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किएगए थे :

- आरबीआई द्वारा तारीख 18 सितंबर, 2019 का एक परिपत्र जारी किया गया था, जो बैंकों में समवर्ती संपरीक्षा प्रणाली से संबंधित था। उक्त परिपत्र में समवर्ती संपरीक्षकों की नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक, उनकी संपरीक्षा के विस्तार क्षेत्र आदि जैसे मुद्दों के संबंध में उपबंध सम्मिलित थे।
- 21 अक्तूबर, 2019 को बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संपरीक्षकों की नियुक्ति, संपरीक्षा का परिधि क्षेत्र और संपरीक्षकों के पारिश्रमिक आदि जैसे मुद्दों को उठाया गया था ।
- 20 दिसंबर, 2019 को बैंककारी पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बैंक शाखा संपरीक्षा हेतु संपरीक्षकों की फीस में वृद्धि किए जाने से संबंधित मुद्दे को उठाया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक को प्रतिवेदन : चालू वर्ष के दौरान किसी प्राइवेट सेक्टर/विदेशी बैंक के कानूनी शाखा संपरीक्षकों/संपरीक्षा फर्मों में से किसी की केंद्रीय/शाखा संपरीक्षकों के रूप में नियुक्ति न किए जाने के संबंध में, उक्त प्रभाव की एक घोषणा पर भारतीय स्टेट बैंक वर्ष 2019 के दौरान विचार कर रहा था। आईसीएआई ने भारतीय स्टेट बैंक को एक प्रतिवेदन भेजा था कि संपरीक्षक/संपरीक्षा फर्म 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 4 विदेशी बैंकों की कानूनी संपरीक्षाओं के साथ-साथ किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की किसी शाखा की कानूनी संपरीक्षा कर सकती है। एसबीआई ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया था।

**(VII) जम्मू-कश्मीर बैंक के लिए कानूनी संपरीक्षक की नियुक्ति**

आईसीएआई ने वर्ष 2018-19 के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक के कानूनी संपरीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उसे सीएंडएजी के कार्यालय द्वारा किए जाने संबंधी पूर्व व्यवहार को जारी रखने के लिए आरबीआई से अनुग्रह किया था। तदनुसार, जम्मू-कश्मीर बैंक के लिए संपरीक्षकों की नियुक्ति केवल सीएंडएजी द्वारा की गई थी।

**(VIII) निविदा मानीटरी समूह**

वृत्तिक सेवाओं के लिए निविदाएं सदैव एक चिंता का विषय रही हैं। पीडीसी ने अनेक समयों पर सीवीसी के साथ निविदाओं संबंधी मूल्यांकन मानदंडों सहित उससे संबंधित अनेक मुद्दों को उठाया है। यह देखा गया है कि कभी-कभी संगठन किसी न्यूनतम फीस या अत्यधिक निम्न न्यूनतम फीस को कोट किए बिना निविदाएं जारी कर देते हैं। दूसरी ओर यह आवश्यक है कि न्यूनतम फीस और लागत शीट बनाए रखने संबंधी निविदाओं के प्रति प्रतिक्रिया करते समय इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन और आईसीएआई के सदस्यों द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन की मानीटरी की जाए।

निविदाएं जारी करने संबंधी ऐसे मुद्दों का समाधान करने के लिए पीडीसी ने वर्ष के दौरान "निविदाओं संबंधी मुद्दों की मानीटरी" करने हेतु एक समूह का गठन किया था, जो संगठनों द्वारा निकाले जाने वाली निविदाओं की मानीटरी और उनका मानकीकरण करेगा तथा वृत्तिक सेवाओं से संबंधित निविदाओं के मूल्यांकन की मानीटरी भी करेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों की प्रतिक्रियाओं की मानीटरी करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए एक तंत्र विकसित करेगा तथा उपयुक्त स्तरों पर विचलनों को भी निर्दिष्ट करेगा। वर्ष के दौरान, समय-समय पर संबंधित संगठनों को कठिनाईयों/दिशानिर्देशों के उल्लंघन आदि के संबंध में विभिन्न प्रतिवेदन भेजे गए थे।

**(IX) सहकारिता और एनपीओ :**

वर्ष 2020-21 के लिए, पीडी समिति के नोडल नियंत्रणाधीन सभी पांच क्षेत्रों में सहकारिता और एनपीओ से संबंधित समूहों का सृजन किया गया था, उनका व्यापक उद्देश्य परिनियमों में समुचित सुधारों के संबंध में सुझाव देना, एकसमान लेखांकन ढांचे का संवर्धन करना, सहकारिता और एनपीओ के क्षेत्रों में सीए हेतु अवसरों का सृजन करने के लिए संपरीक्षकों को राज्यवार पैनलबद्ध करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना है। समिति ने आईसीएआई के सदस्यों को इन विषयों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने और उन्हें उन क्षेत्रों से संबंधित समनुदेशनों को ग्रहण करने में समर्थ बनाने के लिए सहकारिता और एनपीओ संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का भी संचालन किया है।

**(X) सीएंडएजी को पैनलबद्ध करने संबंधी प्रारूप पुनरीक्षित संनियम**

सीएंडएजी ने सीए फर्मों को पैनलबद्ध किए जाने संबंधी वर्तमान व्यवस्था का पुनर्विलोकन करने और पैनलबद्ध सीए फर्मों को पीएसई संपरीक्षाएं आबंटित करने की प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए पुनरीक्षित संनियमों का प्रारूपण किया है और उसने इस संबंध में आईसीएआई से अंत:निवेश उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। आईसीएआई ने अपने तारीख 10 अक्तूबर, 2019 के पत्र के माध्यम से ये अंत:निवेश प्रस्तुत किए थे। संस्थान ने इस प्रकार अंतिम रूप प्रदान किए गए पुनरीक्षित संनियमों के संबंध में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था तथा उन्हें सीएंडएजी के कार्यालय द्वारा जनवरी, 2020 मास के दौरान सीए फर्मों को पैनलबद्ध किए जाने के लिए वेबसाइट पर रखा गया था।

**(XI) राज्यस्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी)**

भारतीय रिजर्व बैंक, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और निगमित निकायों (यूआईबी) द्वारा निक्षेप स्वीकार करने संबंधी क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए अपने प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय में राज्य स्तरीय समन्वयन समिति की एक त्रैमासिक बैठक का आयोजन करता है । ऐसी बैठकों का आयोजन आरबीआई के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय के प्रादेशिक निदेशक द्वारा किया जाता है और उसमें संबद्ध राज्यों के विभिन्न विभागों जैसे कि वित्त, गृह, विधि आदि के प्रधान सचिव, राष्ट्रीय आवास बोर्ड (एनएचबी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), चिट फंड रजिस्ट्रार, चिट फंड विभाग और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के प्रतिनिधि भाग लेते हैं । इस वर्ष के दौरान 20 से अधिक ऐसी बैठकों का आयोजन किया गया था, जिनमें आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

**(XII) महिला उद्यमशीलता मंच – नीति आयोग**

नीति आयोग के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अधीन आईसीएआई उसका एक ज्ञान भागीदार है और उसे साधारण जनता/उद्यमियों की उसके डब्ल्यूईपी पोर्टल पर प्राप्त हुई सभी शंकाओं के समाधान के लिए एक पैनल उपलब्ध कराना होता है, विशिष्ट रूप से कराधान, संपरीक्षा, लेखांकन, कानूनी अनुपालन, कारबार का विनियामक मूल्यांकन और कारबार विधिमान्यकरण प्रक्रियाओं से संबंधित शंकाओं के लिए ।

यह आनलाइन डब्ल्यूईपी पोर्टल विकसित किया जा रहा है और यह विकास के अंतिम चरणों पर है तथा आईसीएआई लगभग 10 सदस्यों के नाम उपलब्ध कराएगा, जो इस मंच पर प्राप्त होने वाली आनलाइन शंकाओं का समाधान उपलब्ध कराएंगे ।

**(XIII) आईआईएम के साथ समझौता ज्ञापन**

आईसीएआई ने सीए के लिए विभिन्न प्रबंध और वित्त संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए फरवरी, 2020 मास में आईआईएम जम्मू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे । इसके अतिरिक्त, आईआईएम अहमदाबाद के साथ भी चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । इस समझौता ज्ञापन के अधीन आईआईएम अहमदाबाद द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न आवासीय पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

परस्पर क्रियाशील बैठकें – सीए फर्मों के कौशल का संवर्धन और उनके स्तर को बढ़ाना ।

व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों को आज के आधुनिक युग के संदर्भ में तथा भविष्य में स्वयं को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्रियाशील सत्रों का आयोजन करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराने के विचार से वृत्तिक विकास समिति ने 9 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में "इंटरएक्टिव मीट – अपसिक्लिंग एंड अपस्केलिंग आफ सीए फर्म" विषय पर एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें वृत्तिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में ब्यौरेवार परिचर्चा की गई थी । इसके अतिरिक्त, उक्त बैठक का आयोजन 25 नवंबर, 2019 को चेन्नई में भी किया गया था ।

**(XIV) एसएलसीसी के अधीन आरबीआई के आर्थिक अपराध खंड (ईओडब्ल्यू) के साथ संयुक्त जागरुकता कार्यक्रम**

वृत्तिक विकास समिति ने आर्थिक अपराध खंड, नई दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से 4 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में राज्यस्तरीय समन्वयन समिति के सहयोग से एक संयुक्त जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसे श्रीमती पद्मनी सिंगला, सचिव, वित्त, श्री ओ.पी. मिश्रा, आईपीएस, अपर पुलिस कमीशनर, ईओडब्ल्यू, श्रीमती सुमीत कपूर, सीजीएम, पीएफआरडीए, श्री अजय कुमार, प्रादेशिक निदेशक, आरबीआई ने भी संबोधित किया था ।

**(XV) पीडी पोर्टल**

पीडीसी द्वारा विकसित पीडी पोर्टल (www.pdicai.org), आईसीएआई के सदस्यों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराता है, जो उनके ज्ञान और इस प्रकार उनके व्यवसाय को समृद्ध करने के लिए आवश्यक हो और साथ ही उनके ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं भी उपलब्ध कराता है । इसके अतिरिक्त, यह वृत्तिक अवसरों का सृजन करने के लिए व्यवसायरत सीए के लिए उपलब्ध सभी निविदाओं को भी सूचीबद्ध करता है । यह पोर्टल समिति के क्रियाकलापों के लिए एक पृथक् खंड भी उपलब्ध कराता है । इस पोर्टल पर एमईएफ आवेदन, आगामी वेबीनारों और आयोजनों, विभिन्न विनियामक निकायों के साथ किए गए संपर्क संबंधी जानकारियों को भी रखा जाता है ।

**5.20 लोक वित्त और शासकीय लेखाकंन संबंधी समिति (सीपीएंडजीएफएम)**

लोक वित्त और शासकीय लेखाकंन संबंधी समिति (सीपीएफएंडजीए) केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की लेखांकन सुधारों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन और लोकवित्त संबंधी बेहतर प्रबंध को सुकर बनाने में सहायता करने का अथक प्रयास करती है । समिति मुख्य रूप से भारत सरकार के विभिन्न टियरों में वित्त से संबंधित पदधारियों की सक्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है और इसके लिए समिति विभिन्न उपाय करती है जैसे कि कार्यशालाओं का आयोजन, सुसंगत ई-प्रशिक्षण माड्यूलों को विकसित करना आदि । इसके अतिरिक्त, समिति स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों (एएसएलबी) को भी तैयार करती है । अकाउंटेंटों को कारपोरेट सेक्टर से परे अपनी वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराके तथा साधारण जनता के लिए कार्य करके अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने संबंधी आईसीएआई की यह एक महत्वपूर्ण पहल है और इस प्रकार वह राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की अपनी भूमिका के प्रति खरा उतरता है ।

**किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप**

**(I) समिति द्वारा निकाले गए प्रकाशन :**

- स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों का सार-संग्रह- जिल्द 2
- भारत में स्थानीय निकायों में प्रोदभवन आधारित लेखांकन सुधारों के संबंध में प्रास्थिति पत्र : पर्यावलोकन (पुनरीक्षित)

**(II) स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों (एएसएलबी) को जारी करना :**

परिषद् वर्ष 2019-20 के दौरान स्थानीय निकायों द्वारा साधारण प्रयोजन वितीय रिपोर्टिंग संबंधी अवधारणात्मक ढांचे और प्रोदभवन आधारित 12 एएसएलबी, जिन्हें आईसीएआई की परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, जारी किए गए थे तथा उन्हें एएसएलबी के सार-संग्रह : जिल्द 2 के रूप में जारी किया गया था।

**(III) निम्नलिखित विषयों के संबंध में टीका-टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत किए गए थे :**

- अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड को 'सामुहिक और व्यष्टिक सेवाएं तथा आपातकालीन अनुतोष (आईपीएसएएस 19 में संशोधन)' से संबंधित उदभासन प्रारूप 67
- 27 अप्रैल, 2020 को आयोजित सीएपीए की पब्लिक सेक्टर वित्त प्रबंध समिति (पीएसएफएमसी) की बैठक की कार्यसूची, विद्यमान पीएसएफएम प्रकाशनों के अलावा।
- पीएएसएबी दस्तावेज/प्रारूप मानक :
  - 3 फरवरी, 2020 को आयोजित जीएएसएबी की 35वीं बोर्ड बैठक की कार्यसूची।
  - जीएएसएबी की सम्यक् प्रक्रिया।
  - आईजीएएस 2, 'सहायता अनुदान'।
  - आईजीएएस 3, 'ऋण और अग्रिम'।
  - 'बाह्य सहायता को प्राप्त करने वालों' संबंधी प्रकटन विवरण।
  - 'पूर्व अवधि समायोजन को सही करने' संबंधी प्रारूप।
  - आकस्मिक दायित्वों संबंधी प्रकटन विवरण।
  - 'बाह्य सहायता को प्राप्त करने वालों' संबंधी प्रारूप।
  - 'गैर-विनिमय और विनिमय संव्यवहारों से प्राप्त राजस्वों को मान्यता' संबंधी प्रारूप।

(IV) समिति ने केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए जीएएसएबी संबंधी निम्नलिखित मानकों के आधारिक प्रारूप को तैयार किया था :

- राजस्व
- असामान्य मदें

(V) समिति ने अनुसंधान समिति के साथ मिलकर केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लेखाओं में प्रकटन और पारदर्शिता संबंधी लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन के प्रभाव अध्ययन को पूरा किया है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।

(VI) समिति को असम सरकार द्वारा असम पीएसई के वार्षिक लेखाओं और कानूनी अनुपालनों को अंतिम रूप प्रदान करने के संबंध में परामर्श देने तथा उनकी मानीटरी करने के लिए गठित कार्यबल से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उनके समक्ष आ रहे मुद्दों का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से नियमित रूप से बैठकें की जा रही हैं।

(VII) **संगोष्ठियां/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम/वेबीनार**

समिति ने वर्ष के दौरान डीपीई, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकारी स्कीमें और उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका के विषय पर वेबीनारों, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा समनुदेशन : अपेक्षाएं और आशाएं आदि तथा "सरकारी और लोक वित्त प्रबंध सुधार : स्थानीय स्व:शासन परिप्रेक्ष्य" प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से सदस्यों के लिए मुंबई, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई और कोलकाता में निर्णय लिए जाने हेतु वित्त प्रबंध तथा पीएसयू पदधारियों के लिए इंड एएस के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था और इसके अतिरिक्त सरकारी वित्त प्रबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही विषय पर एक दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसे वरिष्ठ आईएएस, आईएएंडएएस, आईसीएएस अधिकारियों और वृत्तिकों द्वारा संबोधित किया गया था। इस कार्यक्रम में 25 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से 300 से अधिक सरकारी पदधारियों ने भाग लिया था। उपरोक्त के अलावा, नगरपालिक प्रशासन निदेशालय, गोवा द्वारा उसके पदधारियों और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए संकाय समर्थन भी प्रदान किया गया था।

(VIII) **स्थानीय निकायों के लिए प्रोदभवन लेखांकन के मूल सिद्धांतों संबंधी ई-पठन माड्यूल**

समिति ने आईसीएआई टीवी पर निम्नलिखित ई-व्याख्यानों का प्रसारण किया था :

- यूएलबी के लिए आरंभिक तुलन-पत्र तैयार करना और प्रथम वित्तीय विवरणों को पूरा करने के लिए प्रक्रियाएं, और
- प्रोदभवन आधार पर लेखांकन के अधीन अंतिम लेखाओं को तैयार करना।

(IX) **लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

समिति ने लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम एक कक्षा बैच और 2 आनलाइन बैचों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें 229 व्यक्तियों ने भाग लिया था।

(X) **सरकारी विभागों /स्थानीय निकायों के साथ बैठकें**

- आईसीएआई की कल्याण-डोम्बिवली शाखा के साथ संयुक्त रूप से लोक वित्त प्रबंध के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अवसरों के संबंध में वर्चुअल सीपीई बैठक का आयोजन किया गया था।
- आईसीएआई की रायपुर शाखा के साथ संयुक्त रूप से 28 जून, 2020 को "उभरता छत्तीसगढ़ – जवाबदेही पारदर्शिता और निवेश परिस्थितियां" विषय पर एक वर्चुअल सीपीई बैठक का आयोजन किया गया था। श्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री ने श्री मनोज कुमार पिंगुआ, आईएएस, प्रधान सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग और श्री संजय शुक्ला, आईएएस, प्रबंध निदेशक, सीजी राज्य के लघु वन उत्पाद सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के साथ इस बैठक को संबोधित किया।
- अनेक मंत्रालयों/सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों के वरिष्ठ पदधारियों के साथ परस्पर वृत्तिक हित के विषयों पर विचार-विमर्श करने और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए उनकी कार्यवाहियों और प्रक्रियाओं में मूल्यवर्धन लाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए बैठकें की गई।

**5.21 जन संपर्क समिति (पीआरसी)**

**जनसंपर्क समूह (30 अप्रैल, 2019 - 11 फरवरी, 2020)**

जनसंपर्क समूह को सीए अधिनियम के ढांचे के अधीन रहते हुए उपयुक्त समझे जाने वाले विभिन्न मार्गों और उपायों के माध्यम से एक अतिविशिष्ट लेखांकन निकाय और भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के लिए एकमात्र विनियामक प्राधिकरण के रूप में आईसीएआई की छवि को विकसित करने, उसे सुदृढ़ बनाने तथा उसमें अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से गठित किया गया था। जनसंपर्क समूह ने बेहतर संबंधों को स्थापित करने के लिए विभिन्न पहलें की थी और साथ ही बेहतर नेटवर्किंग अवसर उपलब्ध कराने और साथ ही आईसीएआई की छवि को ऊंचा उठाने हेतु बोद्धात्मक खाई को भरने के लिए अनेक उपाय किए थे।

**(I) महत्वपूर्ण पहलें/उपलब्धियां**

- सीए दिवस, 2019 – आईसीएआई के चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस को देश भर में आईसीएआई की 164 शाखाओं और 5 प्रादेशिक परिषदों में अति उत्साह और उल्लास से मनाया गया था और इसके दौरान विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों का आयोजन किया गया था। इस समारोह को मीडिया के द्वारा व्यापक रूप से विज्ञापित किया गया था और साथ ही नीचे उल्लिखित पहलें करते हुए इसे मुद्रण/इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था :
- सभी सोशल मीडिया मंचों के लिए एक लघु एवी – लगभग 1 मिनट की एक लघु एवी (केवल ऐनिमेशन वाली) को सोशल मीडिया मंचों पर प्लैटिनम जयंती समारोह का विज्ञापन करने हेतु विशेष रूप से तैयार किया गया था। उसे सभी सोशल मीडिया मंचों पर अपलोड किया गया था।
- सीए दिवस के अवसर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की लघु वीडियो – सीए दिवस के अवसर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ओर से सीए भ्रांतृसंघ को संबोधित करते हुए संदेश देने वाली एक लघु वीडियो तैयार की गई थी और उसे आईसीएआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। उसे सीए दिवस समारोह के दौरान स्क्रीन पर भी दिखाया गया था। उसके लिंक को संदर्भ हेतु सभी संबद्ध व्यक्तियों को भेजा गया था।
- कारपोरेट फिल्म, 2019-20 को अद्यतन करना –आईसीएआई कारपोरेट फिल्म को प्रधान कार्यालय/ डीसीओ/ प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं के द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण आयोजनों, संगोष्ठियों/सम्मेलनों आदि के दौरान चलाया जाता है। समूह ने वर्ष 2019-20 के लिए आईसीएआई की इस कारपोरेट फिल्म को अद्यतन किया था और उसे सभी संबद्ध व्यक्तियों के संदर्भ हेतु आईसीएआई टीवी पर अपलोड किया गया था और उसके लिंक को सभी संबद्ध व्यक्तियों के संदर्भ हेतु भेजा गया था।

**(II) सीए दिवस 2019 समारोहों के दौरान की गई अन्य पहलें**

- सभी प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं को, उन्हें सीए दिवस मनाने हेतु विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप करने की सलाह देते हुए एक संसूचना भेजी गई थी। देश भर के सभी सदस्यों/छात्रों/पणधारियों ने इस प्रतिष्ठित अवसर को मनाने के लिए एकता का प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जैसे निवेशक जागरुकता कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण, पौधारोपण और रक्तदान शिविर आदि। शाखाओं ने भी संस्थान के 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्यों को वृत्ति के प्रति उनके योगदान हेतु सम्मानित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया था।

- विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों से इस अवसर से संबंधित सदभावी संदेश भेजने का अनुरोध किया गया था, जिन्हें सीए दिवस के उपलक्ष्य में निकाले गए चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के विशेष अंक में प्रकाशित किया गया था।

**(III) 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस**

5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए आईसीएआई ने सभी सदस्यों और छात्रों को स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क को प्राप्त करने में योग के महत्व को समझने में सहायता प्रदान करने और उन्हें योग के प्रति उत्साहित करने के लिए अनेक पहलें की थी। पीआर समूह ने आईसीएआई की सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं से यह अनुरोध किया था कि वे विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप करके देश भर में 21 जून, 2019 को इस योग दिवस को मनाए। ऐसे क्रियाकलापों को करने हेतु सभी संबद्ध निकायों को एक विशेष अनुदान भी मंजूर किया गया था। आईसीएआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने इस अवसर पर सीए भ्रातृसंघ को संबोधित किया था और उनकी लघु वीडियो को रिकार्ड करके योगा दिवस पर चलाए जाने हेतु सभी संबद्ध व्यक्तियों को अग्रेषित किया गया था।

**(IV) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन**

6 और 7 दिसंबर, 2019 के दौरान मुंबई में आईसीएआई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संवर्धन करने हेतु निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई थी :

- प्रिंट मीडिया – (i) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रचार-प्रसार करने और उसके हेतु किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरणों में वृद्धि करने के लिए आयोजन पूर्व विज्ञापनों को इन फ्लाइट पत्रिकाओं - स्पाइस रुट, गो गैटर और विस्तारा तथा बिजनेस टूडे और आउटलुक जैसी कारबार पत्रिकाओं के नवंबर अंक में प्रकाशित किया गया था।

  (ii) दो प्रमुख प्रकाशनों में जागरुकता का सृजन करने और ब्रांड की छवि निर्माण हेतु एक आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

- इलैक्ट्रानिक मीडिया – इस अंतर्राट्रीय कांफ्रेंस का दो चैनलों – सीएनबीसी टीवी 18 और सीएनबीसी आवाज के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया था। सम्मेलन के आयोजन से पूर्व उससे संबंधित विज्ञापनों का जागरुकता के सृजन और रजिस्ट्रीकरण को प्रोत्साहन देने हेतु प्रसारण किया गया था। इस संपूर्ण आयोजन को सीएनबीसी टीवी के एक दल ने भलीभांति कवर किया था और उसके संबंध एक आधे घंटे के एपिसोड को तैयार किया गया था, जिसका टेलीकास्ट सीएनबीसी टीवी 18 और सीएनबीसी आवाज पर किया गया था। इस एपिसोड को भी विज्ञापनों के माध्यम से भलीभांति प्रचारित किया गया था।

- सदभावी संदेश – अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2019 के उपलक्ष्य में एक स्मृति चिह्न निकाला गया था। विभिन्न सुविख्यात व्यक्तियों से आईसीएआई के योगदान, चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता से संबंधित सदभावी संदेश भेजने का अनुरोध किया गया था, ऐसे 15 संदेश प्राप्त हुए थे जिन्हें इस स्मृति चिह्न में प्रकाशित किया गया था।

- सम्मेलन के आयोजन स्थल पर ब्रांड निर्माण – आईसीएआई द्वारा की गई विभिन्न पहलों को दर्शित करते हुए बोर्ड तैयार किए गए थे, जिन्हें सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विज्ञापन हेतु प्रमुख स्थानों पर रखा गया था। इन बोर्ड डिजाइनों (संख्या मे कुल 15) को तैयार करने के पश्चात् उन्हें अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आईए समिति के साथ साझा किया गया था।

- आडियो विजुअल्स – जैसा कि सलाह दी गई थी, आईसी 2019 के दौरान चलाए जाने के लिए निम्नलिखित आडियो विजुअल्स (एवी) तैयार किए गए थे :

  - आईसीएआई की प्रमुख उपलब्धियों संबंधी एवी
  - निम्नलिखित चार प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित प्रस्तावनात्मक एवी :
    - ❖ श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय महिला और बाल विकास तथा टैक्सटाइल मंत्री
    - ❖ श्री अनुराग सिंह ठाकुर, माननीय वित्त और कारपोरेट कार्य राज्यमंत्री
    - ❖ श्री सुरेश प्रभु, माननीय संसद् सदस्य
    - ❖ श्री इनजेती श्रीनिवास, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**(V) अन्य पहलें**

सीए पाठ्यक्रमों और आईसीएआई की पहलों का संवर्धन करने वाला विज्ञापन – सीए पाठ्यक्रम और विभिन्न क्षेत्रों में चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रस्थापित सेवाओं का संवर्धन करने हेतु एक विज्ञापन प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित किया गया था। इसके साथ ही आईसीएआई द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों जैसे वर्चुअल प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम, ई-पठन, गो ग्रीन आदि के संबंध में भी विज्ञापन तैयार किए गए थे और आईसीएआई के जर्नल में उनका प्रकाशन किया गया था।

आईसीएआई ब्रांड का निर्माण – यूडीआईएन की अवधारणा का संवर्धन करते हुए एक विज्ञापन इन फ्लाइट प्रसुविधाओं – स्पाइस रूट, गो गैटर और विस्तारा के सितंबर, 2019 अंक में प्रकाशित किया गया था।

विज्ञापन – यू.के. के एनएआरआईसी द्वारा आईसीएआई अर्हता की बैंचमार्किंग - यू.के. के एनएआरआईसी द्वारा आईसीएआई अर्हता की बैंचमार्किंग के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए एक विज्ञापन तैयार किया गया था और इसका प्रकाशन प्रमुख दैनिक वित्तीय

समाचार-पत्रों में किया गया था । सीए अर्हता की यह बैंचमार्किंग आईसीएआई के सदस्यों की स्थिति को सुदृढ़ करेगी और सीए अर्हता की संगतता और प्रतिष्ठा के संबंध में कारपोरेट जगत में एक बेहतर समझ को तैयार करेगी । यह उच्चतर अध्ययनों के लिए अवसर भी उपलब्ध कराएगी और साथ ही इससे आईसीएआई के सदस्यों/अर्ध-अर्हित वृत्तिकों हेतु यू.के, मध्य-पूर्व और एनएआरआईसी मूल्यांकन को स्वीकार करने वाली अन्य विदेशी अधिकारिताओं में नए-नए वृत्तिक अवसरों में बढोतरी होगी ।

सभी लैंडलाइन टेलीफोन नंबरों और आईसीएआई के कर्मचारियों के लिए आईसीएआई कॉलर ट्यून – ब्रांड छवि का निर्माण करने और आईसीएआई की कारपोरेट पहचान को विकसित करने हेतु एक प्रमुख पहल के रूप में पीआर समूह द्वारा सभी लैंडलाइन टेलीफोन नंबरों और आईसीएआई के सभी कर्मचारियों के लिए एक कालर ट्यून तैयार की गई थी, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था । इस कालर ट्यून का उपयोग आईसीएआई के सभी कर्मचारियों द्वारा उनके मोबाइल फोन पर और साथ ही सभी शासकीय लैंडलाइन टेलीफोन नंबरों के लिए किया जा रहा है । यह कालर ट्यून प्रधान कार्यालय के सभी शासकीय मोबाइल फोनों (एयरटेल) और साथ ही प्रधान कार्यालय स्थित ईपीबीएएक्स (पायलेट संख्या 011-39893989) में भी यह कालर ट्यून चल रही है । सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं को यह अनुरोध करते हुए संसूचना अग्रेषित की गई थी कि वे आईसीएआई के सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोनों और सभी शासकीय लैंडलाइन टेलीफोन नंबरों के लिए इस कॉलर ट्यून को कार्यरत बनाएं ।

वीडियो द्वारा मिथ्या रिपोर्टिंग के संबंध में प्रतिक्रिया के रूप में संपादकों को पत्र – हाल ही में, आईसीएआई के समक्ष कतिपय ऐसी मीडिया रिपोर्टें आई थी, जिनमें वृत्ति और उसके सदस्यों को बुरे रूप में दर्शाया गया था । आईसीएआई ने इस संबंध में कड़े तेवर दर्शित किए थे कि समाचारों को इस रीति में प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था, जिसमें वृत्ति की शाख पर धब्बा लगा था । तदनुसार, उन समाचार-पत्रों के संपादकों, जिनमें आईसीएआई की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली प्रतिकूल रिपोर्टों को प्रकाशित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप चार्टर्ड अकाउंटेंट की छवि साधारण जनता के समक्ष धूमिल हुई थी, को पत्र जारी किए गए थे । प्रकाशनों से यह अनुरोध किया गया था कि वे संबंधित मामलों में समुचित शुद्धिपत्र जारी करें ।

आईसीएआई ईयर-बुक 2019-20 – संस्थान/समितियों/विभागों/प्रादेशक कार्यालयों/शाखाओं द्वारा वर्ष के दौरान की गई पहलों और उनकी उपलब्धियों को समाविष्ट करते हुए एक व्यापक दस्तावेज "ईयर-बुक" नामक प्रकाशन के रूप में निकाला गया था । पीआर समूह ने सभी समितियों/शाखाओं /प्रादेशिक कार्यालयों से जानकारी को इकठ्ठा किया था और उसके पश्चात् सभी सामग्री का संकलन और संपादन किया था । ईयर-बुक के डिजाइन को तैयार किया गया था और उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार अंतिम रूप प्रदान किया गया था ।

**जन-संपर्क समिति (12 फरवरी, 2020 – 30 जून, 2020)**

**(I) सीए दिवस, 2020**

- रेडियो – सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत और उसके द्वारा यथा अनुमोदित प्रस्तावों के आधार पर सीए दिवस, 2020 को रेडियो सिटी (13 स्टेशन) के माध्यम से प्रचारित किया गया था । इसके अंतर्गत, 1 जुलाई, 2020 को एक-एक मिनट के विज्ञापन को तीस बार रेडियो सिटी पर प्रसारित किया गया था । इस शो का प्ररूप प्रश्नोत्तरों के रूप में था, जिसमें सामान्य कारबार मुद्दों के संबंध में केंद्रीय परिषद् सदस्यों, आईसीएआई द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए गए थे । आईसीएआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साक्षात्कारों को भी रेडियो सिटी पर प्रसारित किया गया था ।
- प्रिंट मीडिया में विज्ञापन – एक चौथाई पृष्ठ के रंगीन विज्ञापनों को तैयार किया गया था और उन्हें पीआर समिति के सचिवालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मोलभाव की गई दरों पर प्रमुख/वित्तीय/देशी भाषा के समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया था ।
- सदभावी संदेश – इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों से सदभावी संदेशों को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें सीए दिवस के उपलक्ष्य में निकाले गए चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के विशेष अंक में प्रकाशित किया गया था ।
- आईसीएआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लघु वीडियो – सीए दिवस के अवसर पर आईसीएआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदेशों को रिकार्ड किया गया था और उन्हें एक लघु वीडियो क्लिक के रूप में तैयार किया गया था । इस क्लिक को, सीए दिवस समारोह के दौरान चलाए जाने के लिए सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के साथ साझा किया गया था ।

**(II) वेबीनार**

मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दो वेबीनारों का आयोजन किया गया था, जिनमें से एक को श्रीश्री रवि शंकर, आध्यात्मिक गुरू द्वारा संबोधित किया गया था और यह कोविड-19 परिसंकट के बीच सकारात्मक सोच को बनाए रखने से संबंधित था और दूसरा वेबीनार सिस्टर बी.के. शिवानी, आध्यात्मिक और प्रेरणात्मक वक्ता, ब्रह्म कुमारी विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा संबोधित किया गया था । इन वेबीनारों को व्यापक रूप से आईसीएआई के सभी सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से प्रचारित किया गया था और इनसे संबंधित बड़ी संख्या में मेल/एसएमएस अखिल भारतीय सदस्यों/छात्रों को भेजे गए थे, जिससे वे इन लाइव सत्रों में भाग ले सके। इन कार्यक्रमों को अत्यधिक सराहा गयाथा और इसमें अनेक सदस्यों/छात्रों ने भाग लिया था ।

**(III) प्रैस कांफ्रेस**

आईसीएआई के नए निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने 13 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में एक प्रैस कांफ्रेस को संबोधित किया था । प्रमुख वित्तीय दैनिक समाचार-पत्रों, न्यूज वायर अभिकरणों, आनलाइन मीडिया और टीवी चैनलों के संपादकों/पत्रकारों को इस प्रैस

कांफ्रेस में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था। आईसीएआई के अध्यक्ष ने मीडिया को अनुशासन तंत्र, लेखांकन मानकों के क्षेत्र में हुई नवीनतम घटनाओं से अवगत कराया था और साथ ही आगामी मासों के लिए आईसीएआई की कार्यसूची के बारेर में भी जानकारी दी थी। अध्यक्ष ने पत्रकारों के साथ बातचीत भी की थी और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया था। इस समाचार को मीडिया द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया था।

**(IV) आईसीएआई मैलर**

आईसीएआई की नवीनतम पहलों के संबंध में सदस्यों को जानकारी प्रदान करने के विचार से आईआईएम जम्मू के साथ एचटीएमएल मैलर से संबंधित आईसीएआई के समझौता ज्ञापन को केंद्रीय परिषद् के सभी सदस्यों, अखिल भारतीय सदस्यों और संसद् सदस्यों (लोक सभा) को अग्रेषित किया गया था। यह विनिश्चय किया गया था कि महत्वपूर्ण जानकारियों को नियमित आधार पर इस मैलर के माध्यम से सदस्यों और पणधारियों को अग्रेषित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए पीआर समिति और डिजीटल रि-इंजीनियरिंग एंड लर्निंग डारेक्ट्रेट ने इस मैलर को विकसित करने हेतु एक साथ मिलकर कार्य किया था।

**(V) पत्रिकाओं में विज्ञापन /विज्ञापन लेखों/लेखों के माध्यम से ब्रांड छवि का निर्माण**

आईसीएआई और सीए वृत्ति की ब्रांड छवि के निर्माण हेतु यह विनिश्चय किया गया है कि आईसीएआई की पहलों और उपलब्धियों को विज्ञापनों/विज्ञापन लेखों/लेखों/राइटअप के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। आज की तारीख तक निम्नलिखित विज्ञापन और विज्ञापन प्रकाशित किए गए है :

- इन फ्लाइट पत्रिकाओं – स्पाइस रूट और गो गैटर
- आईसीएआई का संबोधन करने वाला एक विज्ञापन इंडिया टूडे में प्रकाशित किया गया था और साथ ही आईसीएआई द्वारा "संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी केंद्र" ई-स्थापना के संबंध में एक विज्ञापन लेख भी इंडिया टूडे में प्रकाशित किया गया था।
- वार्षिक सभा के लिए, जिसमें सुविख्यात व्यक्तियों द्वारा भाग लिया था, इंडिया टूडे द्वारा निकाली गई कॉफी टेबल बुक (सीटीबी) – "इंडिया टूमारो" में आईसीएआई से संबंधित एक विज्ञापन लेख (दो पृष्ठ का) का प्रकाशन किया गया था।
- स्पाइस रूट पत्रिका में आईसीएआई की हाल ही की पहलों के संबंध में एक लघु लेख प्रकाशित किया गया था।
- वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान नर्सों के अथक प्रयासों को मान्यता प्रदान करते हुए एक प्रमुख प्रकाशन में आईसीएआई द्वारा इन अगली पंक्ति के योद्धाओं को सम्मानित करते हुए प्रकाशित किया गया था।
- एक विज्ञापन तैयार करके प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित किया गया था, जिसके माध्यम से सदस्यों/साधारण जनता को 22 मार्च, 2020 को उदघोषित जनता कर्फ्यू के संबंध में अद्यतन जानकारी प्रदान करते हुए और साथ ही उसे समर्थन देते हुए सरकार की इस पहल के संबंध में आईसीएआई की प्रतिबद्धता को दर्शित किया गया था।
- फाउंडेशन पाठ्यक्रम में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण हेतु विज्ञापन के लिए 15 दिनों की अवधि के लिए .com/मोबाइल ऐप/सूचीबद्ध प्रकाशनों के डब्ल्यूएपी मंचों पर दो डिजीटल बैनरों को रखा गया था।

**(VI) अन्य पहलें**

- मुद्रण/इलैक्ट्रानिक और आनलाइन मीडिया के अतिरिक्त सोशल मीडिया के माध्यम से संस्थान की सभी प्रमुख पहलों का संवर्धन किया गया था।
- मीडिया को सतत रूप से पाठ्यचर्या, वृत्ति, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के दौरे और अन्य क्रियाकलापों तथा आयोजनों आदि से संबंधित नवीनतम घटनाओं से प्रैस विज्ञप्तियां जारी करके अवगत कराया गया था।
- आज के निरंतर क्रियाशील संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति की संभावनाओं और परिधि क्षेत्र का, लेखों और साथ ही परस्पर क्रियाशील बैठकों/राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर पर प्रैस को जारी की गई विज्ञप्तियों और विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से संवर्धन किया था।
- आईसीएआई के भीतर विभिन्न विभागों, प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं को, आईसीएआई और उसके कार्यालयों/संबद्ध संगठनों से जोड़े रखने और संसूचना संबंध विकसित करने के विचार से संभार समर्थन उपलब्ध कराया गया था।
- पीआर कार्य के भागरूप में मुद्रण और इलैक्ट्रानिक मीडिया में आईसीएआई की विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यक्रमों/आयोजनों को उपयुक्त रूप से कवर किया गया था।

**5.22 अनुसंधान समिति**

अनुसंधान समिति भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की सबसे अधिक पुरानी तकनीकी समितियों में एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। अनुसंधान समिति का मुख्य उद्देश्य, वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का मूल्यवर्धन करने के विचार से लेखांकन और अन्य सहबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करना है। यह समिति लेखांकन पहलुओं के संबंध में मार्गदर्शक टिप्पण तैयार करती है, जिन्हें परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जाता है। समिति, वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के मूल्य में अभिवर्धन करने के लिए साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों के संबंध में तकनीकी गाइडों, अध्ययनों, मोनाग्राफों आदि को भी निकालती है।

**(I) प्रगतिशील परियोजनाएं**

समिति निम्नलिखित विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रही है :

- शेयर आधारित संदायों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण
- ई-वाणिज्य और क्लाउड संगणना कंपनियों द्वारा लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण
- एएस 25 के लागू होने और अंतरिम वित्तीय परिणामों के लिए आय-कर व्ययों के मापमान संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण
- प्रोदभवन आधार पर लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण
- संविदाकारों की दशा में आवर्त संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण
- व्युत्पन्नियों संबंधी संविदाओं के लेखांकन संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण
- साफ्टवेयर हेतु राजस्व मान्यता संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण का पुनरीक्षण

**(II) पुरस्कार**

- **वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार**

इन पुरस्कारों को वर्ष 1958 से वार्षिक रूप से प्रदान किया जा रहा है। विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में पुरस्कार विजेताओं का चयन एक 3 टियर ठोस मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है : सर्वप्रथम प्रारंभिक मूल्यांकन तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात् शील्ड पैनल द्वारा सूचीबद्ध वार्षिक रिपोर्टों का पुनर्विलोकन किया जाता है और इनका अंतिम पुनर्विलोकन एक बाहरी ज्यूरी द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2018-19 की प्रतिस्पर्धा के लिए ज्यूरी की बैठक 13 दिसंबर, 2019 को मुंबई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गई थी। पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए बैठक में भाग लेने वाले ज्यूरी के अन्य सदस्यों में सीए थामस शाजीकदन, संसद् सदस्य, लोक सभा, सीए योगेश गुप्ता, आईपीएस, अपर डीजीपी और विशेष प्रवर्तन निदेशक, पूर्वी भारत, सीए अमरजीत चोपड़ा, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए सुनील गोयल, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए प्रवीण कुटुंबे, सदस्य (एफएंडआई), आईआरडीएआई, श्री सुनील कनौजिया, उपाध्यक्ष, एसआरईआई इंफ्रास्ट्रकचर फाइनेंस लिमिटेड और सीसीएम – सरकार के नामनिर्देशिती, सीए सोभेश अग्रवाल, संकाय, आईआईएम अहमदाबाद, श्री वी. कुरियन, पूर्व अपर उप सीएंडएजी, सीए (डा.) गिरिश आहूजा, अध्यक्ष, संपरीक्षा समिति, भारतीय स्टेट बैंक, सीए किशोर रुंगटा, सीएमडी, द फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी), सीए निलेश शाह, प्रबंध निदेशक, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड सम्मिलित थे।

पुरस्कारों की स्कीम के अनुसार सर्वोत्तम प्रविष्टि और दूसरी सर्वोत्तम प्रविष्टि के लिए क्रमशः एक स्वर्ण शील्ड और एक रजत शील्ड पुरस्कार में प्रदान की जाती है। ऊपर उल्लिखित पुरस्कारों के अलावा सराहनीय प्रविष्टियों के लिए पट्टिकाएं पुरस्कार में दी जाती हैं। हाल ऑफ फेम पुरस्कार ऐसे अस्तित्वों को प्रदान किया जाता है, जो किसी विशिष्ट प्रवर्ग में लगातार पांच स्वर्ण शील्ड का विजेता रहा हो।

'वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार' के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए 23 जनवरी, 2020 को बीएम बिरला सभागार, जयपुर में एक समारोह का आयोजन किया गया था। कुल 11 पुरस्कार प्रदान किए गए थे, जिनमें 4 स्वर्ण शील्ड, 6 रजत शील्ड और 1 पट्टिका सम्मिलित थीं।

- **आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार, 2020**

यह पुरस्कार लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान, वित्त और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान अध्येताओं के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य लेखांकन, वित्त और कराधान तथा संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान क्रियाकलापों को बढावा देने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान करने के उद्देश्य से लेखांकन, संपरीक्षा, वित्त, अर्थशास्त्र और कराधान के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण योगदान को अभिस्वीकृति प्रदान करना है। इन क्षेत्रों में लेखांकन वृत्ति अनुसंधान और ऐसे योगदानों के रूप में लोक हित में अपनी सम्यक् भूमिका निभा सकती है, जिससे उभरते हुए विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय जोखिमों को कम करने हेतु नवीन व्यवहारों के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके और वैकल्पिक रूप से लोक हित का संवर्धन करने के लिए उत्तम व्यवहारों को स्थापित किया जा सके। दिए जाने वाले पुरस्कारों में स्वर्ण शील्ड, रजत शील्ड और कांस्ये शील्ड सम्मिलित है। ये पुरस्कार पांच व्यापक प्रवर्गों के अधीन प्रदान किए जाएंगे, अर्थात् लेखांकन, संपरीक्षा, अर्थशास्त्र, वित्त और कराधान।

**(III) स्कीमें**

- **आईसीएआई की डाक्ट्रेट संबंधी छात्रवृत्ति स्कीम 2020 –** यह स्कीम संस्थान के ऐसे सभी सदस्यों के लिए खुली है, जो पीएचडी पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं और इस स्कीम के अधीन उत्कृष्ट शैक्षिक रिकार्ड वाले ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें संपरीक्षा, कराधान, वाणिज्य, प्रबंध और लेखांकन अनुशासन जैसे अनुसंधान के क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान करने की प्रवृत्ति और प्रतिबद्धता है। प्रत्येक वर्ष पांच अध्येताओं को तीन वर्ष के लिए पचास हजार रुपए प्रति मास छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

- **आईसीएआई अनुसंधान परियोजना स्कीम 2020 –** यह स्कीम हमारे अनुभव प्राप्त सदस्यों और विख्यात शैक्षिक संस्थानों के संकाय सदस्यों या अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान संबंधी परियोजनाएं आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो हमारे संपूर्ण समाज के लिए साधारण रूप से फायदाप्रद होंगी। दस लाख रुपए की अधिकतम रकम को प्रतिपूर्ति व्यय के रूप में प्रदान किया जाएगा।

**(IV) सम्मेलन/वेबीनार/वर्चुअल बैठकें**

समिति ने, वर्ष के दौरान, वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता, अनुसंधान पद्धति में नई तकनीकों, एमएसएमई उद्योगों में बीमारू उद्योगों के संबंध में और उनके उपचार हेतु अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका, वृत्तिक आचार – अनुसंधान के लिए परिधि क्षेत्र क्रिप्टो करेंसी : निवेश के लिए एक विकल्प, पूंजी बाजार में अनुसंधान संबंधी वृत्तिक अवसर, अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने संबंधी आशावादी मार्ग जैसे विषयों पर सम्मेलनों/वेबीनारों/वर्चुअल बैठकों का आयोजन किया था।

**(V) वर्ष के दौरान जारी प्रकाशन**

- वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त किए जाने वाले पदों की शब्दावली
- माल और सेवाकर (जीएसटी) के अधीन लेखांकन व्यवहारों संबंधी हैंडबुक
- मोशन पिक्चर फिल्मों के लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड

**5.23 पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति (सीसीएमएंडआईपी)**

पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति (सीसीएमएंडआईपी) सरकार/विनियामकों को प्रस्तुत किए जाने हेतु, पूंजी बाजार से संबंधित विभिन्न विधेयकों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अन्य दस्तावेजों के संबंध में सुझाव उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त, यह समिति विभिन्न मुद्दों के संबंध में नियमित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ परस्पर क्रियाएं करती है उदाहरणार्थ निक्षेपकर्ताओं से संबंधित, गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के प्रबंध, बैंक प्रचालन और पर्यवेक्षण से संबंधित, प्रतिभूतिकरण से संबंधित मुद्दों, गैर-बैककारी वित्त कंपनियों – एनबीएफसी (आरबीआई का गैर बैंककारी वित्त कंपनियों संबंधी विभाग), सहकारी बैंकों के विनियामक प्राधिकरण, उनकी निवेश योजनाओं के संबंध में रणनीति/सिफारिशें, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आदि। यह समिति प्राथमिक और गौण बाजारों, कंपनियों के अर्जन, समामेलन, विलयन (कर मुक्त क्षेत्र, भागीदारी टिप्पण, चलायमान मुद्रा, निगम शासन विनियामक अनुपालन आदि), परस्पर निधियां, विदेशी संस्थागत निवेशक, मध्यवर्ती, प्रतिभूति विधियां, आदि, अग्रिम बाजार आयोग (एफएमसी), जिसके अंतर्गत एनसीडीएक्स और एमसीएक्स, स्टाक एक्सचेंज भी हैं, पूंजी बाजार और निवेशकों की संरक्षा संबंधी मुद्दों के संबंध में भी सुझाव प्रस्तुत करती है।

वर्ष के दौरान समिति ने निम्नलिखित क्रियाकलाप किए थे :

- राष्ट्र निर्माण में एक अधिमानी भागीदार के रूप में उभरने और साधारण जनता में, वित्तीय प्रतिभूतियों में उनके धन को निवेश करने से संबंधित किए जाने वाले और न किए जाने वाले कार्यों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने और वित्तीय साक्षरता का संवर्धन करने के उद्देश्य से समिति कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के तत्वाधान में निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों (आईएपी) का आयोजन करती है। इन कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न संसाधन व्यक्तियों और कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं, अध्ययन सर्कलों, अध्ययन चैप्टरों और अध्ययन समूहों) के माध्यम से देश भर में किया जाता है।
- समिति ने वर्ष 2019-20 के दौरान संपूर्ण भारत में 623 निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसमें कुल 32,300 व्यक्तियों को, जिनमें 10,766 महिलाएं भी सम्मिलित थी, वित्तीय रूप से शिक्षित किया गया था।
- आज की तारीख तक, समिति ने अखिल भारत आधार पर 6223 निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसके माध्यम से आईसीएआई ने कुल 3,36,150 से अधिक व्यक्तियों को, जिनमें 1,12,050 महिलाएं भी सम्मिलित थी, वित्तीय रूप से शिक्षित किया है।
- समिति ने निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) के तत्वाधान में निवेशक शिक्षा और जागरुकता के संबंध में भुवनेश्वर और धर्मशाला में राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया था।
- आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा 29 निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- समिति को एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, अर्थात् "विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" का आयोजन करने का कार्य सौंपा गया है।
- समिति ने, विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 55 आफलाइन बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस अवधि के दौरान समिति ने विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 2 बैचों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, जिनमें आईसीएआई के कुल 46 सदस्यों ने विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या के लिए अपना नामांकन किया था।
- समिति ने, पूर्व में 23 और 24 नवंबर, 2019 के दौरान आयोजित विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पूर्व बैचों के लिए आयोजित मूल्यांकन परीक्षा के परिणामों की घोषणा 11 फरवरी, 2020 को की थी।

- समिति ने, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के कार्यपालकों हेतु 16 से 18 दिसंबर, 2019 के दौरान बीकेसी, मुंबई में ओएनजीसी के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय वित्त संबंधी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था।
- समिति ने वर्ष के दौरान, सदस्यों के वृत्तिक विकास के लिए पूंजी बाजार संबंधी आरआरसी, प्रतिस्पर्धा संबंधी नए आयाम – चार्टर्ड अकाउंटेंटों को भविष्य की चुनौतियों हेतु तैयार करने, विषय पर चैल, हिमाचल प्रदेश और लुधियाना में विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं/राष्ट्रीय सम्मेलनों/वेबकास्टों का आयोजन किया था।

### 5.24 संपरीक्षा समिति

संपरीक्षा समिति का गठन संस्थान की परिषद् द्वारा शासित होता है। संपरीक्षा समिति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सत्य और उचित हैं, संस्थान की वित्तीय सूचना की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और प्रकटन का पुनर्विलोकन करती है। यह समिति संस्थान की विभिन्न इकाईयों के लिए संपरीक्षकों की नियुक्ति करती है, संपरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करती है, अनुवर्ती कार्रवाई करती है और संस्थान की विभिन्न इकाईयों के संपरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करती है। यह संस्थान की विभिन्न इकाईयों हेतु संपरीक्षकों की नियुक्ति करते समय स्वतंत्रता और ईमानदारी को सुनिश्चित करती है। संपरीक्षा समिति, उसकी प्रत्येक प्रादेशिक परिषदों में अवस्थित पांच प्रादेशिक संपरीक्षा समितियों के माध्यम से प्रचालन करती है।

### 5.25 अंकीय पुन: इंजीनियरी और पठन निदेशालय (डीआरएलडी)

#### महत्वपूर्ण उपलब्धियां/पहलें

- आईसीएआई डिजीटल पठन केंद्र – आईसीएआई ने अपने डिजीटल पठन केंद्र को विभिन्न विषयों पर ई-पुस्तकों और वीडियो व्याख्यानों को सम्मिलित करके समृद्ध बनाया है। सीपीई घंटों के प्रावधान के साथ डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंटों के सतत पठन को सुनिश्चित किया जाता है। फिलहाल, इस डिजीटल पठन केंद्र तक पहुंच बनाने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जा रही है। अनेक नए पाठ्यक्रम केंद्र और पाठ्यक्रम इस डिजीटल पठन केंद्र पर आरंभ किए गए हैं और अन्य अनेकों को इस पर रखे जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। डिजीटल पठन केंद्र का लिंक https://learning.icai.org/iDH/icai/home के अंतर्गत उपलब्ध है।
- नई और समुन्नत वेबसाइट icai.org का शुभारंभ – icai.org वेबसाइट में आमूल-चूल सुधार किए गए है, जिससे उसे नए रूप और अनुभव के साथ प्रस्तुत किया जा सके तथा उसे परिवर्तनशील समय और प्रौद्योगिकी के अनुरूप बनाकर सभी पणधारियों के अनुभव को समृद्ध बनाया जा सके। नई वेबसाइट में सुगम खोज वाली अंतर्वस्तुएं, भिन्न-भिन्न ब्राउजरों और युक्तियों से समन्वयता और अंतर्वस्तु तक त्वरित पहुंच को सम्मिलित किया गया है।
- आईसीएआई ने अपने डिजीटल पठन केंद्र और आईसीएआई मोबाइल ऐप के लिए व्यापार चिह्न रजिस्ट्रीकरण भी करा लिया है।
- आईसीएआई ने सर्वप्रथम रूप से आनलाइन पद्धति से एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया है (वर्चुअल लाइव कक्षाएं), जो सदस्यों की किसी भी स्थान से पठन करने में सहायता कर रहा है।
- नई वर्चुअल कक्षा प्रौद्योगिकी के माध्यम से समकालीन और उभरते विषयों संबंधी वेबीनारों और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।
- आईसीएआई के लिए लागत को कम करने संबंधी पहलें, अर्थात् शाखाओं/प्रादेशिक कार्यालयों आदि में वीपीएन कनेक्टिविटी को हटाए जाने के लिए इंटरनेट पर वीआईपी को स्थापित (सीएलटीआरआईएफ) संबंधी कार्य किया जा रहा है।
- आईसीएआई मोबाइल ऐप – आईसीएआई नावो और आईसीएआई के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों ने आईसीएआई के विभिन्न आयोजनों, आईसीएआई की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और पहलों को बिना किसी लागत के आईसीएआई के छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
- आईसीएआई आंतरिक टिप्पण पोर्टल – इस पोर्टल को आंतरिक टिप्पण के अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया को कागज रहित बनाने और साथ ही इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी रूप से सरल तथा कारगर बनाने के लिए इस पोर्टल को आरंभ किया गया है।
- कोविड-19 – संसाधन पृष्ठ – कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के दौरान सीए सदस्यों, छात्रों और आईसीएआई के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण उदघोषणाओं के संकलन को वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया पर रखा जाता है तथा उन्हें नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
- 'कोविड-19 पश्च परिदृश्य में वृत्ति का भविष्य – वर्चुअल लेखांकन फर्में' विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया गया था, जिसमें बहु प्रकार के विषयों, अर्थात् प्रौद्योगिकी समर्थ वर्चुअल फर्म – उपकरण, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना, दूर से ही कार्यों और दलों का प्रबंध करना – भूमिकाएं, उत्तरदायित्व और रिपोर्टिंग, डाटा प्रबंध के लिए क्लाउड संगणना रणनीति को अपनाया जाना, साइबर सुरक्षा – वर्चुअल परिस्थितियों से संबंधित जोखिमों में कमी लाना और ग्राहकों को कहीं से भी और किसी भी समय समर्थन उपलब्ध कराना, पर विचार-विमर्श किया गया था।

### 5.26 क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी)

क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन 28 जून, 2007 को केंद्रीय सरकार द्वार निम्नलिखित कृत्य करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28क के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार किया गया था :

- आईसीएआई के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में परिषद् को सिफारिशें करना ;
- आईसीएआई के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के पुनर्विलोकन के लिए, जिसके अंतर्गत संपरीक्षा सेवाएं भी हैं ; और
- आईसीएआई के सदस्यों को सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में मार्गदर्शन देने तथा विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं के पालन हेतु ।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन परिषद् के कृत्यों में से एक कृत्य आईसीएआई के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में इसके द्वारा की गई क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना भी है । उपरोक्त खंड (ण) यह प्रावधान भी करता है कि ऐसी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे इसकी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाएंगे । उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान परिषद् को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख(क) के अधीन तीन निर्देश सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड से प्राप्त हुआ । उस पर परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 के दौरान आयोजित हुई बैठक में विचार किया गया । की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :--

- आईसीएआई की अनुशासन तंत्र के अधीन और अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट निर्देशों की संख्या - 3
- निर्देशों की संख्या, जहां तकनीकी पुनर्विलोकक की टिप्पणियां सदस्यों/फर्मों को सलाह के रूप में जारी किए जाने का निर्णय लिया गया - शून्य ।
- निर्देशों की संख्या, जिन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया – शून्य ।
- परिषद् के विचार हेतु लंबित निर्देशों की संख्या – शून्य ।

### 5.27 प्रबंधन समिति

परिषद् की अस्थायी समिति के रूप में 2015 में गठित प्रबंधन समिति, शाखाओं के गठन, विदेश में चैप्टरों की स्थापना, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ एमओयू/एमआरए, आईसीएआई के केंद्रीय संपरीक्षकों की नियुक्ति, संस्थान के वार्षिक लेखे, केंद्रीय सरकार और अन्य विनियामक निकायों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में संशोधनों के प्रस्तावों, उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों, क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के विषयों, सदस्यों/सीए फर्मों/एलएलपी/विलयन/ निर्विलयन/ नेटवर्किंग संबंधित विषयों और प्रशासनिक तथा नीतिगत विवक्षाओं वाली संस्थान की अन्य समितियों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों तथा जब कभी अपेक्षित हो, इसकी सिफारिशें परिषद् को करने से संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए आदेशित है ।

### 5.28 मूल्यांकन मानक बोर्ड

मूल्यांकन मानक बोर्ड को आईसीएआई से मूल्यांकन मानक जारी करने पर ध्यान देने के लिए गठित किया गया है । बोर्ड मानकों के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर निर्वचन, मार्गदर्शन और तकनीकी सामग्री प्रदान करने पर भी ध्यान देता है ।

### महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

### (I) सरकार के साथ विधि निर्माण प्रक्रिया को सुकर बनाना

- **आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018, चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए लागू मूल्यांकन व्यवहारों हेतु मानदंड के रूप में –** संस्थान द्वारा जारी किए गए आईसीएआई मूल्यांकन मानक संकल्पनाओं, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की स्थापना के लिए हैं, जो भारत में प्रचलित विधिक ढांचे तथा व्यवहारों के संबंध में सामान्यत: अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य हैं । व्यवहार के इस आला स्थान में सर्वोत्तम व्यवहारों के संवर्धन की दृष्टि से, आईसीएआई मूल्यांकन मानक, आगम में एकरूपता तथा मूल्यांकन आउटपुट की गणुवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु ढांचा अधिकथित करते हैं ।
- **विशेषज्ञों की समिति द्वारा एक सांस्थानिक ढांचे और मूल्यांकन वृत्ति के विकास की आवश्यकता का परीक्षण –** विनियमन के लिए सांस्थानिक ढांचे तथा मूल्यांकन वृत्तिकों के विकास के परीक्षण हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने विशेषज्ञों की आठ सदस्यीय समिति का गठन किया । आईसीएआई समिति का सदस्य है और उसने समिति द्वारा किए गए विस्तृत विचार-विमर्श में भागीदारी की है । समिति ने प्रारूप मूल्यांकक विधेयक, 2020 तैयार और प्रस्तुत किया है । सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति ने राष्ट्रीय मूल्यांकक संस्थान की स्थापना करके मूल्यांककों के लिए सांस्थानिक ढांचा प्रस्तावित किया है।
- **कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन नियम), 2017 के नियम 19 के अधीन एमसीए द्वारा गठित मूल्यांकक विषयों पर सलाह देने के लिए समिति –** मंत्रालय ने एक समिति का गठन कंपनियों तथा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा अनुपालन के लिए मूल्यांकन मानकों और नीतियों को विरचित और अधिकथित करने पर केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करने के लिए किया । आईसीएआई मूल्यांकक विषयों पर सलाह देने के लिए समिति का एक सदस्य है ।

- **विशेषज्ञों की समिति द्वारा पहचाने गए मुद्दों पर चर्चा हेतु गोलमेज सम्मेलन –** आईसीएआई ने अपने मूल्यांकन मानक बोर्ड के मध्यम से मूल्यांकन वृत्तिकों के विनियमन और विकास हेतु आवश्यकता के परीक्षण के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति द्वारा पहचाने गए 40 मुद्दों पर चर्चा के लिए विभिन्न स्थानों पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए । गोलमेज सम्मेलन अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, बंगलौर, रायपुर, हैदराबाद और चेन्नई में किए गए । की गई चर्चा से उत्पन्न बिन्दुओं को आईसीएआई को प्रस्तुत किया गया ।
- वैश्विक व्यवहारों तथा भारतीय विधियों और व्यवहारों के आधार पर आईसीएआई मानकों के रूप में विरचित किए गए भारतीय मूल्यांकक मानकों को विरचित करने के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 का उपयोग करने के लिए अनुरोध करने हेतु एमसीए और आईबीबीआई के पदाधिकारियों के साथ बैठक ।

**(II) मूल्यांकनों को अनिवार्य करने तथा आईसीएआई मूल्यांकन मानकों को अंगीकृत करने के संबंध में विनियामकों/बैंकों को अभ्यावेदन**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय/सेबी/एसबीआई और आरबीआई को निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए हैं :--

- भारतीय लेखांकन मानक के अधीन मूल्यांकन अनिवार्य करने के अनुरोध के संबंध में एमसीए को पत्र प्रस्तुत किया गया, जहां रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा पृथक् मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया जाना अपेक्षित है और ऐसे मूल्यांकन के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानकों का अनुसरण किया जाना है ।
- भारतीय स्टेट बैंक को, पैनलित करने में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक सम्मिलित न करने तथा राष्ट्रीय मानकों के रूप में आईसीएआई मूल्यांकन मानकों को अंगीकृत करने के लिए पत्र भेजा गया क्योंकि भारत में निर्मित संकल्पना रखनी चाहिए ।
- भारतीय रिजर्व बैंक को पैनलबद्ध किए जाने संबंधी प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों को सम्मिलित न किए जाने और भारत में विद्यमान आईसीएआई मूल्यांकन मानकों को राष्ट्रीय मानकों के रूप में अपनाए जाने संबंधी एक पत्र भेजा गया था, जिससे भारत में निर्मित उत्पादों संबंधी अवधारणा को स्थापित किया जा सके ।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी विनियमों और अन्य अपेक्षाओं के अधीन मूल्यांकन अनिवार्य करने के अनुरोध के साथ सेबी को पत्र भेजा गया, जहां रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा पृथक् मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया जाना अपेक्षित है तथा आईसीएआई मूल्यांकन मानक ऐसे मूल्यांकन के लिए अनुसरित किया जाना है ।
- आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन अनिवार्य करने तथा ऐसे मूल्यांकन के लिए अनुसरण किए जाने वाले आईसीएआई मूल्यांकन मानकों के अनुरोध हेतु सीबीडीटी को पत्र भेजा गया ।

**(III) एमसीए को प्रस्तुति**

- **प्रारूप मूल्यांकक विधेयक, 2020 पर आईसीएआई को सुझाव –** विशेषज्ञों की समिति, जिसका गठन मूल्यांकन वृत्तिकों के विनियमन और विकास हेतु सांस्थानिक ढांचे की आवश्यकता के परीक्षण के लिए किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है, जिसके साथ प्रारूप मूल्यांकक विधेयक, 2020 संलग्न था । आईसीएआई भी समिति का सदस्य है और उसने समिति द्वारा किए गए विस्तृत विचार-विमर्श में भागीदारी की है । आईसीएआई की सिफारिशें कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सौंप दी गई हैं ।
- **आईबीएससी की तुलना में आईसीएआई मूल्यांकन मानकों की विशिष्ट विशेषताओं पर विस्तृत दस्तावेज –** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने आईसीएआई द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों की तुलना में आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 की विशिष्ट विशेषताओं को प्रस्तुत करने का अनुरोध आईसीएआई से किया है । इस संबंध में, आईबीएससी द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों की तुलना में आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 की विशिष्ट विशेषताएं बताने वाला एक विस्तृत दस्तावेज एमपीए को प्रस्तुत किया गया है ।

**(IV) अन्य पहलें**

- **आईसीएआई तथा आईसीएआईआरबीओ द्वारा लाए गए ऋजु मूल्य की संपूर्ण जानकारी पर संकल्पना पत्र –** ऋजु मूल्य की संकल्पना और इसके विभिन्न पहलुओं के महत्व को देखते हुए, मूल्यांकन मानक बोर्ड ने भारतीय लेखांकन मानक 113 के अनुसार ऋजु मूल्य के विभिन्न मुख्य पहलुओं पर विशेष बल देते हुए "ऋजु मूल्य के बारे में सब कुछ", उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग पर आधारित मूल्य के निर्धारण के लिए प्रतिफल, जहां उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग विद्यमान उपयोग से अलग है, ऋजु मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक तथा ऋजु मूल्य में निर्गत कीमत की सुसंगतता पर एक संकल्पना पत्र लाने का निर्णय किया । इस संकल्पना पत्र में, एसएंडपी 500 पर सूचीबद्ध 505 कंपनियों का विश्लेषण वर्ष 1990 से ऋजु मूल्य लेखांकन से संबंधित डाटा की पहचान करके, वित्तीय वर्ष 1989-90 से निफ्टी 50 के वित्तीय कथनों में ऋजु मूल्य प्रभाव के विश्लेषण के साथ किया गया है । संकल्पना पत्र लिंक https://resource.icai.org/59299icairvo48306.pdf पर उपलब्ध है ।
- **मूल्यांकन रिपोर्टों के समकक्ष पुनर्विलोकन के निष्कर्षों पर संकल्पना पत्र –** आईसीएआई रजिस्टर्ड मूल्यांकन संगठन के साथ मूल्यांकन मानक बोर्ड ने मूल्यांकन रिपोर्टों के समकक्ष पुनर्विलोकन के निष्कर्षों पर संकल्पना पत्र तैयार किया है । संकल्पना पत्र रजिस्टर्ड मूल्यांकन को प्रक्रिया के साथ-साथ मूल्यांकक रिपोर्टों के समकक्ष पुनर्विलोकन के निष्कर्षों को जानने तथा मुख्य

घटावों को समझने के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है । संकल्पना पत्र निम्नलिखित लिंक पर वेबसाइट पर उपलब्ध है : https://icairvo.s3.amazonaws.com/media/documents/Findings of Peer review workshop 14022020.pdf

- **एसएएफए देशों के साथ आईसीएआई मूल्यांकन मानक का आउटरीच कार्यक्रम –** आईसीएआई मूल्यांकन मानकों के संबंध में जागरुकता के सृजन तथा सभी एसएएफए देशों में पारदर्शिता और एकरूपता के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानकों को अंगीकृत करने हेतु, बोर्ड ने आईसीएआई मूल्यांकन मानकों को अंगीकृत करने के लिए एसएएफए देशों के साथ सक्रिय सहयोग का प्रस्ताव किया है । एसएएफए बोर्ड ने अपनी 58वीं बैठक में एसएएफए देशों में आईसीएआई द्वारा जारी मूल्यांकन मानकों पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आईसीएआई के प्रस्ताव पर विचार करके, सैद्धांतिक रूप से उस पर सहमति दी । बोर्ड ने निम्नलिखित का उत्तरदायित्व लेकर एसएएफए देशों में आईसीएआई मूल्यांकन मानकों के कार्यान्वयन में सहयोग की योजना बनाई है :
  - शैक्षणिक सामग्री व्यवहारिक पहलुओं पर मार्गदर्शक टिप्पण, बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न, निर्वचन, प्रकाशन आदि तैयार करके ।
  - मूल्यांकन मानकों की विभिन्न अपेक्षाओं पर जागरुकता के सृजन के लिए मूल्यांकन मानकों पर कार्यक्रम आयोजित करके ।
  - मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रारूप प्रदान करेगा, जिससे रिपोर्टिंग एक रूप तथा तुलनीय हो ।

**(V) प्रकाशन**

- मूल्यांकन : वृत्तिक अंतदृष्टि : श्रृंखला 4
- मूल्यांकन : वृत्तिक अंतदृष्टि श्रृंखला 3 जुलाई, 2019
- वे प्रकाशन, जिन्हें डिजीटल पठन केंद्र पर लाइव किया गया है, निम्नानुसार हैं :--
  - आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018
  - मूल्यांकन संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न
  - मूल्यांकन संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षित 2018 संस्करण)
  - मूल्यांकन : वृत्तिक अंतदृष्टि – श्रृंखला – 1
  - मूल्यांकन : वृत्तिक अंतदृष्टि – श्रृंखला – 2

**(VI) वेबकास्ट/कार्यक्रम**

- **लाइव वेबकास्ट : कोविड-19 दशाओं के अधीन एनबीएफसी तथा मूल्यांकन तथा मूल्यांकन पर प्रभाव –** आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड ने 5 जून, 2020 को "कोविड-19 दशाओं के अधीन एनबीएफसी तथा मूल्यांकन" पर एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया । वेबकास्ट में अध्यक्ष, आईसीएआई के साथ-साथ, उपाध्यक्ष आईसीएआई, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वीएसबी तथा ख्यातिप्राप्त पैनलिस्टों ने संबोधित किया । वेबकास्ट में 15000 से अधिक सदस्य उपस्थित हुए तथा इसे निम्नलिखित लिंक पर होस्ट किया गया : http://ecpl.live/icai/vsb/05062020/
- **प्रारूप मूल्यांकक विधेयक पर चर्चा के लिए लाइव वेबकास्ट –** कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने आठ सदस्यीय समिति का गठन मूल्यांकन वृत्तिकों के विनियमन और विकास के लिए सांस्थानिक ढांचे की आवश्यकता के परीक्षण हेतु किया तथा समिति ने प्रारूप मूल्यांकक विधेयक, 2020 तैयार और प्रस्तुत किया । सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति ने राष्ट्रीय मूल्यांकक संस्थान की स्थापना करके मूल्यांककों के लिए एक सांस्थानिक ढांचे का प्रस्ताव किया है । प्रारूप मूल्यांकक विधेयक, 2020 के विभिन्न पहलुओं पर और चर्चा करने के लिए मूल्यांकन मानक बोर्ड ने अप्रैल और मई, 2020 मास में दो वेबकास्ट आयोजित किए थे, जिनमें भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के अधिकारियों द्वारा प्रावधानों को समझाया गया । वेबकास्ट में आईबीबीआई के अन्य अधिकारियों के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वीएसबी तथा श्री सुधाकर शुक्ला, पूर्णकालिक सदस्य, आईबीबीआई द्वारा भी संबोधन दिया गया । पणधारियों द्वारा वेबकास्ट का स्वागत किया गया तथा 10000 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित हुए और यह लिंक : http://ecpl.live/icai/rvo/27052020/ और http://ecpl.live/icai/rvo/28042020/ पर उपलब्ध है ।
- **"रजिस्टर्ड मूल्यांकक के लिए मूल्यांकन मानक तथा आचार संहिता" –** आईसीएआई आरवीओ के साथ संयुक्त रूप से मूल्यांकन मानक बोर्ड ने 19 अप्रैल, 2019 को "रजिस्टर्ड मूल्यांकक के लिए मूल्यांकन मानक तथा आचार संहिता" पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया । वेबकास्ट का प्रयोजन कोई विशिष्ट मूल्यांकन कार्य करते समय अनुसरण किए जाने वाले मूल्यांकन मानकों तथा आचार संहिता के संबंध में बड़ी संख्या में श्रोताओं को जानकारी प्रदान करना था । वेबकास्ट में डा. नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य, दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) द्वारा संबोधन दिया गया । वेबकास्ट को 4000 से अधिक सदस्यों द्वारा देखा गया और निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है : http://ecpl.live/icai/19042020/

- **"विभिन्न विधियों के अधीन मूल्यांकन और मूल्यांकन मानक अनुपालन तथा अन्य पहलूओं" पर लाइव वेबकास्ट के दौरान उठाए गए प्रश्नों के उत्तर –** "विभिन्न विधियों के अधीन मूल्यांकन और मूल्यांकन मानक अनुपालन तथा अन्य पहलूओं" पर 19 अप्रैल, 2020 को हुए लाइव वेबकास्ट के दौरान उठाए गए प्रश्नों को आधार पर कार्यालय ने प्रश्नों के उत्तर तैयार किए । उन्हें आईसीएआई की वेबसाइट पर होस्ट किया गया तथा वे लिंक : http://resource.cdn.icai.org/59538vsb48459.pdf पर उपलब्ध है ।
- **क्षेत्रीय परिषद् और शाखाओं द्वारा संचालित किए जाने वाले आईसीएआई मूल्यांकन मानकों संबंधी जागरुकता कार्यक्रम –** मूल्यांकन मानक बोर्ड ने क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं के साथ संयुक्त रूप से आईसीएआई मूल्यांकन मानकों पर आधे दिन का जागरुकता कार्यक्रम संचालित किया था ताकि हमारे सदस्य आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 के अनुसार मूल्यांकन मानक और आचरण मूल्यांकनों से पूर्ण सुसज्जित रहें ।

### 5.29 कराधान संपरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड (टीएक्यूआरबी)

राष्ट्र की सेवा करने की प्रक्रिया तथा विभिन्न (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) कराधान विधियों के अधीन अनुपालन की रिपोर्टिंग के सुधारने के लिए कराधान संपरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन वर्ष 2018-19 में परिषद् द्वारा किया गया है । यह विचार किया गया है कि बोर्ड द्वारा किए गए पुनर्विलोकन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्वक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के अधीन विहित विभिन्न रिपोर्टों को प्रमाणित करते समय सदस्य अधिक सावधानी बरतेंगे तथा दीर्घ समय में उनके द्वारा की गई संपूर्ण रिपोर्टिंग तथा प्रमाणीकरण में सुधार होगा ।

**क्रियाकलाप/पहलें**

**(I) परिषद् वर्ष 2018-19 के दौरान चयनित कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति**

बोर्ड ने परिषद् वर्ष 2018-19 के दौरान 100 कंपनियों का चयन स्वप्रेरणा से निर्धारण वर्ष 2017-18 के संबंध में उनकी कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनर्विलोकन के लिए किया । इस संबंध में 95 कर संपरीक्षा रिपोर्टें कर संपरीक्षकों से प्राप्त हुई हैं । इन रिपोर्टों का प्रारंभिक पुनर्विलोकन बोर्ड के पास पैनलित तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा पूर्ण किया गया है । इनमें से 91 प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टें उन रिपोर्टों को द्वितीयक पुनर्विलोकन के लिए विभिन्न बोर्ड सदस्यों की संयोजकता के अधीन गठित कराधान संपरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकन समूहों को दिया गया है । इन समूहों की रिपोर्टों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है, जिसमें बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :

- कतिपय पहलुओं के संबंध में संपरीक्षक को परामर्श पत्र जारी करना ।
- कर संपरीक्षाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए जागरुकता के प्रसार के प्रयोजन के लिए सदस्यों द्वारा की जा रही सामान्य गलतियों को चिह्नित करना ।

**(II) वर्ष 2020-21 के दौरान रिपोर्टों का चयन**

बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-19 (निर्धारण वर्ष 2019-20) के लिए 104 रिपोर्टें (कर संपरीक्षा के लिए 100+4 जीएटी) चयनित करने का निर्णय लिया है । बोर्ड ने जीएसटी के लिए संपरीक्षा रिपोर्टों की कम संख्या का चयन किया है, चूंकि जीएसटी विधि अपनी आरंभिक अवस्था में है । बोर्ड ने अधिक रिपोर्टों को चयनित करने का निर्णय लिया जब एकबार विधि की स्थापना हो जाए।

**(III) टीएक्यूआरबी पर नामित होने के लिए सीबीडीटी तथा सीबीआईसी को अनुरोध**

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि टीएक्यूआरबी के गठन का उद्देश्य कराधान विधियों के अधीन अनुपालनों की रिपोर्टिंग में सुधार करना है, 11 फरवरी, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आईसीएआई के कराधान संपरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों में भागीदारी के लिए सीबीडीटी और सीबीआईसी से क्रमश: एक विशेष अतिथि नामित करने का अनुरोध अध्यक्ष सीबीडीटी तथा अध्यक्ष सीबीआईसी से किया गया है । यह विचार किया गया है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड के नामितों की सक्रिय भागीदारी, इस प्रयोग में किए गए क्रियाकलापों में गुणवत्तात्मक मूल्य जोडेंगी ।

**(IV) कर संपरीक्षा में सामान्य त्रुटियां**

रिपोर्टों पर विचार करते समय बोर्ड ने कतिपय संप्रेक्षण किए हैं, जिन पर सदस्यों का ध्यान अपेक्षित होगा । बोर्ड ने निर्णय किया है कि उचित समय पर ये संप्रेक्षण/मुद्दे बोर्ड द्वारा संपादित किए जा सकते हैं तथा "कर संपरीक्षा में सामान्य त्रुटियों" के रूप में प्रकाशित किए जा सकते हैं तथा की जा रही त्रुटियों के बारे में जागरुकता के प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ।

### 5.30 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (सीआईबीसी) संबंधी समिति

आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति का गठन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता पर विशेष जोर देने के लिए किया गया है । यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है तथा इसने सदस्यों के लिए एक नए वृत्तिक अवसर का सृजन किया है । समिति का उद्देश्य विधि के व्यवहारिक पहलुओं तथा प्रक्रिया पर बड़े पैमाने पर सदस्यों में दिवाला संकल्प क्षेत्र में व्यवहार के नए क्षेत्र के बारे में जागरुकता लाना तथा सदस्यों को शिक्षित करना है ।

**(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की ओर**

- आईसीएआई भारत सरकार द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन हेतु स्थायी समिति के रूप में गठित दिवाला विधि समिति के सदस्य के रूप में योगदान दे रहा है।
- वित्त संबंधी माननीय स्थायी समिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 पर आईसीएआई से विचार/सुझाव मांगे थे तथा आईसीएआई ने जनवरी, 2020 में माननीय समिति को अपना उत्तर प्रस्तुत किया।

**(II) प्रकाशनों को जारी करना**

- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (पुनरीक्षित, 2019 संस्करण)**

  समिति ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में हुए संशोधनों को सम्मिलित करते हुए, "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न" (पुनरीक्षित, 2019 संस्करण) प्रकाशित किया है।

- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन न्यायिक निर्णय**

  समिति ने आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान के साथ उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, एनसीएलएटी और एनसीएलटी द्वारा निर्णयों के आधार पर संहिता के अधीन मुद्दों पर महत्वपूर्ण मामलों के विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 – न्यायिक उदघोषणाएं श्रृंखला 3" का प्रकाशन किया है।

**(III) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता पर अद्यतन जानकारी**

- समिति ने सदस्यों के फायदे के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता पर अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की है। अद्यतन जानकारी, अद्यतन मामलों, अद्यतन समाचारों के साथ-साथ समिति की पहलों पर भी सूचना देती है।

**(IV) संगोष्ठी/कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम/जागरुकता कार्यक्रम**

- समिति ने वर्ष के दौरान, जयपुर, मुंबई, नोएडा, नागपुर, गाजियाबाद, तिरुनेलवेली, पुणे, विशाखपट्टनम, रायपुर, गांधीधाम, कोलकाता, हैदराबाद और जोधपुर में स्नातक दिवाला कार्यक्रम, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, आईबीसी और आईबीबीआई सीमित, दिवाला परीक्षा, जीएसटी एंड आईबीसी दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधीन सीए. के वृत्तिक अवसरों पर संगोष्ठीयों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।

**(V) वेबकास्ट**

समिति ने वर्ष के दौरान दिवाला : कई अवसरों के साथ एक उभरता व्यवसाय, युवा सदस्यों के लिए स्नातक दिवाला कार्यक्रम, आईबीसी की कार्यवाहियों पर कोविड-19 का प्रभाव, आईबीसी के अधीन एस्सार स्टील समाधान के प्रमुख पहलुओं का मामला अध्ययन और आईबीसी के अधीन बिनानी सीमेंट समाधान का मामला अध्ययन पर लाइव वेबकास्ट आयोजित किए।

**5.31 महिला सदस्य सशक्तिकरण निदेशालय (डब्ल्यूएमईडी)**

आईसीएआई ने अपनी महिला सदस्यों के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, नीतियां और उपाय विरचित और कार्यान्वित करने के लिए महिला सदस्य सशक्तिकरण निदेशालय की स्थापना की है। डब्ल्यूएमईडी क्षमता निर्माण पहलों, कौशल विकास क्रियाकलापों, विभिन्न रोजगार के अवसरों के बारे में जागरुक करके तथा अन्य समान साधनों के माध्यम से महिला सदस्यों की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है।

निदेशालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप किए हैं :--

(I) डब्ल्यूएमईडी ने "महिला सदस्यों की विभिन्न क्षेत्रों में उनकी विशाल और वृहद पहुंच के लिए डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से व्यवसाय डोमेन में महिला सदस्यों की उपस्थिति महसूस और दृश्यमान करवाने के लिए, जिससे वे विविध क्षेत्रों जैसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, संपरीक्षा और निगम विधि आदि कार्य क्षेत्रों में, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यवसाय फर्म का आवश्यक भाग है, नवीनतम संशोधनों से अद्यतन बनी रहें और उनका ज्ञान तथा संपूर्ण आत्मविश्वास समृद्ध हो", विषय पर विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम (सेतु कार्यक्रम) आरंभ किया है।

(II) महिला सीए के लिए, जो पूर्णलिक कार्य नहीं कर सकतीं, महिला सदस्य सशक्तिकरण निदेशालय ने स्वयं आईसीएआई में अवसर के विभिन्न क्षेत्रों को पहचाना है, जहां महिला सदस्य अपनी सुविधा और गति के अनुसार व्यवसायिक योगदान दे सकती हैं तथा आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो सकती है। आईसीएआई के विभिन्न विभागों/समितियों में उपलब्ध विभिन्न व्यवसायिक अवसरों जैसे बीओएस के लिए मामला अध्ययनों का विकास, निवेशकर्ता जागरुकता कार्यक्रम के लिए संसाधक परीक्षा विभाग आदि को सूचीबद्ध करते हुए संपूर्ण देश में सभी महिला सदस्यों को बड़ी मात्रा में ई-मेल भेजी गई।

(III) डब्ल्यूएमईडी ने "सीए उत्कृष्टता : स्त्रियों के नजरिए से", विषय पर "आज की महिला लेखापालों के लिए व्यवसायिक अवसर : सीमाओं के भीतर और बाहर तथा जटिलता और अनिश्चितता के समय में नेतृत्व" पर चर्चा के लिए लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया।

लाइव वेबकास्ट में प्रख्यात वक्ता थे जैसे सीए आर.एम. विशाखा, सुश्री परवीन महमूद, बांग्लादेश तथा सीए डा. रीटा शाह, जिससे महिला सदस्यों को प्रेरित और उत्साहित किया जा सके।

(IV) महिला सदस्यों के लिए पोर्टल (https://womenportal.icai.org/) - महिला पोर्टल महिला सदस्यों को एक माध्यम प्रदान करता है, जिसके द्वारा वे अपनी अपेक्षाएं भेज सकती हैं तथा क्षेत्र/शाखा के आधार पर उनके लिए उपलब्ध लचीले कार्य विकल्प ढूंढ सकती हैं। यह महिला सदस्यों को अपना ज्ञान अद्यतन करने और अपने दृष्टिकोण तथा चिंताएं साझा करने के लिए एक सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध कराने हेतु भी लक्ष्यित है।

- महिला सदस्यों की सफलता की कहानियां : महिला सदस्यों को उच्चतर लक्ष्य निश्चित करने तथा उन्हें पाने के लिए, निदेशालय ने महिला सदस्यों से उनकी सफलता की कहानियां आमंत्रित कीं तथा उन्हें महिला पोर्टल पर अपलोड किया।
- आईसीएआई प्लेटफार्म पर महिलाएं : महिला सदस्यों की उपस्थिति को मान्यता देने के लिए, निदेशालय ने आईसीएआई के साथ सहबद्ध महिला सदस्यों के अद्यतन ब्यौरे अपलोड किए हैं।

(V) अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अर्थात् 8 मार्च, 2020 को मनाने के लिए महिला सदस्य सशक्तिकरण निदेशालय ने निम्नलिखित क्रियाकलाप किए :

- अध्यक्ष, आईसीएआई तथा उपाध्यक्ष आईसीएआई के वीडियो वाइट रिकार्ड किए गए तथा संपूर्ण देश में महिला सदस्यों को उत्साहित तथा प्रोत्साहित करने के लिए महिला सदस्य कार्यक्रम के दौरान प्रसारित होने के लिए भारत में सभी शाखाओं को भेजे गए।
- 8 मार्च को स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशन के लिए प्रारूप प्रेस विज्ञप्ति संपूर्ण देश में सभी शाखाओं को भेजी गई, जिससे महिला सदस्य सशक्तिकरण निदेशालय के अंतर्गत संचालित आईसीएआई की विभिन्न पहलों को बड़े स्तर पर प्रसारित और संवर्धित किया जा सके।
- विभिन्न सोशल मीडिया क्रियेटिव का सृजन किया गया तथा महिला सदस्य सशकतिकरण के लिए आईसीएआई की पहलों को प्रचारित और संवर्धित करने के लिए महिला सदस्य सशक्तिकरण निदेशालय के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किया गया।
- डब्ल्यूएमईडी का पहल ब्रोशर, जिसका विषय "समन्यवयकारी विकास के लिए लेखांकन व्यवसाय में महिलाओं का योगदान बढ़ाने के लिए पहल को सशक्त करना" था, उसे संकल्पित और प्रकाशित किया गया। महिला सदस्यों के लिए आईसीएआई की पहलों के साथ ब्रोशर में भारत सरकार की महिलाओं को सशक्त करने वाली स्कीमों के बारे में ब्यौरे भी दिए गए हैं।

**(VI)** *महिला केन्द्रित कार्यक्रम :* डब्ल्यूएमईडी के उत्तर में सामूहिक ई-मेल शाखाओं को बड़े पैमाने पर महिला सदस्यों के फायदे के लिए कार्यक्रम संवर्धित करने और आयोजित करने के लिए भेजे गए। कुछ कार्यक्रम महिला चार्टर्ड अकाउटंटो के लिए व्यवसायिक अवसर, महिलाओं की संगोष्ठी प्रेरणा 2020, महिला केंद्रित कार्यक्रम, सीए महिलाओं के लिए काम और जीवन का संतुलन, महिला सीपीई संगोष्ठी, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर डब्लुएमईडी के अधीन शाखाओ द्वारा आयोजित किए गए।

### 6. सीए सेवाओं तथा डब्लुटीओ के निर्यात संबंधी समिति (सीईसीएएसएन्डडब्ल्यूटीओ)

भारत सरकार ने लेखांकन सेक्टर को एक चेंपियन सेक्टर के रूप में पहचाना है जो सेवा में व्यापार के शिला प्रक्षेपण को नई सुगंध देगा। सेवाओं में वैश्विक व्यापार में वृद्धि के साथ यह एक प्राकृतिक परिणाम है कि किसने व्यवसायिक प्रॅक्टिस या रोजगार के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए चार्टर्ड अकांउटेंट व्यवसायियों को अवसर प्रदान किए है। विभिन्न देशों में संस्थान के सदस्यों की बडी संख्या में उपस्थिति द्वारा समिति के प्रयास, परिषद वर्ष 2018-2019 में इसके आरंभ से इस दिशा में ना केवल इसकी साख बढाएंगे और ब्रॉड छवि विकसित करेंगे बल्कि भारत सरकार के लेखांकन और संबंधित सेवाओं में व्यापार के हिस्से को बढाने में की गयी पहल में सहायता करेंगे, और डब्लुटीओ व्यवस्था में भारतीय सीए के लिए कई अवसरों को लेकर आएंगे।

#### सेवाओं के निर्यात को सुकर बनाने के लिए पहल

##### (I) लेखांकन और वित्त सेक्टर (चेंपियन सेक्टर) के लिए निर्यात अवसर बढाने के लिए भारत सरकार के साथ हाथ मिलाना

***चेंपियन सेक्टर के लिए प्रस्ताव***

इस अवधि के दौरान कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ चल रही बातचीत को जारी रखते हुए आईसीएआई ने नये प्रस्ताव वाले चेंपियन सेक्टर के लिए इसके प्रस्ताव प्रस्तुत किए है :

- लेखांकन प्रक्रिया आउट सोर्सिंग (एपीओ) को स्थापित करने के लिए विकास और प्रशिक्षण के लिए प्रस्ताव।
- आईसीएआई – एआरएफ के माध्यम से ई-पठन द्वारा विशेषीकृत लघु अवधि पाठ्यक्रम/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम/मॉड्युल।
- अंतरराष्ट्रीय पाठ्यचर्चा के माध्यम से वैश्विक छात्रों को जोडना।
- विदेश में लेखांकन व्यवसाय को मजबूत करना और सिखाना।

- आईसीएआई – एआरएफ के माध्यम से विदेश मंत्रालय भारत सरकार के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के अधीन विदेशी नागरिकों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देना।
- चेप्टरों और प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से विश्व भर में ब्रांड भारतीय सीए का संवर्धन करना।
- आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र का विश्वभर में संवर्धन करना।

***सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर***

भारतीय चार्टर्ड अकांउटेंट संस्थान (आईसीएआई) ने 30 जून, 2020 को मुंबई में सीए सेवाओं के निर्यात के लिए समिति और आईसीएआई के डब्लुटीओ (सीईएसडब्लुटीओ) के अधीन सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का उद्देश्य केन्द्रित और मानीटर की गई कार्ययोजना के कार्यान्वयन के माध्यम से लेखांकन और वित्त सेवाओं में भारत के निर्यात कि प्रतिस्पर्धा को बढाना है, जिसके लिए दोंनो पक्षकार यह एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए।

***भारत सरकार को दिए गए अभ्यावेदन/इनपुट***

इस अवधि के दौरान चेंपियन सेक्टर पहल के अलावा इस समिति ने विभिन्न मंत्रालयों के साथ सीए सेवाओं के निर्यात या डब्लुटीओ से संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन हेतु इनपुट प्रदान करने के लिए बातचीत की, जो निम्नानुसार है :

- क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक भागीदारी करार (आरसीईपी) के निवेश चेप्टर की आरक्षण सूची
- 22 अप्रैल, 2019 को आर सी ई पी करार के अधीन सेवाओं में व्यापार पर क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) पणधारी चर्चा हुई, जिसमे आईसीआई ने आरसीईपी के 15 देशों के साथ पारस्परिक रुचि के विषय में क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहयोग हेतु आगे बढने के लिए अपनी रुचि प्रकट की, जो भविष्य में पारस्परिक मान्यता करारों द्वारा अनुसरण किया जाएगा।
- आरईसीपी करार के अधीन प्रारुप व्यवसायिक सेवा उपाबंध।
- भारत और जापान के बीच द्वीपक्षीय बातचीत में विकास।
- व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग (आईटीजेसीएम) पर भारत तजाकिस्तान संयुक्त आयोग का 11 वां सत्र।
- सेवा व्यापार में भारत यू.के. संयुक्त कार्य समूह बैठक।
- सेवा सेक्टर पर जोर के साथ अफ्रीका और डब्लुएएनए क्षेत्रों के लिए निर्यात रणनीति।
- क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक भागिदारी (आरसीईपी) करार और व्यवसायिक सेवा उपाबंध के निवेश चेप्टर की आरक्षण सूची।
- व्यापार संबंधित विकासों पर डब्लुटीओ व्यापार नीति पुनर्विलोकन निकाय (टीपीआरबी) को रिपोर्ट पर आईसीएआई इनपुट।
- भारत चिली पीटीए विस्तार के अधीन संयुक्त प्रशासनिक समिति (जेएसी) की दूसरी बैठक के संबंध में अंतर मंत्रालय बैठक के लिए आईसीएआई इनपुट।
- सेवा में व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी भारत चीन बैठक पर आईसीएआई इनपुट।
- डब्लुटीओ में सेवाओं में व्यापार में एलडीसी को भारत का विशेष व्यवहार।
- भारत ब्राजील व्यापार मॉनिटरी व्यवस्था (टीएमएम) की पांचवी बैठक।
- सेवाओं में क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करार नकारात्मक सूची।
- भारत चिली अधिमानता व्यापार करार विस्तार के अधीन संयुक्त प्रशासनिक समिति (जेएसी) की दूसरी बैठक के संबंध में अंतर मंत्रालय बैठक।
- चेंपियन सेवा सेक्टर स्कीम (सीएसएसएस) पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी) को इनपुट।
- भारत पेरू वार्ता के अधीन अंतर मंत्रालय पणधारी परामर्श।
- भारत जापान सीईपीए के अधीन सीमित सेवा में व्यापार पर चैप्टर के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु सेवा में व्यापार सेटअप के संबंध में प्राकृतिक व्यक्तियों का प्रचालन।
- भारत और वियतनाम के बीच व्यापार बैठक पर चौथे संयुक्त उप आयोग के लिए मुद्दे।
- सेवा में व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह पर भारत चीन चौथी बैठक।

- व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग (आईटीजेसीएम) पर भारत ताजिकिस्तान संयुक्त आयोग का 11 वां सत्र।
- 4 फरवरी, 2020 को हुई भारत ईयूबीटीआईए पर चर्चा के अभिलेख पर आईसीएआई इनपुट।
- एसईआईएस के अधीन दावे प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तारीख में छूट देने हेतु विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) को इनपुट।
- सेवा निर्यातकों पर कोविड 19 का प्रभाव।
- भारत जापान सहयोग में अद्यतन जानकारी।

**(II) सेवाओं के निर्यात को सुकर बनाने के लिए की गई पहलें**

***आईसीएआई के विदेशी चैप्टरों के साथ समन्वयन करके विदेशों में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु विदेशी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम***

सितंबर, 2019 के दौरान इसकी सर्वप्रथम परियोजना के सफलतापूर्वक संचालन के पश्चात् समिति ने 12-14 दिसंबर, 2019 के दौरान दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में व्यक्तिगत रूप से तथा बंगलूरू, हैदराबाद, पुणे, जयपुर और अहमदाबाद में वीडियो कॉल के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों और लेखापालों के लिए दूसरे विदेशी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम को पिछले वर्ष की पहल से और आगे ले जाते हुए इस विदेशी कैम्पस नियोजन अभियान में लेखापालों को भी सम्मिलित किया गया था। इस नियोजन अभियान के, जिसमें 18 कंपनियों ने रजिस्ट्रीकृत किया था, संक्षिप्त ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

***सदस्यों के बीच विदेशी भाषा का संवर्धन***

विदेशों में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के सुगम नियोजन के लिए भारत सरकार ने विदेशी भाषाओं के संवर्धन को स्वयं के लिए आज्ञापक बनाया था ; अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अवसरों में वृद्धि करने और अवसरों का फायदा उठाने के लिए आईसीएआई अपने सदस्यों और छात्रों के कैरियर में विकास करने हेतु भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने का आशय रखता है।

समिति ने, आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के बीच स्पेनीश भाषा संबंधी पाठ्यक्रम का संवर्धन करने के लिए इंस्टीट्यूटो सर्वेन्टिस, स्पेनीश दूतावास सांस्कृतिक केंद्र के साथ, जर्मन भाषा संबंधी पाठ्यक्रम का संवर्धन करने के लिए गौथ इंस्टीट्यूट, मैक्स मूलर भवन (शासकीय जर्मन सांस्कृतिक संस्थान, जो भारत में जर्मन भाषा के पठन का संवर्धन करता है) के साथ और जापानी भाषा संबंधी पाठ्यक्रम का संवर्धन करने के लिए द जापान फाउंडेशन के साथ ठहराव किया है।

- स्पेनीश भाषा पठन पाठ्यक्रम का संवर्धन करने के लिए इंस्टीट्यूटो सर्वेन्टिस, स्पेनीश दूतावास सांस्कृतिक केंद्र – 77 अभ्यर्थियों के साथ 11 बैच।
- जर्मन भाषा पठन पाठ्यक्रम का संवर्धन करने के लिए गौथ इंस्टीट्यूट, मैक्स मूलर भवन (शासकीय जर्मन सांस्कृतिक संस्थान, जो भारत में जर्मन भाषा के पठन का संवर्धन करता है) – 25 अभ्यर्थियों के साथ 3 बैच।
- फ्रैंच भाषा पठन पाठ्यक्रम का संवर्धन करने के लिए एलायंस फ्रेन्केशे डे दिल्ली – 22 अभ्यर्थियों के साथ 3 बैच।
- जापानी भाषा संबंधी पाठ्यक्रम का संवर्धन करने के लिए द जापान फाउंडेशन – 17 अभ्यर्थियों के साथ 1 बैच।
-

**ग. आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों से विदेशी भाषा पाठ्यक्रम के संबंध में अधिमानता की ईप्सा करने हेतु सर्वेक्षण**

समिति ने, विदेशी भाषाओं की मांग का निर्धारण करने के लिए एक सर्वेक्षण आरंभ किया है । आज की तारीख तक समिति को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार 12655 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं ।

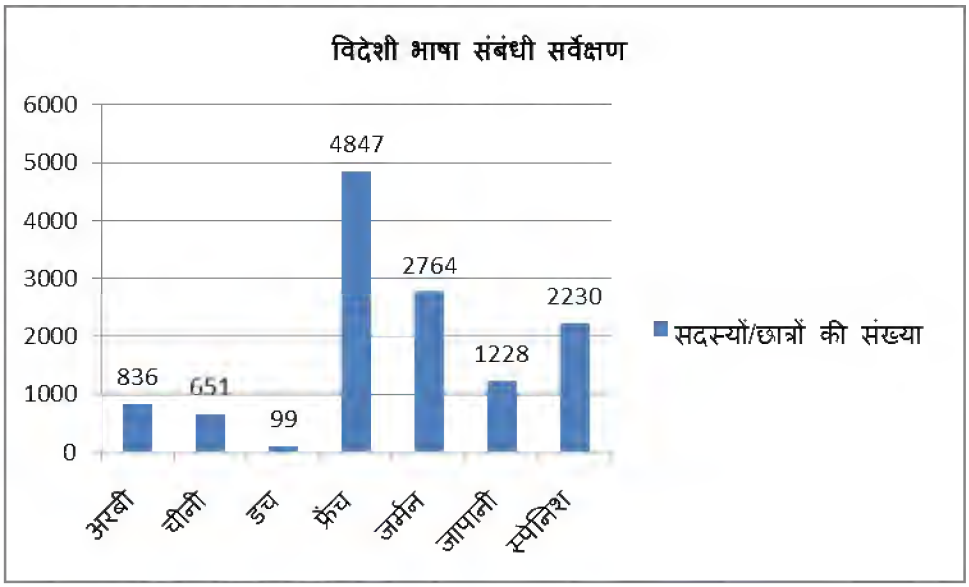


**(III) सदस्यों को सेवाएं**

समिति ने आर्थिक विकास में युवाओं की उभरती भूमिका, वित्तीय विवरणों, विदेशों में अवसरों की पहचान करना और उनका लाभ उठाना, सेवाओं के निर्यात के संबंध में कोविड-19 का प्रभाव और इस प्रभाव को कम करने हेतु उपायों, भारतीय लेखांकन वृत्ति को संयुक्त राज्य अमेरीका में बढ़ावा देने, इंड एएस बनाम आईएफआरएस : वैश्विक निवेशकों का परिप्रेक्ष्य, भारत में निवेशों को बढ़ावा देने, जम्मू-कश्मीर की जनता को आईसीएआई द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वृत्तिक अवसरों का लाभ उठाने हेतु तैयार करके जम्मू-कश्मीर की उन्नति और विकास की राह प्रशस्त करने जैसे विषयों पर इस वर्ष के दौरान कार्यशालाओं/कार्यक्रमों /लाइव वेबीनारों का आयोजन किया गया था ।

## 7. अन्य क्रियाकलाप

### 7.1 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति (सीएमए)

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति, जिसके अंतर्गत वित्त और अन्य संबद्ध विषय भी हैं, के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में पाठ्यक्रमों/वेबीनारों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करके समुन्नत ज्ञान और विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान करती है । आईसीएआई की प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को प्रबंध और कारबार वित्त के क्षेत्रों में बुद्धिमतता, विशेषज्ञता और गहन जानकारी प्राप्त करने में समर्थ बनाना है ।

**(I) पाठ्यक्रम**

- आईसीएआई की प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति ने वर्ष 2009 में कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया था, जिसके माध्यम से संस्थान के सदस्यों को वित्त क्षेत्र के संबंध में सभी प्रकार की नवीन जानकारियां उपलब्ध कराई जाती थी । यह लगभग एक वर्ष का पाठ्यक्रम था जिसे उत्तीर्ण करने हेतु दो आवासीय पाठ्यक्रमों (इनमें से प्रत्येक 5 दिवसीय कार्यक्रम था) में अनिवार्य उपस्थिति के साथ 30 कक्षा सत्रों और परीक्षाओं में उपस्थित होना अपेक्षित था । संस्थान की समिति द्वारा अब यह विनिश्चय किया गया है कि ऊपर उल्लिखित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और उससे संबंधित परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाए । अत:, अब ऊपर उल्लिखित पाठ्यक्रम के लिए आगे और रजिस्ट्रीकरण नहीं किए जाएंगे । ऊपर उल्लिखित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के संबंध में अंतिम परीक्षा मई-जून, 2019 में कराई गई थी, जिसके परिणामों की घोषणा अक्तूबर, 2019 मास के दौरान की गई थी ।
- समिति द्वारा हाल ही में पीक्यूसी आरंभ किया जाना – प्रबंध और कारबार वित्त पाठ्यक्रम संबंधी डिप्लोमा (डीएमबीएफ) को वर्ष 2019 में आरंभ किया गया है, जिसके माध्यम से संस्थान के सदस्यों को वित्त के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी । डीएमबीएफ का पहला बैच विभिन्न अवस्थानों, अर्थात् दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बंगलूरू में आरंभ किया गया था, जिसमें 62 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था ।

**(II) सदस्यों के लिए पहलें**

- समिति ने, पीक्यूसी – प्रबंध और कारबार वित्त पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ) के पाठ्यक्रम की संरचना में पूर्ण सुधार किया है । समिति इन पाठ्यक्रमों हेतु अध्ययन सामग्री तैयार करती/निकालती है (6 विषयों, अर्थात् नीतिगत प्रबंध, पूंजी संरचना और

निवेश प्रबंध, पूंजी और वित्तीय बाजार, विदेशी मुद्रा और खजाना, बैंककारी तथा जोखिम प्रबंध के अधीन वितरित किए जाने वाले कुल 33 माड्यूल)।

- समिति ने, एक सप्ताह के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का आज्ञापक भाग), जो सदस्यों को प्रबंध संबंधी अवधारणाओं, नेतृत्व संबंधी कौशलों और अपने प्रबंध संबंधी कृत्यों का और अधिक दक्षता तथा प्रभावी रूप से पालन करने हेतु उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करने संबंधी व्यवहारिक अंत:दृष्टि उपलब्ध कराएगा, के संचालन हेतु एक सुविख्यात कारबार विद्यालय, अर्थात् जमनालाल बजाज प्रबंध अध्ययन संस्थान (जेबीआईएमएस) के साथ सहयोग किया है। तथापि, कोविड-19 संक्रमण के कारण डीबीएमएफ के प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के लिए इस आवासीय कार्यक्रम का आयोजन जुलाई, 2020 मास के दौरान आनलाइन पद्धति के माध्यम से किया गया था, जिसके अंतर्गत जेबीआईएमएस के सहयोग से तीन सप्ताहांत सत्रों, अर्थात् छह दिनों के सत्रों का आयोजन किया गया था।
- समिति ने, वर्तमान बैच के अभ्यर्थियों के लिए ई-पठन मंच (अस्सी घंटे का ई-पठन प्रशिक्षण आज्ञापक है) के विकास के लिए मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस, बंगलूरु के साथ सहयोग किया है (जिसमें 11 माड्यूलों को सम्मिलित किया गया है) और इस मंच को 28 जून, 2020 को आरंभ किया गया था।

**(III) वेबीनार/वीसीएम**

समिति ने, एनपीए की पहचान और प्रबंध, शंकाओं के संबंध में परिचर्चा : एनपीए पहचान और प्रबंध, लागत प्रबंध संबंधी रणनीतियां और अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने, संगठनों के नीतिगत प्रबंध में सीए की भूमिका आदि विषयों पर वेबीनार/वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया था।

**7.2आईसीएआई द्वारा भारतीय फर्मों की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी केंद्र की स्थापना**

अनेक वर्षों से, आईसीएआई अथक रूप से क्वालिटी शिक्षा उपलब्ध कराने और छात्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला प्रशिक्षण प्रदान करने ; सुस्थापित और उभरते क्षेत्रों में सदस्यों के सतत वृत्तिक विकास ; मानक निर्धारण के सुदृढ़ ढांचे और उसके प्रवर्तन के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग और आश्वासन कृत्यों की गुणवत्ता में सुधार करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

स्वतंत्र संपरीक्षा का प्रयोजन, वित्तीय रिपोर्टों की गुणवता के निबंधनानुसार संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के उपयोक्ताओं में विश्वास का सृजन करने, विशिष्ट रूप से उनकी विश्वसनीयता के संबंध में विश्वास को अक्षुण्ण बनाए रखना है। संपरीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले स्वतंत्र आश्वासन में विश्वास कायम रखने हेतु यह अनिवार्य है कि संपरीक्षा की गुणवता में सुधार किया जाए और संपरीक्षा के निष्पादन में संगतता लाई जाए। आईसीएआई के विद्यमान सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के समतुल्य लेखांकन वृत्ति में मानदंडों के सृजन संबंधी प्रक्रिया को जारी रखने के आईसीएआई के अभियान के भागरूप में हमने पहले ही प्रकटन और आश्वासन से संबंधित वैश्विक मानकों के साथ भारतीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अभिसरण का कार्य पूरा कर लिया है। वृत्ति का भविष्य परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को पर परिवर्तित करने, विकसित करने तथा स्वयं उनके अनुरूप ढालने के सामर्थ्य में निहित है, जो आईसीएआई द्वारा किए जा रहे सुधारों के लिए केंद्रीय तत्व है और आईसीएआई का उद्देश्य अपनी मानक निर्धारक संबंधी भूमिका को सर्वोत्तम ढंग से निभाना है। आईसीएआई, इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए कि उच्च स्तरीय "क्वालिटी ढांचा" एक दक्ष, क्वालिटी वाली लेखांकन वृत्ति के विकास के लिए एक सुदृढ़ नींव के समान है, "संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी केंद्र" के रूप में जयपुर में एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु कार्यवाही कर रहा है।

संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी केंद्र का उद्देश्य भावी अकाउंटेंटों और/या संपरीक्षकों के लिए समकालीन शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सतत निवेश करना, मार्गदर्शनों को विकसित करना और संपरीक्षा दलों और कार्यालयों को प्रभावी मूल कारण विश्लेषण करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता करना, निष्कर्षों के कारणों की पहचान के संबंध में विचार-विमर्श करने और साथ ही कार्यान्वित किए जाने वाले समाधानों के संबंध में चर्चा करने हेतु समूह पठन सत्रों का आयोजन करना, संपरीक्षा क्वालिटी संकेतकों को स्थापित करना है और इस प्रकार वह संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल के प्रति कार्य करेगा। संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल लेखांकन फर्मों के लिए एक ऐसे स्वैच्छिक स्व:मूल्यांकन मैट्रिक्स को अधिकथित करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा, जिससे फर्मे संपरीक्षा क्वालिटी, संपरीक्षा और लेखांकन से संबंधित उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों के संबंध में अपने संबंधित परिपक्वता स्तर का अनुमान लगा सकें। सीएक्यू संस्थान को संपरीक्षा कृत्यों के वस्तुनिष्ठ पहलूओं के संबंध में विचार-विमर्श करने में समर्थ बनाएगा और इस क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा।

सीए. अतुल कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, आईसीएआई ने यह कथन किया था कि "भारत एक बहुत बड़ी डाटा क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। यह अनिवार्य हो गया है कि संपरीक्षकों की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए जिससे वे विभिन्न पणधारियों की आशाओं पर खरे उतर सके। ऐसे परिवर्तनशील समय में संपरीक्षा क्वालिटी केंद्र एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, जो निवेशकों के विश्वास को और अधिक मजबूत करेगा तथा साधारण रूप से जनता में विश्वास का सृजन करेगा"।

संपरीक्षा क्वालिटी केंद्र के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- संपरीक्षा क्वालिटी के लिए ढांचा विकसित करना।
- संपरीक्षा क्वालिटी के प्रमुख तत्वों पर काम करना।
- संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता मॉडल विकसित करना।

- संपरीक्षा क्वालिटी के निरंतर सुधार के लिए संपरीक्षा और संबद्ध क्षेत्रों में समकालीन शिक्षा और प्रशिक्षण का आयोजन करना ।
- वृत्तिक अकाउंटेंटों के लिए सीपीडी विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि उन्हें संपरीक्षा मानकों के सिद्धांतों के पूर्ण अनुपालन के साथ संपरीक्षा करने में समर्थ बनाया जा सके ।
- संपरीक्षा क्वालिटी में सुधार के लिए संपरीक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना ।
- संपरीक्षा क्वालिटी में सुधार के लिए संपरीक्षा समितियों के अनुभव पर विचार-विमर्श करना ।
- संपरीक्षा क्वालिटी संकेतकों को विकसित करना और उन्हें बढ़ावा देना ।
- उच्च संपरीक्षा क्वालिटी के लिए अकाउंटेंटों/लेखांकन फर्मों के लिए सस्ते डिजिटल और ऑनलाइन संसाधनों में निवेश करना और उन तक पहुंच को समर्थ बनाना ।

### 7.3 उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति (एससीएमईएंडपीएस)

इस समिति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, आईसीएआई के उद्यमों में लगे सदस्यों और लोक सेवा में लगे सदस्यों के बीच अंतरापृष्ठ स्थापित करना, जिससे आईसीएआई की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने संबंधी उनके विजन और परिप्रेक्ष्य को विचार में लिया जा सके और साथ ही हमारे सदस्यों के लिए नए-नए क्षेत्रों और अवसरों की खोज की जा सके ।

समिति को प्रारंभिक रूप से वर्ष 2011 में, लोक सेवा में लगे संस्थान के सदस्यों और सफल सीए उद्यमियों को आईसीएआई के क्रियाकलापों में सम्मिलित करने और उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए गठित किया गया था । इससे लोक सेवा और उद्यमी सदस्यों के साथ परस्पर क्रियाओं में वृद्धि होगी और उन्हें संस्थान के क्रियाकलापों से संबंधित मुख्य धारा में लाया जा सकेगा । यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसे सदस्यों को संस्थान के क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाए, जो उद्यमियों के रूप में अत्यंत सफल हैa या लोक सेवा में प्रमुख पद धारण कर रहे हैं और उनके समृद्ध अनुभव, बुद्धिमता को वृत्ति की बेहतरी के लिए उपयोग किया जा सके ।

#### (I) 23 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की क्षेत्रीय बैठक

उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति ने 23 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में लोक सेवा में लगे सदस्यों की एक क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया था, जिसमें लोक सेवा के विभिन्न सेक्टरों से जुड़े सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था । सदस्यों ने आईसीएआई के बेहतर भविष्य के लिए सुझाव प्रस्तुत किए थे और साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण के तंत्र के संबंध में अपनी मूल्यवान प्रतिक्रियाएं भी प्रस्तुत की थी, उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि आईसीएआई को आर्थिक संगतता के उभरते मुद्दों के संबंध में अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए । इसके अतिरिक्त, सदस्यों ने इस संबंध में भी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया था कि आईसीएआई को सरकार के एक सलाहकार के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और रणनीतिगत महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सरकार के साथ भागीदारी करनी चाहिए ।

#### (II) 31 जनवरी – 2 फरवरी, 2020 के दौरान कुमाराकोम, केरल में लोक सेवा में लगे आईसीएआई के सदस्यों की आवासीय बैठक

आईसीएआई की उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमईपीएस) ने 31 जनवरी – 2 फरवरी, 2020 के दौरान आईसीएआई के सदस्यों की एक आवासीय बैठक का आयोजन किया था । इस आवासीय बैठक में राजनीति, न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवाओं, विदेश सेवाओं, आईपीएस, आईआरएस, अपील अधिकरणों, एसएफआईओ और अन्य जैसो विभिन्न सेक्टरों से लगभग 51 सदस्यों ने भाग लिया था । इसमें एक ऐसा सामान्य मंच उपलब्ध कराया था, जहां सभी सेक्टरों से लोक सेवा में लगे सदस्यों ने भाग लिया था और उभरते मुद्दों के संबंध में विचार-विमर्श किया था ।

इस आवासीय बैठक का उदघाटन सीए सुरेश पी. प्रभु, माननीय संसद् सदस्य और प्रधानमंत्री के जी 7 और जी 20 के शेरपा के करकमलों द्वारा हुआ था । उन्होंने आईसीएआई के इस नए प्रयास की सराहना की थी और साथ ही डिजीटल क्रांति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने हेतु आईसीएआई द्वारा की गई पहलों की प्रशंसा की थी, जो वृत्ति को भविष्य की चुनौतियों हेतु तैयार करेंगे । अपने संबोधन के दौरान उन्होंने आईसीएआई को यह सलाह दी थी कि वह आईसीएआई के प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ करने हेतु उपाय करे, जिससे वह साधारण रूप से पणधारियों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। माननीय सुरेश प्रभु ने 2 फरवरी को जलवायु परिवर्तन की विवक्षाओं से संबंधित मुद्दे पर भी संबोधन किया था और साथ ही ऐसे उपायों के बारे में चर्चा की थी, जिन्हें इस भावी आपदा को रोकने के लिए उठाया जाना चाहिए । इस आवासीय बैठक को सीए थॉमस शाजीकदन ने भी अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया था और उन्होंने 2 फरवरी को लोक सेवा में लगे सदस्यों को वृत्ति से सुसंगत मुद्दों के विषय पर संबोधित भी किया था । उन्होंने संघीय बजट के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी अपने विचार प्रकट किए थे ।

आवासीय बैठक को पहले दिन माननीय अतिथि, माननीय न्यायमूर्ति (सीए) भार्गव डी. करिया, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय ने संबोधित किया और दूसरे दिन माननीय श्री न्यायमूर्ति (सीए) डॉ. विनीत कोठारी, वरिष्ठतम न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय श्री न्यायमूर्ति (सीए) दिनेश मेहता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालयों ने संबोधित किया था । इस आवासीय बैठक में आयोजित तकनीकी सत्रों में सीए अरुण कुमार गुजराती, माननीय पूर्व अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा इस बात पर विचार-विमर्श किया गया था कि किस प्रकार जनता के विश्वास और भरोसे में वृद्धि की जा सकती है, सीए प्रवीण गर्ग, आईएएस, अपर सचिव और वित्त सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण विषय पर, सीए, दीपक कुमार

केडिया, आईपीएस ने सरकार, विनियामकों, मीडिया, सदस्यों, छात्रों और अन्य पणधारियों के बीच सीए वृत्ति की सकारात्मक ताकत और सीए महावीर सिंघवी, आईएफएस, संयुक्त सचिव (काउंटर टेरोरिज्म) एमईए, भारत सरकार द्वारा एक भविष्य हेतु तैयार वृत्ति के लिए आईसीएआई की एक वृत्तिक लेखांकन निकाय के रूप में भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए गए थे। डॉ. सीवी आनंद बोस, आईएएस (सेवानिवृत्त), प्रधान सलाहकार, विरासत परियोजना, भारत सरकार और अध्यक्ष, यूएन परामर्शी निकाय, हैबिटेट एलायंस ने स्वयं का उचित रूप से प्रबंध करने संबंधी एक तकनीकी सत्र को संबोधित किया था।

एक ओपन हाऊस परिचर्चा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें लोक सेवा में लगे सदस्यों ने राष्ट्र निर्माण में लेखांकन वृत्ति की प्रास्थिति के संबंध में अपने विचारों को साझा किया था। संपरीक्षा क्वालिटी में सुधार करने, आर्टिकलशिप के परिधि क्षेत्र में विस्तार करने, न्यूनतम फीस व्यवस्था संबंधी दिशानिर्देशों, आईसीएआई की पर्यावरण संबंधी हेतुओं में भागीदारी और छात्रों को सिविल सेवाओं हेतु विकल्प लेने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराके उनके संपर्क कौशलों में सुधार करने जैसे अनेक विषयों पर सदस्यों से सुझाव प्राप्त हुए थे।

**(III) वेबकास्ट**

समिति द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंटों संबंधी वेबकास्टों का आयोजन – समिति ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छात्रों हेतु राष्ट्र के निर्माण के लिए किस प्रकार सिविल सेवा में प्रवेश करें, आक्सीजन डेबिट ..... कार्बन क्रेडिट, पर्यावरण ही हमारा कारबार है, विषयों पर वेबकास्टों का आयोजन किया था।

## 7.4 विधिक निदेशालय

विधिक निदेशालय द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप किए गए थे :

विधिक समन्वयन समूह ने सीए अधिनियम, 1949 के अधीन अनुशासन तंत्र में प्रस्तावित प्रारूप संशोधनों पर विचार किया था और अपने सुझावों को परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया था। परिषद् ने अगस्त, 2019 के दौरान हुई अपनी बैठक में सरकार को प्रस्तुत किए जाने हेतु इस प्रारूप संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया था। तदनुसार, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुशासन तंत्र से संबंधित प्रारूप संशोधनों को तारीख 27.08.2019 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था।

1.4.2019 से 31.03.2020 की अवधि के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(6) के अधीन निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 1 है।

**30.06.2020 को विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या**

| क्रम सं. | मामले की प्रकृति | मामलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | सूची I- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(5) के अधीन फाइल किए गए निर्देश मामले, जो विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं - *168*<br>सूची I – निर्देश मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका (एसएलपी)/अपील, जो उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं - *10* | 178 |
| 2. | चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के अधीन अनुशासन कार्रवाई से उदभूत होने वाली फाइल की गई रिट याचिकाएं | 148 |
| 3. | विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित गैर अनुशासन संबंधी मामलों से संबंधित न्यायालय के मामले | 132 |
| 4. | चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 24 के उल्लंघन से उदभूत होने वाले मामले, जो विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं | 24 |
| 5. | चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 24क के उल्लंघन से उदभूत होने वाले मामले, जो विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं | 2 |
| 6. | चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22क के अधीन अपील प्राधिकरण के समक्ष लंबित अपीलें (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22छ के अधीन संस्थान के सदस्यों द्वारा फाइल की गई) | 29 |
| | 30.06.2020 को यथा विद्यमान मामलों की कुल संख्या | **513** |

- विधिक रायों, अध्ययनों और रिपोर्टों के रूप में प्रभावी विधिक सहायता को उपलब्ध कराना, जैसा कि समय-समय पर संस्थान की परिषद्/कार्यपालक समिति/ विभिन्न गैर-स्थायी समितियों और विभागों द्वारा अपेक्षा की जाए।
- आईसीएआई के हित को ठोस रूप से सुनिश्चित करने के लिए संस्थान के प्रशासनिक कार्यकरण से उदभूत होने वाली विधि के सारवान और प्रक्रियात्मक प्रश्नों की विविध श्रृंखला पर उपयुक्त विधिक सलाह उपलब्ध कराना, जैसा कि प्रचालनात्मक विभागों द्वारा अपेक्षित किया जाए।

- आईसीएआई के प्रचालन विभागों और विभिन्न समितियों द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार संविदाओं, निविदाओं, दस्तावेजों और अन्य विधिक दस्तावेजों के पुनर्विलोकन, उनके संबंध में बातचीत, उनके प्रारूपण और विधीक्षा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण और पर्यावलोकन करना।
- नीतियों को तैयार करने के संबंध में विधिक सूक्ष्मताओं की जांच पड़ताल करने के लिए यथा अपेक्षित रूप में विभिन्न स्थायी और गैर-स्थायी समितियों, अध्ययन समूहों और कार्यबलों में सेवा प्रदान करना।
- जब कभी आवश्यक हो, विधिक उपचारों का अवलंब लेने के विषयों में सलाह देना और प्राप्त हुई विधिक सूचनाओं का उत्तर तैयार करने में प्रचालन विभागों और समितियों की सहायता करना।

### 7.5अवसंरचना विकास संबंधी समिति (आईडीसी)

अवसंरचना विकास संबंधी समिति का सृजन वर्ष 2014 में संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति के रूप में किया गया था। इस समिति ने शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों/कार्यालयों के लिए अवसंरचना नीति की विरचना की थी। वर्ष 2014 से, आईसीएआई ने एक ठोस अवसंरचना नीति स्थापित की है, जो वित्तीय विवेक और अनुशासन को सुनिश्चित करती है। यह नीति इस बात को परिभाषित करती है कि किस प्रकार की प्रसुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, स्थानीय अवसरंचना समितियों की संरचना कैसी हो, भूमि/भवन के अर्जन के नीति और प्रक्रिया, संकेतात्मक क्षेत्र, प्रधान कार्यालय से अनुज्ञेय अनुदान, संस्थान के भीतर विभिन्न प्राधिकारियों में निहित शक्तियां और उनका प्रत्यायोजन। चूंकि नीति स्वयं वित्तीय शक्तियों को परिभाषित करती है इसलिए वर्ष 2014 के पश्चात् से सभी अवसंरचना परियोजनाएं वित्त समिति की बजाए आईडीसी द्वारा अनुमोदित की जा रही हैं। अवसंरचना नीति को विरचित किए जाने के समय से ही आईसीएआई ने निम्नलिखित परियोजनाओं को आरंभ किया है :

| नई अवसंरचना का क्रय | अनुमोदित संनिर्माण संबंधी प्रस्ताव | संदान में प्राप्त संपत्ति |
|---|---|---|
| कन्नूर, जालंधर, जबलपुर, गोवा, गुरुग्राम, मुरादाबाद, पाली, आगरा, गोरखपुर, करनाल, किशनगढ़, लातूर, पटियाला, उज्जैन, रतलाम और अहमदाबाद | अजमेर, सूरत, हुबली, भोपाल, राजमहेंद्रवरम, उत्कृष्टता केंद्र जयपुर, बठिंडा, बरेली, जोधपुर, रायपुर, कन्नूर, ग़ज़ियाबाद, गोवा, मुरादाबाद, गुटूंर, आगरा, गुरुग्राम और रोहिणी | बंगलूरु स्थित संदान में प्राप्त संपत्ति |

आईसीएआई द्वारा अभी तक स्थापित कुल 164 शाखाओं में से, 99 शाखाओं के पास अपने स्वयं के परिसर हैं, जिनके अंतर्गत 14 ऐसी शाखाएं (जो वर्तमान में किराए के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं) भी हैं, जिन्होंने भूमि का उपापन किया है और जहां या तो उन्होंने संनिर्माण आरंभ कर दिया है या होने वाला है। 16 शाखाओं (जो अपने स्वयं के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं) में, जिनके पास अभी तक अपने स्वयं के परिसर नहीं है, भूमि का उपापन किया है और या तो उन्होंने संनिर्माण आरंभ कर दिया है या होने वाला है। 51 शाखाओं के पास अपने स्वयं की भूमि या भवन नहीं है। 21 जुलाई, 2020 तक क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

| **क्रम सं.** | **विशिष्टियां** | **टिप्पणियां** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **डब्ल्यूआईआरसी** | **एसआईआरसी** | **ईआईआरसी** | **सीआईआरसी** | **एनआईआरसी** | **योग** |
| 1. | शाखाओं की कुल संख्या | 35 | 45 | 13 | 47 | 24 | 164 |
| 2. | अपने स्वयं का परिसर रखने वाली शाखाओं की संख्या | 21 | 33 | 6 | 29 | 10 | 99 |
| 3. | ऐसी शाखाओं की संख्या, जिनके पास भूमि है और जिस पर संनिर्माण या तो आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है (जो किराए के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं) | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 |
| 4. | ऐसी शाखाओं की संख्या, जिनके पास अपने परिसर के अलावा ऐसी भूमि भी है जिस पर संनिर्माण या तो आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है (जो अपने स्वयं के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं) | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 16 |
| 5. | ऐसी शाखाओं की कुल संख्या, जिनके पास न तो भूमि है और न ही भवन | 13 | 11 | 7 | 11 | 9 | 51 |

**अवसंरचना विभाग का सृजन**

विभिन्न प्रक्रियात्मक पहलुओं का समाधान करने के साथ-साथ अवसंरचना से संबंधित प्रचालन पहलुओं हेतु एकल बिन्दु संपर्क स्थापित करने के विचार से, परिषद् ने 22.04.2020 को हुई अपनी बैठक में प्रधान कार्यालय में अवसंरचना विभाग के सृजन के लिए अनुमोदन प्राप्त किया था, जो आईसीएआई के पास उपलब्ध सभी अवसंरचना का स्वामी होगा और उनके संबंध में कार्यवाही करेगा, जिसके अंतर्गत केवल सिविल संकर्म से संबंधित उनकी मरम्मत और अनुरक्षण भी है । अवसंरचना विभाग द्वारा इस संबंध में सभी निदेश/मार्गदर्शन अवसंरचना विकास समिति से प्राप्त किए जाएंगे ।

**काफी टेबल बुक**

एक काफी टेबल बुक तैयार की गई है, जो आईसीएआई की सभी शाखाओं और साथ ही उत्कृष्टता केंद्रों, प्रधान कार्यालय और अपने स्वयं के परिसर से कार्यकरण करने वाले प्रादेशिक कार्यालयों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराती है । इस पुस्तक में कक्षाओं, आईटीटी प्रयोगशालाओं, पठन कक्षों, पुस्तकालय, सम्मेलन/संगोष्ठी सभागृहों, बहु प्रयोजन हालों और सभागृहों जैसी अवसंरचना प्रसुविधाओं के ब्यौरे एक ही स्थान पर अंतर्विष्ट है, जिससे आईसीएआई की कार्ययोजना और लेखांकन वृत्ति के विकास हेतु रणनीतिगत संसाधनों के रूप में उनका प्रभावी और दक्ष उपयोग किया जा सके ।

**7.6 अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति (आईएसी)**

**क्रियाकलाप**

**(I) विदेशों में वृत्तिक अवसरों की मान्यता के लिए आईएसी की पहलें**

अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी उपस्थिति को उपदर्शित करने के लिए आईसीएआई, सदस्यों की अर्हताओं को परस्पर रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए वैश्विक लेखांकन निकायों के साथ अर्हता संबंधी परस्पर मान्यता हेतु करार कर रहा है । ये करार दो लेखांकन संस्थाओं के बीच कार्यकारी संबंधों की स्थापना करते हैं । ऐसी विदेश संस्थानों में, जिनके साथ वर्तमान में आईसीएआई का अर्हता संबंधी परस्पर ठहराव है, सीपीए आयरलैंड, एसएआईसीए, सीपीए कनाडा और आईसीएईडब्ल्यू सम्मिलित हैं । वर्ष के दौरान, विभिन्न लेखांकन निकायों के साथ अंतिम रूप प्रदान किए गए/नवीकृत अर्हता संबंधी परस्पर मान्यता हेतु करारों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

- आईसीएआई ने अक्तूबर, 2019 में लंदन, यू.के. में इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के साथ अपने अर्हता संबंधी परस्पर मान्यता हेतु करार को नवीकृत किया है, जिससे दोनों संस्थान एक-दूसरे की अर्हता और प्रशिक्षण को मान्यता प्रदान करें और साथ ही एक दूसरे को जोड़ने संबंधी तंत्र को विहित करके सुप्रतिष्ठा वाले सदस्यों को प्रवेश प्रदान करें ।
- इसने आईसीए नेपाल के साथ हमारे करारों को अंतिम रूप प्रदान किया है । आईसीए नेपाल के साथ किए जाने वाले एमआरए को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 19 फरवरी, 2020 को आयोजित संघ के मंत्री मंडल की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया था और इस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है ।
- इसने एमआईसीपीए के साथ हमारे करारों को अंतिम रूप प्रदान किया है । मलेशियाई इंस्टीट्यूट आफ सीपीए (एमआईसीपीए) के साथ एमआरए पर हस्ताक्षर करने संबंधी मामला और आस्ट्रेलिया के सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (सीपीए आस्ट्रेलिया) के साथ अर्हता संबंधी परस्पर मान्यता हेतु करारों के नवीकरण के विषय के संबंध में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के चार्टर्ड अकाउंटेंट शासकीय प्राधिकरणों से अनुमोदन/सहमति प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।
- इसके अतिरिक्त, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (सीएएएनजेड) और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए अग्रणी पाथवे कार्यक्रमों की प्रस्थापना की है । ये प्रस्थापना द्विपक्षीय अर्हता संबंधी परस्पर मान्यता हेतु करारों के अलावा एकपक्षीय प्रस्थापना है ।
- आईसीएआई ने भारतीय सदस्यों की अर्हताओं की विदेशी में मान्यता और उनके लिए विदेशों में वृत्तिक अवसरों का सृजन करने हेतु उन्हें एक सुदृढ अंतरापृष्ठ उपलब्ध कराने के लिए यू.के. और साथ ही यूएई शिक्षा प्रणालियों के लिए अपनी अर्हता का मूल्यांकन यू.के. एनएआरआईसी (द नेशनल रिकोग्निशन इन्फ्रोमेशन सेंटर, यूनाइटेड किंगडम) से कराया है ।

**(II) आईसीएआई की ब्रांड ईक्विटी का वैश्वीकरण**

- **आईसीएआई के विदेशी चैप्टर**

वर्तमान में आईसीएआई के पास 34 विदेशी चैप्टर हैं, जो समान अर्हताएं रखने वाले देशों के बीच सीए के ब्रांड का संवर्धन करते हैं और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैरियर अवसरों के संवर्धन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हैं । इस अवधि के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार आईसीएआई की परिषद् द्वारा निम्नलिखित चैप्टरों को आरंभ करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिनका शीघ्र ही शुभारंभ किया जाएगा :

- आईसीएआई का लग्जमबर्ग चैप्टर, जो विदेशी चैप्टरों की सूची में 35वां चैप्टर होगा और यूरोप में स्थित 4था चैप्टर होगा ।

- आईसीएआई का यूएई (फुजेरा), जो विदेशी चैप्टरों की सूची में 36वां चैप्टर होगा और मध्य-पूर्व क्षेत्र में स्थित 11वां चैप्टर होगा।

➢ **भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की विदेश नीति**

परिषद् ने संस्थान की विदेश नीति को अनुमोदित किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में परिसीमाओं और दबावों को सम्यक् रूप से मान्यता प्रदान करते हुए आईसीएआई के सुसंगठित और केंद्रित दृष्टिकोण को उपदर्शित करेगी। इस नीति का उद्देश्य वैश्विक रूप से सदस्यों की सेवा करना और आज के क्रियाशील आधुनिक युग में ज्ञान और कौशलों के प्रसार में विश्व गुरू के रूप में कार्य करना है।

➢ **विदेशों में आईसीएआई के प्रतिनिधि कार्यालय**

वैश्विक रूप से अपनी उपस्थिति में अभिवृद्धि करने के प्रयास में आईसीएआई ने विदेशों में ऐसे स्थानों पर अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है, जहां वर्तमान में आईसीएआई चैप्टरों का सृजन नहीं किया जा सकता और इस प्रकार विदेशों में स्थित आईसीएआई के सदस्यों को एकसाथ लाया जा सकेगा और उसके सदस्यों को आईसीएआई तक प्रभावी पहुँच बनाने और उसकी सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सकेगा और इस प्रकार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों को विदेशों में वृत्तिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए "भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट" की एक ब्रांड के रूप में स्थिति में संवर्धन हुआ है। आईसीएआई ने अपनी यह परियोजना शिकागो, डलास, ह्यूस्टन, न्यू इंग्लैंड क्षेत्रों, वांशिगटन डीसी में जुलाई, 2020 में 5 प्रतिनिधि कार्यालयों के शुभारंभ के साथ शुरु की। घाना, अकरा, रवांडा, किगाली, मॉरीशस, पोर्ट लूईस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, किंशासा, दक्षिण अफ्रीका, डरबन, दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, मिस्र काहिरा, जॉर्डन, अकाबा, सेशेल्स, माहे, मलावी, लिलोंग्वे, मलावी, ब्लाएंट्रे और मोजाम्बिक, मापुटो में 12 और प्रतिनिधि कार्यालयों को खोलने की भी मंजूरी दी गई है और उन्हें शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।

➢ **आईसीएआई का सिंगापुर में दूसरा विदेशी कार्यालय**

आईसीएआई के एशियान देशों में लगभग 1000 सदस्य अवस्थित हैं और सिंगापुर में आईसीएआई का कार्यालय खुलने से दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (एशियान) देशों और साथ ही अन्य एशिया प्रशांत देशों में भारतीय सीए की ब्रांड छवि सुदृढ होगी। इस विचार के साथ सिंगापुर में आईसीएआई के दूसरे विदेशी कार्यालय को निगमित किया गया है। यह कार्यालय सदस्यों से संबंधित क्षेत्रों और इन देशों में सदस्यों को वापस आईसीएआई की छत्र छाया में लाने में उपयोगी सिद्ध होगा। यह उनकी इन देशों में पीएओ के साथ उत्तम संपर्क बनाए रखने में भी सहायता करेगा और साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्रों, विशिष्ट रूप से एशियान देशों में सीए की ब्रांड छवि का संवर्धन करेगा।

➢ **आईसीएआई के सर्वोत्तम विदेशी चैप्टर पुरस्कार, 2020**

वर्ष 2013 से अंतर्राष्ट्रीय कार्य संबंधी समिति (आईएसी) विदेशों में स्थित अपने चैप्टरों के लिए आईसीएआई के सर्वोत्तम विदेशी चैप्टर पुरस्कारों का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य 'भारतीय सीए' की ब्रांड छवि में अभिवृद्धि करने में चैप्टर का प्रबंध करने वाली समिति के प्रयासों की सराहना की जाती है और साथ ही इस बात के लिए भी उसकी प्रशंसा की जाती है कि वह सदस्यों को नेटवर्किंग हेतु एक मंच उपलब्ध करा रही है और इस प्रकार विदेशी जमीन पर सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना का सृजन कर रही है। ये पुरस्कार चैप्टरों के विशिष्ट प्रयासों और उदाहरणात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के विस्तार क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी कर रहे हैं। सर्वोत्तम विदेशी चैप्टर का चयन समय-समय पर यथा अनुमोदित परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर किया जाता है।

सर्वोत्तम चैप्टर पुरस्कार प्रतिस्पर्धा 2020-21 हेतु मानदंडों को अद्यतन किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे विदेशी चैप्टरों के प्रयासों को मान्यता प्रदान की जाए, जिन्होंने मूल्यांकनाधीन अवधि के दौरान सराहनीय रूप से कार्यपालन किया है किंतु जो इन तीन प्रवर्गों के अधीन शीर्ष स्थान बनाने में सफल नहीं हो सके हैं और इसलिए उन्हें सराहना प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे।

➢ **आईसीएआई द्वारा 18-21 नवंबर, 2022 के दौरान मुंबई, भारत में अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस की मेजबानी**

डब्ल्यूसीओए का आयोजन प्रत्येक चार वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन फेडरेशन (आईएफएसी), जो लेखांकन वृत्ति से संबंधित एक विश्वव्यापी संगठन है, के तत्वाधान में किया जाता है और यह वृत्तिक अकाउंटेंटों के लिए एक अत्यधिक प्रतिष्ठित वैश्विक आयोजन है, जहां लगभग 6000 प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं और लेखांकन तथा संबद्ध विषयों पर अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। आईसीएआई ने, जो आईएफएसी का सदस्य है, डब्ल्यूसीओए, 2022 की मेजबानी करने की प्रस्थापना की थी और एक कड़े निर्धारण के पश्चात् उसे 18-21 नवंबर, 2022 के दौरान मुंबई, भारत में अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस की मेजबानी करने का सम्मान प्राप्त हुआ है।

**(III) प्रतिनिधि मंडलों द्वारा आईसीएआई का दौरा**

➢ सीपीए आस्ट्रेलिया से एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सुश्री डेबोरा ल्यूंग, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री मार्क चाऊ, प्रादेशिक महाप्रबंधक कारबार विकास और श्री लेस्ली लियु, प्रादेशिक प्रबंधक एमईएसए सम्मिलित थे, ने 30 अप्रैल, 2019 को आईसीएआई के प्रधान कार्यालय का दौरा किया था, जिसके दौरान आईसीएआई और सीपीए आस्ट्रेलिया के बीच परस्पर मान्यता प्रदान करने संबंधी करार (एमआरए) के, जो सितंबर, 2019 में समाप्त हो रहा था, नवीकरण के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था। इसके अलावा, दोनों संस्थानों ने द्विपक्षीय सहयोग के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में भी परिचर्चा की थी, जिनमें संवहनीय विकासात्मक उद्देश्यों के संबंध में सहयुक्त अध्ययन और अकाउंटेंटों की भूमिका विषय पर खोजबीन करना और निगम शासन, ब्लॉक चेन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि विषयों पर संयुक्त संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन सम्मिलित था।

- डा. इन की जू, अध्यक्ष, आईएफएसी और श्री रसेल गुथरी, सीएफओ और कार्यपालक निदेशक, आईएफएसी ने 1 जुलाई, 2019 को आईसीएआई प्लेटिनम जयंती समारोह में भाग लेने के लिए आईसीएआई का दौरा किया था। इस समारोह का उदघाटन श्री एम. वैकेया नायडू, भारत के माननीय उप राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। 18-21 नवंबर, 2022 के दौरान मुंबई, भारत में डब्ल्यूसीओए 2022 के सफलतापूर्वक आयोजन के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया था और साथ ही ईएसबी, एएएसबी और आईएएसबी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से भी बैठक की गई थी।
- केन्या अकाउंटेंट्स एंड सैक्रेटरीज नेशनल एग्जामिनेशन्स बोर्ड (केएएसएनईबी) और इंस्टिट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स आफ केन्या (आईसीपीएके) से एक प्रतिनिधि मंडल ने 7 नवंबर, 2019 को आईसीएआई का दौरा किया था, जिसके दौरान विभिन्न तकनीकी और वृत्तिक मुद्दों के संबंध में आईसीएआई से तकनीकी संवर्धन का फायदा लेने की संभावनाओं पर विचार किया गया था।
- श्री एलन जॉनसन, उपाध्यक्ष और श्री रसेल गुथरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, आईएफएसी ने मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया था। उनके दौरे के साथ-साथ उन्होंने 5 दिसंबर 2019 को डब्ल्यूसीओए, 2022 के आयोजन स्थल, अर्थात् जियो वर्ल्ड सेंटर का दौरा किया और आईसीएआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ मुंबई में आयोजित की जाने वाली वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ़ अकाउंटेंट्स 2022 (डब्ल्यूसीओए 2022) संबंधी तैयारियों के संबंध में विचार-विमर्श किया था।
- सीपीए ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री एंड्रयू हंटर, सीईओ, सीपीए ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 3 दिसंबर, 2019 को मुंबई का दौरा किया था और उन्होंने आईसीएआई और सीपीए ऑस्ट्रेलिया के बीच एमआरए के नवीकरण के संबंध में चर्चा करने के लिए आईसीएआई के नेतृत्व के साथ मुलाकात की थी। दोनों संस्थानों के परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

**(IV) सम्मेलन/कार्यक्रम**

- आईसीएआई-सीपीए ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सूचना सत्र - आईसीएआई और सीपीए ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से विभिन्न टियर I और टियर II शहरों में जून, सितंबर, नवंबर 2019 और फरवरी 2020 में एमआरए रुट के माध्यम से सीपीए ऑस्ट्रेलिया की परीक्षाओं को अर्हित करने के पश्चात् ऑस्ट्रेलिया में विद्यमान अवसरों के बारे में जागरूकता का सृजन करने हेतु कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया था।
- आईएफएसी परिषद् बैठक के साथ-साथ आईसीएआई के वैंकूवर चैप्टर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग संबंधी कार्यक्रम का आयोजन – आईएफएसी, सीएपीए, सीएडब्ल्यू की प्रमुख बैठकें वैंकूवर, कनाडा में नवंबर 2019 के मास के दौरान आयोजित की गईं। इन बैठकों के संयोजन में, आईसीएआई के ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर चैप्टर ने एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें सीएपीए के बोर्ड सदस्यों ने भाग लिया था। इस आयोजन में अध्यक्ष आईएफएसी, अध्यक्ष, सीएपीए, अध्यक्ष, एसएएफए ने भी भाग लिया था और इस आयोजन से आईसीएआई को व्यापक फायदा हुआ था। आईसीएआई के चैप्टर द्वारा 11 नवंबर, 2019 को आयोजित रात्रि भोज के दौरान वैश्विक मंच पर सीए की ब्रांड छवि को निखारने हेतु अनन्य अवसर उपलब्ध कराया गया था और साथ ही भारत में आयोजित होने वाली डब्ल्यूसीओए, 2022 का भी प्रचार-प्रसार किया गया था। इस आयोजन में अध्यक्ष, आईएफएसी, सीएपीए और एसएएफए भी उपस्थित हुए थे। अतुल कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने आईसीएआई की यूडीआईएन संबंधी पहल पर एक प्रस्तुति दी थी, जिसमें 13 नवंबर, 2019 को आयोजित आईएफएसी परिषद् की बैठक में इस पहल की अवधारणा और फायदों का वर्णन किया गया था, जिसमें 130 देशों के 175 सदस्य निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आईसीएआई की इस पहल की आईएफएसी परिषद द्वारा अत्यधिक सराहना की गई।
- 6-7 दिसंबर, 2019 के दौरान मुंबई में "लेखांकन वृत्ति : क्रांतिकारी सुधार, मूल्यों का सृजन" विषय पर आईसीएआई का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन - 6-7 दिसंबर, 2019 के दौरान मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी में "लेखांकन वृत्ति : क्रांतिकारी सुधार, मूल्यों का सृजन" विषय पर आईसीएआई के एक वृहत्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रख्यात अनेक वक्ताओं ने भाग लिया था, जो सरकार, उद्योग और लेखांकन वृत्ति से संबंधित थे और जिनमें श्री एलन जॉनसन, उपाध्यक्ष, आईएफएसी, सीए सुरेश प्रभु, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) और प्रधानमंत्री के जी 7 और जी 20 में शेरपा और सीए थॉमस चाजीकदन, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) सम्मिलित थे। इस सम्मेलन में 1200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लेकर इसके प्रति उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया दर्शित की थी और इस कार्यक्रम को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी।
- 13 अप्रैल, 2020 को "रिपोर्टिंग और आश्वासन पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव" विषय पर आईसीएआई के वैश्विक वेबीनार का आयोजन – अंतर्राष्ट्रीय कार्य संबंधी समिति ने अप्रैल, 2020 में "रिपोर्टिंग और आश्वासन पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव" विषय पर आईसीएआई के वैश्विक वेबीनार का आयोजन किया था, जिसमें उन चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जो कोविड-19 संक्रमण फैलने के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने आई हैं और इस आयोजन में विशेष रूप से लेखांकन, रिपोर्टिंग और आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में विश्वभर में स्थित वृत्तिकों और निगमों के सामने आई चुनौतियों का समाधान करने पर जोर दिया गया था। इस वेबिनार को इस क्षेत्र के वैश्विक नेताओं ने संबोधित किया गया था, जिनमें सीए सुरेश प्रभु, माननीय सांसद (राज्य सभा) और प्रधानमंत्री के जी 7 और जी 20 में शेरपा, डॉ. इन की जू,

अध्यक्ष, आईएफएसी, श्री फ्लोरिन तोमा, अध्यक्ष, लेखांकन यूरोप, श्री साल्वाडोर मारिन, अध्यक्ष, यूरोपीय फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स फॉर एसएमई (ईएफएए), श्री वान टिन, अध्यक्ष, आसियान फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स, श्री टॉम सिडेनस्टीन, अध्यक्ष, आईएएएसबी, श्री एलन जॉनसन, उपाध्यक्ष, आईएफएसी और श्री अर्जुन हेराथ, अध्यक्ष, पीएओडीसी, आईएफएसी सम्मिलित थे । इस वेबिनार को अन्य वृत्तिक लेखांकन संगठनों (पीएओ)/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ल्डवाइड (सीएडब्ल्यू), दक्षिण एशियाई लेखाकार संघ (एसएएफए), द एडिनबर्ग समूह, सीपीए कनाडा, सीपीए ऑस्ट्रेलिया, सीपीए मलेशिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोनेशिया और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स प्रतिनिधियों द्वारा भी संबोधित किया गया था ।

- 30 अप्रैल, 2020 को "जोखिम विविधता रणनीतियां – वैश्विक विनिर्माताओं के लिए भारत में अवसर - कोविड-19 के पश्चात्" विषय पर ग्लोबल वेबीनार का आयोजन - कोविड-19 महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने अत्यंत कड़ी चुनौतियां खड़ी कर रही है और इसका अनेक राष्ट्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा । अधिकांश राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए अपने निवेश और आपूर्ति श्रृंखला को सुमेलित करने के लिए पहलें आरंभ कर दी हैं, किंतु सामान्य अर्थव्यवस्था विकास मानक को पुन: प्राप्त करना अत्यधिक कठिन होगा । जैसे-जैसे विश्व कोविड-19 महामारी से उभर रहा है, वैश्विक निवेशों, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखलाओं के अंतरण के साथ एक नई आर्थिक व्यवस्था आरंभ होगी । इसके लिए भारत से यह अपेक्षित होगा कि वह इस महामारी के अंत के पश्चात् अपनी अर्थव्यवस्था का पुन: निर्माण करे । भारत को आर्थिक विकास के लिए तैयार करने और उसकी अर्थव्यवस्था के विकास के प्रति योगदान देने के लिए आईसीएआई ने 30 अप्रैल, 2020 को "जोखिम विविधता रणनीतियां – वैश्विक विनिर्माताओं के लिए भारत में अवसर - कोविड-19 के पश्चात्" विषय पर एक वैश्विक वेबीनार का आयोजन किया था । इस वेबीनार में सीए पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और रेल मंत्री, सी.ए. अरुण सिंह, माननीय संसद सदस्य, इस वेबीनार में इलैक्ट्रानिक रूप से उपस्थित हुए थे । इस वेबीनार के वक्ताओं के पैनल में डॉ राजीव कुमार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, श्री राजकिरण राय, एमडी और सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, श्री सतीश मराठे, निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, सीए गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अर्थशास्त्री, सीए राजीव कुमार सिंह, स्वतंत्र निदेशक, यूनियन बैंक आफ इंडिया और सीए उमेश चंद्र पांडे, पूर्व स्वतंत्र निदेशक, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जैसे विख्यात व्यक्ति सम्मिलित थे, जिन्होंने इस विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात् माननीय मंत्री सीए पीयूष गोयल के साथ विदेशी चैप्टरों से प्रश्नोत्तरों के सत्रों को आरंभ किया गया था ।
- 14 मई, 2020 को विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु भारत में भावी निवेश नीति के संबंध में सुझावों को प्राप्त करने के लिए वीडियो काल के माध्यम से चैप्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक – अंतर्राष्ट्रीय कार्य संबंधी समिति ने आईसीएआई के नेतृत्व के साथ आईसीएआई के विदेशी चैप्टरों के प्रतिनिधियों की एक परस्पर क्रियाशील बैठक का 14 मई, 2020 को आयोजन किया था, जिसमें विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु भारत में भावी निवेश नीति के संबंध में सुझावों को प्राप्त किया गया था ।
- 27 और 30 जून 2020 को इंग्लैंड और वेल्स के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (आईसीएईडब्ल्यू) के साथ समझौता ज्ञापन के संबंध में आईसीएआई के सदस्यों हेतु जागरुकता सत्र का आयोजन – आईसीएआई और इंग्लैंड और वेल्स के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (आईसीएईडब्ल्यू) के साथ समझौता ज्ञापन का संवर्धन करने और साथ ही दोनों संस्थानों के बीच हस्ताक्षरित की जाने वाली पाथवे स्कीम के बारे में जागरुकता का सृजन करने हेतु दोनों संस्थानों ने संयुक्त रूप से क्रमश: 27 और 30 जून, 2020 को "विश्व के लिए आपका पासपोर्ट : आईसीएआई के सदस्यों हेतु आईसीएईडब्ल्यू में शामिल होने का अवसर" विषय पर वेबीनार का आयोजन किया । इन दोनों वेबीनारों में 400 से अधिक आईसीएआई सदस्यों ने भाग लिया ।
- 27 जून, 2020 को एडिनबर्ग समूह के साथ सहयोग से वेबीनार का आयोजन – अंतर्राष्ट्रीय कार्य संबंधी समिति और व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति ने 27 जून, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय एसएमपी दिवस की पूर्व संध्या पर एक आईसीएआई-एडिनबर्ग समूह वैश्विक एसएमपी वेबीनार का आयोजन किया, जो भविष्य हेतु तैयार एसएमपी - वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण, विषय से संबंधित था । इस वेबीनार में सुश्री मोनिका फ़ॉस्टर, अध्यक्ष, आईएफएसी की एसएमपी समिति, श्री ईमोन सिगिन्स, अध्यक्ष, एडिनबर्ग समूह और सीई, सीपीए आयरलैंड, सुश्री केडी वालर, हैड आफ पब्लिक प्रैक्टिस, सीपीए ऑस्ट्रेलिया, श्री मार्क एडमंडसन, अध्यक्ष और सीईओ, आईएनएफएलओ, सीए सतीश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति, आईसीएआई और अध्यक्ष, एसएएफए की एसएमपी समिति इलैक्ट्रानिक रूप से उपस्थित हुए थे ।

**(V) अविकसित देशों को तकनीकी सहायता**

- एनबीएए तंजानिया, आईसीए नेपाल और सीपीएपीएनजी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की आज्ञा के अधीन आईसीएआई द्वारा इन तीन संस्थानों को सहायता
  - एनबीएए, तंजानिया को आईसीएआई का समर्थन – लेखांकन और संबद्ध क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की स्थापना करने के लिए आईसीएआई ने नेशनल बोर्ड आफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स, तंजानिया के साथ एक तकनीकी सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे । इस समझौते के अधीन आज्ञा का क्रियान्वयन करने के लिए आईसीएआई ने एनबीएए की पाठ्यचर्या का पुनर्विलोकन किया है, एनबीएए की अध्ययन सामग्री का ब्यौरेवार मूल्यांकन और पुनरीक्षण तथा एनबीएए के लिए पुस्तकों का उपापन और उनकी आपूर्ति की है ।

- सीपीएपीएनजी को आईसीएआई का समर्थन – आईसीएआई और सीपीएपीएनजी एक द्विपक्षीय सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं और उसके अनुसरण में, आईसीएआई को सीपीएपीएनजी से यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि उनके सीपीए मॉड्यूल के लिए पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या में सुधार किया जाए। आईसीएआई ने उनके मॉड्यूल का सुधार करने के लिए उसका मूल्यांकन/अध्ययन करने का कार्य आरंभ किया है। पूर्व में, आईसीएआई ने सीपीएपीएनजी को, आईएफएपी की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने में अपना समर्थन दिया था। आईसीएआई ने सम्यक् तत्परता संबंधी प्रक्रिया पूरी की तथा अपनी रिपोर्ट को विचारार्थ आईएफएसी को प्रस्तुत किया था। आईएफएसी ने 13 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी परिषद बैठक में सीपीएपीएनजी को पूर्ण सदस्यता प्रदान की थी । इसके अनुसरण में, श्री युवाक ताओ, कार्यपालक निदेशक, सीपीएपीएनजी ने आईसीएआई द्वारा मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आईसीएआई के प्रति सीपीएपीएनजी की ओर से आभार व्यक्त किया था।
- आईसीएआई की आईसीए नेपाल को समर्थन – आईसीएआई ने आईसीएएन को उनकी परीक्षा प्रणालियों को और अधिक मजबूत बनाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान की थी, जिसके दौरान आईसीएएन के अधिकारियों ने आईसीएआई की परीक्षा प्रणाली का परिशीलन करने और परीक्षाओं के सुचारू संचालन/प्रवाह से संबंधित विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की थी।
- तकनीकी सहयोग संबंधी करार – आईसीएआई ऐसे देशों को तकनीकी सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराने में भी सहबद्ध रहा है, जिनके पास समुचित लेखांकन अवसंरचना का अभाव है । चालू वर्ष में, संस्थान ने कुवैत एकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स एसोसिएशन (केएएए) और साऊदी आर्गनाइजेशन फार सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एसओसीपीए) के साथ तकनीकी सहयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए हैं और निम्नलिखित संस्थानों के साथ आईसीएआई के उन देशों में लेखांकन वृत्ति को संस्थागत बनाने के लिए तकनीकी सहयोग संबंधी करार विद्यमान हैं :
    - बैंककारी और वित्तीय अध्ययन संबंधी महाविद्यालय, ओमान
    - नेपाल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
    - बहरीन बैंककारी और वित्तीय संस्थान (बीआईबीएफ)
    - राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स और लेखा परीक्षक बोर्ड, तंजानिया
    - केन्या प्रमाणित लोक लेखापाल संस्थान (आईसीपीएके)
    - कुवैत अकाउंटेंट्स और लेखापरीक्षक संघ (केएएए)
    - प्रमाणित लोक लेखापालों संबंधी सऊदी संगठन (एसओसीपीए)

  सीपीए अफगानिस्तान और प्रौद्योगिकी संबंधी उच्चतर महाविद्यालय, यूएई के साथ किए जाने वाले तकनीकी सहयोग संबंधी करारों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और उन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने की आशा है।

  आईसीएआई द्वारा कुवैत अकाउंटेंट्स और लेखा परीक्षक संघ (केएएए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर – भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने 21 नवंबर, 2019 को कुवैत में कुवैत अकाउंटेंट्स और लेखा परीक्षक संघ (केएएए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। आईसीएआई और केएएएए के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन इस बात को सुकर बनाएगा कि दोनों संस्थान कुवैत में लेखांकन, वित्तीय और संपरीक्षा ज्ञान आधार को सुदृढ़ हेतु एकसाथ मिलकर कार्य करेंगे । इस समझौता ज्ञापन के अधीन, आईसीएआई कुवैत सरकार/मंत्रालयों के कर्मचारियों/केएएए के सदस्यों और कुवैत के राष्ट्रिकों को केएएए के सहयोग से तकनीकी कार्यक्रमों की प्रस्थापना करेगा।
- आईसीएआई और प्रमाणित लोक लेखापालों संबंधी साऊदी संगठन (एसओसीपीए) के बीच समझौता ज्ञापन -- आईसीएआई और प्रमाणित लोक लेखापालों संबंधी साऊदी संगठन (एसओसीपीए) के बीच 2014 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे । इस समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया जाना था और भारत के मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात् आईसीएआई और एसओसीपीए ने 27 जनवरी, 2020 को रिहाद में साऊदी अकाउंटेंटों के मंच के उद्घाटन समारोह के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता ज्ञापन निगम शासन, तकनीकी अनुसंधान और सलाह, क्वालिटी आश्वासन, न्यायालयीय लेखांकन, लघु और मध्यम आकार के व्यवसायियों (एसएमपी) संबंधी मुद्दों, इस्लामिक वित्तपोषण, सतत वृत्तिक विकास (सीपीडी) और लेखांकन वृत्ति से संबंधित परस्पर हित के अन्य विषयों में परस्पर सहयोग के ढांचे का संवर्धन करता है।

**(VI) रचना खंडों के लिए कार्यकरण**

एसएएएफए सदस्य निकायों और ऐसे अन्य लेखांकन निकायों के, जिनके साथ आईसीएआई ने एमओयू/एमआरए पर हस्ताक्षर किए हैं और भविष्य में एमओयू/एमआरए पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया है, सदस्यों को आईसीएआई के ई-पठन मंच तक पहुंच प्रदान करने का प्रस्ताव – डिजीटल पठन केंद्र, एकीकृत पठन प्रबंध प्रणाली (एलएमएस) का भाग है, जो बहु प्ररूपों (वीडियो/प्रस्तुतीकरणों और परस्पर क्रियाशील अंतर्वस्तु) में पाठ्यक्रमों और वृत्तिक अंतर्वस्तु तक पहुंच को सुकर बनाता है, जिनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन निकायों/मंचों के वृत्तिकों द्वारा अपने ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रयास की एसएएएफए के सदस्य निकायों द्वारा सराहना की गई थी और एसएएएफए ने अनुरोध किया था कि क्या आईसीएआई इस पठन क्रेंद को एसएएएफए के सदस्य निकायों के साथ साझा कर सकता है।

एक सदभावना प्रदर्शन के रूप में आईसीएआई ने अपने अद्वितीय डिजीटल पठन केंद्र के संबंध में 200 अमेरीकी डालर प्रतिवर्ष की तुलना में अत्यधिक कम दर एक अमरीकी डालर प्रतिवर्ष की दर से एसएएफए देशों और ऐसे लेखांकन निकायों को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिनके साथ आईसीएआई ने एमआरए/एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अलावा, असाधारण उभरती परिस्थितियों में आईसीएआई ने एक सक्रिय उपाय के रूप में, इन डिजिटल संसाधनों को लघु पीएओ का समर्थन करने हेतु उनके साथ साझा करने का निर्णय लिया है, जिससे वे अपने सदस्यों को ऑनलाइन सीपीडी पठन उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकें। आईएफएसी ने आईसीएआई के इस प्रस्ताव की काफी सराहना की है और आईसीएआई के, लघु पीएओ को आईसीएआई के डिजिटल पठन केंद्र का उपयोग करने संबंधी प्रस्ताव को आईएफएसी की वेबसाइट पर भी रखा गया है। इस डिजिटल पठन केंद्र को लेखांकन शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पैनल के सदस्यों के साथ भी साझा किया गया है और उन्होंने आईसीएआई की इस पहल की सराहना भी की है। नेपाल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएएन) के लगभग 100 सदस्यों ने अपने वृत्तिक ज्ञान में सतत रूप से वृद्धि करने के लिए आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र का उपयोग करना आरंभ कर दिया है।

### 7.7 अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस संबंधी कार्यकरण समिति (डब्ल्यूसीओए)

परिषद् ने 18 नवंबर, 2022 से 21 नवंबर, 2022 के दौरान जिओ वर्ल्ड सेंटर, बीकेसी, मुंबई में आयोजित की जाने वाली अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए) के आयोजन संबंधी भिन्न-भिन्न कार्यों को पूरा करने हेतु चालू परिषद् वर्ष में एक गैर-स्थायी समिति, अर्थात् अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस संबंधी कार्यकरण समिति का गठन किया है।

समिति ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप किए हैं :

- अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस 2022 के आयोजन संबंधी तैयारियां चल रही हैं और शीघ्र ही डब्ल्यूसीओए – 2022 हेतु रजिस्ट्रीकरण और अन्य क्रियाकलाप आरंभ किए जाएंगे।
- वर्ष के दौरान आईएफएसी के उपाध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने डब्ल्यूसीओए – 2022 के आयोजन स्थल का दौरा किया था।
- आईसीएआई भवन, बीकेसी, मुंबई में बेहतर समन्वयन हेतु एक पूर्णकालिक समर्थित कर्मचारिवृंद के साथ एक पूर्णरूपेण कार्यकरण करने वाले सचिवालय की स्थापना भी की गई है।
- डब्ल्यूसीओए – 2022 के वृत्तिक सम्मेलन आयोजक की नियुक्ति के लिए आरएफपी को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु प्रक्रिया की जा रही है।
- डब्ल्यूसीओए – 2022 के लोगो (प्रतीक चिह्न) को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है और इससे संबंधित वेबसाइट को तैयार करने संबंधी प्रक्रिया चल रही है और साथ ही डब्ल्यूसीओए – 2022 का विज्ञापन करने वाले सोशल मीडिया पृष्ठों को भी तैयार किया जा रहा है।
- डब्ल्यूसीओए के विभिन्न प्रचालनों की देखभाल करने हेतु उप समितियों का सृजन किया गया है।

### 7.8 रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति (एसपीपीएमसी)

रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति का मुख्य उद्देश्य एक प्रमुख रूप से केंद्रित और क्रियाशील संस्थान के रूप में आईसीएआई को रणनीति और अन्य उभरते क्षेत्रों में विकसित करने और एक व्यापक आधार प्रदान करने हेतु लेखांकन वृत्ति की मूल सक्षमताओं की पहचान करना, उन पर ध्यान केंद्रित करना, उनकी खोज करना, उनके संबंध में विचार-विमर्श करना तथा उन्हें विकसित करना है।

#### समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम

समिति ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन किया है :

3 मई, 2020 को "मेकिंग आफ न्यू इंडिया" विषय पर रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति द्वारा एक वेबकास्ट का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य वक्ताओं में श्री नीतिन गड़करी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री सम्मिलित थे इन्होंने सदस्यों को कोविड और कोविड पश्च युग में आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर संबोधित किया था। माननीय मंत्री द्वारा निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए गए थे :

- मेक इन इंडिया
- उत्तम नीति द्वारा निवेशों को आकर्षित करना
- नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उत्पादकता में वृद्धि करना
- निर्यात में वृद्धि करना
- आयात में कमी करना
- आत्मनिर्भरता
- नए सेक्टर संबंधी विकास
- संवहनीयता

श्री श्रीपाद येसो नायक, माननीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रक्षा राज्यमंत्री, भारत सरकार ने भी सदस्यों को सरकार द्वारा कोविड संक्रमण का सामना करने हेतु किए जा रहे प्रयासों और वृत्ति के सदस्यों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में संबोधित किया था। इस वेबकास्ट को प्रोफेसर आशा कौल, प्रोफेसर, संसूचना, भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद ने भी संबोधित किया था, जिन्होंने निजी ब्रांडिंग के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए थे। इस वेबकास्ट को एक लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा देखा गया था।

### 7.9 सीएसआर समिति

सीएसआर समिति, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति है, जिसका सृजन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक उपबंधों के अधीन किया गया था। सीएसआर समिति का मिशन और उद्देश्य सीएसआर विनियमों का सृजन करना, उन्हें बनाए रखना और उनके संबंध में जागरुकता को बढ़ावा देना तथा उनके अनुपालन को सुनिश्चित करना ; अर्थपूर्ण और क्वालिटी संबंधी पहलें करना ; ऐसे क्रियाकलाप करना, जो सामाजिक उत्तरदायित्व के सही सार को पकडना और ऐसे मार्गों को अपनाना, जो समाज हेतु मूल्य के सृजन का पथ प्रदर्शित करें, पारदर्शिता और भावी शासन के माध्यम से पर्यावरण के साथ सुमेलित रूप से संवहनीय विकास का संवर्धन करना है।

**किए गए क्रियाकलाप**

- सीएसआर समिति ने निम्नलिखित प्रकाशनों को जारी किया है :
  - सीएसआर निधियों के उपयोग संबंधी स्वतंत्र व्यवसायियों की रिपोर्ट के संबंध में सलाह – 29.05.2020
  - 29.04.2020 को आयोजित लाइव वेबकास्ट के दौरान सीएसआर नियमों, लेखांकन और कराधान संबंधी उठाए गए प्रश्नों के उत्तर – 9.6.2020
  - निगम सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों संबंधी व्यय के लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड – 30.06.2020
- सीएसआर समिति ने 29.04.2020 को सीएसआर विधियों, लेखांकन और कराधान के संबंध में एक लाइव वेबीनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। इस वेबीनार को देखने हेतु 4122 लॉग-इन हुए थे। इसे अब सदस्यों के फायदे के लिए आईसीएआई टीवी पर रखा गया है।
- सदस्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को समाविष्ट करने के पश्चात् प्रारूप सीएसआर कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2020 के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाओं को सीएसआर समिति द्वारा एमसीए के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- ऐसे प्रशिक्षित वृत्तिकों, जो सामान्य रूप से बेहतरी हेतु सीएसआर संबंधी विजन और उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में सहायता कर सकते हैं, की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया सीएसआर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम। सीएसआर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के पहले बैच को 4 जुलाई, 2020 से आरंभ किया गया है और इसे सदस्यों से अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं।
- चार्टर्ड अकाउंटेंटों के सीएसआर क्रियाकलापों का पता लगाने और उन्हें जनता के समक्ष रखने हेतु एक वेब पोर्टल को भी विकसित किया गया है। इस वेब पोर्टल पर चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रति किए गए संदानों संबंधी जानकारी को भी रखा गया है। इसके साथ ही सीएसआर के क्षेत्र में सभी नवीनतम घटनाओं और सीएसआर समिति के क्रियाकलापों को नियमित रूप से सीएसआर पोर्टल https://csr.icai.org पर अद्यतन किया जाता है।
- सदस्यों को नियमित रूप से संसूचनाएं भेजी जाती हैं कि वे आगे आएं और अर्थव्यवस्था के विकास के प्रति अपना योगदान दें और साथ ही पीएम केयर निधि, पीएम राष्ट्रीय अनुतोष निधि, सीएम राष्ट्रीय अनुतोष निधि, आईसीएआई कोविड निधि, भोजन के पैकेटों और चिकित्सीय किटों का जरुरतमंद व्यक्तियों को संदान करके समाज के प्रति अपना योगदान दें।
- सदस्यों को सरकार/एमसीए के निर्णयों और जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराते हुए नियमित रूप से संसूचनाएं भेजी जाती हैं।

### 7.10 यूडीआईएन निदेशालय

यूडीआईएन निदेशालय को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा वर्ष 2019 में यूडीआईएन के क्रियान्वयन और इस संबंध में प्रगति की तथा वास्तविक समय आधार पर उसके दैनिक कार्यकरण की मानीटरी करने के लिए गठित किया गया है।

**(I) यूडीआईएन का कार्यान्वयन**

दिसंबर, 2018 में, परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि निम्नलिखित चरणों में पूर्णकालिक व्यवसाय करने वाले प्रत्येक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए यूडीआईएन को आज्ञापक बनाया जाए :

- व्यवसायी चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाणनों के लिए 1 फरवरी, 2019 से।
- सभी जीएसटी और कर संपरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में 1 अप्रैल, 2019 से।
- अन्य सभी संपरीक्षा, आश्वासन और अनुप्रमाणन कृत्यों के लिए 1 जुलाई, 2019 से।

सदस्यों को समय से काफी पहले उदघोषणाओं और मास ई-मेलों के माध्यम से चरणबद्ध रीति में किए जाने वाले इस कार्यान्वयन की जानकारी प्रदान की गई थी । उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक चरण के संबंध में ब्यौरेवार एफएक्यू जारी किए गए थे और उन्हें यूडीआईएन पोर्टल और आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था ।

**(II) यूडीआईएन से संबंधित आंकड़े**

**31 मार्च, 2020 तक 1.05 करोड़ यूडीआईएन का सृजन किया गया है (इनमें से 98.53 लाख क्रियाशील यूडीआईएन हैं)**

***प्रवर्गवार यूडीआईएन***

| | |
|---|---|
| प्रमाणपत्र | 49.85 लाख |
| जीएसटी और कर संपरीक्षा | 37.12 लाख |
| अन्य संपरीक्षा और आश्वासन | 11.56 लाख |

***व्यवसाय करने वाले सदस्यों की संख्या – जो यूडीआईएन हेतु रजिस्ट्रीकृत है और जिन्होंने उसका सृजन किया है***

| | |
|---|---|
| पूर्णकालिक व्यवसाय में | 1,38,441 |
| यूडीआईएन पर रजिस्ट्रीकृत | 1,12,786 |
| जिन्होंने यूडीआईएन का सृजन किया है | 1,05,802 |

***सदस्यों द्वारा सृजन किए गए यूडीआईएन की तुलना में उनके अधीन आर्टिकल***

| **आर्टिकल को प्रशिक्षण देने वाले सदस्य** | **सदस्यों की संख्या** | **यूडीआईएन की संख्या** |
|---|---|---|
| कोई आर्टिकल नहीं | 49,977 | 29,02,954 |
| 1 से 2 | 30,022 | 29,45,910 |
| 3 से 4 | 11,919 | 15,54,126 |
| 5 से 7 | 8,898 | 13,98,989 |
| 8 से 10 | 4,833 | 10,28,096 |
| 10 से अधिक आर्टिकल्ड सहायक | 153 | 24,273 |

**(III) कपटों का पता लगाना**

यूडीआईएन के कार्यान्वयन के पश्चात्, कपट करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए अनेकों कदाचार सामने आने लगे । पणधारियों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही है, जहां गैर-सीए व्यक्तियों ने सीए के नाम पर अनेक कपट किए हैं, जो सामने आने लगे । यूडीआईएन को विनियामकों/पणधारियों द्वारा इस बात की प्रमाणिकता को स्थापित करने के लिए सत्यापित किया जा रहा है कि उन पर केवल सीए द्वारा ही हस्ताक्षर किए गए हैं । बैंकों ने 10 लाख से अधिक यूडीआईएन को सत्यापित किया है ।

**(IV) यूडीआईएन से संबंधित आज्ञा के संबंध में परिषद् के निर्णय की अधिसूचना**

चरणबद्ध रीति में यूडीआईएन को आज्ञापक बनाए जाने संबंधी परिषद् के निर्णय को अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/192/2019, तारीख 2 अगस्त, 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था । तदनुसार, सदस्यों द्वारा इसके अननुपालन के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

**(V) यूडीआईएन का व्यापार चिह्न और प्रतिलिप्याधिकार**

"यूडीआईएन" परिवर्णी शब्द को 15 मार्च, 2019 से व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के नाम पर तारीख 7 सितंबर, 2019 की व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार की मुद्रा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है । इसके अतिरिक्त, संस्थान यूडीआईएन के लिए प्रतिलिप्याधिकार अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया कर रहा है ।

**(VI) आईबीए, सेबी, रेरा, सीबीडीटी द्वारा यूडीआईएन का क्रियान्वयन**

भारतीय बैंक संघ ने अपनी तारीख 11 मार्च, 2019 की संसूचना के द्वारा सभी बैंकों से यह अनुरोध किया है कि वे उनके द्वारा स्वीकार किए जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित सभी दस्तावेजों पर यूडीआईएन चिह्न के लिए जोर डाले । तारीख 6 जून, 2019 को मुंबई में, सेबी में श्री नागेन्द्र पारख, कार्यपालक निदेशक के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें यूडीआईएन के महत्व

और प्रभाविकता पर बल दिया गया था । सेबी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए सभी स्टॉक मार्किट मध्यवर्तियों की संपरीक्षा रिपोर्ट सहित संपरीक्षा रिपोर्टों/अपने प्रारूपों में यूडीआईएन का उल्लेख करने संबंधी एक स्तंभ को सम्मिलित किया है ।

30 अगस्त, 2019 को, सभी आईटी प्ररूपों और रिपोर्टों में यूडीआईएन को सम्मिलित करने हेतु सीबीडीटी में श्री राजेश भूत, संयुक्त सचिव के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था । इस बैठक के और सीबीडीटी को भेजी गई संसूचना के अनुसरण में सीबीडीटी द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित/जारी किए जाने वाले उनके सभी प्ररूपों और रिपोर्टों में यूडीआईएन का उल्लेख करने हेतु एक स्तंभ को जोड़ा गया है । सीबीडीटी शीघ्र ही अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्ररूपों को अपलोड करते समय रियल टाइम आधार पर आईसीएआई के यूडीआईएन पोर्टल से एपीआई के माध्यम से यूडीआईएन के विधिमान्यकरण का कार्यान्वयन आरंभ करेगा ।

**(VII) यूडीआईएन के लिए निदेशक, एसआईएफओ के साथ बैठक**

12 जून, 2020 को श्री अमरजीत सिंह भाटिया, एसआईएफओ और उसके दल के साथ एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें यूडीआईएन की अवधारणा को तथा चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले सभी प्ररूपों में उसके महत्व को उनके साथ साझा किया गया था ।

**(VIII) रेरा के साथ संसूचनाएं**

सभी राज्यों के भू-संपदा विनियामक प्राधिकरणों को इस अनुरोध के साथ संसूचनाएं भेजी गई हैं कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा हस्ताक्षरित की जाने वाली उनकी सभी संपरीक्षा रिपोर्टों में यूडीआईएन के लिए एक स्तंभ को सम्मिलित करें और गुजरात तथा तमिलनाडु के प्राधिकरणों ने इसका कार्यान्वय भी कर दिया है ।

**(IX) यूडीआईएन का प्रस्तुतीकरण**

- राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी) की बैठकें – पिछले वर्ष के दौरान आयोजित सभी एसएलसीसी बैठकों में आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने यूडीआईएन से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण किया है, जिनमें संबद्ध राज्य के प्रधान सचिव, सेबी, एमसीए, ईडी, एसएफआईओ, सीबीआई के प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए थे और उन्होंने आईसीएआई द्वारा विकसित यूडीआईएन की अवधारणा की सराहना की थी ।
- एसएएफए, आईएफएसी, एओएसएसजी को प्रस्तुतीकरण – एसएएफए ने, एसएएफए सदस्य निकायों में यूडीआईएन का कार्यान्वयन करने हेतु एक कार्यबल का गठन किया है । इस कार्यबल की पहली बैठक का आयोजन 29 जुलाई, 2019 को कोलंबो, श्रीलंका में किया गया था, जिसमें यूडीआईएन से संबंधित एक ब्यौरेवार प्रस्तुतीकरण किया गया था । आईसीए बांग्लादेश, आईसीए पाकिस्तान और आईसीए नेपाल ने उनके अपने संबद्ध सदस्य निकायों से यूडीआईएन के कार्यान्वयन हेतु आईसीएआई की तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है ।

नवंबर, 2019 के मास में गोवा में आयोजित एशियाई प्रशांत मानक निर्धारक समूह (एओएसएसजी) की ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक में "यूडीआईएन के प्रभाव का विश्लेषण" विषय पर एक प्रस्तुतीकरण किया गया था, जिसमें 27 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । नवंबर, 2019 में आईसीएआई के ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकुवर चैप्टर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग बैठक के दौरान आईसीएआई की यूडीआईएन संबंधी पहलों के संबंध में आईएफएसी परिषद् के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण किया गया था, जिसमें इस पहल की अवधारणा और फायदों पर प्रकाश डाला गया था और आईएफएसी की परिषद् ने इसकी काफी सराहना की थी । 15 फरवरी, 2020 को आईसीए बांग्लादेश के समक्ष एक यूडीआईएन संबंधी प्रस्तुतीकरण किया गया था, जिसमें इस अवधारणा को काफी प्रशंसा प्राप्त हुई थी ।

**(X) प्रकाशनों का जारी किया जाना**

- अद्वितीय दस्तावेज पहचान संख्यांक के संबंध में एफएक्यू – नवंबर, 2019 के मास के दौरान अद्वितीय दस्तावेज पहचान संख्यांक (यूडीआईएन) के संबंध में एफएक्यू नामक एक प्रकाशन निकाला गया था ।
- यूडीआईएन संबंधी रिपोर्ट – निदेशालय ने 7 फरवरी, 2020 को वार्षिक समारोह के दौरान एक रिपोर्ट जारी की थी । इसके अवधारणात्मक, कार्यन्वयन संबंधी पहलुओं से आरंभ करते हुए इस रिपोर्ट में सदस्यों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं और जानकारी के आधार पर यूडीआईएन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों और भावी कार्ययोजना को भी उपदर्शित किया गया था ।

**(XI) प्रमाणपत्रों के संबंध में प्रपुंज यूडीआईएन का सृजन –** जून, 2020 के मास में प्रपुंज संख्या में प्रमाणपत्रों के लिए यूडीआईएन के सृजन संबंधी प्रावधान को यूडीआईएन पोर्टल पर सम्मिलित किया गया था । इस सुविधा का उपयोग करके अब सदस्य एक ही बार में विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों के लिए प्रपुंज में, अर्थात् संख्या में 300 तक यूडीआईएन का सृजन कर सकेंगे । इसे एक्सएल फाइल को अपलोड करके किया जा सकता है ।

**(XII) यूडीआईएन – विनियामक के लिए एक उत्प्रेरक**

यह परिकल्पना की गई है कि धीरे-धीरे यूडीआईएन वृत्ति को विनियमित करने वाला एक ऐसा उपकरण बन जाएगा, जो दिशानिर्देशों और विधियों का प्रभावी रूप से प्रवर्तन करेगा । ऐसे कुछ क्षेत्रों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

- एफसीआरए/फेमा के अनुसार विदेशों में छूट/धन का प्रवाह

- सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों में धन के उपयोग संबंधी जांच
- जीडीपी के विकास की तुलना में निर्धारिती का मूल्यांकन
- किसी सीए को अनुज्ञेय कर/कंपनी संपरीक्षाओं की संख्या
- यूडीआईएन के माध्यम से आईसीएआई नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों का प्रभावी रूप से प्रवर्तन
- यूडीआईएन के माध्यम से पूर्ववर्ती संपरीक्षक के साथ संपर्क हेतु

### 7.11 अंतर्राष्ट्रीय नियोजन निदेशालय

अंतर्राष्ट्रीय नियोजन निदेशालय को चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सेवाओं के निर्यात और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति से पृथक् किया गया है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंटों और अकाउंटेंटों के विदेशों में नियोजन हेतु लगातार दो वर्षों के लिए विदेशी कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्यात के संवर्धन हेतु 12 प्रमुख सेक्टरों में से लेखांकन और वित्त सेक्टर की एक सेक्टर के रूप में पहचान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय नियोजन निदेशालय इस प्रमुख सेक्टर के अधीन की जाने वाली एक ऐसी प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य आईसीएआई संस्थागत ढांचे के अधीन वैश्विक अवसरों के लिए संभाव्य नियोजकों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों और अकाउंटेंटों की पूर्ति करना है और यह विदेशी नियोजकों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों और अकाउंटेंटों की भर्ती करने संबंधी एक अद्वितीय अवसर उपलब्ध कराएगा।

**पहलें**

- निदेशालय एक अंतर्राष्ट्रीय नियोजन आनलाइन पोर्टल स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों को विदेशों में नौकरी प्राप्त करने में सहायता करने के लिए 24x7 कार्य करेगा और शीघ्र ही यह पोर्टल यूएटी चरण में प्रवेश करेगा तथा इसे शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा।
- निदेशालय, विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों के वाणिज्यिक खंडों को, भारतीय लेखांकन वृत्ति का वैश्विक रूप से संवर्धन करने हेतु समर्थन और सहायता करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिख रहा है और वह उनसे पुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् आगे की कार्य पद्धतियों के संबंध में परिचर्चा करेगा।
- निदेशालय ने विदेशों में स्थित आईसीएआई के सभी चैप्टरों से यह अनुरोध किया था कि वे उनकी अधिकारिता में स्थित अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त एचआर परामर्शियों की एक सूची को साझा करे, जिन्हें निदेशालय व्यक्तिगत रूप से या इन चैप्टरों के माध्यम से संपर्क करेगा, जिससे वे ऐसी संभाव्य कंपनियों की सूची उपलब्ध करा सकें, जो विदेशों में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियुक्त कर सकती हैं।

### 7.12 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना के अधिकार को अंतर्निहित रूप से संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। तथापि, भारत के नागरिकों को अधिकार के रूप में सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक व्यवहारिक व्यवस्था की स्थापना करने के विचार से भारतीय संसद् ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया था। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त करना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करना है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), जो संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन स्थापित एक कानूनी निकाय है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में परिकल्पित किए गए अनुसार एक लोक प्राधिकारी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों और केन्द्रीय सूचना आयोग के निदेश के अनुपालन में इस लोक प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है।

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन प्रकटन**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के निबंधनों के अनुसार संस्थान द्वारा आवश्यक प्रकटन किए गए हैं और उन्हें संस्थान की वेबसाइट www.icai.org पर रखा गया है और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। कुल 68901 (अड़सठ हजार नौ सौ एक) आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ऐसे आवेदन भी सम्मिलित हैं, जिनमें आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

### 7.13 एक्सबीआरएल

विनियामकों, तकनीकी व्यक्तियों, निगमों और शिक्षाविदों को भारत में एक्सबीआरएल के संवर्धन हेतु संस्थान के प्रयासों में प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, संस्थान ने एक्सबीआरएल इंडिया के एक धारा 25 की कंपनी के रूप में निगमन को सुकर बनाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में इलैक्ट्रानिक कारबार रिपोर्टिंग के मानक के रूप में एक्सबीआरएल के अपनाए जाने का संवर्धन और प्रोत्साहन करना है, यह कार्य वर्गीकरणों के विकास, एक्सबीआरएल संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण को सुकर बनाकर पूरा किया जाता है। इसके साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सबीआरएल की बढ़ती महता को ध्यान में रखते हुए, एक्सबीआरएल इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय रूप

से एक्सबीआरएल फाइलिंग को सुकर बनाने तथा उसके संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने हेतु एक्सबीआरएल इंटरनेशनल इंक की सदस्यता प्राप्त की है । वर्तमान में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), क्रमश: "विनियामकों और स्टॉक एक्सचेंजों" और "विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं" के प्रवर्ग के अधीन एक्सबीआरएल इंडिया के सदस्य हैं ।

एक्सबीआरएल इंडिया कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के लिए एक्सबीआरएल वर्गीकरणों का विकास और अनुरक्षण कर रहा है । एक्सबीआरएल इंडिया ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिए दो वर्गीकरणों को विकसित किया है, प्रथम लेखांकन मानकों का अनुसरण करने वाली कंपनियों हेतु वाणिज्यिक और औद्योगिक (सीएंडआई) वर्गीकरण है तथा अन्य इंड एएस का अनुसरण करने वाली कंपनियों के लिए इंड एएस वर्गीकरण है । एक्सबीआरएल इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले मार्गदर्शन और समर्थन के माध्यम से इंड एएस वर्गीकरण को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणों की एक्सबीआरएल फाइलिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है ।

**• कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा एक्सबीआरएल फाइलिंग संबंधी अपेक्षाएं**

इंड एएस और इंड एएस के अनुरूप अनुसूची 3 की अपेक्षाओं पर आधारित एक्सबीआरएल वर्गीकरण को पहले ही एक्सबीआरएल प्ररूप में वित्तीय विवरणों को फाइल करने हेतु स्थापित कर दिया गया है ।

निम्नलिखित परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए इंड एएस वर्गीकरण का संशोधन किया गया है :

- लेखांकन वर्ष 2019-20 के लिए प्रभावी नया पट्टों संबंधी मानक, अर्थात् इंड एएस 116, 'पट्टे' का जारी किया जाना
- अन्य इंड एएस में संशोधन ।

इसके अतिरिक्त, इंड एएस के अनुरूप अनुसूची 3 में हुए परिवर्तनों को सम्मिलित करने हेतु वर्गीकरणों के पुनरीक्षण की आवश्यकता होगी । इंड एएस के अनुरूप अनुसूची 3 में हुए परिवर्तनों को सम्मिलित करने के पश्चात् इंड एएस वर्गीकरण को एक्सबीआरएल इंडिया की वर्गीकरण विकास और पुनर्विलोकन समिति तथा आईसीएआई की परिषद् द्वारा सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् एमसीए को प्रस्तुत किया जाएगा ।

## 7.14 आईसीएआई – एआरएफ

लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 है) के अधीन जनवरी, 1999 में लेखांकन, संपरीक्षा, पूंजी बाजारों, राजकोषीय और धनीय नीतियों के क्षेत्रों में मूल अनुसंधान करने के लिए आईसीएआई द्वारा स्थापित किया गया था । गत वर्ष के दौरान, आईसीएआई एआरएफ द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :--

- भारतीय रेल के सभी ज़ोनल रेल कार्यालयों और उत्पादन इकाईयों में प्रोदभवन लेखांकन को लागू किया जाना – आईसीएआई एआरएफ द्वारा, "भारतीय रेल के सभी ज़ोनल रेल कार्यालयों और उत्पादन इकाईयों में प्रोदभवन लेखांकन को लागू किए जाने" की परियोजना का निष्पादन करने के लिए भारतीय रेल और साथ ही 17 जोनल रेल और 8 उत्पादन इकाईयों को सम्मिलित करते हुए देश भर में गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जो निर्धारण सहित एक विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण मैनुअल (दो भागों में) द्वारा समर्थित था । प्रोदभवन लेखांकन कार्यान्वयन मैनुअल (एएआईएम) को भी प्रस्तुत किया गया है । वित्त संहिता – 2 की कार्ययोजना संबंधी अवधारणा पत्रों में यथा उल्लिखित दृष्टिकोण 1 का अनुमोदन किया गया था और एक दल संव्यवहार आधारित प्रोदभवन लेखांकन प्रणाली के संबंध में कार्य कर रहा है ।
- भारतीय रेल के वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के वित्तीय विवरणों और 31.03.2018 तथा 31.03.2019 को यथा विद्यमान तुलन-पत्र संबंधी डाटा के समेकन तथा उन्हें तैयार करने और वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए वित्तीय विवरणों के संकलन के दौरान रोल आउट क्रम पर पाई गई डाटा/प्रणाली संबंधी कमियों के संबंध में अध्ययन का संचालन करना और उनमें सुधार करना – आईसीएआईएआरएफ को उक्त परियोजना सौंपी गई है, जिसमें निम्नलिखित पांच अध्ययन सम्मिलित हैं :
- भारतीय रेल के प्रोदभवन आधारित वित्तीय विवरणों के संबंध में इंड एएस को लागू करने संबंधी ढांचा
- 31.03.2017 को यथा विद्यमान रेल बोर्ड के साथ उत्तरी रेल के रोलिंग स्टॉक डाटा को सुमेलित करने संबंधी अग्रणी अध्ययन
- उत्तरी रेल में पट्टाधृत आस्तियों और स्वामित्व वाली आस्तियों की पहचान हेतु तंत्र विकसित करने संबंधी अग्रणी अध्ययन
- सीडब्ल्यूआईपी के समाशोधन और 31 मार्च, 2017 को यथा विद्यमान एफए-13 में प्राप्त सीडब्ल्यूआईपी डाटा पर आधारित उत्तरी रेल द्वारा किए जाने वाले एफएआर के अंतरण हेतु ढांचा विकसित करने संबंधी अग्रणी अध्ययन
- 31 मार्च, 2017 तक भारतीय रेल द्वारा विभिन्न सहायिकियों, सहबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को सुमेलित करने संबंधी अग्रणी अध्ययन

इन सभी बिन्दुओं पर कार्य आरंभ कर दिया गया है।

- आईसीएआई एआरएफ ने नगरपालिक निकायों संबंधी संपरीक्षा समिति के संबंध में एक अवधारणा पत्र का प्रकाशन किया था और उसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के माननीय मंत्री और सचिव तथा सभी के मुख्यमंत्रियों और शहरी विकास/नगरपालिक प्रशासन मंत्रियों, वित्त आयोग और नीति आयोग को विचारार्थ अग्रेषित किया था।

### 7.15 आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सृजित एक धारा 8 प्राइवेट कंपनी है, जिसका गठन कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसरण में और उससे आनुषंगिक कृत्यों को करने के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों या मूल्यांकक सदस्यों को उसके सदस्य के रूप में नामांकित करने के लिए किया गया था।

**(I) आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम (50 घंटे), जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए पूर्व शर्त है :**

- आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन अपने प्रारंभिक चरण में अपनी सदस्यता के आधार को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके साथ ही अपने मूल्यांकक सदस्यों के लिए एक 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम का संचालन भी कर रहा है, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए एक पूर्व शर्त है तथा संगठन ने शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री को भी तैयार कर रहा है।
- इस दिशा में, जून, 2018 से, आईसीएआई आरवीओ ने देश भर में 50 घंटे के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के 43 बैचों का संचालन किया है।
- अगस्त, 2020 तक आईसीएआई आरवीओ द्वारा उसके 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम के अधीन 3000 से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

**(II) आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम (50 घंटे), जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए पूर्व शर्त है, की आनलाइन कक्षाओं का आयोजन :**

- कोविड-19 महामारी के फैल जाने के कारण आईबीबीआई द्वारा आनलाइन पद्धति से शैक्षिक पाठ्यक्रमों की आनलाइन कक्षाओं के संचालन को अनुज्ञात किया है।
- आईसीएआई आरवीओ ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के 3 बैचों का संचालन किया है और 500 से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

**(III) आस्ति वर्ग की प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के लिए आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण :**

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने आस्ति वर्ग की प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के लिए 31 जुलाई, 2020 तक 1183 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण किया है, जिनमें से 635 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक आईसीएआई आरवीओ के सदस्य हैं, जो कुल सदस्यों का लगभग 54% है।

**(IV) आईसीएआई आरवीओ द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन माड्यूल**

ऐसे सदस्यों की सहायता करने के लिए, जो आईसीएआई आरवीओ में इस शैक्षिक पाठ्यक्रम हेतु नामांकन करते हैं, इस विषय के संबंध में बेहतर समझ बनाने के लिए इस शैक्षिक पाठ्यक्रम के 4 अध्ययन माड्यूलों को तैयार किया गया है :

- माड्यूल 1, जो ब्यौरेवार रूप से मूल्यांकन के पर्यावलोकन और उसकी अवधारणाओं को सम्मिलित करता है।
- माड्यूल 2, जो ब्यौरेवार रूप से मूल्यांकन संबंधी दृष्टिकोणों और पद्धितियों को सम्मिलित करता है।
- माड्यूल 3, जो न्यायिक उदघोषणाओं को सम्मिलित करता है।
- माड्यूल 4, जो पाठ्यचर्या के अनुसार सुसंगत विधियों और विनियमों को सम्मिलित करता है।

**(V) आईसीएआई आरवीओ द्वारा आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 का अपनाया जाना**

आईसीएआई ने अपने मूल्यांकन मानक बोर्ड के माध्यम से आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को तैयार किया है, जो भारत में अपनी किस्म के पहले मानक हैं। आईसीएआई आरवीओ ने कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 8 के अधीन आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को अंगीकृत किया है। आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 ऐसे सदस्यों के लिए आज्ञापक है, जिन्होंने स्वयं को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन आईसीएआई आरवीओ के साथ नामांकित किया है और वे उस समय तक आज्ञापक बने रहेंगे जब तक कि उक्त नियमों के अनुसार सरकार द्वारा मूल्यांकन मानक जारी नहीं कर दिए जाते। आईसीएआई के ये मानक अन्य कानूनों के अधीन मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों हेतु सिफारिशात्मक हैं।

**(VI) आईसीएआई आरवीओ पठन प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ**

आईसीएआई आरवीओ ने अपनी पठन प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ किया है, जो एक ई-पठन मंच है, जो ऐसी अध्ययन सामग्री के रूप में, जो बहु विकल्प वाले प्रश्नोत्तरों को अंतर्विष्ट करने वाली मोक परीक्षा द्वारा संपूरित है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विहित पाठ्यचर्या की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करती है। यह पठन प्रबंध प्रणाली ऐसे सदस्यों हेतु, जो आईसीएआई आरवीओ के प्राथमिक सदस्य हैं, आईबीबीआई मूल्यांकक परीक्षा की तैयारी को सुकर बनाती है।

**(VII) प्रकाशन**

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन ने आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं :

- उचित मूल्य संबंधी सभी जानकारी से संबंधित अवधारणा पत्र
- मूल्यांकन : वृत्तिक अंत:दृष्टि (श्रृंखला I, II, III और IV)
- मूल्यांकन रिपोर्टों के पियर पुनर्विलोकन संबंधी निष्कर्षों से संबंधित अवधारणा पत्र
- मूल्यांकन संबंधी तकनीकी गाइड
- मूल्यांकन संबंधी बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न

**7.16 आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई)**

आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई), जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का एक पूर्ण स्वामित्व वाला समनुषंगी है, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सृजित एक धारा 8 पब्लिक कंपनी है, जिसका गठन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और उससे संबद्ध विनियमों और कृत्यों के अनुसरण में उसके सदस्यों को नामांकित करने और दिवाला वृत्तिकों का विनियमन करने हेतु किया गया है।

इसे संघ के माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा 28 नवंबर, 2016 को दिल्ली में भारत के प्रथम दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। आईआईआईपीआई ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, जिनके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखापाल, अधिवक्ता और प्रबंध संबंधी वृत्तिक भी हैं, सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित किया है। 31 मार्च, 2020 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ रजिस्ट्रीकृत कुल 3014 दिवाला वृत्तिकों में से 1860 वृत्तिक आईआईआईपीआई से संबंधित हैं।

**(I) सदस्यता अभियान**

| निम्नलिखित का आईपीए | कुल रजिस्ट्रीकरण (31 मार्च 2020 तक)* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वित्तीय वर्ष 2019-20 | | | | | | | |
| | त्रैमास 1 | | त्रैमास 2 | | त्रैमास 3 | | त्रैमास 4 | |
| | सं. | % | सं. | % | सं. | % | सं. | % |
| **आईसीएआई** | 137 | 67.49 | 83 | 64.84 | 73 | 58.87 | 49 | 49.5 |
| **आईसीएसआई** | 57 | 28.08 | 32 | 25.00 | 36 | 29.03 | 40 | 40.40 |
| **आईसीडब्ल्यूएआई** | 9 | 4.43 | 13 | 10.16 | 15 | 12.10 | 10 | 10.10 |
| **योग** | **203** | **100.00** | **128** | **100.00** | **124** | **100.00** | **99** | **100.00** |

*** स्रोत : आईबीबीआई डाटा**

आईआईआईपीआई के प्रचालनों के प्रारंभिक चरण में सदस्यता आधार को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तथापि, सदस्यता आधार को सुदृढ़ बनाए जाने के पश्चात् क्रियाकलापों को और अधिक व्यापक बनाया गया है।

**(II) दिवाला वृत्तिकों के कार्यपालन की मानीटरी**

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 204 के अनुसार, आईपीएआई के मूल कृत्यों में से एक कृत्य उसके सदस्यों के कार्यपालन की मानीटरी करना है। तदनुसार, आईआईआईपीआई निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर अपने सदस्यों के कार्यपालन की मानीटरी करता है :--

- **नातेदारी संबंधी प्रकटन :** आईबीबीआई ने 16 जनवरी, 2018 को "समाधान प्रक्रियाओं का संचालन करने वाले आईआईआईपीआई द्वारा नियुक्त दिवाला वृत्तिकों और अन्य वृत्तिकों द्वारा प्रकटन" विषय पर एक परिपत्र जारी किया है, जिमसें निम्नानुसार कथन किया गया है :

  "कोई दिवाला वृत्तिक (i) निगम ऋणी, (ii) उसके द्वारा नियोजित अन्य वृत्तिक (वृत्तिकों), (iii) वित्तीय लेनदार (लेनदारों), (iv) अंतरिम वित्त प्रदाता और (v) भावी समाधान आवेदक (आवेदकों) से अपने किसी नाते, यदि कोई हो, का प्रकटन उस दिवाला वृत्तिक अभिकरण के समक्ष करेगा, जिसका वह सदस्य है।"

- **फीस और अन्य व्यय संबंधी प्रकटन :** आईबीबीआई ने 12 जून, 2019 को "निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए उपगत की जाने वाली फीस और अन्य व्यय" विषय पर एक परिपत्र जारी किया था। आईपी को यह निदेश दिया गया है कि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर सभी पूरे किए गए चालू और पश्चातवर्ती सीआईआरपी के संबंध में उस दिवाला वृत्तिक अभिकरण के समक्ष, जिसका वह सदस्य है, सुसंगत प्ररूपों में फीस और अन्य व्ययों संबंधी प्रकटन करेगा।

- **आईपी द्वारा मूल्यांककों की नियुक्ति :** आईबीबीआई द्वारा तारीख 17 अक्तूबर, 2018 को जारी परिपत्र के पैरा 6 में निम्नानुसार उपबंधित है :

  "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस संहिता या तदधीन बनाए गए विनियमों में से किसी के अधीन अपेक्षित प्रत्येक मूल्यांकन किसी 'रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक', अर्थात् आईबीबीआई के साथ कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई मूल्यांकक, द्वारा किया जाएगा। एततद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि 1 फरवरी, 2019 से कोई भी दिवाला वृत्तिक संहिता या तदधीन बनाए गए विनियमों में से किसी के अधीन अपेक्षित प्रत्येक मूल्यांकन के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा।"

- **आईबीबीआई (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 40ख के अनुसार – आईबीबीआई की वेबसाइट पर सीआईआरपी प्ररूपों को प्रस्तुत किया जाना :** दिवाला वृत्तिक (यथास्थिति आईआरपी या आरपी) सभी प्ररूपों को, प्रत्येक प्ररूप के लिए उपबंधित समय-सीमा के अनुसार बोर्ड के इलैक्ट्रानिक मंच (www.ibbi.gov.in) पर उनके सभी अनुलग्नकों के साथ सम्यक् रूप से फाइल करेगा।

- **अर्धवार्षिक रिपोर्ट का फाइल किया जाना :** दिवाला वृत्तिक अभिकरण से संबंधित माडल उपविधियों के पैरा 16 के निबंधनानुसार प्रत्येक सदस्य वर्ष में न्यूनतम दो बार आईआईआईपीआई द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और प्ररूप में दिवाला वृत्तिक के रूप में संपूर्ण जानकारी, जिसके अंतर्गत चालू और समाप्त किए गए नियोजनों के अभिलेख भी हैं, प्रस्तुत करेगा।

**(III) निरीक्षण**

अपने मानीटरी संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आईआईआईपीआई की मानीटरी समिति वृत्तिक सदस्यों के रजिस्ट्रीकृत निगम कार्यालय का स्थल दौरा कर सकेगी। समिति निम्नलिखित दो मानदंडों के आधार पर निरीक्षण किए जाने वाले वृत्तिक सदस्यों का चयन कर सकेगी :

1. ट्रिगर आधार पर
2. यादृच्छिक आधार पर

आईआईआईपीआई ने पांच दिवाला वृत्तिकों का स्थल निरीक्षण किया है।

**(IV) आईआईआईपीआई द्वारा अन्य पहलें**

- **विजन संबंधी कथन :** आईआईआईपीआई ने हाल ही में अपने विजन संबंधी कथन को जारी किया है वह भारत का ऐसा पहला आईपीए बन गया है, जिसका अपना विजन संबंधी कथन है। यह कथन निम्नानुसार है :--

  "पणधारियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति सजग और खरा उतरने वाली स्वतंत्र, नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दिवाला वृत्ति के विकास हेतु एक प्रमुख संस्थान के रूप में स्थापित होना।"

- **एमडी की नियुक्ति -** आईआईआईपीआई के शासी बोर्ड ने आईआईआईपीआई के प्रबंध निदेशक को नियुक्त किया था।

- **जागरुकता कार्यक्रम –** आईबीसी, 2016 विषय पर डीआरटी अधिकारियों के लिए और आईबीसी विषय पर आय-कर अधिकारियों के लिए आईबीबीआई के सहयोग से अनेक जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

- **सीआईआई के साथ सहयोग –** नवंबर, 2019 में सीआईआई के सहयोग से भारत में दिवाला का समाधान करने संबंधी एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

- **आईएमसी और बीएसई के साथ सहयोग –** आईबीसी संबंधी चुनौतियों, अवसरों, पठन और भविष्य की कार्ययोजना विषय पर आईएमसी और बीएसई के सहयोग से मुंबई में संयुक्त रूप से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

- **रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रम –** आईआईआईपीआई ने 30 जून, 2020 तक देश भर में विभिन्न केंद्रों पर 14 रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रमों का आयोजन किया था।

- **आईआईआईपीआई द्वारा गोलमेज संगोष्ठियों का आयोजन –** निरीक्षण मैनुअल, आचार-संहिता और नैतिकता, आईबीसी, 2016 के अधीन संचालित किए जाने वाले मूल्यांकनों में आईपी की भूमिका तथा आईबीसी, 2016 के अधीन एमएसएमई के लिए विशेष दिवाला समाधान ढांचे के संबंध में संभाव्य कार्यान्वयन योग्य पहलुओं का पुनर्विलोकन और उनके संबंध में परिचर्चाओं का आयोजन किया गया था।

- **आईआईआईपीआई द्वारा दिवाला वृत्तिकों के लिए अध्ययन समूहों की बैठकें –** आईआईआईपीआई ने दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों और चिंताओं का समाधान करने के लिए दिवाला वृत्तिकों के लिए अध्ययन समूहों की विभिन्न बैठकों में भाग लिया है।

- **आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान की पठन प्रबंध प्रणाली -** आईआईआईपीआई ने आईसीएआई के साथ संयुक्त रूप से एक पठन प्रबंध प्रणाली को तैयार किया है, जिससे वृत्तिकों को एक सीमित दिवाला परीक्षा के लिए तैयारी करने में समर्थ बनाया जा सके ताकि वे एक दिवाला वृत्तिक बन सकें।

- **आईआईआईपीआई साप्ताहिक न्यूज-लैटर -** आईआईआईपीआई सांप्ताहिक न्यूज-लेटर को वेबसाइट पर नियमित रूप से रखा जा रहा है, जिसमें दिवाला वृत्तिक से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं और नए कार्यक्रमों के संबंध में ब्यौरे प्रदान किए जाते हैं।

- **राष्ट्रीय सम्मेलन –** एसौचेम इंडिया, सीआईआई के सहयोग से "भारत में दिवाला समाधान" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- **एसौचेम और ईआईआरसी के साथ सहयोग –** एसौचेम और ईआईआरसी के सहयोग से व्यापक रूप से सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था। इन संगोष्ठियों का आयोजन आईबीसी के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने और उसके संबंध में प्रचालानत्मक तथ्यों और समझ के संबंध में भी जानकारी प्रदान करने हेतु किया गया था।
- **आईपी सभा –** आईआईआईपीआई द्वारा ईआईआरसी – आईसीएआई के सहयोग से 29 फरवरी, 2020 को आईबीबीआई दिवाला वृत्तिक सभा का आयोजन किया गया था।
- **वेबीनार और वेब सम्मेलन –** आईआईआईपीआई ने दिवाला वृत्तिकों को आईबीसी के संदर्भ में नवीनतम संशोधनों, अधिसूचनाओं या परिपत्रों या प्रक्रिया में परिवर्तन से संबंधित अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आईएफसी, आईबीबीआई के सहयोग से विभिन्न वेबीनारों और वेब-सम्मेलनों का आयोजन किया था। इन आनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन कोविड-19 के संक्रमण के दौरान अंत:पृष्ठ को क्रियाशील बनाए रखने और सदस्यों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उनके साथ समुचित संपर्क बनाए रखने के लिए किया गया था।
- **आईबीबीआई के सहयोग से कार्यशालाओं का आयोजन –** आईआईआईपीआई ने दिवाला वृत्तिकों के लिए पूरे भारत वर्ष में आईबीबीआई के सहयोग से अनेकों कार्यशालाओं और आधुनिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया है।
- **शिकायत समाधान –** 01.04.2019 से 30.06.2020 की अवधि के दौरान आईआईआईपीआई की शिकायत समाधान समिति ने कुल 83 शिकायतों का निपटारा या उनके संबंध में कार्यवाही की थी।
- **आनलाइन उपयोगिताएं –** आईआईआईपीआई ने दिवाला और परिसमापन संबंधी समनुदेशनों की प्रास्थिति के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अपनी वेबसाइट www.iiipicai.in पर विभिन्न उपयोगिताओं को विकसित किया है और कार्यरत बनाया है, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित हैं :
    - लोक उदघोषणाओं को अपलोड करना
    - नातेदारी संबंधी प्रकटनों को फाइल करना
    - सीआईआरपी और परिसमापन के संबंध में उपगत फीस और अन्य व्ययों के ब्यौरों को अपलोड करना
    - आईआईआईपीआई ने नामांकन संबंधी आवेदन प्ररूप को आनलाइन बनाया है
    - अर्धवार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करना
    - आईआईआईपीआई के सदस्यों हेतु सभी प्रकार की फीस के आनलाइन संदाय को सुकर बनाने हेतु एक संदाय गेटवे को विकसित करना

आईआईआईपीआई एक एकीकृत ईआरपी पैकेज को विकसित करने के लिए प्रक्रिया कर रहा है, जो उसके सदस्यों के लिए एकल पटल सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

## 8. अन्य मामले

### 8.1चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) दिवस - 1 जुलाई, 2020

1 जुलाई, अर्थात् सीए दिवस को आईसीएआई ने अपनी गौरवान्वित विद्यमानता के 71 वर्षों को पूरा किया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण और बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित न करने संबंधी शासकीय दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सीए दिवस समारोह का आयोजन वर्चुअल पद्धति से किया गया। इन समारोह के भागरूप में 29 जून, 2020 से 1 जुलाई, 2020 के दौरान "भविष्य का निर्माण – उत्कृष्टता को समर्थ बनाना और विश्वास का सृजन करना" विषय पर एक तीन दिवसीय वर्चुअल सीए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वृत्ति के लिए वस्तुत: यह एक अत्यंत गौरवशाली समय था जब श्री ओम बिरला, माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने 1 जुलाई, 2020 को सदस्यों और छात्रों को संबोधित किया था। इस तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन को, जिसमें विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया था, जिनमें वृत्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी और उसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में और साथ ही समाज के प्रति दिए जाने वाले योगदानों को सम्मिलित किया गया था, जीवन के सभी क्षेत्रों से गणमान्य वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया था, जिन्होंने अपने समृद्ध अनुभव को दर्शकों के साथ साझा किया था।

### 8.2केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

संस्थान का केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय उसके पणधारियों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसका उद्देश्य, आईसीएआई के वर्तमान और भावी सदस्यों/छात्रों, अनुसंधान अध्येताओं और पदधारियों को प्रारंभिक और द्वितीय मुद्रण और गैर-मुद्रण सामग्रियों का व्यापक और अद्यतन संग्रह उपलब्ध कराना है। पुस्तकालय ने समितियों, विभागों में जानकारी प्रदान करने और मूल्यवान सूचना का प्रसार करने के वृहत्तर उत्तरदायित्व को ग्रहण किया है। यह इस उत्तरदायित्व का निर्वहन पुस्तकों, ई-पुस्तकों, जर्नलों, पत्रिकाओं, ऑनलाइन डाटाबेसों, मुद्रित समाचारपत्रों और साथ ई-समाचारपत्रों के माध्यम से करता है। केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय विभिन्न समितियों के कार्य के लिए अपेक्षित जर्नलों और पुस्तकों को उपलब्ध कराने तथा उन्हें अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है।

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय पूर्णतया कंप्यूटरीकृत है और वह लिबर्टी-एक पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है। पुस्तकालय की सामग्रियों, जिनके अंतर्गत पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटा बेस भी है, के लिए विषय, लेखक, शीर्षक, टापिक, कुंजी शब्द और प्रकाशक के माध्यम से खोज की जा सकती है। ये अभिलेख पुस्तकालय में इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस www.icai.org पर "सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी" पुस्तकों, जर्नलों, लेखों आदि के लिए पुस्तकालय में ऑनलाइन सर्च ओपीएसी लिबर्टी के अधीन उपलब्ध हैं।

संस्थान के जर्नल के स्तंभ "अकाउंटेंट्स ब्राउजर" के अधीन लेखांकन वृत्ति से सुसंगत लेखों की अनुक्रमणिका को प्रत्येक मास 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि "अकाउंटेंट्स ब्राउजर" पूर्ववर्ती लेखों के अभिलेखागार के साथ महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की एक अनुक्रमणिका है। निर्देश सेवा विभिन्न शोधकर्ताओं और अध्येताओं, संकाय और छात्रों तथा सदस्यों को प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय द्वारा अनेक ऑन लाईन डाटाबेस भी अर्जित किए गए हैं जिनके ब्यौरे www.icai.org–Central Council Library पर उपलब्ध हैं। पुस्तकालय ने इन आनलाइन ज्ञान डाटाबेसों को केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय परिसरों और विभिन्न विभागों तथा साथ ही आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों के पुस्तकालयों में भी छात्रों, सदस्यों, संकाय और अनुसंधान अध्येताओं के लिए अपेक्षित सामग्री की सर्च को सुकर बनाने के लिए आनलाइन रूप से प्रतिष्ठापित किया है। पुस्तकालय द्वारा अनेक आनलाइन जर्नलों की ग्राहकी भी प्राप्त की गई है। केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय के क्रमश: प्रधान कार्यालय और नोएडा कार्यालय में स्थित पुस्तकालयों में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान जोड़े गए नए संसाधनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

**केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय (मुख्यालय)**

| क्रम सं. | शीर्षक | आंकड़े |
|---|---|---|
| 1. | जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय | 31 |
| 2. | आनलाइन संसाधन | 19 |
| 3. | अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या | 708 |

**केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय, सेक्टर 62 नोएडा**

| क्रम सं. | शीर्षक | आंकड़े |
|---|---|---|
| 1. | जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय | 15 |
| 2. | आनलाइन संसाधन | 12 |
| 3. | अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या | 202 |

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय नियमित रूप से अपने संसाधनों को अद्यतन बना रहा है ताकि वृत्तिक सदस्यों, छात्रों, संकायों और अन्य पणधारियों को नवीनतम और अद्यतन जानकारी और सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

### 8.3 संपादक बोर्ड

संपादक बोर्ड भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की एक गैर-स्थायी समिति है जिसका उद्देश्य सदस्यों को नियमित रूप से वृत्तिक ज्ञान, वृत्ति से हितबद्ध अन्य विषयों पर एक संरचित रीति में 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' जर्नल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना है। जर्नल की पहुंच और प्रभाव का अनुमान इसके परिचालन से संबंधित आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो अब 3,10,000 से अधिक है, जिसमें ई-जर्नल और मुद्रित प्रतियां, दोनों सम्मिलित हैं।

यह आईसीएआई का 'ब्रांड अम्बेसेडर' है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज द चार्टर्ड अकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है। विभिन्न विषयों और मुद्दों पर आईसीएआई के सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों की विभिन्न विषयों और मुद्दों पर जानकारी को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादक बोर्ड निरंतर प्रयासरत है।

1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान संपादक बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

**(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी संबंधी पहलें**

संपादक बोर्ड ने अपने मासिक जर्नल, द चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ ही अन्य माध्यमों से ज्ञान का उन्नयन और प्रसार करके राष्ट्र निर्माण में भागीदारी संबंधी अनेक पहलों को आरंभ किया है। इस संबंध में, की गई महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :-

**(क) राष्ट्रीय/वृत्तिक हित के प्रकाशन :**

आईसीएआई के जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट में विभिन्न सरकारी अंगों, आईसीएआई की समितियों, लेखक सदस्यों और अन्य पणधारियों के सहयोग से राष्ट्रीय-वृत्तिक-आर्थिक हित से संबंधित 215 लेखों/फीचरों का प्रकाशन किया गया था।

**(ख) 'आई गो ग्रीन विद आईसीएआई' पहल**

आईसीएआई के बहु आयामी हरित अभियान के भागरूप में, हरित क्रांति की सोच रखने वाले सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों को हाल ही में एक विकल्प प्रदान किया गया था, जिसके अधीन वे वृक्षों को बचाने के लिए जर्नल की हार्ड प्रति को न लेकर जर्नल के विभिन्न इलैक्ट्रानिक पाठों का विकल्प ले सकते थे। आईसीएआई का यह डिजीटल पाठ अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। हरित क्रांत के भाग स्वरूप जर्नल के ई-पाठ को उपलब्ध कराए जाने संबंधी विज्ञापनों, उदघोषणाओं और आईसीएआई के अध्यक्ष के संदेश संबंधी जानकारी को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिससे सदस्यों को ई-जर्नल को अधिमानता देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सदस्यता फीस में कमी करके भी सदस्यों को ई-जर्नल का विकल्प लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप सदस्य बड़ी संख्या में पर्यावरण के लिए हानिकारक ई-जर्नल की हार्ड प्रतियों से दूर जा रहे हैं। इन प्रयासों के कारण मुद्रित प्रतियों की संख्या, जो मार्च, **2019** में 2,74,600 थी, मार्च, **2020** में कम होकर मात्र 1,74,815 रह गई है।

(II) **सदस्यों/छात्रों के लिए पहलें**

संपादक बोर्ड, अपने मासिक जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से सदस्यों/छात्रों के ज्ञानवर्धन और वृत्तिक विकास के लिए पहलें करने में सदैव सक्रिय रहा है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :

**क. द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल में क्वालिटी और समकालीन अंतर्वस्तु को सम्मिलित किया जाना :**

- विषयों की व्यापक रेंज को सम्मिलित किया जाना : अप्रैल, 2018 से मार्च, 2020 तक के जर्नल के अंकों में विभिन्न नवीन और समकालीन मुद्दों के अधीन 215 से अधिक लेखों/फीचरों का प्रकाशन किया गया था।
- 'अवर अचीवर' फीचर : जर्नल के 'अवर अचीवर' फीचर के अधीन आईसीएआई के उत्कृष्ट ऐसे सदस्यों, जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता को सिद्ध किया है, के साक्षात्कारों का प्रकाशन किया जाता है। इस अवधि के दौरान, सीए अरुण सिंह, संसद् सदस्य, राज्य सभा, सीए संजीव मेहता, सीएमडी, हिन्दूस्तान यूनीलिवर लिमिटेड, सीए सुभाष रुनवाल, रुनवाल समूह के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति (सीए) डा. विनीत कोठारी और आईसीएआई के ऐसे सदस्यों, जो आसीन न्यायाधीश, प्रसिद्ध तकनीशियन और कारबार व्यक्तित्व आदि हैं, के साक्षात्कारों को सम्मिलित किया गया था।
- **'इंड एएस अलर्ट' फीचर :** 'इंड एएस अलर्ट' फीचर सदस्यों/पाठकों को भारतीय लेखांकन मानकों के संबंध में नवीनतम घटनाओं की अद्यतन जानकारी प्रदान करता है।
- जुलाई, 2019 के आईसीएआई के जर्नल के अंक को कलेक्टर्स संस्करण के रूप में निकाला जाना : सीए दिवस के और आईसीएआई द्वारा उसके प्लेटिनम जयंती वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में जुलाई, 2019 के अंक को कलेक्टर्स संस्करण के रूप में निकाला गया था, जिसमें 164 पृष्ठ सम्मिलित थे।
- जर्नल का अद्यतन विधिक जानकारी संबंधी भाग : जर्नल में मामला संबंधी रिपोर्टों को शीर्ष टिप्पणों के साथ प्रकाशित किया गया था। इसके साथ ही मामला विधियों के संपूर्ण विवरणों को संस्थान की वेबसाइट पर समिति के पृष्ठ के अधीन आनलाइन रूप से प्रकाशित किया गया था।

**ख. सदस्यों और छात्रों की सुविधा हेतु द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अंकीय पाठों के अनेक रूपों का उन्नयन**

- डिजीटल पठन केंद्र संबंधी जर्नल : जर्नल के इलैक्ट्रानिक पाठ को, जो आनलाइन रूप से उपयोक्ता मित्र ई-पत्रिका के रूप में आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org पर उपलब्ध है, को और अधिक समुन्नत किया गया था तथा उसे डिजीटल पठन केंद्र के भाग रूप में सम्मिलित किया गया था। इससे आईसीएआई के हरित अभियान को समर्थन देने के अलावा आईसीएआई की पठन प्रबंध प्रणाली के माध्यम से ज्ञान के प्रसार में सहायता प्राप्त हुई थी। ई-जर्नल का एससीओआरएम अनुरूप पाठ और अधिक तीव्र, प्रतिक्रियाशील है और उसमें बेहतर उपयोक्ता अनुभव प्राप्त होता है तथा वह बेहतर मोबाइल अनुरूपता की प्रस्थापना करता है, जो नई पीढ़ी के चार्टर्ड अकाउंटेंटों की अपेक्षाओं को पूरा करता है। फिल्प पुस्तक के रूप में भी ई-जर्नल को वेबसाइट पर रखा जाता है, जिसमें सौंदर्यबोधी रूप से आकर्षक अंतर्वस्तु उपलबध कराई जाती है।
- पीडीएफ प्ररूप में जर्नल : पाठकों के लिए और अधिक तथा वैकल्पिक सुविधाओं को आरंभ करने, विशिष्ट रूप से अंतर्वस्तु-वार पृथक् डाउनलोड के लिए जर्नल को पीडीएफ प्ररूप में वेबसाइट पर रखे जाने को जारी रखा गया है। जुलाई, 2002 के आगे से अंकीय जर्नल के पिछले सार संग्रह आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- मोबाइल पर जर्नल : यह ई-जर्नल अब मोबाइल पर भी उपलब्ध है तथा यह आईओएस (आई पैड/आई फोन आदि) और एंड्रयाड युक्तियों के समनुरूप है। इस जर्नल तक पहुंच को http://www.icai.org/ के अधीन 'ई-जर्नल' टैब पर सुकर बनाया जा सकता है। यह ई-जर्नल आईसीएआई मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
- जर्नल हाईलाईट ईमेलर्स : एक अतिरिक्त सेवा के रूप में जर्नल के प्रत्येक अंक की विशिष्टियों को संक्षिप्त रूप में तथा जर्नल में सम्मिलित अध्यक्ष के संदेश को सभी सदस्यों को ई-मेल किया जाता है।

➢ जर्नलों की डीवीडी : चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के सभी पाठकों को एकल बिन्दु संदर्भिका उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में तथा उनकी बेहतर रूप से सेवा करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के विचार से, जर्नल के सभी पूर्व अंकों की एक डीवीडी भी पाठकों और अन्य पणधारियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। यद्यपि, दस वर्ष के जर्नलों (जुलाई, 2002 – जून, 2012) की एक डीवीडी पीडीएफ प्ररूप में न्यूनतम लागत पर पाठकों के लिए निकाली गई थी, अभी हाल ही में एक एचटीएमएल कृत डीवीडी, जिसमें द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के 63 वर्षों के सभी अंक (जुलाई, 1952 से जून, 2015) अंतर्विष्ट हैं, भी जारी की गई है। इस एचटीएमएल – पाठ डीवीडी में खोज पद्धति समाविष्ट है, जिससे पाठक अंतर्वस्तु को लेखांकन, संपरीक्षा, कराधान आदि जैसे कुंजी शब्दों और साथ ही मास, वर्ष, जिल्द, प्रवर्ग (जैसे कि परिपत्र और अधिसूचना, आईसीएआई समाचार, विधिक निर्णय, लेखक आदि) के माध्यम से खोज सकेंगे।

## 9. सदस्य

### 9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 15,540 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था, जिससे 1 अप्रैल, 2020 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 3,07,238 हो गई है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, पूर्व वर्ष के 6752 के आंकड़ों की संख्या की तुलना में 642 सहयोजित सदस्यों को प्रविष्ट किया गया था।

**1 अप्रैल, 2020 को सदस्यों की कुल संख्या**

| सदस्यों का प्रवर्ग | अध्येता (1) | सहयोजित (2) | स्तंभ (1) और (2) का योग |
|---|---|---|---|
| पूर्णकालिक व्यवसाय में | 82953 | 53368 | 136321 |
| अंशकालिक व्यवसाय में | 2705 | 4531 | 7236 |
| जो व्यवसाय में नहीं हैं | 13825 | 149856 | 163681 |
| योग | 99483 | 207755 | 307238 |

### 9.2 दीक्षांत समारोह

संस्थान, नवम्बर, 2008 से अपने नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। पांचों प्रादेशिक कार्यालयों के अधीन निम्नलिखित नौ स्थानों पर मई, 2019 से अक्तूबर, 2019 तक की अवधि को सम्मिलित करते हुए 3, 4 और 5 जनवरी, 2020 को नए नामांकित सदस्यों के लिए "दीक्षांत समारोह 2019" के पहले चरण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 6. | कोलकाता |
| 2. | मुंबई | 7. | जयपुर |
| 3. | पुणे | 8. | कानपुर |
| 4. | चैन्नई | 9. | नई दिल्ली |
| 5. | हैदराबाद | | |

### 9.3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को, उनके भरण पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की उभरती अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

निधि की वित्तीय और अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

**सदस्यता के ब्यौरे**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 31 मार्च, 2019 को कुल आजीवन सदस्य | 1,36,050 |
| 2. | 31 मार्च, 2020 को कुल आजीवन सदस्य | 1,37,775 |
| 3. | नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31 मार्च, 2020 को यथाविद्यमान) | 1,725 |

**वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे**

| | | 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए) | 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए) |
|---|---|---|---|
| 1. | दी गई कुल वित्तीय सहायता | 93,98,000 | 1,12,70,000 |
| 2. | प्रशासनिक व्यय | 15,000 | 2,014 |
| 3. | वर्ष के दौरान निधि में अधिशेष | 1,94,70,000 | 1,24,95,000 |
| 4. | निधि का अतिशेष | 6,87,99,000 | 4,93,29,000 |
| 5. | कोरपस का अतिशेष | 21,68,98,000 | 20,63,28,000 |

**9.4 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि**

निधि के पास 31 मार्च, 2019 को 52,97,000 रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2020 को 61,64,000 रुपए हैं। 31 मार्च, 2020 को निधि के आजीवन सदस्यों की संख्या 8735 है।

**9.5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएएसबीएफ)**

आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी। वर्ष 2019-20 के लिए 1824 ऐसे आर्टिकल्ड सहायकों, जो आईपीसीसी और आईआईपीसीसी के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं, को वित्तीय सहायता के रूप में 1500 रुपए प्रति मास की दर पर और 492 ऐसे आर्टिकल्ड सहायकों, जो फाइनल पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं, को वित्तीय सहायता के रूप में 2000 रुपए प्रति मास की दर पर सहायता उपलब्ध कराई गई थी। 31 मार्च, 2019 को 14,31,53,000/- रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2020 को 13,31,54,000 रुपए साधारण निधि में अतिशेष के रूप में जमा थे।

| | **सदस्यो संबंधी आंकड़े 01/04/2020 को यथाविद्यमान** | |
|---|---|---|
| **अध्येता** : | पूर्णकालिक व्यवसाय में | 82953 |
| | अंशकालिक व्यवसाय में | 2705 |
| | जो व्यवसाय में नहीं है | 13825 |
| | | 99483 |
| **सहबद्ध** : | पूर्णकालिक व्यवसाय में | 53368 |
| | अंशकालिक व्यवसाय में | 4531 |
| | जो व्यवसाय में नहीं है | 149856 |
| | | 207755 |
| सदस्यों की कुल संख्या : | | 307238 |

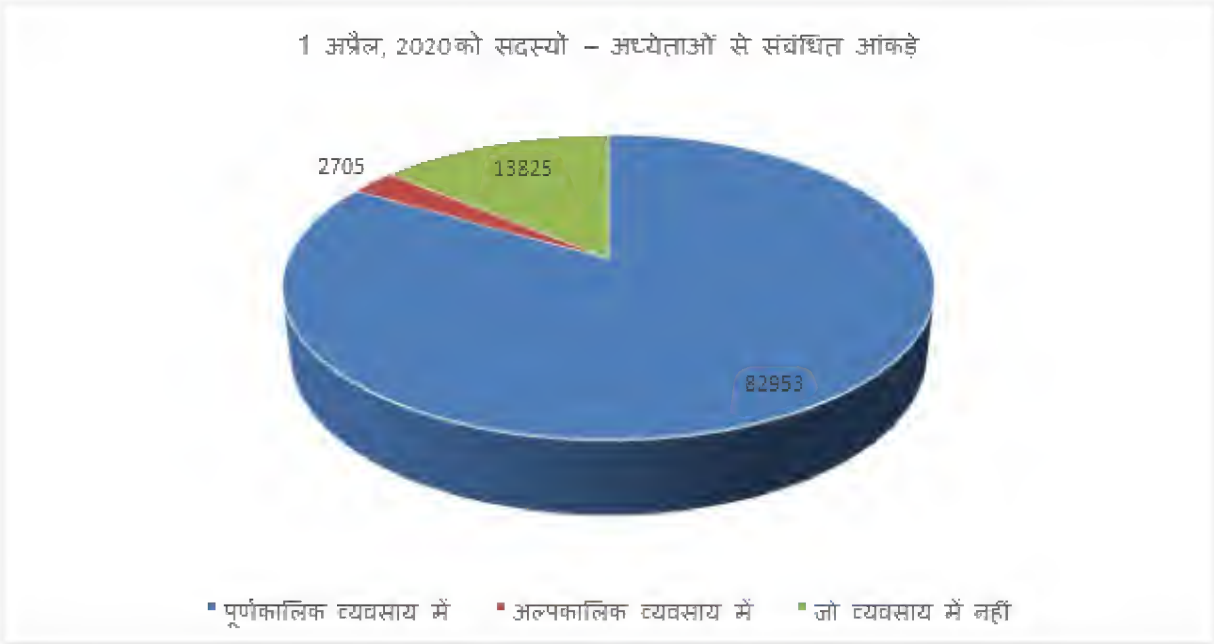


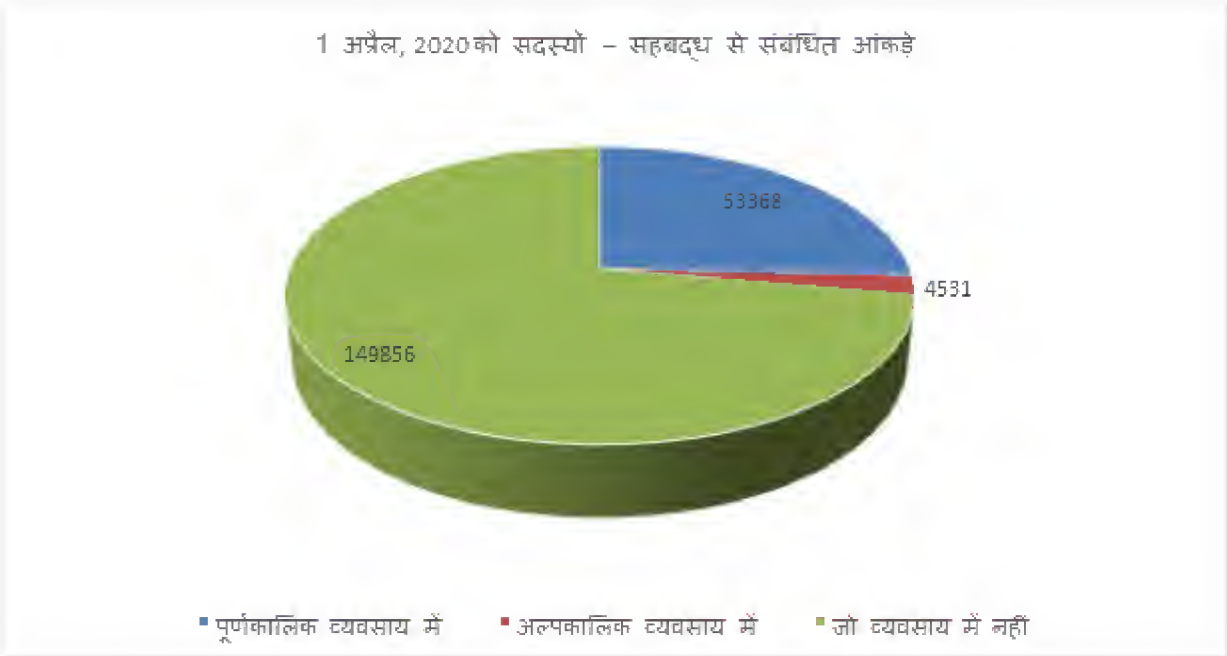


| | अध्येता | | | | सहबद्ध | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | व्यवसाय में | | | | व्यवसाय में | | | | |
| **क्षेत्र** | पूर्णकालिक | अंशकालिक | व्यवसाय में नहीं | कुल | पूर्णकालिक | अंशकालिक | व्यवसाय में नहीं | कुल | कुल योग |
| **पश्चिमी** | 24118 | 782 | 3960 | 28860 | 18279 | 1567 | 54439 | 74285 | 103145 |
| **दक्षिणी** | 17491 | 700 | 3304 | 21495 | 8632 | 1019 | 28754 | 38405 | 59900 |
| **पूर्वी** | 7804 | 232 | 1259 | 9295 | 3683 | 335 | 11717 | 15735 | 25030 |
| **मध्य** | 16744 | 375 | 1898 | 19017 | 11915 | 705 | 25833 | 38453 | 57470 |
| **उत्तरी** | 16796 | 616 | 3404 | 20816 | 10859 | 905 | 29113 | 40877 | 61693 |
| **योग** | 82953 | 2705 | 13825 | 99483 | 53368 | 4531 | 149856 | 207755 | 307238 |

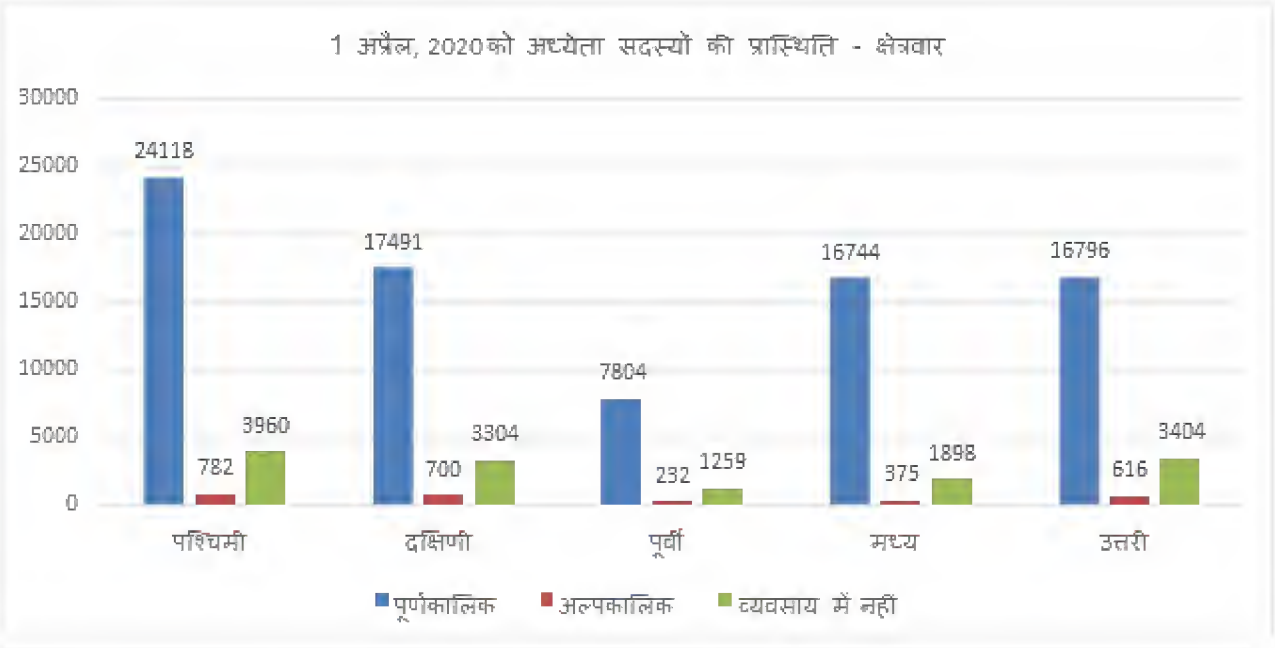


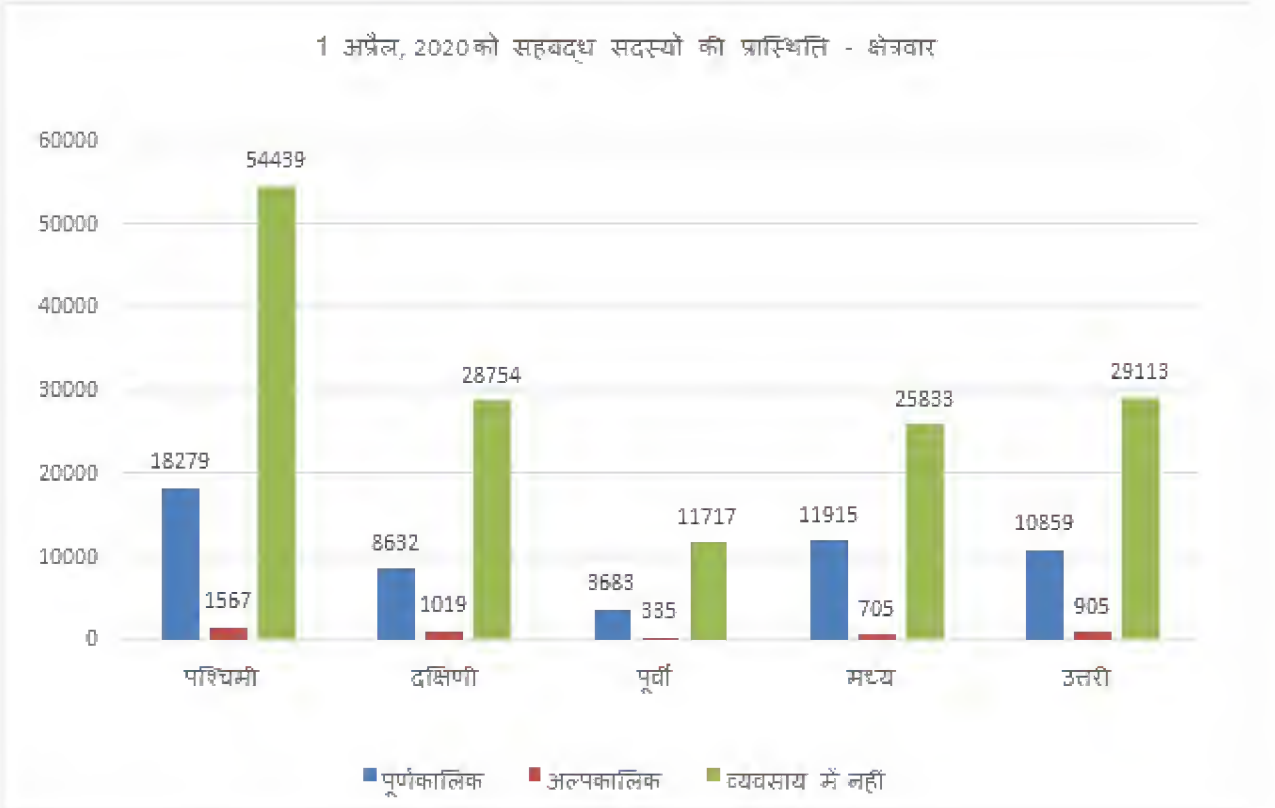


## 10. अध्ययन बोर्ड

संस्थान का अध्ययन बोर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयचर्या के प्रशासन और चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठयक्रम करने वाले छात्रों को सैद्धांतिक अनुदेश प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इस अवधि के दौरान बोर्ड की महत्वपूर्ण पहलों और उपलब्धियों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

### 10.1 अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक)

*राष्ट्र निर्माण में भागीदारी संबंधी पहलें*

**(I) शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम**

- **मूल्यवर्धित अध्ययन सामग्री :** अध्ययन सामग्रियों के पुनरीक्षित मूल्यवर्धित संस्करण को इस वर्ष जारी किया गया था और उसे बीओएस ज्ञान पोर्टल की वेबसाइट पर भी रखा गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020 में, अध्ययन सामग्रियों की गुणवत्ता में आगे और अभिवृद्धि करने के लिए एक समूह का भी गठन किया गया है और इसे प्रथम चरण में त्रुटि मुक्त बनाया गया है तथा दूसरे चरण में इसमें सामग्रियों को जोड़ने और उसे अद्यतन बनाए जाने संबंधी कार्य किया जा रहा है।

- **अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर और मामला अध्ययन :** छात्रों को, उनकी आगामी परीक्षाओं हेतु तैयारी करने में सहायता करने के लिए मूल प्रश्न-पत्रों के लिए प्रश्नों और मामला अध्ययनों को भी आईसीएआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
- **फाइनल के स्तर पर चुने हुए विषयों में विषय विनिर्दिष्ट वेबकास्ट :** ये वेबकास्ट बीओएस संकाय द्वारा मई और नवंबर की परीक्षाओं से पूर्व प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें चुने हुए प्रश्न-पत्रों के संबंध में चुनिंदा मामला अध्ययनों के संबंध में ब्यौरेवार चर्चा की गई थी और रियल टाइम आधार पर छात्रों की शंकाओं का समाधान किया गया था।
- **विषय विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण कैप्सूल :** छात्र जर्नल "द चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट" में प्रत्येक मास विषय विनिर्दिष्ट पुनरीक्षण कैप्सूलों को प्रकाशित किया जाता है। ये कैप्सूल विभिन्न विषयों के संबंध में प्रभावी पुनरीक्षण को सुकर बनाते हैं, विशेषकर परीक्षा के दिवस से एक दिन पूर्व।
- **पुनरीक्षण प्रश्न-पत्र :** शिक्षा की पुरानी और नई स्कीम के अंतर्गत सभी प्रश्न-पत्रों के लिए पुनरीक्षण प्रश्न-पत्रों को अपलोड किया गया है और छात्रों की सुविधा के लिए उन्हें मुद्रित भी किया गया है। इन प्रश्नों में एमसीक्यू और विस्तृत उत्तरों वाले प्रश्न सम्मिलित थे, जो विभिन्न कौशलों का मूल्यांकन करते हैं – ज्ञान और वस्तुनिष्ठा, उपयोग और विश्लेषण तथा मूल्यांकन और संश्लेषण।
- **एमसीक्यू आधारित निर्धारण :** छात्रों के विश्लेषणात्मक और व्यापक कौशलों को और अधिक विकसित करने के लिए और साथ ही परीक्षा में उनके प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ निर्धारण करने हेतु, आईसीएआई ने एक निर्धारण प्रणाली को आरंभ किया है, जिसमें किसी चुने गए प्रश्न-पत्र की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से 30 प्रतिशत प्रश्न बहु विकल्पों पर आधारित प्रश्न होंगे, जो एक और दो अंकों के होंगे। यह प्रणाली मई, 2019 की परीक्षाओं से, मध्यवर्ती और फाइनल, दोनों प्रकार के स्तरों पर शिक्षा और प्रशिक्षण की पुरानी और नई दोनों स्कीमों के अधीन स्थापित की गई थी। प्रत्येक विषय से संबंधित मॉडल एमसीक्यू को बीओएस ज्ञान पोर्टल पर अपलोड किया गया था।

| मध्यवर्ती (नया पाठ्यक्रम) | | आईआईपीसीसी (पुराना पाठ्यक्रम) | |
|---|---|---|---|
| प्रश्नपत्र | विषय | प्रश्नपत्र | विषय |
| 2 | निगम और अन्य विधियां | 2 | कारबार विधियां, आचार और संसूचना |
| 4 | कराधान | 4 | कराधान |
| 6 | संपरीक्षा और आश्वासन | 6 | संपरीक्षा और आश्वासन |
| 7 | उद्यम सूचना प्रणाली और रणनीतिगत प्रबंध | 7 | उद्यम सूचना प्रणाली और रणनीतिगत प्रबंध |

| फाइनल (नया पाठ्यक्रम) | | फाइनल (पुराना पाठ्यक्रम) | |
|---|---|---|---|
| प्रश्नपत्र | विषय | प्रश्नपत्र | विषय |
| 3 | अग्रिम संपरीक्षा और वृत्तिक आचार | 3 | अग्रिम संपरीक्षा और वृत्तिक आचार |
| 4 | निगम और आर्थिक विधियां | 4 | निगम और आर्थिक विधियां |
| | | 6 | सूचना प्रणाली नियंत्रण और संपरीक्षा |
| 7 | प्रत्यक्ष कर विधि और अंतर्राष्ट्रीय कराधान | 7 | प्रत्यक्ष कर विधियां |
| 8 | अप्रत्यक्ष कर विधियां | 8 | अप्रत्यक्ष कर विधियां |

**व्यवहारिक प्रशिक्षण के निर्धारण के लिए एमसीक्यू**

दो स्तरीय व्यवहारिक प्रशिक्षण के निर्धारण के लिए आर्टिकलशिप प्रशिक्षण के दौरान अर्जित कौशलों के निर्धारण हेतु माडल एमसीक्यू को वेबसाइट पर रखा गया था।

**छात्रों के लिए ई-जर्नल**

आईसीएआई की गो ग्रीन पहल के भागरूप में इस जर्नल को ई-जर्नल के रूप में प्रकाशित किए जाने को जारी रखा जाएगा। किसी भी स्थान से और किसी भी समय निःशुल्क पहुंच को सुकर बनाने वाली यह सुविधा सुगम नेवीगेशन, व्याख्या सहित 1 जुलाई, 2019 से आरंभ की गई थी और वह सभी विद्यमान और नए छात्रों के लिए पठन प्रबंध प्रणाली पर उपलब्ध है। छात्र सभी स्तरों पर, एसएसबी पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के दौरान उन्हें उपलब्ध कराए गए लिंक पर जर्नल के इस पीडीएफ/एससीओआरएम अनुरूप पाठ को देख/उस तक पहुंच बना सकते हैं।

**छात्रों को छात्रवृत्तियां मंजूर करना**

अध्ययन बोर्ड वर्ष में दो बार विभिन्न प्रवर्गों अर्थात् मेरिट, मेरिट-सह-आवश्यकता आधारित, आवश्यकता आधारित और कमजोर वर्गों, वृत्ति दान के अधीन छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। तदनुसार, वर्ष के दौरान अध्ययन बोर्ड ने उपरोक्त प्रवर्गों के अधीन चुने गए छात्रों को 1060 छात्रवृत्तियां प्रदान की थी।

**सीए शिक्षा को विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ सुमेलित करना**

बोर्ड ने यह परिकल्पना की थी कि एक स्व:विवेकानुसार पहल के रूप में विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की बी.काम (आनर्स) पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को चार्टर्ड लेखांकन शिक्षा के साथ सुमेलित करके सरल और कारगर बनाया जाए। इसके पश्चात्, मूल प्रश्न-पत्रों, अर्थात् लेखांकन, संपरीक्षा, वित्तीय, आय-कर विधि, माल और सेवाकर तथा लागत लेखांकन के लिए 'वाणिज्य स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए माडल पाठ्यचर्या' को अंतर्विष्ट करने वाली एक पुस्तिका तैयार की थी। इस पुस्तिका को 1 जुलाई, 2019 को सीए दिवस के अवसर पर जारी किया गया था।

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बी.काम (साधारण) और बी.काम (आनर्स) के लिए पियर पुनर्विलोकन पठन परिणामों पर आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ)**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं (एचएआई) की गुणवत्ता में अभिवृद्धि हेतु एक गुणवत्ता संबंधी आदेश निकाला है, जिसमें यूजीसी द्वारा की जाने वाली दस पहलों को सम्मिलित किया गया है। इस दिशा में की जाने वाली प्रमुख पहलों में से एक पहल बी.काम (साधारण) और बी.काम (आनर्स) के लिए पठन परिणामों पर आधारित पाठ्यचर्या ढांचा (एलओसीएफ) तैयार करना है। सीए निहार जम्बुसरिया, उपाध्यक्ष, आईसीएआई से यह अनुरोध किया गया था कि वे उसके पियर पुनर्विलोकन संबंधी कार्य को पूरा करें। इस समनुदेशन को सीए अतुल कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए भ्रातृसंघ के सदस्यों, सीए (डा.) देबाशिष मित्रा, अध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, सीए (डा.) एम.एस. जाधव, सीए वंदना डी. नागपाल, निदेशक, अध्ययन बोर्ड और अध्ययन बोर्ड के अन्य संकाय से प्राप्त मूल्यवान अंत:निवेशों पर विचार करने के पश्चात् पूरा किया गया था।

आईसीएआई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से यह भी अनुरोध कर रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी मध्यवर्ती और फाइनल पाठ्यक्रमों तथा वाणिज्य की क्रमश: स्नातक और मास्टर डिग्रियों में समानता लाई जाए।

**(II) सदस्यों/छात्रों के लिए नई पहलें**

**छात्रों के लिए नई पहलें**

- **जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तथा उत्तर-पूर्व के राज्यों के छात्रों के लिए फीस में रियायत**

आईसीएआई ने नए सृजित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों और उत्तर-पूर्व राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) के छात्रों को बड़ी संख्या में सीए पाठ्यक्रम हेतु नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन संघ राज्यक्षेत्रों/राज्यों के 31 मार्च, 2022 तक सीए पाठ्यक्रम के किसी भी स्तर, अर्थात् फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल, हेतु नामांकन कराने वाले छात्रों को 75 प्रतिशत की सीमा तक ट्यूशन फीस में छूट अनुज्ञात की थी।

- **बीओएस : एकल बिन्दु संदर्भिका**

बीओएस : एकल बिन्दु संदर्भिका नामक एक पुस्तिका को प्रादेशिक कार्यालयों, शाखाओं, व्यवसायरत सदस्यों, उद्योग में लगे सदस्यों और सीए छात्रों के फायदे के लिए प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तिका में बोर्ड की पहलों और क्रियाकलापों के संबंध में ब्यौरेवार जानकारी, कार्यकलापों का अधीक्षण करने वाले संबंधित पदधारियों के संपर्क के ब्यौरे, वे वेब पते, जहां संबद्ध क्रियाकलाप के बारे में ब्यौरेवार जानकारी प्राप्त की जा सकती है, अंतर्विष्ट हैं।

- **लाइव वर्चुअल कक्षाएं**

अगस्त, 2018 से मध्यवर्ती और फाइनल स्तर के लिए लाइव वर्चुअल कक्षाओं (एलवीसी) को चलाया जा रहा है। यद्यपि, मध्यवर्ती कक्षाओं का आयोजन वर्ष में दो बार किया जाता है वहीं फाइनल कक्षाओं का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाता है।

- **विशिष्टियां**

  - लाइव व्याख्यान में भाग लें या रिकार्ड किए गए व्याख्यानों को देखें
  - कंप्यूटरों और मोबाइलों पर उपलब्ध
  - समृद्ध अनुभव वाला विशेषज्ञ संकाय
  - परस्पर क्रियाशील – लाइव कक्षाओं के दौरान प्रश्नोत्तर
  - परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला दृष्टिकोण
  - मामला अध्ययन आधारित वैकल्पिक प्रश्न-पत्रों के संबंध में पृथक् सत्र
  - पृथक् प्रश्नोत्तर सत्र
  - एकीकृत परीक्षाओं के माध्यम से प्रदर्शन का पुनर्विलोकन

- आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से युक्त स्मार्ट कक्षाएं
- संपूर्ण पाठ्यचर्या को सम्मिलित किया जाना – ये कक्षाएं संपूर्ण पाठ्यचर्या को सम्मिलित करती है और साथ ही इनमें आवधिक रूप से परीक्षाओं का संचालन भी किया जाता है।
- कक्षाओं का समय - इन कक्षाओं का आयोजन सप्ताह दिवसों के दौरान कार्य घंटों से परे प्रात: और सायंकाल के दौरान किया गया था (प्रात: 7 से 9.30 बजे) (सायं: 6 से 8.30 बजे)
- अत्यधिक निम्न फीस – मध्यवर्ती और फाइनल स्तर के दोनों समूहों के लिए क्रमश: 4000 रुपए और 4750 रुपए की फीस निर्धारित की गई है।

फीस

| | रजिस्ट्रीकरण के समय | | रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् | |
|---|---|---|---|---|
| | **एकल समूह** | **दोनों समूह** | **एकल समूह** | **दोनों समूह** |
| **मध्यवर्ती** | 2,250 | 4,000 | 3,750 | 6,250 |
| **फाइनल** | 2,500 | 4,750 | 4,500 | 7,500 |

**लाइव पुनरीक्षण कक्षाएं**

लाइव वर्चुअल कक्षाओं संबंधी परियोजना के भागरूप में, नवंबर, 2019 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं हेतु सितंबर-अक्तूबर, 2019 के दौरान आईसीएआई के मध्यवर्ती और फाइनल के छात्रों हेतु लाइव पुनरीक्षण कक्षाओं (एलआरसी) का आयोजन किया गया था। इन कक्षाओं को मई, 2020 की परीक्षाओं हेतु मध्यवर्ती स्तर के लिए भी आरंभ किया गया था, तथापि कोरोना महामारी के कारण इन कक्षाओं को निलंबित करना पड़ा था। फाइनल परीक्षाओं के लिए एलआरसी को अप्रैल, 2020 से आरंभ किया जाना था किंतु उन्हें भी निलंबित करना पड़ा था।

**लाइव पुनरीक्षण कक्षाओं की विशिष्टियां**

- पूर्ण दिवसीय गहन लाइव पुनरीक्षण कक्षाएं
- 2 से 5 दिनों में प्रत्येक विषय के सभी महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित कर दिया जाता है
- आगामी मई/नवंबर की परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाती है
- समृद्ध अनुभव के साथ विशेषज्ञ संकाय
- प्रश्न उठाए जाने की सुविधा के साथ परस्पर क्रियाशील कक्षाएं
- आपके लैपटॉप, कंप्यूटरों और मोबाइलों पर सुगमता से उपलब्ध
- इन कक्षाओं की रिकार्डिंग भी उपलब्ध है

ये कक्षाएं सभी विषयों से संबंधित विशिष्ट अवधारणाओं को सम्मिलित करती हैं और किसी भी विषय के संबंध में 2 से 5 दिन के भीतर छात्र को पूर्णरूपेण पुनरीक्षण करने में सहायता प्रदान करती हैं। संबद्ध विषयों के संबंध में सभी छात्रों द्वारा प्रस्तुत की गई शंकाओं का हाथ-के-हाथ समाधान कर दिया जाता है। इन कक्षाओं हेतु निम्नानुसार फीस निर्धारित की गई है :

| | **एकल समूह (रुपए)** | **दोनों समूह (रुपए)** |
|---|---|---|
| **मध्यवर्ती पाठ्यक्रम** | 500 | 800 |
| **फाइनल पाठ्यक्रम** | 1000 | 1600 |
| **एलवीसी कक्षाओं के लिए पहले से रजिस्ट्रीकृत छात्र** | शून्य | शून्य |

**नि:शुल्क लाइव पुनरीक्षण कक्षाएं**

कोविड-19 महामारी और उसके पारिणामिक लाकडाउन के कारण छात्रों को उनके घर से अपने-अपने पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए संस्थान ने अप्रैल-मई, 2020 के दौरान नि:शुल्क एलआरसी का संचालन किया था। इन कक्षाओं का लक्ष्य जुलाई, 2020 की परीक्षाएं थीं। ये कक्षाएं गहन प्रकृति की थी और इनमें 2 से 5 दिनों के भीतर सभी महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया गया था।

**नि:शुल्क वर्चुअल कोचिंग कक्षाएं**

बीओएस नि:शुल्क लाइव वर्चुअल कक्षाओं का आयोजन कर रहा है, जो अब वर्चुअल कोचिंग कक्षाओं के नाम से ज्ञात हैं, इनकी विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

- बीओएस नवंबर, 2020 की परीक्षाओं के लक्ष्य से फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल वर्चुअल कोचिंग कक्षाओं के बैचों का नि:शुल्क रूप से संचालन कर रहा है।
- सभी स्तरों, अर्थात् फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल की संपूर्ण पाठ्यचर्या को सम्मिलित किया जाएगा।
- ये कक्षाएं 1 जुलाई, 2020 से आरंभ हुई हैं।
- इन कक्षाओं का संचालन इंटरनेट प्रौद्योगिकी के उपयोग से होता है और इन्हें कंप्यूटरों और मोबाइल के माध्यम से चलाया जाता है।
- ये कक्षाएं लाइव रूप से उपलब्ध हैं और लाइव सत्रों में किसी कारणवश भाग न ले सकने वाले छात्र अपनी सुविधानुसार रिकार्ड किए गए व्याख्यानों को देख सकते हैं। ये कक्षाएं परस्पर क्रियाशील प्रकृति की हैं और इनके दौरान छात्र प्रश्न पूछ सकते हैं।
- कक्षाओं का समय : मध्यवर्ती और फाइनल कक्षाओं का संचालन कार्यालय घंटों से पूर्व प्रात: किया जाता है जबकि फाउंडेशन कक्षाओं का संचालन दिन के दौरान किया जाता है।

➢ **डिजीटल पठन केंद्र से संबंधित ई-पुस्तकें**

शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम के अधीन सभी स्तरों पर सभी विषयों के लिए अध्याय-वार ई-पुस्तकें डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से आईसीएआई के क्लाउड कैम्पस पर उपलब्ध हैं। फाउंडेशन और मध्यवर्ती पाठ्यक्रमों के लिए वीडियो व्याख्यानों और स्व:निर्धारण हेतु क्विजों को भी इन ई-पुस्तकों में समाविष्ट किया गया है।

➢ **वेबकास्ट के माध्यम से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

अध्ययन बोर्ड ने 25 जनवरी, 2020 से 1 मार्च, 2020 के दौरान सप्ताहंतों पर मध्यवर्ती और फाइनल स्तर की कक्षाओं के छात्रों के लिए जीएसटी, इंड एएस और कंपनी अधिनियम, 2013, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, भू-संपदा विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया था, जिन पाठ्यक्रमों में 440 छात्रों ने भाग लिया था।

➢ **सोशल मीडिया**

बोर्ड ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यू-टयूब जैसी सोशल मीडिया साइटों के माध्यम से छात्रों को अपनी पहलों के संबंध में जानकारी और जारी की गई उदघोषणाओं को उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया है। इनमें से प्रत्येक साइट पर बोर्ड के लिए एक प्रोफाइल का सृजन किया गया था। इस माध्यम से छात्रों की शंकाओं का भी समाधान किया जा रहा है और साथ ही बोर्ड द्वारा की जा रही पहलों को लोकप्रिय बनाने के साथ-साथ उनके संबंध में जागरुकता का सृजन भी किया जा रहा है।

➢ **एनएआरआईसी, यूनाइटेड किंगडम द्वारा मान्यता प्रदान किया जाना**

सीए वृत्तिकों के लिए विदेशी अधिकारिताओं में अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से संस्थान ने यू.के. और यूएई शिक्षा प्रणालियों के संदर्भ में आईसीएआई के मध्यवर्ती और फाइनल स्तरों को तुलनात्मक रूप से मूल्यांकित करने हेतु एक स्वतंत्र बैंचमार्किंग अध्ययन का संचालन करने के लिए यू.के. के एनएआरआईसी (द नेशनल रिकोग्निशन इंफरमेशन सेंटर फार द यूनाइटेड किंगडम) को नियोजित किया है, जो एक विख्यात यू.के. राष्ट्रीय अभिकरण है और जो विश्वव्यापी रूप से अर्हताओं और कौशलों के संबंध में जानकारी और विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

यू.के. एनएआरआईसी ने यू.के. और यूएई के विनिर्दिष्ट विनियमित अर्हता ढांचे स्तरों की तुलना में आईसीएआई अर्हताओं का मूल्यांकन किया है। सीए अर्हताओं की इस प्रकार की बैंचमार्किंग आईसीएआई के सदस्यों की स्थिति को मजबूत करेगी और निगमों को सीए अर्हता की संगतता और उसकी छवि को बेहतर रूप से समझने में सहायता करेगी। यह बैंचमार्किंग आईसीएआई के सदस्यों/यू.के., मध्य-पूर्व और एनएआरआईसी मूल्यांकन को स्वीकार करने वाली अन्य अधिकारिताओं के अर्ध-अर्हित वृत्तिकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और बृहतर वृत्तिक अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ बनाएगी।

**छात्रों के लिए अन्य पहलें**

➢ **मोक परीक्षा पत्र**

जुलाई, 2020 की परीक्षाओं के लिए बीओएस ज्ञान पोर्टल के माध्यम से मई, 2020 में मोक परीक्षा पत्रों का आनलाइन रूप से संचालन किया गया था। प्रत्येक विषय से संबंधित मोक परीक्षा को समय-सूची के अनुसार अपलोड किया गया था और इसके 48 घंटों के पश्चात् उनके उत्तरों को भी अपलोड किया गया था, जिससे छात्र अपने उत्तरों की जांच और उनका सत्यापन कर सकें।

➢ **विशेष परामर्शी सत्र**

मोक परीक्षा पत्रों के संचालन के पश्चात् छात्रों को इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कि उन्हें परीक्षाओं में किस प्रकार प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, 1 से 10 जून, 2020 के दौरान प्रत्येक विषय के संबंध में विशेष परामर्शी सत्रों का आयोजन किया गया था।

➢ **व्यवहारिक प्रशिक्षण के निर्धारण हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा**

व्यवहारिक प्रशिक्षण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के पूरा हो जाने के पश्चात् छात्रों के लिए आनलाइन एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। दोनों स्तरों पर 1,13,000 छात्रों को सम्मिलित करते हुए 23 सितंबर, 21 अक्तूबर, 2 दिसंबर, 30 दिसंबर, 2018, 3 फरवरी, 10 मार्च, 21 अप्रैल, 7 जुलाई, 8 सितंबर, 8 दिसंबर, और 29 दिसंबर, 2019 को 11 ऐसी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था।

➢ **अनुमोदित प्रत्यायित संस्थाओं के संकाय/समन्वयकों और उनके विभागाध्यक्षों के लिए एक दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम**

बोर्ड ने 30 अगस्त, 2019 को चेन्नई में अनुमोदित प्रत्यायित संस्थाओं के संकाय/समन्वयकों और उनके विभागाध्यक्षों के लिए एक दिवसीय अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन अंतरा और अंत: संस्थागत परस्पर क्रियाओं का संवर्धन करने और अध्यापन की मानक पद्धति/शिक्षा शास्त्र का अनुभव प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित "प्रत्यायित संस्थाओं द्वारा मौखिक कोचिंग कक्षाओं के आयोजन संबंधी राष्ट्रीय नीति" के अनुसार किया गया था। प्रत्यायित संस्थाओं से 31 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था।

➢ **पठन कक्ष पोर्टल**

देश भर में सीए छात्रों को पठन संबंधी अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए 170 पुस्तकालय/पठन कक्ष/अतिरिक्त पठन कक्ष उपलब्ध हैं। छात्र अपने यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करते हुए पठन कक्ष पोर्टल पर लॉग-इन कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी समय स्वयं को रजिस्टर कर सकते है। इस पठन कक्ष पोर्टल की अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :--

➢ **पोर्टल की विशिष्टियां**

- फीस का संदाय करके अपने लिए स्थान सुरक्षित करना
- छात्रों द्वारा एकदिवस/एक मास के लिए नमनीय रजिस्ट्रीकरण
- 24X7 आनलाइन सेवाओं का उपलब्ध होना
- संदाय के 24 घंटे के भीतर स्थान की पुष्टि
- रजिस्टर करने हेतु छात्रों की सहायता करने हेतु पोर्टल पर ही अद्यतन जानकारी का उपलब्ध होना

➢ **प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं और छात्रों के साथ मासिक परस्पर क्रियाएं**

बीओएस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशक द्वारा वेबकास्ट के माध्यम से प्रादेशिक परिषदों, शाखाओं और छात्रों के साथ मासिक परस्पर क्रियाएं आरंभ की गई है, जिससे कि वे उनके साथ जुड़े रह सकें और इस संबंध को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। बीओएस ने विभिन्न शैक्षिक और बीओएस की अन्य पहलों से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) का संकलन किया है तथा उन्हें संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया है।

➢ **टोल फ्री सहायता नंबर**

बोर्ड ने देश भर के सीए छात्रों की शंकाओं/शिकायतों का समाधान करने के लिए 11 मई, 2017 से छात्र समर्थन पहल के रूप में एक टोल फ्री सहायता टेलीफोन सेवा 18001211330 को आरंभ किया था। आज की तारीख तक इस सहायता केंद्र के माध्यम से छात्रों से प्राप्त 2.5 लाख के लगभग शंकाओं का समाधान किया गया है।

➢ **छात्र क्रियाकलाप संबंधी पोर्टल**

बोर्ड ने, अपने छात्रों को, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न छात्र संबंधी कार्यक्रमों हेतु कहीं से भी और किसी भी समय स्वयं को रजिस्ट्रीकृत करने में सहायता करने हेतु एक छात्र क्रियाकलाप संबंधी पोर्टल को विकसित किया है। यह पोर्टल कार्यक्रम आयोजक इकाईयों और अध्ययन बोर्ड के स्तर पर छात्र क्रियाकलापों के प्रणालीगत प्रबंध में सहायता करता है। 1.4.2019 से 11.02.2020 की अवधि के दौरान इस पोर्टल पर 1000 कार्यक्रमों को रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

➢ **आर्टिकल और औद्योगिक नियोजन पोर्टल**

आर्टिकलशिप और औद्योगिक प्रशिक्षण नियोजन पोर्टल – यह सदस्यों, संगठनों और छात्रों के लिए एक-दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने और सदस्यों/संगठनों को दिलचस्पी रखने वाले छात्रों की खोज करने, उन्हें सूचीबद्ध करने तथा उनके साथ साक्षात्कारों का समय तय करने की सुविधा प्रदान करने वाला एक सामान्य मंच है। छात्र स्थान और क्षेत्रों से संबंधित अपनी अधिमानताओं को उपदर्शित करते हुए रिक्तियों की खोज/उनके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। यह पोर्टल उपयोक्ता मित्र है और यह सदस्यों/उद्योगों तथा आर्टिकल्डशिप /औद्योगिक प्रशिक्षण की वांछा करने वाले छात्रों के बीच दूरी को कम करने में सहायता करेगा।

बोर्ड औद्योगिक प्रशिक्षण पोर्टल को समुन्नत करने हेतु कार्यवाही कर रहा है, जिसे छात्रों और सदस्यों, दोनों की सुगमता के लिए एसएसपी के साथ एकीकृत किया जाएगा।

➢ **छात्रों के लिए आयोजित साफ्ट कौशल संबंधी पाठ्यक्रम (भौतिक और आनलाइन, दोनों माध्यमों से)**

1 अप्रैल, 2019 से 11 फरवरी, 2020 की अवधि के दौरान प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा छात्रों के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। इसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

| पाठ्यक्रम | पीओयू की संख्या | बैचों की संख्या | प्रशिक्षित छात्रों की संख्या |
|---|---|---|---|
| अग्रिम एमसीसी पाठ्यक्रम | 140 | 1192 | 50519 |
| अग्रिम आईटीटी | 147 | 1468 | 49450 |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 151 | 1636 | 49254 |
| अनुकूलन कार्यक्रम | 150 | 1148 | 50345 |
| कुल योग | **588** | **5444** | **199568** |

➢ **पूरे भारत वर्ष में विभिन्न आईटीटी प्रयोगशालाओं में प्रणालियों के प्रतिष्ठापन संबंधी प्रास्थिति**

19 अप्रैल, 2019 को एक आरएफपी जारी किया गया था और उसके पश्चात् एक अन्य आरएफपी 10 मई, 2019 को जारी किया गया था। सम्यक् प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् मैसर्स टीम कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड (लेनोवो ब्रांड के कंप्यूटरों के प्रदायकर्ता) को 14 जून, 2019 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था। आज की तारीख तक आईसीएआई के सभी 113 प्रादेशिक और शाखा कार्यालयों में 4166 डेस्कटॉप कंप्यूटरों को परिदत्त किया गया है।

➢ **आईटी और साफ्ट कौशल पाठ्यक्रमों से संबंधित 18 पीओयू में बायोमीट्रिक युक्तियों का प्रतिष्ठापन**

इन पाठ्यक्रमों के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने और पीओएस द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए संस्थान ने प्रथम चरण में सफलतापूर्वक आईसीएआई के 18 प्रादेशिक और शाखा कार्यालयों में, जहां सदस्यों की संख्या 2500 से अधिक है, 80 बायोमीट्रिक युक्तियों को प्रतिष्ठापित और उनका एकीकरण किया है। दूसरे चरण में, आईसीएआई के 140 प्रादेशिक और शाखा कार्यालयों में 290 बायोमीट्रिक मशीनों का प्रतिष्ठापन किया जा रहा है।

**महत्वपूर्ण घटनाएं**

➢ **सम्मेलन/सभाएं/संगोष्ठियां और छात्र सम्मेलनों से संबंधित अन्य क्रियाकलाप**

राष्ट्रीय सम्मेलन, सीए छात्र सम्मेलन और सीए छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन : 2019-20 की अवधि के दौरान अध्ययन बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित 43 सीए छात्र सम्मेलनों के अलावा कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इंदौर और मुंबई में 5 राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया था और इसके साथ ही पुणे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। इन छात्र सम्मेलनों में लगभग 27,000 छात्रों ने भाग लिया था।

➢ **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन :** अध्ययन बोर्ड ने 14 और 15 दिसंबर, 2019 के दौरान आईसीएआई की पुणे शाखा और डब्ल्यूआईसीएएसए की मेजबानी में पुणे में एक अंतर्राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन का आयोजन किया था। सीए प्रफुल्ल प्रेमसुख छाजेड़, अध्यक्ष, आईसीएआई इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे और सीए आर.एम. विशाखा, एमडी और सीईओ, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस और सीए अतुल कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष, आईसीएआई इसके गणमान्य अतिथि थे। इस सम्मेलन में विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया था, जिनमें - स्वामी मुकुंदानंदजी, जगदगुरु कृपालुजी योग और योग, ध्यान और आध्यात्मिक पीठ के संस्थापक, श्रीमती रितु छाबड़िया, सह-संस्थापक और प्रबंध न्यासी - मुकुल माधव फाउंडेशन, श्री सिद्धार्थ शिरोले, विधान सभा सदस्य (महाराष्ट्र), श्री मकरंद टिल्लू, लाफ्टर योगा प्रशिक्षक और प्रेरक वक्ता, श्री पराग शाह, संस्थापक फ्लेम और मिडास, सीए अमरजीत चोपड़ा, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए (डॉ.) एस.बी. ज़वारे, पूर्व केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई, सीए केमिशा सोनी, अध्यक्षा, अध्ययन बोर्ड, सीए दुर्गेश काबरा, उपाध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, सीए सी.वी. चिताले, सी.ए. जय छैरा, सी.ए. धीरज खंडेलवाल, सीए अनिकेत तलाती, केंद्रीय परिषद सदस्य सम्मिलित थे। इस सम्मेलन में 2581 छात्रों और विभिन्न एसएएफए देशों के 21 विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

➢ **सीए स्टूडेंट्स टैलेंट सर्च 2019**

अध्ययन बोर्ड ने 20 दिसंबर, 2019 को "राष्ट्रीय स्तर के सीए स्टूडेंट्स टैलेंट सर्च -2019" का आयोजन किया है, जो कि आईसीएआई की मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद की इंदौर शाखा द्वारा आयोजित किया गया था, जो अत्यधिक सफल रहा था तथा छात्रों और सदस्यों ने उसका अत्यधिक आनंद उठाया था। पदमश्री डॉ. पंडित गोकुलोत्सवजी महाराज ग्रैंड फिनाले में मुख्य अतिथि थे। सीए. केमिशा सोनी, अध्यक्षा, अध्ययन बोर्ड, आईसीएआई, सीए दुर्गेश काबरा, उपाध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड, आईसीएआई ने भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी।

यह आयोजन अत्यंत सफल रहा था और इसके विजेताओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

| विजेताओं के ब्यौरे | | | |
|---|---|---|---|
| | **प्रथम पुरस्कार विजेता** | **द्वितीय पुरस्कार विजेता** | **तृतीय पुरस्कार विजेता** |
| | **नाम** | **नाम** | **नाम** |
| **क्विज प्रतिस्पर्धा** | श्री गौरांग कुमार अग्रवाल | सुश्री विनीता रेड्डी जे. | |
| | श्री शब्द रूप सत्संगी | सुश्री सन्निधि नागा लक्ष्मी दुर्गा पूजीथा | |
| **वक्तृता** | श्री अनीश सयानी | सुश्री जीनत गुम्बर | सुश्री लिपिका गोयल |
| **वाद्य संगीत** | श्री एलोशिन जोसफ | श्री प्रखर गुप्ता | श्री नरोत्तम माझी |
| **नुक्कड़ ड्रामा** | सुश्री अंकिता महेश्वरी [दल की मुखिया] | श्री निलय गोखले [दल के मुखिया] | श्री महकप्रीत सिंह [दल के मुखिया] |
| | श्री केशव बिरला | सुश्री प्रियंका ठाकुर | श्री सचिन गोयल |
| | सुश्री श्रुति तापडिया | श्री अभिषेक साठे | श्री शुभम खुल्लर |
| | श्री साहिल भंडारी | श्री पदनेश पाटिल | सुश्री सिमरन धवन |
| | श्री केशव राठी | श्री सोहम वैद्य | सुश्री मुस्कान जैसवाल |
| | सुश्री शिवानी राठौर | | सुश्री सुप्रीत कौर |

➢ **शिक्षक दिवस समारोह**

अध्ययन बोर्ड ने 5 सितंबर, 2019 को अपनी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं के माध्यम से देश भर में शिक्षक दिवस संबंधी समारोह का आयोजन किया था, जिससे सीए और सीए छात्रों के बीच मजबूत संबंध स्थापित हो सके। इस कार्यक्रम के दौरान प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं ने निंबध और कविता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था।

बोर्ड ने छात्रों के बीच उनके शिक्षकों के प्रति आदर और आभार की भावना का सृजन करने के लिए आईसीएआई की वेबसाइट और सोशल मीडिया पृष्ठों पर कुछ ई-कार्डों और डीपी छवियों को अपलोड किया था। अध्ययन बोर्ड ने आईसीएआई के दिल्ली कार्यालय से प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक वेबकास्ट का आयोजन किया था, जिसे सीए प्रफुल प्रेमसुख छाजेड, अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए. केमीशा सोनी, अध्यक्षा, अध्ययन बोर्ड, सीए दुर्गेश काबरा, उपाध्यक्ष, अध्ययन बोर्ड ने संबोधित किया था। इसके पश्चात् दो विख्यात वक्ताओं के संबोधनों के साथ सत्रों का आयोजन किया गया था।

➢ **आईसीएआई का अपने छात्रों के साथ संवाद**

अध्ययन बोर्ड ने 23 मई, 2020 को वेबकास्ट के माध्यम से छात्रों के साथ एक परस्पर क्रियाशील सत्र, अर्थात् "आईसीएआई का अपने छात्रों के साथ संवाद" का आयोजन किया था।

सीए अतुल कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए निहार निरंजन जम्बूसरिया, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, सीए (डा.) देबाशिष मित्रा, अध्यक्ष, बीओएस और सीए प्रमोद कुमार बूब, उपाध्यक्ष, एसएसईबी ने इस आयोजन में भाग लेने वाले छात्रों को संबोधित किया था और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया था।

लगभग 46,000 छात्रों ने इस वेबकास्ट को देखा था और उन्होंने लगभग 5,000 प्रश्न पूछे थे। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बीओएस द्वारा पृथक् रूप से मेल द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

**10.2 छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन)**

➢ **छात्र क्रियाकलाप संबंधी पोर्टल**

अध्ययन बोर्ड ने छात्रों की, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न छात्र संबंधी कार्यक्रमों हेतु रजिस्टर करने में सहायता करने के लिए छात्र क्रियाकलाप संबंधी पोर्टल को विकसित किया है। यह कार्यक्रम आयोजक इकाईयों और अध्ययन बोर्ड के स्तर पर छात्र क्रियाकलापों के प्रणालीगत प्रबंध में सहायता करता है। इस पोर्टल पर 180 कार्यक्रमों को रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

➢ **आर्टिकल नियोजन और औद्योगिक प्रशिक्षण पोर्टल**

आईसीएआई के छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) ने हाल ही में 14 जून, 2020 को एक लाइव वेबीनार के माध्यम से आर्टिकल नियोजन और औद्योगिक प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह एक ऐसा मंच है जो छात्रों और कंपनियों, दोनों को परस्पर एक दूसरे का चयन करने हेतु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करने का अवसर उपलब्ध कराता है। यह पोर्टल नामांकन हेतु पात्र छात्रों की संख्या और साथ ही उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपलब्ध सदस्यों की संख्या को उपदर्शित

करता है। यह पोर्टल रजिस्ट्रीकृत कंपनियों और उनमें उपलब्ध रिक्तियों के क्षेत्रवार, विशेषज्ञतावार और उनकी संख्या के संबंध में ब्यौरे भी दर्शित करता है। यह पोर्टल छात्रों को सही समय पर प्रणाली के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु उनकी पात्रता के बारे में ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से संसूचित करेगा। यह पोर्टल ऐसे उद्योगों को आनलाइन अनुमोदन भी प्रदान करता है, जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियमों के अनुसार सीए बनने के इच्छुक छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने का आशय रखते हैं।

➢ **पठन कक्ष पोर्टल**

देश भर में सीए छात्रों को पठन संबंधी अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए 170 पुस्तकालय/पठन कक्ष/अतिरिक्त पठन कक्ष उपलब्ध हैं। छात्र अपने यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करते हुए पठन कक्ष पोर्टल पर लॉग-इन कर सकते हैं और कहीं भी किसी भी समय स्वयं को रजिस्टर कर सकते है। इस पठन कक्ष पोर्टल की अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :--

➢ **पोर्टल की विशिष्टियां**

फीस का संदाय करके अपने लिए स्थान सुरक्षित करना

छात्रों द्वारा एकदिवस/एक मास के लिए नमनीय रजिस्ट्रीकरण

24X7 आनलाइन सेवाओं का उपलब्ध होना

संदाय के 24 घंटे के भीतर स्थान की पुष्टि

रजिस्टर करने हेतु छात्रों की सहायता करने हेतु पोर्टल पर ही अद्यतन जानकारी का उपलब्ध होना

➢ **वर्चुअल प्रबंध और संसूचना कौशलों संबंधी पाठ्यक्रम**

एमसीसी और अग्रिम आईटीटी संबंधी वर्चुअल पाठ्यक्रमों को ऐसे छात्रों के लिए आरंभ किया गया था, जिन्होंने मई, 2019/नवंबर, 2019 की परीक्षाओं में फाइनल परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है या जो जुलाई, 2020 (जो अब नवंबर तक आस्थगित हो गई हैं) / नवंबर, 2020 की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। इन छात्रों को कोविड-19 संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए भौतिक रूप से उपस्थित होकर एमसीएस और अग्रिम आईटी कक्षाओं में भाग लेने के संबंध में एकबार की शिथिलता मंजूर की गई है और इस प्रकार उन्हें वर्चुअल पद्धति के माध्यम से इसे पूरा करने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। छात्रों के पूर्वोक्त प्रवर्ग के लिए वर्चुअल एमसीएस कक्षाएं 28 अप्रैल, 2020 से आरंभ हुई थी और अग्रिम आईटीटी छात्रों के लिए ये परीक्षाएं 12 मई, 2020 से आरंभ हुई थी।

➢ **वर्चुअल प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम की विशिष्टियां**

- इसमें कोई कक्षा अध्यापन सम्मिलित नहीं है। छात्र आनलाइन पद्धति से इस पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। इस वर्चुअल एमसीएक्स पाठ्यक्रम की अवधि 90 घंटे है।
- इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए किसी छात्र को अधिकतम 180 दिन की अवधि अनुज्ञात है। उस दशा में, जहां कोई छात्र पूर्वोक्त अवधि के दौरान पाठ्यक्रम पूरा करने में असमर्थ रहा है, छात्र को 90 दिन की अवधि का और विस्तारण किया जाएगा। छात्र को पूर्वोक्त पाठ्यक्रम संबंधी रजिस्ट्रीकरण के पुन: विधिमान्यकरण हेतु पाठ्यक्रम फीस के 50 प्रतिशत का संदाय करना होगा।
- एक पृथक् पोर्टल/पठन प्रबंध प्रणाली (एलएमएस) विद्यमान है, जहां छात्र रजिस्टर कर सकते हैं और इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं।
- छात्र दैनिक रूप से सत्रों को देखने में समर्थ होंगे।
- प्रत्येक सत्र के अंत पर, एक वस्तुनिष्ठ किस्म की आनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। छात्र द्वारा सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उस दशा में, जहां छात्र आनलाइन परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहा है वहां छात्र उस परीक्षा में पुन: बैठेगा।

**छात्रों के लिए आयोजित साफ्ट कौशल संबंधी पाठ्यक्रम (भौतिक और आनलाइन, दोनों रूपों में)**

(I) 12 फरवरी, 2020 से प्रादेशिक कार्यालयों और शाखाओं द्वारा छात्रों के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

| पाठ्यक्रम | पीओयू की संख्या | बैचों की संख्या | प्रशिक्षित छात्रों की संख्या |
|---|---|---|---|
| **अग्रिम एमसीसी पाठ्यक्रम** | 140 | 243 | 8247 |
| **अग्रिम आईटीटी** | 147 | 260 | 7522 |
| **सूचना प्रौद्योगिकी** | 151 | 163 | 3156 |
| **अनुकूलन कार्यक्रम** | 150 | 159 | 3377 |
| **कुल योग** | **588** | **825** | **22302** |

(II) 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, **2020** की अवधि के दौरान क्रमश: 5962 और 5122 छात्रों को वर्चुअल एमसीएस और अग्रिम आईटीटी में प्रशिक्षित किया गया है।

**11. कैरियर परामर्श निदेशालय**

कैरियर परामर्श समिति को भारत और विदेशों में माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों और साथ ही अन्य पणधारियों के बीच सीए पाठ्यक्रमों के संबंध में विशेष ध्यान आकर्षित करने हेतु वाणिज्य संबंधी शिक्षा का संवर्धन करने के उद्देश्य से फरवरी, 2015 के मास में सृजित किया गया था। परिषद् 2018-19 के दौरान कैरियर परामर्शी समूह का सृजन किया गया था और उसके पश्चात् 12 फरवरी, 2020 को उसे कैरियर परामर्शी निदेशालय के रूप में संपरिवर्तित किया गया था। निदेशालय सतत रूप से सर्वाधिक विख्यात सम्मानित, मान्यताप्राप्त और वैश्विक रूप से विश्वसनीय चार्टर्ड लेखांकन की वृत्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए वाणिज्य संबंधी शिक्षा का संवर्धन कर रहा है।

निदेशालय, छात्रों के कौशलों, सामर्थ्य और ज्ञान का पता लगाने, उनकी योग्यता की पहचान करने और उन्हें वाणिज्य संबंधी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए पूरे वर्ष भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें क्विज और वाद-विवाद प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित हैं। निदेशालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बज्ज का सृजन करने, अद्यतन जानकारी को पोस्ट करने, परिचर्चाओं को आरंभ करने, लिंक्स को शेयर करने, संवर्धनात्मक अभियानों को चलाने, ब्लॉग/फीड का संवर्धन करने, फोटो और दस्तावेजों को होस्ट करने, ट्वीटर हैंडलों का सृजन करने और उनके लिए संपर्क प्ररूप/रजिस्ट्रीकरण प्ररूप आदि को तैयार करने के लिए फेसबुक, ट्वीटर, गुगल+, यू-ट्यूब और लिंकडिन जैसे सोशल मीडिया मंचों का प्रभावी रूप से उपयोग कर रहा है। पूरे भारत में 2815 संसाधन व्यक्ति हैं, जिन्हें देश के लगभग प्रत्येक भाग में कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु पैनलबद्ध किया गया है।

1 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2020 की अवधि के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलापों का संचालन किया गया था :--

निदेशालय ने छात्रों के फायदे हेतु भारत में 1000 कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों और आईसीएआई के विदेशी चैप्टरों में 13 ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया था। वर्तमान समय में फैली कोविड-19 महामारी की चुनौती को अवसर में परिवर्तित करते हुए, इस अवधि के दौरान पलादी, अहमदाबाद, बेल्लारी कर्नाटक, एर्नाकुलम और कांचीपुरम् में वर्चुअल आनलाइन पद्धति के माध्यम से 93 कार्यक्रमों और 4 बृहत्त कैरियर परामर्शी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। 3 वाणिज्य चैंपियन कार्यक्रमों का आयोजन जयपुर, लखनऊ और सिलिगुड़ी में किया गया था।

निदेशालय ने पहली बार 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए पृथक् चार स्तरों पर 29 जून, 2020 को आनलाइन पद्धति के माध्यम से आईसीएआई वाणिज्य क्विज 2020 का आयोजन किया था। इस क्विज के लिए कुल 48343 रजिस्ट्रीकरण कराए गए थे, जिसमें से 46054 रजिस्ट्रीकरण भारत से थे जबकि अन्य 2289 अन्य देशों से थे। 8,20,000 रुपए के नकद पुरस्कारों का क्विज के विजेताओं के बीच वितरण किया जाना है।

| देश | कक्षा IX | कक्षा X | कक्षा XI | कक्षा XII | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|
| भारत | 3882 | 6511 | 12250 | 23411 | 46054 |
| भारत से बाहर | 665 | 593 | 525 | 506 | 2289 |
| **कुल योग** | **4547** | **7104** | **12775** | **23917** | **48343** |

निदेशालय सतत रूप से भारत और विदेशों में वाणिज्य संबंधी शिक्षा के संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है और वह अगले वर्ष और अधिक कार्यक्रमों के आयोजन का आशय रखता है, जिससे वह भारत के प्रत्येक भाग के छात्रों तक पहुंच सके।

**12. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं**

संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं, अर्थात् पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद्, जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में स्थित हैं। इस समय इसके पास पूरे भारत में 164 शाखाएं और भारत से बाहर 34 विदेशी चैप्टर तथा 15 प्रादेशिक पुस्तकालय हैं।

सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्, प्रादेशिक परिषद् की सर्वोत्तम शाखा, सर्वोत्तम छात्र संघ और छात्र संघ की सर्वोत्तम शाखा के लिए पुरस्कार :

ये पुरस्कार आईसीएआई द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सकल कार्यपालन और स्थापित संनियमों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2019 के लिए ये शील्डें 7 फरवरी, 2020 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी।

**1. सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्**

प्रथम पुरस्कार: पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्

दूसरा पुरस्कार: संयुक्त रूप से दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् और

पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्

**2. प्रादेशिक परिषदों की सर्वश्रेष्ठ शाखा** :-

**1. बृहत्त श्रेणी**

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की पुणे शाखा

दूसरा पुरस्कार: संयुक्त रूप से आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की अहमदाबाद शाखा और आईसीएआई की एनआईआरसी की गुरुग्राम शाखा

**2. बड़ी शाखा प्रवर्ग**

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की एर्नाकुलम शाखा

दूसरा पुरस्कार: संयुक्त रूप से आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की वदौदरा शाखा और आईसीएआई की एनआईआरसी की लुधियाना शाखा

**3. मध्यम शाखा प्रवर्ग**

प्रथम पुरस्कार: संयुक्त रूप से आईसीएआई की ईआईआरसी की सिलिगुडी शाखा और आईसीएआई की एनआईआरसी की अमृतसर शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की औरंगाबाद शाखा

**4. लघु शाखा प्रवर्ग**

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की अहमद नगर शाखा

दूसरा पुरस्कार: संयुक्त रूप से आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की जलगांव शाखा और आईसीएआई की एसआईआरसी की सलेम शाखा

**5. सूक्ष्म शाखा प्रवर्ग**

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की ईआईआरसी की डिब्रूगढ़ शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी के तिरूनेलवेल्ली शाखा

**3. सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ**

प्रथम पुरस्कार: पश्चिमी भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ

दूसरा पुरस्कार: पूर्वी भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ

**4. छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा**

क. बड़ी शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की पुणे शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी के डब्ल्यूआईसीएएसए की अहमदाबाद शाखा

ख. बड़ी शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की नागपुर शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की ठाणे शाखा

ग. मध्यम शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की औरंगाबाद शाखा

दूसरा पुरस्कार: संयुक्त रूप से आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की वदोदरा शाखा और आईसीएआई की एनआईआरसी की एनईसीएएसए की चंडीगढ़ शाखा

घ. लघु शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की अहमद नगर शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की जलगांव शाखा

ङ. सूक्ष्म शाखा प्रवर्ग

प्रथम पुरस्कार: आईसीएआई की एसआईआरसी की एसआईसीएएसए की शिवकाशी शाखा

दूसरा पुरस्कार: आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की डब्ल्यूआईसीएएसए की पिंपरी-चिंचवाड शाखा

**विकेन्द्रीकृत कार्यालय**

आईसीएआई की परिषद् ने, त्वरित और व्यक्तिगत सेवा के मूल्य को मान्यता प्रदान करते हुए, जिन्हें विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, निम्नानुसार रूप से 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों की स्थापना की है :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| मुंबई | चेन्नई | कोलकाता | कानपुर | नई दिल्ली |

**13. वित्त और लेखा**

31 मार्च, 2020 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा, जो संपरीक्षकों द्वारा सम्यकत: संपरीक्षित है, इसमें इसके पश्चात् प्रकाशित किए गए हैं।

**14. अनुशंसा**

परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे, प्रादेशिक परिषदों, उनकी शाखाओं और उनके सदस्यों तथा गैर-सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने वर्ष 2019-20 के दौरान परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में परिषद् की सहायता की, के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2019-2020 के दौरान केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक पहलों में केंद्रीय और विभिन्न प्रादेशिक राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रूचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

परिषद्, आईसीएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2019-2020 के दौरान और उसके पश्चात् उनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी अनुशंसा करती है।

**सांख्यिकी एक दृष्टि में**

**सदस्य रजिस्ट्रीकरण**

(1 अप्रैल, 2007 से)

**सारणी 1**

| वर्ष (को यथाविद्यमान) | | पश्चिमी क्षेत्र | दक्षिणी क्षेत्र | पूर्वी क्षेत्र | मध्य क्षेत्र | उत्तरी क्षेत्र | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल, 2007 | सहयुक्त | 31159 | 18237 | 7829 | 9642 | 14182 | 81049 |
| | अध्येता | 16896 | 13646 | 6488 | 8882 | 12880 | 58792 |
| | योग | 48055 | 31883 | 14317 | 18524 | 27062 | 139841 |
| 1 अप्रैल, 2008 | सहयुक्त | 32364 | 19203 | 7939 | 10045 | 14642 | 84193 |
| | अध्येता | 17646 | 14034 | 6738 | 9472 | 13398 | 61288 |
| | योग | 50010 | 33237 | 14677 | 19517 | 28040 | 145481 |
| 1 अप्रैल, 2009 | सहयुक्त | 34294 | 20666 | 8193 | 10578 | 15951 | 89682 |
| | अध्येता | 18442 | 14516 | 7002 | 10007 | 13951 | 63918 |
| | योग | 52736 | 35182 | 15195 | 20585 | 29902 | 153600 |
| 1 अप्रैल, 2010 | सहयुक्त | 36390 | 21733 | 8512 | 11252 | 17104 | 94991 |
| | अध्येता | 19181 | 15076 | 7192 | 10615 | 14461 | 66525 |
| | योग | 55571 | 36809 | 15704 | 21867 | 31565 | 161516 |
| 1 अप्रैल, 2011 | सहयुक्त | 38608 | 22998 | 9154 | 12329 | 18547 | 101636 |
| | अध्येता | 19831 | 15612 | 7406 | 11182 | 14943 | 68974 |
| | योग | 58439 | 38610 | 16560 | 23511 | 33490 | 170610 |
| 1 अप्रैल, 2012 | सहयुक्त | 45273 | 25505 | 11069 | 15963 | 23332 | 121142 |
| | अध्येता | 20510 | 16132 | 7578 | 11720 | 15431 | 71371 |
| | योग | 65783 | 41637 | 18647 | 27683 | 38763 | 192513 |
| 1 अप्रैल, 2013 | सहयुक्त | 52846 | 28020 | 13258 | 20606 | 27743 | 142473 |
| | अध्येता | 21522 | 16918 | 7815 | 12327 | 16051 | 74633 |
| | योग | 74368 | 44938 | 21073 | 32933 | 43794 | 217106 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल, 2014 | सहयुक्त | 56595 | 29401 | 14035 | 22978 | 29467 | 152476 |
| | अध्येता | 22313 | 17460 | 8007 | 12915 | 16508 | 77203 |
| | योग | 78908 | 46861 | 22042 | 35893 | 45975 | 229679 |
| 1 अप्रैल, 2015 | सहयुक्त | 60229 | 30126 | 14514 | 24702 | 31137 | 160708 |
| | अध्येता | 22838 | 17864 | 8137 | 13441 | 16986 | 79266 |
| | योग | 83067 | 47990 | 22651 | 38143 | 48123 | 239974 |
| 1 अप्रैल, 2016 | सहयुक्त | 64235 | 31919 | 15046 | 27353 | 32774 | 171327 |
| | अध्येता | 23700 | 18495 | 8223 | 14071 | 17521 | 82010 |
| | योग | 87935 | 50414 | 23269 | 41424 | 50295 | 253337 |
| 1 अप्रैल, 2017 | सहयुक्त | 67746 | 33591 | 15580 | 30036 | 34632 | 181585 |
| | अध्येता | 25742 | 19711 | 8718 | 15618 | 18933 | 88722 |
| | योग | 93488 | 53302 | 24298 | 45654 | 53565 | 270307 |
| 1 अप्रैल, 2018 | सहयुक्त | 70683 | 34733 | 15606 | 32094 | 36988 | 190104 |
| | अध्येता | 26736 | 20280 | 8912 | 16494 | 19667 | 92089 |
| | योग | 97419 | 55013 | 24518 | 48588 | 56655 | 282193 |
| 1 अप्रैल, 2019 | सहयुक्त | 72296 | 34352 | 15547 | 33522 | 37129 | 192857 |
| | अध्येता | 28747 | 21437 | 9418 | 18337 | 20895 | 98841 |
| | योग | 101043 | 55789 | 24965 | 51859 | 58024 | 291698 |
| 1 अप्रैल, 2020 | सहयुक्त | 74285 | 38405 | 15735 | 38453 | 40877 | 207755 |
| | अध्येता | 28860 | 21495 | 9295 | 19017 | 20816 | 99483 |
| | योग | 103145 | 59900 | 25030 | 57470 | 61693 | 307238 |

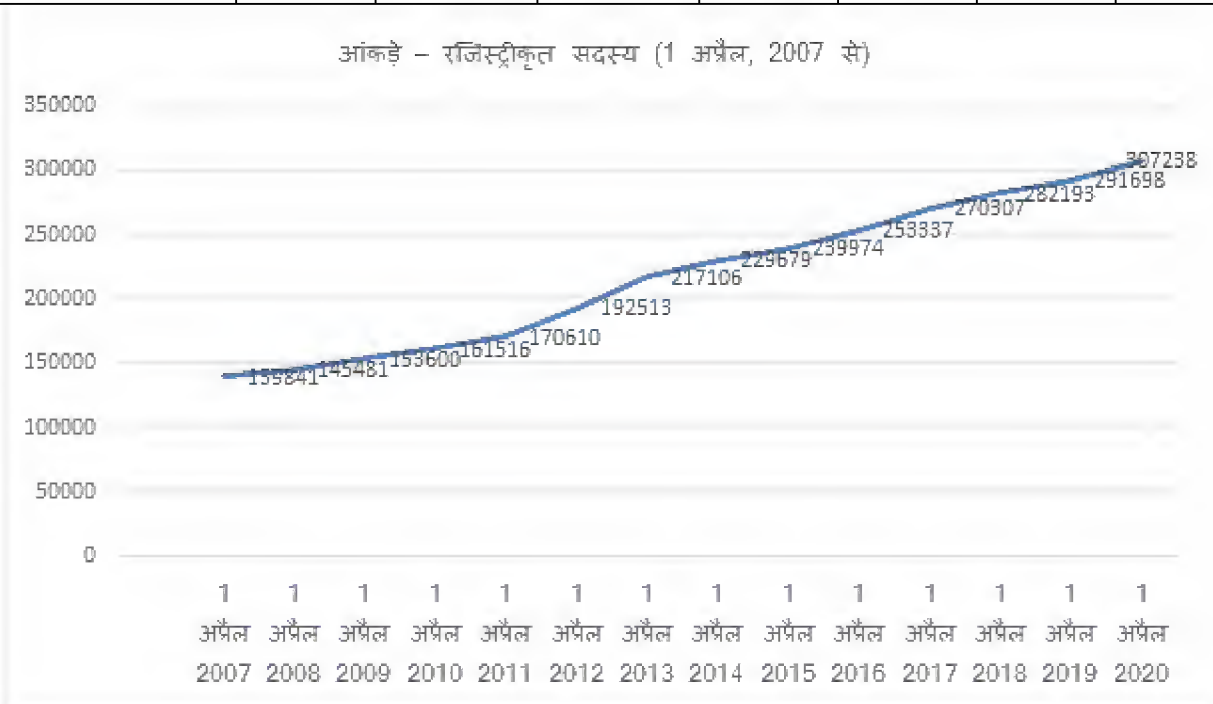

**सदस्य**

(1 अप्रैल, 1950 से)

**सारणी 2**

| | सहयुक्त | अध्येता | योग |
|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल, 1950 को | 1,120 | 569 | 1,689 |
| 1 अप्रैल, 1951 को | 1,285 | 672 | 1,957 |
| 1 अप्रैल, 1961 को | 4,059 | 1,590 | 5,649 |
| 1 अप्रैल, 1971 को | 7,901 | 3,326 | 11,227 |
| 1 अप्रैल, 1981 को | 16,796 | 8,642 | 25,438 |
| 1 अप्रैल, 1991 को | 36,862 | 22,136 | 58,998 |
| 1 अप्रैल, 2001 को | 51,603 | 44,789 | 96,392 |
| 1 अप्रैल, 2002 को | 54,666 | 47,064 | 1,01,730 |
| 1 अप्रैल, 2003 को | 60,619 | 49,637 | 1,10,256 |
| 1 अप्रैल, 2004 को | 63,384 | 52,707 | 1,16,091 |
| 1 अप्रैल, 2005 को | 68,052 | 55,494 | 1,23,546 |
| 1 अप्रैल, 2006 को | 73,778 | 57,168 | 1,30,946 |
| 1 अप्रैल, 2007 को | 81,049 | 58,792 | 1,39,841 |
| 1 अप्रैल, 2008 को | 84,193 | 61,288 | 1,45,481 |
| 1 अप्रैल, 2009 को | 89,682 | 63,918 | 1,53,600 |
| 1 अप्रैल, 2010 को | 94,991 | 66,525 | 1,61,516 |
| 1 अप्रैल, 2011 को | 1,01,636 | 68,974 | 1,70,610 |
| 1 अप्रैल, 2012 को | 1,21,142 | 71,371 | 1,92,513 |
| 1 अप्रैल, 2013 को | 1,42,473 | 74,633 | 2,17,106 |
| 1 अप्रैल, 2014 को | 1,52,476 | 77,203 | 2,29,679 |
| 1 अप्रैल, 2015 को | 1,60,708 | 79,266 | 2,39,974 |
| 1 अप्रैल, 2016 को | 1,71,327 | 82,010 | 2,53,337 |
| 1 अप्रैल, 2017 को | 1,81,585 | 88,722 | 2,70,307 |
| 1 अप्रैल, 2018 को | 1,90,104 | 92,089 | 2,82,193 |
| 1 अप्रैल, 2019 को | 1,92,857 | 98,841 | 2,91,698 |
| 1 अप्रैल, 2020 को | 2,07,755 | 99,483 | 3,07,238 |

**रजिस्ट्रीकृत छात्र**

(31 मार्च, 2009 से)

| वर्ष के दौरान | नए सीआरईटी के अनुसार फाउंडेशन | फाइनल | नया फाइनल | सीपीटी | पीसीसी | आईपीसीसी एवं आईआईपीसीसी | मध्यवर्ती | एटीसी | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | - | 24,172 | - | 1,67,073 | 1,860 | 80,745 | - | 3,376 | 2,77,226 |
| 2010-11 | - | 57,175 | - | 1,55,217 | 329 | 67,984 | - | 1,906 | 2,82,611 |
| 2011-12 | - | 47,515 | - | 1,61,712 | - | 85,053 | - | 2,099 | 2,96,379 |
| 2012-13 | - | 45,102 | - | 1,61,084 | - | 1,02,406 | - | 2,615 | 3,11,207 |
| 2013-14 | - | 39,348 | - | 1,54,742 | - | 96,285 | - | 3,209 | 2,93,584 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | - | 36,950 | - | 1,41,241 | - | 66,570 | - | 881 | 2,45,642 |
| 2015-16 | - | 31,669 | - | 1,25,140 | | 77,962 | - | 1,249 | 2,36,020 |
| 2016-17 | - | 27,611 | - | 1,07,392 | | 81,886 | - | 1,430 | 2,18,319 |
| 2017-18 | 9,788 | 26,291 | 14,056 | 73,804 | - | 22,657 | 63,693 | - | 2,10,289 |
| 2018-19 | 45,048 | - | 27,966 | - | - | - | 53,654 | - | 1,26,668 |
| **2019-20** | 63,228 | - | 67,090 | - | - | - | 87,949 | - | 2,18,267 |

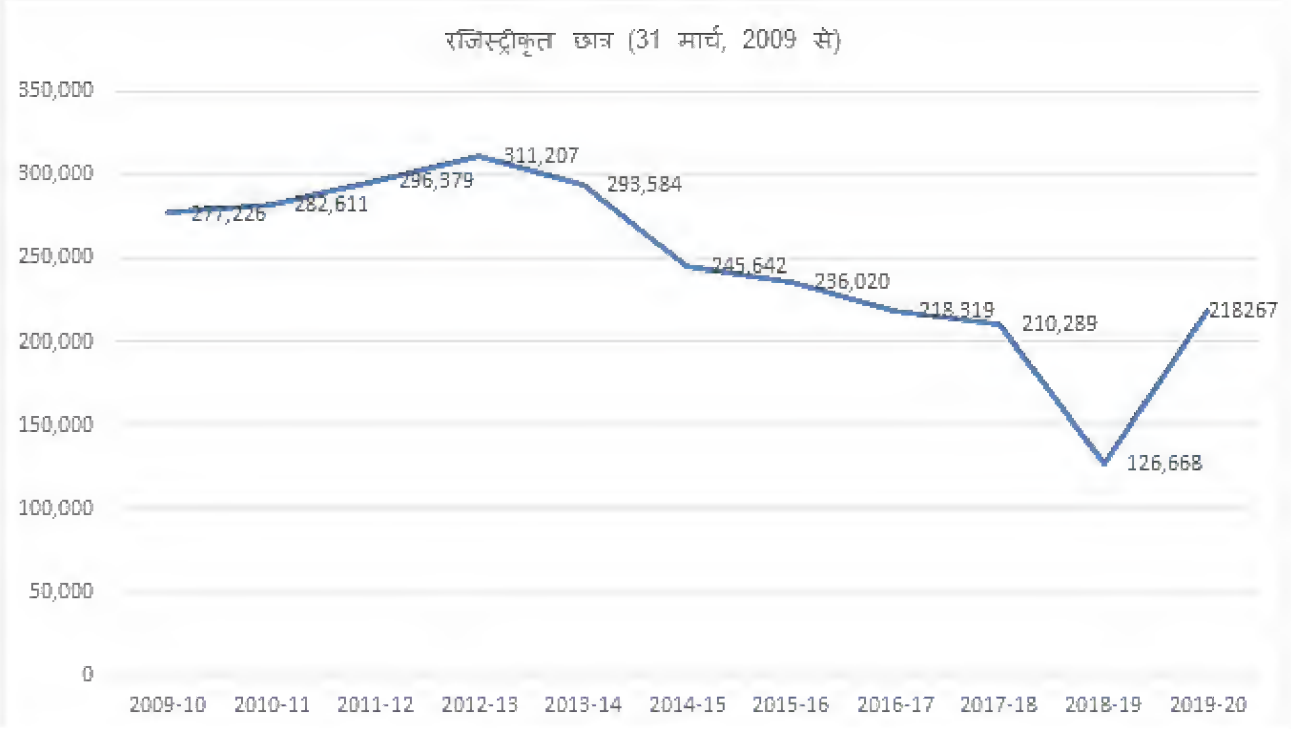


## परिषद् की संरचना

**परिषद् के सदस्य (2020-21)**

| | | |
|---|---|---|
| **अध्यक्ष** | **निर्वाचित सदस्य** | |
| सीए. अतुल कुमार गुप्ता | सीए. अनिल सत्यनारायण भंडारी | मुंबई |
| | सीए. जय छैरा | सूरत |
| | सीए. प्रफुल प्रेमसुख छाजेड | मुंबई |
| **उपाध्यक्ष** | सीए. चंद्रशेखर वसंत चिताले | पुणे |
| सीए. निहार निरंजन जम्बुसरिया | सीए. तरुण जमनादास घिया | मुंबई |
| | सीए. नंदकिशोर चिदम्बर हेगड़े | मुंबई |
| | सीए. निहार निरंजन जम्बुसरिया | मुंबई |
| | सीए. श्रीनिवास यशवंत जोशी | मुंबई |
| | सीए. दुर्गेश कुमार काबरा | मुंबई |
| | सीए. धीरज कुमार खंडेलवाल | मुंबई |
| | सीए. अनिकेत सुनील तलाती | अहमदाबाद |
| | सीए. बाबु अब्राहम कल्लीवयालिल | कोच्ची |
| | सीए दयानिवास शर्मा | हैदराबाद |
| | सीए. प्रसन्ना कुमार डी. | विशाखापट्टनम |

| | | |
|---|---|---|
| **परिषद् के सचिव** | सीए. राजेन्द्र कुमार पी. | चेन्नई |
| श्री राकेश सहगल | सीए. जी. शेखर | चेन्नई |
| कार्यकारी सचिव | | |
| | सीए. एम.पी. विजय कुमार | चेन्नई |
| | सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल | कोलकाता |
| | सीए. सुशील कुमार गोयल | कोलकाता |
| | सीए. (डा.) देबाशीष मित्रा | गुवाहाटी |
| | सीए. मनु अग्रवाल | कानपुर |
| | सीए. प्रमोद कुमार बूब | जयपुर |
| | सीए. अनुज गोयल | गाजियाबाद |
| | सीए. सतीश कुमार गुप्ता | जयपुर |
| | सीए. प्रकाश शर्मा | जयपुर |
| | सीए. केमिशा सोनी | इंदौर |
| | सीए. हंसराज चुघ | नई दिल्ली |
| | सीए. अतुल कुमार गुप्ता | गुरुग्राम |
| | सीए. प्रमोद जैन | नई दिल्ली |
| | सीए. चरणजोत सिंह नंदा | नई दिल्ली |
| | सीए. राजेश शर्मा | नई दिल्ली |
| | सीए. (डा.) संजीव कुमार सिंघल | नई दिल्ली |
| **सरकार के नामनिर्देशिती** | | |
| | श्री मनोज पांडे, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय | नई दिल्ली |
| | श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय | नई दिल्ली |
| | सुश्री रितिका भाटिया, प्रधान निदेशक (वाणिज्य-2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय | नई दिल्ली |
| | डा. रवि गुप्ता, सहबद्ध प्रोफेसर, श्रीराम कालेज ऑफ कामर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय | नई दिल्ली |
| | श्री सुनील कनोरिया | कोलकाता |
| | श्री चन्द्र वाधवा | नई दिल्ली |
| | डा. पी.सी. जैन | नई दिल्ली |
| | अधिवक्ता विजय कुमार झालानी | नई दिल्ली |

शाह गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

**स्वतंत्र संपरीक्षक की प्रारूप रिपोर्ट**

**सेवा में,**

**परिषद्, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**

**वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट**

**राय**

हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2020 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों के संक्षिप्त विवरण को सम्मिलित करने वाले वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पण भी सम्मिलित हैं, की संपरीक्षा की है।

हमारी राय में, 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूर्वोक्त वित्तीय विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार सभी सारवान अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, तैयार किए गए हैं और वे भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान के मामलों की स्थिति और उसके नकद प्रवाह के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं।

**राय के लिए आधार**

हमने अपनी संपरीक्षा को आईसीएआई द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार पूरा किया है। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक के उत्तरदायित्वों संबंधी खंड में वर्णित किया गया है। हम ऐसी नैतिक अपेक्षाओं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी संपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं, के अनुसार संस्थान से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमारी राय का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

**वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधमंडल का उत्तरदायित्व**

संस्थान का प्रबंधमंडल चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के अनुसार, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें उचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे आंतरिक नियंत्रण आवश्यक हैं, जिन्हें प्रबंध मंडल अवधारित करे, जिससे ऐसे वित्तीय विवरणों के तैयार किए जाने को समर्थ बनाया जा सके, जो सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे किसी कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधमंडल, एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने संबंधी संस्थान के सामर्थ्य का निर्धारण करने, यथा लागू प्रकटन करने, गोईंग कर्न्सन से संबंधित विषयों का निर्धारण करने और लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार का उपयोग करने के लिए तब तक उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधमंडल का आशय या तो संस्थान का परिसमापन करना है या उसके प्रचालनों को बंद करना है या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं है।

प्रबंध-मंडल संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यावलोकन करने के लिए उत्तरदायी है।

**वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षक के उत्तरदायित्व**

हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासनों को प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण सकल रूप से सारवान मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, चाहे वे कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण और ऐसी संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट को जारी करना है, जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो। युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं करता है कि एसए के अनुसार की गई संपरीक्षा सदैव सारवान कथनों का उस समय पता लगाने में समर्थ होगी, जब वे विद्यमान होते हैं। मिथ्या कथन, कपट या त्रुटि, किसी भी कारण से उदभूत हो सकते हैं और उन्हें उस समय सारवान समझा जाता है, यदि व्यष्टिक रूप से या सकल रूप से उनसे युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए जाने वाले उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करेंगे।

एसए के अनुसार की जाने वाली संपरीक्षा के भागरूप में, हम अपने वृत्तिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूर्ण संपरीक्षा के दौरान वृत्तिक संदेहों को भी बनाए रखते हैं। हम :

- कपट या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों की पहचान करते हैं और उनसे संबंधी जोखिमों का निर्धारण करते हैं, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में संपरीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को तैयार और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य अभिप्राप्त करते हैं, जो हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी कपट के परिणामस्वरूप होने वाले किसी सारवान मिथ्या कथन की पहचान न करने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप आए सारवान मिथ्या कथन से कहीं अधिक है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, अर्थात् विवरण या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना अंतर्वलित हो सकती है।

- संपरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ को प्राप्त करते हैं, जिससे ऐसी संपरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके, जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, किंतु जो संस्थान के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता के संबंध में राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं हैं।
- प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और प्रबंधमंडल द्वारा दिए गए लेखांकन प्राक्कलनों और संबद्ध प्रकटनों के औचित्य का भी मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधमंडल द्वारा लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तथा प्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर यह तय करते हैं कि क्या किन्हीं घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चतता विद्यमान है, जो एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने के संस्थान के सामर्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता विद्यमान है तो हम से यह अपेक्षा की जाती है कि हम हमारी संपरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को उपांतरित करें। हमारे निष्कर्ष, हमारी संपरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक हमारे द्वारा प्राप्त किए गए संपरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएं या परिस्थितियां यह प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं कि संस्थान एक गोईंग कर्न्सन के रूप में अपना कार्यकरण जारी रखना बंद कर दे।

हम ऐसे व्यक्तियों से परस्पर संपर्क करते हैं, जिन्हें अन्य विषयों के साथ संपरीक्षा के योजनाबद्ध विस्तार क्षेत्र, समय और महत्वपूर्ण संपरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित विषयों को शासित करने का प्रभार सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में ऐसी कोई महत्वपूर्ण कमियां भी हैं, जिनकी हम हमारी संपरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

**अन्य विषय**

(क) संस्थान ने भारत में और विदेशों में बड़ी संख्या में चैप्टरों को प्राधिकृत किया है। संस्थान ने हमें यह निवेदन किया है कि चूंकि यह चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं इसलिए उनके लेखाओं को समेकित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(ख) हमने संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं (जो एकीकृत रूप में शाखाओं के नाम से ज्ञात हैं) के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 1,00,156 लाख रुपए की कुल आस्तियों, 19,171 लाख रुपए का कुल राजस्व और 224 लाख रुपए की रकम का शुद्ध नकद प्रवाह/(बर्हिगामी) उपदर्शित करते हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा अन्य संपरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधमंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं। इन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, जहां तक उसका संबंध इन शाखाओं के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन अन्य संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय और नीचे दी गई विनियामक अपेक्षाओं को, अन्य संपरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों तथा प्रबंधमंडल द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विश्वास के आधार पर अन्य मामलों के संबंध में उपांतरित नहीं किया गया है।

**अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

**हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :**

**क)** हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

**ख)** हमारी राय में, जहां तक लेखा बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं से समुचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं ;

**ग)** इस रिपोर्ट से संबंधित संस्थान का तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप है।

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574W

ह/-
सीए. राजीव बंसल
भागीदार, सदस्यता सं. 088598
यूडीआईएन : 20088598AAAABO5581

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह/-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002
यूडीआईएन : 20516002AAAACN8820

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 24 सितंबर, 2020

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002

## 31 मार्च, 2020 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

| | विशिष्टियां | टिप्पण सं. | 31 मार्च, को यथा विद्यमान | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2020 | 2019 |
| I | **निधियों के स्रोत :** | | (रुपए लाख में) | |
| | **i. अधिशेष और उद्दिष्ट निधियां** | | | |
| | क आरिक्षितियां और अधिशेष | 3 | 1,36,373 | 1,27,756 |
| | ख उद्दिष्ट निधियां | 4 | 90,601 | 68,591 |
| | **ii. गैर चालू दायित्व** | | | |
| | क अन्य दीर्घकालिक दायित्व | 5 | 2,112 | 1,591 |
| | ख दीर्घकालिक प्रावधान | 6 | 28,975 | 25,291 |
| | **iii. चालू दायित्व** | | | |
| | क व्यापार संबंधी देय | 7 | 4,944 | 4,132 |
| | ख अन्य चालू दायित्व | 8 | 20,240 | 24,042 |
| | ग अल्पकालिक प्रावधान | 6 | 959 | 1,628 |
| | **योग** | | **2,84,204** | **2,53,031** |
| **II** | **निधियों का उपयोजन** | | | |
| | **i. गैर चालू आस्तियां** | | | |
| | क संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर | 9 | 64,725 | 61,006 |
| | ख अमूर्त आस्तियां | 10 | 30 | 34 |
| | ग चालू पूंजी संकर्म | 11 | 4,816 | 5,555 |
| | घ गैर-चालू निवेश | 12 | 1,09,757 | 1,18,177 |
| | ङ उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां | 13 | 5,140 | 5,176 |
| | च दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम | 14 | 3,845 | 3,433 |
| | छ अन्य गैर चालू आस्तियां | 15 | 2,645 | 1,659 |
| | **ii. चालू आस्तियां** | | | |
| | क. चालू निवेश | 12 | 8,009 | 4,917 |
| | ख. उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां | 13 | 67,754 | 37,992 |
| | ग. वस्तु-सूचियां | 16 | 480 | 479 |
| | घ. नकद और बैंक अतिशेष | 17 | 8,748 | 8,712 |
| | ङ. अल्पकालिक ऋण और अग्रिम | 14 | 4,874 | 3,295 |
| | च. अन्य चालू आस्तियां | 15 | 3,381 | 2,596 |
| | **योग** | | **284,204** | **253,031** |

संलग्न टिप्पण 1 से 27 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

| ह./- | ह./- | ह./- | ह./- |
|---|---|---|---|
| सीए. सुदीप श्रीवास्तव | राकेश सहगल | सीए. निहार एन. जम्बुसरिया | सीए. अतुल कुमार गुप्ता |
| संयुक्त सचिव | कार्यकारी सचिव | उपाध्यक्ष | अध्यक्ष |

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574W

ह/-
सीए. राजीव बंसल
भागीदार, सदस्यता सं. 088598
नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2020

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह/-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

| | विशिष्टियां | टिप्पण सं. | 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **2020** | 2019 |
| | | | (रुपए लाख में) | |
| I | **आय** | | | |
| | क) फीस | **18** | 71,249 | 70,467 |
| | ख) संगोष्ठियां | 19 | 4,289 | 4,312 |
| | ग) अन्य आय | 20 | 18,134 | 15,566 |
| | **कुल आय** | | **93,672** | **90,345** |
| II | **व्यय** | | | |
| | क) संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम | **21** | 5,012 | 4,505 |
| | ख) कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय | **22** | 15,017 | 14,695 |
| | ग) मुद्रण और लेखन सामग्री | | 5,585 | 5,517 |
| | घ) परीक्षकों और परामर्शियों को संदत्त वृत्तिक फीस | | 10,220 | 9,557 |
| | ङ) अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय | **9-10** | 3,392 | 2,688 |
| | च) अन्य व्यय | **23** | 24,527 | 25,044 |
| | **कुल व्यय** | | **63,753** | **62,006** |
| III | **शुद्ध अधिशेष (I-II)** | | **29,919** | **28,339** |
| IV | **निधियों/आरक्षितियों को विनियोग:** | | | |
| | क) शिक्षा निधि [टिप्पण 2.06(iii) देखें] | | 6,391 | 5,818 |
| | ख) कर्मचारी कल्याण निधि [टिप्पण 2.06(iv) देखें] | | 81 | 80 |
| | ग) सदस्य कल्याण निधि [(टिप्पण 24.20) देखें] | | 1,076 | 2,138 |
| | घ) उद्दिष्ट निधियां और अन्य निधियां (शुद्ध व्यय) | | 4,951 | 2,831 |
| | ङ) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरक्षितियां [टिप्पण 2.06(vii) देखें] | | 1,874 | 1,780 |
| | च) सिंकिंग निधि [टिप्पण 2.06(viii) देखें] | | 1,303 | 276 |
| | छ) अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए), 2022 [टिप्पण 24.15 देखें] | | 1,500 | 1,500 |
| | ज) साधारण आरक्षिती | | 12,743 | 13,916 |
| | **योग** | | **29,919** | **28,339** |

संलग्न टिप्पण 1 से 27 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

| ह./- | ह./- | ह./- | ह./- |
|---|---|---|---|
| सीए. सुदीप श्रीवास्तव | राकेश सहगल | सीए. निहार एन. जम्बुसरिया | सीए. अतुल कुमार गुप्ता |
| संयुक्त सचिव | कार्यकारी सचिव | उपाध्यक्ष | अध्यक्ष |

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574W

ह-/
सीए. राजीव बंसल
भागीदार, सदस्यता सं. 088598
नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2020

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह-/
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

## आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002

## 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

| | विशिष्टियां | 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|
| | | **2020** | 2019 |
| | | (रुपए लाख में) | |
| I. | **प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | | |
| | पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष | 29,919 | 28,339 |
| | निम्नलिखित के लिए समायोजन : | | |
| | - अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय | 3,392 | 2,688 |
| | - ऐसे प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित | (255) | (445) |
| | - संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | 4 |
| | - ब्याज संबंधी आय | (13,523) | (11,332) |
| | - सदस्यों से प्रवेश फीस, जिसे सीधे आरक्षिती को आवंटित किया गया है | 604 | 387 |
| | **कार्यकरण पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष** | **20,137** | **19,641** |
| | **कार्यकरण पूंजी में परिवर्तन :** | | |
| | **प्रचालन संबंधी आस्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :** | | |
| | - वस्तु सूचियां | (1) | 601 |
| | - दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम | (198) | 216 |
| | - अल्पकालिक ऋण और अग्रिम | (1,579) | (585) |
| | **प्रचालन संबंधी दायित्वों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन** | | |
| | - अन्य दीर्घकालिक दायित्व | 521 | 372 |
| | - दीर्घकालिक प्रावधान | 3,684 | 2,350 |
| | - व्यापार संबंधी देय | 1,067 | 900 |
| | - अन्य चालू दायित्व | (3,815) | (218) |
| | - अल्पकालिक प्रावधान | (669) | 321 |
| | | **19,147** | **23,598** |
| | आय-कर (संदत्त)/प्राप्त (शुद्ध) | (214) | (252) |
| | **प्रचालन क्रियाकलापों से हुई आय (अ)** | **18,933** | **23,346** |
| II. | **निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | | |
| | - गैर-चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय) | 8,420 | (41,642) |
| | - चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय) | (3,092) | (2,411) |
| | - संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संबंधी पूंजी व्यय | (7,001) | (4,273) |
| | - संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विक्रय से आगम | 646 | 271 |
| | - उद्दिष्ट और अन्य निधियों में कमी | (29,726) | 16,765 |
| | - प्राप्त ब्याज आय | 11,752 | 9,820 |
| | **निवेश संबंधी क्रियाकलापों में (प्रयुक्त) नकद (आ)** | **(19,001)** | **(21,470)** |
| III. | **वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** | | |
| | - प्राप्त अभिदाय | 154 | 27 |
| | - पर्याप्त/(प्रयुक्त) अन्य निधि | (50) | (15) |
| | **वित्तीय क्रियाकलापों से नकद (इ)** | **104** | **12** |
| | **नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ)** | 36 | 1,888 |
| | **वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य** | 8,712 | 6,824 |
| | **वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य** | **8,748** | **8,712** |

संलग्न टिप्पण 1 से 27 देखें, जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं ।

टिप्पण : नकद और नकद समतुल्य हाथ में नकदी और बैंकों में अतिशेष को उपदर्शित करते हैं (टिप्पण सं. 17 देखें) ।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

| ह./- | ह./- | ह./- | ह./- |
|---|---|---|---|
| सीए. सुदीप श्रीवास्तव | राकेश सहगल | सीए. निहार एन. जम्बुसरिया | सीए. अतुल कुमार गुप्ता |
| संयुक्त सचिव | कार्यकारी सचिव | उपाध्यक्ष | अध्यक्ष |

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574W

ह/-
सीए. राजीव बंसल
भागीदार, सदस्यता सं. 088598
नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2020

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह/-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

### 1. साधारण जानकारी

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान या आईसीएआई") जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने अभी तक मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली प्रत्येक में एक और कुल 5 प्रादेशिक परिषदों और 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, 13 उप विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, 164 शाखाओं और दुबई में एक विदेशी कार्यालय का भी गठन किया है।

### 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

#### 2.01 लेखांकन तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को, जिनमें तुलन पत्र, आय और व्यय विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण, टिप्पणों के साथ सम्मिलित है, संस्थान द्वारा जारी और लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार तैयार किया जाता है। यहां भारतीय जीएएपी में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक और अन्य उदघोषणाएं सम्मिलित हैं। वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, गोईंग कन्सर्न संबंधी ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन सतत आधार पर तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं, जब तक कि अन्यथा कथित न हो।

#### 2.02 प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंध मंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करें, जो वर्ष के दौरान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई रकमों (जिसके अंतर्गत आकस्मिक दायित्व भी हैं) और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई रकमों हेतु विचार में लिए जाते हैं। प्रबंध मंडल यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों के बीच अंतर को ऐसी अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है, जिनमें परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है/ वे कार्यान्वित किए जाते हैं।

#### 2.03 वस्तु-सूचियां

वस्तु-सूचियों में प्रकाशनों, अध्ययन सामग्रियों, लेखन सामग्रियों और अन्य भंडारों की वस्तु-सूचियां सम्मिलित होती हैं। इन वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन प्रथम आगम, प्रथम जावक ("एफआईएफओ") पद्धति के आधार पर, जिसके दौरान जहां आवश्यक समझा जाए, अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए उपबंध करने के पश्चात् संगणित निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है।

लागत में माल को विक्रय के बिन्दु पर लाने संबंधी सभी प्रभार सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत चुंगी, अन्य उदग्रहण, प्रवहन बीमा और अनुषंगी प्रभार भी हैं।

#### 2.04 नकद और नकद समतुल्य (नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

नकद में, हाथ में नकदी और बैंकों में मानदेय निक्षेप अंतर्विष्ट हैं। नकद समतुल्य ऐसे अल्पकालिक अतिशेष हैं (जिनकी मूल परिपक्वता, उनके अर्जन की तारीख से तीन मास या उससे कम की अवधि है), जो अत्यधिक रूप से चल निवेश हैं, जिन्हें सुगम रूप से नकद की ज्ञात रकमों में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

#### 2.05 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदभवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है। संस्थान के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

#### 2.06 आरक्षितियों में विनियोग और उद्दिष्ट निधियों को आबंटन

(i) संस्थान के अध्येता के रूप में प्रवेश हेतु सदस्यों से प्राप्त फीस को अवसंरचना संबंधी आरक्षित खाते में जमा किया जाता है।

(ii) भवनों के लिए प्राप्त संदानों को सीधे संबंधित आरक्षित खाते में जमा किया जाता है ।

(iii) दुरस्थ शिक्षा फीस के 25 प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है ।

(iv) वर्ष के दौरान प्राप्त सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के 0.75 प्रतिशत को कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है ।

(v) उद्दिष्ट निधियों से शिक्षा आरक्षित खाते को निम्नलिखित अंतरण किए जाते हैं :

| | |
|---|---|
| (क) लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से | लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से, भवन से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 100 प्रतिशत |
| (ख) शिक्षा निधि से | नियत आस्तियों से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 50 प्रतिशत |

(vi) उद्दिष्ट निधियों के निवेश से होने वाली आय को उद्दिष्ट निधियों में जोड़ा जाता है । इस आय को, संबद्ध उद्दिष्ट निधियों के प्रारंभिक अतिशेष के आधार पर, भारित औसत का आधार बनाते हुए आबंटित किया जाता है ।

**(vii)** वर्ष के दौरान प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी)/आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फीस के 25 प्रतिशत को कंप्यूटरों तथा अन्य आईटीटी केंद्र अवसंरचना के प्रतिस्थापन हेतु अन्य आरक्षितियों में अंतरित किया जाता है ।

**(viii)** वर्ष के लिए अवक्षयण के समतुल्य राशि (आईटीटी आरक्षिती को अंतरित रकम को छोड़कर) को आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन हेतु सिंकिंग निधि में अंतरित किया जाता है ।

**2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर**

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब यह संभावना हो कि मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदें संस्थान को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है । संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को संचयी अवक्षयण और संचयी हानिकरण हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर अग्रनीत किया जाता है । संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत में उसकी क्रय कीमत, किन्हीं व्यापार बट्टों और छूटों के शुद्ध, आयात शुल्कों और अन्य करों (कर प्राधिकारियों से तत्पश्चात् वसूलनीय से भिन्न) सहित सम्मिलित होती है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाले व्यय से प्रत्यक्षत: जोड़ा जा सकता है । आशयित उपयोग हेतु आस्ति को तैयार किए जाने की तारीख तक अर्हित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अर्जन के संबंध में होने वाले अन्य आनुषंगी व्ययों और उसके संबंध में लिए गए उधारों पर ब्याज का भी पूंजीकरण किया जाता है ।

**2.08 अमूर्त आस्तियां**

अमूर्त आस्तियों का कथन, संचयी परिशोधन और संचयी हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर किया जाता है । किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत, छूट और बट्टों का शुद्ध, सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कर (उनसे भिन्न, जो पश्चातवर्ती रूप से कर अधिकारियों से वसूलनीय होते हैं), किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है । किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत, अन्य अनुषंगी व्यय और आशयित उपयोग के लिए आस्ति के तैयार होने की तारीख तक अर्हित आस्तियों के अर्जन के मद्दे लिए गए उधारों पर ब्याज भी है । अमूर्त आस्तियों के क्रय/उनके पूर्ण होने के पश्चात् उनसे संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है ।

**2.09 चालू पूंजी संकर्म**

ऐसी आस्तियों के, जो उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, संनिर्माण पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण (यदि कोई हों) को घटाकर लागत पर संगणित किया जाता है । इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं ।

**2.10 अवक्षयण और परिशोधन**

क) आस्तियों के लिए अवक्षयणीय मूल्य, आस्ति की लागत है या कोई अन्य रकम लागत को प्रतिस्थापित करती है । संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण को परिषद् द्वारा संबद्ध आस्तियों के उपयोग जीवन के आधार पर यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है ।

| | संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वर्ग | अवक्षयण की दर |
|---|---|---|
| (i) | भवन | 5% |
| (ii) | लिफ्ट, इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग | 10% |
| (iii) | कंप्यूटर | 60% |
| (iv) | फर्नीचर और फिक्सचर | 10% |
| (v) | वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर | 15% |
| (vi) | वाहन | 20% |
| (vii) | पुस्तकालय की पुस्तकें | 100% |

ख) पट्टाधृत भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या उसके उपयोगी जीवन, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

ग) कंप्यूटर साफ्टवेयर सहित अमूर्त आस्तियों का परिशोधन उनके प्राक्कलित उपयोगी जीवन के आधार पर तीन वर्षों तक सीधी कटौती पद्धति के अनुसार किया जाता है।

**2.11 राजस्व मान्यता**

**राजस्व को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :**

i) छात्रों से प्राप्त दूरस्थ शिक्षा फीस को संबद्ध पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर अनुपाततः मान्यता प्रदान की जाती है।

ii) कक्षा प्रशिक्षण फीस में प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम ("एमसीएस"), सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("आईसीआईटीएसएस"), अग्रिम सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("एआईसीआईटीएसएस") और अनुकूलन कार्यक्रम ("ओपी") के लिए प्राप्त फीस सम्मिलित होती है। कक्षा प्रशिक्षण और कोचिंग कक्षाओं संबंधी आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, जब सेवाओं को प्रदान किया जाता है और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।

iii) परीक्षा फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

iv) संगोष्ठी फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

v) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाण-पत्र और उसे पुनः स्थापित करने की फीस भी सम्मिलित है) और प्रवेश फीस से मिलकर बनने वाली सदस्यता फीस को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

(क) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए फीस भी है) को उस समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब वह वर्ष के दौरान शोध्य हो जाती है। सदस्य के नाम को पुनः प्रविष्ट करने संबंधी फीस को, उसके प्राप्त होने पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) प्रवेश फीस :

- सहबद्ध सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस के एक-तिहाई भाग को उस वर्ष की प्रवेश संबंधी आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और शेष भाग को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।
- अध्येता सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।

**vi)** छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस को उस समय मान्यता दी जाती है, जब छात्र को पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया जाता है।

**vii)** छात्र संगमों संबंधी आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब छात्रों को पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रदान किया जाता है।

**viii)** अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के राजस्वों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं।

**ix)** प्रमाणपत्र/अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व प्रवेश रद्द किए जाने की दशा में फीस के 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है और उस दशा में, जब पाठ्यक्रम आरंभ हो गया हो, फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाता है किंतु सदस्य को भविष्य में आयोजित किए जाने वाले बैचों में पाठ्यक्रम के शेष भाग को पूरा करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

## 2.12 अन्य आय

क) प्रकाशन के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कारों को क्रेता को अंतरित किया जाता है, जो सामान्यत: माल के परिदान के समय होता है। इस आय में, प्राप्त हुआ यह प्राप्य प्रतिफल, बट्टों का शुद्ध और अन्य विक्रय संबंधी कर (यदि कोई हों) सम्मिलित हैं।

ख) छात्र न्यूज लैटर और जर्नल के अभिदाय से होने वाली आय को अभिदाय की अवधि के अनुसार अनुपातत: मान्यता प्रदान की जाती है।

ग) कैम्पस साक्षात्कार और विशेषज्ञ सलाहकार फीस से होने वाली आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।

घ) ब्याज संबंधी आय को समय अनुपात आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

## 2.13 निवेश

क) संस्थान के निवेशों में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में लिखतें, भारत में अधिवासी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि निक्षेप और लाभ न कमाने वाले अस्तित्वों के शेयर सम्मिलित होते हैं।

ख) निवेशों को एएस 13, निवेशों के अनुसार चालू और दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चालू निवेश वे हैं, जिन्हें सुगमता से वसूल किया जा सकता है और उन्हें, निवेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि तक धारित करने का आशय रखा जाता है। कोई दीर्घकालिक निवेश कोई ऐसा निवेश है, जो चालू निवेश से भिन्न है।

ग) निवेशों को प्रारंभिक रूप से लागत पर लेखबद्ध किया जाता है और इस लागत में अर्जन की लागतें, जैसे दलाली, फीस और शुल्क सम्मिलित होते हैं। क्रय के समय संदत्त प्रोदभूत ब्याज का मुजरा ब्याज की प्रथम प्राप्ति के विरुद्ध किया जाता है।

घ) प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को चालू निवेशों को लागत और उचित मूल्य के निम्नतर पर अग्रनीत किया जाता है। उचित मूल्य का अवधारण व्यष्टिक आधार पर किया जाता है। दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर अग्रनीत किया जाता है। तथापि, मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को सम्मिलित किया जाता है, जिससे निवेशों के मूल्य में अस्थायी से भिन्न किसी कमी को मान्यता प्रदान की जा सके। क्रय के समय संदत्त प्रीमियम का परिशोधन निवेशों की शेष परिपक्वता की अवधि हेतु किया जाता है। प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों से ब्याज' शीर्ष के अधीन आय के प्रति समायोजित किया जाता है।

## 2.14 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों पर लेखांकित किया जाता है।

तुलन-पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा धनीय मदों को वर्ष के अंत में विद्यमान दरों पर पुन: कथित किया जाता है। संस्थान की गैर-धनीय मदों का लेखांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

विदेशी मुद्रा धनीय आस्तियों और दायित्वों के समाधान/पुनर्कथन पर उदभूत होने वाले विनिमय संबंधी अंतरों को आय और व्यय के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

## 2.15 कर्मचारी फायदे

कर्मचारी फायदों में भविष्य निधि, उपदान निधि, प्रतिपूरित अनुपस्थिति, दीर्घ सेवा पुरस्कार, पेंशन स्कीम और सेवा-पश्च चिकित्सीय फायदें सम्मिलित हैं।

### i) अल्पकालिक कर्मचारी फायदे

अल्पकालिक कर्मचारी फायदों (जैसे कि वेतन, भत्ते, अनुग्रह आदि) की बट्टा रहित रकम को, कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले संदत्त किए जाने की आशा की जाती है, जिसे वर्ष के दौरान उस समय मान्यता प्रदान की जाती

है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। अल्पकालिक कर्मचारी फायदे संभावी रूप से उस अवधि के अंत के 12 मास के पश्चात् उत्पन्न होते हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति की लागत को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है :

क) एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उनकी भावी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की हकदारी में वृद्धि करती हैं ; और

ख) गैर-एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब अनुपस्थितियां दर्ज की जाती हैं।

ii) **नियोजन पश्च फायदे**

नियोजन पश्च फायदे कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऐसे फायदे हैं, जो सेवा समापन फायदों से भिन्न हैं और जो नियोजन के पूरा होने के पश्चात् संदेय होते हैं। नियोजन पश्च फायदों का लेखांकन, सुसंगत योजनाओं के वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसे कि उन्हें या तो परिभाषित फायदा योजना (डीबीपी) या परिभाषित अभिदाय योजना (डीसीपी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नियोजन पश्च फायदा योजनाएं, जहां संस्थान किसी पृथक् अस्तित्व या निधि को कोई नियत संदाय करता है और वह उस दशा में किन्हीं अन्य अभिदायों को करने की बाध्यताओं के अधीन नहीं होगा यदि पृथक् अस्तित्व या निधि के पास चालू और पूर्व अवधि में कर्मचारी की सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी फायदों का संदाय करने के लिए पर्याप्त आस्तियां विद्यमान नहीं है। दूसरी ओर, डीसीपी के रूप में वर्गीकृत योजनाओं से भिन्न नियोजन पश्च फायदा योजनाओं को डीबीपी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**क) परिभाषित फायदा योजनाएं**

उपदान और सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन के रूप में परिभाषित फायदा योजनाओं के लिए, फायदे उपलब्ध कराने की लागत का अवधारण प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है, जिसके दौरान प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमांकिक अभिलाभों और हानियों को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे उदभूत होते हैं। पूर्व सेवा संबंधी लागत को, फायदों के पहले से ही निहित किए जाने की सीमा तक तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें अन्यथा फायदों के निहित हो जाने तक की औसत अवधि के अनुसार सीधी कटौती पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है। तुलन-पत्र में मान्य ठहराई गई सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी बाध्यता, गैर-मान्यताप्राप्त पूर्व सेवा लागत के लिए यथा समायोजित परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उपदर्शित करती है, जिसमें से स्कीम संबंधी अस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो। इस परिगणना के पारिणामिक कोई आस्ति, पूर्व सेवा लागत धन उपलब्ध प्रतिदायों और स्कीमों में भावी अभिदायों में कमी के वर्तमान मूल्य तक सीमित है। उपदान संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान भविष्य निधि न्यास (**'न्यास'**) को भविष्य निधि स्कीम के मद्दे किए गए अभिदाय को चालू वर्ष के लिए परिभाषित फायदा योजना के रूप में विचार में लिया जाता है और उसे एक ऐसे व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जो किए जाने के लिए अपेक्षित अभिदाय की रकम पर आधारित है, जब कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस न्यास का प्रबंध संस्थान द्वारा निर्वाचित शासी निकाय द्वारा किया जाता है।

इन परिभाषित फायदा बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को लेखांकन मानक (एएस) – 15, कर्मचारी फायदे के अनुसार एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्याकंनकर्ता द्वारा अभिनिश्चित किया जाता है।

**ख) पेंशन स्कीम**

संस्थान अपने कर्मचारियों को पेंशन के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है। तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

**ग) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा स्कीम फायदा**

संस्थान अपने कर्मचारियों को चिकित्सा स्कीम के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है। तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

**iii) दीर्घकालिक कर्मचारी फायदे**

ऐसी प्रतिपूरित अनुपस्थितियां, जिनकी उस अवधि के अंत के पश्चात् 12 मास के भीतर उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, जिसमें कर्मचारी द्वारा दी गई संबद्ध सेवाओं को तुलन-पत्र की तारीख को परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य पर एक ऐसे दायित्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें से योजना आस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो और जिसमें से बाध्यताओं के समाधान होने की आशा की जाती है।

**2.16 पट्टे**

संस्थान पट्टों को लेखांकन और प्रकटन प्रयोजनों के लिए वित्त और प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करता है। ऐसे पट्टों को, जहां संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे पट्टों को, जहां पट्टाकर्ता और न कि संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

प्रचालन पट्टों के अधीन पट्टा किरायों को पट्टे की अवधि के अनुसार सीधे कटौती पद्धति के आधार पर आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है। वित्तीय पट्टे की दशा में, आस्तियों को पट्टाकृत आस्ति के उचित मूल्य और न्यूनतम पट्टा संदाय के वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टा संबंधी संदायों को वित्तीय प्रभार और पट्टा दायित्व के पुन: संदाय के बीच परिशोधित किया जाता है। पट्टाधृत आस्तियों का अवक्षयण पट्टे की अवधि या आस्ति के उपयोगी जीवन के निम्नतर पर किया जाता है।

**2.17 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियों का हानिकरण**

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों के अग्रेषण मूल्य को हानिकरण हेतु पुनर्विलोकित किया जाता है। यदि हानिकरण का कोई संकेत विद्यमान होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम को प्राक्कलित किया जाता है और हानिकरण को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, यदि इन आस्तियों की अग्रनीत रकम उनकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है। वसूलनीय रकम, वह शुद्ध विक्रय कीमत और उनके उपयोग मूल्य दोनों में से उच्चतर है। उपयोग मूल्य की गणना, भावी नकद प्रवाहों को एक समुचित बट्टा कारक के आधार पर बट्टा देते हुए उनके वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है। जब इस बात का कोई संकेत प्राप्त होता है कि किसी आस्ति के लिए पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों के दौरान मान्यता प्रदान किया गया हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कोई कमी आई है तो ऐसे हानिकरण की वापसी को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

**2.18 आय पर कर**

संस्थान को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(**iv**) और धारा 11 के अधीन आय-कर से छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार, आय-कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और आस्थगित कर आस्ति और दायित्व के लिए किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है।

**2.19 उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां**

उद्दिष्ट निधियों और बैंकों में निक्षेपों के रूप में धारित ऐसी अन्य निधियों को, जो तुलन-पत्र की तारीख से 12 मास की अवधि के पश्चात् परिपक्व हो रहे हैं, गैर-चालू और अन्य निधियों को चालू निधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये निधियां संस्थान की परिषद् के विवेकानुसार उपयोग के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध हैं, सिवाय उद्दिष्ट और कर्मचारी फायदा निधियों की कुल योग की सीमा तक।

**2.20 प्रावधान और आकस्मिकताएं**

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप संस्थान की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उदभूत होती है और जिसकी विद्यमानता की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर निर्भर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उदभूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नहीं की गई है। आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है और उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती है।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है।

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

### टिप्पण # 3. आरक्षितियां और अधिशेष

**(रुपए लाख में)**

| विशिष्टियां | साधारण | | शिक्षा | | अवसंरचना | | अन्य* | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| वर्ष के आरंभ में अतिशेष | **75,233** | **82,207** | **42,682** | **38,343** | **6,072** | **5,700** | **3,769** | **1,989** | **127,756** | **128,239** |
| जोड़ें: आय और व्यय के विवरण से विनियोग | 12,743 | 13,916 | - | - | - | - | 1,874 | 1,780 | 14,617 | 15,696 |
| साधारण आरक्षिती, अवसंरचना आरक्षिती और अन्य आरक्षिती से/(को) अंतरण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण | (10,000) | (20,890) | 3,446 | 4,339 | - | - | - | - | (6,554) | (16,551) |
| दाखिला फीसें और आबंटित प्रवेश फीसें | - | - | - | - | 604 | 387 | - | - | 604 | 387 |
| (उपयोग)/परिवृद्धियां | | - | 2 | - | (3) | (15) | (49) | - | (50) | (15) |
| वर्ष के अंत में अतिशेष | **77,976** | **75,233** | **46,130** | **42,682** | **6,673** | **6,072** | **5,594** | **3,769** | **136,373** | **127,756** |

* अन्य आरक्षितियों में, पुस्तकालय आरक्षितियों, कक्षा प्रशिक्षण आरक्षितियां और विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षिती (दुबई शाखा) आदि जैसी आरक्षितियां सम्मिलित हैं।

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

### टिप्पण : #4. उद्दिष्ट निधियां

**(रुपए लाख में)**

| विशिष्टियां | अनुसंधान निधि | | लेखांकन अनुसंधान भवन निधि | | शिक्षा निधि | | मेडल और पुरस्कार निधि | | छात्रों की छात्रवृत्ति निधि | | सदस्य कल्याण निधि | | कर्मचारी कल्याण निधि | | आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए सिंकिंग निधि | | अन्य निधियां | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष | 2,677 | 2,479 | 924 | 854 | 33,608 | 29,713 | 280 | 265 | 186 | 167 | 2,138 | - | 923 | 789 | 21,166 | - | 6,689 | 5,103 | **68,591** | 39,370 |
| आय और व्यय के विवरण से विनियोग | - | - | - | - | 6,391 | 5,818 | - | - | - | - | 1,076 | 2,138 | 81 | 80 | 1,303 | 276 | 1,500 | 1,500 | **10,351** | 9,812 |
| आरक्षितियों और अधिशेष से/(को) अंतरण | - | - | - | - | (3,446) | (4,339) | - | - | 10,000* | - | - | - | - | - | - | 20,890 | - | - | **6,554** | 16,551 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/परिवृद्धियां | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 38 | 12 | - | - | - | - | - | - | 101 | - | **154** | 27 |
| वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से विनियोग की गई ब्याज आय | 209 | 198 | 73 | 70 | 2,668 | 2,416 | 17 | 19 | 12 | 11 | 170 | - | 73 | 64 | 1,681 | - | 84 | 88 | **4,987** | 2,866 |
| वर्ष के दौरान उपयोजित | - | - | - | - | - | - | (23) | (19) | (5) | (4) | - | - | (8) | (10) | - | - | - | (2) | **(36)** | (35) |
| **वर्ष के अंत में अतिशेष** | **2,886** | **2,677** | **997** | **924** | **39,221** | **33,608** | **289** | **280** | **10,231** | **186** | **3,384** | **2,138** | **1,069** | **923** | **24,150** | **21,166** | **8,374** | **6,689** | **90,601** | **68,591** |

**टिप्पण :** 1. 90,601 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 68,591 लाख रुपए) की उद्दिष्ट निधियों को सावधि निक्षेपों और सरकारी प्रतिभूतियों में धारित किया गया है (टिप्पण 12 और 13 देखें)

2. 1500 लाख रुपए को, अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस, जिसका आयोजन 2022 में किया जाना है, के लिए 4500 लाख रुपए के प्राक्कलित व्यय के वित्तपोषण हेतु विनियोजित किया गया है। (टिप्पण 24.15 देखें)

3. टिप्पण 24.16 देखें*।

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

| **टिप्पण #5 : अन्य दीर्घकालिक दायित्व** | 31 मार्च को यथा विद्यमान | |
|---|---|---|
| | **2020** | 2019 |
| अग्रिम में प्राप्त फीस | | |
| i) शिक्षा फीस | **2,103** | **1,579** |
| ii) जर्नल का अभिदाय | **9** | 12 |
| **योग** | **2,112** | 1,591 |

| **टिप्पण #6 : प्रावधान** | 31 मार्च को यथा विद्यमान | | 31 मार्च को यथा विद्यमान | |
|---|---|---|---|---|
| | **2020** | 2019 | **2020** | 2019 |
| | **दीर्घकालिक** | **दीर्घकालिक** | **अल्पकालिक** | **अल्पकालिक** |
| कर्मचारी फायदों के लिए प्रावधान | | | | |
| क) नियोजन पश्च फायदे | | | | |
| i) उपदान | - | - | - | 392 |
| ii) पेंशन | **14,282** | 11,861 | **557** | 503 |
| iii) भविष्य निधि | - | - | **-** | 200 |
| ख) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान | **5,133** | 4,570 | **402** | 533 |
| ग) शाखा कर्मचारियों के लिए प्रावधान (टिप्पण 24.12) | **4,200** | 3,500 | - | - |
| घ) वेतन पुनरीक्षण के लिए प्रावधान (टिप्पण 24.13) | **5,360** | 5,360 | **-** | - |
| योग | **28,975** | **25,291** | **959** | **1,628** |

| **टिप्पण #7 : व्यापार संबंधी देय** | 31 मार्च को यथा विद्यमान | |
|---|---|---|
| | **2020** | 2019 |
| व्यापार संबंधी देय | **4,944** | 4,132 |
| **योग** | **4,944** | 4,132 |

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

| **टिप्पण #8 : अन्य चालू दायित्व** | **31 मार्च को यथा विद्यमान** | |
|---|---|---|
| | **2020** | **2019** |
| क) अग्रिम में प्राप्त फीस | | |
| i) परीक्षा फीस | **6,967** | 7,046 |
| ii) जर्नल अभिदाय | **21** | 25 |
| iii) सदस्यता फीस | **1,447** | 3,112 |
| iv) शिक्षा फीस | **7,504** | 9,471 |
| v) अर्हता पश्च पाठयक्रम फीस | **442** | 256 |
| vi) प्रमाणपत्र पाठयक्रम फीस | **250** | 171 |
| vii). संगोष्ठी फीस : | | |
| क) संगोष्ठी सदस्य | **129** | 110 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ख) संगोष्ठी छात्र | **26** | - |
| viii) | कक्षा प्रशिक्षण फीस | **155** | 937 |
| ix) | कोचिंग कक्षा फीस | **108** | 105 |
| x) | अन्य फीस | **73** | 63 |
| | **योग (क)** | **17,122** | **21,296** |
| ख) | अन्य दायित्व | | |
| i) | पूंजी ऋणदाता | **28** | 15 |
| ii) | संदेय भविष्य निधि, ईएसआईसी और वृत्तिक कर | **254** | 109 |
| iii) | प्रतिधारण कर | **534** | 540 |
| iv) | जीएसटी देय | **724** | 784 |
| v) | प्रतिभूति और जमा किया गया बयाना धन | **773** | 816 |
| vi) | अन्य | **805** | 482 |
| | **कुल योग (ख)** | **3,118** | **2,746** |
| | | | |
| | **योग (क+ख)** | **20,240** | **24,042** |

**भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**
**वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण**

**(रुपए लाख में)**

| **टिप्पण 9. # संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर** | | **सकल ब्लॉक** | | | | **अवक्षयण** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **31 मार्च को यथाविद्यमान** | **वर्ष के प्रारंभ में लागत** | **वर्ष के दौरान परिवृद्धियां** | **वर्ष के दौरान अंतरण/विलोपन** | **वर्ष के अंत में लागत** | **वर्ष के आरंभ के संचयी अवक्षयण** | **वर्ष के लिए प्रभारित** | **वर्ष के दौरान अंतरण/विलोपन** | **वर्ष के अंत में संचयी अवक्षयण** | **वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य** |
| **पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि** | 2020 | 18,311 | 3,082 | (303) | **21,090** | - | - | - | **-** | **21,090** |
| | 2019 | 17,663 | 356 | 292 | **18,311** | - | - | - | **-** | **18,311** |
| **पट्टाधृत भूमि** | 2020 | 7,790 | 5 | (281) | **7,514** | 840 | 95 | - | **935** | **6,579** |
| | 2019 | 7,549 | 1,033 | (792) | **7,790** | 824 | 92 | (76) | **840** | **6,950** |
| **भवन** | 2020 | 38,735 | 1,958 | (49) | **40,644** | 9,002 | 1,633 | - | **10,635** | **30,009** |
| | 2019 | 31,800 | 7,005 | (70) | **38,735** | 7,766 | 1,584 | (348) | **9,002** | **29,733** |
| **लिफ्ट, इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग्स** | 2020 | 2,312 | 124 | (2) | **2,434** | 1,267 | 122 | - | **1,389** | **1,045** |
| | 2019 | 2,183 | 118 | 11 | **2,312** | 1,157 | 115 | (5) | **1,267** | **1,045** |
| **कंप्यूटर** | 2020 | 5,417 | 2,052 | (208) | **7,261** | 5,102 | 880 | (203) | **5,779** | **1,482** |
| | 2019 | 5,233 | 260 | (76) | **5,417** | 4,948 | 239 | (85) | **5,102** | **315** |
| **फर्नीचर और फिक्सचर** | 2020 | 4,835 | 209 | (1) | **5,043** | 2,417 | 252 | (2) | **2,667** | **2,376** |
| | 2019 | 4,572 | 455 | (192) | **4,835** | 2,221 | 244 | (48) | **2,417** | **2,418** |
| **वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर** | 2020 | 5,626 | 265 | (11) | **5,880** | 3,412 | 351 | (6) | **3,757** | **2,123** |
| | 2019 | 5,387 | 322 | (83) | **5,626** | 3,135 | 354 | (77) | **3,412** | **2,214** |
| **वाहन** | 2020 | 136 | 2 | - | **138** | 114 | 5 | (2) | **117** | **21** |
| | 2019 | 135 | 2 | (1) | **136** | 108 | 6 | - | **114** | **22** |
| **पुस्तकालय की पुस्तकें** | 2020 | 1,059 | 22 | - | **1,081** | 1,061 | 22 | (2) | **1,081** | **-** |
| | 2019 | 1,041 | 25 | (7) | **1,059** | 1,041 | 26 | (6) | **1,061** | **(2)** |
| **योग** | **2020** | **84,221** | **7,719** | **(855)** | **91,085** | **23,215** | **3,360** | **(215)** | **26,360** | **64,725** |
| | **2019** | **75,563** | **9,576** | **(918)** | **84,221** | **21,200** | **2,660** | **(645)** | **23,215** | **61,006** |

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

| टिप्पण 10.# अमूर्त आस्तियां | 31 मार्च को यथाविद्यमान | |
|---|---|---|
| **कंप्यूटर साफ्टवेयर** | **2020** | **2019** |
| **वर्ष के प्रारंभ में लागत** | **766** | 746 |
| परिवृद्धियां | **34** | 5 |
| अंतरण/विलोपन | **(6)** | 15 |
| **वर्ष के अंत में लागत** | **794** | **766** |
| **वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन** | **732** | 691 |
| वर्ष के लिए प्रभार | **32** | 28 |
| अंतरण/विलोपन | **-** | 13 |
| **वर्ष के अंत में परिशोधन** | **764** | **732** |
| **वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य** | **30** | **34** |
| वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य | **34** | 55 |

| | 31 मार्च को यथाविद्यमान | |
|---|---|---|
| **टिप्पण 11. #: चालू पूंजी संकर्म** | **2020** | **2019** |
| प्रारंभिक अतिशेष | **5,555** | 10,877 |
| जोड़े : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां | **1,562** | 1,292 |
| घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत/ समायोजित रकम | **(2,301)** | (6,614) |
| **अंतिम अतिशेष** | **4,816** | **5,555** |

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

| टिप्पण : 12. # निवेश | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | |
|---|---|---|---|---|
| **(लागत पर, मूल्य में ह्रास को घटाकर)** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** |
| | **गैर-चालू** | **गैर-चालू** | **चालू** | **चालू** |
| **क. केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां** | | | | |
| कोट की गई प्रतिभूतियां | | | | |
| 1 8.27% भारत सरकार 2020 | **-** | 2,548 | **2,508** | - |
| 2 7.80% भारत सरकार 2021 | **2,530** | 2,559 | - | - |
| 3 6.35% भारत सरकार 2020 | - | 998 | - | - |
| | **2,530** | **6,105** | **2,508** | **-** |
| कोट न की गई प्रतिभूतियां | | | | |
| 4 8.00% भारत सरकार कराधेय बंधपत्र - संचयी | **11,200** | 11,200 | - | - |
| 5 8% बचत (कराधेय) बंधपत्र 2003-गैर संचयी | **44,000** | 44,000 | **-** | - |
| | **55,200** | **55,200** | - | - |
| **बही मूल्य (क)** | **57,730** | **61,305** | **2,508** | **-** |
| **बाजार मूल्य** | **2,571** | 6,109 | **2,517** | - |
| कोट किया गया | **55,200** | 55,200 | **-** | - |
| कोट न किया गया (बही मूल्य) | **57,771** | **61,309** | **2,517** | - |
| **ख. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां** | | | | |
| कोट की गई प्रतिभूतियां: | | | | |
| 1 07.86% राजस्थान उदय 2019 | - | - | - | 2,910 |
| 2 8.01% राजस्थान उदय एसडीएल 2020 | **-** | 2,497 | **2,499** | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.18% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2020 | - | 1,506 | **1,501** | - |
| 4 | 8.20% पंजाब एसडीएल 2019 | - | - | - | 1,003 |
| 5 | 8.39% राजस्थान उदय बंधपत्र 2021 | **3,836** | 3,870 | - | - |
| 6 | 8.39% राजस्थान उदय एसडीएल 2022 | **1,518** | 1,527 | - | - |
| 7 | 8.44% उत्तर प्रदेश उदय 2023 | **1,003** | 1,004 | - | - |
| 8 | 8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024 | **3,048** | 3,058 | - | - |
| 9 | 8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024 | **2,032** | 2,038 | - | - |
| 10 | 8.45% पंजाब एसडीएल 2023 | **2,543** | 2,557 | - | - |
| 11 | 8.49% आंध्र प्रदेश पी एसडीएल 2020 | - | 1,510 | **1,501** | - |
| 12 | 8.62% महाराष्ट्र एसडीएल 2023 | **508** | 511 | - | - |
| 13 | 8.75% पश्चिमी बंगाल जीएस 2022 | **506** | 510 | - | - |
| 14 | 8.85 पंजाब एसडीएल 2019 | - | - | - | 1,004 |
| | **एसजीएस (i)** | **14,994** | **20,588** | **5,501** | **4,917** |

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली टिप्पणियां

(रुपए लाख में)

| **टिप्पण : 12. # निवेश** | | **31 मार्च को यथाविद्यमान** | | **31 मार्च को यथाविद्यमान** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **(लागत पर, मूल्य में ह्रास को घटाकर)** | | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** |
| | | **गैर-चालू** | **गैर-चालू** | **चालू** | **चालू** |
| 16 | 07.79% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2022 | **993** | 990 | - | - |
| 17 | 6.90% पंजाब एसडीएल 2021 | **2,479** | 2,452 | - | - |
| 18 | 6.94% ओडिशा एसडीएल 2021 | **1,480** | 1,464 | - | - |
| 19 | 7.56% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2021 | **2,490** | 2,478 | - | - |
| 20 | 7.62% महाराष्ट्र एसडीएल 2021 | **1,992** | 1,984 | - | - |
| 21 | 7.64% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2021 | **2,988** | 2,976 | - | - |
| 22 | 7.93% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2024 | **1,516** | 1,520 | - | - |
| 23 | 8.18% हरियाणा एसडीएल उदय 2024 | **46** | 46 | - | - |
| 24 | 8.21% हरियाणा उदय 2022 | **1,491** | 1,487 | - | - |
| 25 | 8.25% उत्तर प्रदेश उदय बंधपत्र 2023 | **507** | 509 | - | - |
| 26 | 8.27% राजस्थान एसडीएल एसपीएल 2023 | **195** | 196 | - | - |
| 27 | 8.37% ओडिशा एसडीएल 2022 | **1,002** | 1,003 | - | - |
| 28 | 8.39% राजस्थान उदय 2022 | **1,496** | 1,494 | - | - |
| 29 | 8.39% राजस्थान उदय बंधपत्र 2021 | **3,008** | 3,016 | - | - |
| 30 | 8.45% गुजरात एसडीएल 2023 | **2,563** | 2,582 | - | - |
| 31 | 8.86% पंजाब एसडीएल 2022 | **1,010** | 1,014 | - | - |
| 32 | 8.90% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2022 | **2,518** | 2,525 | - | - |
| 33 | 8.92% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2022 | **1,010** | 1,015 | - | - |
| 34 | 8.95% असम एसडीएल 2022 | **1,517** | 1,524 | - | - |
| 35 | 8.97% बिहार एसडीएल 2022 | **506** | 509 | - | - |
| 36 | 9.01% कर्नाटक एसडीएल 2024 | **523** | 528 | - | - |
| 37 | 9.01% पश्चिमी बंगाल एसडीएल 2022 | **505** | 508 | - | - |
| 38 | 9.04% पश्चिमी बंगाल एसडीएल 2021 | **506** | 509 | - | - |
| 39 | 9.13% गुजरात एसडीएल 9/5/2022 | **2,423** | 2,434 | - | - |
| 40 | 9.18% पंजाब एसडीएल 2021 | **507** | 511 | - | - |
| 41 | 8.51% उत्तर प्रदेश उदय 2023 | **752** | - | - | - |
| | **एसजीएस (ii)** | **36,023** | **35,274** | - | - |
| | **बही मूल्य [ख=(i)+(ii)]** | **51,017** | **55,862** | **5,501** | **4,917** |
| | **कुल योग (क+ख)** | **108,747** | **117,167** | **8,009** | **4,917** |

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

| टिप्पण #12 : निवेश (लागत रहित अंकित मूल्य पर) | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | गैर-चालू | गैर-चालू | चालू | चालू |
| ग. समनुषंगियों की साम्या लिखतों में निवेश (पूर्ण समादत्त) | | | | |
| i. आईसीएआई का दिवाला वृत्तिक संस्थान 100 रुपए प्रत्येक के 10,00,000 सामान्य शेयर | **1,000** | 1,000 | **-** | - |
| ii. आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन निवेश | **10** | 10 | - | - |
| **कुल योग (ग)** बही मूल्य | **1,010** | **1,010** | **-** | **-** |
| | | | | |
| **योग (क+ख+ग)** | **109,757** | **118,177** | **8,009** | **4,917** |

| टिप्पण : # 13 उद्दिष्ट और अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | गैर-चालू | गैर-चालू | चालू | चालू |
| बैंकों में सावधि निक्षेप | **5,140** | 5,176 | **67,754** | 37,992 |
| **योग** | **5,140** | **5,176** | **67,754** | **37,992** |

| टिप्पण : # 14 ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत, उत्तम माने गए) | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | | गैर-चालू | गैर-चालू | चालू | चालू |
| क) | प्रतिभूति निक्षेप | **79** | 81 | **376** | 352 |
| ख) | स्रोत पर कर कटौती | **2,722** | 2,508 | - | - |
| ग) | इनपुट कर प्रत्यय | - | - | **2,032** | 1,230 |
| घ) | उपदान के लिए योजना आस्ति (बाध्यता का शुद्ध) | - | - | **168** | - |
| ङ) | सदस्यों से प्राप्त अग्रिमों पर जीएसटी | - | - | **283** | 521 |
| च) | अन्य ऋण और अग्रिम | | | | |
| | i) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम | **800** | 600 | **983** | 900 |
| | ii) अन्य प्राप्य | **244** | 244 | **1,032** | 296 |
| | घटाएं : संदेहास्पद प्राप्यों के लिए प्रावधान | - | - | - | **(4)** |
| **योग** | | **3,845** | **3,433** | **4,874** | **3,295** |

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 15 : अन्य आस्तियां | 31 मार्च को यथाविद्यमान | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | गैर-चालू | गैर-चालू | चालू | चालू |
| क) प्रोदभूत ब्याज | | | | |
| i. बैंक के साथ सावधि जमा पर | - | 44 | **1,780** | 960 |
| ii. निवेश पर | **2,495** | 1,461 | **1,527** | 1,596 |
| iii. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर | **150** | 154 | **74** | 40 |
| **योग** | **2,645** | **1,659** | **3,381** | **2,596** |

| टिप्पण # 16 : वस्तु-सूचियां (निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर) | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2019 |
| | क) प्रकाशन और अध्ययन सामग्रियां | 407 | 434 |
| | ख) लेखन सामग्रियां और भंडार | 73 | 45 |
| | **योग** | **480** | **479** |

| टिप्पण # 17 : नकद और बैंक अतिशेष | | 31 मार्च को यथाविद्यमान | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2019 |
| | क) हाथ में नकदी | 45 | 42 |
| | ख) बैंकों में बचत और चालू खातों में अतिशेष | 8,703 | 8,670 |
| | **योग** | **8,748** | **8,712** |

| टिप्पण # 18 : फीसें | 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2019 |
| क) दूरस्थ शिक्षा | 26,252 | 23,910 |
| ख) कक्षा प्रशिक्षण आय | 15,574 | 15,182 |
| ग) कोचिंग | 930 | 1,160 |
| घ) परीक्षा | 15,601 | 16,867 |
| ङ) सदस्यता | 11,236 | 10,870 |
| घटाएं :-- ई-जर्नल संबंधी बट्टा | (683) | - |
| च) प्रवेश | 230 | 116 |
| छ) अर्हतापश्च पाठयक्रम | 869 | 976 |
| ज) प्रमाणपत्र पाठयक्रम | 1,240 | 1,386 |
| **योग** | **71,249** | **70,467** |

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 19: संगोष्ठी आय | | 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2019 |
| क) | सदस्य | 2,929 | 2,889 |
| ख) | छात्र | 587 | 695 |
| ग) | गैर-सदस्य | 770 | 711 |
| घ) | ई-पठन आय | 3 | 17 |
| | **योग** | **4,289** | **4,312** |

| टिप्पण # 20 : अन्य आय | | 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2019 |
| क) | ब्याज आय | | |
| | i. साधारण निधियों में धारित बैंक निक्षेप पर | 2,957 | 2,783 |
| | ii. निवेशों से | 5,490 | 5,613 |
| | iii. उद्दिष्ट निधियों के लिए धारित बैंक निक्षेपों पर | 4,987 | 2,866 |
| | iv. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर | 89 | 70 |
| ख) | प्रकाशनों का विक्रय | 1,123 | 933 |
| ग) | न्यूजलेटर | 110 | 106 |
| घ) | जर्नल अभिदाय | 232 | 277 |
| ङ) | कैम्पस साक्षात्कार | 433 | 970 |
| च) | विशेषज्ञ सलाहकार फीस | 39 | 53 |
| छ) | अनापेक्षित प्रावधानों का अपलेखन | 255 | 445 |
| ज) | प्रकीर्ण आय | 609 | 481 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| झ) | आय समर्थन सेवाएं | 7,904 | 5,335 |
| | घटाएं :-- व्यय समर्थन सेवाएं | (7,904) | (5,335) |
| ञ) | पूर्व अवधि आय | 1,810 | 969 |
| | योग | 18,134 | 15,566 |

| टिप्पण # 21: संगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम | | 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2019 |
| क) | सदस्य | 3705 | 3441 |
| ख) | छात्र | 1212 | 943 |
| ग) | छात्र क्रियाकलाप व्यय | 77 | 83 |
| घ) | ई-पठन आय | 18 | 38 |
| | योग | 5,012 | 4,505 |

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

(रुपए लाख में)

| टिप्पण # 22 : कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय | 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2019 |
| क) वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते | 14,116 | 12,912 |
| ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों को अभिदाय | 758 | 1,616 |
| ग) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय | 143 | 167 |
| योग | 15,017 | 14,695 |

| टिप्पण # 23. अन्य व्यय | | 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2019 |
| क) | डाक और टेलीफोन | 2,378 | 2,743 |
| ख) | किराया, दरें और कर | 5,572 | 5,542 |
| ग) | घरेलू यात्रा | 2,421 | 2,212 |
| घ) | विदेशों से संबद्ध व्यय | | |
| | i) विदेश यात्रा | 232 | 110 |
| | ii) विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस | 635 | 573 |
| | iii) अन्य | 201 | 160 |
| ङ) | मरम्मत और अनुरक्षण | 2,894 | 2,589 |
| च) | कक्षा प्रशिक्षण व्यय | 5,523 | 5,187 |
| छ) | विज्ञापन और प्रचार | 349 | 278 |
| ज) | बैठक व्यय | 1,191 | 1,182 |
| झ) | योग्यता छात्रवृत्ति | 195 | 189 |
| ञ) | संपरीक्षा फीस : प्रधान कार्यालय | 15 | 11 |
| | : अन्य कार्यालय | 37 | 39 |
| ट) | उद्दिष्ट निधियों से संदाय | 36 | 35 |
| ठ) | जीएसटी व्यय | 1039 | 1,213 |
| ड) | संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | 4 |
| ढ) | पूर्व अवधि व्यय | 564 | 1,084 |
| ण) | अन्य व्यय | 1,245 | 1,893 |
| | योग | 24,527 | 25,044 |

**भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**
**वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण**

## 24. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पण

### 24.01 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं :

| | | (रुपए लाख में) |
|---|---|---|
| | **2019-20** | 2018-19 |
| **क. आकस्मिक दायित्व** | | |
| i) संस्थान के विरूद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है | **2,916** | 2,603 |

ii) संस्थान को अपर महानिदेशक, माल और सेवाकर सतर्कता से वार्षिक फीस, व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस, प्रवेश फीस, संगोष्ठी फीस और कोचिंग कक्षा फीस आदि के संबंध में सेवाकर के संदाय के लिए 15,797 लाख रुपए की मांग संबंधी दो कारण बताओ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। संस्थान की यह राय है कि वह कारण बताओ सूचना (एससीएन) में उल्लेख किए गए अनुसार सेवाकर का दायी नहीं है। अक्टूबर, 2019 में, अपर महानिदेशक, डीजीसीईआई, कोच्ची ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका सं. 3957/2019 के विरुद्ध एक प्रति शपथ-पत्र फाइल किया था। तदनुसार, संस्थान ने दिसंबर, 2019 में एक प्रत्युत्तर शपथ-पत्र फाइल किया था। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर, 2020 को की जानी है।

### ख. पूंजी प्रतिबद्धताएं :

| | **2019-20** | 2018-19 |
|---|---|---|
| पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध) | **3,575** | 2,716 |

24.02 टिप्पण # 14 दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के अधीन अन्य प्राप्यों में, नागपुर में भू-संपत्ति के अर्जन के लिए मूल और अनुपूरक करारों के रद्द हो जाने के कारण, स्टाम्प शुल्क के लिए 243.75 लाख रुपए के प्रतिदेय प्राप्य सम्मिलित हैं, जिसे संयुक्त जिला रजिस्ट्रार (जेडीआर), नागपुर द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। संस्थान ने, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे के समक्ष महाराष्ट्र स्टाम्प शुल्क अधिनियम की धारा 53 के अधीन, जेडीआर, नागपुर द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए दो अपील फाइल की हैं, जो अंतिम अधिनिर्णयन के लिए लंबित हैं। संस्थान को यह सलाह दी गई है कि स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए उनके पास उत्तम विधिक मामला है।

24.03 संगोष्ठियों संबंधी क्रियाकलापों के मद्दे प्रत्यक्ष रूप से होने वाले व्ययों को संगोष्ठी संबंधी व्ययों के अधीन प्रभारित किया गया है और इससे संबंधित अप्रत्यक्ष व्ययों को व्यय के कार्यकरण शीर्षों के अधीन प्रभारित किया गया है।

24.04 छात्रों से, छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र के लिए 250 रुपए प्रति छात्र की एक राशि को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि में जमा किया जा रहा है।

24.05 पट्टाधृत भूमि के मूल्य में 6.17 लाख रुपए सम्मिलित हैं, जो भूमि और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली से इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में विद्यमान (प्रधान कार्यालय के साथ लगी) भूमि से संबंधित हैं, जिसके लिए करार और पट्टाभिलेख के ज्ञापन के निष्पादन संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

**भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**
**वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण**

## 24. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पण (जारी ...)

24.06 संस्थान ने, "परिवर्तन परियोजना" के रूप में निर्दिष्ट एक परियोजना को आरंभ करके अपने संपूर्ण गतिविधियों के अंकीयकरण के लिए एक प्रक्रिया को आरंभ किया है। इस प्रयोजन के लिए, संस्थान ने एक वैश्विक रूप से ख्यातिप्राप्त परियोजना प्रबंध परामर्शी के द्वारा पर्यवेक्षित एक वैश्विक एकीकृत सेवा प्रदाता (विक्रेता) को नियुक्त किया था, जिसकी कुल लागत 3,981 लाख रुपए है। 31 मार्च, 2015 तक 867 लाख रुपए की राशि उपगत की गई है।

चूंकि एकीकृत सेवा प्रदाता ने, उसे विस्तारित समय सीमाएं प्रदान करने के पश्चात् भी अपेक्षा के अनुसार विकास कार्य नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान ने संविदा को रद्द कर दिया था और जून, 2015 मास में 295 लाख रुपए की बैंक प्रत्याभूति का प्रत्याह्वान और नकदीकरण किया था तथा 572 लाख रुपए की शेष रकम को 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष में बट्टे खाते में डाल दिया गया था।

विक्रेता ने फरवरी, 2017 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा संस्थान से 807 लाख रुपए के संदाय की अपेक्षा की गई थी, जिसके अंतर्गत नकदीकरण की गई बैंक गारंटी की रकम भी सम्मिलित थी, जिसे संस्थान द्वारा नामंजूर कर दिया गया है और सेवा प्रदाता के साथ करार को समाप्त कर दिया गया है। संविदा को समाप्त करने के पश्चात् से विक्रेता से किसी प्रकार की कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, संस्थान ने विक्रेता को तारीख 31.10.2018 की एक विधिक सूचना भेजी है, जिसमें उससे, परियोजना का निष्पादन न किए जाने के मद्दे संस्थान को हुई हानि के प्रति लागू ब्याज सहित 2140.79 लाख रुपए की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई थी। विक्रेता ने अपने तारीख 20.03.2019 के प्रत्युत्तर द्वारा यह दावा किया है कि संस्थान का दावा समय द्वारा वर्जित है।

इस मामले में, विधिक सलाहकार से प्राप्त राय को आगे और आवश्यक निदेश हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया है।

24.07 आईसीएआई भवन, फरीदाबाद से 225 वर्ग मीटर के मापमान वाली भूमि को जनवरी, 2013 में डीएमआरसी द्वारा अधिगृहीत किया गया था, जिसके लिए फरीदाबाद शाखा ने डीएमआरसी द्वारा किए गए अधिग्रहण के विरुद्ध प्रतिकर के रूप में शाखा के आसपास और अधिक भूमि के लिए अनुरोध किया था। इस मामले पर वर्तमान में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है।

24.08 पूर्व वर्षों में सृजित विभिन्न आरक्षित निधियों और उद्दिष्ट निधियों का और संबद्ध उद्दिष्ट निवेशों का ब्यौरेवार पुनर्विलोकन आरंभ किया गया है ताकि संस्थान की वर्तमान अपेक्षाओं और कार्यकरण के अनुसार इन निधियों को पुन: संरचित किया जा सके।

24.09 आय और व्यय शीर्षों से संबंधित अंत: यूनिट लेखाओं की दशा में, ऐसे अंतरों का, जिनका सुमेलन नहीं किया गया है, नामे में उनका योग 464 लाख रुपए तथा जमा में उनका कुल योग 478 लाख रुपए हो गया है। इसका शुद्ध अंतर 14 लाख रुपए है। सुमेलन के पूरा होने के लंबित रहने के दौरान 14 लाख रुपए के इस शुद्ध अंतर को 'अंत:शाखा सुमेलन लेखा के लिए प्रावधान' के अधीन व्यापार संदेयों में सम्मिलित किया गया है।

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

### 24. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पण (जारी ...)

आस्तियों और दायित्वों से संबंधित अंत:यूनिट लेखाओं की दशा में, आमेलित अंतरों का कुल योग नामे में 2842 लाख रुपए और जमा में 3004 लाख रुपए है। 162 लाख रुपए के शुद्ध अंतर को 'अंत:शाखा सुमेलन लेखा के लिए प्रावधान' के अधीन व्यापार संदेयों में सम्मिलित किया गया है।

24.10 प्रबंध मंडल के मतानुसार, अध्ययन सर्कल, अध्ययन चैप्टर और विदेशी चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और उनके लेखाओं का समेकन नहीं किया जाता है।

24.11 प्रधान कार्यालय और शाखाओं में नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन और बही अतिशेषों के साथ उनके सुमेलन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

24.12 शाखा कर्मचारी स्कीम 2006 को नई शाखा कर्मचारी स्कीम 2014 से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसे केंद्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है किंतु अभी उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया है। वर्ष 2014-15 से, इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष 700 लाख रुपए का प्रावधान लेखाओं में किया जा रहा है, जिनका योग 31 मार्च 2020 को 4200 लाख रुपए हो गया है। इस प्रावधान में कमी/आधिक्य का अवधारण उस समय किया जाएगा जब पुनरीक्षित स्कीम को पूर्णतया कार्यान्वित किया जाएगा।

कुछ शाखाओं ने शाखा के कर्मचारियों से भविष्य निधि अभिदाय की कटौती की है। आय-कर विभाग से पांच प्रादेशिक भविष्य निधि न्यासों के रजिस्ट्रीकरण के अनुमोदन के लंबित रहने के दौरान भविष्य निधि की इस राशि को 103 लाख रुपए के नियोजक के समान अभिदाय सहित भविष्य निधि न्यास में जमा नहीं किया जा सका था। तथापि, पूर्वोक्त निधियों को एक पृथक् सावधि जमा में निवेश किया गया है।

24.13 क्रमश: 1.1.2016 और 1.7.2017 से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 तक 5360 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। इस मामले के अंतिम पुनर्विलोकन और निर्णय के लंबित रहने के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक 1071 लाख रुपए का संदाय अग्रिम के रूप में कर्मचारियों को किया गया है।

24.14 987 लाख रुपए (1213 लाख रुपए) की एक रकम को, जिसके अंतर्गत अपात्र इनपुट कर प्रत्यय, छूट प्राप्त पूर्तियों के कारण प्राप्त होने वाला इनपुट प्रत्यय और विलंबित संदायों पर ब्याज के रूप में 52 लाख रुपए की राशि भी है, आय और व्यय लेखा में 'जीएसटी व्ययों' के रूप में प्रभारित किया गया है। वर्ष के अंत में 724 लाख रुपए (784 लाख रुपए) की जीएसटी के रूप में संदेय रकम को अन्य दायित्वों (टिप्पण सं. 8) के अधीन सम्मिलित किया गया है और 2032 लाख रुपए (1230 लाख रुपए) की रकम, जो जीएसटी इनपुट प्रत्यय के रूप में वसूलनीय है, को 'ऋणों और अग्रिमों (टिप्पण सं. 14)' के अधीन दर्शित किया गया है।

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

### 24. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पण (जारी ...)

24.15 वित्तीय वर्ष 2018-19 में किए गए प्राक्कलनों के अनुसार यह संभावना है कि संस्थान भारत में वर्ष 2022 में अकाउंटेंटों के विश्व कांग्रेस का आयोजन करने के लिए 4500 लाख रुपए के प्राक्कलित व्यय को उपगत करेगा। यह विनिश्चय किया गया था कि वर्ष 2018-19 और आगामी दो वर्षों के अतिशेष में से 1500 लाख रुपए की रकमों को एक पृथक् क्लोज एंडेड निधि में विनियोग किया जाएगा, जिससे सम्मेलन के आयोजन संबंधी वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। प्रत्येक वर्ष में उपगत व्यय को एक अभिहित खाते "डब्ल्यूसीओए – 2022 संबंधी व्यय" से निकाला जाएगा और एक समतुल्य रकम को प्रत्येक वर्ष उक्त निधि से उपयुक्त खाते को अंतरित किया जाएगा।

24.16 वर्ष के दौरान, संस्थान ने छात्र कौशल विकास बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) के अधीन जरुरतमंद छात्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए एक पृथक् निधि के सृजन के प्रति 10,000 लाख रुपए की रकम उद्दिष्ट की है और इस 10,000 लाख रुपए की रकम का निवेश किया गया है ताकि उपरोक्त निधि से प्राप्त होने वाली ब्याज आय से छात्रवृत्ति संबंधी व्ययों की पूर्ति की जा सके।

24.17 वर्ष के दौरान, 3112 रुपए लाख में से सदस्यों से अग्रिम फीस के रूप में प्राप्त 2366 लाख रुपए की रकम और छात्रों से दूरस्थ शिक्षा संबंधी फीस के रूप में प्राप्त 9471 लाख रुपए की रकम की ब्यौरेवार लिस्टिंग की गई थी तथा उन्हें सुमेलित किया गया था तथा बही खातों में इस प्रभाव का आवश्यक लेखांकन संबंधी कार्य पूरा किया गया था। 746 लाख रुपए के अतिशेष, जो पूर्व वर्षों से संबंधित सदस्यों से प्राप्त अग्रिम है, को सुमेलित किया जा रहा है।

24.18 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम 1988 के विनियम 197 के अनुसार, परिषद् के संपरीक्षकों से यह अपेक्षित है कि वे वास्तविक आय और व्यय की तुलना परिषद् द्वारा अनुमोदित बजट प्राक्कलनों के साथ करें तथा सारवान विचलनों के संबंध में परिषद् को रिपोर्ट करें। निकट भविष्य में इस अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

24.19 संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विक्रेताओं से उनकी प्रास्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही कर रहा है और इस प्रकार अवधि के अंत पर इस अधिनियम के अधीन संदत्त या संदेय ब्याज के साथ असंदत्त रकमों से संबंधित प्रकटनों को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

24.20 वर्ष के दौरान, सदस्यता फीस के रूप में प्राप्त 1076 लाख रुपए (जो वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस का 10 प्रतिशत है) [गत वर्ष 2138 लाख रुपए, जो वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस का 20 प्रतिशत है] को सदस्य कल्याण निधि में अंतरित किया गया था।

24.21 अन्य व्ययों में 156 लाख रुपए (114 लाख रुपए) सम्मिलित हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28-क के अधीन गठित क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा उपगत लागतों की प्रतिपूर्ति है। अन्य व्ययों में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन गठित अपील प्राधिकरण को किया गया 60 लाख रुपए (60 लाख रुपए) का अभिदाय भी सम्मिलित है। क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड और अधिकरण के व्ययों का वहन संस्थान द्वारा किया जाना अपेक्षित है। अन्य व्ययों में एक्सटेन्सीबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेजेज (एक्सबीआरएल) को दिया गया 15 लाख रुपए (15 लाख रुपए) का अनुदान भी सम्मिलित है।

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

### 24. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पण (जारी ...)

24.22 भारत सहित कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में तेजी से फैल रही है। भारत सरकार इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपाय कर रही है, जिसके अंतर्गत आज्ञापक लाकडाउन और क्रियाकलापों में निर्बंधनों को अधिरोपित करना भी है। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार के निदेशों के अनुसार संस्थान ने आंशिक रूप से अपने भौतिक प्रचालनों को बंद कर दिया है और छात्रों को आनलाइन पद्धति के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु प्रेरित किया है और साथ ही उसने इस अवसर का उपयोग वृत्ति से संबंधित विभिन्न विषयों के संबंध में नियमित रूप से वेबीनारों का आयोजन करके सदस्यों के विनियमों/विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए किया है।

चूंकि, लाकडाउन को मार्च, 2020 के अंतिम सप्ताह में घोषित किया गया था, इसलिए, मार्च, 2020 में समाप्त होने वाले त्रैमास के राजस्व पर कोई सारवान प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में किए जाने वाले प्रमुख क्रियाकलापों को तब तक पूरा कर लिया गया था। इन गंभीर परिस्थितियों में निरंतर लाकडाउन और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आईसीएआई ने मई, 2020 की परीक्षाओं को नवंबर, 2020 तक आस्थगित करने का विनिश्चय किया था, जिससे आंशिक रूप से वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। आईसीएआई इस व्यर्थ हुए परीक्षा संबंधी प्रयास की छात्रों के लिए क्षति पूर्ति करने हेतु सभी विकल्पों का पता लगा रहा है।

आईसीएआई, सरकार से प्राप्त होने वाले निदेशों को ध्यान में रखते हुए निकटता से स्थिति की समीक्षा कर रहा है। प्रबंध-मंडल यह विश्वास करता है कि उसने कोविड-19 महामारी और पारिणामिक लाकडाउन से उदभूत होने वाले सभी संभव दुष्प्रभावों को विचार में ले लिया है और यह गोईंग कर्न्सन को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करेगा तथा उसकी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, आमूर्त आस्तियों और अन्य आस्तियों के शुद्ध वसूलनीय मूल्य भी इससे प्रभावित नहीं होंगे।

तथापि, इन लाकडाउनों के भारत के सकल आर्थिक क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऊपर उल्लिखित वित्तीय विवरण शीर्षों के संबंध में कोविड-19 के प्रभाव का निर्धारण, उसकी प्रकृति और अवधि से संबंधित अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के अध्यधीन है। और तदनुसार, भविष्य में वास्तविक प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख को प्राक्कलित किए गए प्रभाव से भिन्न हो सकता है। आईसीएआई भावी आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले किन्हीं सारवान परिवर्तनों और उसके वित्तीय परिणामों पर पड़ने वाले उसके पारिणामिक प्रभाव की सतत रूप से मानीटरी करेगा।

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

## वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

**लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन**

**25.कर्मचारी फायदे**

**परिभाषित अभिदाय योजनाएं**

संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 676.50 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 858.14 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है।

संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं

| | |
|---|---|
| उपदान | वित्तपोषित |
| सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन | गैर-वित्तपोषित |
| क्षतिपूरित अनुपस्थिति | गैर-वित्तपोषित |

**25.1 उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं**

(रुपए लाख में)

| | वर्णन | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान** | | | | |
| | क. वर्ष के आरंभ में बाध्यता | **3,905** | 3,298 | 2,510 | 2,358 |
| | ख. चालू सेवा लागत | **279** | 266 | 1,102 | 202 |
| | ग. ब्याज लागत | **272** | 239 | 176 | 166 |
| | घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि | **208** | 442 | (204) | 44 |
| | ङ. संदत्त फायदे | **(661)** | (340) | (286) | (260) |
| | च. वर्ष के अंत में बाध्यता | **4,003** | 3,905 | 3,298 | 2,510 |
| **2.** | **योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन** | | | | |
| | क. वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य | **3,513** | 2,277 | 2,325 | 2,292 |
| | ख. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय | **303** | 188 | 165 | 183 |
| | ग. बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि) | **(57)** | 4 | 6 | 2 |
| | घ. संस्थान द्वारा किया गया अभिदाय | **961** | 1,045 | 84 | 132 |
| | ङ. संदत्त फायदे | **(549)** | (1) | (303) | (284) |
| | च. वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य | **4,171** | 3,513 | 2,277 | 2,325 |
| **3.** | **योजना, आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान** | | | | |
| | क. बाध्यताओं का विद्यमान मूल्य | **4,003** | 3,905 | 3,298 | 2,510 |
| | ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य | **4,171** | 3,513 | 2,277 | 2,325 |
| | ग. तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम | **168** | (392) | (1,021) | (185) |
| | वर्णन | **2019-20** | **2018-19** | **2017-18** | **2016-17** |
| **4.** | **वर्ष के दौरान माने गए व्यय** | | | | |
| | क. चालू सेवा लागत | **279** | 266 | 1,102 | 202 |
| | ख. ब्याज लागत | **272** | 239 | 176 | 166 |
| | ग. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय | **(303)** | (188) | (165) | (183) |
| | घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि | **265** | 438 | (210) | 42 |
| | ङ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय | **513** | 755 | 903 | 227 |
| **5.** | **निवेशों के ब्यौरे** | **निवेश का %** | निवेश का % | निवेश का % | निवेश का % |
| | क. अन्य – भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधियां | **100** | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **पूर्वानुमान** | | | | |
| | क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष) | **6.75%** | 7.62% | 7.65% | 7.45% |
| | ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष) | **7.62%** | 7.65% | 7.45% | 7.45% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ग. वेतन में वृद्धि की दर | **मूल 3% : डीए 6%** | मूल 3% : डीए 6% | मूल 3% : डीए 6% | मूल 3% : डीए 6% |
| | घ. संनिघर्षण दर | **2%** | 2% | 2% | 5% |
| | ङ नश्वरता सूची | **आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा** | आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा | आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा | आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा |

**25.2 सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन योजनाओं के ब्यौरे**

| | **वर्णन** | **2019-20** | **2018-19** | **2017-18** | **2016-17** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान | | | | |
| | क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता | **12,363** | 11,890 | 11,115 | 5,086 |
| | ख. ब्याज लागत | **920** | 874 | 813 | 357 |
| | ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि | **2,085** | 79 | 378 | 6,063 |
| | घ. संदत्त फायदे | **(528)** | (480) | (416) | (391) |
| | ङ वर्ष के अंत में बाध्यताएं | **14,840** | 12,363 | 11,890 | 11,115 |
| **2.** | **योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान** | | | | |
| | क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य | **14,840** | 12,363 | 11,890 | 11,115 |
| | ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकम | **(14,840)** | (12,363) | (11,890) | (11,115) |
| | वर्णन | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
| **3.** | **वर्ष के दौरान माने गए व्यय** | | | | |
| | क. ब्याज लागत | **920** | 874 | 813 | 357 |
| | ख. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि | **2,085** | 79 | 378 | 6,063 |
| | ग. वर्ष के दौरान माने गए व्यय | **3,005** | 953 | 1,191 | 6,420 |
| **4.** | **पूर्वानुमान** | | | | |
| | क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष) | **6.75%** | 7.60% | 7.50% | 7.30% |
| | ख. नश्वरता सूची | एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा | एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा | एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा | एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा |

**25.3 कर्मचारी फायदे (जारी....)**

**छुट्टी नकदीकरण के ब्यौरे**

| **1.** | **बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान** | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| | क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता | **5,104** | 4,137 | 3,873 | 3,468 |
| | ख. चालू सेवा लागत | **410** | 221 | 182 | 399 |
| | ग. ब्याज लागत | **374** | 301 | 274 | 227 |
| | घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि | **39** | 851 | 188 | 127 |
| | ङ संदत्त फायदे | **(392)** | (406) | (380) | (348) |
| | च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं | **5,535** | 5,104 | 4,137 | 3,873 |
| **2.** | **योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान** | | | | |
| | क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य | **5,535** | 5,104 | 4,137 | 3,873 |
| | ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकमें | **(5,535)** | (5,104) | (4,137) | (3,873) |
| **3.** | **वर्ष के दौरान माने गए व्यय** | | | | |
| | क. चालू सेवा लागत | **410** | 221 | 182 | 399 |
| | ख. ब्याज लागत | **374** | 301 | 274 | 227 |
| | ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि | **39** | 851 | 188 | 127 |
| | घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय | **823** | 1,373 | 644 | 753 |

**भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान**
**वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण**

**छुट्टी नकदीकरण के ब्यौरे (जारी.....)**

(रुपए लाख में)

| | वर्णन | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | **पूर्वानुमान** | | | | |
| | क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष) | **6.75%** | 7.62% | 7.65% | 7.45% |
| | ख. वेतन में वृद्धि की दर | **मूल 3% : डीए 6%** | मूल 3% : डीए 6% | मूल 3% : डीए 6% | मूल 3% : डीए 6% |
| | ग. संनिघर्षण दर | **2%** | 2% | 2% | 5% |
| | घ. नश्वरता सूची | **आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा** | आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा | आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा | आईएएल 2006-08 अंततोगत्वा |

26. खंड रिपोर्टिंग

संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के विनियमन" तक सीमित हैं और यह मुख्यत: भारत में प्रचालन करता है। अत:, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस) - 17 खंड रिपोर्टिंग के अर्थांतगर्त एकल खंड के अंतर्गत आते हैं।

27. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के तत्समान बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, पुन: समूहित/पुन: वर्गीकृत किया गया है।

| ह./- | ह./- | ह./- | ह./- |
|---|---|---|---|
| सीए. सुदीप श्रीवास्तव | राकेश सहगल | सीए. निहार एन. जम्बुसरिया | सीए. अतुल कुमार गुप्ता |
| संयुक्त सचिव | कार्यकारी सचिव | उपाध्यक्ष | अध्यक्ष |

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 109574W

ह/-
सीए. राजीव बंसल
भागीदार, सदस्यता सं. 088598

कृते रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह/-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002

नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2020

राकेश सहगल, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./266/2020-21]

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

**(Set up by an Act of Parliament)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2020

**No. 1-CA(5)/71/2020.**—In pursuance of sub-Section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the audited accounts and the Report of Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the year ended 31st March 2020 is hereby published for general information.

## 71st Annual Report

The Council of ICAI takes immense pleasure in presenting its 71st Annual Report for the year ended 31st March 2020. Since the inception of the Institute on 1st July 1949 by an Act of Parliament, the Chartered Accountancy profession has grown tremendously. Founded with about 1,700 members, the Institute has 307238 members as on 31st March, 2020. The Report highlights the important activities of the Council and its various Committees during the year 2019-2020, besides the accounts of the Institute for the year ended on 31st March 2020. The Council also takes this opportunity to submit in this Report major initiatives, important events, statistical data relating to members, students, details of seminars, conference, workshop, training programmes organised during the period upto early July 2020. The Council acclaims its members and students for the respect which the Chartered Accountancy profession commands today in the society. This has been achieved through excellence, independence and integrity displayed by the members and students all along.

### 1. THE COUNCIL

The twenty-fourth Council was constituted on 12th February 2019 for a period of three years. It comprises of 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government. Composition of the 24th Council is shown separately.

### 2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949 constituted; on 12th February 2020; various Standing and Non-Standing Committees/Boards and Groups to deal with the matters concerning the profession of Chartered Accountancy. During the year ended 31st March 2020, 281 meetings of various Standing and Non-Standing Committees / Boards and Groups of the Council were held.

### 3. AUDITORS

M/s Ravi Rajan & Co LLP & M/s Shah Gupta & Co. were the joint auditors of ICAI for the financial year 2019-20.

### 4. STANDING COMMITTEE

#### 4.1 Executive Committee

Executive Committee is one of the Standing Committees of the Council of ICAI. The functions of this Committee have been prescribed under the Regulation 175 of Chartered Accountants Regulations, 1988. Some of these functions are relating to articled and audit assistants and enrolment, removal, restoration of members from the Register, cancellation of certificate of practice, permission to engage in any other business or occupation other than profession of accountancy. Executive Committee is also the custodian of the property, assets and funds of the Institute beside maintenance of the Institute's offices.

#### 4.2 Finance Committee

Finance Committee introduced vide the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006, controls, implements and supervises, inter alia, the activities related with and incidental to maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both revenue and capital.

#### 4.3 Examination Committee

Examination Committee performs all functions of the Council relating to examinations. The Committee conducted the Chartered Accountants Foundation, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (existing and Revised) Examinations smoothly all over the Country and abroad. Details of the examinations conducted during the period under report are given below:

***May 2019 Examinations***-The Chartered Accountants Foundation, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (Old and New) Examinations were smoothly conducted all over the country and abroad in 479 centres from 2nd May to 17th May, 2019. The total numbers of candidates, who appeared in the said Foundation, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (Old and New) and passed, were as follows:

| | Appeared and Passed Group I only | | Appeared and Passed Group II only | | Appeared and Passed Both Groups/ Either of the Groups | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Appeared** | **Passed** | **Appeared** | **Passed** | **Appeared** | **Passed** |
| **Intermediate (IPC)** | 45857 | 6716 | 73091 | 15932 | 17061 | 324 |
| **Intermediate** | 51755 | 9153 | 41350 | 13109 | 25794 | 4413 |
| **Final (Old)** | 25022 | 4610 | 36945 | 8762 | 15560 | 1187 (Both Groups)<br>2729 (Either of the Group) |
| **Final (New)** | 8894 | 1500 | 6529 | 1146 | 11092 | 2313 (Both Groups)<br>2101 (Either of the Group) |

***November 2019 Examinations***-The Chartered Accountants Foundation, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (Old and New) were smoothly conducted all over the country and abroad in 504 centres from 1st to 18th November, 2019. The total numbers of candidates, who appeared in the said Foundation, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (Existing and Revised) and passed, were as follows:

| | Appeared and Passed Group I only | | Appeared and Passed Group II only | | Appeared and Passed Both Groups/ Either of the Groups | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Appeared** | **Passed** | **Appeared** | **Passed** | **Appeared** | **Passed** |
| **Intermediate (IPC)** | 30571 | 3695 | 54489 | 10952 | 10678 | 164 |
| **Intermediate** | 69886 | 15719 | 45449 | 8122 | 31856 | 4578 |
| **Final (Old)** | 27409 | 7384 | 37589 | 8679 | 8021 | 817 |
| **Final (New)** | 27861 | 4830 | 26972 | 7593 | 15003 | 2268 |

| | **Appeared** | **Passed** |
|---|---|---|
| **Foundation Examination, May 2019** | 30971 | 5753 |
| **Foundation Examination, November 2019** | 87084 | 30563 |

Besides the above, the Common Proficiency Test [CPT] was held successfully on June 16th, 2019 across the country and abroad at 250 examination centres respectively. The total numbers of candidates who appeared and passed in the CPT are as under:

| | **Appeared** | **Passed** |
|---|---|---|
| **CPT held on June 16th, 2019** | 20303 | 5764 |

During the year, Post Qualification Course in Information Systems Audit – Assessment Test (ISA –AT) was held successfully on June 29th, 2019 all over the country in 63 Examination centres. Another Information Systems Audit – Assessment Test was held successfully on December 28th, 2019 all over the country in 66 examination centres.

The total numbers of candidates, who appeared in these examinations and passed, were as follows:

| | **Appeared** | **Passed** |
|---|---|---|
| **ISA – AT held on June 29th, 2019** | 3215 | 1038 |
| **ISA – AT held on December 28th, 2019** | 2785 | 1122 |

Insurance and Risk Management Technical Examination was held successfully in November, 2019 all over the country. The total numbers of candidates, who appeared in these examinations and passed, were as follows:

| | Appeared | Passed |
|---|---|---|
| **IRM – Technical Examination, Nov. 2019** | 49 | 21 |

International Taxation-Assessment Test (INTT-AT) for members was held successfully in May and November, 2019. The total numbers of candidates, who appeared and passed in this examination, were as follows:

| | Appeared | Passed |
|---|---|---|
| **INTT – AT held in May, 2019** | 297 | 76 |
| **INTT – AT held in November, 2019** | 185 | 44 |

The examinations of Post Qualification Courses in Management Accountancy Course (MAC) (Part-1), Corporate Management Course (CMC) (Part-1), Tax Management Course (TMC) (Part-1), and International Trade Laws and World Trade Organization (ITL & WTO) (Part-1), were also conducted in November, 2019.

During the year Advanced ICITSS were successfully conducted as per details given below:

| Date of Test | No. of Cities | No. of Exam Centres | No. of Students |
|---|---|---|---|
| 03.03.2019 | 89 | 112 | 10105 |
| 27.04.2019 | 102 | 122 | 11030 |
| 17.05.2019 | 67 | 71 | 3570 |
| 28.07.2019 | 90 | 103 | 8656 |
| 01.09.2019 | 89 | 98 | 7300 |
| 06.10.2019 | 73 | 79 | 4277 |
| 20.10.2019 | 68 | 71 | 2705 |
| 05.01.2020 | 102 | 125 | 10737 |
| 16.02.2020 | 101 | 121 | 9568 |

The Institute has continuously been improving its Examination Process right from the question paper setting stage upto declaration of results so that the integrity and sanctity of the examination system which is well known for around seven decades, are maintained and further strengthened and developed.

The Institute's examinations test the conceptual understanding as well as practical application of each of the topics covered in the CA curriculum so that the students could meet the expectations of the stakeholders of the profession. By focusing on analytical abilities of the students and by avoiding predictability of questions, Institute's examinations continue to ensure that those qualifying are well groomed professionals.

**Special Examination:** Arising out of the Mutual Recognition Agreement / Memorandum of Understanding entered with the foreign professional accounting body, the Special Examination for the members of The Institute of Certified Public Accountants in Australia (CPA Australia) desirous of membership of ICAI were successfully conducted from June 17th to 20th, 2019 in New Delhi.

**Web-Interface on Students Exam Life Cycle Management:-**

ICAI embarked on an integrated web-interface called Student Exam Life Cycle Management Project, wherin CA students using a single user ID and password, can access various examination related services, including application for duplicate marksheets / pass certificates/transcripts, change of centre/medium/group, downloading admit cards, checking results, and applying for verification/seeking certified copies of answer books post result etc. from exam to exam.

**New Examination Centres:-** With a view to facilitate students to appear in the examination centres as nearer to their place of residence/ articled training as possible, new examination Centres were opened as follows:

*New examination centres for CA Foundation, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (Old and New) opened:*

*With effect from November 2019 examination onwards*: examination centres were opened at Darbhanga (Bihar), Davangere (Karnataka), Bahadurgarh (Haryana), Bulandshahr (Uttar Pradesh), Dibrugarh (Assam), Jharsuguda (Odisha), Kadapa (Andhra Pradesh), Kancheepuram (Tamil Nadu), Kurukshetra (Haryana) and Raniganj (West Bengal),

Further, examination centres at Ambikapur (Chhattisgarh), Raigarh (Chhattisgarh), Balotra (Rajasthan) and Kalaburgi (Gulbarga) (Karnataka) were opened for Foundation Examinations only.

**4.4 Disciplinary Directorate**

The Disciplinary Directorate, the regulatory wing of ICAI, has been established to investigate into matters of Professional and/or Other Misconduct alleged against members, received either in the form of a "Formal Complaint in Form I" or through the "Information" route as provided under the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases), Rules, 2007.

Under the disciplinary mechanism, a mandatory duty has been cast upon the Disciplinary Directorate of ICAI to look into any alleged lapses/irregularities committed by its members across the country so as to lay down a strong foundation of credibility to the future members joining the profession. While, most of the members of the profession are providing selfless dedicated services through their professional expertise and experience to the society and world at large, yet through its robust Disciplinary mechanism there is a constant need to caution and to correct the negligible few who inadvertently fall on the wrong side of the law.

In terms of the amendments made in the Chartered Accountants Act, 1949 in the year 2006, the disciplinary mechanism of ICAI underwent certain important and path-breaking changes in the provisions of procedures for conduct of disciplinary cases so as to speeden up the process of disposal of disciplinary cases. Accordingly, as on date, the disciplinary mechanism functions through its two quasi-judicial arms constituted as per the provisions of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 namely (i) Board of Discipline (under Section 21A) and (ii) Disciplinary Committee (under Section 21B).

The disciplinary mechanism and the processes involved are designed in such a manner which ensures transparency and thereby, enhances the confidence of the stakeholders and the public at large and at the same time give fair and equitable justice to the members charged with allegations of Professional and/or Other Misconduct.

During the current Council year 2020 - 2021, a new bench of the Disciplinary Committee has been constituted and thus with the four Benches of the Disciplinary Committee i.e. Bench I, Bench II, Bench III and Bench IV and the Board of Discipline, it is expected to have an expeditious disposal of cases under enquiry apart from the consideration of the Prima Facie Opinion formed by the Director (Discipline). In addition, the Disciplinary Committee under Section 21D headed by the President, ICAI has also been constituted to look into any residual old cases that are/may be referred back by the Council.

The amendments relating to appearance of the parties/witnesses through video conferencing before the Disciplinary Committee/Board of Discipline have already been made in the Chartered Accountants (Procedures of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007. Thereafter, the meetings of Board of Discipline and Benches of Disciplinary Committee have been held through video conferencing apart from the physical meetings.

**(I)Salient initiatives/achievements during the current year:**

- Constitution of an additional bench of the Disciplinary Committee under Section 21B of the Chartered Accountants Act 1949 with a view to sustain the process of expeditious disposal of cases under enquiry and consideration of the Prima Facie Opinions formed by the Director (Discipline).Further, the nomination of Shri Arun Kumar, IAS (Retd.) and Ms. Nita Chowdhury, IAS (Retd.) as Government Nominee to the Disciplinary Committee (Bench IV) for the term of three years of 24$^{th}$ Council or till further Orders, whichever is earlier; has also been received.
- Initiation of E-hearings; resulting in saving the time and energies of the members of the Board of Discipline/ Disciplinary Committee besides being economical. Out of the total 12 meetings of the Disciplinary Committee held till 30$^{th}$ June 2020 during current council year i.e., 2020-21, 11 have been held through Video Conferencing. Now, members of the Committees will not have to travel to different places for hearing. Parties to the cases will also have an option to attend Board of Discipline (BOD)/Disciplinary Committee (DC) hearing through Video Conferencing to be held at respective Regional Offices.

- Hosting of the details of disciplinary cases decided by the Board of Discipline/Disciplinary Committee as well as the cause list of cases on the website of the ICAI so as to create more awareness among various stakeholders.
- A separate web portal for the Disciplinary Directorate has been developed and made live with all relevant information at one place.
- Initiation of online training of the staff of the Disciplinary Directorate on technical and legal matters to keep them abreast with the latest development in the area.
- Online mode of filing Complaints is now available on the official website of ICAI i.e. www.icai.org as well as on separate portal of Disciplinary Directorate for which the link is https://disc.icai.org/
- Efforts are being made for automation of certain operations of Disciplinary Directorate of the Institute.

**(II) Board of Discipline (under Section 21A) of the Chartered Accountants Act, 1949**

The Board of Discipline has been constituted by the Council of ICAI under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of professional and other misconduct by members falling under First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 and/or cases wherein the members are held prima facie NOT guilty of any misconduct by Director (Discipline).

During the year under review, the Board of Discipline held 36 meetings at various places across the country including meetings through video conference. In these meetings, the Board concluded its enquiry in 119 cases, including cases which had been referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Board of Discipline is given below :

**Board of Discipline (under Section 21A)–Period from 1st April, 2019 to 30th June, 2020**

| Sl. No. | Particulars | No. of cases |
|---|---|---|
| a) | No. of meetings of the Board of Discipline held during the aforesaid period | 36 |
| b) | Number of Complaint/Information cases considered by the Board of Discipline (under Section 21A) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed.* | 244 |
| c) | Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years). | 119 |
| d) | Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years. | 56 |

**including cases dealt with under Rule 6/12 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of cases) Rule, 2007.*

**(III) Disciplinary Committee (under Section 21B) of the Chartered Accountants Act, 1949**

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of ICAI under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of professional misconduct by members which fall within the purview of Second Schedule or both First and Second Schedules to the Chartered Accountants Act, 1949.

During the year under review, Disciplinary Committee held 55 meetings at venues in different parts across the country including meetings through video conference. During the course of the aforesaid meetings, the Committee concluded its enquiry in 300 cases, which included cases referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Disciplinary Committee is given below:

**Disciplinary Committee (under Section 21B) – Period from 1st April, 2019 to 30th June, 2020**

| Sl. No. | Particulars | No. of cases |
|---|---|---|
| a) | No. of meetings of the Disciplinary Committee held during the aforesaid period | 54 |
| b) | Number of Complaint/Information cases considered by the Disciplinary Committee (under Section 21B) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed. | 288 |

| | | |
|---|---|---|
| c) | Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Disciplinary Committee* (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years).<br>**including cases which have been referred* | 300 |
| d) | Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Disciplinary Committee* (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years.<br>**including cases which have been referred* | 78 |

**(IV) Disciplinary Committee under Section (21D)**

The Disciplinary Committee functioning under the provisions of Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949 conducts enquiry and submits its report to the Council in respect of residual cases pending prior to the amendments made in the aforesaid Act in 2006. Since all the residual cases were already heard and concluded by the Disciplinary Committee in 2018, during the year under review, no meeting of this Committee was held.

**Cases dealt with under the Old Disciplinary Mechanism [Section 21(D)]**

Statistics of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1st April, 2019 to 30th June, 2020 is given below.

| Sl. No. | Particulars | No. of cases |
|---|---|---|
| 1. | (i) Number of cases concluded by the Disciplinary Committee during the above period<br>(ii) Meetings of the Disciplinary Committee under Section 21D held during the aforesaid period | Nil<br>Nil |
| 2. | Number of reports of Disciplinary Committee considered by the Council (including reports of those cases in which hearings were concluded by the Disciplinary Committee during the earlier years). | 6* |
| 3. | Out of the above | |
| | a) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule for affording an opportunity of hearing before the Council before passing an order under Section 21(4) of the Chartered Accountants Act, 1949. | Nil |
| | b) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the Second Schedule and/or other misconduct to be referred to High Courts under Section 21(5) of the Chartered Accountants Act, 1949. | 3 |
| | c) Number of cases in which Respondents have been found guilty under the First Schedule and the Second Schedule/other misconduct | Nil |
| | d) Number of cases referred back to the Disciplinary Committee for further enquiry. | Nil |
| | e) Number of cases in which Respondents have been found not guilty of any misconduct. | 3 |
| 4. | Number of cases in which Orders passed under Section 21(4) in respect of the Respondents who were found guilty under the First Schedule. | Nil |
| 5. | Number of cases disposed of by the High Court under Section 21(6) | 1 |

*Including a combined report in case of two Respondents.

## 5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

### 5.1 Accounting Standards Board (ASB)

The Accounting Standards Board (ASB) was constituted by the ICAI in 1977 with a view to formulate Accounting Standards to provide a sound, reliable and high-quality accounting and financial reporting system and to harmonise the diverse accounting policies and practices in India. The ASB, since its

inception, has been constantly working in this direction by formulating new Accounting Standards as well as revising the existing Accounting Standards from time to time with the objective to bring the Standards in line with the International Accounting Standards (IAS)/ International Financial Reporting Standards (IFRS), as issued by the International Accounting Standards Board (IASB). The ASB with a view to provide guidance on the uniform applications of the Accounting Standards in increasingly complex business environment, also issues various guidance material from time to time.

The following are the major activities initiated/completed by the Accounting Standards Board during the year under Report:

**(I)Upgrading Financial Reporting Standards:**

*Amendments / New Ind AS*

- In order to remain converged with IFRS Standards issued by IASB, following amendments in Ind AS have been submitted to Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India for notification under section 133 of the Companies Act, 2013:
  - Definition of Business Amendment to Ind AS 103, *Business Combinations*
  - Definition of Material: Amendments to Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements* and Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*
  - Interest Rate Benchmark Reform (IBOR): Amendments to Ind AS 109, *Financial Instruments,* and Ind AS 107, *Financial Instruments: Disclosures*
  - Covid-19 Related-Rent Concessions: Amendments to Ind AS 116, *Leases.*

  The above amendments are yet to be notified by the MCA.
- Conceptual Framework under Ind AS corresponding to Conceptual Framework issued by IASB has been issued which is applicable for standard setting activities from April 1, 2020.

*Continued its efforts to revise the existing Accounting Standards to bring them nearer to Ind ASs and in this regard following developments on* Exposure Drafts of revised Accounting Standards issued by the ASB *took place:*

- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 34, *Interim Financial Reporting*
- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 17, *Leases*
- Exposure Draft of Accounting Standard (AS) 41, *Agriculture*

**(II) COVID-19 Disruptions ICAI Accounting and Auditing Advisory**

- *Advisory titled "Impact of Corona Virus on Financial Reporting and the Auditors Consideration*: To guide the preparers and auditors in the challenging economic and operating environment caused by COVID-19 global pandemic, a comprehensive Advisory titled "Impact of Corona Virus on Financial Reporting and the Auditors Consideration" highlighting few important areas of Ind ASs and ASs issued by the Accounting Standards Board jointly with Auditing & Assurance Standards Board.
- *Addendum to Accounting and Auditing Advisory "Impact of Coronavirus on Financial Reporting and the Auditors Consideration" issued in April 2020* - An Addendum to Accounting and Auditing Advisory issued to provide additional guidance in relation to estimation of impairment loss for financial instruments under Expected Credit Loss approach. The guidance is also given on considerations to be made in respect of loan moratorium. The guidance has been developed on the basis of IFRS 9 ECL advisory issued by the International Accounting Standards Board (IASB).
- *Frequently Asked Questions (FAQs) on India Accounting Standards (Ind AS) issued in May 2020* – FAQs containing 49 questions issued to provide application guidance in certain areas of accounting in the context of contraction in economic activity, disruptions in financial markets and a series of actions by government, monetary and prudential authorities. The guidance offered in the FAQs is applicable for financial year ending March 31, 2020. A weblink at ASB webpage on ICAI website created specifically dedicated to cover the Accounting Guidance on COVID-19.
- *Webcasts conducted* - Three webcasts were conducted on COVID-19, its Impact on Financial Statements on March 30, 2020 and Panel Discussion of Accounting and Auditing Issues on Coronavirus (COVID-19).

**(III) Ind AS Implementation Support**

- Following Guidance Note/ FAQs/Announcement issued:

  'FAQ on 'Presentation of Dividend and Dividend Distribution Tax'(Revised September, 2019)

- *Online Certificate Course on Ind AS* **-** Due to the outbreak of unprecedented global pandemic viz. COVID-19 and its devastating effects, Virtual or Online Courses became the need of the hour. ASB announced Ind AS Online Course in April 2020. The launch of the above online course received unprecedented overwhelming response and 12 batches of the said course were held simultaneously wherein around 1200 members were being trained till June 2020.

**(IV)International initiatives: Forging long lasting partnership**

*Comments submitted on the following Exposure Drafts/Discussion Papers issued by the International Accounting Standards Board (IASB) were submitted to the IASB:*

- Exposure Draft on Disclosure of Accounting Policies (Proposed amendments to IAS 1 and IFRS Practice Statement 2)
- Exposure Draft on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction (Proposed amendments to IAS 12)
- Exposure Draft on Amendments to IFRS 17, Insurance Contracts
- Exposure Draft on Reference to the Conceptual Framework (Proposed amendments to IFRS 3)
- Exposure Draft on Rate Benchmark Reform – Phase I (Proposed amendments to IFRS 9 and IAS 39)
- Exposure Draft on Annual Improvements to IFRS Standards 2018–2020
- Exposure Draft on Definition of 'Material'- Proposed amendments to IAS 1 and IAS 8
- Exposure Draft on Accounting Policies and Accounting Estimates- Proposed amendments to IAS 8
- Exposure Draft on Interest Rate Benchmark Reform -Phase II (Proposed amendment to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16)
- Exposure Draft on Covid-19 Rent Related Concession (Proposed amendment to IFRS 16)
- Tentative Agenda Decisions (TAD) issued by the IFRS Interpretations Committee:

*Interaction with International Bodies*

- International Events
  - Building global partnerships for mutual benefits: Asian-Oceanian Standards Setting Group (AOSSG) is a key consultative body/forum of International Accounting Standards Board (IASB) of IFRS Foundation. The ICAI, represented by CA. Dr. S. B. Zaware, Vice-Chair, AOSSG, took-over as Chair, AOSSG, for a period of two years commencing November 2019 to November 2021. ICAI hosted 11$^{th}$ Annual AOSSG Meeting on November 11-13, 2019 at Goa, India. The 11$^{th}$ Annual AOSSG meeting was inaugurated by the Goa Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. The three-day international meeting had also seen the presence of Ms. Sue Lloyd, Vice Chairperson, International Accounting Standards Board (IASB), key delegates of the IASB, Board members and representatives from 27- member countries including India, China, Sri Lanka, Australia, Korea, Hong-kong amongst others. A Survey conducted on IFRS 16/Ind AS 116 amongst AOSSG members and Indian Stakeholders and its findings were presented in the 11$^{th}$ Annual AOSSG meeting.
  - ICAI had organised two outreach events at Delhi and Mumbai. Shri Vinod Rai, Former C&AG and Trustee, IFRS Foundation, addressed the Outreach event at Delhi; and meetings with various Regulators i.e. Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of India, State Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Insurance Regulatory and Development of India and Securities and Exchange Board of India, were organised for Vice-Chairperson, IASB.

- Important International Meetings/Conclaves

ASB continued its contribution and collaboration with International Accounting Standards Board for developing high quality global accounting standards. ICAI representatives participated/submitted technical papers in the meetings of various international forum, viz. World Standards-Setters (WSS), Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG), Emerging Economies Group (EEG) and International Forum of Accounting Standards Setters (IFASS) as follows:

- Emerging Economies Group (EEG) & International Forum of Accounting Standards Setters (IFASS) –ICAI had sent the papers on following two topics for discussion:

  IAS 20: Government Grants Receivables-

  Finance Costs - IAS 1, IFRS 7 & IAS 23.

- Meeting of Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) of IFRS Foundation - CA. (Dr.) S. B. Zaware, Past Council Member and Vice-Chair, AOSSG, as an official Representative of AOSSG, attended the quarterly ASAF meeting held on 1-2 April 2019 at London.
- IFRS Advisory Council (IFRS AC)-CA. M P Vijay Kumar, Chairman, ASB, appointed as representative of South Asian Federation of Accountants on IFRS Advisory Council of IFRS Foundation, has attended the meeting of Advisory Council in March, 2019. He also chaired one of the Breakout session on disclosure of sensitive information.

- *International Appointment/Election*

  - CA. M.P. Vijay Kumar, Chairman, ASB, has been appointed as a member of SME Implementation Group, an Advisory body to the IASB on the IFRS for SMEs Standard for a three year term starting on 1st July 2020.

**(V) Building robust relationship with Regulatory Bodies:**

Submitted views on the accounting issues referred by various Regulators and, wherever felt appropriate, various accounting issues were taken up with the relevant Regulators, e.g.,

- Ministry of Corporate Affairs :
  - On request of MCA, ASB drafted new Rules under Companies Act, 2013 mirroring existing Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, and recommended the same to NFRA.
  - At the meeting of Core Group of Ministry of Corporate Affairs - Ind AS implementation held on April 24, 2019, at New Delhi, presentations were made on:
    - Ind AS implementation to Indian Financial Sectors- Banking Sector and Insurance Sector.
    - IFRS 9 - *Financial Instruments* - Implementation by Global Banks
    - Ind AS Implementation by Non-Banking Finance Companies (NBFCs)
- Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDAI) :
  - A meeting was held on November 28, 2019, at Mumbai with PSUs of Insurance Sector to discuss the level of preparedness of the insurers and their unique and specific issues which will have to be dealt with to be able to implement Ind AS early, independent of the implementation date of Ind AS 117, including the possibility of adopting other Ind ASs along with Ind AS 104, Insurance contracts. This meeting was attended by Chairman, ASB, Secretary, ASB, senior officials of IRDAI, Life Insurance Corporation of India, New India Assurance Co. Ltd, ECGC Ltd., United India Insurance Co. Ltd, Oriental Insurance Co. Ltd, National Insurance Co. Ltd and General Insurance Corporation of India.
- Reserve Bank of India:
  - A dedicated Study Group has been constituted by ASB to consider various issues forwarded by the RBI to ICAI with regard to the implementation of Ind AS in Banking Sectors.
- Various letters received from Regulators, such as, were Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Securities and Exchange Board of India (SEBI) etc., with regard to issues on accounting aspects, were replied during the period.

**(VI) Outreach Events, Conferences, Workshops, Training courses etc. conducted**

- To participate effectively in the standard-setting activities internationally, outreach events including virtual were organised on proposed amendments to IFRS 17, Insurance Contracts, on Extractive Activities- Accounting and Reporting Issues, Better Communication in Financial Reporting at Mumbai and Goa to obtain views of various stakeholders on certain consultative documents issued by the IASB:
- To refresh and enrich the knowledge of the members on the Accounting Standards for their critical and fundamental role of accountancy professionals, Seminar/Webinar/Course were organised on *Overview and Commonly Observed Non-compliance,* Accounting Standards and *Commonly Observed Errors in Application of Accounting Standards at Delhi during the year.*

**(VII) Other Initiatives:**

- *Releases of Technical publications- During the period, total 8 publications were issued:*
  - Accounting Standards Quick Referencer as on April 1, 2019
  - Compendium of Accounting Standards as on July 1, 2019
  - E-version of Compendium of Indian Accounting Standards (Ind AS) as on April 1, 2019 and related Guidance Material.
  - 'IFRS 9, Financial Instruments, A study- Transition Impact on Banks across the Globe'
  - Technical Guide on Accounting Treatment of Bullion (Gold) Borrowing and Lending Transactions
  - Indian Accounting Standards (Ind AS): Disclosure Checklist (For Accounting year 2018-19 - Revised May 2019)
  - Indian Accounting Standards (Ind AS) : Disclosures Checklist' (Revised February, 2020)
  - Accounting Standards (AS): Disclosure Checklist (Revised February, 2020)
- *Digital Learning Hub*: All the Publications of the ASB have been uploaded on Digital learning Hub which can be accessed anywhere, anytime to provide continuous learning for different stakeholders. Also, video lectures on Accounting Standards have been hosted on this Digital platform for the benefits of stakeholders.

During the Council Year 2020-21, activities conducted by the Ind AS Implementation Committee have been entrusted to the Accounting Standards Board. For the period 1.4.2019 to 11.02.2020, the activities of Ind AS Implementation Committee were as follows:-

**(I) Certificate Course on Ind AS/IFRS**

A Certificate course on Ind AS of 12 days, held on weekends is being organised for educating members about Ind AS. During the year, 15 batches of Certificate Course on Ind AS have been organised in India in which around 625 participants have been successfully trained and 2 batches of Certificate Course on IFRS have been organised in Abroad (1 batch conducted at Abu Dhabi and 1 batch at Dubai).

**(II) Ind AS Technical Facilitation Group (ITFG) Clarification Bulletins**

During the year, five (5) Ind AS Technical Facilitation Group (ITFG) Clarification Bulletins (Bulletin No. 19 to 23) were issued covering 30 issues for providing clarifications on timely basis on various issues related to the applicability and /or implementation of Ind AS. The Group had issued 23 clarification bulletins covering 162 issues till date.

**(III) Educational Material on Ind AS**

Educational Materials on following Ind AS have been issued by the Committee during the year:

- Educational Material covering Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*
- Educational Material covering Ind AS 20, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*
- Educational Material on Ind AS 116, *Leases*

**(IV) Seminars, Conferences, Workshops, Training courses etc. conducted**

Technical support provided in the training programmes on Ind AS organised by the officials of regulatory bodies such as Reserve Bank of India (RBI), Comptroller & Auditor General of India, (C&AG).

- Seminars on Ind AS were organized at New Delhi, Udaipur and Rajasthan wherein around 341 participants attended the said programme.

### 5.2 Sustainability Reporting Standards Board (SRSB)

Sustainability Reporting Standards Board (SRSB) has been constituted by the Institute in February, 2020, with the mission to formulate comprehensive, globally comparable and understandable standards for measuring and disclosing non-financial information about an entity's progress towards United Nations Sustainable Development Goals. The Board is focusing on developing strategy on ways Chartered Accountants can significantly contribute in achievement of the SDGs in the country which would lead to better decision making, better use of public resources, and enhanced public services.

The Board reviews the emerging trends globally and identifies areas in which Sustainability Accounting Standards and reporting matrices need to be developed. The Board would also interact with Government and Regulators to popularize use of these standards both for general purpose reporting and also in relation to any specific regulatory requirement. The Board will also identify and develop opportunities for Chartered Accountants in this emerging professional field of Sustainability Reporting.

The Board has taken up following initiatives –

- The Board organized Webinars on COVID 19 – Need for Strategic Focus on Sustainable Development Goals (SDGs) – Better Place to Live and Emerging Opportunities for Chartered Accountants in Sustainability Reporting during the year.
- Following initiatives are under progress -
    - Development of thought leadership research paper on Integrated Reporting in India to assess the current practices adopted by corporates in India for preparing Integrated Reports, and also to highlight issues and challenges faced in adoption.
    - Research on Role of Accountants in measuring and reporting contribution to United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) by public and private sector.
    - Launching courses on Business Responsibility Report (BRR) and Integrated Reporting for upgrading skill and competence of chartered accountants in the area of sustainability reporting.
    - Creating awareness on sustainability issues through videos and webinars for contributing towards a sustainable planet and green economy.
    - Brand building on accountants crucial role as an essential driver of strong and sustainable organizations, financial markets, and economies.
    - Research on developing accountants as key to creating and implementing systems that allow to measure and value nature in every business.

### 5.3 Auditing and Assurance Standards Board (AASB)

Audit plays an important role in serving and protecting the public interest by strengthening accountability and reinforcing trust and confidence in financial reporting. Audit helps enhancing the economic prosperity, expanding the variety, number and value of transactions that people enter into. However, in the recent years, due to growing complexity of business environment and business models and their geographical spread, the auditing profession is witnessing a quantum leap in the expectations from the various stakeholders.

The ICAI recognizes the pressing need to respond to these expectations proactively. The ICAI through its Auditing and Assurance Standards Board develops high quality standards on auditing, review, other assurance, quality control and related services. These Standards not only codify the best practices in audit, they also provide the benchmark against which the performance of the auditors can be measured. The Board also develops Guidance Notes on generic as well as industry specific issues in auditing, with the prime objective of providing guidance to the auditors. These documents, after a rigorous due process of the Board, are issued under the authority of the Council of the ICAI. The auditing standards issued by the ICAI are harmonized with the International Standards issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). The Board also formulates Technical Guides, Practice Manuals, Studies and Other Papers which are issued under its own authority for the guidance of the members. To provide

guidance to the members in the implementation of Standards on Auditing, the Board also brings out Implementation Guides to those Standards. The following is a comprehensive overview of important achievements of the Board till date:

**(I)Representations/ suggestions to Ministries, Regulators**

- The Board submitted a representation to RBI regarding interpretation of certain points related to RBI circular no. RBI/2019-20/186/DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/ 2019-20 dated March 27, 2020 w.r.t. COVID 19 – Regulatory Package.
- The Board submitted revised formats of Long Form Audit Report (LFAR) for banks and bank branches to RBI.
- The Board submitted ICAI recommendations on Revised Standards on Auditing (SAs) 800, 805 and 810 to NFRA.
- The Board submitted to SEBI, the ICAI Views on "Consultative Paper on policy proposals with respect to resignation of statutory auditors from listed entities" issued by SEBI.
- SEBI issued a Circular dated March 29, 2019 containing formats for limited review/ audit report of listed entities. The Board aligned the audit report formats given in the Circular with SA 700(Revised) and submitted to SEBI. Based on the same, SEBI issued a revised Circular dated July 19, 2019.

**(II) Publications issued**

The Board issued the following publications for benefit of the members at large:

- Guidance Note on the Companies (Auditor's Report) Order, 2020.
- Multiple Choice Questions (MCQs) on Engagement and Quality Control Standards.
- Guidance Note on Audit of Banks 2020 edition.
- Implementation Guide to SA 570(Revised), Going Concern.
- Implementation Guide to SA 720(Revised), The Auditor's Responsibilities Relating to Other Information.
- Background Material for Audit Training Workshops and Seminars 2019 edition.
- Ready Referencer on Engagement and Quality Control Standards.
- Practitioner's Guide to Audit of Small Entities (Revised 2020).

**(III) Other Technical Accomplishments**

- The Board issued auditing guidance on following aspects to help the members in conducting audits under the COVID–19 situation:
  - Going Concern – Key Consideration for Auditors amid COVID–19.
  - Physical Inventory Verification - Key Audit Considerations amid COVID-19.
  - Auditor's Reporting - Key Audit Considerations amid COVID-19.
  - Subsequent Events - Key Audit Considerations amid COVID-19.
- The Board jointly with the Accounting Standards Board issued an Advisory for the members "ICAI Accounting and Auditing Advisory - Impact of Coronavirus on Financial Reporting and the Auditors Consideration".
- The Board issued "Compendium of Auditing Guidance Issued by Auditing and Assurance Standards Board on Various Aspects amid COVID-19".
- The Board issued an Addendum to the Guidance Note on Audit of Banks 2020 edition to provide guidance to the members on the circulars issued by RBI on COVID 19 - Regulatory Package dated March 27, 2020 and COVID 19 Regulatory Package - Asset Classification and Provisioning dated April 17, 2020.
- The Board submitted its comments on "Discussion Paper on Audits of Less Complex Entities: Exploring Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISAs" issued by IAASB for public comments.

**(IV) Initiatives for the Members**

- The Board organized various seminars, workshops, and awareness programmes on auditing standards, bank audit and other auditing aspects for awareness and professional enhancement of the members. Programmes were held in Mumbai, Bhilai, Raipur, Pali, Jaipur, Palakkad, New Delhi, Belgaum, Chennai, Coimbatore and Kolkata during the year.
- The Board organized six webcasts/Webinars on COVID 19: Impact on audit processes, including observation of stock verification; audit of estimates; recoverability assessments; electronic audit evidence instead of original documents, etc, Capacity Building Measures of Practitioners with special focus on Bank Audit, Panel Discussion on Accounting and Auditing Issues on Coronavirus (COVID-19), Audit Documentation and Working Papers Management, Second Panel Discussion on Accounting and Auditing Issues on Coronavirus (COVID-19)" and Overview of Bank Audit during the year.
- The Board organized Virtual CPE Meeting on Accounting, Auditing, and Direct Taxes. Like earlier years, this year also the Board constituted an online panel of experts to address the members' queries regarding bank branch audits for the financial year 2019-20. The panel resolved the members' queries from May 2, 2020 till June 30, 2020.
- The Board issued following announcements/clarifications for guidance of the members:
    - Advisory for Statutory Bank Branch Auditors w.r.t. Specific Considerations while conducting Distance Audit / Remote Audit / Online Audit of Bank Branch under current Covid-19 situation.
    - Announcement on Use of Electronic Signature for Signing Audit Reports and Certificates.
    - Advisory on Exhibit B3 of SEBI's Circular dated 29th March 2019 regarding Procedure and formats for limited review / audit report of the listed entity and those entities whose accounts are to be consolidated with the listed entity.
    - Announcement on Applicability of "Implementation Guide on Resignation/ Withdrawal from an Engagement to Perform Audit of Financial Statements" to Statutory Auditors of Listed Entities and their Material Subsidiaries.
    - Advisory on Auditor's Reporting on Section 197(16) of the Companies Act, 2013.
    - Requirement to mention UDIN in all Reports and Certificates issued by Members of the ICAI.
- The Board recorded Video Lectures of Experts on Engagement and Quality Control Standards covering all the 46 standards issued till date. These Video Lectures are available on Digital Learning Hub of ICAI.
- The Board revised its E-learning Course on Standards on Auditing. The revised Course covers all the 46 Engagement and Quality Control Standards issued till date.
- The Board released Audio Book of Auditing Pronouncements which contains the voiceover of complete text of all the Engagement and Quality Control Standards. The Audio Book is available on Digital Learning Hub of ICAI.
- The Board recorded 28 Video Lectures of Experts on various topics of Guidance Note on Audit of Banks 2020 edition. These Video Lectures are available in the form of E-Book on Digital Learning Hub of ICAI.
- The Board released an Audio Book of Guidance Note on Audit of Banks 2020 edition. The Audio Book is available on Digital Learning Hub of ICAI.
- The Board released Digital Resources on Guidance Note on the Companies (Auditor's Report) Order, 2020. These resources include Video Lectures, MCQs and Audio Book. These resources are available on Digital Learning Hub of ICAI.
- The Board provided replies/clarifications to various queries on auditing aspects received from the members from time to time.

### 5.4 Banking Financial Services and Insurance Committee (BFS&IC)

The Committee organised the following activities during the year:

- The Chairman of the Committee met Chairman and Whole Time Member of Pension Fund Regulatory and Development Authority on 9th April 2019 at New Delhi and discussed matter for mutual interest for ICAI and PFRDA.

- The Committee organized Workshops/Summit/Conference/Seminar/Webcast/Programme on Blockchain for Financial World, FinTech, PRAGYA CHAKSHU- Exploring Intellectual Excellence, Banking, Insurance, FinTech and Fraud detection and prevention, Power of Analytics Driving BFSI, Insolvency and Bankruptcy Code, Women Empowerment, Role of Banking in Construction Industry, professional relevance and interest at Mumbai, Amravati, New Delhi.
- The Committee constituted a study group for revamping the DIRM Course. The Group met twice on 1st August 2019 and 21st August 2019 at Mumbai.
- Three batches of the Orientation Programmes for the DIRM Technical Examination passed members of ICAI were organised during the period. There were 5338 registrations to the DIRM Course as on 15th July 2020.

## 5.5 Committee for Members in Practice (CMP)

The Committee for Members in Practice (CMP) is a non-standing Committee of the Institute of Chartered Accountants of India formed under regulatory provisions of Chartered Accountants Act, 1949. This Committee was formed in the month of February, 2010 under nomenclature 'Committee for Capacity Building of CA Firms and Small & Medium Practitioners' (CCBCAF & SMP) by combining previously formed Committees, Committee for Capacity Building of CA Firms and Committee for Small & Medium Practitioners. Initially, this Committee was to facilitate consolidation and capacity building of CA firms in order to address various problems faced by these CA firms and to conceptualize and implement various means for strengthening their capacity as well as providing comprehensive guidelines for consolidation of CA firms. Similarly, Committee for Small & Medium Practitioners was formed in 2009 to empower Small & Medium Practitioners to assimilate and apply ways for carrying out their profession in efficient manner. Thus the ultimate objective of the Committee is to strengthen CA firms as well as Small & Medium Practitioners to rejuvenate their practice portfolio.

The Committee performed following activities during the year:

### (I)International SMP Day on 27th June of each year

The Committee for Members in Practice (CMP) of the Institute of Chartered Accountants of India, recognizing the importance of services provided by SMPs to SMEs in the development of these enterprises declared 27th June as the International Small and Medium Practitioner Day to raise public awareness of the contribution of SMPs to SMEs to sustainable development.

The Committee has organised various programmes through various Branches of Central, Western, Northern, Eastern & Southern Region and 3 Regional Councils, NIRC of ICAI, EIRC of ICAI & WIRC of ICAI on the eve of International SMP Day on 27.06.2020. The Committee also organised ICAI-Edinburgh Group Global SMP Webinar "Future Ready SMP - Vital for Global Economy" on 27.06.2020.

*Initiatives*

### (II) Financing

- *Term Loan (unsecured) facility in the form of Personal loans*-The Committee for Members in Practice (CMP) has arranged the Term Loan Facility in the form of Personal loans for the Members of ICAI. The details are available on https://cmpbenefits.icai.org/
- *BOB Credit Cards*- The Committee for Members in Practice (CMP) has arranged Credit Cards for the Members of ICAI with wholly owned subsidiary of Bank of Baroda). The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/.

### (III) Office Management

- *RuleZbook: Mobile App*-is projected to have most comprehensive Compliance Database. It is free for 3 years upto umlimited users of the members in practice. The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/
- *Audit Module*- Audit Management product helps to automate the entire audit life cycle. It ensures standardisation and consistency in audit approach, methodology and outcomes. It facilitates creation of standard audit templates for various audit types and provides detailed step by step checklist for each audit area. It is free for 3 years upto 5 users per members firm and 25 Audits/year. The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/
- *Legal Compliance Management Module*- Legal Compliance Management Product is a highly adaptable software product designed to improve compliance management that replaces people dependent manual processes. It generates comprehensive "Group level Compliance Dashboards"

for consistent reporting across all locations. It is free for 3 years upto 5 Users per CA Firm and 25 Customers (Single Entity and Single Location). The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/

- *Board Module for Secretarial Compliances*- This Platform comprehensively covers the activities carried out by the Secretarial Function. It is free for 3 years upto 05 Users per CA Firm and 25 Private Companies (Single Entity). The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/
- *Payroll Processing and Labour Compliance*- It has designed an end to end automated solution to prepare regulatory compliance documents under Labour Laws in India. It is also integrating the Labour Compliance product with Payroll software to eliminate the requirement for manual inputs. Accordingly, basic payroll processing capabilities will also be available in future. It is free for 3 years upto 05 Users per CA Firm and 25 Customers with employee strength < 25 (Single Entity & Single Location). The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/
- *Compliance Audit*- This Compliance Product can also be used for generating compliance checklist for specific customer. These details can be generated by updating the customer details in terms of type of company, industry, state in which located, etc.These checklists can then be used to carry out compliance audits covering law of the land for customers. It is free for 3 years upto 5 Users per CA Firm and 25 Customers (Single Entity and Single Location). The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/
- *Practice Management Tool*- It has a flexible workflow wherein CA Firms will be able to use digital workflows to manage assignments. It will facilitate all "Touch Points" between the Teams and with the Customers via the Platform itself and all data / documents could be securely shared within the Platform itself. This will help CA Firms to manage data privacy and access controls. It is free for 3 years upto 05 Users per CA Firm and 25 Customers. The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/
- *Papilio Software*-It is a secure cloud based collaboration software for Chartered Accountants. Being on the internet, Papilio can be accessed from anywhere. Papilio also has a mobile app, thus enabling users to collaborate from anywhere, and anytime. It is free for Life less than 5 users as per Terms & Conditions. The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/

➢ *Tally.ERP 9 Gold Software*-ICAI along has worked out a special pricing for Multi-User version software. The same shall be governed by a set of principles and guidelines. The details of above are available at https://cmpbenefits.icai.org/

- *Antivirus software at Special price for Members & Students of ICAI*-An arrangement made by the Committee in order to enable members to have access to antivirus software, has tied up with Quick Heal technologies for providing access at a special discounted price. The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/
- *Practice Management Software for members in practice & CA Firms of ICAI:* -The Committee has arranged the practice management software for members in practice / firms, in form of cloud software designed for managing the Professional Practice in an effective way. It is free as per Terms & Conditions. The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/

➢ *GST Annual Returns (GSTR-9 & 9C) software*- The Committee has worked an arrangement for 'GST Software (Annual Returns)' for Members in Practice and CA Firms. It is free of cost as per Tems & Conditions. The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/

- *EFF factor software for the Practitioners/CA Firm of ICAI:* The Committee has worked an arrangement for EFF factor software for the practitioners/CA firms. The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/
- *CORDL Practice Management software* - The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/
- *XBRL Software*-The Committee has arranged the 'XBRL Filing Software (C&I and Cost & Accounting Taxonomy)' for Practicing Chartered Accountants & CA Firms of ICAI. The same is free of cost to CA Practitioners & Firms under terms & Conditions. The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/

- *'All –in-One' software – A cloud based Accounting and Compliance solution*- Cloud based 'All-in-One' software, One Stop Solution for all Accounting, Compliance, Return Preparation and Filing needs of Chartered Accountants in Practice & CA Firms. The said software is free of cost for three users for 3 years as per terms & conditions to CA Practitioners & Firms. The details are available at https://cmpbenefits.icai.org/

**(IV) Insurance Schemes**

- *LIC Group term Insurance*- The Committee arranged in the form of specially designed Group Term Insurance through the LIC for Members of ICAI. The Term Insurance policy will cover death due to any reason.
- *Health Insurance*- New India Flexi Floater Group Mediclaim Policy is a floater policy in which the proposer can cover self, spouse and dependent children under a single floater sum insured.
- *Motor Insurance*- A MOU with New India Assurance Co. Ltd for Motor Vehicle Insurance has been arranged by the Committee. The Motor Vehicle Insurance is basically designed for the members having value added features such as Unique Offer of 65% discount on OD for both Private car and two Wheeler etc.
- *Professional Indemnity Insurance*- The professional indemnity section covers for awards and settlements of claims, as well as the costs incurred in investigating, defending or settling a claim made against you.
- *Office Protection Shield Policy*- The Insurance Company indemnify against liability as tenant of the office premises for damages to the building and fixture and fittings.
- *Personal Accident Policy*- This policy is basically designed to offer some sort of compensation to the insured person who suffers bodily injury solely as a result of an accident which is external, violent and visible.
- *House Holder Insurance*- This policy protects home against various risks/perils. Its Coverage is extended to the building and contents of home including Furniture, Fixtures, Fittings, Domestic Appliances, Jewellery etc.

The details of Insurance Schemes are available at https://cmpbenefits.icai.org/

**(V) Capacity Building Measures:**

- *MOU with World Bank for Procurement Audit* -The Committee entered a MoU with the World Bank for the arrangement of Knowledge enhancement of the Members of ICAI in Procurement Audit & thereof. This aforesaid arrangement with the World Bank offer procurement training with the Joint Certification basis to the participants of the training programme. These trainings are meant to enhance the capacity of ICAI members to participate in procurement opportunities in Bank funded Projects for various assignments including external/internal audits; procurement audits/post reviews, and other consultancy assignments for firms and individual members of ICAI.
- *Virtual Certificate Course on Preparation of Appeals, Drafting of Deed & Documents and Representation before Appellate Authorities and Statutory Bodies*-The certificate course on Preparation of appeals, Drafting of Deed & Documents and Representation before Appellate Authorities and statutory bodies is developed for the knowledge enhancement of the effective drafting skills of members and acquaints the members with the legal provision pertaining to appearances before various authorities. The details of the course are available at https://resource.cdn.icai.org/50996ccbmp210718-0420.pdf.
- *Virtual Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning (WMFP)*-The Committee has launched the Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning for enhancing new career opportunities for the members. The details of the course are available at https://resource.cdn.icai.org/35876ccbcaf25359-wmfp-details.pdf
- *Revised Minimum Recommended Scale of the fees for the Professional Assignments done by the Chartered Accountants for Class 'A' & Class 'B' & Class 'C' cities*- The Committee has prepared a Brochure on Revised Minimum Recommended Scale of the fees for the Professional Assignments done by the Chartered Accountants for Class 'A' , Class 'B' & & Class 'C' cities. The details of above are available at https://cmpbenefits.icai.org/wp-content/uploads/2020/02/Details-download.pdf

- *Promoting Networking & other consolidation measures of CA firms*- Networking of Firms is a facility provided to CA Firms for collective association to share collective resources for providing better professional services making it available at multi location places. The Committee is promoting Merger, Networking, Practice in Corporate Form for Practitioners/CA Firms

**(VI) Knowledge sharing & Enhancement**

- *ICAI Learning Curve–Consolidation of Queries and Solution for Queries by FAQs and Live Webcast*- The Committee has arranged a portal ICAI Learning Curve for Consolidating the Query on Various Professional Issues and answers these queries in multiple phases for enhancement of the Practice portfolio and other aspects.
- *Portal http://kb.icai.org/: a gateway to ICAI Knowledge Bank – Consolidation of ICAI Publications*- The Committee arranged the portal kb.icai.org gateway to ICAI Knowledge Bank for Consolidation of all the Publications of ICAI. The portal in such a way designed for search/Advance search facility and management of publications, the portal has also featured in the said portal such as user will be able to search uploaded documents with a key phrase.
- *ICAI Connect – https://cmp.icai.org -A portal for the Members of ICAI*- The Committee has arranged the ICAI Connect, a portal for the members of ICAI. The features of the aforesaid single window self-service portal includes viewing personal Profile and firms constitution, Announcements of ICAI, details of payments of fees and regulatory charges to ICAI, My Articles details, tracking regulatory forms and application status, e-Services, My Firms, My Software(s), Letters & Certificates, CPE Hours credited, Guidelines of Networking, Merger & Demerger etc.
- *Committee's exclusive website www.icai.org.in*- The website provides a platform for the CA Firms to upload their firms' details and gives them an opportunity to reach out to the members and CA firms practicing worldwide. The website also acts as a forum for consolidation of the members and CA Firms by providing for consolidation measures like Networking, Merger and Corporate Form of Practice.
- *A portal for Senior Members of ICAI www.seniormembers.icai.org*- The Committee has developed a website namely seniormembers.icai.org. The website provides a platform for senior members of ICAI for getting flexi working hours assignment as well as fulltime assignment after their retirement. At the same time it will also help industry to tap experienced talent pool which might not be accessible otherwise in normal course. The said portal would be useful & handy to all the senior members of ICAI.
- *E-Booklet on Sample Checklist on SAs: Ready Reference for the Practitioner & CA Firms*- The Committee comes up with a publication on E-Booklet on Sample Checklist on SAs: Ready Reference for the Practitioner & CA Firms. The same is used for day to day work of the Practitioners & CA Firms.

**(VII) Publications of the Committee**

- Publication of E-Book on Roadmap to Income Tax Practice : A Practitioner Perspective
- "Practiquer"- Quarterly e-Newsletter for the Chartered Accountants
- Publication of E-Book on Companies Act, 2013: A Practitioner Perspective
- Publication of E-Book on Roadmap to GST: A Practitioner Perspective

The Committee has taken an initiative to bring out the following publications:

- E-Book on "Ready Reckoner on Regulatory Aspects of ICAI for Members & CA Firms"
- Publication of E-Book on "Ready Reckoner on Regulatory Aspects of Articled/Audit Assistants
- Ready Referencer 2019

**(VIII) Live Webcast/National Conference/Workshop/Seminars/residential programmes/ Virtual Certificate Course**

- CCBMP organized 21 live webcasts for the capacity –building measures of practitioners on Recent Judicial Pronouncements in Income Tax, Strategies of CAs in Practice under GST, Bank Audit, Benami Law Interplay with Income Tax Law and PMLA and opportunities for CAs in handling these laws, Office or Work from Home, CA. Profession Post COVID19-Way Forward , Future of Profession Post Covid19 - Virtual Accounting Firms, SA 700, SA 701, SA 705 & SA 706, Practitioner's Guide to Audit of Small Entities, Corporate Services & related digitized opportunities, Networking & Merger, Critical Issues in Audit, Practice Management, ROC Compliance, professional opportunities in

International Arena & RERA, Code of Ethics for Members in Practice, Precautions while doing Company Audits during the Year 2020 for Members in Practice-in light of Covid-19.

- The Committee organized 26 national conferences, seminars, workshops and residential programmes for the capacity –building measures of practitioners on Goods and Services Taxes (GST), Auditors engagement in Procurement post review for World Bank Funded projects on 31st January, 2020, Companies Act & Income Tax, NRI Taxation and GST, Emerging Challenges in GST & Direct Taxes¸ Tax Audit & ICDS, UDIN, Capital Gain Taxation & Forensic Audit at Odisha, New Delhi, Anantapur, Bhyander, Gorakhpur, Ongole, Gurgaon, Visakhapatnam, Udaipur, Thane, Ranchi, Mangaluru, Asansol, Vijayawada, Indore, Amritsar, Bilaspur, Bhubaneswar, Kollam, Shridi, Mussoorie Tirupati etc during the year wherein many members participated in the programmes.
- The Committee organized 2 and 4 batches of 30 CPE hours Virtual Certificate Courses on 'Wealth Management and Financial Planning' and 'Preparation of appeals, Drafting of Deed & Documents and Representation before Appellate Authorities and statutory bodies' in the month of April-June, 2020 and April-July, 2020.

### 5.6 CPE Directorate and Centralised Distribution System (CPED&CDS)

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through its Continuing Professional Education (CPE) Directorate implements such measures using tools of learning, physical and virtual that may provide sufficient opportunity to all Members of the Institute to keep abreast of current knowledge in their core areas of competence and Professional Development.

Continuing Professional Education Directorate (CPED) keeps its Members updated with the recent advancements in existing and newly emerging areas of specialized learning in offline/online mode via numerous initiatives; and supports in fulfilment of their mandatory CPE Hours requirements through Structured & Unstructured Learning Activities.

In the Council year 2019-20, the CPE Directorate was constituted in place of CPE Committee, in which E-learning was made a part of CPE Directorate. Thereafter, in the Council year 2020-21, CPE Directorate & Centralised Distribution System (CDS) is constituted with the evised Terms of Reference of CPE Directorate.-

**Significant Achievements and Recent Initiatives of the CPE Directorate :**

**(I)Robust Members' Learning & Development Mechanism :-**

To ensure the compliance of various guidelines, rules and Directions, as issued by the Council and CPE Directorate for organising of CPE event by the CPE POUs, the CPED has adopted stronger and stricter regulatory mechanism for regulating and overseeing the organisation of CPE Programmes. Also, the CPE POUs are being monitored and supervised throughout the year for their continuous improvement and better functioning.

**(II) CPE Statement:-**

Contemporary with Global requirements & Practices, the CPE Credit Hours requirements for various categories of members as applicable for the current block of 3 years (1-1-2020 to 31-12-2022) are as under:-

| Category of Members | CPE Hours requirement |
|---|---|
| Members (aged less than 60 years) who are holding Certificate of Practice (except all those members who are residing abroad) | 120 (out of which minimum 60 CPE hours should be of Structured learning)<br>-minimum 20 CPE credit hours of structured learning in each calendar year |
| Members (aged 60 years & above) who are holding Certificate of Practice | 90 (either structured or unstructured learning)<br>- minimum of 20 CPE credit hours either Structured or Unstructured Learning in each calendar year |
| Members (aged less than 60 years) who are not holding Certificate of Practice; and all the members who are residing abroad (whether holding Certificate of Practice or not) | 60 (either structured or unstructured learning)<br>-minimum 15 CPE credit hours either structured or unstructured learning in each calendar year |

Exemptions to Members:

- A member is exempted only for the particular calendar year during which he gets his membership for the first time.
- The following class of members are exempted from CPE credit hours requirement:
  - All the members (aged 60 years and above) who are not holding Certificate of Practice.
  - Judges of Supreme Court, High Court, District Courts and Tribunal
  - Members of Parliament/MLAs/MLCs
  - Governors of States
  - Centre and State Civil Services
  - Entrepreneurs (owners of Business (manufacturing) organizations other than professional services)
  - Judicial officers
  - Members in Military Service
- Temporary Exemptions:

  (i) Female members for one Calendar year on the grounds of pregnancy.

  (ii) Physically disabled members on case to case basis having permanent disability of not less than 40% and above (Supported with medical certificates from any doctor registered with Indian Medical Council with relevant specialisation as evidenced by Post Qualifications (M.D., M.S. etc.).

  (iii) Members suffering from prolonged critical diseases/illnesses or other disability as may be specified or approved by the CPED. (Supported with medical certificates from any doctor registered with Indian Medical Council with relevant specialisation as evidenced by Post Qualifications (M.D., M.S. etc.)
- A member or class of members to whom the CPED may in their absolute discretion grant full/partial exemption specifically or generally on account of facts and circumstances of the case which in their opinion prevent such person(s) from compliance with the requirements of CPE as specified in the Statement.

**(III) IT Initiatives undertaken during the lockdown period:-**

- Webinars

  Post Covid-19 situation, the public gatherings were prohibited; therefore all physical CPE Seminars were cancelled and in view of the same all Regional Council/Branches and Foreign Chapters were allowed first time to organize webinars for grant of Unstructured CPE Hours only during the lock down period. However, from 19th May, 2020 onwards webinars were allowed to be organized by Central Committees only.

- Virtual CPE Meeting

  Grant of Structured CPE hours were allowed to the participants of the Virtual CPE Meetings (VCM) (from 17.05.2020 onwards) which may be organised by Central Committees, Regional Councils, Branches, Foreign Chapters, CPE Study Circles, CPE Study Chapters & CMI & B Study Circles in controlled online environment to avoid any hardship being faced by members.

  CPED has decided that out of 20 hours Structured CPE hours which is mandatory to be completed by Members below 60 years holding COP, in each calendar year, 10 Structured CPE hours can be granted through online mode (either through Digital Learning Hub or through above Virtual CPE meetings including mandatory CPE hours on "Code of ethics" and "Standard on auditing") till 31st August, 2020.

- Refresher Course

  The Central Committees, Regional Councils and Foreign Chapters were allowed to organize maximum 5 days Refresher Course in Online mode on a particular topic with maximum 3 CPE hours learning in a day.

- Holding of AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Video Solutions (OAVS) by CPE/CMI & B Study Circles and CPE Study Chapters

  CPED had issued procedure for holding AGMs by CPE/CMI & B Study Circles and Chapters through Video Conferencing (VC) or Other Audio Video Solutions (OAVS) for convening elections of Convenor and Deputy Convenor/Appointment of Auditors etc. due to the impact of COVID-19.

**(IV) Other initiatives taken during the lockdown period:-**

- CPED implemented the decision with regard to mandatory completion of 2 Structured CPE Hours, each on the topics related to "Standards on Auditing" and "Code of Ethics" (total 4 Structured CPE Hours out of 20 Structured CPE Hours) during every Calendar year, from Calendar Year 2020 onwards in Online/Virtual mode for the Categories of members who are required to complete minimum 20 Structured CPE Hours in a Calendar year (COP Holder). This may be completed any time during the year in Online/Virtual mode.
- The last date for submission of audited annual accounts by the CPE Study Circles and CPE Study Chapters for the financial year 2019-20 has been extended now till 15th July, 2020 from 15th May, 2020, to ensure its compliance by the CPE Study Circles & CPE Study Chapters in present COVID-19 situation.
- The last date for submitting of self-declaration form online on CPE Portal by the Member for claiming of Unstructured CPE Hours for the Calendar year 2019 has been extended till 30th June, 2020 from 31st May, 2020.

**(V) Spreading Wings Globally:-**

7 CPE International Study Tours were organised internationally by the CPE POUs at Switzerland, Bali, Muscat, Malaysia, Dubai.

**(VI) Brand and Capacity Building:-**

The ICAI has all along endeavoured to keep its members aware of and abreast with the professional and technological changes that are taking place, around the globe through the process of continuous skill honing by way of classroom teaching, e-Learning mode, In-house Executive Development Programmes, Webcasts, Awareness programmes, Seminars, Conferences etc. Few of the milestones are as follows:

- *National Level CPE Programmes and other important Events*

  8906 CPE Programmes were organised for the Members across the country *(includes 1204 CPE Programmes in Virtual mode from 13th March, 2020 to 30th June, 2020),* by the CPE Programme Organising Units of ICAI on various topics of professional interest.

- *CA Day Virtual National Summit*

  Three-day Virtual National CA Summit 2020 on the topic "Transforming the Future: Enabling Excellence, Augmenting Trust" (providing credit of 9 unstructured CPE hours) was organised from 29.06.2020 to 01.07.2020 on the occasion of CA day.

- *Refresher Courses*

  7 Virtual CPE Meetings (VCMs) in form of Refresher Courses were organised by Central Committees/Board on various topics i.e., FEMA, Accounting Standards, Income Tax Appellate Proceedings, Advanced Excel & Data Dashboard, Data/Forensic Analytics using CAAT Tools, Practical Guide to ISA & Data Analysis and Visualisation with Microsoft Excel Power Tools and Power BI (from 13.3.2020 to 30.6.2020)

- *National Level Programmes and other Important Events*

  *Types of CPE Programme organised*- 150 Live Webcasts/Webinars by various POUs of ICAI, 167 Certificate Courses for the Members by Central Committees of ICAI, 92 Post-Qualification Courses by the Central Committees of ICAI, 19 National level by Central Committees/Board of ICAI and hosted by the Regional Councils/Branches of ICAI, 16 Batches of Pre-registration Education Course by ICAI RVO, 13 Batches of Pre-registration Education Course by IIIPI.

- *Opening of New CPE Programme Organising Units (POUs)*

  3 more CPE POUs were opened for helping the members in mofussil/remote areas of the country to undergo CPE activities in their nearby places, reaching to a strong network base of 613 CPE POUs in India and Abroad.

**(VII) Supporting Society – Commitment to Nation:-**

CPE Programmes were being organised in Physical mode and in Virtual Mode on GST and GST Audit, Ethical Standards, Code of Ethics, Professional Ethics, Companies Act, RERA, Standards on Auditing, ICDS, Blockchain Technology, Demonetization, Black Money, Benami Transactions and Undisclosed Income, Insolvency and Bankruptcy Code, Ease of doing Business in India, Start-ups, UDIN, Corporate Social Responsibility, Investor Awareness etc during the year.

**Publication Directorate-CPED**

The Publication Directorate of Institute primarily caters to following three areas:

- Printing of study materials for students and member-related publications
- Sale and distribution of publications through Centralised Distribution System
- Maintaining Stock account, sales account and reconciliation of stock and receivables with Branches.

New Publications brought out

During the period under report, the Publication Directorate printed various new publications on behalf of Board of Studies and other Committees.

Centralised Distribution System

Since July, 2017, all publications of ICAI including study materials, Revision Test Papers and member-related publications are dispatched centrally through Central Distribution System Portal (www.icai-cds.org) to the registered students and persons placing order on the CDS Portal. The CDS portal also hosts various kinds of mementoes such as ties, cuff links, lapel pins, diaries and calendars.

Future endeavours

The future endeavours of the Directorate includes:

1. Introduction of new high quality mementoes with CA branding for sale at CDS Portal
2. Reduction in Turn Around Time for delivery of ordered material
3. Digital reading copy link to be given at CDS Portal to promote reading through digital mode

**5.7 Corporate Laws and Corporate Governance Committee (CL&CGC)**

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee has the vision to become an instrument towards empowerment of the profession as well as to accelerate & facilitate a fair corporate regime with the best global practices. The Committee has been making collaborative efforts with the government to strengthen the regulatory framework and also regularly interacting with the Ministry of Corporate Affairs and submitting representation/ providing suggestions/ giving inputs regularly on various issues concerning the Companies Act 2013. The Committee aims at updating knowledge of members relating to corporate laws.

**Significant Achievements and Initiatives**

**(I)Representations/Suggestions to MCA/SEBI/NFRA**

The Companies Act, 2013

The Committee regularly interacts with the Ministry of Corporate Affairs for smooth implementation of the Companies Act 2013. The Committee submitted the following representations/ inputs/ opinion/ suggestions to the Ministry of Corporate Affairs/ National Financial Reporting Authority:

- Opinion regarding "whether there is any violation of Companies Act, 2013 relating to purchase of capital assets out of the cash received on account of share premium" submitted to MCA in July, 2020.
- Representation regarding Extension for filing of NFRA -2 and regarding applicability for the year 2017-2018 in July, 2020. NFRA has issued Circular and extended for 60 more days for filing Form NFRA -2.
- ICAI Suggestions on the Consultation Paper issued by MCA on Audit Independence and Accountability.
- Draft ICAI Recommendations on the Draft Procedure issued by NFRA for submission of Audit Files were sent to President's office for onward submission in June, 2020.

- Representation on certain issues in the Companies Fresh Settlement Scheme, 2020 sent to MCA in May, 2020.
- Reply to the Letter received from MCA pertaining to the issues with regard to Computation of net profit under section 198 of the Companies Act, 2013 for computing CSR liability submitted in January, 2020
- ICAI Suggestions on the Recommendations made by High Level Committee on CSR-2018 submitted in January, 2020
- ICAI Suggestions on the Report of the Company Law Committee formed by the Ministry of Corporate Affairs submitted in November, 2019
- ICAI Recommendations on what shall/ shall not constitute Management Services under Section 144 of the Companies Act 2013 were submitted to MCA in June, 2019.
- ICAI Suggestions on the Recommendations of the Committee on Corporate Governance under Shri Uday Kotak Committee on the following issues submitted to MCA in June, 2019.
  - Strengthening role of ICAI – Recommendations w.r.t enforcement/disciplinary process of the ICAI.
  - Strengthening of reporting on Internal Financial Controls
  - Greater transparency on audit quality indicators
  - Strengthening the independent functioning of the Quality Review Board (QRB) Current Regulatory Provisions.
- ICAI suggestions on the practices followed by UK, US, Australia and Singapore for appointment of Internal auditor as external auditor and vice-versa after cessation of the tenure were submitted to MCA in June, 2019.
- ICAI Comments/ Suggestions on the provisions of CSR in the Companies Act 2013, Companies (CSR Policy) Rules, 2014 and Circulars issued concerning CSR submitted to High Level Committee on CSR constituted by MCA in May, 2019.
- Representation regarding improving Governance in Companies
- Request to waive off additional fee for filing ADT- 1 where Form GNL- 2 has already been filed by the companies for the period 1st April, 2014 to 19th October, 2014, with respect to filing of the ACTIVE form submitted to MCA in April, 2019.

  MCA has issued clarification and waived off fee for filing Form ADT- 1 till 15.06.2019.

**(II) Facilitating the Law making process for the Companies Act, 2013**

- ICAI is a member of the Committee formed by MCA to discuss Stakeholders Suggestions on the Consultation Paper on Audit Independence and Accountability.
- ICAI is a member on Governing Council of National Foundation for Corporate Governance (NFCG).
- ICAI is a member of Secretarial Standards Board (SSB) constituted by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) for the year 2019-20
- ICAI is a member of the Committee for drafting Appendix to the Investigation Manual of Serious Fraud Investigation Office
- ICAI is a member of the Company Law and Corporate Governance Committee of PHD Chamber of Commerce and Industry
- ICAI is a member of the Group to examine the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014
- ICAI is a member of the Sub-Group (2) to examine the suggestions pertaining to streamlining the Companies Act, 2013.
- ICAI is a member of the Working Committee for streamlining working under the Companies Act, 2013
- ICAI is a member of Group for Scope of Limited Review and Related Procedure constituted by SEBI.

**(III) Interaction with Ministry of Corporate Affairs**

*Supporting MCA's Initiative for Incorporation through SPICE+* **-** ICAI is supporting the Ministry of Corporate Affairs for taking important measures as a part of its India's Ease of Doing Business (EODB) initiatives by introducing an advanced integrated form SPICe+ (eForm-32). It is an integrated Web form offering 10 services by 3 Central Government Ministries & Departments. (Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Labour & Department of Revenue in the Ministry of Finance) and One State Government (Maharashtra), thereby saving as many procedures, time and cost for Starting a Business in India.Further the Committee has also sought comments/ suggestions from stakeholders on the difficulties faced while incorporating the company.With regard to the measure taken by MCA, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through its Corporate Laws & Corporate Governance Committee (CL&CGC) had brought out a "Technical Guide on Incorporation of companies through SPICE+" for the benefit of all stakeholders.

*Collaboration with MCA-IICA to work on Independent Directors Portal* - ICAI has entered into partnership with IICA on the new initiative of MCA-IICA regarding development of a data bank portal for Independent Directors. As mentioned by IICA, the portal is being created with an objective to have a central repository of all Independent Directors and Independent Women Directors of the country. The Data bank will be an approved repository of Government of India with features to facilitate their E-Learning and self assessment. IICA has requested to partner with ICAI for interest areas namely;

- Advocacy
- Research & Case Studies
- Capacity Building
- Self Assessment for the continued professional development of IDs.

In this regard, a Memorandum of Understanding will be signed soon regarding partnership of ICAI and IICA for Independent Directors Portal .

*Summary of amendments proposed in the Companies (Amendment) Bill, 2020* - The Companies (Amendment) Bill 2020 has been introduced in the Lok Sabha on 17th March, 2020.In view of constant endeavour of the Government to facilitate greater ease of living to law abiding corporates, a Company Law Committee (CLC) consisting of representatives from Ministry, industry chambers, professional institutes and legal fraternity was constituted on the 18th September, 2019, to decriminalise some more provisions of the Act, based on their gravity and to take other concomitant measures to provide further ease of living for corporates in the country. The CLC submitted its report in November, 2019. Based on the recommendations of the CLC and internal review by the Government, it is proposed to amend various provisions of the Act to decriminalise minor procedural or technical lapses under the provisions of the said Act, into civil wrong; and considering the overall pendency of the courts, a principle based approach was adopted to further remove criminality in case of defaults, which can be determined objectively and which otherwise lack any element of fraud or do not involve larger public interest. In addition, the Government also proposes to provide greater ease of living to corporates through certain other amendments to the Act.There are amendments in 64 amendments in the Bill and provisions for Producer Companies have been introduced.Further, Lesser penalties for One Person Companies or Small Companies have been introduced.A Summary of the amendments proposed in the Companies (Amendment) Bill 2020 has been hosted on ICAI Website.

*Meeting with Secretary, MCA regarding dissemination of salient features of MCA E- Form Active (Active Company Tagging Identities and Verification) INC-22A*-A meeting was held with Secretary, MCA regarding dissemination of salient features of MCA E- Form Active (Active Company Tagging Identities and Verification) INC-22A on March 15, 2019, wherein it was discussed that for good corporate Governance it is required to make these kind of schemes mandatory

*Collaboration for organizing Capacity building programs for members of Audit Committee of CPSEs*-The Department of Public Enterprises has requested ICAI to collaborate with DPE and organise capacity building programmes during 2019-20 for members of Audit Committee of CPSEs. In this regard, the Committee had decided to conduct Webinars as a 3 day Programme for 3 hrs each, for which presentations can be prepared for smooth understanding of the Auditors. The Audit checklist released by the Institute of Chartered Accountants of India can also be referred for such kind of Webinars as pre-webinar preparations.

**(IV) Publications & Others:**

- Technical Guide on Easy Incorporation of Companies through SPICE Plus
- Technical Guide on the provisions of Independent Directors from Corporate Governance perspective

- Guidance Note on Division I – Non Ind AS Schedule III to the Companies Act, 2013 (Revised July, 2019 Edition)
- Guidance Note on Division II – Ind AS Schedule III to the Companies Act, 2013 (Revised July, 2019 Edition)
- Frequently Asked Questions on the Companies Act, 2013- Revised July, 2019 Edition
- Guidance Note on Division III to Schedule III to the Companies Act 2013 for NBFC that is required to comply with Indian Accounting Standards (Ind AS )
- Frequently Asked Questions on the Companies Fresh Start Scheme and LLP Settlement Scheme, 2020 (Original and Modified).
- Frequently Asked Questions on the Scheme for relaxation of time for filing forms related to creation or modification of charges under the Companies Act, 2013.

**(V) Other initiatives**

- The Committee prepared Frequently Asked Questions on the queries received from participants during the webcast to give more clarity on the issues and submitted the same to the Ministry of Corporate Affairs. The Ministry of Corporate Affairs has issued the FAQ's on eForm INC 22A as prepared on the basis of FAQs submitted by the Committee. FAQs are hosted on Ministry of Corporate Affairs website at the following link: http://mca.gov.in/MinistryV2/active.html
- The Committee prepared Frequently Asked Question on based upon the amendments Section 135 (Corporate Social Responsibility) of the Companies Act, 2013.
- The Committee has invited suggestions/comments from members on various provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder.
- Publications of Corporate Laws & Corporate Governance Committee uploaded on the ICAI Digital Learning Hub- ICAI had processed Digitization of member publications on the ICAI's Digital Learning Hub (https://learning.icai.org/elearning) an integrated Learning and knowledge eco-system, it is envisaged that the said publications are to be made available to members as an "as on date" updated information. In this regard, the publications that have been issued by CL&CGC have been uploaded on the Portal and are enabled for view of members.

**(VI) Programmes/Conferences/Webcast**

- The Committee organised 7 live Webcasts/Webinar on Economy and Governance-Post COVID 19, "ICAI Leadership Summit – Post COVID 19 Scenario", Analysis and key features of Company Fresh Settlement Scheme 2020 & Revised LLP Settlement Scheme, 2020, MCA E- Form DPT- 3 - Compliance and other aspects, Salient features of Companies Amendment Act, 2019, MCA E- Form Active (Active Company Tagging Identities and Verification) INC-22A - Compliance and other aspects during the year.
- The Committee also conducted seven programmes across the country for creating awareness about the MCA E- Form Active (Active Company Tagging Identities and Verification) INC-22A, Conference on 'Effective Board Dynamics' for Directors & Aspiring Directors, training programme for the IAS Officials of the Government of Tami Nadu and 21 Training/ Awareness Programmes on the Companies Act, 2013 across the country during the year

**(VII) Updates for professional development of members relating to Corporate Laws**

The Committee regularly issues series of update for members towards professional development which includes updates on the Corporate Laws. The 22nd issue of update upto 31st May, 2020 is uploaded on ICAI Website.

Further, the following Announcements/ analysis have been prepared by the office and on approval from Chairman CL&CGC have been uploaded on ICAI website.

- Further relaxations by the Ministry of Corporate Affairs till September 30, 2020 for conduct of Board meetings to approve its financial statements through VC or OAVM and registration of Independent Directors in the Independent Directors Data Bank by CL&CGC ICAI
- Scheme for relaxation of time for filing forms related to creation or modification of charges under the Companies Act, 2013
- Clarification on holding of Annual General meeting through video conferencing or other audio-visual means by CL&CGC ICAI

- Announcement to create awareness regarding Clarification issued by MCA on passing of ordinary and special resolutions by companies on account of the threat posed by Covid-19 and holding an extraordinary general meeting (EGM).
- Announcement to create awareness regarding Clarification issued by MCA on dispatch of notice by Listed entities for rights issue opening under section 62(2) of Companies Act, 2013 up to 31st July, 2020.
- Clarification on dispatch of notice by Listed entities for rights issue opening under section 62(2) of Companies Act, 2013 up to 31st July, 2020 by CL&CGC ICAI
- Notification/ Circular/ Advisories Issued by the Ministry of Corporate Affairs in view of COVID-19 outbreak by CL&CGC ICAI
- MCA has introduced LLP Settlement Scheme, 2020 and Company Fresh Settlement Scheme 2020 to give Onetime relaxation in additional fees to the defaulting companies/ LLPs
- Analysis of MCA Notification regarding filing of E Form DIR-3 KYC upto 30th June every year.
- Analysis of MCA Notification regarding filing of DPT- 3 Form upto 29th June, 2019- One time Return.
- Announcement regarding extension of date for filing E-Active Form to 15th June 2019
- Summary of Provisions of The Companies (Second Amendment) Ordinance 2019.
- Summary of the Notification dated 2nd November, 2018 regarding Provisions of The Companies (Amendment) Ordinance 2018.

**5.8 Direct Taxes Committee (DTC)**

**(I) REPRESENTATIONS/ INTERACTIONS WITH CBDT**

- Submission of representation to Chairman, CBDT requesting to extend the due date of filing Income-tax returns for the AY 2019-20.
- Submission of representation to Hon'ble Finance Minister regarding concerns of the Institute with reference to the letter dated July 18, 2019 submitted by the Institute of Cost Accountants of India requesting to amend the definition of "Accountant" in the Explanation appended to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961.
- Submission of representation to the CBDT regarding ICAI's inputs for identification of topics/areas related to Direct Taxes for creation of new Tax Payer Information (TPI) Series Brochures.
- Submission of representation to Chairman, CBDT regarding request to take up issues faced by tax- payers leading to unnecessary hardships.
- Submission of representation to Hon'ble Finance Minister regarding concerns of the Institute with reference to the letter no. ICSI:PFP:2019 dated August 2, 2019 submitted by the Institute of Company Secretaries of India requesting to amend the definition of "Accountant" in the Explanation appended to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961.
- Submission of representation to the CBDT requesting for extension of time for submission of Tax Audit Reports and related returns from September 30, 2019 to November 30, 2019.
- Submission of representation to the CBDT regarding ICAI's Inputs on Income-tax Rules, 1962.
- Submission of representation for request to provide special relaxations to the assessees based at Jammu and Kashmir.
- Submission of representation regarding concerns of ICAI w.r.t. Circular No. 24/2019 dated 09.09.2019 issued by the CBDT regarding procedure for identification and processing of cases for prosecution under Direct Tax Laws.
- Submission of representation to the CBDT regarding ICAI's Inputs on draft Notification proposing amendments in Form No. 10B and Rule 17B.
- Submission of representation to the CBDT regarding further Inputs on Income-tax Rules, 1962.

- Submission of representation to the CBDT regarding suggestions pertaining to TDS in response to letter received from CPC (TDS).
- Submission of representation to the CBDT requesting for extension of time by at least one month from 31.12.2019 regarding relaxation of time (one-time measure) for Compounding of Offences under Direct Tax Laws.
- Submission of representationto the CBDT requesting to amend section 206C – Applicability of provisions to be restricted to forest produce of India - Exclusion of applicability to collect tax at source on timber which is imported from outside India.
- Submission of representation to the CBDT requesting to reduce the rate of pre-deposit of 20% of the demand raised for issuance of stay of demand/grant in case of (high pitched) assessments considering the current state of economy/businesses.
- Submission of representation to Hon'ble Finance Minister, Hon'ble Minister of State for Finance and Chairman, CBDT requesting to consider various issues in "The Direct Tax Vivad Se Vishwas Bill, 2020".
- Submission of representation to the CBDT requesting to consider hardship regarding unnecessary issuance of demand notices despite full tax credit in Form No. 26AS.
- Submission of representationto the CBDT requesting to grant one time stay/relaxation of 30 days from the existing provisions of section 6(1) of the Income-tax Act, 1961 considering spread of coronavirus.
- Submission of representationto the CBDT requesting to consider and resolve the concerns of the taxpayers due to long term capital gains chargeable under section 112A of the Income-tax Act, 1961 being wrongly taxed twice.
- Submission of representation to the CBDT regarding submission of issues/suggestions of the ICAI on "The Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020".
- Submission of representation to the CBDT regarding Inputs of the ICAI w.r.t. issue of guidelines for section 206C and section 194-O of the Income-tax Act, 1961.
- Submission of representation to the CBDT regarding request to consider waiving off first instalment of advance tax due on 15.06.2020.
- Submission of representation to the CBDT regarding suggestions of the ICAI pertaining to procedural & law issues arising due to spread of COVID19.
- Submission of representation to the CBDT regarding issues/suggestions of the ICAI on "The Direct Tax Vivad se Vishwas Act/Rules, 2020 and Forms notified thereunder".
- Submission of representation to the CBDT regarding request to notify/issue Form for application u/s 12A(1)(ac) r.w.s. 12AB (Procedure for fresh registration) of the Income-tax Act, 1961.
- Submission of representation to the CBDT regarding request to extend the due date of various compliances under the Income-tax Act, 1961 and other related matters.

**(II) MEETINGS WITH THE MINISTRY/CBDT**

- Meetings of Chairman, Direct Taxes Committee of ICAI nominated as a member of the Committee constituted by CBDTto examine Data Structure and modalities of upload of data for E-Assessment in Bangalore and Mumbai
- Meeting with JS(TPL)-II, CBDT at North Block, New Delhi regarding discussion about the submission of ICAI's Inputs on Income-tax Rules, 1962
- Meeting of ICAI representatives with Joint Secretary (TPL)-II, CBDT at North Block on 18.10.2019 regarding concept of Registered Valuers as per Companies Act, 2013
- Meeting with President, ITAT on 10.12.2019 at ITAT, Delhi regarding support sought from the ICAI with respect to celebrations of Foundation day of ITAT and preparation of background material for the training of new members of ITAT

**(III) ACTIVITIES RELATING TO UNION BUDGET**

- Submission of Pre-Budget Memoranda, 2019
- Submission of Post-Budget Memorandum, 2019
- Submission of Pre-Budget Memorandum, 2020
- Submission of Post-Budget Memoranda, 2020

**(IV) OTHER INITIATIVES**

- Sharing of requisite data of Chartered Accountants with the Income Tax Department.
- Response to email received from Mr. Atma Sah, Dy. Director, CL-V Section, Ministry of Corporate Affairs (HQ).
- Inputs on Direct Tax benefits for CSR Activities (Report of the High Level Committee on Corporate Social Responsibility 2018 (August, 2019)) submitted to Corporate Laws & Corporate Governance Committee
- Eight Live Webcasts have been organized by the Committee during the year on the various topics such as Capacity building for TDS deductors filing TDS Statement in form 24Q & Recent changes in Part B of Form 16" with Income tax Officials, Preliminary Highlights of Tax Proposals of Union Budget 2019-20, Understanding and E-filing Income Tax Return Forms, Faceless E-Assessments- Issues & Challenges, highlights of tax proposals of Union Budget 2020-21,NRI Taxation- Recent Amendments- Analysis and Implication, Vivad Se Vishwas Bill 2020- Issues & Challenges and the Direct Tax Vivad se Vishwas Bill, 2020.
- Online Refresher Course on Income Tax Appellate Proceedings" organized by the Direct Taxes Committee of ICAI from 18th June 2020 to 22nd June 2020.
- Regular updation of the ICAI website on matters pertaining to the Direct Taxes like circulars, notifications, press releases, orders etc. notified by CBDT from time to time.
- The Committee also makes monthly contribution of the significant circulars, notifications, press releases, orders etc. issued by CBDT in the CA Journal.
- The Committee organized 19 seminars/conferences/tax awareness programmes/workshops /lecture meeting during the year.

**5.9 Committee on Economic, Commercial Laws and Economic Advisory (CECL&EA)**

- Representations to various Government Authorities/ Regulators:

  Representation submitted to Chairperson, Odisha Real Estate Regulatory Authority regarding separate format for CA Certificate including UDIN.

- Guidance Notes/ Technical Guides/ Publications etc.:

  In an endeavor to broaden the scope of expertise of members on the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019, the Committee released an e-publication titled *"FAQs on Banning of Unregulated Deposit Scheme Act, 2019"*

- Study Group on Indian Economy:

  The Committee constituted the 'Study Group on Indian Economy' to come out with a report on how to deal with the crises emerging from COVID-19 and how to make India a competitive and attractive investment destination by enhancing Ease of Doing Business, for submitting to the government.

- Seminars/ Conferences/ Workshops/ Webcast:

  Awareness programmes were organized on various Commercial & Economic laws including FEMA, Benami Law, PMLA, Funding scenario in India in general and with specific reference to Real Estate Projects, Financial Assistance for MSMEs under COVID Stimulus package etc. during the period.

- Certificate Course on Anti Money Laundering Laws:

  The Committee successfully conducted 9 batches of the Certificate Course on Anti Money Laundering Laws (Anti- Money Laundering Specialist) during 2019-20 at Mumbai, Noida, Chennai, Kolkata, Bengaluru and Hyderabad.

- Certificate Course on ADR (Arbitration, Mediation & Conciliation) :

  The Committee successfully conducted 2 batches of the Certificate Course on ADR (Arbitration, Mediation & Conciliation) during 2019-20 in Mumbai and Noida.

### 5.10 Digital Accounting and Assurance Board (DAAB)

Strengthening the role of Chartered Accountants as information governance, control, security and audit professionals, ICAI in the year 2018 merged Committee on Information Technology (CIT) with Digital Accounting and Assurance Board (DAAB). DAAB is developing knowledge base through position papers and articles on issues related to impact of technology on accounting and assurance. Research on potential impact of Artificial Intelligence, Robotics Process Automation, Blockchain, Cloud Computing and Big Data on accounting and assurance is being undertaken to develop concept papers. The purpose is to help chartered accountants expand their knowledge and enhance their skills in new areas of digital era.

**Significant Achievements**

**(I) Publications Issued**

- *Guide to Cloud Computing for Accountants*

  This Guide Provides useful insights on basic concepts of cloud computing, deployment models, potential concerns and opportunities for Chartered Accountants in cloud computing environment.

- *Digital Competency Maturity Model (DCMM) for Professional Accounting Firms – Version 2.0 and Implementation Guide*

  This newer version has taken into account discipline specific categorization of accounting firms and related technology adoption for achieving efficiency and productivity gains. It also includes a new section on emerging technologies and also provides guidance on implementation of each of the sections.

- *E-learning on Robotics Process Automation*

  It covers Implementation lifecycle, RPA Delivery Capabilities, Process Evaluation, and Use Cases in Finance and Accounting. This E-learning is available on Digital Learning Hub of ICAI.

- *E-learning on Cybersecurity Basic for Accounting Professionals*

  It covers concepts and cyber security tools. It includes discussion on how chartered accountants can protect their practice against cybersecurity threats and also case studies.

- *Simulation videos on Data consolidation and Analysis in Microsoft Excel with "Show me" and "Try me" approach*

**(II) Initiatives towards Partner in Nation Building**

- Training Programmes/Sessions were organised on Forensic Accounting & Fraud Detection for Indian Corporate Law Services (ICLS) Officer Trainees, Fraud and Forensic for State Bank of India (SBI) officials, Fraud & Forensics for Serious Fraud Investigation Office (SFIO), Training Programme for IAS & Senior Officials of Telangana State Government at Manesar, Hyderabad, Gurugram and Delhi.
- ICAI Course on Blockchain Technology for Professional Accountants for IOCL officers

**(III) Important Events - National & International**

- European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) has adopted "Digital Competency Maturity Model for Professional Accounting Firms (Version 1.0)" issued by DAAB of ICAI for preparing an updated version which may be propagated in Europe.

  Chairman, DAAB represented ICAI at "EFAA International Conference 2019 - Building the Digital Practice" held on June 27, 2019 at Amsterdam wherein EFAA Competency and Maturity Model was launched and contribution of ICAI was acknowledged.

- Joint Research with Institute of Chartered Accountant in England and Wales (ICAEW) on automation in finance and accounting
- ICAI Course on Blockchain Technology for Professional Accountants" was organized at Doha, Dubai and Bahrain.
- National Confrenece/Workshop/Programme/SessionSummit/Seminar/Webinar were organised on Digital Accounting Profession 2.0, Data Analytics and Business Intelligence using KNIME, Advanced

Excel (Data Analytics), Forensic Analytics using CAAT Tools, Practical Guide to IS Audit, Technology, DISA 3.0 Implementation, Quick Walkthrough - DISA Syllabus 2.0 and tips to crack ISA AT exam, Data Analytics Simulation on CBS Files, Self Assessment tool for Practicing Firms at Hyderabad, Kanpur, Indore, Ahmedabad, Patna, New Delhi during the year.

- Refresher Course/Virtual CPE Meeting – Session- on Advance Excel and Data Dashboard/ VCM-Data Analytics Using CAAT Tools/Practical Guide to ISA/ Data Analysis and Visualisation with Microsoft Excel Power Tools and Power BI.
- First time conduct of online DISA Eligibility Test and FAFD Assessment Test. Further first time inhouse Online FAFD Assessment Test was conducted through ICAI Digital Learning Hub.
- Digital Practice Webinar Series
  - Cybersecurity for Accountants – Concepts and Tools
  - Artificial Intelligence, Machine Learning Shaping Fintech Landscape
- 5 days Refresher Course/Virtual CPE Meeting- Session on Data Analysis and Visualisation with Microsoft Excel Power Tools and Power BI

**(IV) Blockchain Technology for Professional Accountants**

The Board has launched five days training programme on Blockchain Technology for Professional Accountants which would provide introduction to blockchain technology and develop use cases in different industries. The course also covers future of blockchain technology in terms of innovation in enabling transparent accounting ecosystem, and its potential to transform current auditing practices. The board had already successfully conducted 12 Programs during the year.

**(V) Post Qualification Course on Information Systems Audit**

Post Qualification Course on Information System Audit (DISA), conducted by the Board, was started in the year 2001 to upskill Chartered Accountants in Information Systems Audit which was in increasing demand. DISA course combined technology, information assurance and information management expertise that enabled a DISA qualified Chartered Accountant to become trusted Information Technology advisor and provider of Information Security Assurance services. From 2001 till date more than 29,000 members have qualified this Course. DISA was also conducted at Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and Institute of Chartered Accountants of Nepal. With a view to benchmark DISA qualification to international standards, the Board is in the process of taking American National Standards Institute (ANSI) Certification. Digital Accounting and Assurance Board had also updated the syllabus for the Post Qualification Course on Information Systems Audit. Total 105 batches organized during the year.

- Launching of revised Course of Information Systems Audit (DISA 3.0) on the occasion of CA day, 01st July 2020.
- Organized 6 days virtual Train the trainer program for DISA 3.0 with an objective to give walkthrough to all the faculties about the revamped syllabus.

**(VI) Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection**

The Board conducts "Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection", and till date around 6,400 members have qualified this Course. The objective of this specialized Course is to help the chartered accountants attain skill of utilizing accounting, auditing, CAATs/ Data Mining Tools, and investigative skills to detect fraud/ mistakes. 55 batches had been conducted during the year.During COVID-19 the Board had conducted 14 Batches of the FAFD Certificate course through virtual mode in which more than 1200 members completed the training

**(VII) Workshops/ Summits/ Training Sessions on Emerging Technologies conducted by the Board**

During the year Board had conducted more than 25 Workshops/ Seminars/ Conferences/ Training Programmes on Emerging Technologies.

**(VIII) MOU between ICAI and Gujarat Forensic Sciences University (GFSU) for carrying out joint advanced practical training in Financial Forensic Auditing and Fraud Investigation**

The Board has entered an MOU with Gujarat Forensic Sciences University, Gandhinagar for organizing Advanced Practical Training in Financial Forensic Auditing and Fraud Investigation for the members of ICAI.

## 5.11 Ethical Standards Board (ESB)

Ethics in the profession of accountancy is invaluable. It is must for all those who rely on the services of chartered accountants. The stakeholders are many - there is a direct and indirect relationship that a chartered accountant has with every member of the society. Here is the role of Ethical Standards Board of the Institute to ensure that the members maintain an impeccable compliance with the professional ethics.

Though the relationship of ethics with the profession of accountancy is as old as the profession itself, the Ethical Standrads Board of the Institute was formed in 1976 with the primary responsibility to formulate principles of Ethics for its members that are stringent enough to gurantee the confidence building in the public.

The Ethical Standards Board develops and issues ethical standards and other pronouncements for chartered accountants. It works towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical behaviour for members while retaining the long cherished ideals of `excellence, independence, integrity' as also to protect the dignity and interests of the members".

The objective of Ethical Standards Board is to set up ethical standards for chartered accountants, converge with the International best practices on ethics, subject to local laws, thereby enhancing the quality and consistency of services provided by chartered accountants and strengthening the public confidence in the profession.

Besides formulating ethical principles for members, the Board also examines and renders advice on ethical issues referred to it. It reviews the 'Code of Ethics' for members from time to time, and publishes the revised editions. The other publications of the Board, namely, 'FAQ on Ethical Issues', and 'Guidance Note on Independence of Auditors' are revised from time to time. The Board promotes public awareness and confidence in the integrity, objectivity, competence and professionalism of members. It also examines and deals with the complaints of members against their unjustified removal as auditors of an entity, as per procedure evolved, and takes necessary steps to protect the interest of its members. The Ethical standards Board will review the terms of reference at every two years.

The Board advises members on the professional issues faced by them in day to day situations. Members can reach us vide Ethics Help Desk, E-Sahayataa, Twitter, E-mail and letters. The Board has webpage on www.icai.org and has a separate portal as well i.e esb.icai.org.

### Significant Achievements

The 12th revised edition of the Code of Ethics has been issued. The revised Code of Ethics is available on the website of the Institute, and has been for the first time, diversified into three volumes.The Code of Ethics, 2009 (11th edition) had parts – "A" & "B", "Part-A" based on Code of Ethics issued by International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), and "Part-B" based on domestic provisions governing the members of the Institute. The revised counterpart of Part-A is referred to as Volume - I of the revised Code, based on IESBA Code of Ethics, 2018 edition. The revised counterpart of Part-B of the Code is referred to as Volume –II. The Volume-III is the Case Laws Referencer, and contains updated Disciplinary Case laws, which were earlier appearing as commentary in Part-B of Code of Ethics. The revised edition of Code of Ethics is effective from 1st July, 2020.

Some important clarifications by Ethical Standards Board:

- It is not permissible for a Chartered Accountants Firm, tax audit of which is done by a sole proprietorship Firm, to audit the business concern of the son of the sole proprietor.
- It is not permissible for members to start online portal for the purpose of e-filing of income tax returns and other services.
- The designation "Registered Valuer" would be deemed as permissible in view of the requirements of clause (7) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949, but the use of abbreviations, whatsoever, would not be permissible.
- It is not permissible for a member in practice can lend loans from his accumulated capital to earn interest on surplus funds as it would amount to other occupation/business. The member may prefer to seek specific permission of the Council, if so desire, in this regard.
- A member in practice may be "Director Simplicitor" in a co- operative credit and thrift society under co- operative societies Act provided he is not acting as a partner of it.

- In view of the provisions of clause (11) of part I of the First schedule to the Chartered Accountant Act, 1949, it is not permitted for members in practice to engage in Derivatives transactions on stock exchange since it is not any kind of investment but more likely a business.
- It is permissible for member in practice to hold Honorary post of executive member/office bearer in a political party.
- It is not permissible for a partnership Firm not registered with the Institute to undertake professional assignments, even if it comprise only of members in practice.
- It is not permissible for a member to undertake the assignment of certification , wherein the client is relative of the member. The "relative" for this purpose would refer to the definition mentioned in Accounting Standard (AS) -18.
- It is not permitted for members to engage in share trading, however, they may hold shares for the purpose of investment.

## 5.12 Expert Advisory Committee (EAC)

The EAC was constituted by the Institute in the year 1975 to give guidance to members of the Institute and other stakeholders on accounting, auditing and allied matters in accordance with the Advisory Service Rules. The accounting professionals are often exposed to intricate and complex issues related to financial reporting. Keeping this in mind, the Expert Advisory Committee (EAC) reply to the queries received from the members of the Institute.

The opinions given by the Committee are published as a Compendium of Opinions. So far, thirty-six volumes of the Compendium have been published. The role of EAC has always been vital in strengthening sound accounting and auditing practices especially keeping in line with the expectations of the various stakeholders.

### (I) Expert Opinions

The Committee replies to the queries on issues pertaining to accounting and/or auditing principles under specific situations/circumstances in the form of Opinions. However, it does not reply to queries which involve legal interpretation of various enactments. The Committee accepts the queries in accordance with Advisory Service Rules framed for this purpose. The Committee also does not answer queries which concern a matter pending before the Disciplinary Committee of the Institute, any court of law, the Income-tax authorities or any other department of the Government. These Rules are available on the web-site of the ICAI, at its hyperlink, http://www.icai.org/new_category.html?c_id=142 or can be obtained from the Institute's Head Office at New Delhi.

The services rendered by EAC have been lauded by Regulators and other Government authorities, such as, Ministry of Corporate Affairs (MCA), Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Securities and Exchange Board of India (SEBI) etc. These Regulators/authorities seek its opinion whenever they are posed with any complex issues related to accounting and auditing principles.

The opinions expressed by the Expert Advisory Committee are based on the facts supplied and considering the relevant legal position and the accounting/auditing principles prevailing on the date the Committee finalises the opinion.

### (II) 42 opinions issued during the period

The Committee has finalised 40 opinions on the queries referred on various accounting issues by the members of the Institute such as Amortisation of leasehold land, provision for pay revision, classification of spares, Cash Basis Accounting by AIF, Creation of deferral account balances, Valuation of inventories of iron ore fines, Principal Vs. Agent classification under Ind AS 115, Disclosure of feedstock subsidy, Amortisation of stamp duty and registration charges pais/payable towards execution of mining lease deeds, Non-recognition of deferred tax assets on provision for warranty, replacement, inventory and doubtful debts and claims, Accounting treatment for- project insurance, employee benefits expenses/rent expenses/travelling expenses/housekeeping expenses incurred doe construction of project, security deposit under RGGLVY, embedded derivatives in non financial host contracts as per IND As 109, leasehold land, Dedicated Freight Corridor Concession Agreement etc and 2 opinions on different accounting issues received from the Regulators/ Government authorities.

### (III) Webcast on "Contemporary issues under Ind AS opined by the EAC"

In order to disseminate knowledge and information and to create awareness amongst the members and other stakeholders with regard to the services rendered and also on the opinions issued by the Committee, a Webcast on "Contemporary issues under Ind AS opined by the Expert Advisory Committee" was organised on April 15, 2020. The Webcast was a huge success with the total IPs of 4923 and total viewers hits of 15634.

**(IV) Compendium of Opinions**

➢ In the interest of members and for their guidance, EAC publishes its opinions in the form of a publication, namely, 'Compendium of Opinions'. As of now, there are thirty-six volumes of the Compendium of Opinions and each volume contains opinions finalised during a Council Year. These volumes have extensive readership and accountants refer to the opinions contained in these volumes for guidance while discharging their duties. An advanced and user friendly search facility containing around 1400 opinions contained in these volumes has also been developed by the Committee and the same is hosted on the website of the Institute at the hyperlink https://www.icai.org/new_post.html?post_id=968&c_id=60 . The next Volume in series, viz., Volume XXXVII of the Compendium of Opinions is under compilation and is expected to be released very shortly.

➢ Some of the opinions finalised by the Committee which are of general professional relevance, are published in every issue of the Institute's Journal, 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also hosted on the website of the Institute.

## 5.13 Financial Reporting Review Board (FRRB)

In its endeavor to improve financial reporting practices, the ICAI through FRRB reviews the General Purpose Financial Statements of various enterprises and the auditors' report thereon. The Board aims to maintain an environment of sound financial reporting and also to improve transparency in financial reporting, which is important to promote investor confidence in audited financial statements. The Board also supports various regulators viz MCA, SEBI, ECI and other regulators by undertaking review of cases as referred by them time to time.

**(I) Accomplishments of the year:**

*Undertaken review (*Review of Cases selected on suo motto basis or as Special)-During this period, the Board has completed the review of 84 cases selected on suo motto basis or as special case. It includes review of 20 financial statements undertaken as special cases and 9 Ind-AS Financial Statements.

**(II) Contribution to Society – Commitment to Nation**

In its endeavour to support regulators, the following significant assignments were performed by the Board during the period:

➢ Status of review of cases referred by Regulators

- Election Commission of India has appreciated the role played by FRRB in previous years for reviewing annual audited accounts of various political parties and also holding a workshop for auditors of political parties. It has again requested FRRB to undertake review of the annual audited accounts of at least six National political parties and recognized parties with income/ expenditure exceeding Rs. 10 Crore. Accordingly, the Board has undertaken the review of 15 annual audited accounts of political parties, pertaining to financial year 2016-17 and 2017-18.
- During the year, the Board has also undertaken (as special cases) review of 14 general purpose financial statement and auditor's reports thereon of various enterprises as referred by Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, based on media reports and other references received.
- Based on the list of companies under liquidation received from Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI), the Board has undertaken the review of 25 selected listed companies.
- Office of the Comptroller & Auditor General of India shared the list of CA Firms with ICAI, which were identified as "Unsatisfactory Performance as auditors of Public Sector Undertakings" and wherein advisory has been issued or the firms has been debarred for a specific period. The Board has undertaken the review of the general purpose Financial Statements of the 5 enterprises for which C&AG has issued advisory to the audit firm.

**(III) Publication: Article in Journal**

With a view to apprise the members of the Institute and others concerned about the non-compliances observed during the review, the Board initiated a series of articles in journal regarding 'Non-Compliance with various Reporting Obligations' pertaining to various Accounting Standards. In this direction, , 8 articles on 'Non-Compliance with Reporting Obligations' pertaining to AS 2: Inventories, AS 3: Cash Flow Statement, AS 15: Employee Benefits, AS 18: Related Party Disclosures, AS 22: Accounting for Taxes on Income, Companies (Auditor's Report) Order, AS 5: Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and

Changes in Accounting Policies, AS 9: Revenue Recognition, AS 11: The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, AS 20: Earning per Share, AS 13: Accounting for Investments and AS 26: Intangible Assetshave been published in the Institute's Journal, 'The Chartered Accountant', in the issue of April, 2019, May 2019, June 2019, August 2019, September 2019, October 2019, November 2019 and December 2019 respectively.

**(IV) Empowering Members and Capacity Building**

To enhance the knowledge of members on review skill as well as the latest developments taking place in accounting standards, standards on auditing and other financial reporting requirement, the following activities were undertaken during this period:

- *Webcast on Commonly found Non-Compliances*-The Board initiated to organize series of webcasts on commonly found non-compliances observed in the financial statements by the Board on regular basis. In view of the same, 9 Live Webcasts were organized on Commonly Found Non-compliances on AS 15, AS 3, AS 2, AS 18, Companies Act, 2013, AS 22, CARO, AS 5, AS 9, AS 11, AS 20, AS 13 and AS 26 and were well attended by members.
- *Webinars on Commonly Observed Errors in Application of Accounting Standards*-In preparation of financial statements under Accounting Standards, various errors are commonly observed in context of application of Accounting Standards. Accordingly, a webinar on "Commonly Observed Errors in Application of Accounting Standards" has been conducted on 15-18 June, 2020, jointly with ASB, to enhance the knowledge of members of the ICAI in the area of application of Accounting Standards.
- *Empanelment of Technical Reviewers*-To conduct the detailed review of IND-AS based Financial Statements, the Board is in the process of empanelling more Technical Reviewers having expertise in Ind AS (IFRS).

**5.14 GST and Indirect Taxes Committee (GST & IDTC)**

**(I) Input/ Representation/presentation to/before the Government:** The Committee has submitted following inputs/ presentations/ representations to/before the Government:

- Suggestions on GST Annual Return and Audit Certificates for the Year 2017-18 on 12th September, 2019.
- The Committee supported GSTN in drafting an e-invoice standard.
- Pre-Budget Memorandum, 2020
- Presentation before Hon'ble Finance Minister on Return filing issues made on 16th November, 2019.
- Presentation before the Officials of the Central Board of Indirect Taxes and Customs highlighting the suggestions contained in Pre-Budget Memorandum, 2020 made on 5th December, 2019.
- Representation for providing relaxation to the taxpayers under GST due to COVID – 19 was submitted on 18th March, 2020.
- Representation to extend the due date of payment by further 60 days in the said SVLDR Scheme was submitted on 20th March, 2020.
- Representation highlighting the difficulties being faced by the Registered Person in filing GST Annual Return for financial years 2018-19, who had not filed their Annual Return for financial years 2017-18 was submitted on 27th February, 2020.
- Representation for providing separate login facility to CA for filing Reconciliation Statement in Form 9C in line with Income Tax Audit was submitted on 3rd March, 2020.
- Representation requesting the withdrawal of sub-rule 4 to Rule 36 from retrospective effect was submitted on 3rd March, 2020.
- Representation for Permitting availment of input tax credit pertaining to Financial Year 2018-19 till due date of filing of Annual Return was submitted on 3rd March, 2020.
- Representation for providing facility for mentioning UDIN in all the forms/Certificates to be certified/ issued by CAs was submitted on 3rd March, 2020.
- Representation for extending date for filing GST Annual Return and Audit submitted on August 21, 2019.

- Representation for correcting technical glitches in filing of Annual Return & Audit i.e. Form 9/ 9C submitted on June 13, 2019.
- Representation for extending date for filing of statement by a Composition Supplier and payment of tax for the quarter ending June 30, 2019 submitted on July 17, 2019.
- Representation for inclusion of CA Member in the GST Grievance Redressal Committee
- Representation for change in Jurisdiction of Daman and Dadra & Nagar Haveli from GSTAT Mumbai to GSTAT Surat Area Bench was submitted on 30th Dec, 2019.

**(II) Publication – A research Initiatives:** The Committee brought out/revised following publications on GST and other Indirect Taxes:

- Handbook on Registration under GST - 1st *Edition – May, 2020*
- Handbook on E-way Bill under GST - 1st *Edition – April, 2020*
- Handbook on Annual Return under GST - 1st *Edition – May, 2020*
- Handbook on Refund under GST - 1st *Edition – April, 2020*
- Handbook on TDS provision under GST - 1st *Edition – May, 2020*
- Handbook on Interest, Late Fee and Penalties under GST - 1st *Edition – May, 2020*
- Handbook on Advance Ruling under GST - 1st *Edition – May, 2020*
- Handbook on Reverse Charge under GST - 1st *Edition – May, 2020*
- Handbook on Casual Taxable Person under GST - 1st *Edition – May, 2020*
- Handbook on Invoicing under GST - 1st *Edition – May, 2020*
- Handbook on Job Work under GST – 3rd *Edition – May, 2020*
- Guide to CA Certificates in GST - 1st *Edition – February, 2020*
- Handbook on Exempted Supplies under GST- 2nd *Edition – February, 2020*
- Background Material on GST– 8th *Edition – November, 2019*
- Bare Law on GST Acts and Rules – 4th *Edition - October, 2019*
- Technical Guide on GST Audit - 2nd *Edition – May, 2019*
- Background Material on Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019– 1st *Edition – October, 2019*
- BGM on training programme for Government officials – Oct, 2019

**(III) E-initiatives**

- *Course on Reconciliation Statement, Audit & Appeals and conversion*-The Committee organised an online five days Course on Reconciliation Statement, Audit & Appeals from 25th April to 3rd May, 2020 which was subscribed by 1600 members.
- *Certificate Course through Virtual classes*-A batch of the virtual classes was organised for incomplete batch of the Course at Gwalior and Surat from 18th May, 2020 to 1st June, 2020. Further, two new batches of the Course were organised in June, 2020 which were attended by 200 participants.
- *Series of Live webcast on GST*- Committee organized a Five days Live Webcasts Series on GST which was on an average viewed by 10,000 members.
- *LIVE Webcasts*-With a view to update the members and taking the benefit of technology, the Committee has been regularly organising LIVE Webcasts, which can be viewed by members from their workstation/home with a click of mouse. During the period, the Committee has organised 16 Live Webcast for the benefit of members at large.
- *Recorded video on GST Annual Return*-The Committee has recorded video on all the Table of GST Annual Return and hosted 30 videos for the benefit of members at large.

  -The Committee has hosted 75 short video on various aspects of GST recorded in the Council Year 2018-19 on the ICAI common portal https://learning.icai.org/LX/contents/content_home?current_community_id=idtc-gst-2019-746-1666&content_player=true.

**(IV) Other Initatives:**

- *ICAI E-Newsletter on GST*: ICAI has been issuing its newsletter on GST from April, 2017. 27 issues of the same have been released till June, 2020.
- *Standardised PPT on GST*: The Committee has developed Standardized PPT on GST and hosted on the website with a view to provide guidance to the faculty members and bring uniformity in the session of GST in the programme as well as proving a tool to members to learn GST through PPT.
- *ICAI's contribution in GST recognized by GSTN:* The Goods and Services Tax Network (GSTN) on the occasion of its foundation day on April 5, 2019 felicitated ICAI in recognition of its contribution and support in development of GST ecosystem. It was handed over by Shri Navin Kumar, Chief Guest, former Chairman, GSTN in the presence of Shri Ajay Bhushan Pandey, Chairman, GSTN & Revenue Secretary Government of India and Shri Krishnamurthy Subramanian, Chief Economic Advisor.
- *GST Survey*-A report on impact of GST in India based on the survey conducted on the entire gamut of GST Implementation was developed. Further, impact of GST on industry like Textile, FMCG, Tea, Jute and Tour Industry has also been included in the aforesaid report. Committee had formed 12 Study Groups to conduct survey and develop concept papers on GST impact on industry.
- *Indirect Taxes Updates including legal update*-With a view to update the members, summary of significant notifications, circulars and other important development in the area of Indirect Taxes, including GST are regularly been circulated among the IDT NET registered members on the website of the Committee https://idtc.icai.org/
- *Training Programme for Government Officials*: With a view to help the Government in capacity building and partner them in Nation Building, the Committee organised 9 training programmes on GST at various Commissionerates across the Country.
- *Outreach Programme on Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019*: The Committee has organised an Outreach programme on Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019 jointly with Central Good & Services Tax (CGST & CX), Delhi Zone which was attended by more than 200 participants. Further, similar outreach programmes were organised jointly with Vishakhapatnam and Pune Commissionerate.

**(V) Awareness programme for members through Course, workshop, conferences etc.**

- Certificate Course on GST: With a view to facilitate the members with the specialized knowledge in the area of GST in a systematic manner and enhancing their skills, the Committee has organised 27 batches of Certificate Course on GST during the year which have been attended by 1159 members.
- National Programme/ Conferences-With a view to update the members and assist them to continue to enjoy the edge over other profession, the Committee has organised six National Programme/ Conferences as a nationwide outreach programme at Jharsuguda, Chennai, Ernakulam, Pimpri Chinchwad, Surat and Pune which have been attended by approx. 3641 members.
- Programmes, Seminars and Conferences: During the period, 70 programmes, seminars, conferences and workshops etc. have been organised by the Committee, which were attended by more than 10000 members.

### 5.15 Internal Audit Standards Board (IASB)

Organizations today are faced with a wide range of risks such as, strategy, culture and ethics, IT and data security, etc., in addition to their traditional focus on financial risks and controls. It thus becomes important that the internal auditor possesses superior business acumen, dynamic communication skills, unflinching integrity and ethics, excellent grasp of business risks and rich experience to tackle these risks.

In order to facilitate the members to do so, the Board is working relentlessly to bring out high quality technical literature in the form of Standards on Internal Audit and Technical Guides/ Studies/ Manuals, which constitute an important tool in helping internal auditors to provide effective and efficient internal audit services to the clients and/ or employers.

**(I)Standards on Internal Audit (SIAs)**

These Standards on Internal Audit are performance benchmarks as they represent the best practices in internal auditing and other assurance services performed by the members. The Board has also initiated the process of making Standards on Internal Audit mandatory for certain class of companies in a phased manner. Mandatory status of SIAs will act as a starting point for ICAI to chalk out a road map for enhancing relevance of internal audit profession.

These principle-based Standards would support the members in discharging their duties as highly valued, trusted advisors and groom them as stalwarts in the profession. The Internal Audit Standards Board has issued following revised Standards on Internal Audit during this period:

- Standard on Internal Audit (SIA) 120, *Internal Controls*
- Standard on Internal Audit (SIA) 350, *Review and Supervision of Audit Assignments*
- Standard on Internal Audit (SIA) 390, *Monitoring and Reporting of Prior Audit Issues*
- The Board has also brought out *Compendium of Standards on Internal Audit (As on February 1, 2020)* as a one stop reference for members practicing in the area of internal audit.

The Board is also in the process of issuing the following Standards on Internal Audit:

- Standard on Internal Audit (SIA) 130, *Risk Management*
- Standard on Internal Audit (SIA) 520, *Auditing in an Information Technology Environment*
- Standard on Internal Audit (SIA) 530, *Third Party Service Provider*
- Standard on Internal Audit (SIA) 140, *Governance*
- Standard on Internal Audit (SIA) 150, *Compliance with Laws and Regulations*
- Standard on Internal Audit (SIA) 250, *Communication with Those Charged with Governance*

**(II) Industry Specific and Generic Internal Audit Guides**

The Board had constituted study group for various projects i.e., Revision of Manual on Concurrent Audit of Banks (2016 edition), Technical Guide on Internal Audit of FMCG Sector, Revision of Technical Guide on Risk Based Internal Audit in Banks, Revision of Technical Guide on Internal Audit of Pharmaceutical, Revision of Technical Guide on Internal Audit of Stock Brokers, Technical Guide on Internal Audit of Alcoholic Beverage Industry and Revision of Study on Fraud Investigative Audits.

**(III) Certificate Course on Concurrent Audit of Banks**

The Internal Audit Standards Board of the ICAI is conducting Certificate Course on "Concurrent Audit of Banks" to enable members to understand the intricacies of concurrent audit of banks. The Board has successfully completed 48 batches of the Certificate Course on Concurrent Audit of Banks at various places and around 840 members have successfully qualified the Course during this period.

**(IV)Virtual Certificate Course on Concurrent Audit of Banks**

The Board had organised 28 batches of Virtual Certificate Course on Concurrent Audit of Banks during the period and around 1,750 participants have successfully attended the course.

**(V) E-learning of Certificate Course on Concurrent Audit of Banks**

With a view to provide easy access to the members, the Board has also taken up the project of development of e-learning modules of "Certificate Course on Concurrent Audit of Banks" which would include quizzes and case studies on practical aspects of concurrent audit.

Further, videos recordings of all the sessions of E-learning of Certificate Course on Concurrent Audit of Banks have been recorded and uploaded on E-learning platform of the Institute.

**(VI)Certificate Course on Internal Audit**

The Board is revising Course Structure for "Certificate Course on Internal Audit", which has been completely revamped with new topics and heavy dose of information technology. Videos recordings of all the modules of E-learning of Certificate Course on Internal Audit have been done and uploaded on E-learning platform of the Institute. The Board is currently planning to organise Faculty Development Program for the identified faculties of the course. Thereafter, the Board will finalise the schedule of batches for this course.

**(VII) Programmes, Seminars, Conferences and Webinars on Awareness on Internal Audit**

With a view to provide platform of dissemination of knowledge among members, the Board has organized 14 programs on Internal Audit at various places such as New Delhi, Amritsar, Jalgaon, Nashik, Gurugram, Bengaluru, Ahmedabad, Bhuj, Gandhidham, Ernakulam, Visakhapatnam and Yamunanagar, during this period. The Board has also organized two Live Webcasts on Coronavirus (COVID- 19)- Its Impact on Internal Audit and on Indian Auto Sector: Adaptive Risk Management Framework in Times of Uncertainty.

**5.16 Committee on International Taxation (CIT)**

**(I)Representations/ Interactions with Government**

- Submission for inclusion in the Post Budget Memorandum.
- Submission of Pre Budget Memoranda, 2020 pertaining to International Taxation.
- Representation regarding Public consultation on the proposal for amendment of Income-tax Rules 1962, to insert new rule 29BA and Form 15E, to give effect to the amendment in section 195 of the Income-tax Act, 1961 (the Act) vide Finance (No.2) Act 2019.
- Representation regarding request to consider extension of validity of Tax Residency Certificates.
- Representation for addressing the issues being faced by assessees in respect of International Taxation and Transfer Pricing.

**(II) Conferences/Seminars/Workshops/Webcasts on International Taxation (1.04.2019 to 30.6.2020)**

The Committee organised Live Webcasts/Seminars/National Conferences/Workshops on GAAR- Issues and Case Studies, Royalties and Fees for Technical Services – Case Studies, Tax proposals of Union Budget 2019, International Taxation, TDS u/s 195 & 15CA/CB Certification, Overview of Multilateral Instruments (MLI), Transfer Pricing and International Taxation, Highlights of tax proposals of Union Budget 2020-21, Tax Treaty related impact due to COVID-19, NRI Taxation- Recent Amendments- Analysis and Implication, Certain Important Amendments by the Finance Act, 2020 – International Taxation at New Delhi, Mumbai and Gurugram during this period.

**(III) Post Qualification Diploma in International Taxation**

The Committee has conducted 7 batches of Diploma Course in International Taxation with 471 participants during the period at Ghaziabad, Mumbai, Pune, Bengaluru, Gurugram, Mumbai and Chennai.

**(IV) Other initiatives**

- The Committee has added e-learning modules on some of the important topics as per following details:
  - Place of Effective Management
  - Foreign Tax Credit
  - Interpretation of Tax Treaties including perspective on MLI
- Revision of the following publications was undertaken
  - Background Material of Diploma in International Tax course
  - Technical Guide on Expatriates Taxation
  - Guidance Note on Report under section 92E of the Income tax Act, 1961 (Transfer Pricing)
- The Committee has released its new publication *"Cross Border Transactions and Investments"*.
- Contribution of articles on International taxation in CA Journal.
- Regular updates to the members on the subject of International Taxation to domestic as well as overseas members.The Committee has entered into an arrangement with Capital Market Publishers India Pvt. Ltd. for 3 years w.e.f 21.12.2019 to grant licenses of Capitaline corporate database to the practising Chartered Accountants and CA firms at a special discounted offer.

## 5.17 Committee for Members in Industry and Business (CMI&B)

The Committee for Members in Industry & Business (CMI&B), which is one of the non-standing Committees of the Council, serves as a platform to facilitate synchronization between individual and organizational goals, create an interface between ICAI and industry, and recognize/ project Chartered Accountants beyond the traditional fields and as skilled and knowledgeable professionals on all aspects of functioning in company, business and commerce. The Committee seeks to encourage and enhance close links between CAs in industry and business and the ICAI. To support this endeavour, the CMI&B has been organizing various knowledge-enriching conferences, industry meets and outreach programmes for the benefit of the members. Other important activities of CMI&B include providing placement opportunities to both young and experienced Chartered Accountants through campus placement programmes and ICAI job portal, organizing the prestigious ICAI Awards to recognize exemplary achievements of Chartered Accountants in business and industry, formation of CPE study circles, etc., in the interests of members. Major activities that took place during the period under report are:

### (I) PLACEMENT PROGRAMMES:

*Campus Placement for newly qualified CAs:*

- *August-September 2019*: These were held at 18 centres wherein 9051 candidates registered, out of which 6491 appeared for interviews. 137 organisations participated and offered job to 2135 candidates. Highest salary (cost to company) offered was INR 24.00 lakh per annum for domestic posting and INR 36.00 lakh per annum for international posting.
- *February-March 2020*: Before nationwide lockdown was announced, the interviews were held in 9 major centres, wherein 9272 candidates were registered for both 9 major centres and 9 smaller centres. A total of 94 organisations participated at 9 major centres and 6 smaller centres. 2307 jobs were offered at major centres. Due to lockdown due to Covid-19 pandemic, interviews were held by virtual mode at 6 smaller centres in the month of June, 2020 wherein 444 jobs were offered, taking the total number of jobs offered to 2751. Highest salary (cost to company) offered was INR 21.57 lakh per annum for domestic posting.

*Special Placement Programme for CA Final Rank Holders:*

- *1st Special Placement Programme*: Special Placement Programme was held on 8th September, 2019 at Bengaluru wherein 10 organisations participated, and 82 participants appeared for the interviews, and all were offered jobs. The highest salary (cost to company) offered was INR 24 lakh per annum for domestic posting and INR 36 lakh per annum for international posting.
- *2nd Special Placement Programme*: Special Placement Programme was held on 25th February, 2020 at Bengaluru wherein 14 organisations participated and 85 candidates were offered jobs, out of total number of 127 candidates. The highest salary (cost to company) offered was INR 21.18 lakh per annum.

*Placement for experienced CAs:*

*Lateral Placement*: Lateral Placement was organised successfully from 25th–28th June, 2019 to provide a platform for placement opportunities to experienced Chartered Accountants to secure career advancement in leading organizations. 14 companies (17 interview teams) participated with 226 vacancies.

### (II) MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMME:

- *1st Batch of MDP*: First batch of MDP for CA-Final Rank Holders was successfully conducted from 22nd August to 13th September, 2019 at Bengaluru in collaboration with Manipal Global Education. Out of the total 199 rank holders, 89 participants registered (73 general and 16 EWS) for the said programme.
- *2nd Batch of MDP*: Second Batch of MDP was conducted from 3rd to 25th February, 2020 at County campus of Manipal Global Education, Bengaluru in which out of total 205 rank holders, 127 participated (84 General and 43 EWS) for the said programme.

### (III) AWARDS

*13th ICAI Awards and Leadership Summit 2020*: The Committee had successfully organized 13th ICAI Awards and Leadership Summit on 14th January, 2020 at Hotel Sahara Star, Mumbai. ICAI does not just create great professionals but also acknowledges their service to the profession through these prestigious awards which seeks to honour an individual who possess excellent skills, dedication, enthusiasm,

leadership and the ability to deliver the best. 25 Awardees were felicitated by the august hands of Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Railways & Commerce and Industry. Jury panel under the chairmanship of Shri Kishore Biyani, Founder, Future Group selected the awardees.

To add value to the event, Leadership Summit 2020, a multi-track summit was organized on the same day. It was designed and formulated in a manner to update the knowledge of the members on Contemporary and path breaking topics, which were of relevance to their professional domain and interest.

**(IV) PROGRAMMES ORGANISED**:

Various programmes, including seminars, live webcasts, interactive meets, CFO Meets, etc., were organized on contemporary topics i.e Formation of New Industrial Policy, FTP, FEMA-Foreign Investment, FDI, ODI: Policy, Regulations & Way Forward, Risks, Covid-19 Impact on self, Industry, Economy & Stock Market, ICAI Leadership Summit – Post COVID 19 Scenario, FEMA, The World and India- Post COVID 19, Navigating the path to Professional Success at Raipur, Gururam, Alleppey, Thiruvananthapuram, Noida, Ghaziabad, Chandigarh, Bengaluru, Nagpur, Aurangabad and Coimbatore during the year .

**(V) OTHER INITATIVES**

- *New CPE Study Circles for Members in Industry* -CMI&B has formed Cyber Hub CPE Study Circle of Indus Towers Limited Ltd for Members in Industry of ICAI.
- *Launching of Mentorship Portal*-CMI&B has launched Mentorship Portal (https://mentorship.icai.org) on 14th January, 2020 for facilitating the growth and development of the CAs by building bridges between emerging and established professionals.
- *Publication*-CMI&B has launched Quick Insight on GST- Banking Sector on 14th January, 2020 at 13th ICAI Award function.

## 5.18 Peer Review Board (PRB)

The Peer Review Board was established in 2002, recognizing the need to ensure the quality of services provided by practicing Chartered Accountants.The Peer Review is aimed to ensure that in carrying out the assurance service assignment, the members of the Institute (a) comply with Technical, Professional and Ethical Standards as applicable including other regulatory requirements thereto and (b) have in place proper systems including documentation thereof, to amply demonstrate the quality of the assurance services. The Peer Review is conducted of a Practice Unit by an independent evaluator known as a Peer Reviewer.

The requirements of two regulators - SEBI and C&AG, in recognition of the Board's endeavor are stated below:-

- SEBI with effect from April 1, 2010, has made it mandatory for the listed entities, that limited review/statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued by the 'Peer Review Board' of the Institute.
- C&AG has recognized Board's work; as it seeks details from the CA firms about their Peer Review Status in the application form for allotment of audit for Public Sector Undertakings. Furthermore, from last few years, the C&AG annually seek details from ICAI of those firms which have been issued certificate by the Board.

**ACTIVITIES/ INITIATIVES:**

**(I) Peer Review of Practice Units:**

Continuous efforts are being made to enhance the scope of peer review making it more effective and also to have more practicing units being peer reviewed. The planned efforts of the Board coupled with effective performance of the Peer Reviewers inspired the practice units to continually improve the quality of services that they render to the society at large. Greater emphasis is being given on proper selection of samples and effective review. The Peer Review Board has considered and issued 11855 Peer Review Certificates till June 30, 2020.

**(II) Training & Empanelment of Peer Reviewers:**

To ensure that there is consistency and uniformity in carrying out reviews, the Board imparts training to the Reviewers before assigning them the practice units for review. Board has organized 211 Peer Review training programmes all over India since inception, out of which 21 Training programmes have been held during the year. Peer Review Board has empanelled and trained 6073 Peer Reviewers since inception.

*Futuristic plans*: Going forward, the Board plans to update the Peer reviewers and the trainers with the revised Peer Review Process. With this objective, the Board will organise the following online programmes:

- Train the Trainer : To train the existing trainers
- Train the existing Reviewers - Trainers to train the existing Reviewers
- To conduct training for prospective reviewers and also organize empanelment tests for them.

**(III) National Conference/Live webinars**

Three National Conferences at Ghaziabad, Jabalpur and Noida have been organised, during the year. Six webinars have been organised during the year on the topics Audit Documentation with Special Emphasis on Bank Audit, Documentation to be maintained for Statutory Audit, Documentation for Peer Review Process, Small & Medium Practice Units – How to make best use of Peer Review and Audit Documentation and Reporting in Peer Review Process.

**(IV) Revision of Various Publications of the Board**

The following existing publications of Peer Review Board have been revised:

- *The Statement on Peer Review* has been revised by the Board and approved by the Council in its Meeting held in April 2020. The same has become effective from 1st July, 2020.
- *The Peer Review Manual* : The publication has been Revised by the Board to incorporate various Changes made in the Statement on Peer Review. The various formats of Declaration of Practice Unit, Reviewer, Questionnaire, Annexures etc. have been revised and form Part of Appendix of the Manual. Recommended checklists pertaining to Accounting Standards, Standards on auditing have been updated and checklist of Ind AS has been added. The Manual has been made more user friendly by introducing effective picturesque flowchart to have a better understanding of Step by step Peer Review Procedure, Onsite and offsite Procedures, Process Flows etc.
- *Handbook on Advisories*: An amalgamation of the existing publications 'Handbook on Advisories for Practice Units', 'Handbook on Advisories for Peer Reviewers' and 'FAQs' has been made. The recent changes made by the Board regarding the Peer Review Process, sample size, fees of Peer Review, Illustrative Time schedule, etc. have been incorporated in the handbook. The Handbook is a guide for the Peer Reviewers as well as the Practice Units as it contains advisories for them as well as a plethora of frequently asked questions.

**(V) Revision of fees for Peer Review**

In exercise of the power vested in the Peer Review Board by the Statement on Peer Review, the Board at its 64th meeting held on 4th June, 2020 has revised fees for Peer Review including honorarium and TA/DA for reviewer and his qualified assistant. Prior to revision, the fees for Peer Review varied from Rs 15000 to Rs 1,00,000 depending upon the Average gross receipts/ Revenue from assurance service Clients of Practice Unit (Per Annum) for the period under review. The upper limit has been increased to Rs. 5,00,000 for Practice Units having Average gross receipts/ Revenue from assurance service Clients above Rs. 30 crore p.a. The revised fee structure is hosted on the website at https://resource.cdn.icai.org/24073revised_cpr_prb.pdf

**(VI) Revision of Sample selection Criteria**

The Board at its 64th meeting held on 4th June, 2020 has also revised the criteria of minimum sample selection for the reviewers. The Revised sample selection criteria is hosted on the website at https://resource.cdn.icai.org/60093prb-sample-review.pdf . Minimum sample to be selected by the reviewer is based on the Level of Practice Unit as well as average gross receipts/ revenue from assurance service Clients of Practice Unit (Per Annum) for the period under review.

**(VII) Development of online forms for collating Data from Peer Reviewers and Practice Units for System update**

For better transparency and good governance an online form has been developed for collating current data of existing Practice Units (PUs) and empanelled Peer Reviewers (REs). Mass mails will be sent to these PUs and REs with a request to fill their particulars in the form. The form is also intended to capture the expression of interest from the Empanelled Peer Reviewers to ascertain whether they wish to continue to act as Reviewers and categorisation of Reviewers into LI and LII category. Likewise, the data of PUs will also be captured to categorise them into LI and LII firms.The data so collated is intended to be pushed in the new software being developed for the Peer Review Board to automate the Peer Review process.

**(VIII) Utilizing social media platform for creating awareness about the importance of the Peer Review**

Creatives with short taglines have been developed and designed to create awareness about the importance of Peer Review Process through social media platform.

**(IX) Peer Review software**

The peer review process will shortly be steered through a software.

**(X) Grant of Extension regarding validity of Peer review Certificate in wake of COVID-19**

In the wake of COVID -19 spurt and the extension of nation wise lockdown as well as partial reliefs granted by various State Governments in phased manner, members were facing hardships in getting the Peer Review Process completed. Accordingly, the Peer Review Board has hosted an Announcement dated 30.3.2020 on the website at https://resource.cdn.icai.org/58882prb47971.pdf and also has granted further extensions by hosting a new Announcement dated 29.5.2020 regarding 'Further extensions regarding the validity of Peer Review Certificate in the wake of COVID -19 spurt across the country' on ICAI website at https://resource.cdn.icai.org/59761prb48614.pdf

## 5.19 Professional Development Committee (PDC)

The Committee was established in 1962 with the mission to explore and develop opportunities for the use of the professional talents and skills of Chartered Accountants in different sectors of the world of business. The Committee in its efforts to explore the unchartered areas for professional opportunities interact with the Central and State Government, Regulatory Authorities, other agencies etc. requesting them to avail the expertise of the Chartered Accountants and utilize their services in various areas.

Since 2019, the Committee has been looking into the areas of Co-operatives and NPO sectors to equip members and other stakeholders to find a new niche for themselves and as well as maintaining and developing the core competencies in the Co-operatives and NPO sectors.

With a view to enhance skill sets of Chartered Accountants in the existing and new areas, it also organizes webinars, seminars, workshops on contemporary areas of interest.

**(I) Meetings with various Regulators on matters for professional relevance**

- *RBI on "Cyber Security Framework"*: The representatives from ICAI met the team of CSITE Cell of Department of Banking Supervision, RBI on 18th April 2019 in Mumbai for the additional certification by Statutory Auditors for the first time on "Cyber Security Framework". On acceding to ICAI's request, RBI advised SCAs on the methodology to be followed by them to assess the level of compliance by banks in this regard and advised that the Certificate in this regard may be submitted by SCAs along with the Long Form Audit Report (LFAR).
- *Meeting held with RBI*: The Chairman and Vice Chairman, PDC had a meeting with Shri R Subramanian, Chief General Manager-in-Charge, DBS, Smt. Divya S Daur, General Manager, Audit Regulation Section in the month of June, 2019 wherein issues relating to strengthening concurrent audit of banks, Reduction in Statutory Central Auditors by Public Sector Banks, Policy of Rotation and Resting in Statutory Bank Branch allotment etc faced by various Auditors while conducting Bank Audits were discussed with them.
- *Meeting held with NABARD*: The Chairman and Vice Chairman, PDC had a meeting with Shri K Raghavendra Rao, CGM, Ms. Sarita Arora, CGM and other officials of NABARD on 3rd June, 2019. During the meeting, several concerns relating to the profession like gaps in audit, divergence in Audit and Inspection Report, LFAR and Auditors' Qualification and adherence to Accounting Standards etc. were discussed. Various matters such as upward revision in audit fee of Regional Rural Banks (RRBs), separate fee for tax audit, limited number of branches to be allotted to one auditor and consideration of Sole Proprietorship firm for the allotment of audit etc. were also discussed on which NABARD has expressed their positive response.
- *Meeting with officials of Indian Banks' Association* Chairman and Vice Chairman, PDC had a meeting with Shri K. Eswar, Sr. Advisor of IBA on 3rd June, 2019 wherein the stringent criteria as mentioned in the tender floated by them for empanelment of Forensic Audit and extension of its date was discussed. The responses so received by IBA till that time was sufficient, hence, requirement was felt by them to withdraw or extend the said tender.Further, to emphasize upon the utilization of the Software for Selection and Allotment of Bank Branch Audit so developed by ICAI by all the banks with joint efforts, IBA has agreed to arrange for the demonstration by ICAI wherein all the banks would attend.

**(II) Software for Allotment of Bank Branch Audit**

The Institute has over the years expressed its concerns on the issue of appointment of auditors of Public Sector Banks by the Banks' Board themselves. The Management of Public Sector Banks do not have any major ownership interest, this autonomy of appointment of auditors by management is fraught with risk in a very important and sensitive sector like banking.

To address the issue and in order to bring autonomy in appointment of auditors of Public Sector Banks (PSBs), a web-based application was designed by ICAI for selection and allotment of Statutory Auditors of PSBs by randomly mapping and associating with the vacancies available in the PSBs.

In the year 2020, ICAI approached to all the Banks for utilizing the said Software and had also made a presentation on Software in the meeting of IBA on 16th January, 2020 wherein various public, private and foreign banks participated. Pursuant to the follow-ups, during 2019-20, 9 banks namely State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Indian Overseas Bank, Central Bank of India, Canara Bank, Oriental Bank of Commerce, Punjab & Sind Bank, and United Bank of India have utilized the Software for Selection/ Allotment of Bank Branch Auditors.

**(III) Panel to Various Authorities**

*Bank Branch Auditor's Panel to RBI and NABARD:*

PDC in its endeavor to explore equitable professional opportunities for CA members, every year host the application of Multipurpose Empanelment Form containing pre-filled data of applicants' from ICAI's records and based on their last year's MEF application. Every effort was made to make MEF more comprehensive to collect maximum information and disseminate through a centralized. members were also facilitated in uploading the Financial Documents online in addition to submission of Declaration digitally signed or Scanned Declaration.

The panels of Chartered Accountants/Firms were provided to RBI, NABARD and various other authorities/ agencies such as Public Sector Bank, Private sector banks, Central Bureau of Investigation, Official Liquidator, SIDBI, SEBI etc. as per the criteria specified by them.

**(IV) Steps taken with respect to Bank Branch Audit of Public Sector Banks for the year 2019-20**

Due to the sudden outbreak of Covid-19, ICAI issued advisory to the bank branch auditors as to how to conduct audit online while audit could be conducted offline also in phases as per the areas coming in the green zone. ICAI also approached to RBI and Banks. RBI accepted the inherent need for branch audit in PSBs and retained coverage of advances to 90% by including the words "90% of fund advances and 90% off non funded advances" in their previous guidelines.RBI supported ICAI views that branch audit in PSBs is indispensable and advised the banks to appoint additional audit firms in case of refusal by any audit firm to accept the audit by seeking its approval.

**(V) CSA Meet**

An interactive virtual meet was organized with all the Central Statutory Auditors on 9th April, 2020 wherein President and Vice-President, ICAI along with Chairman and Vice Chairman, PDC discussed about the importance of the Branch Audits in Banks and had their feedback.

**(VI) Representations submitted**

*Representation to RBI on IFC Reporting*-A representation was submitted to Governor of RBI on the reporting on Internal Financial Control (IFC) while conducting Statutory Audit of Public Sector Banks (PSBs) and foreign banks operating in India for financial year 2019-20 in absence of the mechanism present in the Banks and also it is required to be reported by the Branch Auditors. Accordingly, considering our request, RBI has deferred such reporting to next year.

Further the following representations were also submitted to RBI:

- A circular dated 18th September, 2019 was issued by RBI regarding the concurrent audit system in Banks. The said circular dealt with issue related to appointment, remuneration and scope of coverage of concurrent audit etc.
- Representation to Department of Banking Supervision, Reserve Bank of India, Mumbai on 21st October, 2019 wherein the issues such as Appointment of Auditor, Scope of Audit and Remuneration to Auditors was sent.
- Representation to Department of Banking Supervision, Reserve Bank of India, Mumbai on 20th December, 2019 wherein the matter of increase in fees for the Bank Audit was sent.

*Representation to State Bank of India*-During the year 2019, State Bank of India was taking the declaration from the Statutory Branch Auditors for not having appointed as statutory central/branch auditors in any private sector/foreign bank during the current year. ICAI represented to SBI as the Auditor/Audit Firm can do Branch Statutory Audit of a Public Sector Bank simultaneously with Statutory Audits of 4 Private Sector Banks and 4 Foreign Banks. SBI acceded to our request.

**(VII) Appointment of Statutory Auditor of Jammu and Kashmir Bank**

ICAI vigorously pursued with RBI for maintaining the past practice of the appointment of Statutory Auditor of Jammu and Kashmir Bank Ltd for the year 2018-19 by the office of C & AG. Accordingly, the appointment of auditors was done by C &AG only.

**(VIII) Tender Monitoring Group**

The Tendering of Professional Services has always been an area of concern. PDC has taken up the various issues including the evaluation criteria in Tendering with CVC at various point of time. It has been observed that sometimes organizations float the tenders without mentioning any Minimum Fees or quote very low minimum fees. On the other hand, it was necessary to monitor the adherence of the Council Guidelines and decisions by the Members of ICAI while responding to the tenders related to Minimum Fees and maintenance of Cost Sheets.

To address such issues related to Tendering, a Group for "Monitoring the Tendering issues" was formed by PDC during the year to monitor and standardize the tenders floated by the organizations, to monitor the evaluation of the tenders related to professional services, to develop a mechanism for monitoring and analyzing the responses of the members and referring the deviations at appropriate levels. During the year, various representations were sent from time to time to the respective organizations in respect of hardships / violation of guidelines, etc.

**(IX) Cooperatives & NPOs:**

For the year 2020-21, the Groups on Cooperatives & NPOs have been formed in all the 5 regions with nodal control under PD Committee broadly with the aim to suggest Suitable reforms in the statutes, Promote uniform accounting framework, to formulate guidelines for state-wise auditors empanelment creating the opportunities for CAs in the areas of Cooperatives and NPOs.The Committee has also conducted Certificate Courses on Cooperatives and NPOs to update the members of ICAI on these subjects and enabling them to take up the related assignments.

**(X) Draft revised norms for empanelment of C&AG**

C & AG in order to review the present arrangement for empanelment of CA firms and to fine tune the allotment of PSEs audits to the empanelled CA firms has drafted the revised norms and had sought the inputs of ICAI which were submitted vide letter dated 10th October, 2019. The Institute represented on the revised norms so finalized and hosted by the o/o C & AG for the empanelment of CA Firms in the month of January, 2020.

**(XI) State Level Coordination Committee (SLCC)**

The Reserve Bank of India holds quarterly meetings of State Level Coordination Committee to regulate Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and deposit accepted activities of incorporated bodies (UIBs) at each of their regional offices. Such meetings are convened by Regional Director of respective regional office of RBI and attended by Principal Secretary/Secretaries of various departments such as Finance, Home, Law etc. of respective states, National Housing Board (NHB), Securities Exchange Board of India (SEBI), Registrar of Companies (RoC), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDA), Registrar of Chit Fund, Department of Chit Fund and The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). More than 20 meetings were held during the year and were attended by the representatives of ICAI.

**(XII) Women Entrepreneurship Platform- Niti Aayog**

Under the MoU with Niti Aayog, ICAI is a knowledge partner and has to provide a channel for resolving the queries of the general public/entrepreneurs at their WEP Portal specifically in the areas of Taxation, Audit, Accounting, Statutory Compliance, Regulatory Assessment of Business and Business Validation Processes.

The online WEP platform is under final stages of development and ICAI will be providing the names of approx. 10 members for answering to the online queries on their platform.

**(XIII) MOUs with IIMs:**

ICAI has entered into the MoU with IIM Jammu in the month of Feb., 2020 for conducting various Management and Finance programmes for CAs. Further, the MoU with IIM-Ahmedabad was also for

conducting residential training programme for Chartered Accountants. Under the MoU with IIM-A, various residential courses have been conducted during the year 2019-20.

Interactive Meet-Upskilling & Up-scaling of the CA Firms

In order to provide a platform for the said brainstorming sessions on the vital issues for CAs in practice in today's context and for sustenance in the future, the Professional Development Committee organized an "Interactive Meet-Upskilling & Upscaling of the CA Firms" on 9th November 2019 in New Delhi wherein detailed discussions were held on areas of professional development. Further the said meet was also organized in Chennai on 25th November, 2019.

**(XIV) Joint Awareness Programme under SLCC, RBI with Economic Offences Wing (EOW)**

The Professional Development Committee jointly with Economic Offences Wing, New Delhi organized Joint Awareness Programme on 4th December, 2019 in New Delhi with State Level Coordination Committee wherein Smt. Padmini Singla, IAS, Secretary Finance, Shri O.P. Mishra, IPS, Addl. CP, EOW, Smt. Sumeet Kapoor, CGM, PFRDA, Shri Ajay Kumar, Regional Director, RBI have also addressed.

**(XV) PD Portal**

The PD Portal (www.pdicai.org) so developed by PDC, provides the members of ICAI with the information that they need to enrich their own practice and provide value added services to their clients. Further, it lists down all the tenders available to Practising CAs for the creation of Professional Opportunities. The Portal provides a separate section for Committee's activities. All related information as to MEF Application, Webinars & Upcoming events, communications made with different regulatory authorities are placed on the portal.

## 5.20 Committee on Public and Government Financial Managament (CP&GFM)

The Committee on Public & Government Financial Management (CP&GFM) strives to assist Central & State Governments and Local Bodies in successful implementation of the accounting reforms and public finance management. The Committee primarily focuses on capacity building of the finance officials of various tiers of Government in India by various means such as organising workshops, developing relevant e-training modules, etc., apart from formulating Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs). This is an initiative of ICAI to meet its social obligations by providing professional services of CAs beyond corporate sector and to the public at large, by being true to its role of being a partner in nation building.

**Important Activities undertaken**

**(I)**Publications issued by the Committee:

- Compendium of Accounting Standards for Local Bodies - Volume II
- Status Paper on Accrual Accounting Reforms in Local Bodies in India: Overview (Revised)

**(II)** Issuance of Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs):

*The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Local Bodies* and 12 accrual basis ASLBs approved by the Council of ICAI were issued during the Council Year 2019-20 and released as Compendium of ASLBs : Volume II.

**(III)** Comments/suggestions submitted on the following:

- Exposure Draft 67 on 'Collective and Individual Services and Emergency Relief (Amendments to IPSAS 19) to International Public Sector Accounting Standards Board.
- Agenda of meeting of Public Sector Financial Management Committee (PSFMC) of CAPA held on April 27, 2020, apart from existing PSFM publication.
- GASAB documents/draft Standards:
  - Agenda of 35th Board meeting of GASAB held on 3rd February, 2020.
  - Due Process of GASAB
  - IGAS 2, 'Grants-in-Aid'
  - IGAS 3, 'Loans & Advances'
  - Disclosure Statement on 'Recipients of External Assistance'
  - Draft on 'Correction of Prior Period Adjustment'
  - Disclosure Statement on Contingent Liabilities

- Draft on 'Recipients of External Assistance'
- Draft on 'Recognition of Revenue Receipts from Non-Exchange and Exchange Transactions'

**(IV)** The Committee prepared basic draft of following Standards under cash basis for Central & State Government for GASAB:

- Revenue,
- Extraordinary Items.

**(V)** The Committee along with the Research Committee has completed the Impact Study of implementation of Accounting Standards on the disclosure and transparency in accounts of the Central Universities and submitted the same to the Ministry of Human Resource Development.

**(VI)** The Committee has got representation on the Task Force constituted by the Government of Assam for mentoring and monitoring the finalisation of Annual Accounts and statutory compliance of Assam PSEs. Regular meetings through video conferences are being conducted to resolve the issues.

**(VII)** Seminars/Conferences/Training programmes/Webinars

The Committee organised training programmes during the year on Financial Management for Decision Making and IND AS for PSU officials through DPE, Webinars on Government Schemes for Urban & Rural Centres and Role of Chartered Accountants therein, Assignments by Asian Development Bank (ADB): Requirements and Expectations etc and Series of Train the Trainer Programme on "Government & Public Financial Management Reforms: Local Self-Government Perspective" for Members at Mumbai, Delhi, Jaipur, Chennai and Kolkata and two days National Summit on Transparency & Accountability in Government Financial Management addressed by senior IAS, IA&AS, ICAS officers and professionals, witnessed participation of more than 300 Government officials from 25 States & UTs. Apart from above faculty support to Capacity Building Programme" organised by the Directorate of Municipal Administration, Goa for its officials and Haryana Institute of Public Administration was also provided.

**(VIII)** E-learning Modules on basics of accrual accounting for local bodies

The Committee hosted following e-lectures on the ICAI TV:

- Preparation of opening Balance Sheet & procedures for closing of first financial statements of the ULB, and
- Preparation of Final Accounts under accrual basis of Accounting.

**(IX)**Certificate course on Public Finance & Government Accounting

The Committee organised one classroom batch and two online batches for Certificate Course on Public Finance & Government Accounting with 229 paticipants.

**(X)** Meetings with Government Departments/Local Bodies

- Virtual CPE meeting on *Opportunities for CAs in Public Financial Management*jointly with Kalyan-Dombivili branch of ICAI.
- Virtual CPE meeting on "*Resurgent Chhattisgarh - Accountability, Transparency & Investment Environment*" held on June 28, 2020 jointly with Raipur branch of ICAI. Shri Bhupesh Baghel, Hon'ble Chief Minister of Chhattisgarh along with Shri Manoj Kumar Pingua, IAS, Principal Secretary, Department of Commerce & Industries and Shri Sanjay Shukla, IAS, Managing Director, CG State Minor Forest Produce Cooperative Federation Limited addressed the meeting.
- Many Ministries/senior officials of Government Departments/Local Bodies to discuss matters of mutual professional interest and to create awareness about the value addition which can be brought by Chartered Accountants in their processes and procedures.

### 5.21 Public Relations Committee (PRC)

*PUBLIC RELATIONS GROUP (April 30, 2019 – Feb 11, 2020)*

The Public Relations Group was constituted with the mission to develop, strengthen and enhance the image of the ICAI as a premier accountancy body and the sole regulatory authority for the profession of Chartered Accountancy in India through various ways and means, as considered appropriate within the framework of the CA Act. The PR Group undertook various initiatives to foster good relations and steps were taken to bridge the perception gap, to provide better networking opportunities and to enhance the visibility of ICAI.

**(I)SIGNIFICANT INITIATIVES/ACHIEVEMENTS**

- *Chartered Accountants Day 2019* -The 70th Chartered Accountants Day of ICAI was celebrated on July 1st all across the country by 164 branches & 5 Regional Councils of ICAI with great enthusiasm and zeal by organizing specified activities. The function was widely publicized by media & promoted through print / electronic media by undertaking the below-mentioned initiatives:
- *A short AV for all social media platforms*-A short AV of approx. 1 min. (animation only) was developed for social media publicity of Platinum Jubilee celebrations. The same was uploaded on all social media platforms.
- *Video bytes of President & Vice-President on the occasion of CA Day*-On the occasion of CA Day, a video clip with messages from President and Vice-President addressing the CA Fraternity was prepared and uploaded on the ICAI website. The same was also played during the CA Day function. The link of the same was forwarded to all concerned for reference.
- *Updation of Corporate Film-2019-20*-The ICAI Corporate Film is played during the various important events, Seminars/Conf. etc. organized by the HO/ DCOs/RCs/Branches. The Group had updated the ICAI Corporate Film for the year 2019-20 and the same was uploaded on ICAI Tv for the reference of all concerned and a link of the same was forwarded to all concerned for reference.

**(II) Other Initiatives undertaken during CA Day 2019 Celebrations**

- A communication was forwarded to all Regional Council / Branches advising to undertake specified activities to commemorate CA Day. The members/students/officials across the country got united to celebrate this prestigious occasion by undertaking social activities and programs like Investor Awareness, Women Empowerment, Tree Plantation, and Blood Donation, etc. Branches also organisedprogramme to honor 70 years old or above CA members for their contribution to the Profession.
- The Goodwill Messages on this occasion were invited from various Dignitaries which were published in the special issue of Chartered Accountants Journal brought out to commemorate CA Day.

**(III) 5th International Day of Yoga**

To commemorate the 5th International Day of Yoga, ICAI had taken the initiative of encouraging all members and students to inculcate Yoga for a healthy body and mind. The PR Group asked all Regional Councils & Branches of ICAI to celebrate this day across the country on June 21, 2019, by undertaking specified activities. A special grant was also considered to be sanction to all for undertaking such activities.The President & Vice-President, ICAI addressed the CA fraternity and their video bytes were recorded and shared with all concerned to be played on Yoga Day.

**(IV)International Conference**

The following actions were undertaken to promote the International Conference of ICAI scheduled on December 6th& 7th at Mumbai.

- *Print Media*-(i) To promote the International Conference & increase the registration, pre-event advertisements were published in the *In-flight magazines* - Spice Route, Go Getter & Vistara and business magazines- Business Today & Outlook in the November issue.

  (ii) A half-page color advertisement for creating awareness and Brand Building was released in two major publications.
- *Electronic Media*-The International Conference was promoted on 2 Channels- CNBC TV 18 and CNBC Awaaz. Before the Conference, promos were aired for creating awareness & encouraging registration. The entire event was covered by CNBC team & a half an hour episode was developed and telecast on CNBC TV18 & on CNBC Awaaz.The episode was also promoted through promos.
- *Goodwill Messages*-A Souvenir was brought out to commemorate International Conference 2019. The Goodwill messages regarding contribution of ICAI, the role of Chartered Accountants and for the success of International Conference were sought from various dignitaries and 15 messages were received that were published in the Souvenir.
- *Brand Building at the venue of the Conference*.-Various initiatives undertaken by ICAI were encapsulated and publicized through standees placed at prominent locations at the venue. The standee designs (15 nos.) were developed and shared with IA Committee for further action.
- *Audio Visuals*-As advised, the following Audio Visuals (AVs) were developed to be played during IC 2019.

- AV on Major Achievements of ICAI
- Introductory AVs of following 4 dignitaries:
    - Smt. Smriti Zubin Irani, Hon'ble Minister of Women & Child Development and Textiles
    - Shri Anurag Singh Thakur, Hon'ble Minister of State for Finance & Corporate Affairs
    - Shri Suresh Prabhu, Hon'ble Member of Parliament
    - Shri Injeti Srinivas, Secretary, Ministry of Corporate Affairs

**(V) Other Initatives**

*Advertisement promoting CA Course & ICAI Initiatives*-An advertisement promoting the CA course and services offered by CAs in the various fields was published in major publications. Also, advertisements on various important initiatives like Virtual Management & Communication Skills Course, E-learning, Go Green, etc. were developed & published in ICAI Journal.

*ICAI Brand Building*-Advertisement promoting the concept of UDIN was published in September 2019 issue of In-flight Magazines - Spice Route, Go Getter &Vistara.

*Advt. – Benchmarking of ICAI qualification by UK NARIC*-To create awareness regarding benchmarking of ICAI qualification by UK NARIC, an advt. was designed & published in major financial daily. This benchmarking of the CA qualification would strengthen the position of ICAI members and help corporate gain a better understanding of the relevance and standing of the CA qualification. It would also provide opportunities for higher studies and enhanced professional opportunities for ICAI members/ semi-qualified professionals in the UK, Middle East and other foreign jurisdictions accepting NARIC evaluation.

*ICAI Caller Tune for all landline nos. & employees of ICAI*-As one of the major initiatives undertaken for brand building and to develop the corporate identity of ICAI, the Caller tune for all landline nos. & employees of ICAI was developed by PR Group and approved by the competent authority. The Caller tune is being used by all ICAI Employees on their mobile phones and also on all official landline nos. The same is already operational on all official mobile phones ( Airtel ) of the Head office and also on EPBAX (pilot no. 011-39893989) at Head office.Communication was also forwarded to all RCs and Branches asking to get the Caller Tune operational on mobile phones of ICAI Employees and also on all official landline nos.

*Letter(s) to Editors in response to misreporting by media*-In the recent past, ICAI came across certain media reports projecting the profession and its members in an adverse light. The ICAI took a strong note of the manner in which the news items were printed in leading newspapers bringing disrepute to the profession. Accordingly, Letters were issued to the Editors of newspapers that published adverse reports damaging the reputation and tarnishing the image of the profession of Chartered Accountants in the eyes of the public. The Publications were asked to issue suitable corrigendum in the respective matter.

*ICAI Year Book 2019-20*-A comprehensive document capturing significant initiatives undertaken & achievements made by the Institute/Committee's/Deptt.'s/ Regional offices/ Branches during the year was brought out in the publication-"Year Book". The PR Group collated information from all Committees/Branches/Regional Offices and thereafter compiled and edited all matter. The designs of the Year Book were also developed and finalised as per approval of competent authority.

*PUBLIC RELATIONS COMMITTEE (Feb 12, 2020- June 30, 2020)*

**(I) CA Day 2020**

- *Radio*–On the basis of proposals submitted and as approved by the competent authority, CA Day 2020 was publicized through Radio City (13 stations) through airing of 30 spots of 1 minutes each on July 1st. The format of the show was Q & A wherein the queries related to common business issues were replied by Central Council Members, ICAI. The interview of President & Vice-President was also aired on Radio City.
- *Advt. in Print Media*- Quarter page color advt.s were developed & published in mainline/financial/vernacular publications at directly negotiated rates by PR Committee Secretariat. Pre-event and an advt. on CA Day was published.
- *Goodwill messages*– The Goodwill Messages on this occasion were invited from various Dignitaries which were published in the special issue of Chartered Accountants Journal brought out to commemorate CA Day.

- *Video Bytes of President & Vice-President, ICAI*- The messages of President & Vice-President were shot on the occasion of CA Day & packaged in a video clip. The clip was then shared with all RCs & Branches to play during the CA Day celebrations.

**(II) Webinars**

Two webinars were organized on Mind Matters addressed by Sri Sri Ravi Shankar, Spiritual Leader and Building Positivity amidst COVID -19 crisis addressed by Sister BK Shivani, Spiritual and Motivational Speaker, Brahma Kumaris World Spiritual University which were also promoted through all ICAI social media platforms and mass mail / sms were forwarded to all India Members/ Students to attend the live session. The program was appreciated and attended by many members and students.

**(III) Press Conference**

The newly elected President & Vice-President, ICAI addressed a Press meet on February 13, 2020 at New Delhi. The Editors / correspondents of major financial dailies, News wire agencies, Online media & Tv channels were invited and attended the Press meet. The President shared the latest updates on Disciplinary Mechanism, Accounting Standards and the ICAI Agenda for the coming months with the media. The President also interacted with the correspondents and answered their queries. The news was widely covered by the media.

**(IV)ICAI Mailer**

To keep the members informed of the latest initiatives of ICAI, an HTML mailer on ICAI MoU with IIM (Jammu) was forwarded to the Central Council Members, all India Members & MPs( Lok Sabha). It was decided that the important information would be sent to the members and stakeholders on regular basis through mailers. For the purpose, PR Committee and Digital Re-Engineering & Learning Directorate worked towards getting the creatives developed.

**(V) Brand building through publishing advertisement. / advertorial/ article in Magazines**

Towards brand building of ICAI & CA profession, it has been decided that ICAI initiatives and achievements shall be covered by way of advt. / advertorial / articles / write ups. For Till date, the following advertisements and advertorial were published:

- In - flight Magazines –Spice Route & Go Getter
- An advertisement promoting ICAI was published in India Today along with an advertorial about establishment of "Centre for Audit Quality" by ICAI
- An advertorial on ICAI ( double spread ) in the Coffee Table Book (CTB) - "India Tomorrow" brought out by India Today for the Annual Conclave attended by the eminent dignitaries
- A short article on recent initiatives of ICAI was published in the Spice Route magazine.
- An advertisement was published by ICAI saluting these frontline warriors in a leading Publication to acknowledge the untiring efforts of nurses during this current COVID 19 pandemic,.
- An advertisement was designed & published in major publications in order to update the members/ students/ public at large and showing ICAI commitment to Govt. initiative for supporting Janta Curfew announced on March 22nd,2020.
- Two Digital banners were hosted on .com/ mobile app/wap platforms of shortlisted publications for a duration of 15 days for publicizing the provisional registration in Foundation Course

**(VI) Other Initiatives**

- All major initiatives taken by the Institute were promoted through Social media in addition to print/electronic & online media.
- The Media was constantly apprised about the latest developments regarding the curriculum, profession, visit of foreign delegations, other activities and events, etc. through the issue of Press Releases.
- The potential & scope of Chartered Accountancy Profession in today's dynamic context was promoted by way of articles as well as through interactive meetings/releases issued to the press at the national/regional level and through various TV Channels.
- Provided logistic support to various departments within ICAI, to the Regional Offices and Branches with a view to developing a communication link between ICAI and its offices/related organizations.
- As part of the PR exercise, organized appropriate coverage in Print and Electronic Media for different Seminars/ Programmes/ Events of ICAI.

## 5.22 Research Committee

The Research Committee of the Institute of Chartered Accountants of India is one of the oldest technical committees set up in 1955 with a view to undertake research activities to improve the quality of services rendered by the profession. The primary objective of Research Committee is to undertake research in the field of accounting and other affiliated areas with a view to enhance the value of services rendered by the profession. The Committee undertakes approved research projects on current and continuous basis in various areas which are generally published in the form of Guidance Notes, Technical Guides, Studies, Monographs, etc. on generally accepted accounting principles and practices designed, to enhance the value of the services rendered by the profession.

### (I)Project in Progress

Committee has various projects in progress such as:

- Revision of Guidance Note on Accounting for Share-based Payments
- Revision of Guidance Note on Accounting by E-commerce and Cloud Computing Companies
- Revision of Guidance Note on Applicability of AS 25 and Measurement of Income Tax Expense for Interim Financial Results
- Revision of Guidance Note on Accrual basis of Accounting
- Revision of Guidance Note on Turnover in case of Contractors
- Revision of Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts
- Revision of Technical Guide on Revenue Recognition for Software

### (II) Awards

- ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting for the year 2018-19

These awards are being presented annually since 1958. Selection of awardees in specified categories is made through a robust three tier process: first review by Technical Reviewers followed by review of short-listed annual report by Shield Panel and final review by External Jury.

Jury meeting for the competition year 2018-19 was held on December 13, 2019 at Mumbai and was chaired by Shri Rajnish Kumar, Chairman, State Bank of India, Other members of the Jury, who participated in the meeting to select the awardees were: CA. Thomas Chazhikadan, Member of Parliament, Lok Sabha, CA. Yogesh Gupta, IPS, Additional DGP & Special Enforcement Director, Eastern India, CA. Amarjit Chopra, Past President, ICAI, CA. Sunil Goyal, Past President, ICAI, CA. Pravin Kutumbe, Member (F&I), IRDAI, Shri Sunil Kanoria, Vice-Chairman, SREI Infrastructure Finance Limited & CCM-Government Nominee, CA. Sobhesh Agarwalla, Faculty, IIM-Ahmedabad, Shri V. Kurian, Ex-Additional Deputy C&AG, CA. (Dr.) Girish Ahuja, Chairman -Audit Committee, State Bank of India, CA. Kishor Rungta, CMD, The Fertilisers and Chemicals Travancore Ltd (FACT), CA. Nilesh Shah, Managing Director, Kotak Mahindra AMC Ltd.

As per the scheme of awards, one Gold Shield and one Silver Shield are awarded for the best entry and the next best entry, respectively. Apart from the above-mentioned awards, Plaques are awarded for commendable entries. Hall of Fame award is bestowed on an entity which wins five consecutive Gold Shields in a particular category.

A function to honour the awardees of 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' was held on January 23, 2020 at B. M. Birla Auditorium, Jaipur. A total of 11 awards – Four Gold Shield, Six Silver Shields and 1 Plaques were given away.

- ICAI International Research Award 2020

This award is held to recognise the research scholars in the field of Accounting, Auditing, Taxation, Finance and Economics. This awards is being held with the objective to acknowledge the vital contribution made in research activities in the area of Accounting, Auditing, Finance, Economics and Taxation with an objective to enhance the research activities in Accounting, Finance and Taxation and allied areas and to identify the challenges confronting the global economy where accounting profession can play its due role in public interest by way of research and contributions which could pave path for innovative practices in mitigating the various emerging financial and non-financial risks and alternatively propagate good practices for promoting public interest. The awards to be distributed include Gold Shield, Silver Shield and Bronze Shield. The Award will be given in five broad categories i.e. Accounting, Auditing, Economics, Finance and Taxation.

**(III) Schemes**

- ICAI Doctoral Scholarship Scheme 2020- This scheme is open to all the members of the Institute who are pursuing PhD to provide scholarship to the eligible candidates with outstanding academics record with an inclination and commitment to undertake academic in the areas of research such as Auditing, Taxation, Commerce, Management and Accounting Discipline. The scholarship of Rs. 50,000 per month for 3 years will be given for 5 scholars every year.
- ICAI Research Projects Scheme 2020- This scheme encourages our experienced members and researcher scholar or faculty of reputed academic institutes to take up research projects which will be benefiting our whole society at large. Maximum amount of Rs. 10 lacs as reimbursement expense will be given.

**(IV) Conference/Webinars/Virtual Meetings**

The Committee organised Confernece/Webinars/Virtual meetings on Excellence in Financial Reporting, Techniques in Research Methodology, Research on the sickness and remedies for the MSME Industries, Role of CAs in Healthcare Industry, Professional Ethics – Scope for Research, Crypto-Currencies: An option for Investment, Research led Professional Opportunities in Capital Market, Pragmatic Way to Research Proposal writing during the year.

**(V) Publications released during the year**

- Glossary of Terms used in Financial Statements
- Handbook on Accounting Treatment under Goods & Service Tax (GST)
- Technical Guide on Accounting for Motion Picture Films

## 5.23 Committee on Capital Markets and Investors' Protection (CCM&IP)

The Committee on Capital Market and Investors Protection provides suggestions on various Bills, Regulations, Notifications, circulars and other documents relating to capital market for submission to the Government/Regulator. Besides this the Committee regularly interacts with Reserve Bank of India (RBI) and Indian Banks Association for example, relating to Depositors, Non-performing Assets Management, Bank operation and supervision, issues relating to securitisation, Non-Banking Finance companies – NBFCs (Department of Non-Banking Finance companies of RBI), Regulatory authority of Co-operative Banks, Strategies / recommendations relating to their investment patterns, Securities and Exchange Board of India e.g., matters relating to Primary and Secondary Markets, Take-Overs, Amalgamation, Mergers, (tax-havens, Participatory Note, hot-money, corporate governance regulatory compliances etc.), Mutual Funds, Foreign Institutional Investors, Intermediaries, Securities Laws etc, Forward Markets Commission (FMC) including NCDX and MCX, Stock Exchanges on the issues relating to Capital Markets and Investors Protection.

The Committee held the following activities during the year:

- With the aim to emerge as the preferred partner in the Nation Building and to spread awareness among public at large about the do's and do not's of investing their money in financial securities and to promote financial literacy, the Committee organizes Investor Awareness Programmes under the under the aegis of Investor Education and Protection Fund (IEPF) of the Ministry of Corporate Affairs. through various Resource Persons and Programme Organizing Units (Regional Councils, Branches, Study Circles, Study Chapters and Study Groups) through its various POU's.
- The Committee had organized 623 IAP's in the year 2019-20 across India wherein total 32,300 people including 10,766 women participants were educated.
- Till date, more than 6223 Investor Awareness Programmes on PAN India basis have been conducted through ICAI educating more than 3,36,150 people of India including 1,12,050 women participants.
- The Committee had organised State Level Conferences on Investor Education and Awareness at Bhubaneshwar and Dharamshala under the aegis of Investor Education Protection Fund Authority (IEPFA).
- 29 Investor Awareness Programmes were conducted by the Regional Councils and Branches of ICAI.
- The Committee is entrusted with the task of conducting Certificate Course on Forex and Treasury Management.

- The Committee has successfully conducted 55 Batches offline of the Certificate Course on Forex and Treasury Management course. During the period, committee has successfully completed 2 batches of the Certificate Course on Forex and Treasury Management, wherein total 46 Members of ICAI has enrolled in the said Certificate Course.
- The Committee declared the result of an evaluation test held on 23rd and 24th November 2019 of past batches of Forex and Treasury Management Certificate Course on 11th February, 2020.
- The Committee organised a Training programme on International Finance for ONGC executives, as per the MOU from 16th to 18th December, 2019 for the CA. executives of Oil and Natural Gas Corporation Ltd at BKC Mumbai.
- The Committee organized Seminars, Workshop/National Conference/Webcast for the professional enhancement of members on RRC on Capital Market, New Paradigms of Competitiveness-Positioning CA's for tomorrow's Challenges at Chail, HP and Ludhiana durimg the year.

**5.24 Audit Committee**

The Constitution of Audit Committee of the Institute is governed by the Council. Audit Committee reviews the reporting process and disclosure of financial information of the Institute to ensure that the financial statements are true and fair. It appoints auditors for the various units of the Institute, reviews the audit reports, takes follow up and recommends appropriate actions on the reports submitted by the Auditors of various units of the Institute. It ensures the independence and integrity while appointing auditors at various units of the Institute. The Audit Committee operates through five Regional Audit Committees located at each of its Regional Councils.

**5.25 Digital Re-Engineering and Learning Directorate (DR&LD)**

**Significant Achievements/Initatives**

- *ICAI Digital Learning Hub*- ICAI has enriched Digital Learning Hub with E-book and video lectures on various topics. Continuous learning of Chartered Accountants is ensured through DLH along with provision of CPE Hours. There is no fee associated to access the DLH as of now. New course hubs and courses have been launched on Digital Learning Hub and many more are in the pipeline. ICAI Digital Learning Hub Link is- https://learning.icai.org/iDH/icai/home
- *Launch of New and Improved Website ICAI.org*-The website ICAI.org has been revamped to bring a new look and feel and make it in sync with the changing times and technology to further enhance the experience of all stakeholders. New Website will bring Easy to search content, compatibility with cross Browsers, Cross Devices, and faster content access.
- *Trademark Registration* has been done for ICAI Digital Learning Hub and ICAI Mobile App.
- ICAI has started for the first time ever the Certificate courses in online mode (virtual live classes) which is assisting the members in anywhere learning.
- Webinars on contemporary and emerging topics and Meetings are being held through new VC Technologies.
- *Cost Saving Initiatives* for ICAI i.e working on configuring VIP (Citrix) on the Internet, to remove VPN connectivity in Branches/Regional offices etc, being done.
- *ICAI Mobile App ICAI Now and ICAI Social Media Platforms* have been instrumental in Popularization of various ICAI's events, Key ICAI Achievements and Initiatives on no cost basis amongst students, members and other stakeholders of ICAI.
- *ICAI Internal Note Portal* – Portal has been launched for making the Internal note approval process paperless and to effectively streamline the Internal note approval process
- *COVID 19 - Resource Page*- Compilation of Important Announcements has been hosted on Website, Mobile App and Social Media for CA Members, Students & ICAI Employees in the wake of Coronavirus COVID-19 which is updated regularly.
- Webinar was organized on 'Future of Profession Post Covid19 – Virtual Accounting Firms' which delved on a range of topics i.e Technology Enabled Virtual Firm – Tools, Technology and Infrastructure, Managing Works and Teams Remotely – Roles, Responsibilities and Reporting, Adopting Cloud Computing Strategy for Data Management, Cybersecurity – Mitigating Risks of Virtual Environment and Support Clients from Anywhere, Anytime.

## 5.26 Quality Review Board (QRB)

The Quality Review Board was constituted on 28th June, 2007 by the Central Government pursuant to the powers vested in it under Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 to perform the following functions:

- To make recommendations to the Council with regard to the quality of services provided by the members of ICAI;
- To review the quality of services provided by the members of ICAI including audit services; and
- To guide the members ICAI to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements.

One of the functions of the Council under clause (o) of sub-section (2) of Section 15 of the Chartered Accountants Act, 1949 is to consider the recommendations of the Quality Review Board made by it with regard to the quality of services provided by the members of ICAI. The aforesaid clause (o) also provides that the details of action taken on such recommendations shall be published in its Annual Report. In accordance with the aforesaid provisions, during the period under Report, the Council received 3 references under Section 28B(a) of the Chartered Accountants Act, 1949 from the Quality Review Board with regard to the quality of services provided by the members. The same were considered by the Council at its meeting held during the financial year April 2019 to March, 2020. The following is the details of action taken:

- Number of references referred to the Director (Discipline) for making further investigation under the disciplinary mechanism of ICAI – 3
- Number of references where comments of the Technical Reviewer were decided to be issued as an Advisory to the members / firms – Nil
- Number of references which were decided to be closed – Nil
- Number of references pending for consideration of the Council – Nil

## 5.27 Management Committee

Management Committee, constituted in 2015 as non-standing Committee of the Council, is mandated to consider matters pertaining to formation of Branches, setting up of Chapters abroad, MoUs/ MRAs with national/ international bodies, appointment of central auditors of ICAI, annual accounts of the Institute, matters referred by the Central Government and other regulatory bodies, proposals for amendments in the Chartered Accountants Act, 1949, Rules and Regulations framed thereunder, Regional Councils and Branches matters, Members / CA firms / LLPs / mergers / demergers / networking related matters and proposals received from other committees / departments of the Institute having administrative and policy implications and making its recommendations to the Council wherever required.

## 5.28 Valuation Standards Board

The Valuation Standards Board has been constituted to focus at issuing Valuation Standards from ICAI. The Board also focuses on providing Interpretations, Guidance and Technical Materials from time to time for implementation of the Standards.

### Significant Achievements and Initiatives

### (I) Facilitating the Law Making Process with the Government

- *ICAI Valuation Standards 2018 as a benchmark for Valuation Practices applicable for Chartered Accountants*-ICAI Valuation Standards issued by the Institute to set up concepts, principles and procedures which are generally accepted internationally having regard to legal framework and practices prevalent in India. With a vision to promote best practices in this niche area of practice, the ICAI Valuation Standards lay down a framework for the chartered accountants to ensure uniformity in approach and quality of valuation output.
- *Committee of Experts to examine the need for an institutional framework and development of valuation profession*:-The Ministry of Corporate Affairs had set up an eight member Committee of Experts to examine the need for institutional framework for regulation and development of valuation professionals. ICAI is a member of the Committee and has participated in the detailed deliberations undertaken by the Committee.The Committee has prepared and submitted the Draft Valuers Bill, 2020. The Government-appointed committee of experts has proposed an institutional framework for valuers by way of setting up the National Institute of Valuers.

- *Committee to advise on Valuation Matters constituted by MCA under Rule 19 of Companies (Registered Valuers and Valuation Rules), 2017*:-The Ministry had formed a Committee to make recommendations to the Central Government on formulation and laying down of valuation standards and policies for compliance by companies and registered valuers. ICAI is a member of the Committee to advise on valuation matters.
- *Round table Conferences to discuss issues identified by the Committee of Experts*-ICAI through its Valuation Standards Board had organised Round table Conferences at different locations to discuss 40 issues identified by the Committee of Experts constituted to examine the need for regulation and development of valuation professionals. The Round tables were held at Ahmedabad, Kolkata, Mumbai, Bangalore, Raipur, Hyderabad and Chennai.The points arising out of the discussions held were submitted to IBBI.
- Meeting with the dignitaries at MCA and IBBI requesting them to use ICAI Valuation Standards 2018, to formulate Indian Valuation Standards as ICAI standards have been formulated on the basis of global practices and Indian Laws and Practices.

**(II) Representation to Regulators/ Banks regarding mandating Valuations and adoption of ICAI Valuation Standards**

Following Representations have been submitted to the Ministry of Corporate Affairs/ SEBI/ SBI and RBI.

- Letter submitted to MCA regarding request to mandate valuation under Ind AS where a separate Valuation Report is required to be issued by a Registered Valuer and ICAI Valuation Standards to be followed for such Valuation
- Letter sent to State Bank of India for non-inclusion of the International Valuation Standards in the empanelment and to adopt ICAI Valuation Standards as National Standards as in India we should have made in India concept.
- Letter sent to Reserve Bank of India for non-inclusion of the International Valuation Standards in the empanelment and to adopt ICAI Valuation Standards as National Standards as in India we should have made in India concept.
- Letter sent to SEBI- Request to mandate valuation under Regulations and other requirements issued by Securities and Exchange Board of India where a separate Valuation Report is required to be issued by a Registered Valuer and ICAI Valuation Standards to be followed for such Valuation.
- Letter sent to CBDT- Request to mandate valuation under Income Tax Act, 1961 by a Registered Valuer and ICAI Valuation Standards to be followed for such Valuation.

**(III) Submission to MCA**

- *ICAI Suggestions on Draft Valuers Bill, 2020* -The Committee of Experts which was formed to examine the need for an institutional framework for regulation and development of valuation professionals, has submitted its Report to the Government of India which accompanied the Draft Valuers Bill 2020.ICAI has also been a member of the committee and has participated in the detailed deliberations undertaken by the Committee.ICAI Recommendations have been submitted to the Ministry of Corporate Affairs.
- *Detailed document on Distinguishing Features of ICAI Valuation Standards vis-à-vis IVSC*.-The Ministry of Corporate Affairs had requested ICAI to submit Distinguishing Features of ICAI Valuation Standards 2018 vis-à-vis International Valuation Standards issued by IVSC.In this regard a detailed document enumerating the distinguishing features of ICAI Valuation Standards 2018 vis-à-vis International Valuation Standards issued by IVSC has been submitted to MCA.

**(IV) Other Initatives**

- *Concept Paper on All About Fair Value brought out by ICAI and ICAI RVO*-Looking at the importance of the concept of fair value and its various aspects, the Valuation Standards Board decided to bring out a Concept Paper on "All about Fair Value" highlighting various Key aspects of Fair Value as per Ind AS 113, Consideration for determination of value based on highest and best use, where the highest and best use is different from the existing use, factors influencing Fair Value and Relevance of Exit Price in Fair Value. In this Concept Paper, an analysis of 505 Companies listed on S&P500 in identifying data related to fair value accounting since year 1990 has been done alongwith an Analysis of Fair Value Impact in Financial Statements of Nifty 50 since FY 1989-90.The Concept Paper is available at the link: https://resource.cdn.icai.org/59299icairvo48306.pdf

- *Concept paper on the findings of the Peer Review of Valuation Reports*-The Valuation Standards Board along with ICAI Registered valuers Organisation has prepared a Concept paper on the findings of the Peer Review of Valuation Reports.The concept paper has been prepared with a view to help the Registered valuers to understand the process as well as to know about the findings of the Peer Review of the Valuation Reports and key takeaways.The Concept Paper is available on the website at the following link:https://icairvo.s3.amazonaws.com/media/documents/Findings_of_Peer_review_workshop_14022020.pdf
- *Outreach programme of ICAI Valuation Standards with SAFA countries*-In order to create awareness regarding the ICAI Valuation Standards and also promote for adoption of ICAI Valuation Standards for transparency and uniformity across SAFA Countries, the Board had proposed for active engagement with SAFA countries for adoption of ICAI Valuation Standards. The SAFA Board at its 58th meeting on consideration of the ICAI proposal to organize outreach programmes on valuation Standards issued by ICAI in SAFA countries, had in principle agreed to the same.The Board has planned for support in implementation of ICAI Valuation Standards in SAFA Countries by undertaking the followings:
  - By preparing the Educational Material, Guidance Notes on practical aspects,Frequently Asked Questions, Interpretations, publications etc.
  - By organising programmes on the valuation standards to create awareness on various requirements of Valuation Standards.
  - Will provide the format of valuation report so that the Reporting is uniform and comparable.

**(V) Publications**

- Valuation: Professionals' Insight- Series-4
- Valuation: Professionals' Insight Series 3 in July 2019
- Publications that have been made live on Digital Learning Hub are as follows:-
  - ICAI Valuation Standards 2018
  - Frequently Asked Questions on Valuation
  - Technical Guide on Valuation (Revised 2018 edition)
  - Valuation: Professionals' Insight- Series 1
  - Valuation: Professionals' Insight- Series 2

**(VI) Webcast/Programme**

- *Live Webcast: NBFCs and Valuation under COVID- 19 conditions and Impact on Valuation* -The Valuation Standards Board of ICAI had organized a Live Webcast on "NBFCs and Valuation under COVID- 19 conditions" on 5th June, 2020.The webcast was addressed by President, ICAI along with Vice President ICAI, Chairman, and Vice Chairman, VSB and eminent panelists.The webcast was attended by more than 15000 members and hosted at the following link: http://ecpl.live/icai/vsb/05062020/
- *Live Webcast to discuss the Draft Valuers Bill, 2020*- Ministry of Corporate Affairs had set up an eight-member Committee of Experts to examine the need for institutional framework for regulation and development of valuation professionals and the Committee has prepared and submitted the Draft Valuers Bill, 2020. The Government-appointed committee of experts has proposed an institutional framework for valuers by way of setting up the National Institute of Valuers.In order to discuss further the various aspects of the Draft Valuers Bill, 2020, the Valuation Standards Board had organized two webcasts in the month of April and May, 2020, wherein the provisions were explained by officers of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).The webcast was addressed by Chairman and Vice Chairman VSB and Shri Sudhaker Shukla, Whole Time Member, IBBI along with other officials of IBBI.The webcast were well received by the stakeholders and was attended by more than 10000 participants and is available at the link:http://ecpl.live/icai/rvo/27052020/and http://ecpl.live/icai/rvo/28042020/
- *Webcast on "Valuation Standards & Code of Ethics for Registered Valuer"*.-Valuation Standards Board jointly with ICAI RVO conducted a webcast on "Valuation Standards & Code of Ethics for Registered Valuer" on 19th April, 2019. The purpose of the webcast was to provide knowledge to the large number of audiences regarding valuation standards to be followed and the code of ethics to be complied while taking up a specific valuation assignment.The webcast was addressed by Dr. Navrang Saini, Whole time member, Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).The webcast

was viewed by more than 4000 members and is available at the link: http://ecpl.live/icai/19042020/

- *Answers to the Questions raised during the Live Webcast on "Valuation and Valuation Standards Compliance and other aspects under various Laws"* -Based on the Questions raised during the Live Webcast on "Valuation and Valuation Standards Compliance and other aspects under various Laws" held on 19th April, 2020, the office had prepared answers for the questions.The same have been hosted on ICAI website and are available at the link: https://resource.cdn.icai.org/59538vsb48459.pdf
- *Awareness Programme on ICAI Valuation Standards 2018 to be conducted by Regional Council and Branches*- The Valuation Standards Board had conducted half a day awareness programmes on ICAI Valuation Standards 2018 jointly with the Regional Councils and Branches so that our members are fully equipped with the Valuation Standards and conduct valuations in accordance with ICAI Valuation Standards, 2018.

### 5.29 Taxation Audits Quality Review Board (TAQRB)

Continuing with its commitment to serve the nation and in order to improve the reporting of compliances under various taxation laws (both Direct as well as Indirect), the Taxation Audits Quality Review Board has been constituted by the Council Year in the year 2018-19. It is envisaged that the reviews carried out by the Board, will ensure that the members will exercise greater diligence while certifying the various reports prescribed under direct and indirect taxation and in the long-run would improve the overall reporting and certification done by them.

*ACTIVITIES/ INITIATIVES:*

**(I) Status of Review of Tax Audit Reports selected during the Council Year 2018-19:**

The Board had selected 100 companies during the Council Year 2018-19 for review of their tax audit reports pertaining to Assessment Year 2017-18 on suo motto basis. In this regard, 95 tax audit reports have been received from the tax auditors. Preliminary Review of these reports has been completed by the Technical Reviewers empanelled with the Board. Out of these, 91 preliminary review reports have been assigned to Taxation Audits Quality Review Groups constituted under the convenorship of various Board members for undertaking secondary review of the reports. Reports of these Groups are being considered by the Board wherein the Board has decided:

- To issue advisory letter to the auditor in respect of certain aspects.
- To flag common errors being committed by the members for the purpose of spreading awareness to improve the quality of tax audits.

**(II) Selection of reports during the year 2020-21**

The Board had decided to select 104 reports (100 for Tax audit + 4 GST) for the FY 2018-19 (AY 2019-20) during the year 2020-21. The Board has selected less number of audit reports for GST since GST law is in its nascent stage. The Board decided to select more report once the law establishes.

**(III) Request to CBDT and CBIC for nomination on TAQRB**

Considering the fact that the intent of formation of TAQRB is to improve the reporting of compliances under the taxation laws, the Chairman, CBDT and Chairman, CBIC have been requested to nominate a special invitee from CBDT and CBIC respectively for participating in the meetings of the Taxation Audit Quality Review Board of ICAI for the period ending 11th February, 2021. It is envisaged that active participation of the nominees of Central Board of Direct Taxes and Central Board of Indirect Taxes and Customs in this exercise would add qualitative value to the activities being undertaken.

**(IV) Common Errors in Tax Audit**

While considering the reports the Board has come across certain observations which would require attention of members. The Board has decided that in due course these observations/ issues can be compiled by the Board and be published as "Common errors in Tax audit" and also various programmes will be held to spread awareness about the errors being conducted.

### 5.30 Committee on Insolvency and Bankruptcy Code (CI&BC)

The Committee on Insolvency & Bankruptcy Code of ICAI has been constituted to give specific focus on Insolvency and Bankruptcy Laws. It is an emerging area and it has created a new professional opportunity for the members. The Committee aims to bring in awareness about this new area of practice in the Insolvency Resolution sphere to the members at large and facilitates in educating the members on the practical aspects and procedures of the Law.

**(I) Towards Partner in Nation Building**

- ICAI is contributing as a member of the Insolvency Law Committee as constituted byGovernment of India as Standing Committee for review of implementation of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
- The Hon'ble Standing Committee on Finance had sought the views/suggestions of ICAI on The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill 2019 and ICAI had submitted its response to the Hon'ble Committee in January, 2020.

**(II) Release of Publications**

- *Frequently Asked Questions on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Revised July, 2019 Edition)*

  The Committee has released the publication- "Frequently Asked Questions on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Revised July, 2019 Edition)", incorporating the amendments that have taken place in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

- *Judicial Pronouncements under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Series 3-*

  *The Committee jointly with Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI has brought out the publication – "Judicial Pronouncements under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Series 3" covering important Case Analysis based on the decisions by Supreme Court, High Courts, NCLAT and NCLT on issues under the Code.*

**(III) Updates on Insolvency & Bankruptcy Code**

- The Committee has brought out Updates on Insolvency and Bankruptcy Laws for the benefit of members. The Updates throw light upon Case Updates, News Updates as well as give information on the initiatives of the Committee.

**(IV) Seminars / Workshops/ Training Programmes/ Awareness Programmes**

- The Committee organised Seminars/ Workshops/Training Programmes/Awareness Programmes on Graduate Insolvency Programme, Insolvency and Bankruptcy Code, IBC and IBBI Limited Insolvency Examination, GST & IBC, Cracking the Insolvency Examination and Professional Opportunities for CA's under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 at Jaipur, Mumbai, Noida, Nagpur, Ghaziabad, Tirunelveli, Pune, Visakhapatnam, Raipur, Gandhidham, Kolkata, Hyderabad and Jodhpur during the year.

**(V) Webcasts**

The Committee organised Live Webcasts on Insolvency: An Emerging Profession with Multifold Opportunities Graduate Insolvency Programme for Young Members, COVID -19 Impact on IBC Proceedings, Case Study of Key Aspects of Essar Steel Resolution under IBC and Case Study of Binani Cement Resolution under IBC during the year.

### 5.31 Women Members Empowerment Directorate (WMED)

ICAI has setup Women Members Empowerment Directorate (WMED) to formulate and implement plans, policies, and measures for the empowerment of its Women Members. WMED especially work towards promoting the fulfillment of Women Member's potential through capacity building initiatives, skill development activities, providing awareness of various employment opportunities and by other similar means.

The Directorate performed the following important activities

**(I)** WMED has launched specialised Training programs (SETU programs) on the theme "Making the presence of Women members felt and visible in practise domain through Digital platform for vast and wider reach across different segments of women members in enriching their knowledge & overall confidence building by keeping them abreast with the latest amendments in diverse fields like Direct Taxes, Indirect Taxes, Auditing, and Corporate Law etc., work areas which are integral to Chartered Accountant practice firm.

**(II)** For Female CA's who are not able to commit to full time job, Women Members Empowerment Directorate identified various areas of opportunities in ICAI itself where women members can

contribute professionally as per their ease and pace and also become financially independent. A mass email was sent to all the women members across the country, enlisting various professional opportunities available at various department/Committees of ICAI e.g. Development of case studies for BOS, Resource person for Investor awareness programs, in Examination department etc.

**(III)** WMED organized a live webcast on the theme "CA's in Excellence: Women perspective" on to discuss Professional Opportunities for Today's Women Accountants: In & Beyond Borders and Leadership during times of Complexity and Uncertainty. The live webcast had eminent speakers i.e. CA R M Vishakha ,Ms Parveen Mahmud from Bangladesh and CA Dr. Reeta Shah, so as to motivate and inspire women members.

**(IV)** *Portal for women members* (https://womenportal.icai.org/ ) - Women Portal provides women members a medium through which they can post their requirements and can explore flexi working options available for them based on region/branch. It also aims to provide a common platform to women members to update their knowledge and share their views and concerns.

- *Success stories of women members:* To inspire women members to set and achieve higher goals, Directorate has invited success stories from women members and uploaded on Women portal.
- *Women at ICAI Platform*: To recognize the presence of women members, Directorate has uploaded updated details of women members associated with ICAI.

**(V)** To commemorate International Women's Day i.e. 8th March 2020, the Women Members Empowerment Directorate undertook following activities;

- Video bytes of President ICAI and Vice President ICAI were recorded and sent to all the branches across India to be telecasted during the women members programme for motivating and inspiring women members across the country. The said video recordings were also uploaded on the social media platform of ICAI for the benefit of all the stakeholders at large.
- A draft press brief to be released in local newspapers on 8th March was forwarded to all the branches across the country, to widely publicize and promote the various initiatives of ICAI conducted under the aegis of Women Members Empowerment Directorate.
- Various social media creative's were created and uploaded on social media platforms of Women Members Empowerment Directorate to publicize and promote ICAI's initiatives towards women members empowerment.
- WMED initiatives brochure with the theme "Empowering Initiatives to augment Women's Contribution to the Accountancy profession for inclusive Growth" was conceptualised and published. Along with ICAI initiatives for women members, the brochure also contains details about women empowering schemes of Govt. of India.

**(VI)** *Women Centric Programmes*: In response to the WMED mass email were sent to branches to promote and conduct events for the benefit of women members at large. Some of the programmes were organised by branches under the aegis of WMED on Professional Opportunities for Women Chartered Accountants, Women's Seminar Prerana 2020, Women Centric Programme, Work Life Balance for CA Women, Women CPE Seminar, Women Empowerment Programme and International Women's Day,

## 6. COMMITTEE FOR EXPORT OF CA SERVICES & WTO (CECAS & WTO)

The Government of India identified accountancy sector as one of the Champion Sector which can catapult trade in services to newer attar. With the increase in the global trade in services, it has been a natural corollary that it has propelled the opportunities for Chartered Accountant professionals involved in various facets, through professional practice or employment. Manifested by presence of a great number of members of Institute in different countries, the efforts of the Committee, since its inception in the Council year 2018-19 in this direction would not only bring goodwill and develop brand image, but also supplement Government of India's Initiative on increasing share of Trade in Accountancy & related services being identified as Champion Sector as also bring panorama of opportunities for the Indian CAs in the WTO regime.

**INITIATIVES FOR FACILITATING EXPORT OF SERVICES**

**(I) Joining hands with Government of India to enhance export potential for Accounting and Finance Sector (Champion Sector)**

***Proposal for Champion Sector***

During the period, in continuation to the ongoing dialogue with Ministry of Corporate Affairs, ICAI has submitted

its proposal for champion sector having new proposals:

- Proposal for Development and Training to set Accounting Process Outsourcing (APOs)
- Specialized Short-Term courses/ Certificate Courses/ Modules through E-learning through ICAI-ARF
- Capturing Global Students through International Curriculum
- Strengthening and Mentoring Accounting Profession abroad
- Offering Training Courses to Foreign Nationals under Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme, Ministry of External Affairs, Government of India through ICAI-ARF
- Promoting Brand Indian CA globally through Chapters and Representative offices
- Promoting ICAI Digital Learning Hub Globally

***MoU signed with Service Export Promotion Council***

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has signed an Memorandum of Understanding (MoU) with the Service Export Promotion Council on 30th June, 2020 at Mumbai under the aegis of the Committee for Export of CA Services & WTO (CESWTO) of ICAI. The objective of the MoU is to enhance the competitiveness of India's export in Accounting and Finance Services through the implementation of the focused and monitored Action Plan, both the parties have agreed to enter this MoU.

***Representations/Inputs given to Government of India***

During the period, apart from Champion Sector initiatives, this Committee also liaison with various Ministries to provide inputs to promote export of CA Services or areas pertaining to WTO which are as under:

- Reservation List of Investment Chapter of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement
- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Stakeholder Consultations on Trade in Services under RCEP agreement was held on 22nd April, 2019 wherein ICAI expressed its interest in going forward for technical collaborations for capacity building in the mutual interest areas with the 15 countries of RCEP agreement which would be followed by mutual recognition agreements in future.
- Draft professional services annex under RECP agreement
- Developments in the bilateral dialogue between India and Japan
- 11th session of India-Tajikistan Joint Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation (IT-JCM).
- India-UK Joint Working Group Meeting – Trade in Services
- Export Strategy for Africa and WANA regions with focus on services sector
- Reservation List of Investment Chapter of Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement and Professional services annexe
- ICAI inputs on Report to the WTO Trade Policy Review Body (TPRB) on Trade Related Developments
- ICAI inputs for Inter-Ministerial Meeting in connection with the 2nd meeting of Joint Administration Committee (JAC) under expanded India Chile PTA
- ICAI Inputs on India- China fourth meeting on Joint Working Group on Trade in Services
- India's preferential treatment to LDCs in trade in services at the WTO
- 5th Meeting of India-Brazil Trade Monitoring Mechanism (TMM)
- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement negative list offer in services

- Inter-ministerial meeting in connection with 2nd meeting of Joint Administration Committee under expanded India-Chile Preferential Trade Agreement.
- Inputs toExpenditure Finance Committee (EFC) on Champion Services Sector Scheme (CSSS).
- Inter-ministerial stakeholders consultations under India-Peru negotiations.
- Movement of Natural Persons (MoNP) with respect to Trade in Services set up for implementing the provisions of the Chapter on Trade in Services agreed under India-Japan CEPA.
- Issues for 4th Joint Sub-Commission on Trade meeting between India & Vietnam
- India- China 4thmeeting on Joint Working Group on Trade in Services
- 11th Session of India-Tajikistan Joint Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation (IT-JCM)
- ICAI inputs on Record of discussions on India EU-BTIA held on 4th February 2020
- Inputs to Directorate General of Foreign Trade (DGFT) for relaxing the last date of submitting the claims under SEIS.
- Impact of COVID-19 on service exporters
- Update in India-Japan Collaboration

**(II) Initiatives for facilitating Export of Services**

***Overseas Campus Placement of Indian Chartered Accountants abroad in co-ordination with ICAI Chapters Overseas***

After the successful conduct of its maiden project in September, 2019, the Committee organized its 2nd Overseas Campus Placement for Chartered Accountants and Accountants from December 12-14, 2019 at Delhi, Mumbai and Chennai personally and at Bengaluru, Hyderabad, Pune, Jaipur and Ahmadabad through video call. It is a step forward to the initiative of last year by including accountants as well in overseas campus drive. The summary of the placement drive wherein 18 companies registered is as under :

***Promoting Foreign Language amongst members***

As one of the mandates from Government of India to promote foreign language for easy placement of Indian Chartered Accountants abroad; in order to enhance and grasp the opportunities in international arena; ICAI would like to overcome the language barriers in the career growth of its members and students.

The Committee had made a tie up with Instituto Cervantes, Spanish Embassy Cultural Centre, to promote Spanish language course, Goethe Institut Max MuellerBhavan (official German culture Institute and promotes learning of German language in India) to promote German Language Course, Alliance Francaise to promote French Language and The Japan Foundation to promote Japanese Language Course within members and students of ICAI.

- Spanish Language Learning Courses through Instituto Cervantes, Spanish Embassy Cultural Centre - 11 batches with 77 candidates.

- German Language Learning Courses through Goethe Institut Max Mueller Bhavan (official German culture Institute and promotes learning of German language in India) - 3 batches with 25 candidates.
- French Language Learning Course through Alliance Française De Delhi - 3 batches with 22 candidates.
- Japanese Language Learning Course through the Japan Foundation-1 batch with 17 candidates.

***Survey for seeking preference for foreign language course from ICAI Members and Students***

The Committee has launched the survey for assessing the demand for foreign language. Till date, the Committee has received 12655 responses as per details given below:

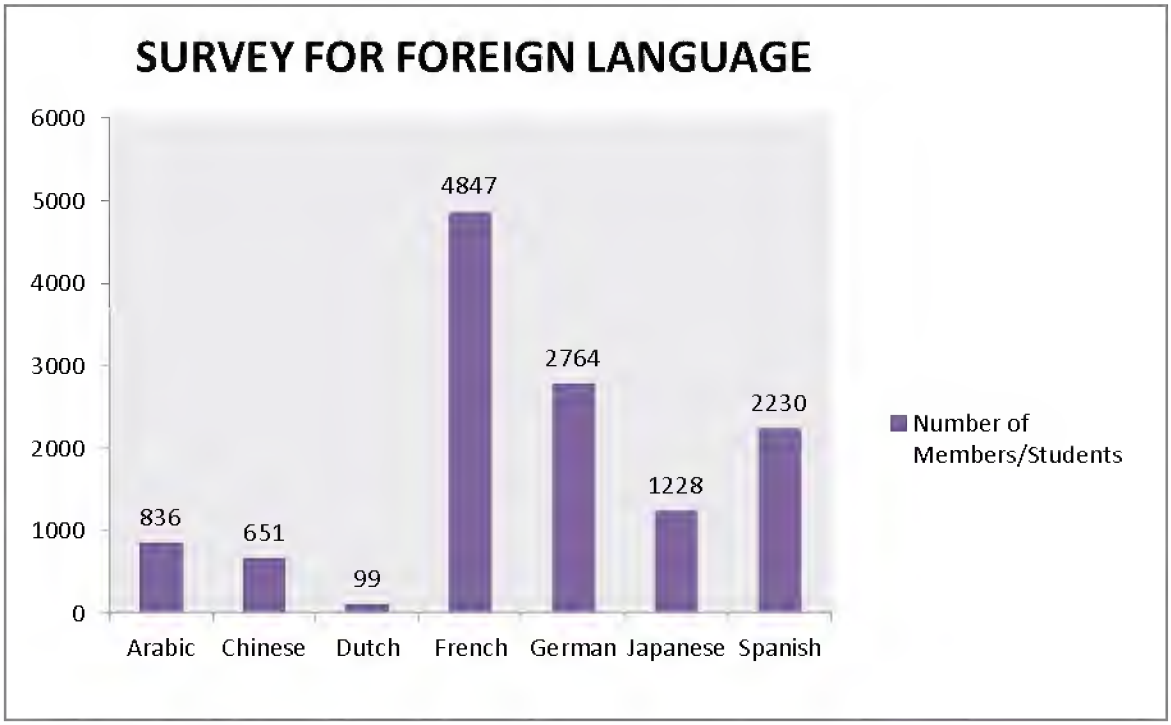


**(III) Services to Members**

The Committee organised Workshop/Programme/Live Webinars on Emerging role of youth in economic development, Financial Statement, Tapping Professional Opportunities abroad, Impact of COVID-19 on Export of Services & means to reduce its impact, Promoting Indian Accounting Profession in USA, IND AS VS IFRS : Global Investors' Perspective, Promoting Investments in India, Upliftment and development of J&K by engaging with the people and sensitizing them and providing professional opportunities for ICAI member during the year.

## 7. OTHER ACTIVITIES

### 7.1 Committee on Management Accounting (CMA)

The Committee on Management Accounting provides advanced Knowledge and specialized training on various areas of Management Accountancy, including finance and other allied subjects by way of conducting Courses/Webinar/ Seminar etc.The main objective of Committee on Management Accounting of ICAI is to enable the members to gain acumen, expertise and in-depth knowledge in the areas of Management and Business Finance.

**(I) Courses**

- The Committee on Management Accounting (CMA) of ICAI had launched the Certificate Course on Master in Business Finance in the Year 2009 to impart the nitty-gritties of finance to the members of the Institute. It was approx 1 year Course which required approx. 30 class room sessions with mandatorily attendance in two Residential programmes (5 days each programme) and examinations.It has now been decided by the Council of the Institute to discontinue the above mentioned Certificate course for members and the examinations thereon. Hence, there would be

no more registrations for the above mentioned courses. The last examination in respect of the above mentioned Certificate course was held in May- June, 2019 and result was declared in the month of October, 2019.

- The Committee has recently launched PQC- Diploma on Management & Business Finance Course (DMBF) in the year 2019 to impart the nuances of finance amongst the members of the Institute. 1st batch of DMBF was commenced at various location i.e Delhi, Mumbai. Hyderabad & Bengaluru with 62 participants.

**(II) INITIATIVES FOR MEMBERS**

- The Committee revamped the Course Structure of PQC-Diploma on Management & Business Finance course (DMBF) .The Committee bring outs/develops the study material (i.e total 33 Modules distributed under six subjects i.e Strategic Management, Capital Structuring and Investment Management, Capital and Financial Markets, Forex and Treasury, Banking and Risk Management.
- The Committee has collaborated with Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies (JBIMS), Mumbai to conduct the one-week Residential training program (mandatory part of Course Curriculum) which will give practical insights to the members on management concepts , leadership skills and decision making for carrying out their management functions more efficiently and effectively. However, due to spurt of COVID- 19, The Residential Program for the DMBF 1st batch participants were organised through online modein the month of July, 2020 by way of three weekends sessions i.e 6 days in association with JBIMS.
- Committee has collaborated with Manipal Global Education Service, Bengaluru (covering 11 Modules) for development of e- Learning platform (80 hours e- learning training is mandatory) for the current batch participants and was launched on 28th June, 2020.

**(III) Webinars/ VCM**

The Committee organised Webinar/Virtual CPE Meeting on NPA Identification and Management, Queries Discussion: NPA Identification and Management, Cost Management Strategies for Economy Revival, Role of CAs in Strategic Management of Organisation.

**7.2 ICAI establishes Centre for Audit Quality to boost Indian firms' global standing**

Over the years, ICAI has been tirelessly working towards providing quality education & internationally benchmarked training for students; continuous professional development of members in niche & emerging areas; Improving Quality of Financial Reporting and Assurance functions through strong framework of standard-setting and enforcement.

The purpose of independent audit is to provide confidence to the users of audited financial statements in the quality of financial reports, in particular their reliability. Improving audit quality and the consistency of audit execution is essential to maintain confidence in the independent assurance, provided by the auditors. As part of ICAI's drive to continue to benchmark the accountancy profession against the best available global practices, we have already converged to global standards on disclosure and assurance while keeping Indian interests in high stead. The future of the profession lies in its ability to change, evolve and adapt to the changing environment, which is a central element of the reforms and of the ICAI's mission is its standard-setting role. ICAI, recognizing the fact that high level "quality framework" provide the foundation for development of a proficient, high quality accountancy profession, has moved to set up a "Centre for Audit Quality" at Jaipur Centre of Excellence.

The Centre for Audit Quality will aim at the continuous investment in the contemporary education and training for prospective accountants and/or auditors, developing guidance and training programmes to assist audit teams and offices to undertake effective root cause analysis, conducting group learning sessions to discuss identified causes of findings and the solutions to be implemented, establishing Audit quality indicators, thus will work for Audit Quality Maturity Model. The Audit Quality Maturity model will initiate a process of laying out a voluntary self-evaluation matrix for accounting firms to gauge their relative maturity level as regards audit quality pertaining to Audit and Accounting related functions being rendered by them. The CAQ would enable the Institute to have discussion on the qualitative aspects of the audit function and to provide a conducive environment for doing research projects in the field.

CA. Atul Kumar Gupta, President, ICAI said *"India is on the cusp of a huge data revolution. It has become essential to advocate the position of the auditors to the various stakeholders to fill in the expectation gaps. In such changing times, a Centre for Audit Quality can play an important role that would further build Investor's confidence and develop Public trust at large".*

The Centre of Quality will aim for:-

- To develop Framework for Audit Quality.
- To work on key elements of Audit Quality.
- To develop Audit Quality Maturity Model.
- To conduct contemporary Education and Training in area of audit and allied areas for continuous improvement of Audit Quality.
- To conduct CPD specialized training programmes for Professional Accountants to enable them to perform audit in full compliance with principles of Audit standards.
- To pursue Research and Innovation in area of audit for improving Audit Quality
- To deliberate on the experience of Audit Committees for improving Audit Quality
- To develop and promote Audit Quality Indicators
- To invest and enable access to cost effective Digital and online Resources for accountants/ accounting firms for high Audit quality

### 7.3 Committee for Members in Enterpreneurship and Public Services (CME&PS)

One of the important objectives of the Committee is to provide enabling interface between the ICAI and the Members in Entrepreneurship and ICAI Members in Public Service by factoring their vision and perspective to enhance the efficacy of ICAI and to explore new avenues and opportunities for our members.

The Committee was initially constituted in 2011 with a view to to involve and recognize the contribution of Members in Public Service and successful CA Entrepreneurs. This will enhance interaction with members in public service and entrepreneurs and bring them into the mainstream of the Institute's activities. It may be of utmost importance to involve them in the Institute activities, who are successful as entrepreneurs and occupying eminent positions in public service and to gain from their rich experience, wisdom and knowledge for the betterment of the profession.

#### (I)Regional Meet of ICAI Members in Public Service, New Delhi, 23rd August 2019

The Committee for Members in Entrepreneurship and Public Service organised a Regional Meet of CA Members in Public Service at Delhi on 23rd August 2019 which was attended by Members from different sectors in Public Service . The Members offered their suggestions for a better tomorrow of ICAI and provided valuable feedback on the mechanism of Industrial Training, suggested that ICAI should undertake study on emerging issues of economic relevance. The Members further guided that ICAI should pay a strategic role as an advisor to the Government and should partner with Government in projects of strategic importance.

#### (II) Residential Meet of CA Members in Public Service, Kumarakom, Kerala, 31st January-2nd February 2020

The Committee for Members in Entrepreneurship and Public Services (CMEPS) of ICAI organised Annual Residential Meet of ICAI Members in Public Service from 31st January- 2nd February, 2020. The Residential meet was attended by 51 members from various sectors of politics, judiciary, administrative services, foreign services, IPS, IRS, Appellate Tribunal, SFIO and others. The residential meet provided a common platform where members in public service from all sectors participated and discussed emerging issues.

The Residential Meet was inaugurated at the august hands of CA. Suresh P. Prabhu, Hon'ble Member of Parliament and Prime Minister's Sherpa to G7 and G20. He appreciated the new efforts and initiatives taken by ICAI in keeping pace with the digital revolution and making the profession ready for future. During his address he advised ICAI to take steps to strengthen the administrative set up of ICAI so that the same can meet the expectations of the stakeholders at large. Hon'ble Suresh Prabhu ji also addressed the Members on 2nd February on the implications of Climate change and steps that can be taken for preventing future erosion. The residential Meet was also graced by the presence of CA. Thomas Chazhikadan, Hon'ble Member of Parliament on 2nd February who addressed the members in public service on issues of relevance to the profession. He also dwelled upon some of the aspects of the Union budget.

The Residential meet was also addressed by Guests of Honour Hon'ble Mr. Justice (CA.) Bhargav D. Karia, Judge, Gujarat High Court on day 1 and Hon'ble Mr. Justice (CA.) Dr. Vineet Kothari, Senior most Judge of Madras High Court and Hon'ble Mr. Justice (CA.) Dinesh Mehta, Judge, Rajasthan High Court on day 2. The residential meet dwelled upon technical sessions on How to Enhance Public Trust and Confidence by CA.

Arun Kumar Gujarathi, Hon'ble Ex. Speaker of Maharashtra Legislative Council, Climate Change Financing by CA Praveen Garg IAS, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Positive strengths of CA profession amongst the Government, Regulators, Media, Members, Students and other Stakeholders by CA. Deepak Kumar Kedia, IPS and Role of ICAI as Professional Accountancy Body for a Future Ready Profession by CA. Mahaveer Singhvi, IFS, Joint Secretary (Counter Terrorism) MEA, Government of India. A session on Managing Oneself was addressed by Dr. CV Ananda Bose IAS(Retd.) Principal Advisor, Heritage Project, Government of India and Chairman, UN Consultative Body. Habitat Alliance.

An Open House Discussion was also organised wherein the Members in Public Service shared their views on positioning of Accountancy Profession in Nation Building. There were several suggestions from Members on improving the audit quality, enhancing the scope of article ship, guidelines on minimum fees regime, participation of ICAI in environmental cause improving he communication skills of the students, providing them guidance to opt for the civil services .

**(III) Webcasts**

The Committee organised Webcasts on Chartered Accountants- "How to Enter Civil Service for Nation Building" and "Oxygen Debit.....Carbon Credit, Environment is our Business" on the occasion of World Environment Day.

**7.4 Legal Directorate**

The following important activities were undertaken by the Legal Directorate:

The Legal Co-ordination Group discussed and submitted to the Council the draft Amendments to the Disciplinary Mechanism under the CA Act, 1949. The Council in its Meeting held in August, 2019 approved this Draft Amendment for submission to the Government. Accordingly, draft Amendments pertaining to disciplinary mechanism in the Chartered Accountants Act, 1949 were forwarded to the Ministry of Corporate Affairs on 27.08.2019.

Total number of cases disposed of by the various High Courts under Section 21(6) of the Chartered Accountants Act, 1949 during the period from 1.4.2019 to 31.3.2020 is 1.

**Total number of pending cases in various Courts as on 30.06.2020**

| S. No. | Nature of Case | No. of Cases |
|---|---|---|
| 1. | List I- Reference Cases filed under Section 21 (5) Of the Chartered Accountants Act, 1949 pending before different High Courts - *168*<br>List I - Special Leave Petition (SLP)/Appeal filed against the Judgment of the High Court in Reference Cases pending in the Supreme Court - *10* | 178 |
| 2. | Writ Petitions filed arising out of disciplinary action under Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949 | 148 |
| 3. | Court Cases related to Non-Disciplinary Matters pending before various courts | 132 |
| 4. | Cases arising out of Violation of Section 24 of the Chartered Accountants Act, 1949 pending before various courts | 24 |
| 5. | Cases arising out of Violation of Section 24A of the Chartered Accountants Act, 1949 pending before various courts | 2 |
| 6. | Appeals (filed by members of the Institute under Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949) before the Appellate Authority under Section 22A of Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. | 29 |
| | **Total Number of Cases as on 30.06.2020** | **513** |

- Rendering effective legal assistance in the form of legal opinions, studies and reports, as required from time to time by the Council /Executive Committee / various Non-Standing Committees and departments of the Institute.
- Providing appropriate legal advice on diverse range of substantive and procedural questions of law arising in administrative functioning of the Institute to firmly secure the interest of ICAI, as required by the operational departments.
- Supervising and overseeing the review, negotiations, drafting and vetting of contracts, tender documents and other legal documents, as required by the operational departments and various committees of ICAI.
- Serving on various Standing and Non-standing Committees, Study groups and task force, as required, to take care of legal niceties in framing of policies.
- Advising in the matters of taking recourse to legal remedies whenever necessary and assisting the operational departments and committees in preparing reply to legal notices received.

### 7.5 Infrastructure Development Committee (IDC)

In the year 2014, Infrastructure Development Committee was formed as a non-standing Committee of the Institute. This Committee formulated Infrastructure policy for Branches and Regional Councils/offices. Since 2014, the ICAI has a robust infrastructure policy in place, which ensures financial prudence and discipline. The policy defines what all facilities can be provided, composition of local Infrastructure Committees, policy and procedure for acquisition of land/ building, indicative area, permissible grant from Head Office, powers and delegation vested with various authorities within the Institute. Since the policy itself defines the financial powers, all infrastructure projects from the year 2014 onwards are being approved by IDC, instead of the Finance Committee. Since formulation of Infrastructure policy, the ICAI has initiated following projects:

| **Purchase of new Infrastructure** | **Construction proposals approved** | **Gifted Property** |
|---|---|---|
| Kannur, Jalandhar, Jabalpur, Goa, Gurugram, Moradabad, Pali, Agra, Gorakhpur, Karnal, Kishangarh, Latur, Patiala, Ujjan, Ratlam and Ahmedabad | Ajmer, Surat, Hubli, Bhopal, Rajamahendravaram, Centre of Excellence Jaipur, Bathinda, Bareilly, Jodhpur, Raipur, Kannur, Ghaziabad, Goa, Moradabad, Guntur, Agra, Gurugram and Rohini | Bengaluru Gifted Property |

Out of total 164 Branches set up by the ICAI so far, 99 branches are having their own premises which include 14 Branches (presently functioning from Rented Premises) who have procured land on which construction is either commenced or construction is under-way. 16 Branches (functioning from own premises) have procured land where either construction has started or construction is under-way. 51 Branches do not own either land or building. The Region-wise break-up as on 21st July, 2020 is as under:

| S. No. | Particulars | Remarks | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **WIRC** | **SIRC** | **EIRC** | **CIRC** | **NIRC** | **Total** |
| 1 | Total Nos. of Branches | **35** | **45** | **13** | **47** | **24** | **164** |
| 2 | Nos. of Branches having own premises | 21 | 33 | 6 | 29 | 10 | **99** |
| 3 | Nos. of Branches having land on which construction is started or yet to be started (functioning from rented premises) | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | **14** |
| 4 | Nos. of Branches having land on which construction is started or yet to be started besides the own premises (functioning from own premises) | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | **16** |
| 5 | Total nos. of Branches having neither land nor building | 13 | 11 | 7 | 11 | 9 | **51** |

**Creation of Infrastructure Department**

In order to have a single point of contact for operations aspect related to Infrastructure of the Institute along with resolving various procedural aspects, The Council in its meeting held in April, 2020 approved for creation of Infrastructure Department at Head Office, which shall own & deal with all the available Infrastructure of ICAI including its repair and maintenance related to Civil Works only. All direction/guidance in this regard shall be taken by Infrastructure Department from Infrastructure Development Committee.

**Coffee Table Book**

A Coffee Table Book has been prepared which showcase information of all ICAI Branches as well as Centre of Excellence, Regional Office and Head Office functional from their own premises. The book contains the details of infrastructure facilities such as Class Rooms, ITT Labs, Reading Rooms, Library, Conference/Seminar Hall, Multipurpose Hall and Auditorium at one place, to effectively and efficiently use them as a strategic resource in ICAI's work program and development of Accountancy profession.

**7.6 International Affairs Committee (IAC)**

**ACTIVITIES**

**(I)Initiatives of IAC for recognition of professional opportunities abroad**

In order to spread its wings internationally, ICAI has been entering into qualification reciprocity agreements with accounting bodies globally to recognize qualification of members at either ends. These agreements foster working relations between the two accounting institutes. Foreign institutes with which ICAI currently has qualification reciprocity arrangements are CPA Ireland, SAICA, CPA Canada and ICAEW. During the year, qualification reciprocity agrrements were finalized/renewed with different accounting bodies as per details below:

- ICAI has renewed its qualification reciprocity agreement with the Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) in October, 2019 at London, UK to recognize the qualification, training of each other and admit the members in good standing by prescribing a bridging mechanism.
- It has finalized MRA arrangements with ICA Nepal .The MRA with ICA Nepal has received the approval of Union Cabinet chaired by Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi at its meeting held on 19th February 2020 and is expected to be signed soon.
- It has finalized MRA arrangements with MICPA.The matter for signing of MRA with Malaysian Institute of CPAs (MICPA) and the matter for renewal of qualification reciprocity agreements with Certified Public Accountants of Australia (CPA Australia) and Chartered Accountants Australia & New Zealand are awaiting clearances/concurrence from Governmental authorities..
- In addition, Chartered Accountants Australia and New Zealand (CAANZ) and Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) have offered Pilot Pathways program for ICAI members. These are unilateral offers in addition to the bilateral qualification reciprocity agreements.
- ICAI has got its qualification evaluated UK NARIC (The National Recognition Information Centre, United Kingdom) for UK as well as UAE Education Systemsin order to provide a strong interface to Indian members for recognition and professional opportunities abroad.

**(II) Globalizing ICAI's Brand Equity**

- ICAI Chapters abroad

ICAI currently has 34 Chapters abroad that promote Brand CA ahead of similarly placed qualifications and act as a gateway to promote career opportunities for the Indian Chartered Accountants. During the period, approval has been accorded by the ICAI Council for opening up the following Chapters which are going to be inaugurated soon :-

- Luxemburg Chapter of ICAI, which would be the 35th Chapter in the list of overseas Chapter and 4th in the Europe Region.
- UAE (Fujairah) Chapter of ICAI, which would be the 36th Chapter in the list of overseas Chapter and 11th in the Middle East Region.

- Foreign Policy of the Institute of Chartered Accountants of India

The Council has approved the Foreign Policy of the Institute which would provide an organised and focused approach to ICAI while duly recognizing limitations and constraints in international perspective. The aim of the policy is to serve members globally and act as a world leader in disseminating knowledge and skills set in this era of dynamism.

- ICAI 's Representative Offices abroad

In a bid to enhance its global footprints, ICAI has decided to open up its Representative Offices abroad where currently ICAI Chapters cannot be formed and thus bring together ICAI members abroad and enable effective reach and service to its members, thus aiding to positioning the 'Indian Chartered Accountant' as a 'Brand' worldwide for generating more professional avenues for Indian Chartered Accountants. ICAI commences it with the launch of 5 Representative Offices at Chicago, Dallas, Houston, New England Region ;Washington D.C, in July 2020. 12 Representative Offices in Ghana, Accra; Rwanda, Kigali; Mauritius, Port Lious; Democratic Republic of Congo, Kinshasa; South Africa, Durban; South Africa, Johannesburg; Egypt Cairo; Jordan, Aqaba; Seychelles, Mahe; Malawi, Lilongwe; Malawi, Blayntre and Mozambique, Maputo have also been approved and would be launched shortly.

- ICAI's second overseas office in Singapore

ICAI has presence of about 1000 members in ASEAN countries and an ICAI office in Singapore would enhance the brand image of CA India in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries as well as in other Asia Pacific countries. With this thought, the 2nd Overseas Office of ICAI in Singapore has been incorporated. The office would also be useful for member's related areas and in restoring the membership in these countries. It would also help them in maintaining good liasoning with PAO's in these countries and will promote brand CA in Asia Pacific regions, more particularly in ASEAN countries.

- ICAI Best Overseas Chapter Awards 2020

Since 2013, the International Affairs Committee (IAC) has been organizing ICAI Best Chapter Awards for its Chapters overseas as a token to appreciate the efforts of the Chapter Managing Committee in enhancing the 'Indian CA' brand and providing members a platform for networking thus creating a feeling of belongingness amongst members in foreign soil. They recognize the distinguished efforts and exemplary achievements of the Chapters in furtherance of the horizon of the Chartered Accountancy profession. The best overseas Chapters are selected on the basis of defined parameters as approved from time to time.

For the Best Chapter Award Competition 2020-21, the criteria has been updated and it has been decided to recognize the efforts of the overseas Chapters who have performed commendably during the period under evaluation but have not been able to secure the top positions under three categories by presenting a Certificate of Appreciation.

- ICAI to host the World Congress of Accountants on November 18-21, 2022 in Mumbai, India

WCOA is held every four years under the auspices of the International Federation of Accountants (IFAC), the worldwide organization for the accountancy profession and is one of the most prestigious global events of Professional accountants where about 6000 delegates gather and exchange views on accounting & allied areas. ICAI, being a member of IFAC, had bid to host the WCOA 2022 and after rigorous assessment won the bid to host the WCOA in November 18-21, 2022 Mumbai.

**(III) Delegations visiting ICAI**

- A delegation from CPA Australia comprising Ms. Deborah Leung, Head of International, Mr. Mark Chau, Regional General Manager Business Development International and Mr. Leslie Leow, Regional Manager – MESA, visited ICAI HO on 30th April 2019 to discuss the renewal of Mutual Reciprocity Agreement (MRA) between ICAI and CPA Australia which expired in September 2019 besides dwelling on issues of bilateral cooperation including exploring the Joint Study on Sustainable Development Goals and role of Accountants, and holding Joint Seminars/Workshops on Corporate Governance, Blockchain, Artificial Intelligence etc.
- Dr. In Ki Joo, President, IFAC and Mr. Russell Guthrie, CFO &Executive Director, IFAC had visited ICAI to be a part of the ICAI Platinum Jubilee celebrations on July 01, 2019. The celebrations were inaugurated by Shri M. Venkaiah Naidu, Hon'ble Vice President of India. Discussions were also held for successful conduct of WCOA 2022 on November 18-21, 2022 in Mumbai, India and had a meeting with the Chairman and Vice Chairman of ESB, AASB and IASB.

- A delegation from Kenya Accountants and Secretaries National Examinations Board (KASNEB) & Institute of Certified Public Accountants of Kenya (ICPAK) visited ICAI on 7th November 2019 to discuss on possibilities of availing technical support from ICAI in various technical and professional issues.
- Mr. Alan Johnson, Deputy President and Mr. Russell Guthrie, Chief Financial Officer, IFAC addressed the International Conference at Mumbai. Coinciding with their visit, they had also visited the venue for WCOA 2022, i.e. Jio World Centre on 5th December 2019 and had discussions with the President & Vice President on the preparations of the World Congress of Accountants 2022 (WCOA 2022) at Mumbai.
- A delegation from CPA Australia led by Mr. Andrew Hunter, CEO, CPA Australia had visited Mumbai on December 3, 2019 and had met with ICAI leadership to discuss on the renewal of the MRA between ICAI & CPA Australia. Various issues of mutual interest to both the Institutes were also deliberated upon.

**(IV) Conferences/Programs**

- *ICAI- CPA Australia Joint Information Sessions*-ICAI and CPA Australia jointly organized a series of workshops in June , September, November 2019 and February 2020 in different Tier I and Tier II cities creating awareness about the opportunities in Australia after qualifying CPA Australia exams through MRA route.
- *International Networking Event organized by Vancouver Chapter of ICAI during the sideline of IFAC Council meeting*-Key meetings of IFAC, CAPA, CAW were held in Vancouver, Canada in the month of November 2019. In conjunction with such meetings, the British Columbia, Vancouver Chapter of ICAI had organized an International Networking event wherein Board Members of CAPA participated. The events were attended by President IFAC, President CAPA and President SAFA as well and gave wide mileage to ICAI.The Networking Dinner organized by the Chapter on November 11, 2019 provided an exclusive opportunity to enhance the brand CA image at the global stage and also to promote the WCOA 2022 to be held in India. The event also witnessed the august presence of President, IFAC, CAPA and SAFA. CA. Atul Kumar Gupta, Vice President, ICAI had given a presentation on the UDIN initiative of ICAI which elucidated on the concept and advantages of this initiative at the IFAC Council on November 13, 2019 which was attended by the representatives of 175 member bodies in 130 countries. This initiative of ICAI was highly appreciated by the IFAC Council.
- *ICAI International Conference "Accountancy Profession: Catalyzing Reforms, Creating Values, on December 6-7, 2019 in Mumbai*-The ICAI mega International Conference on "Accountancy Profession: Catalyzing Reforms, Creating Values, was successfully held on December 6-7, 2019 in Mumbai, the financial capital of India. The Conference witnessed a plethora of speakers both of national as well as international eminence from Government, Industry and Accounting profession including Mr. Alan Johnson, Deputy President, IFAC; CA. Suresh Prabhu, Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha) & Prime Minister's Sherpa to G 7 and G 20 and CA. Thomas Chazhikadan, Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha). The Conference witnessed overwhelming response with over 1200 delegates attending the event and was very well appreciated by all the delegates.
- *ICAI Global Webinar on the topic "Impact of COVID 19 pandemic on the Reporting and Assurance on April 13, 2020*-The International Affairs Committee organised the Global Webinar on "Impact of COVID 19 pandemic on Reporting and Assurance" in April 2020 with the focus to address the challenges that COVID-19 outbreak has impulse on Global Economies and specially addressing the challenge being faced by Professionals & Corporates across the globe on accounting, reporting and assurance perspective. The Webinar was addressed by global leaders including: CA. Suresh Prabhu, Hon'ble MP(Rajya Sabha)& Prime Minister's Sherpa to G 7 & G 20 ; Dr. In Ki Joo, President, IFAC; Mr. Florin Toma, President, Accountancy Europe; Mr. Salvador Marin, President, European Federation of Accountants & Auditors for SMEs (EFAA); Mr. Wan Tin, President, ASEAN Federation of Accountants; Mr. Tom Seidenstein, Chair, IAASB ; Mr. Alan Johnson, Deputy President IFAC and Mr. Arjuna Herath, Chair, PAODC , IFAC.The Webinar was also addressed by representatives of other Professional Accountancy Organisations (PAOs)/International Organisations like: Chartered Accountants Worldwide (CAW); South Asian Federation of Accountants (SAFA); The Edinburgh Group; CPA Canada; CPA Australia; CPA Malaysia; Institute of and Indonesia Chartered Accountants.

- *Global Webinar on the topic "Risk Diversification Strategies - Opportunity for Global Manufacturers in India - Post COVID-19" on 30th April, 2020*-The COVID-19 pandemic is posing critical challenges to global economies and it will have lasting impact for many nations. Most nations have already started initiatives to realign their investment and supply chain strategy for building their economies, through the path to normal economic growth paradigm will be tough. As the world emerges out of COVID-19, dawn of new economic order will occur with shifting of global investments, manufacturing and supply chains. This would require India to rebuild its economy in the post pandemic era. To make India ready and contribute towards economic development, ICAI organized a Global Webinar on the topic "Risk Diversification Strategies – Opportunity for Global Manufacturers within India – COVID-19" on 30 April, 2020. The webinar witnessed e-presence of CA. Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce and Industry & Minister of Railways, CA. Arun Singh, Hon'ble Member of Parliament. The webinar has an eminent panel of speakers Dr. Rajiv Kumar, Vice Chairman, NITI Aayog, Shri Rajkiran Rai G, MD & CEO, Union Bank of India, Shri Satish Marathe, Director, Reserve Bank of India, CA. Gopal Krishna Aggarwal, Economist, CA. Rajiv Kumar Singh, Independent Director, Union Bank of India and CA. Umesh Chandra Pandey, Former Independent Director, Engineers India Ltd., who shared their views on the topic followed by Questions and Answers session from Chapters abroad with Hon'ble Minister CA. Piyush Goyal.
- *Meeting with Chapter Representatives through Video call to seek suggestions on Future Investment Policy in India to attract Overseas investment on May 14, 2020*-The International Affairs Committee organised an interactive meeting of ICAI leadership with ICAI overseas Chapters to seek their suggestions on Future Investment Policy in India to attract Foreign Investment on May 14, 2020.

  *Awareness session for ICAI members to promote MoU with the Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) on 27th and 30th June 2020*-With the initiative to promote the MoU and Pathway scheme signed between ICAI and the Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW), both Institutes jointly organised Webinar "Your passport to the world: ICAI members' opportunity to join ICAEW" on 27th and 30th June 2020"respectively. The 2 Webinars were attended by more than 400 ICAI members.
- *Webinar in collaboration with Edinburgh Group on June 27, 2020*-The International Affairs Committee and Committee for Members in Practice organized an ICAI-Edinburgh Group Global SMP Webinar on Future Ready SMP - Vital for Global Economy on the eve of International SMP Day on June 27, 2020. The webinar had the e-presence of Ms. Monica Foerster, Chair, SMP Committee of IFAC; Mr. Eamonn Siggins, Chair, Edinburgh Group & CE, CPA Ireland; Ms. Keddie Waller, Head of Public Practice, CPA Australia; Mr. Mark Edmondson, President & CEO, INFLO; CA. Satish Kumar Gupta, Chairman, Committee for Members in Practice, ICAI & Chair, SMP Committee of SAFA..

**(V) Technical Co-operation to under developed countries**

*ICAI's assistance to NBAA Tanzania, ICA Nepal and CPAPNG under mandate of MoUs signed with them*

- *ICAI support to NBAA, Tanzania*-ICAI had signed a technical co-operation MoU with the National Board of Accountants & Auditors, Tanzania to establish mutual co-operation in accounting and allied areas. In order to carry forward the mandate of the MoU, ICAI has undertaken the Review of syllabus of NBAA; Detailed evaluation and revision of study material of NBAA and procurement and delivery of books for NBAA.
- *ICAI support to CPAPNG*-ICAI & CPAPNG are going to sign a bilateral co-operation MoU and in pursuance thereof, ICAI has received a request from CPAPNG to improve their course curriculum for their CPA Module. ICAI has undertaken this evaluation/study to improve their modules. Earlier, ICAI had extended its support to CPAPNG in attaining full membership of IFAC. ICAI had completed the due diligence process and submitted its report to IFAC for consideration. IFAC at its Council Meeting held on November 13, 2019 has granted CPAPNG its full membership. In pursuance thereof, Mr. Yuwak Tau, Executive Director, CPAPNG had expressed gratitude on behalf of CPAPNG to ICAI at the ICAI International Conference in Mumbai.
- *ICAI support to ICA Nepal*-ICAI provided technical assistance to ICAN in further strengthening their examination systems wherein officers from ICAN visited ICAI to peruse the examination system and discuss various activities related to smooth conduct / flow of Examinations.
- *Technical Co-operation Agreements*-ICAI is also associated in providing framework of Technical Cooperation to countries that lack the accountancy infrastructure. It has signed Technical Co-operation Agreement with Kuwait Accountants and Auditors Association (KAAA) and Saudi

Organization for Certified Public Accountants (SOCPA) in the current year and following are the Institutes with which ICAI is having technical collaboration agreements for institutionalization of accounting profession in these countries.

- College for Banking & Financial Studies, Oman
- Institute of Chartered Accountants of Nepal
- Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF)
- National Board of Accountants & Auditors, Tanzania
- Institute of Certified Public Accountants of Kenya (ICPAK)
- Kuwait Accountants and Auditors Association (KAAA)
- Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA)

The Technical co-operation agreements with CPA Afghanistan and Higher Colleges of Technology, UAE have been approved by the Government of India and are expected to be signed soon.

*ICAI signs MoU with Kuwait Accountants and Auditors Association (KAAA)*-The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) signed the Memorandum of Understanding (MoU) with the Kuwait Accountants and Auditors Association (KAAA) in Kuwait on November 21, 2019.Signing of the MoU between ICAI & KAAA would facilitate both institutions working together to strengthen the accounting, financial and audit knowledge base in Kuwait. Under the MoU, ICAI would offer technical programs to the employees of Kuwait Government/Ministries/KAAA members and Kuwait Nationals in collaboration with KAAA.

- *Memorandum of Understanding between ICAI and Saudi Organisation for Certified Public Accountants (SOCPA)*-ICAI and the Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA) had signed an MOU in 2014. The MoU was due for renewal and post the approval of the Union Cabinet of India, ICAI & SOCPA signed the MoU on January 27, 2020 during the opening Ceremony of Saudi Accountants Forum at Riyadh.The MoU promotes mutual co-operation framework in the areas of corporate governance, technical research and advice, quality assurance, forensic accounting, issues for Small and Medium-sized Practices (SMPs), Islamic finance, Continuing Professional Development (CPD) and other subjects of mutual interest related to accountancy profession.

**(VI) Working for building blocks**

*Offering access of ICAI's e-Learning platform to the members of SAFA member bodies and other accounting bodies with whom ICAI has entered into MoU / MRA and proposes to enter into MoU/MRA in future*-ICAI's Digital Learning Hub is an integrated Learning Management System (LMS) which facilitates access to courses and professional contents in multiple formats(videos/presentations and interactive content) which can be used in self-paced way to professionals of International Accounting Bodies/Forums. The same was appreciated by the SAFA member bodies and SAFA had requested if ICAI could share these with the SAFA member bodies.

As a goodwill gesture, ICAI has offered its unique Digital Learning Hub with SAFA countries and accountancy bodies with which ICAI has entered into MRA/ MoU at a very nominal rate of USD 1 p.a. as against USD 200 p.a.

Further, ICAI in the extraordinary emergent circumstances; as a proactive measure, has decided to share these digital resources to support smaller PAOs to enable them to provide online CPD learning to its members. The proposal of ICAI has been highly appreciated by IFAC and has posted the ICAI proposal of offering ICAI Digital Learning Hub to smaller PAOs on the IFAC website. The Digital Learning Hub has also been shared with the members of International Panel on Accountancy Education and they have also appreciated this initiative of ICAI. About 100 members of the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) have already started using the ICAI' digital platform to continue enhancing their professional knowledge.

**7.7 Working Committee on World Congress of Accountants (WCOA)**

The Council has formulated a non standing Committee i.e. Working Committee on World Congress of Accountants from the current Council year for completing the different tasks for organizing the World Congress of Accountants (WCOA) 2022 scheduled to be held on 18th Nov 2022 to 21st Nov 2022 at JIO World Centre BKC, Mumbai.

The Committee has performed the following activities:

- Preparations for World congress of accountants 2022 are going on and Registration and other activities for WCOA-2022 will come soon.
- During the year the IFAC Deputy President and other Dignitaries also visited venue of WCOA-2022.
- Also established a fully functional Secretariat at ICAI Bhawan, BKC, Mumbai with full time dedicated staff in Mumbai for better co-ordination.
- RFP Finalization is on process for appointing Professional Conference Organizer of WCOA-2022.
- Logo of WCOA-2022 is finalized and website is under process with social media pages for advertising WCOA 2022.
- Sub Committees to look after various operations of WCOA has been formed.

### 7.8 Strategy, Perspective Planning and Monitoring Committee (SPP&MC)

The objective of Strategy Perspective Planning and Monitoring Committee is to identify, focus, explore, discuss and develop core competencies of the Accounting Profession in strategic & emerging areas in order to develop & broaden ICAI as a focused and vibrant accountancy Institute.

**Events organized by the Committee**

The Committee has organized the following activities:

A webcast was organized by Strategy Perspective Planning and Monitoring Committee on 3rd May on the theme "Making of New India" wherein key speakers namely Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Minister for Road Transport & Highways and Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India addressed the Members on the challenges and issues in Covid and post Covid era. The key issues covered by the Hon'ble Minister were :

- Make in India
- Attract investments by good policy
- Increased productivity by innovation and technology
- Increase exports
- Reduce imports
- Self sufficiency
- New sectoral developments
- Sustainability

Shri Shripad Yeso Naik, Hon'ble Minister of State for AYUSH (Independent Charge) & Minister of State for Defence, Government of India also addressed the Members on the efforts taken by Government in combatting the Covid era and the important role played by the Members of the profession . The webcast was also addressed by Prof. Asha Kaul, Professor in Communications, Indian Institute of Management (IIM) Ahmedabad who dwelled upon the critical issues of personal branding. The Webcast was viewed by about 1 lakh participants.

### 7.9 CSR Committee

The CSR Committee is a Non Standing Committee of the Institute of Chartered Accountants of India formed under the regulatory provisions of the Chartered Accountants Act, 1949. The Mission and Objective of the CSR Committee is to create, maintain, and improve awareness and compliances of CSR Regulations; undertake meaningful and quality initiatives; such activities that capture the true essence of social responsibility in such a way that leads to value creation for the society, promote sustained growth in harmony with the environment through transparency and effective governance.

**Activities undertaken**:

- The CSR Committee has issued the following publications:
  - Advisory for Independent Practitioner's Report on Utilisation of CSR funds – 29.05.2020
  - Answers to Questions raised during the Live Webcast on CSR Rules, Accounting and Taxation held on 29.04.2020 – 09.06.2020

- Technical Guide on Accounting for Expenditure on Corporate Social Responsibility Activities – 30.06.2020

- The CSR Committee had successfully organised a Live Webinar on 29.04.2020 on CSR Laws, Accounting and Taxation. There were 4122 logins for the webcast. Same has now been hosted on ICAI TV for the benefit of members.
- Response on Draft CSR Companies (CSR Policy) Rules 2020, has been submitted by the CSR Committee to the MCA after incorporating feedback received from members.
- Certificate Course on CSR, designed to meet the need of trained professionals who can help implement the vision and objectives of CSR for common good. The 1st Batch of the Certificate Course on CSR, started from 4th July, 2020 and has received very good response from the members.
- A web portal has been developed for tracking and showcasing the CSR activities of CAs. Information of donations made by CAs towards the Covid - 19 pandemic, is has been collated. Also, all developments in the field of CSR and the activities of the CSR Committee are updated regularly on the CSR portal at https://csr.icai.org
- Regular Communications are sent to members to come forward and take part towards the development of the economy and caring for the society by contributing towards the PM CARES Fund, PM National Relief Fund, CM National Relief Fund, ICAI Covid Fund, contribution of food packets and medical kits to the needy.
- Regular communications are sent to members updating them on the decisions of the Government/MCA and Notifications / Circulars issued.

### 7.10 UDIN Directorate

UDIN Directorate was set up by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India in the year 2019 to implement and monitor the progress of UDIN and it's day to day functioning on real time basis. Prior to that, it was the part of Professional Development Committee.

#### (I) Implementation of UDIN

In December, 2018, it was decided by the Council to make UDIN mandatory for every full time practicing Chartered Accountant in following phases:

- For all Certification done by Practising Chartered Accountants w.e.f. 1st Feb., 2019.
- For all GST & Tax Audit Reports w.e.f. 1st April, 2019.
- For all other Audit, Assurance and Attestation functions w.e.f. 1st July, 2019.

The members were informed about the implementation in phased manner well in advance through Announcements and mass emails. For their facilitation,details FAQs were released for each phase and were hosted on UDIN Portal and ICAI website.

#### (II) Statistics of UDIN

**1.05 Crore (98.53 Active UDINs) have been generated till 31st March, 2020**

***Category-wise UDINs***

| | |
|---|---|
| Certificates | 49.85 lakhs |
| GST & Tax Audit | 37.12 lakhs |
| Other Audit & Assurance | 11.56 lakhs |

***Number of Practising Members – Registered & Generated UDINs***

| | |
|---|---|
| In Full-time Practice | 1,38,441 |
| Registered on UDIN | 1,12,786 |
| Generated UDIN | 1,05,802 |

***UDINs Generated by Members vis-à-vis Articles under them***

| Members training Articles | No. of members | No. of UDINs |
|---|---|---|
| No Articles | 49,977 | 29,02,954 |
| 1 to 2 | 30,022 | 29,45,910 |
| 3 to 4 | 11,919 | 15,54,126 |
| 5 to 7 | 8,898 | 13,98,989 |
| 8 to 10 | 4,833 | 10,28,096 |
| > 10 Articled Assistants | 153 | 24,273 |

**(III) Unearthing of Frauds**

After implementation of UDIN, lots of malpractices which were in place by wrongdoers started coming to the lime light. Complaints are being received from stakeholders wherein frauds done by non-CAs in the name of CAs have started unearthing. UDINs are being verified by the regulators / stakeholders for establishing the authenticity of being signed by CAs only. The Banks have verified more than 10 lakhs UDINs.

**(IV) Notification of Council Decision on UDIN mandate**

The decision of the Council for mandating UDIN in phased manner was notified under Notification No. 1-CA(7)/192/2019 dated 2nd August. Accordingly, the non-compliance by the members may lead to disciplinary action.

**(V) Trademark & Copyright of UDIN**

The acronym "UDIN" has been registered under the Trade Marks Act, 1999 with effect from 15th March 2019 in the name of The Institute of Chartered Accountants of India under the seal of Registrar of Trade Marks dated 7th September, 2019. Further, Institute is in the process of obtaining Copyright for UDIN.

**(VI) UDIN has been implemented by IBA, SEBI, RERA, CBDT**

Indian Banks' Association vide its communication dated 11th March, 2019 requested all Banks to impress upon UDIN on all the documents accepted by them certified by the Chartered Accountants.

In SEBI, a meeting was held with Shri Nagendraa Parakh, Executive Director on 6th June, 2019 at Mumbai to emphasize upon the importance and effectiveness of UDIN. Acceding to our request SEBI has included a column for mentioning UDIN in their forms/ Audit Reports including all Stock Market Intermediaries Audit Reports.

In CBDT, a meeting was held with Sh. Rajesh Bhoot, Joint Secretary on 20th August, 2019 for inclusion of UDIN field in all IT Forms and Reports.Pursuant to the meeting and communications sent to CBDT, a column for mentioning UDIN has been included in all their forms and reports certified/ issued by CAs. CBDT will shortly implement the validation of UDIN through API from UDIN Portal of ICAI on real time basis while uploading the forms in their e-Filing portal.

**(VII) Meeting with Director, SIFO for UDIN**

Virtual Meeting was held with Sh. Amarjeet Singh Bhatia, Director, SIFO and his team on 12th June. 2020 wherein the concept of UDIN was shared and its importance on all their forms certified by CAs.

**(VIII) Communications with RERA**

Communications have been sent to Real Estate Regulatory Authorities of all the States with a request to include column for UDIN on all their audit reports to be signed by Chartered Accountants and has been implemented by Gujarat and Tamil Nadu.

**(IX) Presentation of UDIN**

- *In State Level Coordination Committee Meeting (SLCC)*-In all the SLCC Meetings held during the last year, ICAI representative has made a presentation on UDIN wherein Chief Secretary of the respective State, SEBI, MCA, ED, SFIO, CBI were present and have appreciated the UDIN Concept developed by ICAI.

- *To SAFA, IFAC, AOSSG*-SAFA has formed a task force to implement UDIN in SAFA Member Bodies. The first meeting of the taskforce was held on July 29, 2019 in Colombo, Sri Lanka wherein a detailed presentation on UDIN was given. ICA Bangladesh, ICA Pakistan & ICA Nepal have requested for the technical assistance of ICAI to implement UDIN in their respective member bodies.

A presentation on "Impact Analysis on UDIN" was made at 11th Annual General Meeting of Asian Oceanian Standard Setters Group (AOSSG) at Goa held in the month of Nov., 2019 where more than 27 Countries representatives were present.During the International Networking Meet organised by British Columbia, Vancouver Chapter of ICAI in Nov., 2019, a presentation was made to IFAC Council on the UDIN initiatives of ICAI which elucidated on the concept and advantages of this initiative and was highly appreciated by the IFAC Council.A presentation on UDIN was given to ICA Bangladesh on 15th February 2020 wherein the concept was highly appreciated.

**(X) Release of Publications:**

- *FAQS on Unique-Document Identification Number*-A Publication on FAQS on Unique Document Identification Number (UDIN) was released in the month of November, 2019
- *Report on UDIN*-UDIN Directorate had released a report on Annual Function on 7th Feb., 2020. Starting from the conceptualization, implementation; the report also depicted various data of UDINs based on information punched by the members as well as way forward.

**(XI) Generation of Bulk UDIN on Certificates-**A provision for generating UDIN in bulk for Certificates has been incorporated in UDIN Portal in the month of June 2020. Using this facility now the members will be able to generate UDIN in bulk i.e upto 300, for various types of Certificates in one go. It can be done through uploading of excel file.

**(XII) UDIN- a Catalyst for Regulator**

It is envisaged that gradually UDIN will become a tool for regulating the Profession and enforcing the guidelines and laws effectively. Few such areas are stated as below:

- Remittances/flow of money overseas as per FCRA/FEMA
- Check on utilization of Govt. Sponsored Schemes
- Evaluation of GDP growth vis-à-vis Assesse
- Number of Tax/Company Audits permissible to CAs
- Enforce ICAI Rules/Regulations/Guidelines effectively through UDIN
- For Communication with Previous Auditor through UDIN

## 7.11 International Placement Directorate

The International Placement Directorate has been de-merged this year from Committee for Export of CA Services & WTO wherein the Overseas Campus Placement was undertaken for two consecutive years, for placement of Chartered Accountants and Accountants overseas.

Accounting and finance sector is identified as one of the 12 Champion Sectors for export promotion by Hon'ble Prime Minister of India. International Placement Directorate is an initiative under the Champion Sector, is aimed to make potential employers, Chartered Accountants and accountants meet for global opportunities under ICAI institutional framework and would provide a unique opportunity to overseas employers to recruit Indian CAs and accountants.

**INITIATIVES**

- Directorate is working on the International Placement Online Portal which will work 24*7 for Indian Chartered Accountants to work overseas which will enter the UAT phase and will be launch soon.
- Directorate is approaching to Commercial wing of all the Indian Mission abroad by writing them for support and assistance in promotion of Indian Accounting Profession globally and will discuss further modalities after receipt of confirmation from them.
- Directorate had requested all the Chapters of ICAI abroad to share the list of Internationally recognised HR Consultants in their jurisdiction to whom Directorate will contact individually or routed through Chapters so that they can share the list of perspective companies who will hire Indian Chartered Accountants abroad.

## 7.12 Right to Information Act, 2005

The Right to information is implicitly guaranteed by the Constitution. However, with a view to set out a practical regime for the citizens to secure information as a matter of right, the Indian Parliament enacted the Right to Information Act, 2005. The basic object of the Right to Information Act is to empower the citizens, to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) a statutory body set up by an Act of Parliament i.e. The Chartered Accountants Act, 1949 is a public authority as envisaged under section 2(h) of the RTI Act, 2005. In compliance of the provisions of the RTI Act, 2005 and direction of the Central Information Commission, officers of the Institute have been designated as Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority (FAA) and Transparency Officer.

### Disclosure under Section 4 (1)(b) of RTI Act, 2005

In terms of the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005, necessary disclosures have been made by the Institute by hosting them on the website of the Institute www.icai.org and the same are updated from time to time. Total 68901 (Sixty Eight thousand Nine hundred one) applications have been received which includes the applications for certified copies of various examinations conducted by the ICAI.

## 7.13 XBRL

For the effective participation of the regulators, technologists, corporates and academicians in the endeavour of the Institute for the promotion of XBRL in India, the Institute has facilitated the incorporation of XBRL India as a section 25 company with the main objective of promoting and encouraging the adoption of XBRL in India as the standard for electronic business reporting in India through development of taxonomies, facilitation of education and training on XBRL. Also, considering the growing importance of XBRL internationally, XBRL India has taken membership of XBRL International Inc. to facilitate and get updates of XBRL filing globally. XBRL India is an established Indian jurisdiction of XBRL International. Currently, The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) are the members of XBRL India under the category of "Regulators and Stock Exchanges" and "Universities and Educational Institutions" respectively.

XBRL India is developing and maintaining XBRL taxonomies for Ministry of Corporate Affairs (MCA). XBRL India has developed two taxonomies for MCA, one is Commercial & Industrial (C&I) taxonomy for companies following Accounting Standards and the other one is Ind AS Taxonomy for companies following Ind AS. Through guidance and support provided by XBRL India, Ind AS taxonomy has been successfully implemented and XBRL filing of the financial statements for the financial year 2017-18 and 2018-19 has been successfully done.

### XBRL filing requirements by the Ministry of Corporate Affairs (MCA)

XBRL taxonomy, based on the Ind AS and Ind AS compliant Schedule III requirements, has already been in place for filing of financial statements in XBRL format.

The Ind AS taxonony has been amended to Incorporate the following changes:-

- Issuance of new Leases Standard viz Ind AS 116, 'Leases' effective for the accounting year 2019-2020.
- Amendments in other Ind AS

Further, Taxonomies will need to be revised for changes in Ind AS compliant Schedule III.The Ind AS Taxonomy after incorporating changes in Ind AS compliant Schedule III will be submitted to MCA after due approval by Taxonomy Development and Review committee of XBRL India and the Council of ICAI.

## 7.14 ICAI-ARF

ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF) was established in January, 1999 as a Section 25 Company (now Section 8 Company under the Companies Act, 2013) for doing core research in the areas of accounting, auditing, capital markets, fiscal and monetary policies. The following is the detail of projects undertaken by ICAI ARF during the last year:

- *Roll Out of Accrual Accounting in all Zonal Railways and Production Units over Indian Railways* – ICAI ARF organised intensive training programmes across the Country covering all the 17 Zonal Railways and 8 Production Units of Indian Railways supported by a customised Training Manual (in two parts) inclusive of assessment. Accrual Accounting Implementation Manual (AAIM) has also been submitted. Approach I as mentioned in the Concept Paper on Mapping of Finance Code-II has been approved and the team is working on Transaction Based Accrual Accounting system.

- *Compilation of data and preparation of Financial Statements for FY 2017-18 & 2018-19 and Balance Sheet as on 31.03.2018 & 31.03.2019 for Indian Railways, and Conducting studies on data/system shortcomings observed at the Roll Out Stage during compilation of Financial Statements for FY 2015-16 and 2016-17 and its improvements* – ICAI ARF has been awarded the said project which is inclusive of following 5 studies:
- Framework on Applicability of Ind AS on Accrual Based FS of Indian Railways
- Pilot Study to reconcile Rolling Stock Data of NR with Railway Board as on 31.03.2017
- Pilot study to develop mechanism for identification of lease assets and owned assets at Northern Railway
- Pilot Study to develop framework for Clearance of CWIP and transfer to FAR to be undertaken over NR based on the CWIP data received in FA-13 as on 31st March 2017
- Pilot Study to reconcile investment made by Indian Railways in various subsidiaries, associates companies and joint ventures as on 31st March 2017.

  Work has been initiated on all of these.
- ICAI ARF published Concept Paper on Audit Committee for Municipal Bodies and submitted the same to the Minister and Secretary to Ministry of Housing & Urban Affairs of Government of India, Chief Minister and Minister of Urban Development/Municipal Administration of all the States, Finance Commission and NITI Aayog for their consideration.

### 7.15 ICAI Registered Valuers Organisation

ICAI Registered Valuers Organisation is a section 8 Private Company formed by the Institute of Chartered Accountants of India to enrol and regulate Registered Valuers or valuer member as its members in accordance with the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, and functions incidental thereto.

**(I) Educational Course (50 hours) by ICAI Registered Valuers Organisation which is a precondition to become Registered Valuer:**

- In the initial phase, ICAI Registered Valuers Organisation has been focusing on building its membership base and conducting 50 hours of educational course for its valuer members which is a precondition for becoming Registered Valuers and preparing Educational material for the Educational Course.
- In this direction, from June, 2018 onwards, ICAI RVO has conducted the 43 batches for the 50 hours training across the country.
- As on August, 2020, 3000+ members have been trained by ICAI RVO for its Educational course of 50 hours.

**(II) Online Classes of Educational Course (50 hours) by ICAI Registered Valuers Organisation which is a precondition to become Registered Valuer:**

- Due to the outbreak of COVID-19, conducting the classes of Educational Course through Online mode has been allowed by IBBI.
- ICAI RVO has conducted 3 online batches and trained 500+ members.

**(III) Registration of Registered Valuers with IBBI for the Asset Class Securities or Financial Assets:**

The Insolvency and Bankruptcy Board of India under the Asset Class Securities or Financial Assets has registered 1183 Registered Valuers as on 31st July, 2020 out of which, 635 Registered Valuers are ICAI RVO members which contributes to 54% of the membership.

**(IV) Study Modules for Educational Course by ICAI RVO:**

Four Study Modules for Educational Course have been prepared to help the members who enrols with ICAI RVO for the Educational Course, in understanding the subject better

- Module 1 covers in detail Overview and Concepts of Valuation
- Module 2 covers in detail Valuation Approaches and Methods
- Module 3 covers Judicial Pronouncements
- Module 4 covers Relevant laws & Regulations as per the Syllabus

**(V) Adoption of ICAI Valuation Standards 2018 by ICAI RVO**

ICAI through its Valuation Standards Board has brought out ICAI Valuation Standards 2018 which are first of its kind in India. ICAI RVO under rule 8 of the Companies (Registered Valuers and valuation) Rules, 2017 has adopted ICAI Valuation Standards 2018. The ICAI Valuation Standards 2018 are Mandatory for the members who are enrolled with ICAI RVO under the Companies Act 2013 till the time the Valuation Standards are issued by the Government as per the said Rules. The ICAI Standards are recommendatory for Chartered Accountants for valuation under other Statutes.

**(VI) Launch of ICAI RVO Learning Management System**

ICAI RVO has launched its Learning Management System which is an e-learning platform which delivers the concepts of the syllabus prescribed by the Revised Insolvency and Bankruptcy Board of India in the form of study material and supplemented by mock test in Multiple Choice Questions format. This Learning Management System facilitates the members who are primary members of ICAI RVO, in preparing for IBBI Valuer Examination.

**(VII) Publications**

ICAI Registered Valuers Organisation jointly with the Valuation Standards Board of ICAI has issued the following Publications:

- Concept Paper on All About Fair Value
- Valuation: Professionals' Insight (Series I, II, III and IV)
- Concept paper on the findings of the Peer Review of Valuation Reports
- Technical Guide on Valuation
- Frequently Asked Questions on Valuation

## 7.16 Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI)

Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI), a wholly owned subsidiary of the Institute of Chartered Accountants of India, is a Section 8 Public Company formed by the Institute of Chartered Accountants of India to enroll and regulate insolvency professionals as its members in accordance with the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and read with regulations and functions incidental thereto.

It has been awarded with the registration certificate as the First Insolvency Professional Agency of India by the then Hon'ble Union Finance Minister Shri Arun Jaitely on 28th November 2016 at Delhi. IIIPI has attracted members from a diverse stream including Chartered Accountant, Company Secretary, Cost Accountant, Advocates and Management Professionals. As on 31st March, 2020 out of total 3014 Insolvency Professionals (IPs) registered with Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI), 1860 IPs are from IIIPI.

**(I) Movement of Membership**

| IPA | Total Registrations (From 01.04.2019 to 31.03.2020)* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FY 2019-20 | | | | | | | |
| | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | |
| | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
| ICAI | 137 | 67.49 | 83 | 64.84 | 73 | 58.87 | 49 | 49.5 |
| ICSI | 57 | 28.08 | 32 | 25.00 | 36 | 29.03 | 40 | 40.40 |
| ICWAI | 9 | 4.43 | 13 | 10.16 | 15 | 12.10 | 10 | 10.10 |
| **Total** | **203** | **100.00** | **128** | **100.00** | **124** | **100.00** | **99** | **100.00** |

*** Source: IBBI Data**

The initial phases of IIIPI's operations have been focused on building its membership base. However, with the strengthening of the same, the activities have become more broad-based.

**(II) Monitoring of the performance of the Insolvency Professionals**

As per Section 204 of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, monitoring the performance of its members is one of the core functions of IIIPI. Accordingly, IIIPI assess the performance of the members on the following parameters-

- *Relationship Disclosure*: IBBI issued a circular on "Disclosures by Insolvency Professionals and other Professionals appointed by Insolvency Professionals conducting Resolution Processes" on 16th January 2018 which states as under:

  An insolvency professional shall disclose his relationship, if any, with (i) the Corporate Debtor, (ii) other Professional(s) engaged by him, (iii) Financial Creditor(s), (iv) Interim Finance Provider(s), and (v) Prospective Resolution Applicant(s) to the Insolvency Professional Agency of which he is a member

- *Fees and Other Expense Disclosure:* IBBI issued a circular on "Fee and other Expenses incurred for Corporate Insolvency Resolution Process" on 12th June 2019. The IP is directed to disclose fee and other expenses in the relevant Forms to the Insolvency Professional Agency of which he is a member for all concluded, ongoing and subsequent CIRPs within the specified time.

- *Appointment of Valuers by the IPs:* Para 6 of IBBI Circular dated 17th October 2018 provides as under:

  In view of the above, every valuation required under the Code or any of the regulations made thereunder is required to be conducted by a 'registered valuer', that is, a valuer registered with the IBBI under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017. It is hereby directed that with effect from 1st February 2019, no insolvency professional shall appoint a person other than a registered valuer to conduct any valuation under the Code or any of the regulations made thereunder.

- *Submission of CIRP Forms on the Website of IBBI – As per Regulation 40B of IBBI (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons), Regulations, 2016:* The Insolvency Professional (IRP or RP as the case may be), shall file the forms, along with the enclosures thereto, on an electronic platform of the Board (available on www.ibbi.gov.in) as per the timelines stipulated against each form.

- *Half Yearly Report Submission:* In terms of Para 16 of Model Byelaws of an Insolvency Professional Agency, every member shall submit information, including records of ongoing and concluded engagements as an insolvency professional, in the manner and format specified by the IIIPI, at least twice a year

**(III) Inspection**

In pursuance of the monitoring objective, monitoring committee of IIIPI may carry out the onsite visit at the registered corporate office of the professional members. Committee may select the professional member to be inspected on the following two criteria:

1. Trigger Basis
2. Random Basis

IIIPI has carried out the Onsite Inspection of 05 Insolvency Professionals so far.

**(IV) Other Initiatives by IIIPI**

- *Vision Statement:* IIIPI has launched its Vision Statement recently and has become first IPA in India to have Vision statement. The statement reads as follows: -

  "To be a leading institution for development of an independent, ethical and world-class insolvency profession responding to needs and expectations of the stakeholders"

- *Appointment of MD* - The Governing Board of IIIPI appointed Managing Director of IIIPI.

- *Awareness Program* - Frequent Awareness program were arranged for DRT officers on IBC, 2016 and on IBC for Income Tax Officers in association with IBBI.

- *Association with CII* – A Conference on Resolving Insolvency in India was organised in association with CII in November, 2019.

- *Association with IMC and BSE*- A seminar was organised jointly at Mumbai in association with IMC and BSE on IBC- Challenges, Opportunities, Learning and way forward.

- *Pre-Registration Educational Course* – IIIPI has Organized 14 Pre-Registration Training Courses at different centers across the country till 30th June 2020.

- *Round Tables were conducted by IIIPI* - To review and discuss the possible implementable prospects of Inspection Manual, Code of Conduct and Ethics, Role of IP in valuations conducted under IBC, 2016 and on Special Insolvency Resolution Framework for MSMEs under IBC, 2016.

- *Study Group Meetings for Insolvency Professionals by IIIPI* - IIIPI has participated in various meetings of Study Groups of Insolvency Professionals to address issues and concerns in the Insolvency Resolution process.
- *Learning Management System of Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI* - IIIPI jointly with ICAI, has designed a Learning Management System to enable the professionals to prepare for the Limited Insolvency Examination to become an IP.
- *IIIPI Weekly Newsletter* - IIIPI Weekly Newsletter, giving the details of important events and developments relating to the Insolvency Profession are being hosted on the website.
- *National Conference* - National Conference on "on Resolving Insolvency in India" in association with ASSOCHAM India, CII.
- *Association with ASSOCHAM and EIRC* - Conference and Seminars were extensively organized in association with ASSOCHAM and EIRC and seminars were conducted to touch the different aspects of IBC and unfold operational facts and understanding.
- *IP Conclave* - IBBI Insolvency Professionals Conclave was organized by IIIPI on 29th Feb 2019 with EIRC-ICAI.
- *Webinar & Web conferences* – IIIPI has organized various Webinars and Web-Conferences in association with IFC, IBBI, to keep IPs updated with the latest amendment, notification or circular or change in process in context to IBC making the interface interactive to lead to a proper communication, effect due to Covid 19 and address to their queries.
- *Workshops in association with IBBI* - IIIPI frequently organizes workshops and advanced trainings in association with IBBI pan India for the IPs.
- *Grievance Redressal* - A total of 83 Grievances were dismissed or dealt with during 01.04.2019 to 30.06.2020 by the Grievance Redressal Committee of IIIPI.
- *Online Utilities* - IIIPI has developed various online utilities functional in its website www.iiipicai.in to capture the status of insolvency & liquidation assignments which includes:
  - Uploading of Public Announcements.
  - Filing of relationship disclosures
  - Uploading the details of Fees and other expenses incurred in CIRP and Liquidation
  - IIIPI made Enrolment application Form Online
  - Submission of Half Yearly Return
  - Developed payment gateway to facilitate members of IIIPI to pay all types of fees online

  IIIPI is in the process of developing an integrated ERP package, a single window facility for its members.

## 8. OTHER MATTERS

### 8.1 Chartered Accountants' (CA) Day – 1st July, 2020

On 1st July, i.e. CA Day, ICAI completed 71 years of its glorious existence. Owing to the Covid-19 pandemic and to abide with the government guidelines to avoid large gatherings, CA Day function was organised in a Virtual Mode. As part of the celebrations a 3 Day Virtual CA Summit on "Transforming the Future: Enabling Excellence, Augmenting Trust" was organised from 29th June 2020 to 1st July 2020. It was indeed a great honour for the profession that Shri Om Birla, Hon'ble Speaker of Lok Sabha, addressed the members and students on July 1, 2020. The 3 day Summit, wherein different sessions were scheduled covering entire gamut and varied areas of contribution profession is making to the society at large, were addressed by galaxy of speakers from all walks of life sharing their rich experience with the audience.

### 8.2 Central Council Library

The Central Council Library of the Institute caters to the information requirements of its stakeholders. Its aim is to provide comprehensive and upto date collection of primary and secondary print and non-print material to the present and anticipated members/students, research scholars and officials of ICAI. Library has assumed greater responsibilities of serving committees, departments in imparting knowledge and valuable information through books, e-books, journals, magazines, on-line databases, print newspapers as well as e-newspapers. Central council library is responsible for updating and providing journals and books required for the various committees work.

The Central Council Library is fully computerized and working through Liberty- library management software. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. These records are available on Internet Online Services www.icai.org under "Central Council Library"-online search OPAC-Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library.

Under the Column "Accountants Browser", an index of articles relevant to accounting profession are published every month in the journal "The Chartered Accountant". The "Accountants Browser" is an index of important/Professional Articles with archives of past articles. Reference service from library is also provided to the Researchers & Scholars, faculties, students and members.

A number of online databases have been acquired by the Library, details of which are available on www.icai.org – Central Council Library. These On-line knowledge databases have been installed in the Central Council Library and can be accessed in-house only, to facilitate the search for required material by the Members, Faculties and Research Scholars. Several e-journals have also been subscribed in the Library. Details of the new resources added in the Central Council library at Head office and Noida office library respectively for the financial year 2020 – 21 are as follows:

CENTRAL COUNCIL LIBRARY (H.Q).

| S.NO. | Title | Figures |
|---|---|---|
| 1. | Journals (Print)- national & International | 31 |
| 2. | Online Resources | 19 |
| 3. | No. of new arrival Books added during the period | 708 |

CENTRAL COUNCIL LIBRARY SEC.62, NOIDA

| S.NO. | Title | Figures |
|---|---|---|
| 1. | Journals (Print) - national & International | 15 |
| 2. | Online Resources | 12 |
| 3. | No. of new arrival Books added during the period | 202 |

Central Council Library is regularly updating its resources to provide the professional Members, students, faculties & other stakeholders with the latest and upto date knowledge and information.

### 8.3 Editorial Board

The Editorial Board is a non-standing committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) with a MISSION to convey regularly to the members the professional knowledge, matters of interest of profession through the journal `*The Chartered Accountant'.* The reach and impact of the Journal can be gauged by its circulation figure which stands about 3,10,000 that comprises of e-journal and printed copies.

A 'Brand Ambassador' of ICAI and the most visible indicator of the Institute's profile for the members, students and external audiences, *The Chartered Accountant* today matches the global standards of professional Journals. The Editorial Board is continuously moving ahead in its mission to keep the ICAI members and other readers of the journal up-to-date on the knowledge domain of accounting profession- as well as disseminate information on various developments that are taking place in ICAI.

Following are the most significant achievements of the Editorial Board during the period 1st April 2019 to 31st March 2020:

#### (I) Initiatives towards Partner in Nation Building

Editorial Board has undertaken a number of initiatives towards partnering in Nation Building by way of knowledge upgrade and dissemination through its monthly journal, *The Chartered Accountant*, as well as otherwise. Some significant initiatives in this regard are as under:

(A) Publication of Articles of National/Professional interest:

About 215 articles/features of national-professional-economic interest were published in the ICAI's journal *The Chartered Accountant* in coordination with various government organs, ICAI Committees, Member authors and other stakeholders.

(B) 'I GO GREEN WITH ICAI' Initiative

As part of a multifarious Green Drive of ICAI, the members and other readers of *The Chartered Accountant* journal were motivated to opt for various electronic versions of the journal while discontinuing the hard copy, to save trees. The digital version of the ICAI Journal is becoming highly popular. Advertisements, in the Journal to go-green, announcements and information in the message from the President of ICAI have been included to encourage members to prefer e-Journal. Members are also being encouraged to opt for e-journal by a reduction in their membership fees. With such efforts a large number of members are opting out of eco-unfriendly physical copies. With these efforts, there is a significant drop in the number of printed copies from 2,74,600 in March 2019 to 1,74,815 in March 2020.

**(II) Initiatives for the Members/Students**

Editorial Board has always been very active in taking initiatives for the knowledge enhancement and professional development of the Members and Students through its monthly journal, *The Chartered Accountant*. Some significant initiatives in this regard are as under:

*Coverage of Quality and Contemporary Contents in The Chartered Accountant Journal:*

- Wide range of topics covered**:** From April 2019 and March 2020 issues of the journal, more than 215 articles/features and reports on various topics were published under various innovative and contemporary theme issues.
- Feature 'Our Achiever'**:** Under 'Our Achiever' feature of the journal interviews of outstanding ICAI members, who have excelled in various walks of life, were published. The personalities covered included CA. Arun Singh, Member of Parliament, Rajya Sabha, CA. Sanjiv Mehta, CMD, Hindustan Unilever Ltd., CA. Subhash Runwal, Runwal Group Chairman, Justice (CA.) Dr. Vineet Kothari and ICAI Members who are sitting judges, technocrats, business personalities, etc.
- Feature 'Ind AS Alert'**:** The feature 'Ind AS Alert' kept the members/readers up-to-date with latest developments vis-à-vis Indian Accounting Standards.
- July 2019 Issue Brought Out as Collector's Edition**:** The July 2019 issue, coinciding with CA Day and ICAI entering Platinum Jubilee year, was brought out as Collector's Edition in 164 pages.
- Legal Update section of the journal**:** Case reports in the journal were made succinct with the introduction headnotes. Simultaneously, complete summaries of the case laws were published online on the Committee page of Institute's website.

*Many Facets of Digital Versions of The Chartered Accountant Journal Upgraded for the convenience of Members and Students:*

- Journal on Digital Learning Hub**:** The electronic version of Journal, which is available online on ICAI website www.icai.org hi-tech user-friendly e-magazine, was further upgraded and included as part of Digital Learning Hub. This helped in providing knowledge through ICAI Learning Management System, besides supporting the Green Drive of the ICAI. SCORM compliant version of e-Journal is faster, responsive, carrying better user experience and offering better mobile compatibility, which is in line with the expectations of new generation of Chartered Accountants. E-journal in form of flip-book is also hosted providing aesthetically attractive content.
- Journal in PDF format**:** For the added and alternative convenience of readers, particularly for separate content-wise downloads, the journal continues to be hosted in the PDF format. The archives of digital journal are available on ICAI website from July, 2002 onwards.
- Journal on Mobile**:** The eJournal is now also available on mobile, compatible on iOS (IPad/IPhone etc.) and Android devices. It can be accessed at http://www.icai.org/ under 'e-journal' tab. The eJournal is also available on ICAI Mobile App.
- Journal Highlight emailers**:** As an add-on service, the highlights of every issue of journal in capsule form and the ICAI's President Message in the journal are now mass-emailed to all the members.
- Journals in DVD**:** As a single point reference window to the readers of The Chartered Accountant journal and leverage the technology to serve them better, a DVD of past issues of the journal is continued to be available for readers and other stakeholders. While a DVD of 10 years of the journal (July 2002-June 2012) in PDF format is already available for members at a nominal cost along with an HTMLised DVD (wherein the readers can global search the contents through key words relating to accounting, auditing, taxation, etc., besides searching by month, year, volume, category (like Circulars & Notifications, ICAI News, Legal Decisions, author, etc.) which contains 63 years of The Chartered Accountant Journal (July 1952 to June 2015) .

## 9. MEMBERS

### 9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2020, 15,540 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 3,07,238 as on 1st April, 2020.

During the year ended 31st March 2020, 642 associates were admitted as fellows, in comparison to the figure of 6,752 in the previous year.

Total Members as on 1.4.2020

| Category of Members | Fellow (1) | Associate (2) | Total of Columns (1) and (2) |
|---|---|---|---|
| In Full Time Practice | 82953 | 53368 | 136321 |
| In Part-time Practice | 2705 | 4531 | 7236 |
| Not in Practice | 13825 | 149856 | 163681 |
| Total | 99483 | 207755 | 307238 |

### 9.2 Convocation

Since November 2008, the Institute has been organizing Convocation to confer membership certificates to newly enrolled members. ICAI has successfully organized 1st round of "Convocation 2019" for the newly enrolled members covering the period from May, 2019 to October, 2019 on 3rd, 4th & 5th January, 2020 at following nine places under five Regional Offices:-

1. Ahmedabad
2. Mumbai
3. Pune
4. Chennai
5. Hyderabad
6. Kolkata
7. Jaipur
8. Kanpur
9. New Delhi

### 9.3 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institute as well as their dependents, for maintenance, their emergent educational and medical needs etc.

The financial and other particulars of the Fund are as follows:

**Details of Membership**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Total Life Members as on 31st March, 2019 | 1,36,050 |
| 2. | Total Life Members as on 31st March, 2020 | 1,37,775 |
| 3. | Total Additions of New Life Members (as on 31st March, 2020) | 1,725 |

**Details of Financial Particulars**

| | During the year ended 31st March, 2020 (Rs.) | During the year ended 31st March, 2019 (Rs.) |
|---|---|---|
| 1. Total Assistance provided | 93,98,000 | 1,12,70,000 |
| 2. Administrative Expenses | 15,000 | 2,014 |
| 3. Surplus of the Fund during the year | 1,94,70,000 | 1,24,95,000 |
| 4. Balance of the Fund | 6,87,99,000 | 4,93,29,000 |
| 5. Balance of Corpus | 21,68,98,000 | 20,63,28,000 |

### 9.4 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

The number of life membership of the Fund as on 31st March, 2020 is 8,735. The balance in the credit of the Fund was Rs. 61,64,000/- as on 31st March, 2020 as against Rs. 52,97,000/- as on 31st March, 2019.

### 9.5 Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance to the students registered with ICAI. As regards the Scholarships for the year 2019-2020, 1824 articled assistants who are registered for IPCC and IIPCC have been granted assistance @ Rs. 1,500 p.m. and 492 articled assistants who are registered for final course granted financial assistance @ Rs. 2,000 p.m. The balance in the credit of the general fund was Rs.13,31,54,000/- as on 31st March, 2020 as against Rs. 14,31,53,000 as on 31st March, 2019.

**STATISTICS MEMBERS**

**AS ON 01/04/2020**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FELLOWS | : | In Full Time Practice | 82953 |
| | | In Part-time Practice | 2705 |
| | | Not in Practice | 13825 |
| | | | 99483 |
| ASSOCIATES | : | In Full Time Practice | 53368 |
| | | In Part-time Practice | 4531 |
| | | Not in Practice | 149856 |
| | | | 207755 |
| TOTAL MEMBERSHIP | : | | 307238 |

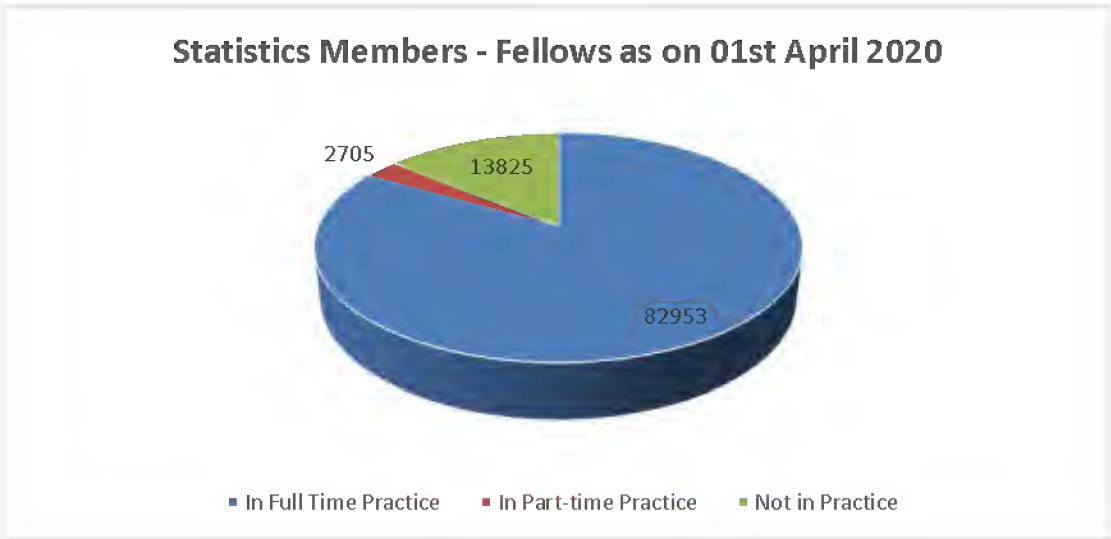

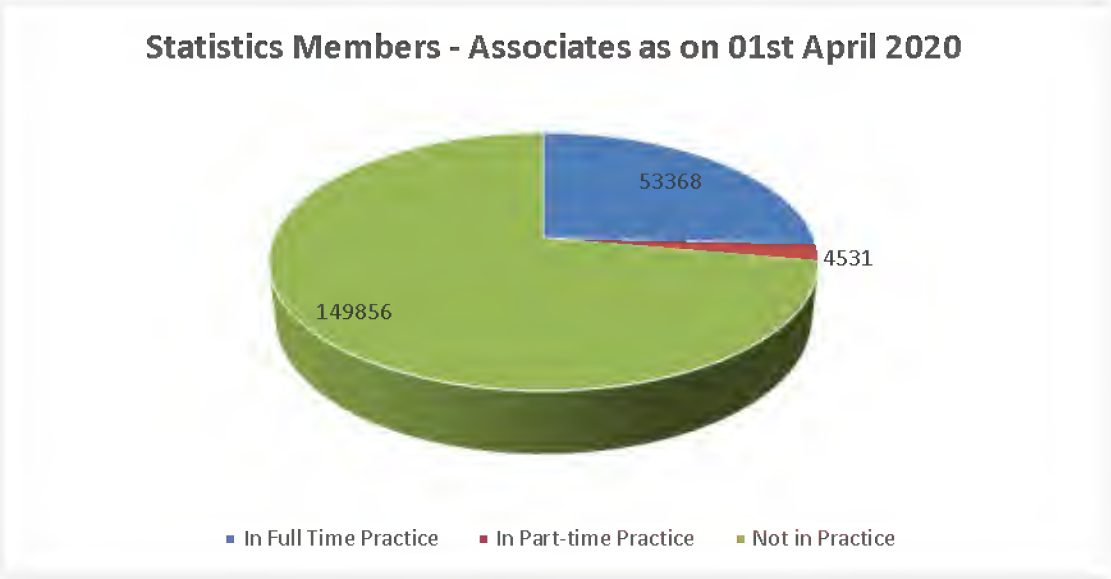


| | FELLOWS | | | | ASSOCIATES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | In Practice | | | | In Practice | | | | |
| Region | Full Time | Part Time | Not In Practice | Total | Full Time | Part Time | Not In Practice | Total | Grand Total |
| Western | 24118 | 782 | 3960 | 28860 | 18279 | 1567 | 54439 | 74285 | 103145 |
| Southern | 17491 | 700 | 3304 | 21495 | 8632 | 1019 | 28754 | 38405 | 59900 |
| Eastern | 7804 | 232 | 1259 | 9295 | 3683 | 335 | 11717 | 15735 | 25030 |
| Central | 16744 | 375 | 1898 | 19017 | 11915 | 705 | 25833 | 38453 | 57470 |
| Northern | 16796 | 616 | 3404 | 20816 | 10859 | 905 | 29113 | 40877 | 61693 |
| TOTAL | 82953 | 2705 | 13825 | 99483 | 53368 | 4531 | 149856 | 207755 | 307238 |

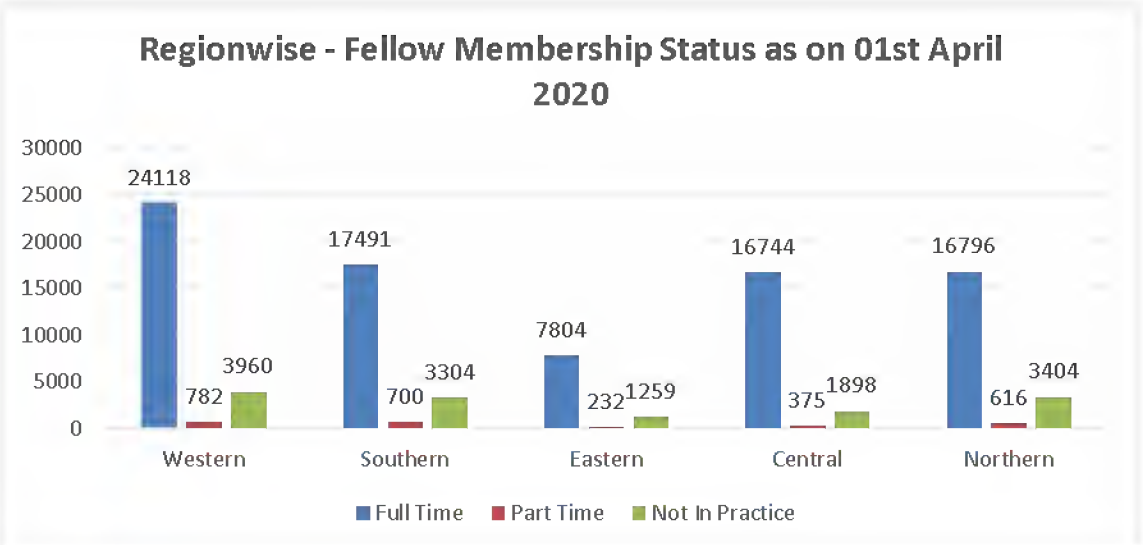

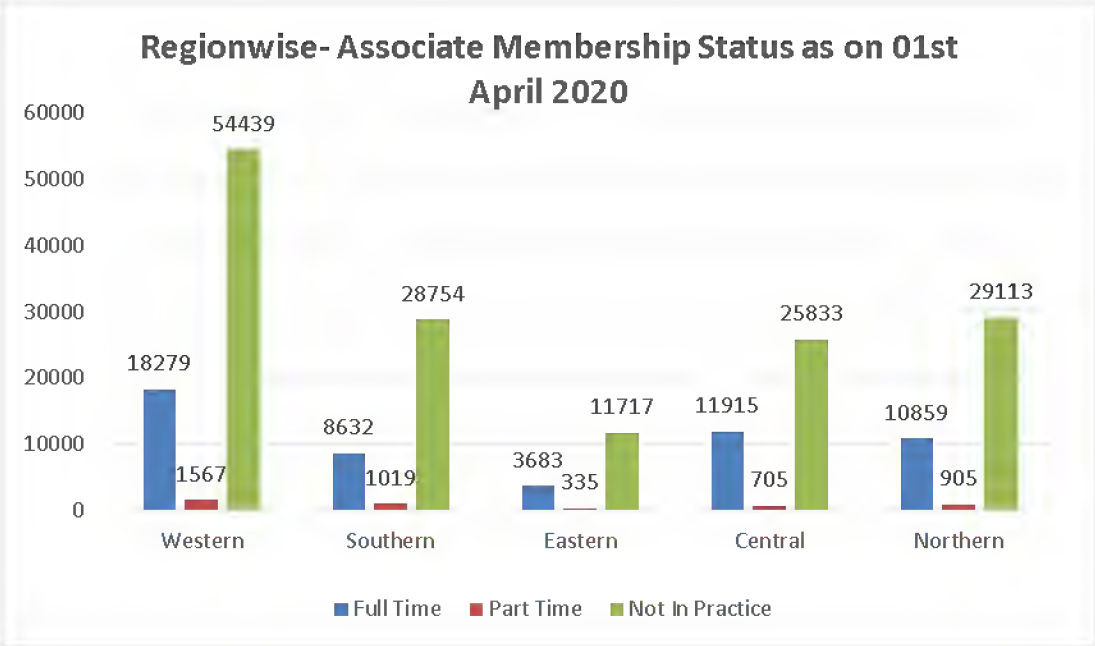


[

## 10. BOARD OF STUDIES

Board of Studies of the Institute is responsible for the administration of the Chartered Accountancy curriculum and imparting theoretical instruction to Students who are undergoing Chartered Accountancy course. Significant initiatives and achievements of the Board during the period are mentioned below:-

### 10.1 Board of Studies (Academic)

*Initiatives towards Partner in Nation Building*

### (I) New Scheme of Education and Training

- *Value Added Study Material:* The revised value added edition of the Study Materials was released this year and also webhosted at BoS Knowledge Portal. Moreover, in the year 2020, a Group has been constituted for further Quality Enhancement of the Study Material and it has been made error free in the first phase and the work of further addition and updation is being done in the second phase.
- *Questions and Case Studies for Practice:* In order to prepare students for their forthcoming examinations, Questions for Core Papers and Case Studies for Elective Papers were uploaded on the ICAI's website.
- *Subject-specific webcasts in elective subjects at Final level:* The webcasts were delivered by BoS faculty before May and November examinations, wherein select case studies on elective papers were discussed at length and the students queries were addressed on real time basis.
- *Subject-specific Revision Capsules:* Released subject-specific revision capsules every month in the Student Journal "The Chartered Accountant Student". These capsules facilitate effective revision of the topics, especially the day before the examination.
- *Revision Test Papers* for all papers under old and new schemes were uploaded and printed for the convenience of students. Questions include MCQs and descriptive questions assessing different skills – knowledge and comprehension, application and analysis and evaluation and synthesis.
- *MCQ based Assessment* : In order to hone the analytical and comprehension skills of students and to have an objective assessment of their performance in the examination, an assessment system in 30% of the questions asked in the examination of Select Papers (given in the table below) would be multiple choice based questions of 1 and 2 marks. This system was put in place for May, 2019 examination for both Intermediate and Final levels under both the old and new scheme of education and training. Model MCQs were webhosted at the BoS Knowledge Portal for each subject.

| Intermediate (New Course) | | IIPCC (Old Course) | |
|---|---|---|---|
| **Paper** | **Subject** | **Paper** | **Subject** |
| 2 | Corporate and Other Laws | 2 | Business Laws, Ethics & Communication |
| 4 | Taxation | 4 | Taxation |
| 6 | Auditing & Assurance | 6 | Auditing & Assurance |
| 7 | Enterprise Information System & Strategic Management | 7 | Information Technology & Strategic Management |

| Final (New Course) | | Final (Old Course) | |
|---|---|---|---|
| **Paper** | **Subject** | **Paper** | **Subject** |
| 3 | Advanced Auditing and Professional Ethics | 3 | Advanced Auditing and Professional Ethics |
| 4 | Corporate and Economic Laws | 4 | Corporate and Allied Laws |
| | | 6 | Information Systems Control and Audit |
| 7 | Direct Tax Laws and International Taxation | 7 | Direct Tax Laws |
| 8 | Indirect Tax Laws | 8 | Indirect Tax Laws |

***Model MCQs for Practical Training Assessment***

Webhosted Model MCQs assessing skills acquired during articleship training for the two-level practical training assessment.

***e-Journal for Students***

The publication will continue to be released as e-Journal as part of the Go Green initiative of ICAI. The same facilitates free access on the go anytime and anywhere, easy navigation with annotations was unveiled on July 1, 2019 and is accessible at Learning Management System for all existing and new students. Students at all levels can view/access the pdf/SCORM compliant version of the journal at the link to be provided during the registration process through the SSP portal.

***Scholarships granted to Students***

The Board awards Scholarships twice a year under various categories namely Merit, Merit cum need, Need Based and Weaker Sections, Endowment. Accordingly, during the year, the Board awarded around 1060 Scholarships.

***Harmonizing CA Education with University Education***

The Board envisioned harmonizing and streamlining the syllabi of B.Com (H) course of various Indian universities/colleges with Chartered Accountancy education, as a *suo moto* initiative. Subsequently, a booklet was designed containing 'Model Curriculum for Commerce Under Graduate Courses' for core papers namely, Accounting, Auditing, Law, Income Tax Law, Goods and Services Tax and Cost Accounting. The booklet was launched on the occasion of CA Day on July 1, 2019.

***Peer Review Learning Outcomes Based Curriculum Framework (LOCF) for B.Com (General) and B.Com (Hons) of University Grants Commission (UGC)***

The University Grants Commission (UGC) has brought out Quality Mandate for achieving quality in Higher Education Institutions (HEIs) comprising of 10 initiatives to be undertaken by UGC. One of the major initiatives in this direction is development of Learning Outcomes based Curriculum Framework (LOCF) for B.Com (General) and B.Com (Hons), UGC. CA. Nihar Jambusaria, Vice President, ICAI, was requested to undertake the task of peer review of the same. This assignment has been completed after considering the valuable inputs received from CA. Atul Kumar Gupta, President, ICAI, members of the CA fraternity, CA. (Dr.) Debashis Mitra, Chairman, Board of Studies, CA (Dr.) M.S. Jadhav, CA. Vandana D. Nagpal, Director, Board of Studies and the faculty, Board of Studies.

ICAI is also pursuing with the University Grants Commission (UGC) to attain equivalency to Chartered Accountancy Intermediate and Final Course with Bachelor's degree and Master's degree respectively.

**(II) Initiatives for the Members/Students**

**New Initiatives for Students**

➢ **Fee Concession to students from Jammu & Kashmir and Ladakh, and North Eastern States**

ICAI in order to encourage students from the newly formed Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, and North Eastern States (Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura) to enroll for the CA course in great numbers, allowed waiver of tuition fee to the extent of 75% to the students from these Union Territories/States enrolling till March 31, 2022 in any of the levels of CA course i.e Foundation, Intermediate and Final.

➢ **BoS: One Stop Referencer**

A booklet namely BoS: One Stop Referencer, was published for the benefits of Regions, Branches, Members in Practice, Members in Industry and CA Students. This booklet contains detailed information about the initiatives and activities of the Board, contact details of the respective officials handling the activities, web addresses where detailed information related to the respective activity can be found.

➢ **Live Virtual Classes**

Live Virtual Classes (LVC) have been conducted for Intermediate and Final level since August 2018. While Intermediate Classes are held twice a year, Final classes are held once a year.

➢ **Features**

- Attend live lectures or view recorded lectures
- Delivered on computers and mobiles
- Expert faculty with rich experience
- Interactive - raise questions during live classes
- Exam focused approach
- Separate Open House Sessions on Case Study based Elective Papers
- Separate question answer sessions
- Performance review through integrated tests
- Smart classes having the state of art technology
- *Coverage of Syllabus:* These classes cover the entire syllabus and have periodical tests as well.
- *Timings*: These classes are held from Monday to Saturday during Morning and Evening beyond office hours. (Morning: 7 to 9.30 AM) (Evening: 6 to 8.30 PM)
- Very Nominal Fees: Rs 4,000/- and Rs 4,750/- has been fixed for both the groups of Intermediate and Final levels respectively.

**Fees**

| | **At the time of Registration** | | **After Registration** | |
|---|---|---|---|---|
| | **Single Group** | **Both Groups** | **Single Group** | **Both Groups** |
| **Intermediate** | 2,250 | 4,000 | 3,750 | 6,250 |
| **Final** | 2,500 | 4,750 | 4,500 | 7,500 |

➢ ***Live Revision Classes***

As part of the Live Virtual Classes project, Live Revision Classes (LRC) were conducted for the Intermediate and Final students of ICAI in Sep-Oct 2019 targeting Nov 2019 exams. These were also started for Inter. Level targeting May 20 exams, however because of corona pandemic these were suspended. LRC for Final which were supposed to start from April 2020 were also suspended.

➢ **Features of Live Revision classes**

- Whole day intensive live revision classes.
- Cover all important topics in 2-5 days per subject.
- Prepare for upcoming May/November examinations.

- Expert faculty with rich experience.
- Interactive classes with facility to raise questions.
- Delivered on your laptops, computers and mobiles.
- Recording of these classes also available.

These classes cover salient concepts and help the students to revise the subjects in a matter of 2 to 5 days. All students' queries relating to the respective subjects are solved on the spot. The following fees have been fixed:

| | **Single Group (Rs)** | **Both Groups (Rs)** |
|---|---|---|
| **Intermediate Course** | 500 | 800 |
| **Final Course** | 1,000 | 1,600 |
| **Students already registered for LVC classes** | Nil | Nil |

➢ ***Free Live Revision Classes***

Due to Covid-19 pandemic and resultant lockdown, in order to assist to revise their courses from the comfort of their home, the Institute conducted Free LRC during April-May 2020. These targeted July 2020 exams. These were intensive in nature and covered important topics in 2-5 days.

➢ ***Free Virtual Coaching Classes***

The BoS is conducting Free Live Virtual Classes now called Virtual Coaching Classes with the following features:

- The BoS is conducting free the forthcoming batches of Foundation, Intermediate and Final Virtual Coaching Classes targeting November 2020.
- Entire syllabus will be covered at all levels - Foundation, Intermediate and Final.
- These have started from 1st July, 2020.
- These are conducted using internet technology and delivered on computers and mobiles.
- Classes are available live and students who miss the live sessions will be able to view recorded lectures at their convenience. The classes are interactive in nature as students are able to ask questions.
- *Timing of Classes*: Intermediate and Final classes are held in the morning beyond office hours and Foundation classes are held during the day time.

➢ **E-Books on Digital Learning Hub**

Chapter-wise e-Books for all the subjects of the new scheme of education and training at all levels are available on the ICAI Cloud Campus through Digital Learning Hub. For Foundation and Intermediate Courses, the video lectures and self-assessment quizzes are also embedded in the e-Books. The same process is underway for Final Course and video lectures are being embedded inside the Final Course chapters on a continual basis.

➢ **Refresher Course through Webcast**

Board of Studies organized Refresher Course on GST, Ind AS and Companies Act, 2013, Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Real Estate Regulation and Development Act, 2016 and Information Technology for the students of Intermediate and Final level classes on weekends held from 25th January, 2020 to 1st March, 2020. 440 students participated in the course.

➢ **Social Media**

The Board has started making its initiatives and important announcements available to students through various social media sites like Facebook, Instagram, Twitter and YouTube. A profile for the Board was created on each of these sites. Students' queries are being addressed through this mode also whilst popularising and creating awareness about the initiatives being undertaken by Board.

➢ **Recognition by NARIC, United Kingdom**

With the aim of expanding the opportunities for CA professionals in foreign jurisdictions, the Institute had engaged with UK NARIC (The National Recognition Information Centre for the United Kingdom), a renowned UK national agency responsible for providing information and expert opinion on qualifications

and skills worldwide, to conduct an independent benchmarking study for evaluating the comparability of the ICAI Intermediate and Final levels in the context of the UK and UAE education systems.

UK NARIC evaluated ICAI qualification comparable to specific Regulated Qualifications Framework levels of UK and UAE. This benchmarking of the CA qualification would strengthen the position of ICAI members and help corporates gain a better understanding on the relevance and standing of the CA qualification. It would also provide opportunities for higher studies and enhanced professional opportunities for ICAI members/ semi qualified professionals in UK, Middle East and other foreign jurisdictions accepting NARIC evaluation.

**Other Initiatives for Students**

- ***Mock Test Papers***

Mock Test Papers Series-I for July, 2020 examination was conducted online in May, 2020 through BoS Knowledge Portal. The mock test of each paper was uploaded as per the schedule and its answers were uploaded after 48 hours so that the students could check and verify their answers.

- ***Special Counseling Sessions***

Special Counseling Sessions were organized in each subject after the conduct of Mock Test Papers from 1st to 10th June, 2020 to guide the students as to how they have to attempt the questions in the examination.

- ***Computer Based Test for Assessment of Practical Training***

Online MCQ-based tests are conducted for students after completion of first and second year of practical training. Eleven such tests for both levels have been conducted on September 23, October 21, December 2, December 30, 2018, February 3, March 10, April 21, July 7, September 8, December 8 and December 29, 2019 covering around 1,13,000 students at both levels.

- ***One day Orientation Course for the Faculty/Coordinators and their HoDs of approved Accredited Institutions***

The Board organized "One day Orientation Course" for the Faculty/Coordinators and their HoDs of approved Accredited Institutions on August 30, 2019 at Chennai. Such Orientation Course was organized as per "National Policy for organizing Oral Coaching Class by Accredited Institutions" approved by the Board to promote intra and inter-institutional interaction and provide an opportunity to experience the standard methodology/pedagogy of teaching. 31 participants from Accredited Institutions participated in that programme.

- ***Reading Room Portal***

170 Libraries/Reading Rooms/Additional Reading Rooms are functional to provide conducive reading atmosphere for CA students across the country. The students can login to the Reading Room Portal by entering with their Username and Password and register anytime anywhere. The other features of the reading room portal are as under:-

- **Features of Portal**
    - Securing seat by paying fees at the Centre.
    - Flexible registrations for the students for a day/ a month.
    - 24 x 7 online services available.
    - Confirmation of the seat within 24 hrs of Payment.
    - Updated information available on the Portal to help students to register.

- ***Monthly Interaction with Regional Councils, Branches and Students***

Monthly interaction of Chairperson, Vice-Chairman and Director, BOS has been initiated with Regional Councils, Branches and students through webcast so that the connect with them can be strengthened. BoS has compiled and uploaded Frequently Asked Questions (FAQs) on Institute's website relating to various academic and other initiatives of the BoS.

- ***Toll Free Helpline***

The Board initiated Toll-free Help line service 18001211330 as a Student Support Initiative from May 11, 2017 to redress queries/grievances of CA students from across the country. Till date, close to 2.5 Lakh queries have been addressed from students all over the country

- ***Students Activity Portal***

The Board developed Student Activity Portal to help students to register for various students' programmes/activities being organised by Regional Councils and Branches. It helps in systematic management of student activity at the level of programme organising units and Board of Studies. 1000 programmes have been registered on the portal from 1.4.2019 to 11.2.2020.

- ***Article & Industrial Placement Portal***

Articleship and Industrial Training Placement portal - a common platform for members, organisations and students to interact with one another and facilitates members/organisations to search, shortlist and schedule interviews with the interested students was made. Students can also apply / search vacancies indicating their preferences of place and areas. The Portal is user friendly and will help in bridging the requirement gaps between members/industries and students seeking articleship / industrial training.

Board is in the process of enhancing the Industrial Training portal which will be integrated with SSP to ease both the students and members.

- **Soft Skill Courses organized for Students (both physical and online)**

The Regional Offices and Branches have organized and trained the students since April 01, 2019 to February 11, 2020. The details are as under:

| Course | No. of POU | No of Batches | No of Students |
|---|---|---|---|
| **Advanced MCS Course** | 140 | 1192 | 50519 |
| **Advanced ITT** | 147 | 1468 | 49450 |
| **Information Technology** | 151 | 1636 | 49254 |
| **Orientation Course** | 150 | 1148 | 50345 |
| **Grand Total** | **588** | **5444** | **199568** |

- ***Status of installation of systems at various ITT Labs all over India***

An RFP was released on April 19, 2019 and subsequently on May 10, 2019. After following the due process, M/s Team Computers Private Ltd. (supplier of Lenovo Brand computers) had been issued Letter of Intent (LOI) on June 14, 2019. Till date 4166 desktops has been delivered at all 113 Regional and Branches Offices of ICAI.

- ***Installation of Biometric Devices at 18 POUs for IT and Soft Skill Courses***

In order to ensure the smooth execution of these courses and adherence to the guidelines issued by BOS, the Institute has successfully installed and integrated 80 bio-metrics devices at the 18 Regional and Branch offices of ICAI where the member strength is more than 2500 in first phase. In second phase, around 290 bio-metrics machines are being installed at 140 Regional and Branch offices of ICAI.

**Important Events**

- ***Conferences/ Conventions/ Seminars and other activities Students' Conferences***

National Conference, CA Student Conference and International Conference for CA students: During the period 2019-2020, Board of Studies organised 5 National Conferences at Kolkata, Chennai, Visakhapatnam, Indore, Mumbai, in addition to 43 CA Student Conference organised at various places all over the India and International Conference organised at Pune. The Conferences are attended by around 27,000 students.

- ***International Conference*** was organised at Pune which was hosted by Pune Branch of WIRC & WICASA of ICAI on 14th and 15th December, 2019. CA. Prafulla Premsukh Chhajed, President, ICAI was the Chief Guest along with CA. RM Vishakha, MD & CEO, India First Life Insurance and CA. Atul Kumar Gupta, Vice President, ICAI as the Guest of Honour. The conference was graced by various dignitaries - Swami Mukundanandaji, Founder of Jagadguru Kripaluji Yog and Yoga, Meditation and Spirituality alongwith Mrs. Ritu Chhabria, Co-founder Managing Trustee - Mukul Madhav Foundation, Shri. Siddharth Shirole, Member of Legislative Assembly (Maharashtra), Mr. Makarand Tilloo, Laughter Yoga Trainer and Motivational Speaker, Mr. Parag Shah, Founder FLAME and MIDAS alongwith CA. Amarjit Chopra, Past President, ICAI; CA. (Dr.) S.B. Zaware, Past Central Council Member, ICAI; CA. Kemisha Soni, Chairperson, Board of Studies; CA. Durgesh Kabra, Vice-Chairman, Board of Studies; CA. C. V. Chitale, CA. Jay Chhaira, CA. Dhiraj Khandelwal, CA. Aniket Talati, Central Council Members. The Conference was attended by 2581 students and 21 foreign delegates from various SAFA Countries.

➢ ***CA Students Talent Search 2019***

Board of Studies has organized "National Level CA Students Talent Search-2019" on 20th December, 2019 hosted by Indore Branch of Central India Regional Council of ICAI which was a massive success and much cherished by the students and members. Padam Shri Dr. Pandit Gokulotsavji Maharaj was the Chief Guest at the Grand Finale. CA. Kemisha Soni, Chairperson, Board of Studies, ICAI, CA. Durgesh Kabra, Vice Chairman, Board of Studies, ICAI, graced the occasion.

The event was a grand success and the following are the details of winners:-

| **Winner Details** | | | |
|---|---|---|---|
| | **1st Winner** | **2nd Winner** | **3rd Winner** |
| | **Name** | **Name** | **Name** |
| **Quiz Contest** | Mr. Gaurang Kumar Agarwal | Ms. Vineetha Reddy J. | |
| | Mr. Shabd Roop Satsangi | Ms. Sannidhi Naga Lakshmi Durga Poojitha | |
| **Elocution** | Mr. Anis Sayani | Ms. Jeenat Gumber | Ms. Lipika Goyal |
| **Instrumental Music** | Mr. Aloshin Joseph | Mr. Prakhar Gupta | Mr. Narottam Majhi |
| **Nukkad Drama** | Ms. Ankita Maheshwari [Team Leader] | Mr. Nilay Gokhale [Team Leader] | Mr. Mehakpreet Singh [Team Leader] |
| | Mr. Keshav Birla | Ms. Priyanka Thakur | Mr. Sachin Goyal |
| | Ms. Shruti Taparia | Mr. Abhishek Sathe | Mr. Shubham Khullar |
| | Mr. Sahil Bhandari | Mr. Pradnyesh Patil | Ms. Simran Dhawan |
| | Mr. Keshav Rathi | Mr. Soham Vaidya | Ms. Muskan Jaswal |
| | Ms. Shivani Rathore | | Ms. Supreet Kaur |

➢ ***Teachers' Day Celebrations***

- The Board celebrated Teachers' Day across the country through Regional Councils and Branches on September 5, 2019 so as to have a strong Teacher and Student relationship amongst the CAs and the CA Students. During the programme, the Regional Council and branches organized Essay competition and Slogan Competition.
- To create a feel of reverence and gratitude in students for their mentor, the ICAI Website and Social Media page was uploaded with the e-cards and Dp image. The Board of Studies also scheduled a Webcast from 10.00 am to 12.00 noon from ICAI, Delhi Office, which was addressed by CA. Prafulla P. Chhajed, President, ICAI; CA. Kemisha Soni, Chairperson, Board of Studies, CA. Durgesh Kabra, Vice-Chairman, Board of Studies followed by sessions by two eminent speakers.

➢ ***ICAI in Conversation with its Students***

Board of Studies has organized a live interactive session with Students' fraternity namely; 'ICAI in Conversation with its Students', on 23rd May, 2020 through webcast.

CA. Atul Kumar Gupta, President ICAI, CA. Nihar Niranjan Jambusaria, Vice President, ICAI, CA. (Dr.) Debashis Mitra; Chairman, BOS; CA. Jay Chhaira, Chairman, SSEB; CA. Sushil Kumar Goyal, Vice Chairman, BOS and CA. Pramod Kumar Boob, Vice Chairman, SSEB addressed the participants and also answered their queries.

Around 46,000 students viewed the webcast and approximate 5000 queries were posted by students. Each and every query of the student has been responded to by BOS separately through mail.

**10.2 Students Skills Enrichment Board (Board of Studies - Operations)**

➢ **Students Activity Portal**

The Board developed Student Activity Portal to help the students to register for various students' programmes being organised by Regional Councils and Branches. It helps in the systematic management of student activity at the level of programme organising units and Board of Studies. 180 Programmes have been registered on the portal.

➢ **Article Placement & Industrial Training Portal**

The Students Skills Enrichment Board (Board of Studies – Operations) of ICAI has recently launched the Article Placement & Industrial Training Portal through live webinar on 14th June, 2020. It is a platform to provide opportunity to both students and companies to interact each other for selection of company vis.-a-vis. students. The Portal showcases the number students eligible for enrolment as well as members available for imparting training to them. It also shows the details of companies registered, region-wise, specialization-wise and number of vacancies available. The portal will intimate the students well in advance through the system about their eligibility for industrial training via emails/SMSs. The portal grants online approval to industries who intend to impart industrial training to CA aspirants as per our Chartered Accountants Regulations.

➢ **Reading Room Portal**

170 Libraries/Reading Rooms/Additional Reading Rooms are functional to provide conducive reading atmosphere for CA students across the country. The students can login to the Reading Room Portal by entering with their Username and Password and register anytime anywhere. The other features of the reading room portal are as under:-

➢ **Features of Portal**

Securing seat by paying monthly fees in advance.

Flexible registrations by students for a day/ a month.

24 x 7 online services available.

Confirmation of the seat within 24 hrs. of Payment.

Updated information available on the Portal to help students to register.

➢ **Virtual Management and Communication Skills Course**

Virtual Courses for MCS & Adv ITT were launched for students who have passed their final exam. in May 2019 /Nov, 2019 OR appearing in July 2020 (now postponed to NOV) / NOV 2020. These students have been given one time relaxation due to the prevailing COVID 19 situation from attending physical MCS & Advanced IT classes and were thereby allowed to complete the same through the virtual mode. Virtual MCS classes for the above category of students started form 28th April, 2020 and for Adv ITT students, it started from 12th May 2020.

➢ **Features of Virtual Management and Communication Skills Course-**

- No class room teaching. The student will be undergoing the course through online mode. The duration of Virtual MCS course shall be 90 hours.
- Maximum time allowed to the student for completing the course is 180 days. Incase the student is not able to complete the course during the aforestated period; extension of 90 days shall be given to the student. The student has to pay 50% of the course fee for re-validation of the registration in the aforestated course.
- Separate portal/Learning Management system (LMS) is there where the student can register and undergo the course.
- The student will be able to view day wise session in seriatim.
- At the end of the each session, there will be an objective type online test. The certificate will be issued after student clears all the test. 50% marks are mandatory for clearing the test. In case, student is not able to clear the online test, the student will appear in re-test

**Soft Skill Courses organized for Students (both physical and online)**

**(I)**The Regional Offices and Branches have been organized and trained the students since February 12, 2020. The details are as under:

| Course | No. of POU | No of Batches | No of Students |
|---|---|---|---|
| **Advanced MCS Course** | 140 | 243 | 8247 |
| **Advanced ITT** | 147 | 260 | 7522 |
| **Information Technology** | 151 | 163 | 3156 |
| **Orientation Course** | 150 | 159 | 3377 |
| **Grand Total** | **588** | **825** | **22302** |

**(II)** 5962 and 5122 Students were trained in Virtual MCS and Advanced ITT since April 01, 2020 to June 30,2020.

## 11. CAREER COUNSELLING DIRECTORATE

This Career counselling Committee was formed in the month of February, 2015 with an objective to promote the Commerce Education with special focus on CA course among Secondary, Senior/ Higher Secondary, Graduate/Post Graduate students as well as other stakeholders in India and abroad. In the Council year 2018-19, the Career Counselling Group was formed and then it is converted into Career Counselling Directorate on 12th February 2020. The Directorate is continuously promoting the Commerce education with special focuss on the most Reputed, Respected, Recognised and Globally Trusted profession of Chartered Accountancy.

The Directorate conducts various programmes including Quiz, Debate competitions throughout the year to gauge the Skills, Abilities and Knowledge of students, identify their talent and encourage them towards Commerce Education. The Directorate is making effective use of social media platforms like Facebook, Twitter, Google+, Youtube & Linkedin, facilitating creating buzz, post updates, starting discussions, sharing links, promotional campaigns, promote blogs/feeds, posting of photos & documents, creating twitter handler, customised for contact form/ registration form for the same etc. to achieve the objectives. There are 2815 resource persons across India who are empanelled for carrying out the Career Counselling programmes in all almost every part of the country.

The following activities were conducted during the period from 1st April 2019 to 30th June 2020:-

The Directorate organised more than 1000 career counselling programmes in India and 13 programmes at overseas chapters of the ICAI for the benefit of the students. The challenge of spurt of ongoing COVID-19 pandemic is converted into an opportunity by organising 93 programmes through virtual online mode. 4 Mega Career Counselling Programmes were organised during the period at Paladi, Ahmedabad, Bellary Karnataka, Ernakulam and Kanchipuram. 3 Commerce Champ Programmes were conducted at Jaipur, Lucknow, and Siliguri.

The Directorate for the first time organized the ICAI Commerce Quiz 2020 through online mode on 29th June 2020 for the students from class IX to XII in 4 levels separately. There were total 48343 registrations of which 46054 registrations are from India and 2289 from other countries. Cash prizes worth Rs. 820000 will be presented to the winners of the Quiz.

| Country | Class IX | Class X | Class XI | Class XII | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|
| India | 3882 | 6511 | 12250 | 23411 | 46054 |
| Outside India | 665 | 593 | 525 | 506 | 2289 |
| **Grand Total** | **4547** | **7104** | **12775** | **23917** | **48343** |

The Directorate is working continuously in promotion of commerce education in India and abroad and wish to organize more programmes in the next year to reach to the students of every part of India.

## 12. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

The ICAI has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively. Currently it has 164 Branches, 34 Chapters outside India and 15 Regional Libraries all over India.

Award for Best Regional Council, Best Branch of Regional Council, Best Students' Association and Best Branch of Students' Association.

These awards are given by the ICAI every year. The awards are given on the basis of overall performance and established norms. For the year 2019, these Shields were awarded at the Annual Function held on 7th February, 2020 to the following winners:-

| 1. | **Best Regional Council** | |
|---|---|---|
| | First Prize | : Western India Regional Council |
| | Second Prize | : Southern India Regional Council jointly with Eastern India Regional Council |

**2. Best Branch of Regional Councils**

1. Mega Category:

   First Prize : Pune Branch of WIRC of ICAI

   Second Prize : Ahmedabad Branch of WIRC jointly with Gurugram Branch of NIRC of ICAI

2. Large Category

   First Prize : Ernakulam Branch of SIRC of ICAI

   Second Prize : Vadodara Branch of WIRC jointly with Ludhiana Branch of NIRC of ICAI

3. Medium Category

   First Prize : Siliguri Branch of EIRC jointly with Amritsar Branch of NIRC of ICAI

   Second Prize : Aurangabad Branch of WIRC of ICAI

4. Small Category

   First Prize : Ahmedanagar Branch of WIRC of ICAI

   Second Prize : Jalgaon Branch of WIRC jointly with Salem Branch of SIRC of ICAI

5. Micro Category

   First Prize : Dibrugarh Branch of EIRC of ICAI

   Second Prize : Tirunelveli Branch of SIRC of ICAI

**3. Best Students' Association**

First Prize : Western India Chartered Accountants Students' Association

Second Prize : Eastern India Chartered Accountants Students' Association

**4. Best Branch of Students' Association**

**a.** Mega Category

First Prize : Pune Branch of WICASA of WIRC of ICAI

Second Prize : Ahmedabad Branch of WICASA of WIRC of ICAI

**b.** Large Category :

First Prize : Nagpur Branch of WICASA of WIRC of ICAI

Second Prize : Thane Branch of WICASA of WIRC of ICAI

**c.** Medium Category:

First Prize : Aurangabad Branch of WICASA of WIRC of ICAI.

Second Prize : Vadodara Branch of WICASA of WIRC of ICAI jointly with Chandigarh Branch of NICASA of NIRC of ICAI.

**d.** Small Category:

First Prize : Ahmednagar Branch of WICASA of WIRC of ICAI

Second Prize : Jalgaon Branch of WICASA of WIRC of ICAI

**e.** Micro Category:

First Prize : Sivakasi Branch of SICASA of SIRC of ICAI

Second Prize : Pimpri Chinchwad Branch of WICASA of WIRC of ICAI

**Decentralised Offices**

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of the ICAI has set up Five Decentralised Offices as under:-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mumbai | Chennai | Kolkata | Kanpur | New Delhi |

## 13. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2020 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date duly audited by the Auditors are published hereinafter.

## 14. APPRECIATION

The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/Committees under the Chartered Accountants Act, 1949, the Regional Councils, its branches and their members, and to the non-members who assisted the Council during the year 2019-20 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2019-20.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various Central and State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/ being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2019-20 and thereafter by all officers and employees of the ICAI.

## ➢ STATISTICS AT A GLANCE

## ➢ MEMBERS REGISTERED

➢ *(From 1st April, 2007)*

➢ **TABLE I**

| ➢**Year** ➢**(As on)** | ➢ | ➢**Western Region** | ➢**Southern Region** | ➢**Eastern Region** | ➢**Central Region** | ➢**Northern Region** | ➢**TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢1st April, 2007 | ➢Associate | ➢31159 | ➢18237 | ➢7829 | ➢9642 | ➢14182 | ➢81049 |
| | ➢Fellow | ➢16896 | ➢13646 | ➢6488 | ➢8882 | ➢12880 | ➢58792 |
| | ➢Total | ➢48055 | ➢31883 | ➢14317 | ➢18524 | ➢27062 | ➢139841 |
| ➢1st April, 2008 | ➢Associate | ➢32364 | ➢19203 | ➢7939 | ➢10045 | ➢14642 | ➢84193 |
| | ➢Fellow | ➢17646 | ➢14034 | ➢6738 | ➢9472 | ➢13398 | ➢61288 |
| | ➢Total | ➢50010 | ➢33237 | ➢14677 | ➢19517 | ➢28040 | ➢145481 |
| ➢1st April, 2009 | ➢Associate | ➢34294 | ➢20666 | ➢8193 | ➢10578 | ➢15951 | ➢89682 |
| | ➢Fellow | ➢18442 | ➢14516 | ➢7002 | ➢10007 | ➢13951 | ➢63918 |
| | ➢Total | ➢52736 | ➢35182 | ➢15195 | ➢20585 | ➢29902 | ➢153600 |
| ➢1st April, 2010 | ➢Associate | ➢36390 | ➢21733 | ➢8512 | ➢11252 | ➢17104 | ➢94991 |
| | ➢Fellow | ➢19181 | ➢15076 | ➢7192 | ➢10615 | ➢14461 | ➢66525 |
| | ➢Total | ➢55571 | ➢36809 | ➢15704 | ➢21867 | ➢31565 | ➢161516 |
| ➢1st April, 2011 | ➢Associate | ➢38608 | ➢22998 | ➢9154 | ➢12329 | ➢18547 | ➢101636 |
| | ➢Fellow | ➢19831 | ➢15612 | ➢7406 | ➢11182 | ➢14943 | ➢68974 |
| | ➢Total | ➢58439 | ➢38610 | ➢16560 | ➢23511 | ➢33490 | ➢170610 |
| ➢1st April, 2012 | ➢Associate | ➢45273 | ➢25505 | ➢11069 | ➢15963 | ➢23332 | ➢121142 |
| | ➢Fellow | ➢20510 | ➢16132 | ➢7578 | ➢11720 | ➢15431 | ➢71371 |
| | ➢Total | ➢65783 | ➢41637 | ➢18647 | ➢27683 | ➢38763 | ➢192513 |
| ➢1st April, 2013 | ➢Associate | ➢52846 | ➢28020 | ➢13258 | ➢20606 | ➢27743 | ➢142473 |
| | ➢Fellow | ➢21522 | ➢16918 | ➢7815 | ➢12327 | ➢16051 | ➢74633 |
| | ➢Total | ➢74368 | ➢44938 | ➢21073 | ➢32933 | ➢43794 | ➢217106 |
| ➢1st April, 2014 | ➢Associate | ➢56595 | 29401 | ➢14035 | ➢22978 | ➢29467 | ➢152476 |
| | ➢Fellow | ➢22313 | 17460 | ➢8007 | ➢12915 | ➢16508 | ➢77203 |
| | ➢Total | ➢78908 | 46861 | ➢22042 | ➢35893 | ➢45975 | ➢229679 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢1st April, 2015 | ➢Associate<br>➢Fellow<br>➢Total | ➢60229<br>➢22838<br>➢83067 | 30126<br>17864<br>47990 | ➢14514<br>➢8137<br>➢22651 | ➢24702<br>➢13441<br>➢38143 | 31137<br>16986<br>48123 | ➢160708<br>➢79266<br>➢239974 |
| ➢1st April, 2016 | ➢Associate<br>➢Fellow<br>➢Total | ➢64235<br>➢23700<br>➢87935 | 31919<br>18495<br>50414 | ➢15046<br>➢8223<br>➢23269 | ➢27353<br>➢14071<br>➢41424 | 32774<br>17521<br>50295 | ➢171327<br>➢82010<br>➢253337 |
| ➢1st April, 2017 | ➢Associate<br>➢Fellow<br>➢Total | ➢67746<br>➢25742<br>➢93488 | 33591<br>19711<br>53302 | ➢15580<br>➢8718<br>➢24298 | ➢30036<br>➢15618<br>➢45654 | 34632<br>18933<br>53565 | ➢181585<br>➢88722<br>➢270307 |
| ➢1st April, 2018 | ➢Associate<br>➢Fellow<br>➢Total | ➢70683<br>➢26736<br>➢97419 | 34733<br>20280<br>55013 | ➢15606<br>➢8912<br>➢24518 | ➢32094<br>➢16494<br>➢48588 | 36988<br>19667<br>56655 | ➢190104<br>➢92089<br>➢282193 |
| ➢1st April 2019 | ➢Associate<br>➢Fellow<br>➢Total | ➢72296<br>➢28747<br>➢101043 | 34352<br>21437<br>55789 | ➢15547<br>➢9418<br>➢24965 | ➢33522<br>➢18337<br>➢51859 | 37129<br>20895<br>58024 | ➢192857<br>➢98841<br>➢291698 |
| ➢1st April 2020 | ➢Associate<br>➢Fellow<br>➢Total | ➢74285<br>➢28860<br>➢103145 | 38405<br>21495<br>59900 | ➢15735<br>➢9295<br>➢25030 | ➢38453<br>➢19017<br>➢57470 | 40877<br>20816<br>61693 | ➢207755<br>➢99483<br>➢307238 |

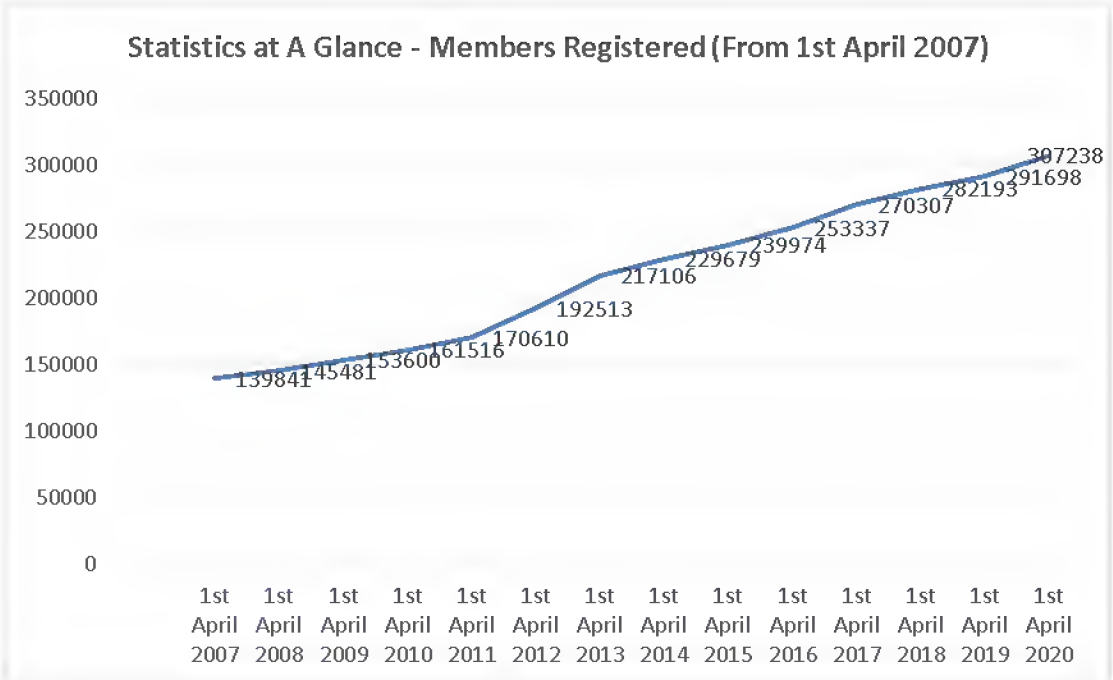

➢ **MEMBERS**

➢ *(From 1st April, 1950)*

➢ **TABLE II**

| ➢ | ➢ **Associate** | ➢ **Fellow** | ➢ **Total** |
|---|---|---|---|
| ➢ As on 1st April, 1950 | ➢ 1,120 | ➢ 569 | ➢ 1,689 |
| ➢ As on 1st April, 1951 | ➢ 1,285 | ➢ 672 | ➢ 1,957 |
| ➢ As on 1st April, 1961 | ➢ 4,059 | ➢ 1,590 | ➢ 5,649 |
| ➢ As on 1st April, 1971 | ➢ 7,901 | ➢ 3,326 | ➢ 11,227 |
| ➢ As on 1st April, 1981 | ➢ 16,796 | ➢ 8,642 | ➢ 25,438 |
| ➢ As on 1st April, 1991 | ➢ 36,862 | ➢ 22,136 | ➢ 58,998 |
| ➢ As on 1st April, 2001 | ➢ 51,603 | ➢ 44,789 | ➢ 96,392 |
| ➢ As on 1st April, 2002 | ➢ 54,666 | ➢ 47,064 | ➢ 1,01,730 |
| ➢ As on 1st April, 2003 | ➢ 60,619 | ➢ 49,637 | ➢ 1,10,256 |
| ➢ As on 1st April, 2004 | ➢ 63,384 | ➢ 52,707 | ➢ 1,16,091 |
| ➢ As on 1st April, 2005 | ➢ 68,052 | ➢ 55,494 | ➢ 1,23,546 |
| ➢ As on 1st April, 2006 | ➢ 73,778 | ➢ 57,168 | ➢ 1,30,946 |
| ➢ As on 1st April, 2007 | ➢ 81,049 | ➢ 58,792 | ➢ 1,39,841 |
| ➢ As on 1st April, 2008 | ➢ 84,193 | ➢ 61,288 | ➢ 1,45,481 |
| ➢ As on 1st April, 2009 | ➢ 89,682 | ➢ 63,918 | ➢ 1,53,600 |
| ➢ As on 1st April, 2010 | ➢ 94,991 | ➢ 66,525 | ➢ 1,61,516 |
| ➢ As on 1st April, 2011 | ➢ 1,01,636 | ➢ 68,974 | ➢ 1,70,610 |
| ➢ As on 1st April, 2012 | ➢ 1,21,142 | ➢ 71,371 | ➢ 1,92,513 |
| ➢ As on 1st April, 2013 | ➢ 1,42,473 | ➢ 74,633 | ➢ 2,17,106 |
| ➢ As on 1st April, 2014 | ➢ 1,52,476 | ➢ 77,203 | ➢ 2,29,679 |
| ➢ As on 1st April, 2015 | ➢ 1,60,708 | ➢ 79,266 | ➢ 2,39,974 |
| ➢ As on 1st April, 2016 | ➢ 1,71,327 | ➢ 82,010 | ➢ 2,53,337 |
| ➢ As on 1st April, 2017 | ➢ 1,81,585 | ➢ 88,722 | ➢ 2,70,307 |
| ➢ As on 1st April, 2018 | ➢ 1,90,104 | ➢ 92,089 | ➢ 2,82,193 |
| ➢ As on 1st April, 2019 | ➢ 1,92,857 | ➢ 98,841 | ➢ 2,91,698 |
| ➢ As on 1st April, 2020 | ➢ 2,07,755 | ➢ 99,483 | ➢ 3,07,238 |

## STUDENTS REGISTERED

➢ *(From 31st March, 2009)*

➢

| ➢ During the year | ➢ Foundation as per new CRET | ➢ Final | ➢ New Final | ➢ CPT | ➢ PCC | ➢ IPCC & IIPCC | ➢ Intermediate | ➢ ATC | ➢ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ➢ 2009-10 | ➢ - | ➢ 24,172 | ➢ - | ➢ 1,67,073 | ➢ 1,860 | ➢ 80,745 | ➢ - | ➢ 3,376 | ➢ 2,77,226 |
| ➢ 2010-11 | ➢ - | ➢ 57,175 | ➢ - | ➢ 1,55,217 | ➢ 329 | ➢ 67,984 | ➢ - | ➢ 1,906 | ➢ 2,82,611 |
| ➢ 2011-12 | ➢ - | ➢ 47,515 | ➢ - | ➢ 1,61,712 | ➢ - | ➢ 85,053 | ➢ - | ➢ 2,099 | ➢ 2,96,379 |
| ➢ 2012-13 | ➢ - | ➢ 45,102 | ➢ - | ➢ 1,61,084 | ➢ - | ➢ 1,02,406 | ➢ - | ➢ 2,615 | ➢ 3,11,207 |
| ➢ 2013-14 | ➢ - | ➢ 39,348 | ➢ - | ➢ 1,54,742 | ➢ - | ➢ 96,285 | ➢ - | ➢ 3,209 | ➢ 2,93,584 |
| ➢ 2014-15 | ➢ - | ➢ 36,950 | ➢ - | ➢ 1,41,241 | ➢ - | ➢ 66,570 | ➢ - | ➢ 881 | ➢ 2,45,642 |
| ➢ 2015-16 | ➢ - | ➢ 31,669 | ➢ - | ➢ 1,25,140 | ➢ - | ➢ 77,962 | ➢ - | ➢ 1,249 | ➢ 2,36,020 |
| ➢ 2016-17 | ➢ - | ➢ 27,611 | ➢ - | ➢ 1,07,392 | ➢ - | ➢ 81,886 | ➢ - | ➢ 1,430 | ➢ 2,18,319 |
| ➢ 2017-18 | ➢ 9,788 | ➢ 26,291 | ➢ 14,056 | ➢ 73,804 | ➢ - | ➢ 22,657 | ➢ 63,693 | ➢ - | ➢ 2,10,289 |
| ➢ 2018-19 | ➢ 45,048 | ➢ - | ➢ 27,966 | ➢ - | ➢ - | ➢ - | ➢ 53,654 | ➢ - | ➢ 1,26,668 |
| ➢ 2019-20 | ➢ 63,228 | ➢ - | ➢ 67,090 | ➢ - | ➢ - | ➢ - | ➢ 87,949 | ➢ - | ➢ 2,18,267 |

➢

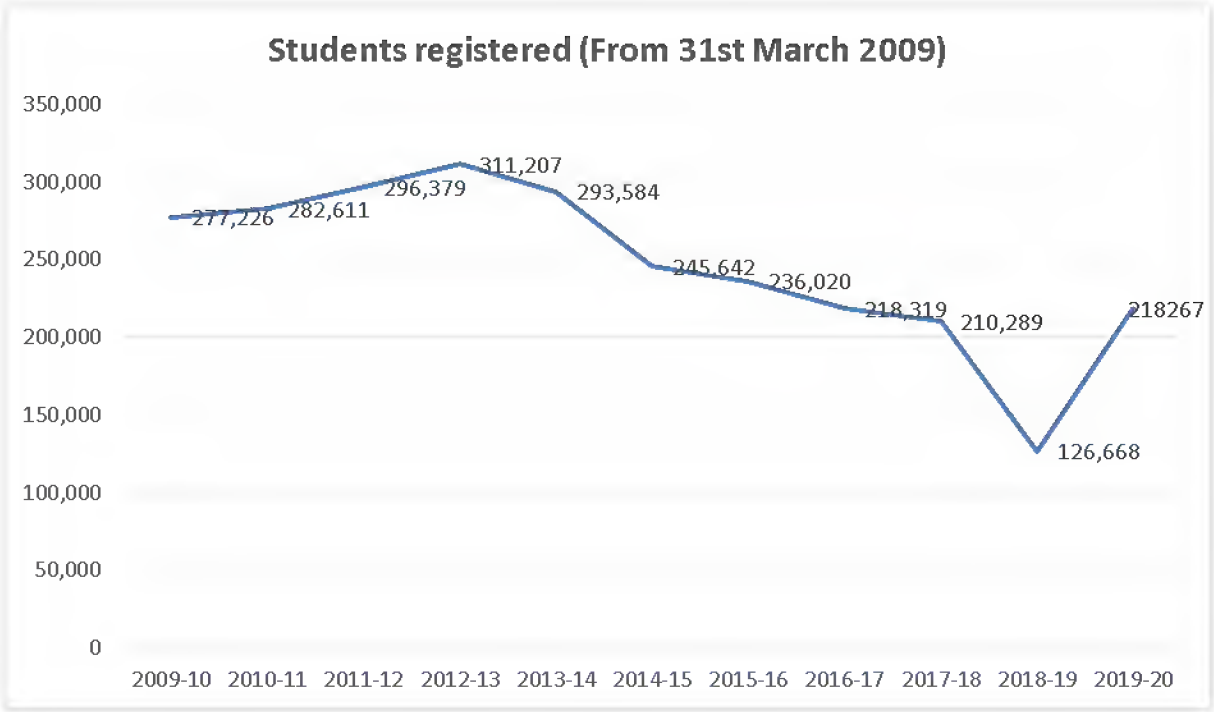


➢

➢

## COMPOSITION OF THE COUNCIL - (2020-2021)

| | Members of the Council | |
|---|---|---|
| **President** | **Elected Members** | |
| CA. Atul Kumar Gupta | CA. Anil Satyanarayan Bhandari | Mumbai |
| | CA. Jay Chhaira | Surat |
| | CA. Prafulla Premsukh Chhajed | Mumbai |
| **Vice-President** | CA. Chandrashekhar Vasant Chitale | Pune |
| CA. Nihar Niranjan Jambusaria | CA. Tarun Jamnadas Ghia | Mumbai |
| | CA. Nandkishore Chidamber Hegde | Mumbai |
| | CA. Nihar Niranjan Jambusaria | Mumbai |
| | CA. Shriniwas Yeshwant Joshi | Mumbai |
| | CA. Durgesh Kumar Kabra | Mumbai |
| | CA. Dheeraj Kumar Khandelwal | Mumbai |
| | CA. Aniket Sunil Talati | Ahmedabad |
| | CA. Babu Abraham Kallivayalil | Kochi |
| | CA. Dayaniwas Sharma | Hyderabad |
| | CA. Prasanna Kumar D | Visakhapatnam |
| **Secretary to the Council** | CA. Rajendra Kumar P. | Chennai |
| Shri Rakesh Sehgal | CA. G. Sekar | Chennai |
| Acting Secretary | CA. M.P. Vijay Kumar | Chennai |
| | CA. Ranjeet Kumar Agarwal | Kolkata |
| | CA. Sushil Kumar Goyal | Kolkata |
| | CA. (Dr.) Debashis Mitra | Guwahati |
| | CA. Manu Agrawal | Kanpur |
| | CA. Pramod Kumar Boob | Jaipur |
| | CA. Anuj Goyal | Ghaziabad |
| | CA. Satish Kumar Gupta | Jaipur |
| | CA. Prakash Sharma | Jaipur |
| | CA. Kemisha Soni | Indore |
| | CA. Hans Raj Chugh | New Delhi |
| | CA. Atul Kumar Gupta | Gurugram |
| | CA. Pramod Jain | New Delhi |
| | CA. Charanjot Singh Nanda | New Delhi |
| | CA. Rajesh Sharma | New Delhi |
| | CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal | New Dehli |
| **Government Nominee** | Shri Manoj Pandey, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs | New Delhi |
| | Shri Gyaneshwar Kumar Singh, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs | New Delhi |
| | Ms. Ritika Bhatia, Principal Director (Commercial-II) O/o Comptroller & Auditor General of India | New Delhi |
| | Dr. Ravi Gupta, Associate Professor, Sri Ram College of Commerce University of Delhi | New Delhi |
| | Shri Sunil Kanoria | Kolkata |
| | Shri Chandra Wadhwa | New Delhi |
| | Dr. P.C. Jain | New Delhi |
| | Adv. Vijay Kumar Jhalani | New Delhi |

**Shah Gupta & Co.**
**Chartered Accountants**

**Ravi Rajan & Co LLP**
**Chartered Accountants**

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**To the Council of The Institute of Chartered Accountants of India**

**Report on the Audit of the Financial Statements**

### Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March 31st 2020, the Statement of Income and Expenditure and the statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements are prepared in all material respects in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949, and give a true and fair view of the financial position of the Institute as at March 31, 2020, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

### Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### Responsibilities of Management for the Financial Statements

The Institute's Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949 and for such internal controls as management determines, is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The management is responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

### Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of the management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.

**Other Matters**

a) The Institute has authorized a large number of Chapters in India and abroad. The Institute has represented to us that since these Chapters are separate entities, their accounts are not required to be consolidated.

b) We did not audit the financial statements of the Institute's Decentralized offices, Computer Centers, Students Associations, Regional Councils and their Branches (Collectively known as Branches) whose financial statements reflect total assets of Rs. 1,00,156 Lakhs, total revenue of Rs. 19,171 Lakhs and net cash flows/ (outflow) amounting to Rs. 224 Lakhs as considered in the financial statements. The financial statements of these branches have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management. Our Opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Branches is based solely on the reports of the other auditors.

Our opinion on the financial statements, and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the management.

**Report on Other Regulatory Requirements**

Further, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the decentralized offices, computer centers, students' associations, Regional Councils and their branches.

c) The Institute's Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts.

**For Shah Gupta & Co.**
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 109574W

**Sd/-**
**CA. Rajeev Bansal**
Partner
Membership No. 088598
UDIN:20088598AAAABO5581

**For Ravi Rajan & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm Reg. No.009073N/N500320

**Sd/-**
**CA. Deepak Gupta**
Partner
Membership No. 516002
UDIN:20516002AAAACN8820

Place: New Delhi
Date: 24th September, 2020

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

**ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002**

**BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020**

| | Particulars | Note No. | As at March 31, 2020 | As at March 31, 2019 |
|---|---|---|---|---|
| I | | | ( ₹ in Lakhs) | |
| | **SOURCES OF FUNDS** | | | |
| | **i SURPLUS AND EARMARKED FUNDS** | | | |
| | a. Reserves and surplus | 3 | 1,36,373 | 1,27,756 |
| | b. Earmarked funds | 4 | 90,601 | 68,591 |
| | **ii. NON - CURRENT LIABILITIES** | | | |
| | a. Other long-term liabilities | 5 | 2,112 | 1,591 |
| | b. Long-term provisions | 6 | 28,975 | 25,291 |
| | **iii. CURRENT LIABILITIES** | | | |
| | a. Trade payables | 7 | 4,944 | 4,132 |
| | b. Other current liabilities | 8 | 20,240 | 24,042 |
| | c. Short-term provisions | 6 | 959 | 1,628 |
| | **TOTAL** | | **2,84,204** | **2,53,031** |
| II | **APPLICATION OF FUNDS** | | | |
| | **i. NON - CURRENT ASSETS** | | | |
| | a. Property, Plant and Equipment | 9 | 64,725 | 61,006 |
| | b. Intangible assets | 10 | 30 | 34 |
| | c. Capital work-in-progress | 11 | 4,816 | 5,555 |
| | d. Non-current investments | 12 | 1,09,757 | 1,18,177 |
| | e. Assets held for Earmarked and other Funds | 13 | 5,140 | 5,176 |
| | f. Long-term loans and advances | 14 | 3,845 | 3,433 |
| | g. Other non-current assets | 15 | 2,645 | 1,659 |
| | **ii. CURRENT ASSETS** | | | |
| | a. Current investments | 12 | 8,009 | 4,917 |
| | b. Assets held for Earmarked and Other Funds | 13 | 67,754 | 37,992 |
| | c. Inventories | 16 | 480 | 479 |
| | d. Cash and bank balances | 17 | 8,748 | 8,712 |
| | e. Short-term loans and advances | 14 | 4,874 | 3,295 |
| | f. Other current assets | 15 | 3,381 | 2,596 |
| | **TOTAL** | | **2,84,204** | **2,53,031** |

**See accompanying notes 1 to 27 forming part of the financial statements**

For and on behalf of the Council

| Sd/- | Sd/- | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|---|
| **CA. Sudeep Shrivastava Gupta** | **Rakesh Sehgal** | **CA. Nihar N. Jambusaria** | **CA. Atul Kumar** |
| Joint Secretary | Acting Secretary | Vice-President | President |

In our report referred to even date

**For Shah Gupta & Co.**
Chartered Accountants
Firm registration number:109574W
009073N/N500320

**Sd/-**
**CA. Rajeev Bansal**
Partner, Membership No. 088598
New Delhi, 24th September, 2020.

**For Ravi Rajan & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm registration number:

**Sd/-**
**CA. Deepak Gupta**
Partner, Membership No. 516002

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

### ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002

### STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

| | Particulars | Note No. | For the year ended March 31, 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | | | ( ₹ in Lakhs) | |
| I | **INCOME** | | | |
| | a) Fees | 18 | 71,249 | 70,467 |
| | b) Seminars | 19 | 4,289 | 4,312 |
| | c) Other income | 20 | 18,134 | 15,566 |
| | **Total income** | | **93,672** | **90,345** |
| II | **EXPENSES** | | | |
| | a) Seminars and training programmes | 21 | 5,012 | 4,505 |
| | b) Employee benefit expenses | 22 | 15,017 | 14,695 |
| | c) Printing and stationery | | 5,585 | 5,517 |
| | d) Professional fees paid to examiners and consultants | | 10,220 | 9,557 |
| | e) Depreciation and amortisation expense | 9-10 | 3,392 | 2,688 |
| | f) Other expenses | 23 | 24,527 | 25,044 |
| | **Total expenses** | | **63,753** | **62,006** |
| III | **Net surplus (I-II)** | | **29,919** | **28,339** |
| IV | **Appropriation to funds / reserves:** | | | |
| | a) Education Fund [ See Note 2.06 (iii) ] | | 6,391 | 5,818 |
| | b) Employees Benevolent Fund [ See Note 2.06 (iv) ] | | 81 | 80 |
| | c) Members Benevolent Fund [See (Note 24.20)] | | 1,076 | 2,138 |
| | d) Earmarked Funds and Other Funds (Net of expenses) | | 4,951 | 2,831 |
| | e) Information Technology Training Reserves [See Note 2.06 (vii)] | | 1,874 | 1,780 |
| | f) Sinking Fund [ See Note 2.06 (viii)] | | 1,303 | 276 |
| | g) World Congress of Accountants (WCOA), 2022 (Note 24.15) | | 1,500 | 1,500 |
| | h) General reserve | | 12,743 | 13,916 |
| | **TOTAL** | | **29,919** | **28,339** |

**See accompanying notes 1 to 27 forming part of the financial statements**

For and on behalf of the Council

| Sd/- | Sd/- | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|---|
| **CA. Sudeep Shrivastava** | **Rakesh Sehgal** | **CA. Nihar N. Jambusaria** | **CA. Atul Kumar Gupta** |
| Joint Secretary | Acting Secretary | Vice-President | President |

In our report referred to even date

**For Shah Gupta & Co.**
Chartered Accountants
Firm registration number:109574W

**For Ravi Rajan & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm registration number:009073N/N500320

**Sd/-**
**CA. Rajeev Bansal**
Partner, Membership No. 088598
New Delhi, 24th September, 2020.

**Sd/-**
**CA. Deepak Gupta**
Partner, Membership No. 516002

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002

## CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2020

| | Particulars | For the year ended March 31, | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2019 |
| | | (₹ in Lakhs) | |
| I | **Cash Flow from operating activities** | | |
| | Net surplus after prior period adjustments | 29,919 | 28,339 |
| | Adjustments for: | | |
| | -Depreciation and amortisation expense | 3,392 | 2,688 |
| | -Provision no longer required written back | | |
| | -Provision for doubtful advances | (255) | (445) |
| | -Interest income | - | 4 |
| | -Admission fees from members directly allocated to reserves | (13,523) | (11,332) |
| | **Operating surplus before Working Capital changes** | 604 | 387 |
| | | **20,137** | **19,641** |
| | **Changes in working capital:** | | |
| | **Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:** | | |
| | -Inventories | (1) | 601 |
| | -Long-term loans and advances | (198) | 216 |
| | -Short-term loans and advances | (1,579) | (585) |
| | **Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:** | | |
| | -Other long-term liabilities | 521 | 372 |
| | -Long-term provisions | | |
| | -Trade payables | 3,684 | 2,350 |
| | -Other current liabilities | 1,067 | 900 |
| | -Short-term provisions | (3,815) | (218) |
| | | (669) | 321 |
| | Income tax (paid) / received (net) | **19,147** | **23,598** |
| | **Cash generated from operating activities (A)** | (214) | (252) |
| | **Cash Flow from Investing Activities** | **18,933** | **23,346** |
| II | -Sale / redemption / (purchase) of non-current investments | | |
| | -Sale / redemption / (purchase) of current investments | | |
| | -Capital expenditure on Property, Plant and Equipment | 8,420 | (41,642) |
| | -Proceeds from sale of Property, Plant and Equipment | (3,092) | (2,411) |
| | -Decrease in earmarked and other funds | (7,001) | (4,273) |
| | -Interest income received | 646 | 271 |
| | **Cash (used in) investing activities (B)** | (29,726) | 16,765 |
| | | 11,752 | 9,820 |
| | **Cash Flow from financing Activities** | **(19,001)** | **(21,470)** |
| | -Contribution received | | |
| III | -Other fund received/(utilisation) | | |
| | **Cash from financing activities (C)** | 154 | 27 |
| | | (50) | (15) |
| | Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents | **104** | **12** |
| | (A+B+C) Cash and Cash Equivalents at beginning of the year | 36 | 1,888 |
| | Cash and Cash Equivalents at closing of the year | 8,712 | 6,824 |
| | | **8,748** | **8,712** |

**See accompanying notes 1 to 27 forming part of the financial statements**

Notes:

Cash and Cash Equivalents represent cash on hand and balances with banks (Refer Note. 17).

For and on behalf of the Council

| Sd/- | Sd/- | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|---|
| **CA. Sudeep Shrivastava** | **Rakesh Sehgal** | **CA. Nihar N. Jambusaria** | **CA. Atul Kumar Gupta** |
| Joint Secretary | Acting Secretary | Vice-President | President |

In our report referred to even date

**For Shah Gupta & Co.**
Chartered Accountants
Firm registration number:109574W

**For Ravi Rajan & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm registration number: 009073N/N500320

**Sd/-**
**CA. Rajeev Bansal**
Partner, Membership No. 088598

**Sd/-**
**CA. Deepak Gupta**
Partner,

Membership No. 516002 New Delhi, 24th September, 2020.

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
## NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

### 1. General Information

The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute or ICAI"), having its Head Office at New Delhi, was established on 1st July 1949 under an Act of Parliament viz The Chartered Accountants Act, 1949 for the purpose of regulating the profession of Chartered Accountants in India. In terms of the said Act, the Council of the Institute is entrusted with the task of managing the affairs of the institute. For this purpose, the Council has constituted 5 Regional Councils, one each at Mumbai, Kolkata, Kanpur, Chennai and New Delhi, 5 Decentralised Offices, 13 Sub-Decentralised Offices,164 branches and one overseas office in Dubai.

### 2. Summary of Significant Accounting Policies

#### 2.01 Basis of Preparation

The financial statements comprising Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, Cash Flow Statement and Notes thereon are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) and The Chartered Accountants Act,1949. Indian GAAP here comprises of the accounting standards and other pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India.The financial statements are prepared on going concern, under the historical cost convention and on accrual basis unless other wise stated. The accounting polices adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year,unless stated otherwise.

#### 2.02 Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialised.

#### 2.03 Inventories

Inventories comprise publications, study materials, stationery and other stores. Inventories are valued at the lower of cost based on first in first out method ("FIFO") and the net realisable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary. Cost includes all charges in bringing the goods to the point of sale, including other levies, transit insurance and incidental charges.

#### 2.04 Cash and cash equivalents (for purposes of Cash Flow Statement)

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

#### 2.05 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby net surplus is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Institute are segregated based on the available information.

#### 2.06 Appropriation to Reserves and Allocation to Earmarked Funds

i) Fee received from members for admission as fellow of the Institute is credited to Infrastructure Reserve Account.

ii) Donations received for buildings are credited directly to the reserve account.

iii) 25% of the Distance Education Fee, not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education Fund.

iv) 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) received during the year is transferred to the Employees' Benevolent Fund.

v) From the earmarked funds the following transfers are made to Education Reserve Account:

| | | |
|---|---|---|
| a) | From Accounting Research Building Fund | 100% of cost of additions (net of deductions if any) to Building Fund relating to Accounting Research Building Fund. |
| b) | From Education Fund | 50% of cost of additions (net of deductions if any) to Fixed Assets. |

vi) Income from investments of Earmarked Funds is added to Earmarked Funds. The income is allocated based on opening balances of the respective earmarked funds on weighted average basis.

vii) 25% of the Information Technology Training (ITT)/Advance Information Technology Training course Fee received during the year is transferred to Other Reserves for replacement of computers and other ITT centre infrastructure.

viii) A sum equal to depreciation for the year (excluding amount transferred to the ITT Reserve) is transferred to Sinking Fund for repair and replacement of assets.

**2.07 Property, Plant and Equipment**

Property, Plant and Equipment is recognised when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Institute and the cost of the item can be measured reliably. Property, Plant and Equipment are carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost of Property, Plant and Equipment comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use. Other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying Property, Plant and Equipment up to the date the asset is ready for its intended use are also capitalised.

**2.08 Intangible Assets**

Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. The cost of intangible assets comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying assets up to the date the asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on tangible assets after its purchase / completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

**2.09 Capital Work in Progress**

Expenditure incurred on construction of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work-in-Progress. The cost includes the purchase cost including import duties, non-refundable taxes, if any, and directly attributable costs .

**2.10 Depreciation and amortisation**

A). Depreciable amount for assets is the cost of an asset, or other amount substituted as cost. Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided on the written down value method at the following rates as approved by the Council based on the useful life of the respective assets.

| **Class of Property,Plant and Equipment** | **Rate of Depreciation** |
|---|---|
| i) Buildings | 5% |
| ii) Lifts, electrical installations and fittings | 10% |
| iii) Computers | 60% |
| iv) Furniture and fixtures | 10% |
| v) Air conditioners and office equipments | 15% |
| vi) Vehicles | 20% |
| vii) Library books | 100% |

B) Carrying amount of Leasehold land is amortised over the shorter of the lease term or its useful life.

C) Intangible assets, consisting of Computer software, is amortised over its estimated useful life on straight line method over three years.

**2.11 Revenue recognition**

**The Revenue is recognised as follows:**

i) Distance education fee received from the students is recognised pro-rata over the duration of the respective courses.

ii) Class room training fee comprises fee received for Management Communcation Skills Course ("MCS"), Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("ICITSS"), Advanced Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("AICITSS") and Orientation Programme ("OP").The income for classroom training and coaching classes is recognised when services are rendered and related costs are incurred.

iii) Examination fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e when the examinations are conducted.

iv) Seminar fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e when the seminars are conducted.

v) Membership fee comprising of annual membership fee (including fee for certificate of practice and restoration fee) and entrance fee is recognised as under:

a) Annual membership fee (including fee for certificate of practice) is recognised as income when it becomes due for the year. Restoration of membership fee is recognised when it is received.

b) Entrance Fee:

- One third of entrance fee collected at the time of admission as associate member is recognised as income in the year of admission and the balance is recognised in Infrastructure Reserve.
- Entrance fee collected at the time of admission of person as fellow member is recognised in Infrastructure Reserve.

vi) Student registration fees is recognised when student is admitted for the course.

vii) Student Association income is recognised when student is admitted for the course.

viii) Revenue from post qualification and certificate course is recognised in the period in which services are rendered.

ix) In case of cancellation before commencement of the Certificate/ Post Qualification Course/Diploma Course, 10% of the fee is deducted and in case the course has commenced, no fee is refunded but the member will be given an option to attend remaining part of the course in subsequent batches.

**2.12 Other income**

a) Income from sale of publications are recognised when the risk and rewards are transferred to the buyer which normally coincide with delivery of goods. Income includes consideration received or receivable, net of discounts and other related taxes, (if any).

b) Income from students news letter and journal subscription is recognised on pro-rata basis over the period of subscription.

c) Income from campus interviews and expert advisory fee are recognised when services are rendered and related costs are incurred.

d) Interest Income is recognised on a time apportionment basis.

**2.13 Investment**

a) The Institute's investments comprise of instruments in the form of domestic government securities issued by Central and State Governments, fixed deposits with nationalised banks domiciled in India and shares in Not-for-Profit entities.

b) Investments are classified as current and long term investments in accordance with AS 13 Investments. Current investments are those that are readily realisable and intended to be held for not more than one year from the date on which such investments are made. A long term investment is an investment other than a current investment.

c) Investments are initially recorded at cost and the cost includes acquisition costs such as brokerage, fees and duties. Accrued interest paid at the time of purchase is setoff against first receipt of interest.

d) At each balance sheet date, current investments are carried at lower of cost and fair value. The fair value is determined on an individual basis. The Long term investments are carried at cost. However, the provision for diminution in value is made to recognise the decline in value, other than temporary, of investments. The premium paid at the time of purchase is amortised over the remaining maturity of the investments. Amortisation of premium is adjusted against the income under head 'Interest from Investments.'.

**2.14 Foreign Currency Transaction**

Transactions in foreign currencies are accounted at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

Foreign currency monetary items outstanding at the balance sheet date are restated at the year-end rates. Non-monetary items are carried at historical cost.

Exchange differences arising on settlement / restatement of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised as income or expense in the Statement of Income and Expenditure.

**2.15 Employee benefits**

Employee benefits include provident fund, gratuity fund, compensated absence, long service awards, pension scheme and post-employment medical benefits.

**i) Short term employee benefits**

The undiscounted amount of short-term employee benefits (ie. salary, allowances, exgratia etc) expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the year when the employees render the service. The short-term employee benefits are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service.

The cost of short-term compensated absences is accounted as under :

a) in case of accumulated compensated absences, when employees render the service that increase their entitlement of future compensated absences; and

b) in case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

**ii) Post-employment benefits**

Post-employment benefits are the benefits to employees, other than termination benefits, which are payable after the completion of employment. Accounting of post-employment benefits depends upon the classification of relevant plans as either defined benefit plan (DBP) or defined contribution plan (DCP). The post-employment benefit plans where the Institute pays fixed contributions into a separate entity or fund and it will have no obligation to pay further contributions if the separate entity or fund does not hold sufficient assets to all employee benefits relating to employee service in the current and prior period. On the other hand, post-employment benefit plans other than those classified as DCP are classified as DBP.

**a) Defined Benefits Plans**

For defined benefit plans in the form of gratuity and post retirement pension, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised in the Statement of Income and Expenditure in the period in which they occur. Past service cost is recognised immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortised on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. The retirement benefit obligation recognised represent the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognised past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to past service cost, plus the present value of available refunds and reductions in future contributions to the schemes. Gratuity liability is funded with Life Insurance Corporation of India.

The contribution towards provident fund scheme to The Institute of Chartered Accountants of India Provident Fund Trust ('the Trust') is considered as defined benefit plan and charged as an expense based on the amount of contribution required to be made and when services are rendered by the employees. The Trust is managed by the governing body elected by the Institute.

The present value of the defined benefit obligations are ascertained by an independent actuary as per the requirements of Accounting Standard (AS) - 15 Employee Benefits.

**b) Pension scheme**

The Institute offers its employees benefits in the form of pension. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation.

**c) Post retirement medical scheme benefit to retired employees and spouse**

The Institute offers employee benefits to its retired employees in the form of medical scheme.

**iii) Other Long-term employee benefits**

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the balance sheet date less the fair value of the plan assets out of which the obligations are expected to be settled.

**2.16 Leases**

The Institute classifies the leases as Finance and Operating Lease for accounting and disclosure purposes. The leases where the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the

ownership are classified as finance leases. The leases where the lessor and not the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as operating leases.

Lease rental under operating leases are recognised in the statement of income and expenditure on straight-line basis over the lease term. In case of Finance Lease, assets are capitalised at lower of fair value of the leased asset and present value of minimum lease payments. The lease payments are apportioned between the finance charge and repayment of lease liability. Leased assets are depreciated over the shorter of lease term or useful life of the asset.

**2.17 Impairment of Property, Plant and Equipment and intangible assets**

The carrying value of assets at each balance sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the statement of income and expenditure

**2.18 Taxes on income**

The Institute has been granted exemption from Income Tax under section 10(23C)(iv) and Section 11 of the Income Tax Act, 1961. As such no provision for income tax is made and no provision for deferred tax asset and liability is considered necessary.

**2.19 Assets held for Earmarked and Other Funds**

Earmarked fund and others funds in the form of deposits with banks maturing after a period of twelve months from the date of balance sheet are classified as non-current and others are classified as current. These are available for use freely at the discretion of the Council except to the extent of total of the earmarked, employee benefit funds.

**2.20 Provisions and Contingencies**

A provision is recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute, or is a present obligation that arises from past event but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE # 3 RESERVES AND SURPLUS ( ₹ in Lakhs)

| Particulars | General | | Education | | Infrastructure | | Others* | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | As at March 31, | | As at March 31, | | As at March 31, | | As at March 31, | | As at March 31, | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| **Balance at the beginning of the year** | **75,233** | **82,207** | **42,682** | **38,343** | **6,072** | **5,700** | **3,769** | **1,989** | **1,27,756** | **1,28,239** |
| Add: Appropriation from Statement of Income and Expenditure | 12,743 | 13,916 | - | - | - | - | 1,874 | 1,780 | **14,617** | 15,696 |
| Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transfer from / (to) Earmarked Funds | (10,000) | (20,890) | 3,446 | 4,339 | - | - | - | - | **(6,554)** | (16,551) |
| Admission fees and allocated Entrance fees | - | - | - | - | 604 | 387 | - | - | **604** | 387 |
| (Utilization)/Addition | - | - | 2 | - | (3) | (15) | (49) | - | **(50)** | (15) |
| **Balance at the end of the year** | **77,976** | **75,233** | **46,130** | **42,682** | **6,673** | **6,072** | **5,594** | **3,769** | **1,36,373** | **1,27,756** |

* Others comprises Library Reserve, Class Room Training Reserves, Foreign Currency Translation Reserve (Dubai branch) etc.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE # 4 EARMARKED FUNDS ( ₹ in Lakhs)

| Particulars | Research Funds | | Accounting Research Building Fund | | Education Fund | | Medals and Prizes Funds | | Students Scholarship Funds | | Members Benevolent Fund | | Employees Benevolent Fund | | Sinking Fund for Repair and Replacement of Assets | | Other Funds | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | As at March 31, | | As at March 31, | | As at March 31, | | As at March 31, | | As at March 31, | | As at March 31, | | As at March 31, | | As at March 31, | | As at March 31, | | As at March 31, | |
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Balance at the beginning of the year | 2,677 | 2,479 | 924 | 854 | 33,608 | 29,713 | 280 | 265 | 186 | 167 | 2,138 | - | 923 | 789 | 21,166 | - | 6,689 | 5,103 | **68,591** | 39,370 |
| Appropriation from Statement of Income and Expenditure | - | - | - | - | 6,391 | 5,818 | - | - | - | - | 1,076 | 2,138 | 81 | 80 | 1,303 | 276 | 1,500 | 1,500 | **10,351** | 9,812 |
| Transfer from / (to) Reserves and Surplus | - | - | - | - | (3,446) | (4,339) | - | - | 10,000* | - | - | - | - | - | - | 20,890 | - | - | **6,554** | 16,551 |
| Contribution received / Addition during the year | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 38 | 12 | - | - | - | - | - | - | 101 | - | **154** | 27 |
| Interest income during the year appropriated through Income and Expenditure | 209 | 198 | 73 | 70 | 2,668 | 2,416 | 17 | 19 | 12 | 11 | 170 | - | 73 | 64 | 1,681 | - | 84 | 88 | **4,987** | 2,866 |
| Utilised during the year | - | - | - | - | - | - | (23) | (19) | (5) | (4) | - | - | (8) | (10) | - | - | - | (2) | **(36)** | (35) |
| **Balance at the end of the year** | **2,886** | **2,677** | **997** | **924** | **39,221** | **33,608** | **289** | **280** | **10,231** | **186** | **3,384** | **2,138** | **1,069** | **923** | **24,150** | **21,166** | **8,374** | **6,689** | **90,601** | **68,591** |

**Note**

1. Total earmarked funds of ₹ 90601 Lakhs (Previous year ₹. 68,591 Lakhs) are held in fixed deposits and Government Securities (See Note 12 & 13)

2. Rs. 1,500 lakhs have been appropriated to finance estimated expenditure Rs.4,500 Lakhs for the World Congress of Accountants to be held in the year 2022. (See Note No.24.15)

3. Refer Note 24.16*

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

**( ₹ in Lakhs)**

| NOTE # 5: OTHER LONG-TERM LIABILITIES | As at March 31, | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2019 |
| Fees received in advance | | |
| i) Education fees | **2,103** | 1,579 |
| ii) Journal subscription | **9** | 12 |
| **Total** | **2,112** | **1,591** |

| NOTE # 6: PROVISIONS | As at March 31, | | As at March 31, | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | Long-term | Long-term | Short-term | Short-term |
| Provisions for employee benefits : | | | | |
| a) Post employment benefits | | | | |
| i) Gratuity | - | - | - | 392 |
| ii) Pension | **14,282** | 11,861 | **557** | 503 |
| iii) Provident Fund | - | - | - | 200 |
| b) Provision for leave encashment | **5,133** | 4,570 | **402** | 533 |
| c) Provision for Branch Employees (Note-24.12) | **4,200** | 3,500 | - | - |
| d) Provision for Pay Revision (Note-24.13) | **5,360** | 5,360 | - | - |
| **Total** | **28,975** | **25,291** | **959** | **1,628** |

| NOTE # 7: TRADE PAYABLES | As at March 31, | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2019 |
| Trade payables | **4,944** | 4,132 |
| **Total** | **4,944** | **4,132** |

| NOTE # 8: OTHER CURRENT LIABILITIES | As at March 31, | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2019 |
| a) Fees received in advance | | |
| i) Examination fees | **6,967** | 7,046 |
| ii) Journal subscription | **21** | 25 |
| iii) Membership fees | **1,447** | 3,112 |
| iv) Education fees | **7,504** | 9,471 |
| v) Post qualification courses fees | **442** | 256 |
| vi) Certificate courses fees | **250** | 171 |
| vii) Seminar fees : | | |
| a) Seminar Members | **129** | 110 |
| b) Seminar Students | **26** | - |
| viii) Class room training fees | **155** | 937 |
| ix) Coaching class fees | **108** | 105 |
| x) Other fees | **73** | 63 |
| **Sub Total (A)** | **17,122** | **21,296** |
| | | |
| **b) Other liabilities** | | |
| i) Capital Creditors | **28** | 15 |
| ii) PF, ESIC and Professional tax payable | **254** | 109 |
| iii) Withholding taxes | **534** | 540 |
| iv) GST Payable | **724** | 784 |
| v) Security and earnest money deposit | **773** | 816 |
| vi) Others | **805** | 482 |
| **Sub Total (B)** | **3,118** | **2,746** |
| | | |
| **Total (A+B)** | **20,240** | **24,042** |

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
## NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

**( ₹ in Lakhs)**

| NOTE # 9:Property, Plant and Equipment | | | | | | Depreciation | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Particulars** | **As at March 31,** | **Cost at the beginning of the year** | **Additions during the year** | **Transfers/ Deletions during the year** | **Cost at the end of the year** | **Accumulated depreciation at the beginning of the year** | **Charged for the year** | **Transfers/ Deletions during the year** | **Accumulated depreciation at the end of the year** | **Net book value at end of the year** |
| Freehold land | 2020 | 18,311 | 3,082 | (303) | **21,090** | - | - | - | **-** | **21,090** |
| | 2019 | 17,663 | 356 | 292 | **18,311** | - | - | - | **-** | **18,311** |
| Leasehold land | 2020 | 7,790 | 5 | (281) | **7,514** | 840 | 95 | - | **935** | **6,579** |
| | 2019 | 7,549 | 1,033 | (792) | **7,790** | 824 | 92 | (76) | **840** | **6,950** |
| Buildings | 2020 | 38,735 | 1,958 | (49) | **40,644** | 9,002 | 1,633 | - | **10,635** | **30,009** |
| | 2019 | 31,800 | 7,005 | (70) | **38,735** | 7,766 | 1,584 | (348) | **9,002** | **29,733** |
| Lifts, electrical installations & fittings | 2020 | 2,312 | 124 | (2) | **2,434** | 1,267 | 122 | - | **1,389** | **1,045** |
| | 2019 | 2,183 | 118 | 11 | **2,312** | 1,157 | 115 | (5) | **1,267** | **1,045** |
| Computers | 2020 | 5,417 | 2,052 | (208) | **7,261** | 5,102 | 880 | (203) | **5,779** | **1,482** |
| | 2019 | 5,233 | 260 | (76) | **5,417** | 4,948 | 239 | (85) | **5,102** | **315** |
| Furniture and fixtures | 2020 | 4,835 | 209 | (1) | **5,043** | 2,417 | 252 | (2) | **2,667** | **2,376** |
| | 2019 | 4,572 | 455 | (192) | **4,835** | 2,221 | 244 | (48) | **2,417** | **2,418** |
| Air conditioners and office equipments | 2020 | 5,626 | 265 | (11) | **5,880** | 3,412 | 351 | (6) | **3,757** | **2,123** |
| | 2019 | 5,387 | 322 | (83) | **5,626** | 3,135 | 354 | (77) | **3,412** | **2,214** |
| Vehicles | 2020 | 136 | 2 | - | **138** | 114 | 5 | (2) | **117** | **21** |
| | 2019 | 135 | 2 | (1) | **136** | 108 | 6 | - | **114** | **22** |
| Library books | 2020 | 1,059 | 22 | - | **1,081** | 1,061 | 22 | (2) | **1,081** | **-** |
| | 2019 | 1,041 | 25 | (7) | **1,059** | 1,041 | 26 | (6) | **1,061** | **(2)** |
| Total | **2020** | **84,221** | **7,719** | **(855)** | **91,085** | **23,215** | **3,360** | **(215)** | **26,360** | **64,725** |
| | **2019** | **75,563** | **9,576** | **(918)** | **84,221** | **21,200** | **2,660** | **(645)** | **23,215** | **61,006** |

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

**NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

**( ₹ in Lakhs)**

| **NOTE # 10: INTANGIBLE ASSETS** | **As at March 31,** | |
|---|---|---|
| **Computer Software** | **2020** | **2019** |
| **Cost at the beginning of the year** | **766** | 746 |
| Additions Transfers/Deletions | **34** | 5 |
| | **(6)** | 15 |
| **Cost at the end of the year** | **794** | **766** |
| | | |
| **Amortisation at the beginning of the year** | **732** | 691 |
| Charge for the year | **32** | 28 |
| Transfers/Deletions | **-** | 13 |
| **Amortisation at the end of the year** | **764** | **732** |
| | | |
| **Net book value at the end of the year** | **30** | **34** |
| Net book value at the beginning of the year | **34** | 55 |

| **NOTE # 11: CAPITAL WORK IN PROGRESS** | | **As at March 31,** | |
|---|---|---|---|
| | | **2020** | **2019** |
| | Opening balance | **5,555** | 10,877 |
| Add: | Addition during the year | **1,562** | 1,292 |
| Less: | Amount capitalised/adjusted during the year | **(2,301)** | (6,614) |
| **Closing balance** | | **4,816** | **5,555** |

| NOTE # 12: INVESTMENTS (at cost less diminution in value) | As at March 31, | | As at March 31, | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | Non-current | Non-current | Current | Current |
| **A. Central Government Securities** | | | | |
| Quoted Securities | | | | |
| 1 8.27% Government of India 2020 | - | 2,548 | **2,508** | - |
| 2 7.80% Government of India 2021 | **2,530** | 2,559 | - | - |
| 3 6.35% Government of India 2020 | - | 998 | - | - |
| | **2,530** | **6,105** | **2,508** | - |
| Unquoted Securities | | | | |
| 8.00% Government of India Taxable | | | | |
| 4 Bonds- cumulative | **11,200** | 11,200 | - | - |
| 5 8% Saving (Taxable) Bond 2003- non cumulative | **44,000** | 44,000 | - | - |
| | **55,200** | **55,200** | - | - |
| **Book** | **57,730** | **61,305** | **2,508** | - |
| **Value (A)** | **2,571** | 6,109 | **2,517** | - |
| **Market** | **55,200** | 55,200 | - | - |
| | **57,771** | **61,309** | **2,517** | - |
| **Value** | | | | |
| Quoted | | | | |
| Unquoted(Book value) | - | - | - | 2,910 |
| | - | 2,497 | **2,499** | - |
| | - | 1,506 | **1,501** | - |
| **B. State Government Securities** | - | - | - | 1,003 |
| Quoted Securities : | | | | |
| 1 07.86 Rajasthan Uday 2019 | **3,836** | 3,870 | - | - |
| 2 8.01% Rajasthan Uday SDL 2020 | **1,518** | 1,527 | - | - |
| 3 8.18% Andhra Pradesh SDL | **1,003** | 1,004 | - | - |
| 2020 4 8.20% Punjab SDL 2019 | **3,048** | 3,058 | - | - |
| 5 8.39% Rajasthan Uday Bond 2021 | **2,032** | 2,038 | - | - |
| 6 8.39% Rajasthan Uday SDL 2022 | **2,543** | 2,557 | - | - |
| 7 8.44% Uttar Pradesh Uday 2023 | - | 1,510 | **1,501** | - |
| 8 8.45% Karnataka SDL 2024 | **508** | 511 | - | - |
| 9 8.45% Karnataka SDL 2024 | **506** | 510 | - | - |
| 10 8.45% Punjab SDL 2023 | - | - | - | 1,004 |
| 11 8.49% Andhra Pradesh P SDL 2020 | | | | |
| 12 8.62% Maharashtra SDL 2023 | **14,994** | **20,588** | **5,501** | **4,917** |
| 13 8.75% West Bengal GS 2022 | | | | |
| 14 8.85% Punjab SDL 2019 | | | | |
| **SGS (i)** | | | | |

| NOTE # 12: INVESTMENTS (at cost less diminution in value) | As at March 31, | | As at March 31, | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | Non-current | Non-current | Current | Current |
| 16 07.79% Himachal Pradesh SDL 2022 | **993** | 990 | - | - |
| 17 6.90% Punjab SDL 2021 | **2,479** | 2,452 | - | - |
| 18 6.94% Odisha SDL 2021 | **1,480** | 1,464 | - | - |
| 19 7.56% Andhra Pradesh SDL 2021 | **2,490** | 2,478 | - | - |
| 20 7.62% Maharashtra SDL 2021 | **1,992** | 1,984 | - | - |
| 21 7.64% Andhra Pradesh SDL 2021 | **2,988** | 2,976 | - | - |
| 22 7.93% Chattisgarh SDL 2024 | **1,516** | 1,520 | - | - |
| 23 8.18% Haryana SDL UDAY 2024 | **46** | 46 | - | - |
| 24 8.21% Haryana Uday 2022 | **1,491** | 1,487 | - | - |
| 25 8.25% Uttar Pradesh UDAY BOND 2023 | **507** | 509 | - | - |
| 26 8.27% Rajasthan SDL SPL 2023 | **195** | 196 | - | - |
| 27 8.37% Odisha SDL 2022 | **1,002** | 1,003 | - | - |
| 28 8.39 Rajasthan Uday 2022 | **1,496** | 1,494 | - | - |
| 29 8.39% Rajasthan Uday Bond 2021 | **3,008** | 3,016 | - | - |
| 30 8.45% Gujarat SDL 2023 | **2,563** | 2,582 | - | - |
| 31 8.86% Punjab SDL 2022 | **1,010** | 1,014 | - | - |
| 32 8.90% Andhra Pradesh SDL 2022 | **2,518** | 2,525 | - | - |
| 33 8.92% Himachal Pradesh SDL 2022 | **1,010** | 1,015 | - | - |
| 34 8.95% Assam SDL 2022 | **1,517** | 1,524 | - | - |
| 35 8.97% Bihar SDL 2022 | **506** | 509 | - | - |
| 36 9.01% Karnataka SDL 2024 | **523** | 528 | - | - |
| 37 9.01% West Bengal SDL 2022 | **505** | 508 | - | - |
| 38 9.04% West Bengal SDL 2021 | **506** | 509 | - | - |
| 39 9.13% Gujarat SDL 9/5/2022 | **2,423** | 2,434 | - | - |
| 40 9.18% Punjab SDL 2021 | **507** | 511 | - | - |
| 41 8.51% UP UDAY 2023 | **752** | - | - | - |
| **SGS (ii)** | **36,023** | **35,274** | - | - |
| | | | | |
| **Book Value [ B= ( i + ii ) ]** | **51,017** | **55,862** | **5,501** | **4,917** |
| | | | | |
| **Sub-Total (A+B)** | **1,08,747** | **1,17,167** | **8,009** | **4,917** |

| NOTE # 12: INVESTMENTS (at cost less diminution in value) | As at March 31, | | As at March 31, | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | Non-current | Non-current | Current | Current |
| **C. Investment in equity instruments of subsidiaries (fully paid up)** | | | | |
| i. Institute of Insolvency Professionals of ICAI 10,00,000 Ordinary shares of Rs. 100 each | **1,000** | 1,000 | - | - |
| ii. Investment ICAI Registered Valuers Organisation | **10** | 10 | - | - |
| **Sub-Total ( C )** Book Value | **1,010** | **1,010** | - | - |
| | | | | |
| **Total (A+B+C)** | **1,09,757** | **1,18,177** | **8,009** | **4,917** |

| NOTE # 13: Assets held for Earmarked and Others Funds | As at March 31, | | As at March 31, | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | Non-current | Non-current | Current | Current |
| Fixed deposits with banks | **5,140** | 5,176 | **67,754** | 37,992 |
| **Total** | **5,140** | **5,176** | **67,754** | **37,992** |

| NOTE # 14: LOANS AND ADVANCES (Unsecured, considered good) | As at March 31, | | As at March 31, | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | Non-current | Non-current | Current | Current |
| a) Security deposits | **79** | 81 | **376** | 352 |
| b) Tax deducted at source | **2,722** | 2,508 | - | - |
| c) Input Tax Credit | - | - | | |
| d) Plan assets for Gratuity ( Net of obligation ) | - | - | **2,032** | 1,230 |
| e) GST on advances received from members | - | - | **168** | - |
| f) Other loans and advances | | | **283** | |
| i) Loans and advances to employees | **800** | 600 | | 521 |
| ii) Other receivables | **244** | 244 | **983** | |
| Less: Provision for doubtful receivables | - | - | **1,032** | 900 |
| | | | - | 296 |
| | | | | (4) |
| **Total** | **3,845** | **3,433** | **4,874** | **3,295** |

| NOTE # 15: OTHER ASSETS | As at March 31, | | As at March 31, | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| | Non-current | Non-current | Current | Current |
| Interest accrued | | | | |
| i) on fixed deposits with banks | - | 44 | **1,780** | 960 |
| ii) on investments | **2,495** | 1,461 | **1,527** | 1,596 |
| iii) on loans to employees | **150** | 154 | **74** | 40 |
| **Total** | **2,645** | **1,659** | **3,381** | **2,596** |

| NOTE # 16: INVENTORIES (At lower of cost and net realisable value) | As at March 31, 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| a) Publications and study materials | **407** | 434 |
| b) Stationery and stores | **73** | 45 |
| **Total** | **480** | **479** |

| NOTE # 17: CASH AND BANK BALANCES | As at March 31, 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| a) Cash on hand | **45** | 42 |
| b) Balances with banks in savings and current accounts | **8,703** | 8,670 |
| **Total** | **8,748** | **8,712** |

| NOTE # 18: FEES | For the year ended March 31, 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| a) Distance education | **26,252** | 23,910 |
| b) Class room training income | **15,574** | 15,182 |
| c) Coaching | **930** | 1,160 |
| d) Examination | **15,601** | 16,867 |
| e) Membership | **11,236** | 10,870 |
| Less:-Discount on E Journal | **(683)** | - |
| f) Entrance | **230** | 116 |
| g) Post qualification courses | **869** | 976 |
| h) Certificate courses | **1,240** | 1,386 |
| **Total** | **71,249** | **70,467** |

| NOTE # 19: SEMINAR INCOME | For the year ended March 31, 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| a) Members | **2,929** | 2,889 |
| b) Students | **587** | 695 |
| c) Non members | **770** | 711 |
| d) E-Learning income | **3** | 17 |
| **Total** | **4,289** | **4,312** |

| NOTE # 20: OTHER INCOME | For the year ended March 31, | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2019 |
| a) Interest income | | |
| i) on bank deposit held in general funds | **2,957** | 2,783 |
| ii) from investments | **5,490** | 5,613 |
| iii) on bank deposits held for earmarked funds | **4,987** | 2,866 |
| iv) on loans to employees | **89** | 70 |
| b) Sale of publications | **1,123** | 933 |
| c) News letters | **110** | 106 |
| d) Journal subscription | **232** | 277 |
| e) Campus interview | **433** | 970 |
| f) Expert advisory fee | **39** | 53 |
| g) Provision no longer required written back | **255** | 445 |
| h) Miscellaneous income | **609** | 481 |
| i) Income Support Services | **7,904** | 5,335 |
| Less:- Expense Support Services | **(7,904)** | (5,335) |
| j) Prior period income | **1,810** | 969 |
| **Total** | **18,134** | **15,566** |

| NOTE # 21: SEMINARS AND TRAINING PROGRAMMES | For the year ended March 31, | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2019 |
| a) Members | **3,705** | 3,441 |
| b) Students | **1,212** | 943 |
| c) Students activity expenses | **77** | 83 |
| d) E-Learning expenses | **18** | 38 |
| **Total** | **5,012** | **4,505** |

| NOTE # 22: EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE | For the year ended March 31, | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2019 |
| a) Salary, pension and other allowances | **14,116** | 12,912 |
| b) Contribution to provident and other funds | **758** | 1,616 |
| c) Staff welfare expenses | **143** | 167 |
| **Total** | **15,017** | **14,695** |

| NOTE # 23: OTHER EXPENSES | For the year ended March 31, | |
|---|---|---|
| | 2020 | 2019 |
| a) Postage and telephone | **2,378** | 2,743 |
| b) Rent, rates and taxes | **5,572** | 5,542 |
| c) Domestic Travelling | **2,421** | 2,212 |
| d) Overseas expenses: | | |
| i) Overseas travelling | **232** | 110 |
| ii) Membership fees for foreign professional bodies | **635** | 573 |
| iii) Others | **201** | 160 |
| e) Repairs and maintenance | **2,894** | 2,589 |
| f) Class room training expenses | **5,523** | 5,187 |
| g) Advertisement and publicity | **349** | 278 |
| h) Meeting expenses | **1,191** | 1,182 |
| i) Merit scholarship | **195** | 189 |
| j) Audit fees : Head office | **15** | 11 |
| : Other offices | **37** | 39 |
| | **36** | 35 |
| k) Payments from earmarked funds | **1039** | 1,213 |
| l) GST expenses | **-** | 4 |
| m) Provision for doubtful advances | **564** | 1,084 |
| n) Prior period expenses | **1,245** | 1,893 |
| o) Other expenses | | |
| **Total** | **24,527** | **25,044** |

**24 Additional Notes to the Financial Statements**

24.01 Contingent liabilities and commitments **( ₹ in Lakhs)**

| | **2019-20** | **2018-19** |
|---|---|---|
| a. Contingent liabilities | | |
| i) Claims against the Institute not acknowledged as debts | **2,916** | 2,603 |

ii) The Institute has received two show cause notices of ₹ 15,797 lakhs from the Additional Director General, Goods and Service Tax Intelligence for payment of service tax on annual fee, certificate of practice fee, entrance fee, Seminar Fees and Coaching Class Fees etc. The Institute is of the opinion that it is not liable to service tax as mentioned in show cause notice (SCN). In October 2019, Additional Director General, DGCEI, Kochi filed a Counter affidavit against the writ petition no 3957/2019 in High Court of Delhi. Accordingly, the Institute had filed a rejoinder affidavit in December 2019.The matter is now scheduled for hearing on 27th November, 2020.

| b. Capital Commitments | **2019-20** | **2018-19** |
|---|---|---|
| Capital Commitments ( Net of advances ) | **3,575** | 2,716 |

24.02 Other Receivables in Note 14 # under long term loans and advances include ₹ 243.75 Lakh for stamp duty refund receivable on cancellation of principal and supplementary agreements of acquiring property at Nagpur which has been rejected by the Joint District Registrar (JDR), Nagpur. The Institute has filed two appeals before the Chief Controlling Revenue Authority, Pune under section 53 of Maharashtra Stamp Act challenging the orders passed by JDR, Nagpur which are still pending for final adjudication. The Institute has been advised that it has a good legal case to receive the refund of stamp duty.

24.03 Directly attributable expenses on the seminars activity have been charged to seminar expenses and related indirect expenditure is charged to functional heads of expenditure.

24.04 Out of the fee received from the students towards Students Registration Fee, a sum of ₹ 250 per student in respect of students registered after 1st April, 2009, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund.

24.05 Leasehold land includes ₹ 6.17 lakhs paid for the plot of land in Indraprastha Estate, New Delhi (adjacent to existing head office) allotted by Land and Development Authority, New Delhi for which execution of Memorandum of Agreement and Lease Deed is in progress.

24.06 The Institute had initiated a process for digitization of entire activities by undertaking a project referred as 'Project Parivartan'. For this purpose, Institute had appointed a global integrated service provider (vendor) supervised by a globally reputed project management consultant at a total cost of ₹ 3,981 lakhs. A sum of ₹ 867 lakhs was incurred up to March 31, 2015.

Since the service provider did not carry out the development of digitization as per the requirement even after extended periods, the Institute cancelled the contract and encashed the bank guarantee of ₹ 295 lakhs in the month of June 2015 and the balance amount of ₹ 572 lakhs was written off in the year ended March 31, 2015.

The vendor submitted a proposal requiring the Institute to pay ₹ 807 lakhs including the amount encashed Bank Guarantee which has been rejected by the Institute and the agreement with service providers in February, 2017. No communication has been received from the vendors after contract was terminated.

During 2018-19, Institute had sent a legal notice dated 31.10.2018 to the vendor requiring it to pay an amount of ₹ 2,140.79 lakhs along with applicable interest towards loss incurred on account of non execution of the project. The vendor in its response dated 20.03.2019 has contested that claim of Institute is time barred.

The opinion from the legal advisor has been placed before the Competent Authority for further necessary direction in the matter.

24.07 Land measuring 225 sq. mtrs area of ICAI Bhawan Faridabad, had been acquired by DMRC in January 2013 for which, Faridabad branch had requested for another piece of land, adjacent to the branch in compensation against the acquisition by DMRC. The matter is currently under consideration by Haryana Urban Development Authority.

24.08 A detailed review of the various reserve funds and earmarked funds created in the earlier years and related earmarked investments has been taken up to restructure these funds as per the present requirements and functioning of the Institute.

24.09 In the case of inter unit accounts relating to income and expenditure heads, the unreconciled differences aggregate to ₹ 464 Lakhs in debit and ₹ 478 Lakhs in credit, Net difference being ₹ 14 Lakhs. Pending completion of reconciliation, the amount of net difference of ₹ 14 Lakhs has been included under 'Provision for Inter branch reconciliation account' in Trade Payable.

In the case of inter unit accounts relating to assets and liabilities, the unreconciled differences aggregate to ₹ 2842 Lakhs in debit and ₹ 3004 Lakhs in credit. The net difference of ₹ 162 Lakhs has been included under 'Provision for Inter branch reconciliation account' in Trade Payable.

24.10 In view of the Management, the study circles, study chapters and overseas chapters are separate entities and their accounts are not consolidated.

24.11 Steps have been taken to carry out physical verification of fixed assets and reconciliation with books balances at the Head office and the Branches.

24.12 The Branch Employees Scheme 2006 has been replaced by new Branch Employees Scheme 2014 which has been approved by the Central Council but not yet implemented. Since 2014-15, a provision of ₹ 700 lakhs per year is being made in the accounts adding upto ₹ 4200 lakhs as on March 31, 2020. The shortfall / excess of provision will be determined when the revised scheme is fully implemented.

Some of the branches have deducted PF contribution from the branch employees. Pending approval of the registration of the 5 Regional Provident Fund Trust from the Income Tax Department, the amount of PF along with matching employer contribution of ₹ 103 lakhs could not be deposited with the PF Trust. However, the aforesaid funds have been invested in separate fixed deposit.

24.13 Consequent to revision of salary and allowances of employees effective 1.1.2016 and 1.7.2017 respectively, a total provision of ₹ 5360 lakhs was made up to financial year 2018-19. Pending final review and decision on this matter, ₹ 1,071 lakhs have been paid to the employees as advance till FY 2018-19.

24.14 An amount of ₹ 987 Lakhs (₹ 1213 Lakhs) including ineligible input tax credit, input credit attributable to exempted supplies and ₹ 52 lakhs of interest on delayed payments has been charged off to the Income and Expenditure Account as 'GST Expenses'. GST payable at the end of the year of ₹ 724 Lakhs (₹ 784 Lakhs) has been included under other liabilities (Note No.8) and amount of ₹ 2032 Lakhs (₹ 1230 Lakhs) as GST input credit recoverable has been shown under 'Loans and Advances (Note No.14)

24.15 As per the estimates made in FY 2018-19, the Institute is likely to incur an estimated expenditure of ₹ 4,500 Lakhs for holding World Congress of Accountants in the year 2022 in India. It was decided that out of surplus of the year 2018-19 and next two years, ₹ 1,500 Lakhs will be appropriated to a separate close ended fund to meet the financial requirements to organize the conference. The expenditure incurred each year will be debited to designated account 'Expenditure on WCOA -2022' and an equivalent amount will be transferred to the appropriation account from the said fund every year.

24.16 During the year, Institute has earmarked ₹ 10,000 lakhs towards creation of separate fund for the need based & economically weaker section Scholarships under Student Skills Enrichment Board (Board of Studies- Operations) and allocated investments of ₹ 10,000 lakhs for meeting scholarship expenses from its Interest Income of the above fund.

24.17 During the year, the detailed listings of advance fee received from members amounting to ₹ 2,366 Lakhs out of ₹ 3,112 Lakhs and fee for distance education ₹ 9,471 Lakhs received from the students was reconciled and the necessary accounting effect taken in the books of accounts.The balance of ₹ 746 lakhs is advance from members pertaining to earlier years which is under reconciliation.

24.18 As per Regulation 197 of The Chartered Accountants Regulations 1988, the auditors of the Council are required to compare the actual income and expenditure with the budget estimates approved by the Council and submit a report to the Council on the material departures. Steps are being taken to comply with this requirement in the near future.

24.19 The Institute is in the process of receiving information from vendors regarding their status under the Micro Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosure relating to amounts unpaid as at the period end together with interest paid or payable under this Act has not been given.

24.20 During the year, ₹ 1076 lakhs (10% of Annual and Certificate of Practice Fee) [P.Y. ₹ 2138 lakhs being 20% of Annual and Certificate of Practice Fee] out of Membership Fee received was transferred to the Members Benevolent Fund.

24.21 Other expenditure includes ₹ 156 lakhs (₹ 114 lakhs) being the reimbursement of costs incurred by Quality Review Board constituted under section 28-A of The Chartered Accountants Act, 1949. Other expenses also include contribution of ₹ 60 lakhs (₹ 60 lakhs) made to the Appellate Authority constituted under Section 22 of the Chartered Accountants Act, 1949. Expenses of the Quality Review Board and the Appellate Tribunal are required to be borne by the Institute. Other expenses also include grant of ₹ 15 lakhs (₹ 15 lakhs) made to Extensible Business Reporting Languages (XBRL) .

24.22 COVID-19 pandemic has been rapidly spreading throughout the world, including India. Government of India have been taking significant measures to curb the spread of the virus including imposing mandatory lockdowns and restrictions in the activities. Consequently, as per the directions of Government of India, Institute had also partially closed down its physical operations, and facilitated the students to pursue the Chartered Accountancy Course though online mode and also used this opportunity to educate / upgrade the knowledge about various regulations/ regulatory requirements through regular conduct of webinar for various topics/ streams relating to its profession for its members.

As the lockdown was declared in the last week of March 2020, the revenue for the quarter ended March 2020 has not been materially impacted because major activities for FY 2019-20 were

completed by then. Continued lockdowns and considering the safety of the students in these critical conditions, ICAI decided to defer the May 2020 examination to the next cycle November 2020, which will marginally impact the financials. ICAI is exploring all options for students to catch up on this lapsed examination attempt.

The ICAI is monitoring the situation closely taking into account directives from the Government. Management believes that it has taken into account all the possible impacts of known events arising from COVID-19 pandemic and the resultant lockdown will not affect the going concern, and no implication to its property, plant and equipment, intangible assets, and the net realisable values of other assets.

However, given the effect of these lockdowns on the overall economic activity in India, the impact assessment of COVID-19 on the above-mentioned financial statement captions is subject to significant estimation uncertainties given its nature and duration and accordingly, the actual impact in future may be different from those estimated as at the date of approval of these financial statements. ICAI will continue to monitor any material changes to future economic conditions and consequential impact on its financial results

**Disclosure under Accounting Standards**

**25 Employee Benefits**

**Defined Benefit plans**

The Institute has recognised an amount of **₹ 676.50** lakhs for the year ended March 31, 2020 (Previous year ₹ 858.14 lakhs) towards contribution to Provident Fund.

The Institute has provided the following defined benefit plans to its employees Gratuity : Funded

Post retirement Pension : Non-Funded

Compensated Absence: Non-Funded

**25.1 Details of the Gratuity Plan are as follows** **( ₹ in Lakhs)**

| | Description | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Reconciliation of opening and closing balances of obligation** | | | | |
| | a. Obligation as at beginning of the year | **3,905** | 3,298 | 2,510 | 2,358 |
| | b. Current service cost | **279** | 266 | 1,102 | 202 |
| | c. Interest cost | **272** | 239 | 176 | 166 |
| | d. Actuarial (gain)/loss | **208** | 442 | (204) | 44 |
| | e. Benefits paid | **(661)** | (340) | (286) | (260) |
| | f. Obligation as at end of the year | **4,003** | 3,905 | 3,298 | 2,510 |
| 2. | **Change in fair value of plan assets** | | | | |
| | a. Fair value of plan assets as at beginning of the year | **3,513** | 2,277 | 2,325 | 2,292 |
| | b. Expected return on plan assets | **303** | 188 | 165 | 183 |
| | c. Actuarial gain/(loss) | **(57)** | 4 | 6 | 2 |
| | d. Contributions made by the Institute | **961** | 1,045 | 84 | 132 |
| | e. Benefits paid | **(549)** | (1) | (303) | (284) |
| | f. Fair value of plan assets as at end of the year | **4,171** | 3,513 | 2,277 | 2,325 |
| 3. | **Reconciliation of fair value of plan** assets and obligations | | | | |
| | a. Present value of obligation | **4,003** | 3,905 | 3,298 | 2,510 |
| | b. Fair value of plan assets | **4,171** | 3,513 | 2,277 | 2,325 |
| | c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability) | **168** | (392) | (1,021) | (185) |

**Details of the Gratuity Plan (Contd...)** **( ₹ in Lakhs)**

| | Description | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Expenses recognised during the year** | | | | |
| | a. Current service cost | **279** | 266 | 1,102 | 202 |
| | b. Interest cost | **272** | 239 | 176 | 166 |
| | c. Expected return on plan assets | **(303)** | (188) | (165) | (183) |
| | d. Actuarial (gain)/loss | **265** | 438 | (210) | 42 |
| | e. Expenses recognised during the year | **513** | 755 | 903 | 227 |
| **5.** | **Investment details** | **% invested** | % invested | % invested | % invested |
| | a. Others - Funds with Life Insurance Corporation of India | **100** | 100 | 100 | 100 |
| **6.** | **Assumptions** | | | | |
| | a. Discount rate (per annum) | **6.75%** | 7.62% | 7.65% | 7.45% |
| | b. Estimated rate of return on plan assets (per annum) | **7.62%** | 7.65% | 7.45% | 7.45% |
| | c. Rate of escalation in salary | **Basic 3% : DA 6%** | Basic 3% : DA 6% | Basic 3% : DA 6% | Basic 3% : DA 6% |
| | d. Attrition rate | **2%** | 2% | 2% | 5% |
| | e. Mortality table | **IAL 2012-14 Ultimate** | IAL 2012-14 Ultimate | IAL 2006-08 Ultimate | IAL 2006-08 Ultimate |

**25.2 Details of the Post Retirement Pension Plans**

| | Description | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Reconciliation of opening and closing balances of obligation** | | | | |
| | a. Obligation as at beginning of the year | **12,363** | 11,890 | 11,115 | 5,086 |
| | b. Interest cost | **920** | 874 | 813 | 357 |
| | c. Actuarial (gain)/loss | **2,085** | 79 | 378 | 6,063 |
| | d. Benefits paid | **(528)** | (480) | (416) | (391) |
| | e. Obligation as at end of the year | **14,840** | 12,363 | 11,890 | 11,115 |
| **2.** | **Reconciliation of fair value of plan assets and obligations** | | | | |
| | a. Present value of obligation | **14,840** | 12,363 | 11,890 | 11,115 |
| | b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability) | **(14,840)** | (12,363) | (11,890) | (11,115) |

**Details of the Post Retirement Pension Plans (Contd...)** **( ₹ in Lakhs)**

| | Description | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | **Expenses recognised during the year** | | | | |
| | a. Interest cost | **920** | 874 | 813 | 357 |
| | b. Actuarial (gain)/loss | **2,085** | 79 | 378 | 6,063 |
| | c. Expenses recognised during the year | **3,005** | 953 | 1,191 | 6,420 |
| 4. | **Assumptions** | | | | |
| | a. Discount rate (per annum) | **6.75%** | 7.60% | 7.50% | 7.30% |
| | b. Mortality table | **LIC 1996-98 Ultimate** | LIC 1996-98 Ultimate | LIC 1996-98 Ultimate | LIC 1996-98 Ultimate |

**25.3 Employee Benefits (Contd..) Details of Leave Encashment**

| | Description | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Reconciliation of opening and closing balances of obligation** | | | | |
| | a. Obligation as at beginning of the year | **5,104** | 4,137 | 3,873 | 3,468 |
| | b. Current service cost | **410** | 221 | 182 | 399 |
| | c. Interest cost | **374** | 301 | 274 | 227 |
| | d. Actuarial (gain)/loss | **39** | 851 | 188 | 127 |
| | e. Benefits paid | **(392)** | (406) | (380) | (348) |
| | f. Obligation as at end of the year | **5,535** | 5,104 | 4,137 | 3,873 |
| 2. | **Reconciliation of fair value of plan assets and obligations** | | | | |
| | a. Present value of obligation | **5,535** | 5,104 | 4,137 | 3,873 |
| | b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability) | **(5,535)** | (5,104) | (4,137) | (3,873) |
| 3. | **Expenses recognised during the year** | | | | |
| | a. Current service cost | **410** | 221 | 182 | 399 |
| | b. Interest cost | **374** | 301 | 274 | 227 |
| | c. Actuarial (gain)/loss | **39** | 851 | 188 | 127 |
| | d. Expenses recognised during the year | **823** | 1,373 | 644 | 753 |

**Details of Leave Encashment (Contd..)** **( ₹ in Lakhs)**

| | Description | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | **Assumptions** | | | | |
| | a. Discount rate (per annum) | **6.75%** | 7.62% | 7.65% | 7.45% |
| | | **Basic 3% : DA 6%** | Basic 3% : DA 6% | Basic 3% : DA 6% | Basic 3% : DA 6% |
| | b. Rate of escalation in salary | | | | |
| | c. Attrition rate | **2%** | 2% | 2% | 5% |
| | d. Mortality table | **IAL 2012-14 Ultimate** | IAL 2012-14 Ultimate | IAL 2006-08 Ultimate | IAL 2006-08 Ultimate |

**26 Segment Reporting**

The Institute's operations are confined to "regulation of the profession of Chartered Accountancy" and predominantly spread in India. Hence all its operations fall under single segment within the meaning of Accounting Standard (AS) - 17 Segment Reporting.

**27** Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

| Sd/- | Sd/- | Sd/- | Sd/- |
|---|---|---|---|
| **CA. Sudeep Shrivastava** | **Rakesh Sehgal** | **CA. Nihar N. Jambusaria** | **CA. Atul Kumar Gupta** |
| Joint Secretary | Acting Secretary | Vice-President | President |

In our report referred to even date

**For Shah Gupta & Co.**
Chartered Accountants
Firm registration number:109574W

**For Ravi Rajan & Co LLP**
Chartered Accountants
Firm registration number: 009073N/N500320

Sd/-
**CA. Rajeev Bansal**
Partner, Membership No. 088598
New Delhi, 24th September, 2020.

Sd/-
**CA. Deepak Gupta**
Partner, Membership No.516002

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./266/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.